भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में बीकानेर का योगदान

(संस्मरणात्मक लघु इतिहास)

दाऊदयाल आचार्य

लेखकीय वक्तव्य

वीकानेर रियासत मे चल रहे स्वतंत्रता संग्राम से मेरा जुड़ाव सन् *1941* से हुआ, जब मै अपने किसी मुकदमे के सिलसिले में वकील वावू रघुवरदयाल गोयल के निकट सम्पर्क में आया। वहीं पर पंडित गगादासजी कौशिक से भी संवंध जुड़ गया। हम तीनो को एक दूसरे के निकट लाने वाला मुख्य सूत्र था—राष्ट्रीय स्वतत्रता संवधी विचारसाम्य। अंग्रेजी दासता से राष्ट्र को मुक्त करवाने के संघर्ष में हम देशी रियासतों के निवासी भीपण कठिनाइयो मे से गुजर रहे थे। अंग्रेजो के खुशामदी राजागण स्वतंत्रता संग्राम के आन्दोलनकारियों को 'बगावती' श्रेणी में रखकर उन पर ऐसे जुल्म ढहाते थे, जिन्हें सुनकर उनके आका अंग्रेज उनसे खुश होते थे। बीकानेर में हमारे लिए महाराजा गंगासिंह के आतंक व क्रूरता से जूझने की मानसिक तैयारी रखे विना अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता आन्दोलन में भागीदारी संभव नहीं थी।

मैं उन्हीं दिनों वीकानेर आया था। मेरा वचपन, किशोर अवस्था एवं प्रारम्भिक अध्ययन हैदराबाद दक्षिण की निजाम रियासत में बीता था और मै रियासती नवावों व राजाओं के दमनचक्रों को देखता-सुनता आया था इसलिए मन में इन सवसे लोहा लेने की एक युवकोचित भावुकता मुझमें थी। वीकानेर के ही पं. गंगादासजी कौशिक में व्यावहारिक मैदानी कार्य करने की योग्यता अद्भुत दरदल के रूप में उपलब्ध थी और तत्कालीन परिस्थितियों में मेधावी व योग्य मार्गदर्शक के रूप में बावू रघुवरदयाल गोयल हम सब लोगों को उपलब्ध हुए।

मेरे स्वातंत्र्य संग्राम के प्रांगण मे पदार्पण करने से पूर्व की कठिन परिस्थितियों में जिन्होंने इस स्वतंत्रता के सघर्ष का वीजारोपण किया था, उनके कार्यकलापो की गूंज तव तक वातावरण में ताजगी लिए थी। उनके कार्यकलापों की याददाश्त प्रेरक थी। उन वीर मनीषी योद्धाओं की चहलकदमी की जो

अनुगूंज अभी भी मेरी स्मृति में है और उसके संबंध में जो संकलन मैने किया उसका विवरण इस पुस्तक के 1 से 3 अध्याय में है।

जो कुछ हमने जीया, भोगा व देखा, वह शेष अध्यायों में समाविष्ट है।

मैं कभी इतिहास लेखक नहीं था और न हूँ। पचास-पचपन वर्ष पहले के क्रियाकलापों व अनुभवो को, जो अब इतिहास के गर्भ में समा गये है, स्मरण करके अंकित करने का यह प्रयत्न है और मैने भी यह अनधिकार चेष्टा, अपने राष्ट्रीय ऋण को यत्किंचित चुकाने की भावना से, कर ही ली है तो इसमे कुछ भूले अवश्य ही पायी जा सकती है, जिन्हें इतिहासज्ञ महानुभाव, आशा है रेखांकित करेंगे व साथ ही उन कमियो को दर्शाने की कृपा करेगे तो बड़ा आभारी होऊँगा।

यह गुरुत्तर भार मेरे कंधों पर कैसे आ पड़ा इसका रोचक किस्सा कुछ पक्तियों में नीचे दे रहा हूँ :

सन् 1989 के आसपास राजस्थान की तमाम भूतपूर्व रियासतों के 'स्वतंत्रता सेनानियों की जुबानी स्वतंत्रता संघर्ष की कहानी' की परिकल्पना राजस्थान सरकार के दिमाग में आई। 'स्वतंत्रता सेनानी-संस्मरण संकलन परियोजना' का प्रारम्भ किया गया। यह कार्य बीकानेर स्थित 'राजस्थान अभिलेखागार' द्वारा शुरू किया गया। बीकानेर के तमाम स्वतंत्रता सेनानियो के संस्मरण ध्वनिबद्ध कर लिए गए और उनमें जब मेरी बारी आई तो मै इसमे उदासीन बना रहा और अभिलेखागार द्वारा भेजे गए किसी भी पत्र का उत्तर मैंने नहीं दिया, क्योंकि मेरी ऐसी धारणा रही कि जब एक डाकोत भी बीती हुई तिथि को नहीं बांचता तो हम इन बोदी-पुरानी स्मृतियों के अंकन में क्यो समय बर्बाद करे। मेरी इस भ्रांति को अभिलेखागार के तत्कालीन सहायक निदेशक डॉ. गिरिजाशंकरजी शर्मा ने इस अकाट्य तर्क को मेरे सम्मुख प्रस्तुत करके निर्मूल कर दिया कि स्वतंत्रता सेनानियो के तत्कालीन संस्मरण न तो उनकी मौरुसी संपत्ति है और न व्यक्तिगत संपत्ति क्योंकि ये संस्मरण असल में राष्ट्र की सपत्ति है जिन्हें राष्ट्र को लौटाए बिना कोई भी स्वतंत्रता सेनानी ऋणमुक्त नही होगा। उन्होने मुझे पूछा कि क्या मैं अपने राष्ट्रीय ऋण को चुकाये बिना ही संसार से विदा हो जाना श्रेयस्कर मानता हूँ? मेरे पास इसका कोई उत्तर नही था, अतः कृतज्ञतापूर्वक उनकी आज्ञा मान कर मैने

अपने सस्मरण पाच कैसेटों मे ध्वनिवद्ध करवा दिये। पर सरकारी काम तो सरकारी काम ही होते है—वे बीकानेर संवधी सस्मरण सरकार द्वारा अव तक प्रकाशित नही हुए। मेरी उम्र 80 का अंक छू रही है इसलिए मैने समझ लिया कि सरकार के भरोसे तो ये संस्मरण मेरी जिन्दगी में प्रकाशित नहीं हो पायेंगे इसलिए क्यो न मैं इन्हें जनता तक पहुँचाने का कोई अन्य रास्ता खोज निकालूँ। राजस्थान के सुप्रसिद्ध दैनिक अखवार 'राष्ट्रदूत' के 'साहित्य-कला-संस्कृति' स्तंभ के लेखक श्री मधु आचार्य 'आशावादी' ने 89 कड़ियों में प्रकाशित कर मेरे ये संस्मरण आम जनता तक पहुँचा दिए। राष्ट्रदूत में कुछ ही साक्षात्कार प्रकाशित हुए थे कि संवंधित सेनानियो की ओर से जो उदारतापूर्ण सहयोग मिला उसके कारण इन संस्मरणों ने एक संस्मरणात्मक लघु इतिहास का रूप धारण कर लिया जो अव पुस्तकाकार होकर प्रस्तुत हो रहा है।

मैं इन सवका ऋणी हूँ :

सर्वप्रथम मैं डॉ. गिरिजाशंकरजी शर्मा का ऋणी हूँ जिनकी प्रेरणा से मेरी उदासीनता दूर होकर इस राष्ट्रीय ऋण का यत्किंचित चुकारा हुआ। इन्होंने मेरे संस्मरणों को क्रमवद्ध करने में पुरातत्व विभाग की फाइलो के अध्ययन में जो सहायता की उसके लिए भी मैं उनका आभारी हूँ। इनके अवकाश प्राप्त कर लेने के वाद राजस्थान अभिलेखागार के अधिकारी वर्ग एवं स्टाफ द्वारा जो स्नेहपूर्ण सहयोग प्रदान किया जाता रहा उसे मैं कभी नहीं भुला सकता।

मधु आचार्य 'आशावादी' द्वारा साक्षात्कार लेकर 89 किश्तो में इसे प्रकाशित न किया जाता तो शायद आम जनता तक स्वतंत्रता संघर्ष काल का सही चित्र कभी न पहुँच पाता। इन्हें मेरा आशीर्वाद।

मैं रघुवरदयालजी के पुत्र इन्दुभूषण गोयल, पं. हीरालाल शर्मा, भाई मूलचंद पारीक एवं अन्य तमाम लोगों का हृदय से आभारी हूँ जिन्होने अपने पास जो भी पचास वर्ष पुराना पत्राचार, कटिंग आदि सामग्री थी उसे भेजने की कृपा की। इस सिलसिले मे मै भाई गंगादासजी के कनिष्ठ पुत्र श्री नीलमाधव कौशिक को धन्यवाद देता हूँ जिसने अपने पास की तमाम सामग्री उत्साहपूर्वक प्रदान की।

इतिहास लेखन के कार्य से सर्वथा अनभिज्ञ मुझ जैसे व्यक्ति को अगर श्रीमान् सत्यनारायणजी पारीक का मार्गदर्शन न मिलता तो कभी का हतोत्साहित हो जाता। इन्होंने कृपापूर्वक भूमिका लिखकर मुझे अतिरिक्त ऋणी बना लिया है। मैं इनका कृतज्ञ हूँ।

खादी मंदिर के समर्पित कार्यकर्ता श्री मनोहरजी भादाणी ने दिन-रात एक करके सारी सामग्री को व पत्राचार को क्रमबद्ध कर और बीमारी की अवस्था मे डिक्टेशन लेकर मेरी जो सहायता की इसके लिए साधुवाद।

महेश आचार्य ने टंकण कार्य अनवरत श्रम से किया है। सांखला प्रिण्टर्स ने अल्प समय में मुद्रण कार्य कर सहभागिता निभाई है जिनका मैं आभारी हूँ। 'चेतना' संस्था ने प्रकाशन की महती जिम्मेवारी ग्रहण कर उसका निर्वाह जिस अपनत्व से किया है, इस हेतु धन्यवाद प्रेषित किए बिना लेखकीय वक्तव्य अपूर्ण रहेगा।

बंदऊँ पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राष्ट्र के चेरे।।

बी. रा. प्रजापरिषद् की
पचपनवीं वर्षगांठ
22 जुलाई 1997

विनीत
—दाऊदयाल आचार्य

श्री दाऊदयालजी आचार्य की प्रस्तुत पुस्तक की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता असंदिग्ध है, कारण कि इतिहास-लेखन के सभी संभाव्य स्रोतों का आलोड़न लेखक ने इस वृद्धावस्था में भी पूरे मनोयोग से किया है। लेखन काल में इनकी ज्ञान के प्रति भूख को देखकर मैं आश्चर्यचकित हो जाया करता था, अब उसके प्रतिफल को पुस्तक रूप में पाकर तो मैं अभिभूत हूँ। यह मेरे लिए 'गूंगे का गुड़' है......।

बीकानेर में स्वातंत्र्य आंदोलन के इतिहास को हम जो भी नाम दें, वह कोई छुट-पुट आंदोलन मात्र नहीं था, वह अखिल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक अभिन्न अंग (Integral Part) था। हालांकि, इस स्थिति तक पहुँचने में उसे काफी लम्बा समय लगा। इसी विचार बिंदु को केन्द्र में रखकर लेखक ने अपने अध्ययन का ताना-बाना बुना है। इसीलिए कांग्रेस, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद और अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं की रीति-नीति व उनके नेतृत्व के हस्तक्षेप और प्रभाव क्षेत्र की बढ़ोत्तरी तथा उनके व रियासतों के संबंधो का लेखा-जोखा संगत प्रतीत होता है।

प्रजा परिषद के संस्थापक
सदस्य स्वतंत्रता सेनानी
श्री सत्यनारायण पारीक
पूर्व निर्देशक भारतीय विद्यामंदिर
शोध प्रतिष्ठान बीकानेर

पाठक स्वतंत्रता के इस संघर्ष को व्यक्तिगत राग-द्वेष अथवा किसी के प्रति अवमानना की दृष्टि से न देखें। वस्तुतः यह सिद्धान्तों, व्यवस्था के परिवर्तन, नीतियों और संवैधानिक सुधारों की नैतिक लड़ाई थी। इस सबका मूल तत्त्व एक ही था कि सत्ता जनता में निहित है, राजा में नही। इस तत्त्व तक पहुँचने के लिए आंदोलन की किस काल मे क्या-कैसी गति रही इस पर लेखक ने बहुत ही विशद रूप में सांगोपांग विश्लेषण प्रस्तुत किया है।

महाराजा गंगासिंह द्वारा संपन्न विकास एव लोकहित कार्यो की ओट मे कुछ लोगों ने उनकी राजनैतिक रीति-नीति और जुल्म-ज्यादतियों की अनदेखी करने की प्रवृत्ति अपनाई पर लेखक ने अपनी पैनी लेखनी से बहुत ही तार्किक ढंग से युक्तियुक्त रूप में सप्रमाण तत्कालीन विभिन्न घटनाओं का जो लोमहर्षक वर्णन प्रस्तुत किया है उससे यह बात भली प्रकार सिद्ध होती है कि महाराजा के स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन के

Nip in the bud और Keep an eagle's eye (अर्थात् मूलोच्छेदन कर दो एवं बाज दृष्टि रक्खो), ये दो ही प्रमुख सूत्र थे। विशेषतः इनका प्रयोग उन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन की गतिविधियो पर किया।

किसी भी सगठन को खड़ा करने में उसके उद्देश्यों की प्राणप्रतिष्ठा तथा उन्हें फलीभूत करने मे कई शक्तियो का हाथ होता है। कोई बड़े से बड़ा नेता भी कर्मनिष्ठ और समर्पित अनुचरों (कार्यकर्ताओं) के बिना नेतृत्व की ऊँची सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता। इसे लेखक ने जगह जगह स्वयं सेवकों, प्रशिक्षु कार्यकर्ताओं, विद्यार्थियों, छोटे-छोटे बालकों एवं महिलाओं आदि की शानदार भूमिकाओं का उल्लेख कर स्वतंत्रता के आन्दोलन मे उनकी भागीदारी का ही मूल्यांकन किया है।

शुरू-शुरू में स्वतंत्रता की अलख जगाने वाले प्रायः मध्यम श्रेणी के लोग रहे पर ज्यो-ज्यों सघर्ष ने जोर पकड़ा, इसमें किसान एवं मजदूर वर्ग का भी सक्रिय सहयोग मिला। पत्रकारो ने जोखिम उठाकर अपनी भागीदारी निभाई और ब्रिटिश भारत में तीव्र गति से जो परिवर्तन हो रहे थे उनके परिप्रेक्ष्य में यहाँ के आंदोलन को नई दृष्टि और दिशा देने में सफल हुए। महाराजा सादूलसिंह और केन्द्रीय सत्ता के संबंधों का जो ऊंचा ग्राफ था वह किस तरह उनकी अपनी भूलों के कारण नीचे गिरा—इन सबका वर्णन पठनीय है।

बीकानेर के अतिम महाराजा सादूलसिंह ने अंतरिम सरकार बनाकर आंशिक मात्रा मे सत्ता जनता को सौंपी अवश्य पर रियासत को इकाई रखने हेतु जो पापड़ बेले गए और दुरभिसंधियां की, उनकी सूचना लेखक ने एवं पत्रकार श्री मूलचंद पारीक ने यथा समय उच्चस्थ विभागों को पहुँचाई, वह तो देशभक्ति की अनोखी मिसाल है। उसी के कारण बीकानेर रियासत भारत में रह पाई।

अत मे मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि सारी स्थिति पर जब दृष्टिपात करते हैं तो इस जबरदस्त सत्ता परिवर्तन मे न तो किसी का पराभव हुआ और न किसी की विजय हुई, यही बापू के अहिंसात्मक आंदोलन का तत्व था।

लेखक का यह प्रस्तुत अध्ययन शोधकर्त्ताओं के लिए बहुत बड़ी सेवा मानी जायेगी जो दीपस्तम्भ का काम करेगी।

सश्रद्धा

—सत्यनारायण पारीक

समर्पण

प्रसिद्धि-पराङ्मुख स्वतंत्रता सेनानी

94 वर्षीय श्री शंकर महाराज व्यास (केशवाणी) को

जिन्होंने लेखक के पिताश्री की मृत्यु सन् 1941 मे हो जाने के वाद पितृवत् संरक्षण प्रदान किया।

विषय सूची

अध्याय पहला

वीकानेर के राठौड़ वंश का संक्षिप्त परिचय

भारतीय इतिहास में बहुचर्चित जयचंद राठौड़ के वंशज आधुनिक बीकानेर के निर्माता, भगीरथ व कुशल प्रशासक इक्कीसवे नरेश महाराजा गंगासिंह

ब्रिटिश साम्राज्य के प्रबल पोषक
एवं
मानवीय व नागरिक अधिकारो के हन्ता !

बीकानेर के राठौड़ वंश का संक्षिप्त परिचय और महाराजा गंगासिंह

भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा से विदेशियो के आक्रमणों और फिर समुद्री मार्ग से फिरंगियों के आक्रमणों से आक्रांत भारत ने सदियों तक विदेशियों की अधीनता और गुलामी की वेदना सही। मुस्लिम और फिरगी शासकों के अत्याचारों से मुक्त होने के लिए देश की तरफ से अनवरत प्रयत्न होते रहे, उनका लेखा जोखा ही स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष का इतिहास है।

प्रस्तुत पुस्तक की विषय-वस्तु उस काल से संवंध रखती है जव बीकानेर राज्य में महाराजा गंगासिह (सन् 1887 से 1943) व उनके उत्तराधिकारी महाराजा सादुलसिह (सन् 1943 से 1949) का शासन रहा।

महाराजा गंगासिंह बीकानेरीय राठौड़ राजवंश के इक्कीसवें नरेश थे। सभी इतिहासकारों ने राठौड़ों को कन्नौज से आना बताया है। कर्नल टॉड ने इन्हें इतिहास प्रसिद्ध राजा जयचंद का वंशज माना है।[1] बीकानेर राज्य की स्थापना राठौड़ वंश के राव बीकाजी द्वारा सन् 1465 ई. में की गई। राव बीका जोधपुर नरेश राव जोधा के कनिष्ठ पुत्र थे। महत्वाकांक्षी बीका ने अपने लिए नये राज्य की स्थापना का संकल्प लेकर जोधपुर से 30 सितम्बर, 1465 को जांगल प्रदेश की ओर प्रस्थान किया....भाटी और जाट जो इस भू-भाग में अधिक शक्तिशाली थे, उनको इसने खूब छकाया.... 23 वर्ष के अथक परिश्रम से बीका ने इस रेतीले भाग में अपनी धाक जमा ली। अपनी व्यवस्था को स्थायी रूप देने के लिए उसने सन् 1488 मे बीकानेर नगर की स्थापना की।[2]

सन् 1504 में इसकी मृत्यु के वाद राव नारोजी, राव लूनकरन व राव जैतसी तक यह राज्य पूर्ण प्रभुतासम्पन्न रहा। जैतसी के वाद सन् 1542 से 1574 तक राव कल्याणमल का शासन रहा। इसके शासन की समाप्ति के चार साल पूर्व तक का, अर्थात् करीव एक शताब्दी का, राठौड़ी शासन का इतिहास बड़ा ही गौरवशाली और शौर्यपूर्ण रहा। बीकानेर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना के वाद बीका की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि उदा, जो रायमल के द्वारा मेवाड़ से निकाल दिया गया था, बीका की शरण में आकर

1. डॉ गोपीनाथ शर्मा कृत राजस्थान का इतिहास, पृष्ठ 81

2 डॉ. गौरीशकर हीराचद ओझा कृत बीकानेर राज्य का इतिहास, भाग 1 पृष्ठ 100

कुछ समय तक बीका के संरक्षण मे रहा। बीका के राज्य का विस्तार चालीस हजार वर्गमील भूमि होना अनुमान किया जा सकता है।[3]

जिस राजपूती वीरता से राजस्थान का इतिहास भरा पड़ा है, राव बीका उसका एक जाज्वल्यमान उदाहरण था। बीका ने दिल्ली सल्तनत को चुनौती देने में कोई कसर नही रखी। उसने कभी किसी सम्राट की चापलूसी नही की और न किसी की अधीनता स्वीकार कर अपने राजपूती शौर्य को वट्टा लगाया।[4]

सन् 1542 में राव कल्याणमल गद्दीनशीन हुए तब दिल्ली के तख्त पर शेरशाह सूर थे पर सन् 1556 में दिल्ली पर अकबर की सत्ता कायम हो गई। वैसे राव कल्याणमल का शासन काल 1574 तक चला पर अपनी मृत्यु से चार साल पहले ही अकबर के शासन काल में जब अकबर मारवाड़ पर आधिपत्य करने निकला और नवम्बर 1570 में नागौर की यात्रा की तो वहाँ जोधपुर और बीकानेर के शासकों की ओर से उसकी अधीनता स्वीकार कर ली गई.... बीकानेर के राव कल्याणमल और उसके बेटे रायसिह ने सम्राट से भेंट की.... अकबर ने बीकानेर के राजघराने की लड़की से विवाह किया।[5]

तब से यानी सन् 1570 से 15 अगस्त, सन् 1947 को देश के आजाद होने तक बीकानेर के राठौड़ वंशीय राजघराने ने पहले मुगल साम्राज्य और फिर इंग्लैड के ब्रिटिश साम्राज्य की अधीनता में रहकर अपनी राजसत्ता चलाई।

सन् 1818 ई. की अंग्रेजों से की गई सबसीडियरी मैत्री संधि

मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय हुआ। उन्नीसवीं सदी मे महाराजा सूरतसिंह के शासन काल मे रियासत के सामन्तों ने विद्रोहपूर्ण रवैया अपना लिया था जिस पर काबू पाने में अपने आप को असमर्थ पाकर महाराजा ने सन् 1818 मे ब्रिटिश साम्राज्य की सर्वोच्च सत्ता की अधीनता के अन्तर्गत मैत्रि संधि सम्पन्न करली। इस संधि के अधीन विद्रोही सामन्तो और ठाकुरो को दबाने के लिए ब्रिटिश सेनापति आलनेर ने अपनी सेना सहित रियासत में प्रवेश करके विद्रोहियों को ठंडा कर दिया।[6]

सन् 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष मे जहाँ झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई, पेशवा धूधूंपंत, मुगल सम्राट बहादुरशाह, बेगम जीनत महल, अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब, बेगम हजरत महल, बिहार मे जगदीशपुर के जमीदार कुँवरसिंह आदि ने आजादी के लिए अपना सर्वस्व होम दिया वहीं हमारे बीकानेर नरेश सरदारसिह ने जीजान से अंग्रेजों की सहायता की। इन अमूल्य सेवाओं के उपलक्ष्य में

3. डॉ गोपीनाथ शर्मा, पृष्ठ स. 255-256
4. डॉ गोपीनाथ शर्मा, पृष्ठ स. 198-199
5. डॉ. आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव-भारत का इतिहास पृष्ठ 445
6. सरादार के. एम पन्निकार कृत महाराज गगासिह का जीवन चरित्र पृष्ठ 15-16

अग्रेज सरकार ने महाराजा को खिलअत तथा 11 अप्रैल, 1861 की सनद के द्वारा सिरसा जिले के 41 गाँवों का टीवी परगना दे दिया।[7]

इक्कीसवें नरेश महाराजा गंगासिंह

वीकानेर रियासत के इक्कीसवें नरेश महाराजा गंगासिंह बड़े प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के थे। अपने छप्पन वर्ष के लम्वे शासन काल में उन्होंने अपने व्यक्तित्व और अपनी रियासत दोनों का अच्छा खासा विकास किया। जहाँ विजली और रेलवे आदि के साधनों के साथ गंगनहर ला कर रियासत को समृद्ध वनाया वही भारतीय रंगमंच पर देशी रियासतों को संगठित करने की दृष्टि से नरेन्द्र मण्डल के प्रथम चाँसलर वनकर रियासती नरेशों का नेतृत्व किया और अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर मार्च 1917 में इम्पीरियल वार केविनेट व सम्मेलन मे भारत के देशी नरेशों का प्रतिनिधित्व किया और अन्य अनेक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। असल मे वे दुहरे व्यक्तित्व के धारक थे— वाहरी दुनिया मे वे कुशाग्र बुद्धि, देशभक्त, प्रगति-शील और उदार शासक माने जाते थे पर रियासती प्रजाजनों के लिए खासतौर पर उस जागरूक तवके के लिए तो साक्षात यमराज ही थे जो उनके निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन के फलस्वरूप राजनैतिक ही नहीं, सामाजिक और साहित्यिक आदि सभी क्षेत्रो में व्याप्त दमघोटू व अमानवीय वातावरण में मानवाधिकारों अर्थात् लेखन, भाषण और संगठन के मूलभूत व नैसर्गिक अधिकारों के पक्षधर होकर भेड़-वकरी की तरह हॉके जाने का विरोध करते थे।

सन् 1818 की सवसीडियरी अलायन्स की मैत्रि-संधि के अधीन ब्रिटेन की सर्वोच्च सत्ता की अधीनता से वंधे हुए होने पर भी उन्होंने अपने आपको पूर्णप्रभुतासम्पन्न शासक जताने की लालसा सदा वनाए रखी और एक चतुर नरेश के नाते राजाओं के अधिकारों के प्रति बड़े ही संवेदनशील रहे।

ब्रिटिश भारत में सन् 1905 के वंग-भंग के तूफानी आन्दोलन के वाद जव सन् 1909 में वहाँ मिन्टो संवैधानिक सुधार आए तो इन्होने अपनी रियासत के भविष्य के लिए दो निर्णय कर लिये—एक यह की रियासत में किसी आन्दोलन के चिह्न देखते ही उसे पूरी क्रूरता पूर्वक कुचल दिया जाय और दूसरा यह कि राज्य में लोकतांत्रिक पश्चिमी तरीके की सभी असेम्वली आदि संस्थाओं के ढाँचे खड़े कर दिये जावे। चुनांचे सन् 1913 में वीकानेर असेम्वली का ढॉचा खड़ा कर दिया गया और साथ ही डिस्ट्रिक्ट वोर्ड व म्यूनीसीपल वोर्ड आदि के जनाधिकार-रहित ढॉचे दिखाई देने लगे जिनमें आटे मे नमक होवे इतने ही चुने हुए लोग होते थे और वाकी सारे जी-हजूरिये नामजद किये जाते थे।

महाराजा की यह दृढ़ मान्यता रही कि राजा को शासन के दैवी अधिकार प्राप्त होने से रियाया का प्रतिनिधि और प्रवक्ता होने का अधिकार एकमात्र शासक के लिए ही सुरक्षित रहना चाहिए और इस पवित्र दैवी अधिकार में रियाया का कोई दखल सहन

---

7. डॉ ओझा—वीकानेर राज्य का इतिहास, जिल्द-2, पृष्ठ 453

करने को वे कतई तैयार नही थे। रियासतो की रियाया को तो वे भेड़-बकरी की तरह वरतते थे और इस से अधिक दर्जा या अधिकार उन्हें मान्य नहीं था, फिर चाहे उनकी तरफ से रियाया के अधिकारो सवधी वड़ी-वड़ी घोषणाएं कितनी ही और कैसी ही क्यो न की जाती रही हो।

देश की स्वतंत्रता के हामी होने का मिथक!

देश-विदेश मे यह भ्रांति फैली हुई है या फैलाने का प्रयत्न किया जाता रहा है कि महाराजा गगासिह भारत की स्वतत्रता के प्रवल समर्थक थे। जरा तथ्यों की कसौटी पर इस भ्रांति को कस कर देखे तो वास्तविकता छुपी नहीं रहेगी।

सन् 1926 से 1932 का काल भारत मे वड़ी उथल-पुथल का काल था। समुद्र पार से आया हुवा फिरंगी भारत की कोटि-कोटि जनता पर अपने गुलामी के शिकजे को दमन के वल पर और अधिक जोर से कसने पर तुला हुआ था तो दूसरी तरफ सत्य, अहिसा, त्याग और वलिदान रूपी सात्विक शस्त्रों से लैस गाँधी की फौज देश के कोटि-कोटि भारतीयों का—क्या राजा और क्या रंक—सभी के सहयोग के लिए आह्वान कर रही थी। साथ ही भगतसिह, सुखदेव व राजगुरु जैसे क्रांति-कारी नौजवान हँसते-हँसते फाँसी के झूलों पर झूलने का आनंद ले रहे थे।

उन्ही परीक्षा की घड़ियो में देश की स्वतंत्रता के हमारे तथाकथित पक्षधर महाराजा गगासिह देश के लिए क्या कुछ कर रहे थे जरा इसका अवलोकन करें :

महाराजा की जीवनी के लेखक के. एम. पणिकर 'जीवनी' के पृष्ठ 312 पर लिखते है कि तत्समय ब्रिटिश भारत में राजनैतिक परिस्थितियाँ जाहिरा तौर पर एक गंभीर सकट की ओर अग्रसर हो रही थी। इन परिस्थितियों में भारत के नरेशो ने फिर एक बार इस बात पर जोर दिया कि ब्रिटिश सत्ता की तुलना में उनके अधिकारों की स्थिति के बारे में विचार-विमर्श और जाँच-पड़ताल की जाय क्योंकि ब्रिटिश भारत की राजनैतिक प्रगति के प्रत्येक कदम के साथ नरेशगणों के सामान्य और विशेष अधिकारों मे कमी आने की सभावनाएं वढ़ती ही जाती दिख रही थी। ऐसा था हमारे महाराजा साहव का देश और स्वतंत्रता का प्रेम जिसमें देश की आजादी तो दूर की बात है केवल मात्र देश की राजनैतिक प्रगति के प्रत्येक कदम मात्र से उनकी चिन्ता का पारा ऊपर की ओर चढ़ता चला जाता था। ब्रिटिश सत्ता ने इस सम्बन्ध मे जॉच-पड़ताल करने के लिए वटलर कमीशन को भारत भेजा जिसने अपनी जॉच-पड़ताल के दौरान बीकानेर की भी यात्रा की और महाराजा से विचार-विमर्श किया।

नरेशों ने तत्समय यह मॉग इसलिए उठाई कि उदयपुर के महाराणा फतेहसिह के खिलाफ सर्वोच्च सत्ता के अधीन प्रतिकूल कदम उठाया गया था जिससे चौंक कर नरेशों ने 'सर्वोच्च सत्ता' को ही परिभाषित कराना चाहा। वटलर कमीशन ने उसे परिभाषित न करके यही रिपोर्ट की कि 'सर्वोच्च सत्ता को सर्वोच्च सत्ता ही वना रहना होगा।'

नरेन्द्र मण्डल में बटलर कमीशन की रिपोर्ट पर दिये गये अपने भाषण के दौरान महाराजा ने कहा, 'उन्होने (बटलर कमीशन ने) दावा किया है कि ब्रिटिश ताज के (रियासतों के मामलों में) हस्तक्षेप करने के अधिकारों का प्रयोग सम्पूर्ण भारत के हितार्थ किया जा सकता है, और सार्वजनिक आन्दोलनों के होने पर शासन के परम्परागत ढाँचो के परिवर्तनों को सुझाने में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। महाराजा के अनुसार ये सिद्धान्त और दावे सचमुच में नए है। ये सिद्धान्त खतरनाक भी है क्योंकि वे ब्रिटिश हस्तक्षेप को ऐसी परिस्थितियों मे भी सभव वना देते है जिन पर नरेशो का कोई नियन्त्रण ही न हो।'

महाराजा साहव ने जव कभी भी और जिस किसी भी मंच पर भारत की स्वतन्त्रता के प्रति समर्थन और सहानुभूति प्रगट की है वह दिखावटी ही रही है क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता के मुद्दे के साथ हमेशा राजाओं के विशेषाधिकारों की शर्त को अनिवार्य रूप से रोड़ा वनाकर जोड़ा है और इस प्रकार देश की आजादी मे रोड़े ही अटकाये हैं। ऐसा था महाराजा का तथाकथित स्वातंत्र्य प्रेम! ऐसी थी उनकी राष्ट्रभक्ति!!

चूँकि वीकानेर नरेश भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किये जाने वाले प्रयत्नों और संघर्षो में रोड़ा अटकाने वालों में अग्रणी थे इसलिए वाधक वनने वाले समस्त नरेशो मे इनका नाम सिरे पर चढ़ता है। 'भारत में अग्रेजी राज' के यशस्वी लेखक एव अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राष्ट्रनेता तपस्वी पं. सुन्दरलालजी के शब्दों में 'भारत की आजादी के लिए कोशिश करने वालों के सामने जो-जो समस्याएँ आई, उनमे एक सवसे अधिक कठिन समस्या देश के अन्दर लगभग छ· सौ छोटी-वड़ी रियासतों की मौजूदगी थी। एक सौ वर्ष से ऊपर तक विदेशी अंग्रेज शासकों ने जिस तरह इन नरेशों का स्वाधीनता के प्रयत्नों को असफल कराने में उपयोग किया उसकी एक लम्बी कहानी है।'

....और ऐसा था उनका राम-राज्य!

भारत को स्वतंत्र हुए पचास वर्ष हो गये और इस वर्ष स्वतंत्रता की स्वर्ण जुवली मनाई जा रही है। स्वराज्य के पश्चात् सुराज का स्वप्न खण्डित सा हो रहा है। आम नागरिक निराशा में झूल रहा है। भ्रष्टाचार, असुरक्षा और महंगाई से पीड़ित होकर आज के परिप्रेक्ष्य मे महाराजा गंगासिह के 'राम-राज्य' को तत्कालीन लोग वड़ी भावपूर्ण भाषा मे याद करते है। 'आज' के ऐसे परिप्रेक्ष्य मे 'गये कल' को याद करना अस्वाभाविक नही है। पर भाव जगत और ऐतिहासिक जगत में जो भिन्नता होती है उसे भी नजरअन्दाज नही किया जाना चाहिए। आज की मौजूदा परिस्थितियो के प्रभाव मे पूर्व काल के महाराजा गंगासिंह के शासन काल को 'राम-राज्य' कह देने मे भूल और भ्रांति भी हो सकती है। 'राम-राज्य' इस शव्द के उच्चारण करते समय हमें राम-राज्य की उन कुछ मुख्य विशेषताओं को ध्यान में रखना होगा जिनके कारण वह राम-राज्य कहलाया। राम-रावण युद्ध में विजय के वाद अयोध्या लौटने से पहले राम द्वारा सीता

की अग्नि-परीक्षा ली जा चुकी थी जिसमे खरे सोने की तरह निखर जाने पर ही उसे स्वीकार किया था। फिर भी अयोध्या के एक अदने से धोबी के कंठ से निकली हुई जनमत की आवाज पर राम ने क्या कुछ किया यह जग जाहिर है। पर महाराजा गगासिह के शासन काल मे तो उनके प्रशासन और उनके सामन्तों के जुल्मों की चक्की में पिसते हुए पीड़ित व्यक्ति या जन समूह के जोर से रो उठने को भी 'राजद्रोह' और 'षडयन्त्र' की सज्ञा से लाछित किया जाकर लाठी, गोली, जेल और निर्वासन से प्रताड़ित किया जाता था जो आगे के पन्नो मे विस्तृत रूप से पढ़ने को मिलेगा। आओ जरा अतीत पर सक्षिप्त नजर डाले और यह भी देखें कि उस काल के रामराज्य के गीत गाने वाला वह तवका सुविधाभोगी उच्च वर्ग का मुखर नागरिक है या निम्न वर्ग का पीड़ित मूक मानव।

तव देश गुलाम था अंग्रेजो का, देशी नरेश गुलाम था ब्रिटिश सम्राट का, नरेश के भाई-वन्धु और उनके उत्तराधिकारी गण जो जागीरदार की संज्ञा से पुकारे जाते थे, गुलाम थे नरेश के और रियासत में वसने वाला और कड़ी मेहनत से खून-पसीना एक करके, खेती के माध्यम से मानव मात्र का पेट भरने वाला असली अन्नदाता किसान और समाज की सेवा करने वाला नाई, धोबी, सुथार, कुंभार, कारीगर, मजदूर, छोटा व्यापारी आदि सभी अन्य नागरिक गुलाम थे इन तीनो के। आम आदमी इस तिहरी गुलामी के बोझ को ढोने को मजवूर था, रियासत मे।

हमारे महाराजा साहव के इस तथाकथित 'रामराज्य' में इस तिहरी गुलामी के नीचे दवकर मरने वाला किसान, मजदूर आदि मे से कोई भी अपने दुख-दर्द की 'आह' तक निकालने को स्वतत्र नही था। अपने दुख की आवाज आम जनता के बीच उठाना या महाराजा के प्रशासन तक दरख्वास्त-पानड़े देकर पहुँचाना भी 'राजद्रोह' माना जाता था। राज्य की सत्तर प्रतिशत भूमि के डेढ सौ-दो सौ पट्टेदारो, सरदारो व राजवियो के लिये क्रियात्मक रूप से कोई कानून ही नही था क्योकि उन पर कोई फौजदारी कार्यवाही उस समय तक नहीं की जा सकती थी जव तक कि राज्य की उस कौन्सिल की विशेष अनुमति प्राप्त न करली गई हो जिस के प्राय सारे सदस्य पट्टेदार ही होते थे।

ऐसे इस राम-राज्य का प्रंशसक कौन था ? इसका प्रशंसक था—समाज के श्रेष्ठी वर्ग का पंडित, महामहोपाध्याय, कविराज, सेठ-साहूकार, ठाकर-ठरडा, राज्य के उच्च पदासीन अधिकारी वर्ग के लोग और उनके रिश्तेदार। यही वह तवका था जो राज्य की राजधानी मे व कुछ वड़े कस्बों मे प्राप्त जीवन की सारी सुविधाओं अर्थात् विजली, पानी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और सिनेमा आदि का सुख प्राप्त कर सकता था और अपने धन और सम्पत्ति की पूर्ण सुरक्षा पाकर कह उठता था 'घणी घणी खम्मा, अन्नदाता आपरै राज में वड़ो अमन-चैन है, सारी प्रजा आपरा गुण गावै है।' इसी मुखर तवके के लिए था वह राम-राज्य। असली भारत तो गाँवों मे बसता है। वीकानेर मे वहाँ जागीरदार या उसके कामदार की आवाज को ही कानून माना जाता था। लाग-वाग, वेगार का कोई अन्त ही नही था और उससे छुटकारे का भी कोई रास्ता नही था। वेगार

के अभिशाप से तो राजधानी का नाई, धोवी आदि निम्नवर्गीय तवका भी कापता और छुपता फिरता था, क्योंकि वह मुखर नहीं हो सकता था और मूक रहने को मजवूर था।

उनके इस राम-राज्य में नागरिकों को त्वरित न्याय मिलने के उदाहरण स्वरूप एक जुलाहे की बीवी को गुण्डों द्वारा उठा ले जाने पर महाराजा के आदेश से तुरन्त वरामद करवाकर उसे अपनी पत्नि वापिस दिला देने के एक किस्से को वड़ी रोचकता पूर्वक उल्लिखित किया जाता रहा है। पर वह किस्सा उदाहरण न होकर तत्समय की वस्तुस्थिति का एक अपवाद मात्र है जिसमें उस जुलाहे की महाराजा तक वड़े ही सौभाग्य से पहुँच हो गई जो आम नागरिक के लिए असम्भव से कम नहीं हुवा करती थी। प्रशासन की वास्तविकता और शासन की क्रूरता, जो कि सही स्थिति महाराजा के उस प्रशासन में पाई जाती थी उसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखना हो तो तीसरे अध्याय में उल्लिखित उदरासर ग्राम के पुलिसवालो द्वारा वलात्कारित उस हरिजन कन्या का दयनीय हाल पढ़ियेगा कि कैसा न्याय मिलता था और प्रशासन द्वारा शिकायतकर्ताओं को उल्टा कैसा कठोर दण्ड प्रदान किया जाता था।

ऐसे उस काल के वातावरण में, महाराजा गंगासिंह के कठोर शासन का वर्णन करते हुए कहा जाता था कि 'उनके सॉस से घास जलती थी'। तत्समय पीड़ित मानवता का सहायक बनने की हिम्मत कौन कर सकता था? इस राम-राज्य में अपने सुख-दुख की अथवा आम जनता के सुख-दुख की फरियाद करने वाला 'बागी', 'विद्रोही', 'परदेशी', 'राजद्रोही' या 'हरामखोर' की संज्ञा से विभूषित किया जाकर जेल, नजरवंदी, लाठी गोली तथा लातों, घूसों, डंडों का पात्र और राज्य की शान्ति व अमन-चैन को भंग करने वाला देश-निकाले का पात्र माना जाता था।

वोलने, लिखने व आपस में मिल वैठकर अपने व समाज के दुख-दर्द व अभाव का हल निकालने की सहज प्रवृत्ति मानव को सृष्टि के आदिकाल से प्राप्त है और इसी के फलस्वरूप मानवता ने आज तक अपना विकास किया है। इसी वोलने, लिखने और संगठन करने के अधिकारो को राजनीति में मूलभूत नागरिक अधिकारों की संज्ञा प्राप्त है और इन्हीं का उपयोग करते हुए राम राज्य मे एक धोवी नागरिक ने स्वयं राज्य की महारानी सीता के पावित्र्य पर प्रश्नचिह्न लगाया था और महाराजा राम ने उसकी उस कमजोर आवाज को भी समुचित आदर देकर आगे की कार्यवाही की थी, पर हमारे महाराजा गंगासिंह के राम-राज्य में इन्हीं मूलभूत अधिकारो की माँग को 'राजद्रोह' की संज्ञा देकर क्या कुछ किया गया इसे आगे के अध्यायों में पढ़ने को मिलेगा। प्रारंभिक जानकारी के इस प्रथम अध्याय के समापन से पहले राजाओं द्वारा अपनी निरंकुश सत्ता कायम रखने के लिए निर्मित नरेन्द्र मण्डल के मुकाबले में अखिल भारतीय प्रजा सगठन का उदय कब और कैसे हुवा इसे जान लेना समुचित होगा।

अखिल भारतीय रियासती प्रजा के संगठन की स्थापना

नरेन्द्र मण्डल के माध्यम से देशी नरेशो ने अपनी सामूहिक शक्ति द्वारा ब्रिटिश सत्ता पर दवाव डालकर जव अपनी प्रभुसत्ता को प्रभावी बनाने का प्रयास शुरू किया तो

दूसरी तरफ देशी रियासतों की प्रजा को नरेशो की निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता के शिकजे से मुक्ति पाने के लिए सामूहिक रूप से अपना संगठन बनाने की प्रेरणा मिली और ब्रिटिश भारत के दाक्षिणात्य दीवान बहादुर रामचन्द्र राव, श्री सी. वाई. चिंतामणि, श्री केलकर जैसे दिग्गज व जाने-माने नेताओं ने सन् 1927 में देशी रियासतो की रियाया के अधिकारो की रक्षार्थ संघर्ष करने के लिए 'अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद' नाम से एक नवीन संगठन को जन्म दिया। नरेन्द्र मण्डल की स्थापना करने वाले नरेशगणों ने इसे अपने प्रतिद्वंद्वि शत्रु के रूप में देखा वही रियासती प्रजाजनो ने इसे नरेशों की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता के लिए कृष्ण-जन्म का हो जाना माना। इसे नरेशों का शत्रु संगठन मानने वाले नरेशों मे बीकानेर नरेश महाराजा गंगासिंह अग्रणी थे। इस प्रजा संगठन से सबध रखने वाले व किसी भी प्रकार से इसे सहायता पहुँचाने वाले अपनी रियासत के किसी भी व्यक्ति को महाराजा गंगासिंह अपना घोर शत्रु मानते थे।

अध्याय दूसरा

स्वतंत्रता-संग्राम का पूर्व काल

(सन् 1907 से 1934 ई.)

स्वामी गोपालदास
बीकानेर मे रचनात्मक सेवा के जन्मदाता एवं राष्ट्रीयता व स्वतंत्रता संघर्ष के पुरोधा

स्वतंत्रता-संग्राम का पूर्व काल
(सन् 1907 से 1934 ई.)

प्रथम पुरोधा स्वामी गोपालदास

महाराजा गंगासिंह भारतीय नरेशों के हितों की रक्षा के लिए जितने संवेदनशील थे, प्रजाजनो के अधिकारो के लिए वे उतने ही क्रूर पाये गये। जनाधिकारों की मांग तो दूर, उनकी बात तक करना राजद्रोह माना जाता था। उनके शासन काल में (प्रोफेसर नाथूराम खड़गावत के शब्दों में) 'बीकानेर राज्य में महाराजा गंगासिंह का शासन-काल निरकुश सत्ता और दमन का प्रतीक कहा जाता है। उनके लम्बे शासन काल में जनमत निर्मित ही नहीं हो सका, सार्वजनिक संस्थाएं पनप नहीं पाई, राजनैतिक संस्थाओं की स्थापना तो दूर, सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाओं तक को पनपने का अवसर नहीं दिया गया। निरकुंश शासन के उस कठोर नियंत्रण की छाया में सार्वजनिक संस्थाए अपने ही आँसुओं में डूब गई।'[1] रियासत में महाराजा गगासिंह की क्रूरता और उग्रता के लिए उक्ति प्रसिद्ध थी कि उनकी 'साँस से घास जलती है।' ऐसे क्रूर शासन की घोर अंधेरी रात में ये स्वामी गोपालदास ही थे जिन्होने स्वतंत्रता-संग्राम की नीव डालने के लिए एक नन्हे से दीपक को जलाकर, आंशिक रूप से ही सही, उस घोर अन्धकार को चीरने का श्रीगणेश किया। उस काल के एक स्वतंत्रता सेनानी वकील सत्यनारायण सराफ के शब्दों में 'स्वामी गोपालदास भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की उस फौज के कमाण्डर थे जो घर के मोर्चे को संभाल कर जनता को जागरूक बनाने लगे थे।'[2] यह सही है कि 'राजपूताना-मध्यभारत सभा', 'प्रातीय कांग्रेस कमेटी राजपूताना' तथा 'राजस्थान सेवा परिषद' आदि संस्थाओं से वे संबद्ध थे और प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी वे अनेक बार चुने गये थे।[3]

स्वामीजी का जन्म सन् 1882 में चूरू तहसील के गाँव भैरूसर में चौधरी बींजाराम के घर पर हुवा। बाल्यकाल में ही पिता की मृत्यु के बाद माताजी नीजीदेवी ने बालक गोपालदास को चूरू में छोटे मंदिर के महंत मुकुन्ददासजी को सौंप दिया। सन् 1901 मे मुकुन्ददासजी के स्वर्गवास के बाद गोपालदास उस मदिर के महंत बन गये। बाल्यकाल मे 12-13 साल की अवस्था मे ही इनकी वृक्ष लगाने और उनकी रक्षा करने

---

1. गोविंद अग्रवाल कृत 'स्वामी गोपालदासजी का व्यक्तित्व और कृतित्व' की भूमिका, पृठ 29
2. वही पृठ 16
3. वही पृठ 203

स्वामी गोपालदासजी के संपर्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति देश-भक्ति की भावना से अछूता नही रह सकता था। भादरा के सेठ खूबराम सराफ और उनके भतीजे सत्यनारायण सराफ स्वामीजी से बहुत प्रभावित थे। ये दोनों ही चाचा-भतीजा स्वामीजी के सामाजिक, शैक्षणिक और राजनैतिक क्रियाकलापो मे दिलोजान से जुटकर सहयोग और आज्ञा पालन करते थे।

सेठ खूबरामजी देशभक्त और कर्मठ समाज सेवी थे। राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की प्रथम बैठक जो 23-24 नवम्बर 1928 को अजमेर में हुई थी उसके राजपूताना से जो सात सदस्य चुने गये थे उनमे भादरा के सेठ खूबराम जी भी एक थे। इन्होंने शिक्षा-प्रचार, खासतौर पर अछूत-पाठशालाए खोलने और खुलवाने में बड़ा काम किया। सन् 1921 में चूरू की सर्वहित कारिणी सभा की गतिविधियों से रुष्ट होकर तत्कालीन नाजिम ने सभा को रौंदने की चेष्टा की तो स्वामीजी द्वारा 'भारत मित्र' नामक अखबार में नाजिम की हरकतों के समाचार छपवाए जाने पर खूबरामजी ने स्वामीजी को लिख भेजा कि भादरा में भी ऐसी ही कुचेष्टाएं की जा रही है जिससे न घबराकर इन्होंने ईश्वर से और अधिक सहनशक्ति प्रदान करने की ही याचना की है। सेठजी ने रियासत से बाहर होने वाले सभा-सम्मेलनो में भाग लेकर बीकानेर के दुख-दर्द को उजागर करने का सिलसिला हमेशा जारी रखा। बीकानेर के देशभक्त कार्यकर्ताओं द्वारा जयनारायणजी व्यास से रियासत में कार्य करने के बारे मे मार्ग दर्शन चाहने पर वे यही परामर्श देते थे कि भादरा के खूबरामजी सराफ के साथ मिलकर जनसेवा का काम करने में जुट जाना चाहिए क्योंकि सेठजी में बीकानेर की जनता की सेवा करने की तड़फन है।

अपने भतीजे सत्यनारायण सराफ को खूबरामजी ने रियासत के दमघोटू वातावरण से बचाकर पंजाब के इलाके में शिक्षा के लिए भेज दिया। सत्यनारायणजी को आर्य समाजी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने और देशभक्ति का पाठ पढ़ने का मौका मिला। उन्होंने सन् 20-21 मे लाहौर के डी. ए.वी. कॉलेज में उच्च शिक्षा पाई और वकालत पास करके बीकानेर रियासत के राजगढ़ और रतनगढ़ की अदालतो में वकालत शुरू कर दी। रियासत के अन्दर वकालत करते हुए भी इन्होने अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद से गहरा संबंध जोड़ लिया और इस संस्था में सम्मानित स्थान पा लिया। वहाँ से प्रेरणा लेकर वे रियासत से संबधित लेखो और समाचारों को भेजकर यहाँ के जुल्मो का भण्डाफोड़ करते रहे। दोनों चाचा-भतीजो पर महाराजा की हमेशा क्रूर दृष्टि बनी रही।

चूरू के देशभक्तों पर राजद्रोह और षड्यंत्र का संगीन मुकदमा

सन् 1932 में स्वामी गोपालदासजी, सेठ खूबरामजी, वकील सत्यनारायण जी, चुरू म्यूनीसीपैलिटी के भूतपूर्व मेम्बर श्री चन्दनमलजी बहड़ एव स्वामीजी के कुछ अन्य अनुचरों पर राजद्रोह और षड्यंत्र का एक संगीन मुकदमा गढ़ कर चलाया गया, जिसने अपनी क्रूरता और अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमे को दायर करने से पहले और [illegible]

महाराजा के हाथ मे थमाने से पहले उस पर 'बीकानेर महाराजा को इसका भी जवाब देना चाहिए' ऐसा नोट दर्ज कर दिया था। उस पुस्तिका को थोड़ा सा पढ़ते ही उसमे अपने प्रशासन का पोस्टमार्टम देखकर महाराजा आपे से बाहर हो गये और तबीयत खराब हो जाने के बहाने भाषण वही खत्म करके तत्काल भारत के लिए रवाना हो गये। भारत पहुँचते-पहुँचते उन्होंने गुस्ताखी करने वालों को कठोर दण्ड देने का मानस बना लिया। जब वे बीकानेर पहुँचे उस समय तक उनके मस्तिष्क में 'बीकानेर-षडयंत्र-केस' बनाने की रूपरेखा बन चुकी थी। खूबराम सराफ, स्वामी गोपालदास और सत्यनारायण सराफ पर राज्य की कोप दृष्टि पहले से ही इसलिए थी कि इन लोगो ने जयनारायण व्यास का साथ देकर राज्य में स्थान-स्थान पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के सदस्य बनाए थे, और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को परिषद द्वारा दिए गए उस मेमोरियल पर लोगों के दस्तखत कराए थे जिसमें सब देशी रियासतों के संघ-शासन मे सम्मिलित होने की स्थिति में उनका यानी प्रजाजनो का क्या दर्जा रहे और रियासतों के प्रतिनिधि जनता में से चुने जाएं आदि मुद्दे उठाए गये थे। उस मेमोरियल में यह भी मांग की गई थी कि रियासतों में नागरिक स्वतंत्रता प्रदान की जाय अन्यथा रियासतों का संघ-शासन में सम्मिलित होना एक मखौल मात्र होगा। बीकानेर महाराजा को तो अपने राज्य में उनकी मन्शा के विपरीत एक पत्ता भी हिलना सहन नहीं होता था। ऐसे में उनको ये प्रवृत्तियां कैसे सहन हो सकती थी। अतः महाराजा ने अपने दिमाग में बनी राजद्रोह के मुकदमे की रूपरेखा को असली जामा पहनाना शुरू कर दिया।

महाराजा गंगासिंह की तरह ही उधर भारतीय रगमंच पर ब्रिटिश सरकार भी गॉधी और कांग्रेस पर कुपित थी। दिसम्बर, 1931 को लंदन मे सम्पन्न इस गोलमेज सम्मेलन मे कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गाँधी ने किया था। गॉधी के माध्यम से प्रगट कांग्रेस के रुख और रवैये से ब्रिटिश सरकार बौखला गई थी। गाँधी के भारत लौटने से पहले ही भारत की अंग्रेजी सरकार ने दमन चक्र चलाने की रूपरेखा बना रखी थी और गाँधी के भारत की धरती पर पैर रखने से पहले ही दमन चक्र शुरू हो गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और पुरुषोत्तमदास टंडन आदि राष्ट्र के प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और 4 जनवरी, 1932 को बड़े तड़के ही महात्मा गाँधी और सरदार पटेल भी गिरफ्तार हो गए। तमाम कांग्रेस कमेटियॉ तथा उससे संबंध रखने वाली दूसरी संस्थाओं को गैर कानूनी करार दे दिया गया और एक के बाद कठोरतर आर्डिनेन्स निकाले गये (श्री हनुमानप्रसाद गोयल, कामरेड मन्मथनाथ गुप्त व श्री दामोदर स्वरूप कृत सचित्र राजनैतिक भारत, पृष्ठ 83-84)। इससे देशी रियासतों को भी दमन के लिए बढ़ावा मिला।

जलती आग में घी

लदन से आग बबूला होकर तो महाराजा लौटे ही थे और अब राज्य मे लौट आने के बाद चूरू की एक सार्वजनिक विरोध सभा के आयोजन ने उस आग को भड़काने में घी का काम कर दिया। हुआ यह कि इसी समय पंजाब से आने वाले गेहूँ

पर वीकानेर राज्य में भारी जकात लगाई गई। इसके विरोध स्वरूप चूरू में 11 जनवरी, 1932 को एक सार्वजनिक सभा हुई जिसमें स्वामीजी भी शामिल थे। इस सभा में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें जकात माफ करने की प्रार्थना महाराजा से की गई और इस सवध मे महाराजा से एक डेपूटेशन के मिलने की आज्ञा मॉगी गई। प्रस्ताव की प्रति महाराजा की सेवा में तार से भेज दी गई। एल.एम.वी. हाई स्कूल के हैडमास्टर ज्ञानचन्द ने तार लिखा; सरदार विद्यालय के हैडमास्टर सोहनलाल सेवग व प्यारेलाल मास्टर ने सभा की कार्यवाही की रिपोर्ट स्वामीजी के भाषण सहित 'प्रिसली इडिया' में प्रकाशनार्थ भेजी। तार पाकर महाराजा का गुस्सा एकदम वढ़ गया और इसने 'वीकानेर राजद्रोह और षडयंत्र केस' के लिए तैयार किये गये वारूद के ढेर में आग लगा दी।

आतंक, तलाशियाँ एवं गिरफ्तारियॉ

रियासत सैलाना के राजा जसवंतसिंह के दूसरे पुत्र मेजर जनरल मान्धातासिंह का वीकानेर नरेश महाराजा गंगासिह से कौटुम्विक रिश्ता था जिसके कारण नरेश उन्हें अपने ही कुटुम्ब का एक सदस्य मानते थे। इस रिश्ते के फलस्वरूप दिनांक 23 अगस्त, 1927 को इन्हें प्रशासन में रेवेन्यू सेक्रेटरी के उच्च पद पर नियुक्ति मिली और साथ ही इन्हें रेवेन्यू कमिश्नर भी वना दिया गया। वाद में सन् 1929-30 से ये रेवेन्यू मिनिस्टर चले आ रहे थे। नरेश से विशेष आदेश और अधिकार प्राप्त कर मान्धातासिंह 13 जनवरी को चूरू पहुँचे और राजकीय कोठी में ठहरे और स्वामीजी को कोठी में बुलाकर कहा, 'यह सव तुम्हारी ही करतूत है', तो स्वामीजी ने कड़े निर्भीक भाव से उत्तर दिया 'अच्छा मेरी ही समझलो, अव तुम्हें जो कुछ करना हो सो कर लो।' यह निर्भीक उत्तर सुनकर कोठी में सन्नाटा छा गया और स्वामीजी कोठी से वाहर निकल गये। वाजार तक पहुँचे तो सर्वत्र पुलिस ही पुलिस दिखाई दी। स्वामीजी अपनी सर्वहितकारिणी सभा में जाकर वैठ गये। अव आई. जी पी. का वुलावा आ गया। पुलिस चक्र पूरी ताकत से चल पड़ा। नगर भर मे आतंक छा गया। तलाशियो की धूम मच गई—स्वीमीजी के मदिर, चदनमल वहड़, वैद्य भालचन्द्र शर्मा, महत गणपतिदास, वैद्य शान्ता शर्मा व मास्टर ज्ञानचंद्रजी की तलाशियां ली गई। तत्पश्चात् स्वामी गोपालदास, महंत गणपत दास, वैद्य शान्त शर्मा व मास्टर ज्ञानचंद को गिरफ्तार करके वीकानेर ले गये। चन्दनमल वहड़ को 15 जनवरी की शाम को गिरफ्तार किया गया। सत्यनारायण सराफ को 13 जनवरी की शाम को रतनगढ़ मे (जहॉ वे वकालत करते थे), खूवराम सराफ को भादरा मे और वद्रीप्रसाद सरावगी तथा लक्ष्मीचंद सुराणा को राजगढ़ मे गिरफ्तार कर लिया गया। शहर मे नाकावंदी आरम्भ कर दी गई। प्रत्येक संस्था पर पुलिस का पहरा वैठा दिया गया। (गोविन्द अग्रवाल पृष्ठ 209 व राजस्थान अभिलेखागार कटिंग फाइल न. 131, सन् 1932)।

वीकानेर में घोर उत्पीड़न के वाद मुकदमा

इन नेताओं को गिरफ्तार करके राजधानी वीकानेर नगर मे तो ले आया गया पर उनको यहाँ से कहाँ गायव करके रखा गया इसका किसी को पता ही नहीं लगने दिया।

इससे जनता मे वेचैनी और वढ़ी। वीकानेर में सभी वदियो को अलग-अलग स्थानों पर रखा गया था और उन्हें आपस में एक-दूसरे के वारे में कुछ भी पता नही लगने दिया गया। बाद में इन्ही लोगो के बयानो से जानकारी मिली की चन्दनमल बहड़ को शहर से बाहर वियावान जंगल में एक निहायत ही गन्दे और गैर आवाद मकान में रखा गया। वैद्य शान्त शर्मा ने बताया कि मुझे तथा मास्टर ज्ञानचंद को नगर से वाहर शमशान भूमि में अलग-अलग ठहराया गया था। इन दोनों को गिरफ्तारी के डेढ़ महीने वाद कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया गया क्योंकि इनके खिलाफ पकड़ने के लिए कोई वहाना भी नही मिल सका था। उपरोक्त गिरफ्तार लोगो के अलावा सरदार विद्यालय के मास्टर प्यारे लाल, हैडमास्टर सोहनलाल को डेढ़ महीने वाद 29 फरवरी और 1 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया। स्वामी गोपालदास वगैरा की गिरफ्तारी के वाद तीन महीनों तक उनके विरुद्ध इस्तगासा पेश नही किया गया और पुलिस वरावर रिमाड लेती रही जव कि राज्य का पहले से चला आ रहा आदेश था कि मुकदमा फौजदारी छः हफ्ते से ज्यादा बकाया मे न निकले। इस बीच पुलिस अभियुक्तो को असह्य कष्ट देती रही। इन असह्य कष्टों की रोंगटे खड़े कर देने वाली विस्तृत तफसील श्री सत्यदेव विद्यालंकार द्वारा लिखित ग्रंथ 'वीकानेर का राजनीतिक विकास और पं. मघाराम वैद्य' में पृष्ठ 188 से 210 में देखी जा सकती है। ये विस्तृत वर्णन चंदनमल बहड़ द्वारा अदालत में 27 मई और 18 जून 1932 को पेश की गई दो दरख्वास्तो मे अंकित है जिनको पढ़ते ही रोंगटे खड़े हो जाते है। तारीख 27 मई को लिखी दरख्वास्त 25 पैराग्राफ्स मे लिखी गई है, उसके कुछ अश नीचे दिए जा रहे है—

'पैरा 15— चद्रसिंहजी इन्सपेक्टर मुझसे फरमाने लगे कि मै देख आया हूँ, तेरी औरत का दिल बड़ा कमजोर है और वह वीमार भी है। बरवक्त तलाशी वह बेहोश हो गई थी और उसको चक्कर आने लगे थे। अगर तू हमारा कहना नहीं मानेगा तो तेरे सामने ही उसकी दुर्दशा की जायेगी।

(क) उसके सीनो पर तेजाव लगाई जायेगी।

(ख) व्यभिचारी, भयंकर, खूंखार अशखात उस पर छोड़े जावेंगे।

(ग) तेरी 3 वर्ष की लड़की के भी मिरचे भरी जायेंगी।

(घ) छ महीने वाले वच्चे को पक्के फर्श पर पटकवाऊँगा।

(ङ) आठ वर्ष वाले वच्चे को औंधा लटकाऊंगा।

'फिर साले, हरामजादे, उस वक्त तेरी आखें खुलेंगी और वह तुझे शावाशी देगी। और तुझे भी तभी होश आयेगा कि देशभक्ति कैसे की थी और कैसे कांग्रेसमेन का वच्चा बना था। नही तो मै जैसा कहूँ वैसा लिख दे'।

'एक दिन हवालात मे बंद एक औरत भी मुझे दूर से दिखलाई और कहा कि पहचान ले। वस यह आखरी मौका है वरना उसकी भी दुर्दशा अभी कर दी जावेगी।'

पैरा- 17— 'मेरे दोनो हाथों की अंगुलियो की कंघी बनाकर इंस्पेक्टर चंद्रसिह अपनी भरपूर ताकत से खूब जोर से दबाया करते थे और यह हरकत उनकी दो-दो तीन-तीन मरतबे पाँच-पॉच मिनट के लिए हो जाया करती थी। इस तरह करने से मेरे हाथो पर इतना बुरा असर हुवा कि अब भी मामूली काम करते वक्त हाथ कापने लग जाते हैं। घंटो खड़ा रखना, गालियाँ देना, दीवार से सर टकराना इन आला अफसरो का रोजमर्रा की कार्यवाही का एक मामूली सा हिस्सा था।'

पैरा-19— 'पेशाव व पाखाने की हाजत होने पर भी बगर्ज तकलीफ देने के दो-दो ढाई-ढाई घंटो के बाद हाजत रफा कराई जाती थी—रात को मेरे आधे बदन पर चारपाई डालकर सिपाही को उस पर सुलाया जाता था व एक-एक घंटे बाद हथकड़ी संभालने के बहाने मुझे आवाज देकर जगा दिया जाता था ताकि मै नींद नहीं ले सकूं ..'

इस प्रकार पुलिस तीन महीनों तक अभियुक्तो को असह्य कष्ट देती रही और अपने मुकदमे की तैयारी सभी साधनो से करती रही जबकि अभियुक्तो को किसी बाहरी वकील की सहायता नहीं लेने दी गई और बीकानेर रियासत के वकीलो में से किसी ने भी इन 'मुल्जिमो' की तरफ से खड़े होने की हिम्मत नही दिखाई।

मुकदमा 13 अप्रैल, 1932 को जिला जज श्री बृजकिशोर चतुर्वेदी की अदालत मे शुरू हुवा। पहले-पहले कुछ दिन तक तो मुकदमा आम कचहरी मे चलता रहा किन्तु बाद में बीकानेर की सेन्ट्रल जेल के शो-रूम में ही अदालत लगाने का आदेश हो गया क्योंकि प्रशासन मुकदमें की पब्लिसिटी नही होने देना चाहता था। जेल में जिस जगह मुकदमे की कार्यवाही होती थी वहाँ किसी संवाददाता या अन्य किसी बाहर के व्यक्ति का प्रवेश असभव था। अदालत में क्या कुछ हो रहा है इसको जानने के लिए सभी लोग बेताब थे। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के मंत्री श्री जयनारायण व्यास ने अपने लेफ्टीनेंट नागौर के शिवदयाल दवे को इस काम के लिए बीकानेर भेजा ताकि मुकदमें की कार्यवाही को प्रेस के लिए मुहैया किया जा सके। पर जेल में तो इतनी सख्ती थी कि वहाँ तो बाहर का कोई मानव तो क्या परिंदा भी पर नही मार सकता था।

ऐसे मे फलौदी से बीकानेर आ बसे सेवग परिवार के एक नवयुवक ने कमाल कर दिखाया। शिवदयाल दवे ने इस युवक से सम्पर्क कर खबरें प्राप्त करने की योजना बनाली। यह नौजवान था गंगादास कौशिक। इस युवक ने अपना बचपन कलकत्ते में बिताया था जहाँ उसने बंग-भंग के बाद के काल के स्वदेशी आन्दोलन, विदेशी कपड़ों की होली, सविनय अवज्ञा आन्दोलन, शराब की दुकानो का पिकेटिंग आदि में भाग लिया था। बीकानेर में आने के बाद उसने आजीविका के लिए मोटर यातायात व मोटर ड्राईविंग जगत से अपना संबंध जोड़ लिया था। अमरूदीन ठेकेदार के काम से भी वह

जुड़ा हुवा था। उधर षडयंत्र केस के लिए जब अदालत जेल में लगाने का आदेश हुवा तो न्यायाधीश चतुर्वेदीजी को जेल पहुँचने व वहाँ से लौटने के लिए वाहन की आवश्यकता हुई जिसे ठेकेदार अमरूदीन ने पूरी की। जज साहव अमरूदीन की कार में जेल सदर पहुँचते और मुकदमें की कार्यवाही तक कार वहीं खड़ी रहती। गंगादास ने उस कार के क्लीनर के रूप में जेल में प्रवेश पा लिया और दौराने मुकदमा वतौर अर्दली के जज साहव को पानी-वानी पिला देता और मुकदमें की कार्यवाही को एक बुद्धू की तरह सुनता रहता और वाहर आने पर रात को सारी बातें दवेजी को रोज वताता रहता। अखवारों में जेल की कार्यवाही की खवरें आने लगी। प्रशासन भौचक्का रह गया। महाराजा साहव वहुत नाराज हुए। पर किस प्रकार खवरें जेल से वाहर पहुँचती है इसका पता कोई लगा ही न सका क्योंकि स्वयं जज साहव की कार का क्लीनर भी ऐसा कुछ कर सकता है इसकी किसी को कल्पना ही नहीं हो सकती थी।

वाद में जब वावू मुक्ताप्रसाद वकील व वावू रघुवरदयाल वकील ने कुछ मुल्जिमान की तरफ से पैरवी करने का बीड़ा उठाकर वकालतनामा पेश कर दिया तव तो दवेजी ने इस काम के लिए वावू मुक्ताप्रसाद वकील के मुंशी का छद्म रूप धारण किया और मुकदमें के दौरान में वे बीकानेर में ही रहे (सत्यदेव विद्यालंकार कृत-धुन के धनी, पृष्ठ 33)।

मुक्ताप्रसाद और रघुवरदयाल दोनों ही दवंग वकील थे। सरकार की ओर से मुकदमा रियासत के डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस सवलसिंह ने पेश किया था। जव उक्त डी. आई. जी. अपनी शहादत में वयान देने लगे तो वकीलों द्वारा की गई जिरह में टिक न सके और उखड़ गये। ये उच्च पदाधिकारी अपने ऊँचे पद के रौव में वकीलों को दवाना चाहते थे पर ये वकील दवना जानते ही न थे। मूल वयान खत्म होने के वाद सत्यनारायण सराफ, प्यारेलाल सारस्वत, वद्रीप्रसाद सरावगी और सोहनलाल शर्मा इन चारो अभियुक्तों के वकील वा. रघुवरदयाल गोयल ने डी. आई. जी. साहव से सवाल पूछा कि आपने अपने वयान मे वताया है कि इन अभियुक्तों का आल इंडिया कांग्रेस कमेटी और इंडियन नेशनल कांग्रेस से संवंध था। आप वता सकते है कि इन दोनो में क्या फर्क है तो उत्तर में वताया कि आल इंडिया कांग्रेस कमेटी से मतलव है सारे हिन्दुस्तान की कांग्रेस कमेटी, परन्तु इंडियन नेशनल कांग्रेस से मतलव किसी खास जाति की कांग्रेस से है जो किसी खास जगह के रहने वालों की है। इस जवाव को सुन लेने के वाद अभियुक्तों के दोनों वकीलों ने जिरह करने से इंकार कर दिया। इसी तरह 26-7-33 को सरकारी गवाह विश्वम्भरलाल से जिरह करते समय वकील मुक्ताप्रसाद ने दुवारा प्रश्न पूछते हुए कहा कि मेरा प्रश्न जायज है इसलिए पूछने दिया जाए। इस पर जज ने कहा 'तुम जिद्दी और वदतमीज हो'। मुक्ताप्रसादजी ने एतराज किया कि आप अपने शब्द वापस लें अन्यथा में पैरवी नही करूंगा। ऐसा लिखकर अदालत को सौंप दिया और अदालत से चले गये। सातों मुल्जिमों ने खड़े होकर जज के व्यवहार का विरोध किया। चन्दनमल ने एक लिखित अर्जी भी इसके विरोध मे दी और कहा कि आप हमारे साथ दुर्व्यवहार न करें चाहें तो हमे फाँसी के तख्त पर चढ़ा दिया जाए।

(लोक मान्य—दिनाक 7-10-33 व राजस्थान अभिलेखागार फाइल 62/1933)। खूबराम ने अनशन शुरू कर दिया जो जज के शर्त मान लेने पर तोड़ दिया गया। (लोकमान्य 7-10-33) जज ने अभियुक्तों को 7-11-33 को कहा कि सबको अपने लिखित बयान 13 नवम्बर तक पेश कर देने चाहिएं। इस पर सत्यनारायण सराफ ने फुल स्केप साइज मे 500 पृष्ठों में अंग्रेजी में टाइप किया हुवा अपना बयान पेश कर दिया। (लोक मान्य 13-11-33 व अभिलेखागार कटिंग फाइल 62/1933)। अपने पक्ष को रखना निरर्थक मानते हुए अभियुक्तों ने अदालत से असहयोग करना ही उचित समझा, फिर भी अपने लिखित बयानो मे अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए जो कुछ कहा उसमें से निम्नाकित अंश उनकी निर्भीकता, कष्ट सहिष्णुता और बलिदान की वृति पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं।

उन्होंने कहा कि उनके मतानुसार राज्य की संज्ञा में राजा और प्रजा दोनों का समावेश होता है। राज्य की प्रजा सुखी और संतुष्ट न हो तो वह राज्य अधिक काल तक स्थाई नही रह सकता। इस बात का इतिहास साक्षी है। हमें बीकानेर राज्य की प्रजा की दुखी और निःसहाय अवस्था देखकर बहुत पीड़ा पहुँचती है और हमने यह अनुभव किया है कि प्रजा के कष्ट दूर करवाने, उनकी सामाजिक, आर्थिक व शिक्षा संबंधी स्थिति सुधारने के लिए कोशिश करना यही राज्य की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सेवा होगी। अतः हमने सीधे, सच्चे, शातिमय और वैध उपायों का आश्रय लिया है और दीन-दुखियों की सेवा को अपना प्रथम कर्तव्य माना है पर यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे कार्य को अच्छी निगाह से देखने के बजाय हम पर आज राजद्रोह और षड्यंत्र का अभियोग चलाया जा रहा है और हमें जेल में डालकर हमारी राज्य-प्रजा हितकारी प्रवृत्तियों का गला घोटने की चेष्टा की जा रही है। हमें अपने उद्देश्य की शुद्धि पर पूर्ण विश्वास है इसलिए हम परिणाम के विषय में निश्चित हैं। किसानो और मजदूरों के साथ हमारी विशेष प्रीति रही है क्योंकि हमारे 'अन्नदाता' वास्तव में यही लोग है। हमने लोगों को समझाने की चेष्टा की है, इन्हीं 'गरीब भाइयों' की मेहनत, मजदूरी पर ही हम लोग गुलछर्रे उड़ाते हैं। इन कार्यों को भी यदि इस्तगासा राजद्रोह समझता है, जैसा कि उसने सिद्ध करने की कोशिश की है, तो हमारी समझ में उसने राज्य की सबसे बड़ी कुसेवा की है। हमारी कभी यह मंशा नहीं रही कि हम महाराजा साहब या उनकी सरकार को बदनाम करे। प्रजा की मुसीबत देखकर हमें अत्यन्त दुख हुवा है। और बीकानेर राज्य को 'आदर्श राज्य' के रूप में देखने की हमारी जो कल्पना रही है उसको वर्तमान अवस्था से बड़ा धक्का लगा है। हम जो कुछ चाहते है वह यह है कि वर्तमान स्थिति मे सुधार हो, प्रजा के कष्ट मिटें और हम गर्व पूर्वक कह सकें कि हम 'उन्नत बीकानेर राज्य के नागरिक हैं', पर हमे यह बात खेदपूर्वक कहनी पड़ती है कि बीकानेर में प्रजा को इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि वह खुलकर अपने भाव प्रकट कर सके। जिस दिन यहाँ इतनी आजादी मिल जायेगी, उस दिन न तो ब्रिटिश भारत के अखबारो मे कुछ लिखने की आवश्यकता रह जायेगी और न आज की तरह यह बात आपत्तिजनक ही समझी

वकील सत्यनारायण सराफ
इन्हें नायक मानकर तीन वर्ष की सजा सुनाई गई

सेठ खूबराम सराफ
इन्हें ढाई वर्ष की सजा सुनाई गई

चन्दमल वहड़
इन्हें ढाई वर्ष की सजा सुनाई गई

सोहनलाल शर्मा
इन्हें छः मास की सजा सुनाई गई

जायेगी। जो भी हो, यदि प्रजा के कष्टो को अखबारो द्वारा या आवेदनपत्रों द्वारा अधिकारियों तक पहुँचाना राजद्रोह है तो हमने वह अपराध किया है और उसके परिणाम को हम खुशी-खुशी भोगने को उद्यत है।

13 अप्रैल, 1932 को इस्तगासा दायर किया गया था और यह न्याय का नाटक 15 जनवरी, 1934 के निर्णय के साथ समाप्त हुवा जिसमे वकील सत्यनारायण सराफ को 3 वर्ष, खूबराम, गोपालदास और चन्दनमल व बद्रीप्रसाद को ढाई वर्ष व प्यारेलाल और सोहनलाल को 6-6 महीनें की सजा सुना दी गई। फैसला सुनकर अभियुक्तों ने कोर्ट को धन्यवाद दिया। सबके चेहरों पर रौब व तेज था। जब फैसला सुना दिया गया तो अभियुक्तगण 'वन्दे मातरम्', 'महात्मा गाँधी की जय' 'राजस्थान जिन्दावाद' आदि नारे लगाते हुए कोर्ट से जेल चले गये। (राजस्थान अभिलेखागार फाइल न. 7\1934)

बीकानेर षड्यंत्र केस भारतीय रियासतों में अपनी तरह का पहला केस था जिसने विस्तृत रूप से सारे भारत की जनता का ध्यान आकर्षित किया। ब्रिटिश भारत मे इस केस को असाधारण पब्लिसिटी मिली। जिन अखबारों को गंभीर, संयमी और सतुलित होने की मान्यता प्राप्त थी और जो भारतीय प्रेस जगत में सम्मानित स्थान रखते माने जाते थे, ऐसे पत्रो ने बीकानेर नरेश और बीकानेर प्रशासन पर उत्पीड़न, अत्याचार, दुर्व्यवहार, और न्याय को नकारने के जोरदार आरोप लगाये। बम्बई में मुल्जिमों के हितों की रक्षा तथा ब्रिटिश भारत में आंदोलन चलाने के लिए बीकानेर राजनैतिक केस समिति का निर्माण किया गया। ब्रिटिश भारत की जनता का ध्यान आकर्षित करने और उसकी सहानुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश भारत की राजनीति में सम्मानित और सुप्रसिद्ध लोगों के सभापतित्व में मुम्बई में 'बीकानेर दिवस' का आयोजन किया जाकर ऐसे भाषण दिये गये जिनमें 'राजनैतिक अपराधियों के साथ अमानवीय व्यवहार व अवर्णनीय आतंक पैदा करने की निंदा की गई। कई दिनों तक ब्रिटिश भारतीय प्रेस में महाराजा और उनके प्रशासन पर हमलों की बाढ़ आ गई और ब्रिटिश भारत में जो महाराजा के मित्र थे उन्होंने भी महाराजा साहब को इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए तार दिये। पर महाराजा की सरकार ने मुकदमे का निर्णय हो जाने तक चुप्पी साध ली और निर्णय हो जाने के बाद (केवल) एक विस्तृत नोट जारी किया जिसमें ब्रिटिश भारत मे आन्दोलन कारियों के प्रयासों को हथकण्डे बताते हुए असतोष पैदा करके दुर्भावनापूर्ण प्रोपेगेण्डा द्वारा बीकानेर के प्रशासन के विरुद्ध घृणा फैलाने पर तुले हुए होने का इल्जाम लगाया गया। (के.एम. पणिकर कृत—बीकानेर महाराजा गंगासिंह की जीवनी, पृष्ठ 355-56)

प्रथम राजनैतिक संगठन—बीकानेर राज्य प्रजामंडल

मध्यकाल (सन् 1934 से 1941)

स्व. बाबू मुक्ताप्रसाद वकील
प्रथम राजनैतिक सगठन के सूत्रधार

प्रथम राजनैतिक संगठन—बीकानेर राज्य प्रजामंडल

बाबू मुक्ताप्रसाद सक्सेना

बीकानेर की जनजाग्रति का श्री मुक्ताप्रसाद वकील को 'पितामह' कहना चाहिए। वे अत्यन्त साहसी, निर्भीक और स्पष्टवादी राजनेता थे। सदा राज्य की आँखों में खटकते रहते थे (श्री सत्यदेव विद्यालंकार कृत 'धुन के धनी', पृष्ठ 33)। जिस काल मे स्वामी गोपालदास ने रियासत से चूरू क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम का शंखनाद किया उसके थोड़े ही दिनों बाद इस संग्राम के अगले सूत्रधार थे बाबू मुक्ताप्रसाद सक्सेना वकील, जिन्होंने रियासत की राजधानी बीकानेर नगर में रहकर जन-जाग्रति के लिए जो काम किया और जो रचनात्मक प्रवृत्तियाँ अपनाई उन से तत्कालीन महाराजा गंगासिंह की सरकार बहुत ही सशंकित हो गई। चूरू क्षेत्र में स्वामी गोपालदास ने सन् 1907 में ही 'सर्वहितकारिणी सभा' की स्थापना के बाद रचनात्मक कामों के माध्यम से सेवामार्ग अपनाकर जो जन-जाग्रति पैदा की थी उसी तर्ज पर बीकानेर में 'मित्रमंडल' नामक सामाजिक-सेवा-संगठन बनाकर बाबू मुक्ताप्रसाद ने अनेक रचनात्मक प्रवृत्तियाँ चलाई। इस मित्रमंडल में मुक्ताप्रसाद के साथ अनेक प्रबुद्ध नागरिक प्रमुख कार्यकर्त्ता के रूप मे आ जुड़े थे जिनमें कई वकील भी सहयोगी बने। इन वकीलों में बनारसी दास, गिरवर प्रसाद और पं. सूर्यकरण आचार्य एम.ए. आदि प्रमुख कार्यकर्ताओं के रूप में आगे आए। ब्रिटिश भारत में तत्समय होने वाली प्रवृत्तियो का प्रतिबिम्ब बीकानेर में जो देखने को मिला उसका श्रेय बाबू मुक्ताप्रसाद को ही है। उस आतंक-काल में भी बाबू मुक्ताप्रसाद के नेतृत्व में, चाहे छोटे रूप में ही सही, बीकानेर में विदेशी वस्त्रो की होली जलाई गई, सन् 1921 में कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन के अनुसार शुरू किए गये एक करोड़ के 'तिलक-फंड' में बीकानेर से भी चंदा इकट्ठा करके भेजा गया और सन् 1932 में फूट डालो और राज करो की नीति के अन्तर्गत जब अंग्रेजी सरकार ने मुसलमानों की तरह हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन मण्डल की व्यवस्था की तो इसके विरोध में 20 सितम्बर, 1932 से बापू आमरण अनशन पर बैठ गये थे। सारे देश भर में 20 सितम्बर का दिन 'उपवास और प्रार्थना दिवस' के रूप में मनाया गया तो बाबू मुक्ताप्रसादजी ने भी इस दिवस को मनाते हुए स्वयं उपवास किया जिसकी रिपोर्ट सी आई. डी. ने महाराजा को कर दी और इस संबंध में फाइल भी खोल दी गई। रचनात्मक कामों के सिलसिले में बीकानेर राज्य के स्वामी गोपालदास और बाबू मुक्ताप्रसाद दोनो पुरोधाओं के मध्य समय-समय पर पत्राचार भी होता रहा था।

महाराजा गंगासिंह ने अपने बड़े राजकुमार सादूलसिंह के वयस्क हो जाने पर उन्हें प्रशासन का क्रियात्मक प्रशिक्षण देने के लिए प्रधान मंत्री के सर्वोच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त कर दिया था। सन् 1921 में मुक्ताप्रसाद ने तत्कालीन महाराजकुमार सादूलसिंह को एक दरख्वास्त देकर प्रार्थना की थी कि राज्य में गाँव-गाँव में कपड़ा बनाने की सुविधा और साधन की व्यवस्था राज्य की ओर से हो जाये तो गरीबों को मजदूरी मिलेगी और अकाल के समय तो गरीबों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इस निर्दोष प्रार्थना में भी महाराजकुमार साहब को राजनीति और राजद्रोह की गंध आई जो उनके निर्णय से साफ नजर आती है।

उनका निर्णय यह था .—

> 'यह प्रार्थना-पत्र उतना निर्दोष नहीं है जितना देखाई देता है। प्रार्थी गाँधीवाद का प्रवचन कर रहा है और चाहता है कि हम रियासत में चरखे का प्रवेश करके गाँधीवाद के सिद्धान्तों का प्रचार करें। मुझे प्रतीत होता है कि यह एक राजनैतिक चाल है जिसमें फँस जाना उचित नहीं होगा।'

मुक्ताप्रसाद के मित्र-मण्डल द्वारा जनता में जाग्रति लाने के लिए नाटकों को खेला जाता था, पर इस मनोरंजन के माध्यम में भी सरकार को 'राजद्रोह' की बू आने लगी। 'धर्म विजय' और 'सत्य विजय' इन दो नाटकों पर पाबंदी लगा दी गई और आज्ञा जारी कर दी गई कि आई.जी. पी. की पूर्व स्वीकृति के बिना नाटक नहीं खेला जा सकता।

व्यक्तिगत परिचय :

इनका व्यक्तिगत जीवन अत्यन्त ही सादा और सरल था। जमीन पर चटाई बिछाकर सोना तो उनका दैनिक नियम था। खादी उनका बाना ही था। वे घुटनों तक की धोती पहने रहते थे। वे बीकानेर की जनता के सच्चे सेवक और महान त्यागी पुरुष थे। बीकानेर की जनता उन्हें बहुत चाहती थी। गरीब आदमियों की सेवा करना, हरिजनों के उद्धार के लिए सब प्रयत्न करना तथा मित्रता निभाना उन्होंने अपने जीवन के कर्त्तव्य मान रखे थे। सब लोग उन्हें 'भाई साहब' के नाम से पुकारते थे। गरीबों के मुकदमों में वे केवल सवा रुपया दान-पात्र मे डलवा कर पूरी दिलचस्पी से उत्कटतापूर्ण पैरवी करते थे। कोलायत के मेले में स्वयंसेवकों के माध्यम से खूब सहायता की जाती थी और लावारिश लाशों को अग्नि संस्कार देना और रेल में मुसाफिरों को ठंडा पानी पिलाने की सेवा वे स्वयं और उनके मित्रमण्डल के लोग दिलोजान से करते थे। मानवसेवा को वे भगवान की पूजा ही मानते थे।

सरकार के आँख की किरकिरी

मुक्ताप्रसाद के सेवाकार्यों में भी सरकार को राजद्रोह की बू आने लगी। बीकानेर राजद्रोह षड्यंत्र केस में जब बीकानेर का कोई भी वकील खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाया था उस समय मुक्ताप्रसाद और रघुवरदयाल गोयल इन दो देशभक्तों ने ही

सरकारी कोप की परवाह न करके अभियुक्तो की तरफ से पैरवी करने की हिम्मत दिखाई और तभी से ये दोनो सरकार की आँखों में किरकिरी वन गये।

मुक्ताप्रसाद के मार्गदर्शन में वैद्य मघाराम

बाबू मुक्ताप्रसाद के मार्गदर्शन में रियासत के प्रथम प्रजा संगठन 'बीकानेर राज्य प्रजा मण्डल' के अध्यक्ष का सेहरा पहनने का सौभाग्य डूँगरगढ़ कस्वे के निवासी वैद्य मघाराम को प्राप्त हुआ। यद्यपि ये वचपन मे पढ़ने-लिखने के मामले में प्रगतिशील नहीं रहे पर मैदानी कामों में इनकी दिलचस्पी शुरू से ही तेज रही। रतनगढ़ में संस्कृत की शिक्षा के बाद कनखल (हरिद्वार) में यजुर्वेद का अध्ययन कर काशी जा पहुँचे, जहाँ महात्मा गाँधी के भाषण से देशभक्ति का मंत्र हृदयंगम कर डूँगरगढ़ लौट आए। जन सेवा की भावना से डूँगरगढ़ थाने में नौकरी कर ली पर वहाँ का भ्रष्टाचार देखकर पुलिस-सेवा से मोहभंग हो गया और बीकानेर आकर वैद्यक शुरू कर दी जिसमें पीड़ितों और दलितो से खूव सम्पर्क बढ़ा, जो आगे जाकर सार्वजनिक क्षेत्र मे आने पर वड़ा लाभदायक सिद्ध हुआ। पर साथ ही कुछ कट्टरपंथियों की खिलाफत का सामना भी करना पड़ा जिनके हथकंडो से वचने में इन्होंने गरीबों के सहायक माने जाने वाले 'भाई साहव' यानी मुक्ताप्रसादजी वकील का पल्ला पकड़ा। वैद्यजी मे देशभक्ति की भावना को पहचान कर 'भाई साहव' ने इन पर अपना वरद हस्त रख दिया और इन्हें देश का काम करने को प्रेरित किया।

प्रजामण्डल की स्थापना

'बीकानेर का राजनैतिक विकास और पं. मघाराम वैद्य' नामक ग्रंथ के लेखक सत्यदेव विद्यालंकार पृष्ठ 117 पर लिखते हैं—'एक दिन वावू मुक्ताप्रसादजी वकील ने जनता के कष्टो की चर्चा करते हुए श्री मघाराम वैद्य के सामने प्रजा मण्डल नाम की संस्था स्थापित करने का सुझाव रखा,जिसे वैद्यजी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया—संस्था के सदस्य बनाने का काम शुरू हो गया और 4 अक्टूबर, 1936 को रात को आठ बजे प्रजा मंडल के सदस्यो की वैठक हुई जिसमे सर्वसम्मति से श्री मघाराम वैद्य को प्रधान, श्री लक्ष्मीदास स्वामी को मंत्री और भिक्षालाल बोहरा को कोषाध्यक्ष चुन लिया गया। आठ व्यक्तियों को और चुनकर ग्यारह व्यक्तियों की कार्यकारिणी वना दी गई।'

श्री विद्यालंकार के अनुसार मुक्ताप्रसादजी स्वयं संस्था के सदस्य नहीं वने। उन्होंने वाहर रहकर ही सव प्रकार की सहायता देने का वचन दिया। विद्यालंकारजी ने अपने ग्रंथ में यह नहीं वताया कि मुक्ताप्रसाद, जो अव तक निर्भीकता के साथ रचनात्मक कार्यो के माध्यम से जन-सेवा करने में दत्तचित्त होकर लगे चले आ रहे थे, को स्वयं परदे के पीछे रहकर राजनैतिक संस्था बनाने की प्रेरणा कैसे मिली ?

प्रेरणा स्रोत - अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद्

मुझ लेखक के दिमाग में यह प्रश्न वरसों तक अनुत्तरित रहा [illegible]
समाधान सन् 1946 में तव मिला जव वीकानेर षड्यंत्र [illegible]

श्री मघाराम वैद्य
बाबू मुक्ताप्रसाद के मार्गदर्शन मे प्रजामडल के अध्यक्ष वैद्य मघारामजी

सराफ से लेखक की मुलाकात होने पर उन्होंने बताया कि षड्यंत्र केस में सजा काट कर छूटने के बाद जब वे अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद् की कार्यकारिणी से मिले और वहाँ मुकदमे के दौरान रियासत के बाहर से सभी ओर से जो जबरदस्त सहयोग मुहैया कराया गया उसके प्रति कृतज्ञता और प्रसन्नता प्रकट की तो उन की राय यह रही कि राजनैतिक शक्ति मैदानी काम से पैदा होती है, बाहर की सहायता से नही और असली शक्ति संगठन में ही होती है केवल व्यक्तियों में नहीं। सहानुभूति के कारण मिली सहायता के बल पर कोई भी आंदोलन दीर्घकाल तक नही चल सकता। बीकानेर वालों को चाहिए कि वे कोई छोटा-मोटा ही सही, अपना राजनैतिक संगठन बना लेवें और उसके माध्यम से मैदानी काम करें। व्यक्ति की आवाज आखिर व्यक्ति की ही आवाज होती है जो संगठन की आवाज के मुकाबले में नगण्य ही होगी। बातचीत के दौरान सराफ ने आगे यह भी बताया कि हम चूरू वाले तो थके हुए से ही थे इसलिए मैंने बाबू मुक्ताप्रसाद से इस बारे में सम्पर्क किया तो उनकी राय हुई कि कोई राजनैतिक संगठन तो अब शीघ्र ही बनाना चाहिए पर हम दोनों को आगे नहीं आना चाहिए क्योंकि आगे आने पर हमको दबोच लिया गया तो नेतृत्व के अभाव में संगठन आगे नहीं बढ़ सकेगा। काफी समय उनका उचित व्यक्ति की खोज में लग गया और जब वैद्य मघाराम, भाई साहब के सम्पर्क मे आए तो उनकी दबंगता देखकर प्रजामण्डल का निर्माण करवा कर उनके और उनके विश्वसनीय साथियों के हाथ में संगठन को सौंप दिया और जब तक वे बीकानेर में रह पाए तब तक बराबर उनका मार्गदर्शन करते रहे।

प्रजामण्डल की गतिविधियाँ

प्रजामण्डल का अन्तिम उद्देश्य बीकानेर नरेश की छत्रछाया में शान्त और वैध उपायों द्वारा उत्तरदाई शासन की स्थापना करवाना उसके संविधान में अंकित किया गया था पर तात्कालिक कार्यक्रम पीड़ित जनता के अभाव-अभियोगों को मुखरित करके गरीब और पीड़ित के लिए राहत प्राप्त करवाना था। मंडल के कार्यकर्ता प्रजा का कष्ट दूर करवाकर राजा और प्रजा में सच्चा प्रेम पैदा करना चाहते थे। प्रजा मंडल का कार्य सदस्य संख्या बढ़ाने से शुरू हुआ। हरिजन बस्तियों में सुधार और अधिकारियों के कानों तक जनता के कष्टों की कहानी पहुँचाने का प्रयास शुरू हो गया। प्रजामंडल के सदस्य देहातों में भ्रमण कर जनता को मण्डल के उद्देश्य समझाते और उनके दुःख-दर्द सुनकर दरख्वास्त-पानड़े लिखा कर प्रशासन तक पहुँचाने लगे। प्रजा मंडल के माध्यम से वहाँ के दुख-दर्दों की कहानी प्रशासन तक पहुँचने लगी। इस से सरकार चौकन्नी हो गई।

उदरासर गाँव ने आवाज उठाई

समय वहाँ की पुलिस चौकी पर अमरसिंह नामक जमादार था। ग्राम की बहू-बेटियों की इज्जत ले लेना उसका साधारण काम हो गया था। अपनी आदत के अनुसार उसने एक चमार की जवान लड़की को किसी मुकदमे के बहाने चौकी पर बुलाया और उसके साथ बलात्कार किया। इस काण्ड की शिकायत किसानों ने पट्टेदार और पुलिस विभाग के अफसरों से की परन्तु कोई असर नही हुआ। जब गाँव वालो की किसी ने नहीं सुनी तो उन्होंने प्रजा मण्डल के कार्यकर्ताओं को उदरासर गाँव में जाँच के लिए बुला भेजा।

श्री मघाराम और श्री लक्ष्मीदास डूँगरगढ़ होते हुवे दूसरे ही दिन उदरासर पहुँच गये और तीन दिन वहाँ रहने के बाद बताया कि उदरासर की शिकायतें बिलकुल सही हैं इसलिए उनकी तमाम शिकायतों को विभिन्न अधिकारियों के पास दरख्वास्तों द्वारा भेज दिया गया लेकिन कोई असर नहीं हुवा। इस पर दूसरे दिन किसानों का एक प्रतिनिधि मण्डल प्रजा परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ महाराजा से मिलने लालगढ़ पहुँचा परन्तु दुख के साथ लिखना पड़ता है कि महाराजा साहब ने किसी के साथ मुलाकात नही की। राजपूताना और हिन्दुस्तान के अनेक पत्रों ने किसानों पर होने वाले अत्याचार का विरोध किया। लोकनायक जयनारायण व्यास ने भी इसमें बहुत साथ दिया पर महाराजा ने कोई सुनवाई नहीं की। 'गाँवों में ही नहीं, राजधानी में भी ऐसी ही अंधेरगर्दी का राज था।' बीकानेर नगर मे किसी चोरी की जॉच के सिलसिले में फीनिया नामक एक व्यक्ति को चोरी के शक मे पकड़कर इतनी यातनाएँ दी कि वह मर गया। मंडल ने इसकी भी *शिकायत की तो प्रशासन तिलमिला उठा।*

तिलमिलाहट का नतीजा निर्वासन :

महाराजा गंगासिंह के कथित राम-राज्य में जघन्य से जघन्य अत्याचारों के विरोध या उनकी शिकायत को भी 'राजद्रोह' माना जाकर शिकायतकर्ता को कड़े से कड़े दण्ड का पात्र समझा जाता था।

प्रजा-मण्डल के अस्तित्व मे आने के बाद प्रशासन के सामने अत्याचारों की शिकायतो का अंबार लग रहा था। तिलमिलाए हुए प्रशासन और महाराजा साहब ने इन शिकायतकर्ताओं के साथ कठोरता से निबटने का कार्यभार हेमिल्टन हार्डिग नामक एक अंग्रेज अफसर को सौप दिया जिसकी सेवाएं पंजाब सरकार से महाराजा के शासनकाल की स्वर्ण जुबली के अवसर पर खासतौर से प्राप्त की गई थी क्योकि इस उत्सव के अवसर पर वायसराय आदि उच्च अधिकारीगणों एवं अन्य रियासतों के नरेशगणो की उपस्थिति एवं सहभागिता अपेक्षित थी। उक्त हेमिल्टन हार्डिग को वैसे तो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के पद पर लगाया हुआ था, पर व्यावहारिक रूप मे वह गृहमंत्री की शक्तियों को बरतता रहा था। उसने अपनी तरफ से पूरी जाँच करके रिपोर्ट की कि ये सारी खुराफातें प्रजा मडल नामक सस्था के अध्यक्ष मघाराम वैद्य द्वारा करवाई जा रही है। इस पर मघाराम के खिलाफ सरगर्मी के साथ जाँच की जाने लगी। मघाराम के घर की तलाशी ली गई तो वहाँ *कुछ चिट्ठियाँ मिलीं जिनमे सत्यनारायण सराफ की चिट्ठियाँ भी थी।* इनमे प्रजामंडल का

जिक्र भी पाया गया। इससे प्रशासन इस नतीजे पर पहुँचा कि प्रजामंडल को वनाना और चलाना मघाराम जैसे बौद्धिक स्तर के व्यक्ति के बूते का काम न होकर इसके पीछे दो बुद्धिजीवियों यानी वावू मुक्ताप्रसाद वकील व चूरू षड्यत्र केस के नायक लाला सत्यनारायण सराफ का दिमाग काम कर रहा है। इस रिपोर्ट के पहुँचने पर महाराजा गंगासिंह आग ववूला हो गये और तुरन्त ही प्रजा मंडल के अध्यक्ष वैद्य मघाराम व सेक्रेटरी लक्ष्मीदास स्वामी को तथा पर्दे के पीछे से प्रजामंडल का संचालन करने वाले बुद्धिजीवी वावू मुक्ताप्रसाद व सत्यनारायण सराफ को कौसिल के निर्णय के अनुसार 16 मार्च, 1937 को वीकानेर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अधीन चौवीस घंटे मे वीकानेर रियासत से वाहर निकल जाने और फिर रियासत मे विना पूर्व स्वीकृति के वापिस न घुसने का निर्वासन आदेश दे दिया गया। इस संवंध में गृह विभाग की गोपनीय फाइल संख्या 2/1937 (हैमिल्टन हार्डिंग की राजनैतिक डायरी) के पृष्ठ दो पर विन्दु एक में लिखा है कि 'उक्त निर्वासन आदेश इसलिए देना पड़ा कि ये लोग प्रजामंडल को, रियासत के ग्रामीणों में, खासतौर पर उदरासर के किसानों मे (जो मघाराम का मूल गाँव है) अनपढ़ काश्तकारों में असंतोष भड़काने का मौका दे रहे थे। इन लोगों की समाज मे कोई हैसियत नहीं है किन्तु ये लोग वोलशेविज्म के सिद्धान्तो के अनुसार छोटे-छोटे विन्दुओं को उठाकर आम अशान्ति का माहौल पैदा करना चाहते है, इसलिए अनर्थ के इस पौधे को उगते ही कुचल देना आवश्यक होगा।' इसी पेज के विन्दु नं. दो में लिखा गया है कि 'प्रजा मंडल के दफ्तर की तलाशी में वीकानेर षड्यंत्र केस सन् 1932 के कुख्यात मामले मे भूतपूर्व वंदियों में खूवराम और सत्यनारायण सराफ का सम्पर्क रहा है। मघाराम के घर की तलाशी के समय सत्यनारायण सराफ के वे पत्र भी पकड़े गये है जिनमें राज्य में असंतोष भड़काने के लिए प्रजामंडल की शाखा खोलने का सुझाव दिया गया है इसलिए सत्यनारायण सराफ को भी निर्वासित करना जरूरी हो गया। इसी फाइल मे पेज नं. दो पर विन्दु तीन मे लिखा गया है कि वीकानेर में तमाम आंदोलनों के पीछे दिमाग बावू मुक्ताप्रसाद वकील का ही काम कर रहा है किन्तु वहुत चतुर वकील होने से उसके खिलाफ प्रत्यक्ष प्रमाण नही मिला, पर सरकार को यकीन हो गया है कि उसकी मौजूदगी रियासत के लिए खतरे का स्रोत वन सकती है इसलिए उसे भी निर्वासित किया गया। इसी पेज के विन्दु संख्या 5 में लिखा है कि मघाराम शर्मा पर निर्वासन-आज्ञा के नोटिस की तामील कराने पर उसने अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए माफी दी जाने की प्रार्थना की है। उसकी यह प्रार्थना की दरख्वास्त क्षमा दिए जाने की सिफारिश के साथ श्री महाराजा साहव को प्रेषित कर दी गई, क्योंकि इस पर महाराजा का निर्देश आने पर ही आगे की कार्यवाही की जा सकती है। पर महाराजा ने वह आवेदन अस्वीकार कर दिया।

अतः ये चारों निर्वासितगण 17 तारीख की शाम को रेलगाड़ी से रियासत छोड़ने हेतु रवाना हो गए। इसी फाइल के पेज नं. चार पर विन्दु आठ मे लिखा गया है कि हालाँकि मघाराम और लक्ष्मीदास ने वीकानेर से नागौर के टिकट लिए थे किन्तु ये वहाँ न उतर कर मुक्ताप्रसाद के साथ ही देहली पहुँच गये। वहाँ मुक्ता प्रसाद, सत्यनारायण और लक्ष्मीदास ने जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया

से मुलाकात की। इन्होंने निर्वासन के कारणों में उदरासर का जिक्र करते हुए फौजिया की हत्या के मामले का भी जिक्र किया और अन्त में एक नया कारण यह भी बताया कि महाराजा साहब की स्वर्ण जुबली के अवसर पर जबरन चंदा इकट्ठा किया जा रहा था और हमारे द्वारा उसका विरोध किया जाना भी निर्वासन का कारण बन गया। इसके अलावा जाटो के डेपूटेशन का नेतृत्व करने वाले जेठाराम जाट को सौ रुपयों का जुर्माना किया गया और गरम-गरम रेत पर लिटाया गया। (देखो असल कापी पोलिटीकल डायरी जो अध्याय के अंत में संलग्न है।)

श्री मघाराम वैद्य अपने कुछ साथियों के साथ बीच मे बैठे हैं। वैद्यजी की दाहिनी ओर स्वामी लक्ष्मीदास और बाई ओर श्री भिक्षालाल शर्मा। 1936 में उदरासर के किसानों का शिष्टमंडल जब महाराजा से मिला था, तब यह चित्र लिया गया था।

दिल्ली के बाद ये चारों निर्वासित व्यक्ति बिखर गये। मुक्ताप्रसाद अलीगढ़ चले गये। मघाराम और लक्ष्मीदास हिसार चले गये जहाँ से मघाराम अपने पुत्र के साथ कलकत्ता चले गये।

इन चारों में से श्री मुक्ताप्रसाद ने तो निर्वासन के बाद पीठ फेर कर बीकानेर की ओर कभी देखा ही नही क्योंकि उनकी यह मान्यता रही कि मै तो बीकानेर-वासियों की सेवा ही करता था, फिर भी अगर राजा नहीं चाहता तो सेवा करने के लिए लड़ाई क्यो मोल लूँ। बाकी लोग भी किसी न किसी धन्धे में लग गये और कालान्तर में किसी ने नानी की बीमारी पर और किसी ने माँ की बीमारी पर प्रशासन की आज्ञा से बीमारों की तीमारदारी के लिए रियासत मे प्रवेश पाया और धीरे-धीरे शांतिपूर्वक पुनः राज्य में बस गये। इनमें वीर लक्ष्मीदास अपवाद निकले जिन्होंने दिसम्बर 1937 में ही निर्वासन आज्ञा भंग कर रियासत मे पुनः प्रवेश किया। सरकार ने मुकदमा चलाया जिसमें रघुवरदयाल ने स्वामी की ओर से पैरवी की। 21 दिसम्बर को कार्यवाही शुरू होते ही अभियुक्त की ओर से आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उसे काल कोठरी में रखा जा रहा है और हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां चौबीसो घंटे रहती हैं जिससे उसके हाथों में घाव हो गये है और खाने को उसे मिट्टी मिली रोटी दी जाती है। अदालत ने कोई गौर नहीं किया और 27 दिसम्बर की पेशी रख दी और वापिस पुलिस के हवाले कर दिया। उनके वकील रघुवरदयाल गोयल द्वारा दी गई कई दरख्वास्तों और जोरदार बहस के फलस्वरूप उन्हे पुलिस हवालात से हटाकर जुडीशियल हवालात में रख दिया गया। आगामी पेशी 5 जनवरी, 1938 की रखी गई जिस पर मुस्तगीस आई.जी.पी. के बयान हुए जिसमे उन्होंने बताया कि मुल्जिम ऐलानिया बयान करता है कि मै अत्याचारी राज्य के खिलाफ बगावत फैलाना अपना धर्म समझता हूँ। तीन चार पेशियों के बाद एक दिन भरी अदालत में लक्ष्मीदास ने 'महात्मा गाँधी की जय' का नारा लगा दिया। अदालत मे खलबली मच गई। 16 जनवरी, 1938 को अदालत ने उन्हें राजद्रोह का अपराधी मानते हुए बीकानेर पब्लिक सेफ्टी एक्ट की धारा 18 (ख) के अधीन पुनः राज्य से निर्वासित कर दिया। तब लक्ष्मीदास जोधपुर चले गये और वहाँ की लोक परिषद् मे कार्यालय मत्री बन गये। अदम्य उत्साही इस युवक ने दुबारा सन् 1940 में त्रिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन के प्रस्ताव में यह निश्चित किए जाने के बाद कि रियासतों के जितने भी कार्यकर्ता है वे निषेधाज्ञा को भंग कर अपनी-अपनी रियासतो मे प्रवेश करें, पुनः रियासत मे प्रवेश किया जिस पर उसे पुन. निर्वासित करने के बजाय छः महीने की सजा दे दी गई जिसे काटकर फिर वह एक निर्दोष नागरिक के नाते अधिकारपूर्वक बीकानेर मे जमा रहा और दमन के आगे सिर नहीं झुकाया।

सुरेन्द्र कुमार का अनौपचारिक निर्वासन

16 मार्च, 1937 के चार नेताओं के निर्वासन के साथ ही रियासत के प्रथम राजनैतिक संगठन अर्थात् प्रजामंडल की चिता जल चुकी थी। सन्1932 के षड्यंत्र केस के बाद सन् 1937 के इन निर्वासनों के कारण रियासत में इतना आतंक छाया रहा

कि रियासत मे 22 जुलाई, 1942 को स्वतंत्रता संग्राम के अगले सेनापति बाबू रघुवरदयाल गोयल द्वारा द्वितीय राजनैतिक संगठन प्रजा परिषद की स्थापना तक का पाँच वर्ष का काल खण्ड 'शमशान-शांति-काल' ही कहा जा सकता है। इस मुर्दा शांति काल में भी प्रजा मडल की चिता की राख के नीचे एक अगारा जलता रहा था। यह राख के नीचे दबा हुआ अंगारा था सुरेन्द्र कुमार शर्मा। गृह विभाग की गोपनीय फाईल सन् 1937/20 के अनुसार यह युवक, बीकानेर मे जिसका ननिहाल था, जोधपुर रियासत के अंतर्गत जैतारण कस्बे का निवासी था और बीकानेर में अपने मामा लालचंद श्रीमाली के पास रहता था जो कोटगेट के बाहर के गणेश मंदिर का पुजारी था। प्रजा मंडल के भंग हो जाने पर सरकार के हाथ में आई सदस्य सूची से पता चला कि उक्त सुरेन्द्र भी प्रजामंडल के सक्रिय सदस्यों में से एक था। अतः पुलिस के लिए आवश्यक हो गया था कि मंडल के सदस्यों के क्रिया-कलापों पर गहरी दृष्टि रखे, खासतौर से इसलिए भी कि इसी वर्ष महाराजा साहब के शासन काल की स्वर्ण जुबली मनाई जाने को थी, जिसमे वायसराय आदि बड़े-बड़े मेहमान आने को थे। इधर सुरेन्द्र के दिल में भी चारो नेताओं के निर्वासन की टीस थी और वह ऐसा कुछ करना चाहता था जिससे नेताओं को वापिस बुलाया जा सके। इसके लिए उसने अप्रैल, 1937 में रामलाल अचारज, गंगादास गज्ञाणी, कन्हैया लाल (डूँगर कॉलेज का एक विद्यार्थी) और रामगोपाल दुबे के साथ मिल-बैठकर 'हितवर्धक सेवा सदन' के नाम से भग प्रजामंडल का कार्य चालू करने का निश्चय कर लिया था। इसके उद्देश्य प्रजा मंडल के समान ही जनहितार्थ व जनसेवार्थ कार्य करने के थे किन्तु इसका वास्तविक ध्येय निर्वासितो को वापिस लाने के लिए आंदोलन जारी रखने का था। वायसराय के आगमन पर काले झण्डे आदि दिखाकर वह ऐसा कुछ करना चाहता था जिससे प्रशासन और वायसराय को यह महसूस हो कि प्रजामंडल अभी जीवित है। उसने दीवारों पर छापने के लिए स्टेनशिल काट कर तैयार किया जिसमें लिखा था 'या तो निर्वासितों को वापस आने दो, वर्ना रियासत खतरे मे है।' इससे पहले इसका मुख्य कार्यक्षेत्र बम्बई रहा था। वहीं से लोकनायक जयनारायण व्यास के निर्देश पर अपनी जन्मभूमि बीकानेर आकर प्रजामंडल का सदस्य बन गया था। दीपावली के 3-4 दिन पहले इन पाँचो को कोटगेट के बाहर फत्ता व्यास की दुकान पर बैठे गिरफ्तार कर लिया गया। मुखबिर रामलाल अचारज को पहले से ही पुलिस ने इसके साथ लगा रखा था और पकड़े जाने पर उसने सारी बातें पुलिस को बता दी और गंगादास गज्ञाणी ने अपने बयान में रामलाल की ताईद कर दी और सुरेन्द्र द्वारा अखबारों मे छापने के लिए लिखे गये एक लेख के मसौदे के लिए सुरेन्द्र के अक्षरो मे लिखा होने की शिनाख्त की। पुलिस हिरासत मे इसे अनेक

श्री सुरेन्द्रकुमार शर्मा
प्रजा मंडल की चिता की राख के नीचे जलता हुआ एक अंगारा

प्रकार से पीड़ित करके इससे इकबाल कराया और फिर मुखविरो को रिहा करके इसे विना किसी लिखित आदेश के चौबीस घंटे के भीतर बीकानेर से चले जाने को मजबूर किया। पीछे से उसकी बीमार माँ को बहुत तग किया गया। फलस्वरूप 31-7-38 को यह वीकानेर आया और 23-8-38 को अपनी माँ को लेकर जैतारण जाकर मॉ की सेवा शुश्रूषा मे लग गया। इसके वाद तो रियासत में सर्वत्र घोर आतंक ही आतक छा गया जो सन् 1942 तक छाया रहा।

कलकत्ता में प्रजामंडल की शाखा

रियासत के अंदर तो घोर आतंक छाया हुवा था पर वीकानेर के प्रवासी नागरिकों में मडल को कुचल देने की वेचैनी थी जिसने कलकत्ते के वीकानेरी नागरिको को चुप नहीं वैठने दिया। जिस काल में मघाराम व लक्ष्मीदास कलकत्ते में अपनी आजीविका के साधन जुटा कर निवास कर रहे थे उस काल मे वीकानेर राज्य प्रजा मंडल की प्रवासी शाखा की स्थापना की गई। श्रीमती लछमीदेवी आचार्य धर्मपत्नी श्रीराम आचार्य की अध्यक्षता में यह शाखा क्रियाशील होकर कार्य करने लगी। स्वामी लक्ष्मीदास ने इसके मत्रित्व का भार सभाल लिया। पर कुछ समय के वाद सगठन चल नही पाया क्योंकि इसकी अध्यक्षा लछमीदेवी वहाँ काग्रेस में भी सक्रिय कार्यकर्ता थी और उस नाते उन्हे जब कारावास में जाना पड़ा तो पीछे से सगठन शिथिल होते-होते विराम को प्राप्त हो गया।

Home Department.

Subject.

Pages.

Political Diary.

On 16.3.37. in accordance with the decision of the council, orders were served on Maghu Ram Sharma, a dismissed Literate Constable of the Bikaner State Police Force who called him President of the Bikaner Praja Mandal and Laxmi Das Sami a penniless newspaper agent Secretary of the Praja Mandal directing them to remove themselves from the Bikaner State before midnight of 17.3.37, and not to re-enter the State without the written permission of the Bikaner Government. This action was ordered in consequence of the fact that these persons were using the Praja Mandal to attempt to stir up agitation amongst the villagers particularly at Sudrasar, the original home of Magh. Ram and were looking for any opportunity to stir up discontent amongst the illiterate peasantry. These persons were of no standing, but it is a well-known principle of Bolshevism, that by the creation of small cells, and by exploiting any little discontent which may exist, a state of general unrest can gradually be created, and it was considered advisable to nip this movement in the bud.

During the search of the office of the Praja Mandal it was discovered that Khubram and Satya Narain, ex-convicts of the notorious Conspiracy case of 1932 were in touch with the Praja Mandal and had in fact subscribed to it. Letters from these persons were found. In the letter of Satya Narain ~~in which~~ he made suggestion for starting a branch of this Praja Mandal in order to spread disaffection amongst the residents of Bikaner who were at present

living in Calcutta. As it was clear that Satya Narain was continuing to work against the State, it was decided that he too should be externed from the State. Accordingly orders were served upon him and he also left the State for Hissar where his father-in-law resides.

The brain at the back of all the agitation in Bikaner was P. Mukta Prasad Vakil a resident of Aliganj, District Etah, of the United Provinces. This man under the cloak of charitable work had managed to attain to considerable influence in the State and was responsible for directing all political activities in the State. Owing to his cleverness, no direct evidence was forthcoming but sufficient grounds existed to convince the Government that this agitator's continued presence in the State was a source of great danger. He was accordingly directed to remove himself from the State and not to return without written permission. He also left the State without demur on the 17th of March,1937. A fair number of persons went to see Mukta Prasad off at the station. He was accompanied on his departure by Bulaki Das, Birjmohan and Olfat Singh.

Khubram Sarraf of Bhadra was summoned to appear before His Highness the Maharajah in person and was given a final warning by His Highness regarding his future conduct.

Magha Ram Sharma on being served with notice of externment apologised for his previous activities and begged to be pardoned making a confession of his misdeeds and promising to conduct himself properly in the future. This was submitted to His Highness

with recommendation for mercy and orders will be passed according to His Highness' direction.

Newspaper Activities.

Since the deportation of the agitators considerable attention has been paid to the order of deportation by seditious press in British India. In particular 'Navjyoti' and 'Rajasthan' have been very virulent in their attacks on the Bikaner Government. The general line taken by the press has been to pretend that these orders of externment have been passed as a consequence of attempts to focus attention on forced collection of money from the public in connection with the celebrations of His Highness' Golden Jubilee.

Public feeling in Bikaner.

As far as can be ascertained, with the exception of a few followers and adherents of Mukta Prasad, there is very little sympathy with the deportees and the general re-action is not unfavourable to the action of Government.

Hamilton Harvey

.L.G.
.4.37.

8 It has been ascertained that Laxmi Das and Ragh[illegible] Mal did not get down at Nagore for where they had taken ticket but accompanied Mukta Prasad to Delhi where they arrived on the 16th March, 1937. They were met at the Railway Station by Lalta Prasad, brother of Mukta Prasad, Krishna Gopal, son of Mukta Pra[illegible] Aga Ram of Messrs. Nandhan Das Jeoraj, Gold Lace Works, Pyarelal Katra Chandni Chowk Delhi Anand Raj Surana and 6 or 7 other persons of Delhi. They were joined by Satya [illegible] deportee on the 20th or 21st March [illegible]
Prasad, [illegible]

अध्याय चौथा

द्वितीय राजनैतिक संगठन—प्रजा परिषद्

वावू रघुवरदयाल गोयल वकील
सघर्ष को अन्तिम विजय तक पहुँचाने वाले सेनापति

द्वितीय राजनैतिक संगठन—प्रजा परिषद्

स्वतंत्रता संग्राम का उत्तरार्द्ध काल सन् 1942 से 1949 ई.

वाबू रघुवरदयाल गोयल वकील

जिस प्रकार बाबू मुक्ताप्रसादजी 'भाई साहव' के नाम से प्रसिद्ध थे, उसी तरह वावू रघुवरदयाल गोयल वकील 'वाबूजी' के नाम से पुकारे जाते थे। इनके पिता श्री झम्मनलालजी गोयल वीकानेर के प्रख्यात वकीलों मे से थे और महाराजा गंगासिह के शासन काल मे बीकानेर राज्य की असेम्वली के सदस्य थे। सन् 1908 में जन्मे बाबू रघुवरदयाल को मानो प्रकृति ने 'कष्ट' और 'संघर्ष' के लिए ही पैदा किया था सो जन्म से लेकर मृत्यु-काल तक ये अनवरत झूझते ही रहे—छः महीने की अवस्था मे माँ की गोद छिन गई और सात वर्ष की आयु में पिता का छत्र उठ गया और पालन-पोषण का भार दादी के बूढ़े कंधो पर आ पड़ा। कॉलेज-जीवन में डॉ. सम्पूर्णानंद जैसे राष्ट्रवादी गुरुओं ने बाबूजी को आरम्भ से ही देशभक्ति के पाठ पढ़ा दिये थे। कॉलेज-जीवन में ही खादीवस्त्रों और खादीटोपी का परिधान धारण कर लिया था। फलस्वरूप प्रिस ऑफ वेल्स के वीकानेर आगमन पर उनके स्वागतार्थ खड़े छात्रों की पक्ति मे इन्हे खड़ा नही किया गया क्योंकि ये अपनी खादी की टोपी छोड़ने को तैयार नहीं थे। बाबूजी ने निर्भीकता, ईमानदारी और स्पष्टवादिता के गुण अपने पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त कर रखे थे जो उनके जीवन की अंतिम घड़ी तक वने रहे। सन् 1928 मे इन्होने वकालत प्रारम्भ कर दी थी। इन्होने सन् 1929 के लाहौर में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन मे भाग लिया था जहाँ पं. नेहरू ने प्रथम वार भारत के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग का ऐलान किया था और प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वतन्त्रता दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। वहीं से उन्हे मातृभूमि की स्वतन्त्रता के लिए कुछ कर गुजरने का सकल्प मिला। वीकानेर षड्यंत्र केस मे जवकि महाराजा गगासिह के आतंक के कारण रियासत का कोई वकील मुल्जिमान की ओर से पैरवी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, उस समय वाबूजी ने और भाई साहव ने ही उनकी तरफ से वकालत नामा प्रस्तुत करके उनकी पैरवी करने की हिम्मत वताई थी और उसी समय से वे महाराजा गंगासिह की आँख की किरकिरी वन गये थे।

जव आतंक घनीभूत हो गया

स्वामी गोपालदास और वावू मुक्ताप्रसाद वकील जैसे स्वातत्र्य सघर्ष के दोनो पुरोधाओं के अभाव में प्रजामण्डल के दाह संस्कार की चिता-भस्म मे से गूँजी चीत्कार से

रियासत भर के नागरिको में गहरा आतंक छा गया था। पूरे पाँच वर्षो तक रियासत के स्त्री-पुरुष यह तमीज नहीं कर पा रहे थे कि उनकी कौनसी वातचीत और कौनसे क्रिया-कलाप राजद्रोह की परिभापा में नही लपेट लिये जावेंगे। लेखक सन् 1938 के उतरार्द्ध में हैदरावाद दक्षिण से अपने एक भूमि संबंधी मुकदमे की पैरवी करने और कॉलेज मे पढ़ाई आगे जारी रखने की नीयत से वीकानेर आ गया था। चूँकि वह खद्दर के ही कपड़े पहनने का आदी था इसलिए शहर में जहाँ कहीं विचरण करता सी.आई.डी. के लोग उसके पीछे लगे रहते थे। कालेज मे भी उसका पीछा जारी रहता देख साथी विद्यार्थियों ने सलाह दी कि खादी उतार फेंकने पर इस आफत से मुक्त हुवा जा सकता है। कोटगेट के अन्दर की तरफ शहर का एक वहुत वड़ा वाचनालय स्थित है जो 'गुण प्रकाशक सज्ञनालय' के नाम से पुकारा जाता है। लेखक प्रायः रोज खाली समय का उपयोग करने सज्ञनालय में जाकर पत्र-पत्रिकाएं पढ़ा करता था। सन् 1938-39 में सुभायचन्द्र वोस की कांग्रेस की अध्यक्षता को लेकर सुभाष वनाम गाँधी का विवाद था। सहज रूप से लेखक ने चर्चा में सुभाष-गाँधी प्रसंग को लेकर उक्त सज्ञनालय मे एक पड़ौसी पाठक से चर्चा करनी चाही और कुछ ही वाक्य वोल पाया था कि आस-पड़ौस के पाठकों ने पास आकर कहा, 'क्यों मरना चाहते हो इस सार्वजनिक स्थान पर राजनैतिक चर्चा करके, क्या राजद्रोह में जेल जाने की तैयारी है तुम्हारी ?' यह सुनकर तत्समय 19-20 वर्ष की वय का यह लेखक सहम कर चुप हो गया और चुपचाप वहां से कॉलेज चला गया। महाराजा गंगासिंह के आतंक को तत्समय रियासत मे कितना घनीभूत रूप मिल चुका था उसका यह एक प्रत्यक्ष अनुभव था लेखक का। साहित्यिक और सांस्कृतिक मामलों मे भी जव इतना आतंक छाया हुवा था तो किसी राजनैतिक संगठन की तो कल्पना ही कैसे की जा सकती थी ? अपने मुकदमे की पैरवी के सिलसिले में जव लेखक अपने वकील श्री रघुवरदयाल गोयल से अगले रविवार को मिलने गया और सज्ञनालय वाला किस्सा सुनाया तो मानो ऐसा लगा कि उनकी दुखती रग को छू लिया गया हो। पर राजनीति मे एक नौजवान की दिलचस्पी भाँप कर उन्होंने लेखक को आतंक की पृष्ठभूमि मे रहने वाले पड्यन्त्र केस और निर्वासन का किस्सा तफसील से वताया और कहा कि इन स्वेच्छाचारी और निरंकुश नरेशों के पीछे जो शक्ति काम कर रही है वह ब्रिटिश सत्ताधारियों की शह है जिस के वल पर ये लोग दमन, अत्याचार और मनमानी करते चले आ रहे है। इस समस्या का असली हल है देश की आजादी। वात-चीत करते-करते काफी रात हो चुकी थी इसलिए वात वहीं समाप्त कर लेखक अपने घर लौट आया।

रियासत में वसने वाले नागरिको और देशभक्तों पर चलाए गए कठोर दमनचक्र से उपजे आतंक के फलस्वरूप सन् 1937 से 42 तक की पंचवर्षीय श्मशानी शांति पर महाराजा साहव वड़ा गौरव अनुभव करते थे। रियासत के दीवान सर सिरेमल वापना ने सन् 1940 में पोलीटिकल विभाग को जो रिपोर्ट भेजी उसका निम्नांकित अंश पठनीय है :—

> 'वीकानेर रियासत इस मामले मे खुश किस्मत है कि सन् 1937 मे प्रजा मंडल के उच्छेदन और वावू मुक्ताप्रसाद के निर्वासन के वाद आज तक यहां कोई राज्य विरोधी आंदोलन नहीं हुआ है।'

23 अक्टू. 1941 का महाराजा गंगासिंह का चौथा घोषणा-पत्र

खासगी के लिये नियत की सैकड़ा रकम के तय करने में उस आमदनी को जो इस समय 'पैरमामूली' और 'कैपिटल' आमदनी के खातों में दर्ज की जाती है कभी शामिल नहीं किया जायगा। राज्य के खर्च से निजी खर्च को अलग करने का कुदरती नतीजा यह भी है कि राज के पुश्तैनी व और आभूषण और भी बड़े कारखाने का फण्ड भी कभी राजा की निजी सम्पत्ति नहीं मानी जायगी, किन्तु हम और हमारे पुत्र-पोते उन वस्तुओं को हमेशा राज्य की सम्पत्ति मानना अपना कर्तव्य समझेंगे।

२७. राज्य की बढ़ती हुई आमदनी के कारण हमने अपने खर्च खासगी – सिविल लिस्ट – को १० फी सदी से घटा कर राज्य की सालाना मामूली आमदनी का ६ फी सदी लेना तय किया है।

२८. हमारा हमेशा से विचार रहा है कि अधिक आमदनी वाले बड़े राज्यों के लिये यह बहुत मुनासिब और उचित है कि खर्च खासगी न केवल राज्य की आमदनी के निश्चित फी सदी से न बढ़े बल्कि नियत की हुई अधिक से अधिक संख्या से भी न बढ़ने पावे और जब राज्य की आमदनी से फी सैकड़े के हिसाब से यह ऊंची से ऊंची रकम मिलने लगे तब राजा की सिविल लिस्ट में आगे किसी तरह की भी वृद्धि न हो। इसलिये हमने यह निश्चय किया है और इस फरमान द्वारा इस बात का दृढ़ विश्वास दिलाते हैं कि राज्य की आमदनी बढ़ कर चाहे कितनी ही हो जाय, बीकानेर के महाराजा की सिविल लिस्ट कभी बीस लाख रुपये सालाना से अधिक नहीं होगी यद्यपि राज की आमदनी दो करोड़ या दो करोड़ से ज्यादा भी हो जाय जो कि परमेश्वर की कृपा से थोड़े वर्षों बाद ही एक दिन, हम उम्मेद करते हैं, हो जायगी।

२९. प्रजा और राज्य की सुख-समृद्धि बढ़ाने वाले कामों के वास्ते सब तरह के साधनों को काम में लाना राज्य का अटूट कर्तव्य है। शिक्षा (Education), चिकित्सा (Medical Relief), स्वास्थ्य सुधार (Sanitation), ग्रामोद्धार (Rural uplift), खेती और सभ्य-जीवन के सुखसाधनों का प्रबन्ध करना—इन हमेशा तरक्की करने वाले कामों में राज्य की आमदनी का बहुत बड़ा भाग खर्च हो जाता है। हमें यह विश्वास दिलाने में अत्यन्त प्रसन्नता होती है कि प्रजा की भलाई और दूसरे सुधार (Beneficent Nation building activities) के इन कामों में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं की जायगी, बल्कि फिजूल खर्च को कम करते हुए केवल रुपया बचाने की गरज से भी इन महकमों की सहायता में रुपया लगाने में कोई फिजूल कमी नहीं की जायगी। इस प्रकार हमें आशा है कि यदि हमारे जीवन में नहीं हो सका तो कम से कम हमारे पुत्र-पोतों के समय में तो बीकानेर राज्य भारतवर्ष के उन्नतिशील राज्यों में गिने जाने के बजाय सब से अधिक उन्नतिशील राज्यों में आगे रहेगा।

३०. हम यह भी दृढ़ विश्वास दिलाना चाहते हैं कि पहले राजसभा, और फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपेलिटियों और दूसरी संस्थाओं द्वारा जिन में चुनाव होता है (Elective Institutions) राज्य की हर शाखा में अपनी प्यारी प्रजा को शामिल करने की नीति बीकानेर के राज का जरूरी अङ्ग समझी जायगी। हमने इस नीति को बहुत वर्षों पहले यानी सन् १९१३ ई० में ही शुरू कर दिया था। उस समय उत्तरी भारत के लिए राजसभा बिल्कुल अनोखी चीज थी, फिर भी यह नीति न केवल फायदेमन्द ही सिद्ध हुई है, परन्तु हमारी मेरी आशाएँ भी पूरी हो गई। भविष्य में भी विचारपूर्ण और उन्नतिशील नीति का पालन किया जायगा, और राज्य की सुरक्षा और प्रजा के अमन चैन को ध्यान में रखते हुए इस नियम से शासन विधान (Constitution) अधिक उदार बनाया जायगा, और ऐसा करना [illegible] जरूरतों के मुताबिक भी होगा।

३१. हमारी प्रजा को पहले ही से आजादी से बोलने और [illegible] (Public [illegible]

[illegible]

३२. हमने अपने उमरावों और सरदारों को पहले भी [illegible] विश्वास दिलाते हैं कि वे सदैव इस राज्य के [illegible] और हम और हमारे पुत्र-पोते और उनके वारिस [illegible] उनके हक और मान को बनाये रखने और राज्य [illegible]

उधर, सितम्बर, सन् 1939 को द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारम्भ हो गया था। ब्रिटिश सत्ता ने पराधीन भारत को भी उसकी मर्जी के खिलाफ युद्ध में घसीट लिया। महाराजा गंगासिंह ने राज्य के समस्त साधनो सहित अपनी सेवाएं सम्राट को अर्पित करने का तार भेज दिया। अक्टूबर, सन् 1941 मे युद्ध को चलते दो साल से ऊपर हो चुके थे। बीकानेर की फौजे मिडल ईस्ट के युद्ध मोर्चे पर सक्रिय सेवा में लगी हुई थीं। महाराजा ने युद्ध मोर्चों पर अपनी सेनाओं का निरीक्षण करने और उनका हौसला बढ़ाने के लिए स्वयं मिडल ईस्ट की ओर प्रस्थान करने की योजना बनाई। प्रस्थान करने से पहले उन्होंने 23 अक्टूबर, सन् 1941 के राजपत्र (गजट) में एक फरमान प्रकाशित किया।

अपने आपको प्रगतिशील नरेशो की पंक्ति में सब से आगे होना दर्शाने के लिए उन्होंने उक्त फरमान की मद 31 मे सार्वजनिक रूप से घोषणा करते हुए लिखा :—

'हमारी प्रजा को पहले से ही आजादी से बोलने और पब्लिक मीटिंग करने के हक हासिल है जिनके बिना प्रजा का राज के काम में शामिल होना व्यर्थ हो जाता है। हमारे विचार में हरेक सभ्य गवर्नमेंट की प्रजा को हक है कि राज्य की शान्ति में विघ्न न डालते हुए, कानून और तहजीब की हद में रहते हुए पब्लिक मामलों में आजादी से गौर करे और हम इस हक को इसी रूप में बनाए रखना बहुत जरूरी समझते हैं।'

महाराजा साहब के खुद के शब्दों को पढ़कर राज्य में मूलभूत अधिकारों की वास्तविक स्थिति को देखने व भोगने वाला कोई व्यक्ति स्वयं निर्णय कर सकता है कि महाराजा गंगासिह के इस तथाकथित राम-राज्य को चलाने वाली गवर्नमेंट सभ्य थी या अन्यथा।

घोषणा का हम तीनों पर प्रभाव

अपने मुकदमे के सिलसिले मे लेखक को श्री गोयल के कार्यालय में जाते-आते रहना पड़ता था। एक दिन लेखक और गंगादास कौशिक दो ही व्यक्ति उनके पास बैठे थे और बाबूजी ने हमे यह फरमान पढ़कर सुनाया। इसे सुनकर लेखक और गंगादास दोनो चकित रह गये। हम दोनों ने बाबूजी से कहा कि अब तो संगठन जल्दी ही बनाना चाहिए क्योंकि महाराजा ने सार्वजनिक रूप से राज्य में सभ्य सरकार होने का दावा कर दिया है। हमारे अति उत्साह को देखकर बाबूजी गभीर हो गए और बोले तुम नितान्त भोले हो। हाथी की तरह हमारे महाराजा साहब के खाने के दांत और है और दिखाने के उससे सर्वथा भिन्न। साधारण जन-जीवन मे कपट और दम्भ दुर्गुण माने जाते है। पर हमारे महाराजा साहब इन्ही दोनो का अपनी राजनीति में सफलतापूर्वक उपयोग करते आए है। इस समय उन्होंने दंभ का सहारा इसलिए लिया कि इसका कोई प्रतिवाद तो आयेगा नही क्योकि चूरू षड्यत्र काड और प्रजा मंडल के नेताओं के निर्वासन काण्ड के बाद राज्य मे अपूर्व शांति है और कही से कोई चूं तक की आवाज भी सुनने में नही आ रही है। इसमे महाराजा ने जो कुछ लिखा है वही सर्वत्र सर्वमान्य सत्य मान लिया जायेगा। लेखक ने बाबूजी से कहा कि वे तो राज्य के प्रबुद्ध और जागरूक नागरिक हैं

श्री गंगादास कौशिक
श्री गोयल के लेफ्टिनेन्ट व प्रजा परिषद् के मेरुदंड व प्रजा परिषद् के मंत्री

और वे ही अगर ऐसी निराशाजनक धारणा लेकर बैठे रहेंगे तो फिर बीकानेर में तो राजनैतिक जाग्रति कभी आने ही वाली नहीं है। बाबूजी ने समझाकर कहा कि अकेला चना भाड़ को नही फोड़ सकता। बिना टीम के हेकड़ी कर बैठना मूर्खता ही होगी। गंगादास बोल उठे, 'बाबूजी अब महाराजा साहब के इस ऐलान को बताकर, सुनाकर मैं मेरे कई विश्वसनीय मित्रों को संगठन बनाने के काम मे तैयार कर सकता हूँ।' लेखक अब तक चुपचाप सुन रहा था पर गंगादास की बात सुनकर वह भी बोल उठा, 'बाबूजी, मैं तो आप को इतना ही भरोसा दिला सकता हूँ कि अगर आप खड़े हो गये तो कम से कम मुझे तो अपने पीछे खड़ा पाओगे'। 'हम दोनों की उत्साहपूर्ण बातें सुनकर बाबूजी के गंभीर चेहरे पर प्रसन्नता के चिह्न दिखाई दिये और वे बोल उठे, 'एक और एक दो भी होते है पर इकमन्ने हों तो दो नहीं ग्यारह के बराबर हो जाते है और ऐसा ही एक और जुड़ जाय तो एक सौ ग्यारह जितने साबित हो सकते हैं। इस मामले में आप दोनों सचमुच में गंभीर हों तो हम तीनों ही आज से और अभी से ही संगठन के निर्माण की तैयारी मे लग जाएं। मैं पड़ौसी रियासतों के प्रजा संगठनों के नेताओं को टटोलता हूँ और आप लोग नगर के विश्वसनीय साथी-संगियों को एक जुट करने में जुट जाओ। याद रखना कि हमे कपट और दंभ के शस्त्रो से नहीं बल्कि गांधीजी के सत्य और अहिंसा के पथ पर चलते रह कर त्याग और तितिक्षा के शस्त्रों के सहारे से संघर्ष करना है।'

पंतजी से मंत्रणा और पहली बार राष्ट्रीय सप्ताह मनाने का आयोजन

बीकानेर में कितना आतंक छाया हुआ था यह हम अध्याय दो और तीन में देख चुके है। इसके रहते हुए ही हम तीनो ने कुछ कर गुजरने की ठानकर अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। तीनो में लेखक ही सबसे जूनीयर था। बाबूजी से तो अधिक बातचीत करने मे संकोच रहता था इसलिए मुझ लेखक ने भाई गगादास कौशिक से ही मार्गदर्शन लेने का विचार किया। मार्च, सन् 1941 में पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। आजीविका की समस्या आ खड़ी हुई। आदतन खादीधारी होने से राज में तो नौकरी मिलने का सवाल ही नहीं था। हिन्दी और अंग्रेजी की टाइप की दो मशीनें मेरे पास थी जिनको लेकर कचहरी के बरामदे मे बैठकर दरख्वास्तें आदि टाइप करने लगा। अर्जीनवीसी की सनद हाईकोर्ट से मिल जाने से आजीविका चलने लगी। साथ ही गोयल जी के मुशीपने का कार्य भी करने लगा। खादी-भंडार एक ऐसा स्थान था जहां खादी-प्रेमी लोगों का मिलना-जुलना और विचार-विमर्श होता रहता था। खादी-भंडार के व्यवस्थापक देवीदत्त पंत बड़े ही मिलनसार और सूझबूझ वाले व्यक्ति थे। राष्ट्रीय पर्वो पर वे भंडार के अन्दर ही सही, कुछ न कुछ आयोजन करते ही रहते थे। उनसे मालूम हुआ कि खादी पर महाराजा की वक्र दृष्टि रहने से बीकानेर का प्रशासन खादी-भडार खोलने की इजाजत ही नही देता था और आदतन खादी पहनने वालों को पड़ौसी रियासतों से ही अपनी-अपनी आवश्यकता अनुसार खादी प्राप्त करने की व्यवस्था करनी पड़ती थी। सन् 1935 मे गांधीजी के परमभक्त और सहयोगी श्री कृष्णदासजी जाजू

(जिनका ननिहाल वीकानेर जिले के अकासर गांव में था) के सद्प्रयलों से कुछ शर्तो के साथ खादी भडार खोलने की इजाजत मिल गई। पतजी से मैने और गंगादास ने बाबूजी के सकल्प की बात बताई तो वे बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि इस शुभ संकल्प का श्री गणेश 6 अप्रैल से 13 अप्रेल तक मनाये जाने वाले राष्ट्रीय सप्ताह से ही कर दिया जाय। चुनांचे अप्रैल में राष्ट्रीय सप्ताह मनाने की योजना तैयार कर ली गई। यह राष्ट्रीय सप्ताह सन् 1919 में जलियांवाले बाग में जनरल डायर द्वारा 13 अप्रैल को बिना चेतावनी दिये अन्धाधुंध गोलियां चलाकर करीब 400 निहत्थे लोगों की हत्या करने की याददाश्त के रूप में प्रतिवर्ष सारे भारतवर्ष भर में मनाया जाता था। पर बीकानेर तो 'तीन लोक से मथुरा न्यारी' वाली कहावत के अनुसार अपवाद मे आता था सो अवकी बार पतजी के मार्गदर्शन में इस अपवाद को समाप्त कर देने का निर्णय हम लोगो ने ले ही लिया। यह निर्णय पतजी ने गोयलजी के साथ हुए हम दोनों यानी भाई गंगादास कौशिक व मुझ लेखक दाऊदयाल के नए संगठन के निर्माण के सकल्प के परिप्रेक्ष्य में लिया था पर सरकार को हम तीनों के इस निर्णय का पता न लगने के कारण गृहमंत्रालय की गोपनीय फ़ाईल सन् 1945/101 के पृष्ठ 3 पर अंकित किया है कि गोयल ने सन् 1942 की अप्रैल में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदेश से बीकानेर सिटी में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय सप्ताह में प्रमुख रूप से भाग लिया जो यहां स्थानीय खादीभंडार के तत्त्वावधान में मनाया गया था और खासतौर पर 10 अप्रैल को मनाए गए संगीत सम्मेलन में और 12 अप्रैल को मनाए जाने वाले चरखा-दंगल यानी सूत कातने की प्रतियोगिता में व्यक्तिगत रूप से सक्रिय होकर भाग लिया। इसी पृष्ठ पर पैरा 12 में लिखा गया है कि अंतिम दिन यानी 13 अप्रैल, 1942 को रघुवरदयाल ने स्थानीय कार्यकर्ताओं के सहयोग से खादी बाड़े में एक आम सभा करने की तैयारी कर ली और इस सभा के लिए पेम्फलेट भी छपवा कर बांट दिये पर इस आम सभा के आयोजन को आखिर में उन्हे छोड़ देना पड़ा क्योकि राज्य प्रशासन के पास उपलब्ध कतिपय कारणों से सरकार ने इस सभा को करने की मनाही का आदेश जारी कर दिया था।' असल मे 13 अप्रैल को सभा शुरू होने से पहले ही आई.जी.पी. का नोटिस मिला कि सभा न की जावे। उपस्थितों मे निराशा हुई। रोष भी पनपा, महाराजा की घोषणा फिर थोथी साबित हुई। निराश लोगो ने बाहर आकर 'भारत माता की जय', 'महात्मा गांधी की जय' के नारे लगाते हुए जुलूस निकाला। कोटगेट तक जाकर भीड़ बिखर गई। अतिम दिन की निराशा के बावजूद गोयल को इस बात से संतोष हुआ कि नगर के विभिन्न क्षेत्रो के लोग सप्ताह भर के विभिन्न कार्यक्रमो में शामिल हुए। भाग लेने वालो में नाथूराम खड़गावत, सत्यनारायण पारीक, कन्हैयालाल गोस्वामी, ठाकुरप्रसाद जोशी, श्रीलाल नथमल जोशी आदि अनेक युवावर्ग के लोग थे। इस आयोजन के एक पखवाड़े के भीतर जयपुर मे राजपूताना कार्यकर्ता संघ की बैठक हुई जिसमे बीकानेर की तरफ से गोयल ने सक्रिय रूप से भाग लिया। उपरोक्त फाईल में अंकित रिपोर्ट के अनुसार सरकार को इस बात का बड़ा रोष रहा कि गोयल ने उस मीटिंग मे राष्ट्रीय सप्ताह मनाने

के दौरान पुलिस द्वारा आम सभा को रोकने की घटना से सब को परिचित कराया और स्टेफोर्ड क्रिप्स की भारत के बंटवारे की योजना की आलोचना की। गोयल ने उस सभा मे नरेशो द्वारा क्रिप्स-मिशन के सामने प्रस्तुत उस दोष की भी आलोचना की जिसमें उनका जोर देकर यह कहना था कि रियासतों के मामलों में उनकी प्रजा के सही प्रतिनिधि नरेशगण ही है। गोयल द्वारा उस कार्यकर्ता संघ की मीटिंग में महाराजा गंगासिंह की घोषणाओं को 'थोथी' विशेषण देकर बयान करना बहुत आपत्तिजनक माना गया।

वनस्थली का कार्यकर्ता ट्रेनिंग केम्प

वहां से लौट कर गोयल ने हम लोगों को बताया कि उक्त कार्यकर्ता संघवालों का परामर्श यह है कि संगठन बनाने से पहले कुछ कार्यकर्ताओं को इस कार्य की ट्रेनिंग प्राप्त करनी चाहिए और इसकी व्यवस्था पं. हीरालाल शास्त्री द्वारा वनस्थली विद्यापीठ में जून के महीने मे होने जा रही है जहाँ बीकानेर से भी विश्वसनीय लोगों को भेजा जाना चाहिए। यह वनस्थली विद्यापीठ शास्त्रीजी द्वारा अपनी दिवंगत पुत्री की यादगार में कन्या शिक्षा के लिए चलाया गया शिक्षा केन्द्र था जहाँ जयपुर के अलावा राजपूताने की अन्य रियासतो की कन्याएं भी रह कर किताबी शिक्षा के साथ ही घुड़सवारी, शस्त्र चलाना आदि सीखकर झाँसी की रानी जैसी भावना वाली वीरांगनाएं बन सकती थी।

गोयलजी ने समाचार सुनाकर मुझे व गंगादास कौशिक को उक्त केम्प में जाने के लिए हिम्मत करने को कहा। जून मे कचहरियां बन्द रहती थी। सिविल कोर्ट भी बंद थे, हम जाने को तैयार हो गये। हम दोनों वनस्थली चले गये। वहा का वातावरण बड़ा अच्छा था। जो चीज बीकानेर मे केवल सुनने को मिलती थी, वहां वह सब देखने को मिल गई। वहां प्रभात फेरिया निकलवाई गई तथा बताया कि आजादी के गीत गाकर किस तरह लोगों को मीटिंग में इकट्ठा किया जाता है। उन्होंने बताया कि 'मोह' छोड़ना होगा, जो मिले वही खाना होगा और उसी में संतोष करना पड़ेगा। वहां सादा भोजन मिलता था। महाराजा साहब ने भी अपने प्रशासन को आदेश देकर कुछ सी.आई.डी. भेजने की व्यवस्था कर दी ताकि वे भी केम्प मे शामिल हो जावे। ये लोग केम्प मे आने के लिए गोयलजी से काउन्टर साईन कराकर नही लाये थे, इसलिए उनको झिझक थी हालांकि वे लोग खादी अवश्य पहनकर आए थे। पं. हीरालालजी ने कहा कि खादी पहनकर इतनी दूर चलाकर आए है, संभव है गोयलजी से मिलना भूल गये होंगे, अत उन्होंने प्रवेश दे दिया। लेकिन हम लोग उन्हे पहिचान गए कि ये लोग सी.आई डी. वाले हैं क्योंकि वे बीकानेर में हमारे आगे पीछे घूमते ही रहते थे। हमने यही हीरालालजी से कहा। उन्होंने कहा कि एक दो दिन में अपने आप भाग जावेगे, क्योंकि यहां खाने को मिलता ही क्या है ? असल में यहां साग में केवल नमक मिलता था। चटपटी चीज कोई मिलती नहीं थी। ये लोग दो-तीन दिन मे घबराकर भाग खड़े हुए। हमने पूरा केम्प अटेण्ड किया। वनस्थली ट्रेनिंग केम्प के दौरान भाई गंगादास कौशिक को सही रूप मे

देखने और समझने का मुझ लेखक को पूरा अवसर मिला था। वे बहुत ही सादे मिजाज के पर वास्तव में बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता थे। मैने उनसे जानकारी चाही की वे बीकानेर मे राजनीति में कब और कैसे आए तो उन्होंने बताया कि देश-कार्य के कीटाणु तो कलकत्ता मे रहते समय ही उनके हृदय मे प्रवेश कर गए थे पर बीकानेर में आने पर उनका राजनीति मे प्रवेश तब हुआ जब शिवदयालजी दवे के आग्रह पर मोटर का क्लीनर बनकर उन्होंने जेल के अन्दर की खबरें दवेजी को लाकर दी। यह 1932-33 का साल था। सन् 1940 मे रियासत जोधपुर के नागौर कस्बे में 'मारवाड़ लोक परिषद्' के वार्षिक अधिवेशन में बीकानेर से जाने का सौभाग्य केवल उन्ही को मिला था। व्यासजी जयनारायणजी से बीकानेर की राजनीति के बारे में बहुत सी चर्चा हुई तो व्यासजी ने कौशिक को एक मार्ग सुझाया था और वह था 'राजनीतिक संगठन'। बीकानेर में उस समय राजनीति की चर्चा तक करना गुनाह माना जाता था। व्यासजी ने परामर्श दिया कि भादरा के खूबरामजी सराफ के साथ मिल कर जनसेवा का कार्य करने में उन्हें जुट जाना चाहिए। व्यासजी ने उन्हें यह भी बताया कि खूबराम जी मे बीकानेर की जनता की सेवा करने की तड़फन है। वहीं उन्हें राजस्थान के एक अन्य तपस्वी नेता के दर्शन हुए—वे थे स्वनाम धन्य बाबा नृसिंहदासजी। वे नागौर के आदिवासी थे, उनके साथ भी उनकी खुलकर चर्चा हुई। उन्होंने भी सेवा कार्य मे खप जाने की राय दी और बताया कि जब तक बीकानेर की जनता में कष्ट सहने की शक्ति नही आएगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने गांधीजी के एक वाक्य का उल्लेख किया जो उनके साप्ताहिक हरिजन दिनांक 4 फरवरी, 1939 में प्रकाशित हुआ था। वह वाक्य था—'यदि बीकानेर की जनता डर को दूर करके बलिदान की कला को सीख ले तो उसे अपना वांछित फल मिल जायेगा।' इन दोनों की आज्ञा उनके दिल मे बस गई। उसी को ध्यान मे रखते हुए जून, 1942 मे अब वे वनस्थली के उस ट्रेनिग केम्प मे मुझ लेखक के साथ ट्रेनिग लेने आए थे। हम दोनों ट्रेनिग के बाद बीकानेर लौट आए। 3 जुलाई को गोयलजी के मकान पर कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। हमारे संस्मरण सभी ने सुने। हमने बताया कि वहां ट्रेनिग के दौरान शास्त्रीजी एक गीत गाया करते थे। वे कहते थे, 'इंसान मर सकता है, लेकिन भावना नही मरती। इंसान को काटा जा सकता है, पर भावना को नही काटा जा सकता। विचार को नही काटा जा सकता है। विचार को एक मात्र तर्क की कैची से काटा जा सकता है।' मैने बैठक मे बताया कि पूरा गीत तो मुझे याद नही है, उसकी एक कड़ी याद है, 'भावना मौजूद रहते, मौत का क्या काम है।' अगर भावना हममे मौजूद है तो हमे कोई नही मार सकता, हम मर कर भी अमर हो जाएंगे। एक अन्य गीत भी था जिसमे उन्होने कार्यकर्ताओं से कहा' 'भूख प्यास और सर्दी-गर्मी, वर्षा, आंधी सभी सहें। और सहें नित भ्रमण जागरण, कठिन तपस्या नमो नम.'। वे कहते हैं कि कठिन तपस्या की भावना लेकर चलोगे तो ही देश का काम कर सकोगे—कुर्सी पर बैठकर व चुपड़ी रोटी खाने की इच्छा रखकर देश का काम नही किया

जा सकता। यह सव तैयारी होवे तो इस मैदान में आओ और देश के लिए खून और पसीने को अर्पण करो। इसी भावना को लेकर हम वनस्थली से वीकानेर लौटे थे। इनके एक अन्य गीत की एक लाइन भी मुझे याद है, जो उस समय मेरी समझ से वाहर थी, लाइन थी, 'राग रहित हो जनसेवा की शुभ अभिलाषा नमो नमः।' मैं सोच रहा था कि द्वेष रहित होने की वात तो समझ में आती है पर राग रहित की वात पल्ले नहीं पड़ी। फिर मालूम हुआ कि राग के माने आसक्ति यानी सार्वजनिक काम करते हुए भी अनासक्त होकर काम करने से वढ़िया काम होता है वर्ना आसक्ति पूर्वक काम करोगे तो आशा और निराशा के झूले में झूलते हुए आगे नहीं वढ़ सकोगे।

हमारे ये संस्मरण सुनकर लोग प्रभावित हुए और अनेक लोग तैयार हो गये, उनमें जोश था। कहने लगे—वावूजी अव देर मत कीजिए, संविधान वनाइये, संस्था चालू कीजिए, हम सव आपके साथ काम करने को तैयार हैं।

उस वैठक में एक विल्कुल नए व्यक्ति को उपस्थित पाया जो खादी के कपड़े पहने हुए था पर जिसे पहले कभी देखा नहीं था। इनके वारे मे पूछा तो मालूम पड़ा कि वे रायसिंहनगर के वकील चौधरी ख्यालीसिंह जाट है। उस काल में जाटों ने भी अपने नामों के आगे 'सिंह' लगाना शुरू कर दिया था। वे गोयलजी को संगठन जल्द शुरू करने की प्रेरणा देने मे काफी आगे थे। उन्होंने कहा कि 'गोयलजी, आप संगठन जल्दी खड़ा कीजिए, हम आपके साथ हैं।'

जुलाई की इस मीटिंग के वाद गोयल पर संगठन वनाने का वरावर दवाव पड़ता रहा। गोयल ने अपने विश्वसनीय साथियों की एक वैठक वुलाई। उसे संवोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राजपूताना और मध्य भारत के कार्यकर्ताओं की कांफ्रेंस मे अलवर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा आदि के शीर्ष नेताओं ने मुझे जो अपने अनुभव सुनाए उनसे मुझे लगा कि हम वहुत पीछे चल रहे है।

अलवर मे प्रजामंडल 1938 में स्थापित हुआ तथा 1940 में मान्यता मिल गई। जयपुर मे 1937 में गठन हुआ तथा 1939 में मान्यता मिल गई। जयपुर में तो गाँधीजी के पॉचवें पुत्र कहे जाने वाले जमनालाल वजाज का प्रवेश निषेध कर दिया गया था। जव उनके साथियों ने निषेधाज्ञा भंग की तो उन्हें पकड़ लिया गया। गाँधीजी द्वारा चेतावनी घोषित करने पर कि, यदि रियासत ने वजाज व उनके साथियो को रिहा नही किया तो कांग्रेस इस मसले को राष्ट्रीय स्तर पर उठायेगी, राज्य सरकार ने सव को रिहा कर दिया। गोयल ने जानकारी दी कि जोधपुर में 1934 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में प्रजामडल की स्थापना हो गई थी। 1936 मे पं. नेहरू का दौरा हुआ, प्रजामडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। 1938 मे मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई, जिसे 1940 मे मान्यता मिली। भरतपुर में 1939 में मान्यता प्राप्त हुई। उदयपुर मे माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में गठित मेवाड़ प्रजा मडल पर से फरवरी, 41 में पावंदी हटा ली गई। इस तरह सभी जगह नागरिक अधिकारों के संगठन आगे वढ़ रहे थे, पर वीकानेर

प्रजा-परिषद् के जनक व बारह अन्य संस्थापकों का पर्चा-उपस्थिति।
ता. 22-7-42

'बीकानेर राज्य प्रजा परिषद्' गठित करने का निश्चय किया गया। इस दिन अंग्रेजी कलैण्डर के अनुसार 22 जुलाई '42 पड़ती थी। इस दिन प्रात. रावतमल पारीक के बाड़े मे हम सभी लोग एकत्रत हुए। उपस्थित लोगों में रघुवरदयाल गोयल, ख्यालीसिंह गोदारा, सत्यनारायण पारीक, गेवरचन्द बरोठिया, श्रीराम आचार्य, रावतमल पारीक, किशनगोपाल 'गुट्टड़ महाराज', गंगादास कौशिक, रामलाल जोशी, 'मामाजी' वकील राम नारायण आचार्य, दाऊदयाल आचार्य, सत्यनारायण अग्रवाल व भिक्षालाल बोहरा शामिल थे। इस बैठक का असल पर्चा-उपस्थिति राज्य अभिलेखागार में आज भी मौजूद है।

संस्थापकों का संक्षिप्त परिचय :

संस्थापकों में बाबू रघुवरदयाल गोयल बाल्यकाल से ही खादीप्रेमी थे। प्रिंस ऑफ वेल्स के बीकानेर आगमन के समय वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। मेहमान के स्वागतार्थ विद्यार्थियो को पंक्ति में खड़ा किया गया था। गोयल गांधी टोपी छोड़कर स्वागत पक्ति में खड़े होने को तैयार नहीं हुए। सन् 1928 में वकालत पास कर ली तथा पीड़ितों की पैरवी मे लग गये। रियासत मे वे अपनी निर्भीकता एवं बड़े से बड़े सेठ साहूकार अथवा अफ़सर या मिनिस्टर आदि किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ पीड़ित को निडर होकर न्याय दिलाने के लिए भिड़ जाते थे और इसी योग्यता के कारण वे रियासत भर में खूब लोकप्रिय थे। चूरू षड्‌यंत्र केस में मुक्ताप्रसादजी के साथ, राज्य-भय से मुक्त हो, उन्होंने भी वकालत नामा प्रस्तुत किया था। महाराजा गंगासिंह की 1941 की घोषणा का पर्दाफाश करने के लिए ही ये जन-संगठन बनाना चाहते थे। गोयलजी का संपर्क तमाम राजपूताना की रियासतों के नेताओं के साथ-साथ पं. नेहरू से भी था और उन्ही का गोयल को सुझाव था कि राजनैतिक संगठन बनाकर उत्तरदायी शासन के लिए आवाज बुलंद करें। जनजाग्रति के लिए किये गये अथक प्रयत्नों में गोयल के साथ गंगादास कौशिक व रावतमल पारीक आदि पहले से सहयोगी चले आ रहे थे। कौशिक तो शुरू से ही स्वतन्त्रता प्रेमी थे, साहस और लगन उनके विशेष गुण थे। चूरू षड्‌यंत्र केस में कौशिक ने कमाल दिखाया था। गंगादास कौशिक स्वतन्त्रता के पूर्व के देशी रियासतों में रजवाड़ों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे युवावर्ग के प्रतीक एवं प्रतिनिधि थे। यहा महात्मा गांधी की जय बोलना व खादी के कपड़े पहनना राजद्रोह का चिह्न माना जाता था, जिसकी कौशिक जी ने कभी परवाह नहीं की। वर्तमान सादूल स्कूल के पास उस वक्त उन्होंने सरावगी बिल्डिंग में सोहनलाल कोचर के साझे में 'स्वदेशी भडार' दुकान भी स्थापना की जहां से खादी की बिक्री के साथ-साथ अखबार भी बेचते थे। सत्यनारायण पारीक, श्रीगोपाल दम्माणी, हिटलर दम्माणी, सत्यनारायण अग्रवाल आदि इसी दुकान पर राजनैतिक मंत्रणाएं करते रहते थे। इस भंडार का 'जवाहर मंजन' नामक दंत-मंजन बीकानेर में बड़ा प्रसिद्ध व लोकप्रिय था। कौशिक के खादी प्रचार का तरीका विचित्र था। गांधी जयंती के अवसर पर गाड़ी मे खादी रखकर गली-मौहल्लो मे ले जाकर बेचते थे। कभी-कभी गाड़ी पर महिला को बिठाया जाता जो

वहां बैठे-बैठे चर्खा कातती रहती थी। सन् 1940-41 में इस स्वदेशी भंडार से 'गांधी डायरिया' डी आई जी ने जब्त कर ली थी। बीकानेर के तत्कालीन प्रधानमंत्री सिरेमल बाफना को कलकत्ता से अंग्रेजी सरकार का आदेश मिला था कि इन डायरियों मे झंडे का एक गीत प्रकाशित हुआ है जो आपत्तिजनक है। इस प्रकार गोयलजी को श्रीकौशिक के रूप में एक ऐसा व्यक्तित्व मिल गया था जो सामन्तों के अत्याचारों की खबरें अखबारों मे भेजकर तत्कालीन सरकार की नीद हराम कर देता था। कोटा के 'दीन बन्धु' साप्ताहिक को कौशिक द्वारा भेजी खबरों को छापने के कारण तीन बार जमानत जब्ती का सामना करना पड़ा।

सस्थापकों में गोयल के युवा साथियो में लेखक, सत्यनारायण पारीक व सोहनलाल कोचर थे। लेखक, पारीकजी, कोचरजी हैदराबाद (निजाम) रियासत से बीकानेर आए थे और गोयल से जुड़ गये। लेखक 1938 में आया था, एक साल बाद सत्यनारायण पारीक शिक्षा प्राप्ति के लिए आए और लेखक के माध्यम से गोयल से जुड़ गये। लेखक पढ़ाई छोड़ कर राजनीति मे रम गया और पारीकजी कुछ समय बाद कानूनी शिक्षा के लिए इंदोर चले गए। इसी प्रकार सोहनलाल कोचर भी हैदराबाद से ही लेखक व पारीकजी के साथी रहे थे और यहां आकर गोयल के नेतृत्व में सभी से मिलजुल कर संघर्ष में सहयोग प्रदान करते रहे। इन तीनों की शिक्षा विवेक वर्द्धिनी स्कूल—राष्ट्रीय स्कूल में हुई थी।

भिक्षालाल बोहरा उत्साही कार्यकर्ता थे। दर्जीपने का काम कर ये अपनी आजीविका चलाते थे। प्रजामंडल (सन् 1936-37) के समय ये संगठन के कोषाध्यक्ष थे। प्रजापरिषद् की स्थापना हेतु बैठक आयोजित करने की सूचना जब इन्हें मिली, तो ये बहुत प्रसन्न हुए और इनमें पुनः जोश आ गया। बोहराजी अपनी पूरी उमंग के साथ 22 जुलाई की बैठक मे उपस्थित होने को तत्पर थे जबकि पिछले प्रजामंडल के इनके कई साथी इस बैठक मे शामिल होने की हिम्मत नही जुटा पाये। इस स्वतन्त्रता सेनानी भिक्षालाल वोहरा का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती शहर मे हुआ था पर जीवन बीकानेर मे विताया। ये शारीरिक शिक्षक थे। नौजवानों को व्यायाम, लाठी, तलवार आदि की शिक्षा निःशुल्क देते थे। प्रजामंडल के समय मघाराम वैद्य व लक्ष्मीदास स्वामी के साथ कार्य करते थे। तत्समय साथियों के देश निकाले के वाद संगठन मर गया पर भिक्षालाल की देशसेवा की भावना मौजूद रही।

प्रजापरिषद् की स्थापना का मुहूर्त प्रात. 8 बजे का था। 8 बजे तक उपरोक्त व्यक्ति ही उपस्थित हुए, इस में और लोगो का इन्तजार न कर के ठीक मुहूर्त के समय गणेश पूजन के बाद कार्यवाही शुरू कर दी गई। गॉधीजी के प्रिय भजन 'वैष्णव जन तो तैने कहिए' से प्रार्थना करने के वाद वावू रघुवरदयाल गोयल ने उस दिन की सभा का सभापति चौधरी ख्यालीसिंह को बनाने का प्रस्ताव किया जिसका समर्थन वकील रामनारायणजी ने किया। सभापति द्वारा आसन ग्रहण करने के वाद रघुवरदयालजी ने परिषद् का विधान पढ़कर सुनाया जो सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया इसके वाद चोधरी ख्यालीसिंहजी ने प्रस्ताव किया कि परिषद् का अध्यक्ष वावू रघुवरदयालजी को

वनाया जाय। वकील रामनारायण और रावतमल पारीक के अनुमोदन के बाद सर्वसम्मति से बाबूजी को परिषद् का अध्यक्ष चुन लिया गया। अध्यक्ष महोदय ने तत्समय अपनी कार्यकारिणी में केवल दो व्यक्तियों को ही लिया जिनमें रावतमल पारीक को मंत्री और गंगादास कौशिक को फिलहाल कोषाध्यक्ष वनाया गया। इसके वाद तत्काल ही परिषद के जन्म की सूचना निम्न व्यक्तियो को भेज दी गई—प्राइमिनिस्टर मान्धातासिंह-राज्य श्री बीकानेर, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के कार्यालय-वम्बई, व.स. देशपाण्डे, अखिल भारतीय चर्खा संघ-गोविन्दगढ़-मलिकपुर जयपुर, गोकुल भाई भट्ट-प्रजामंडल-सिरोही, पंडित हीरालाल शास्त्री-जयपुर, श्री हरिभाऊ उपाध्याय-अजमेर, मास्टर भोलानाथ-अलवर, श्री पूनमचन्द वैद-राजलदेसर, खूवराम सराफ-भादरा, श्री मालचन्द हिसारिया-नोहर, सरदार करतारसिह-रायसिह नगर। इसके फौरन बाद परिषद के गठन की खवर उत्तर भारत के सभी हिन्दी-अग्रेजी के अखबारो में भेज दी गई।

गोयल के साथियों ने, खासतौर से गंगादास कौशिक एवं रावतमल पारीक ने परिषद् के सदस्य वनाने का अभियान तेजी के साथ शुरू कर दिया। वीकानेर नगर मे सदस्य बनने वालों में तेलीवाड़े के सर्राफ दुकानदारों ने अति उत्साह वताया और बड़े वाजार के क्षेत्र में भी अनेक नागरिकों ने सदस्य बनना शुरू किया। उधर छापर कस्वे के लादूराम वैद और राजलदेसर के पूनमचन्द वैद सदस्य वने और उन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में सदस्यता अभियान चलाया। पूनमचन्द वैद एवं चूरू षड्यत्र केस के अभियुक्त रहे खूवराम सराफ ने गोयल को परिषद् के गठन पर वधाई सदेश भेजे।

परिषद् का आफिस खोलने के लिए समुचित स्थान खोजने का काम शुरू कर दिया गया पर पहले से चले आ रहे आतंक के कारण आमतौर पर लोग किराये पर, परिषद् के लिए अपना स्थान देने से घबराते थे, इसलिए तत्काल तो आफिस परिषद् के मंत्री महोदय रावतमल पारीक के घर पर ही रखा गया।

गोयल का निर्वासन और उसके साथ ही दमन चक्र तेजी से चल पड़ा

प्राइमिनिस्टर के यहां परिषद् के गठन की सूचना का पत्र पहुँचते ही प्रशासन में हलचल मच गई। चूँकि तत्समय अपनी वीमारी के ईलाज के सिलसिले में महाराजा साहव डा. मिस शिवाकामू के साथ मद्रास में विराजते थे, इसलिए प्राइमिनिस्टर के कार्यालय से महाराजा साहब के पास परिषद् के गठन के समाचार विशेष साधनों से भेज दिये गये और प्रशासन वहां से मिलने वाले निर्देश का इंतजार करता रहा। प्रशासन को इस वारे में क्या कुछ करना चाहिए इसके बारे में निर्णय लेने में पूरा एक हफ्ता लग गया। ठीक सातवें दिन यानि 29 जुलाई को जव वावूजी अदालत मे किसी मुकदमे की वहस कर रहे थे तो इसी बीच उन पर एक नोटिस की तामील कराई गई। लिफाफा खोलने पर पता चला कि बीकानेर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अन्तर्गत उन्हें निर्वासित कर दिया गया। इस निर्वासन आज्ञा के लिए कोई स्पष्ट कारण न वताकर केवल यह लिखा गया था कि 'तुम ऐसे तरीके से व्यवहार करते आ रहे हो जो राज्य की शाति और अमन

चैन के प्रतिकूल है। राज्य मे तुम्हारा निवास अवांछनीय और आपत्तिजनक है। अतः इस आदेश द्वारा तुम्हे निर्वासित किया जाता है, और तुम चौबीस घंटे के भीतर राज्य छोड़कर राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ।' गोयल ने यह आज्ञा अपनी बहस के बीच में प्राप्त की थी इसलिए आज्ञा पढ़ने के बाद उस आज्ञा पत्र को अपनी जेब में डालकर निर्विकार रूप से अपनी बाकी बची बहस समाप्त कर दी। वहाँ से सीधे बाररूम में आकर, वहां उपस्थित वकीलों को बताया कि वे निर्वासित कर दिये गये है इसलिए वहां से विदा होते हैं। बाररूम में स्तबधता छा गई।

परिषद् की स्थापना की खबर सुनकर तो जनता में प्रसन्नता की लहर छा गई थी, पर एक ही सप्ताह में निर्वासन की खबर सुनकर लोग दुखी हो गए और भयभीत भी दिखने लगे। गोयल तो अविचलित भाव से कचहरी से अपने घर चले गये। मै लेखक सनद प्राप्त अर्जीनवीस होने के साथ-साथ गोयल का मुंशी भी था इसलिए मे भी तत्काल उनके पीछे-पीछे उनके घर पहुँच गया। गोयल ने घर पहुँचकर अपनी पत्नी और बच्चो को निर्वासन आज्ञा के फलस्वरूप राज्य की सीमा से बाहर जाने का निर्णय सुनाया तो सारे घरवाले सकपका गये। घरवालों ने बाबूजी से कहा कि फिर आप अकेले ही क्यों, हमें भी साथ लेते चलिये। घरवालों को अधीर देखकर गोयल बोल उठे, 'वाह, खूब कही। ऐसी बात मत कहो, तुमको अगर साथ लेकर चला गया तो यह मेरी कायरता होगी। लोग कहेंगे कि बाते तो लम्बी-लम्बी करता था पर अब स्त्री-बच्चों को लेकर पार हो गया है। इसलिए तुम को यहीं रहना है। मै भी कोई अधिक समय बाहर नही रहने वाला हूँ। गाधीजी के सत्याग्रह के शस्त्र को लेकर, हमने संगठन बनाया तो अब उसके फलस्वरूप मिलने वाले दंड से घबराना नहीं चाहिए, पर साथ ही इस अन्यायपूर्ण आज्ञा को मै सिर झुका कर मान लेने वाला नहीं हूँ। बापू ने जहां सत्याग्रह का मार्ग बताया है वहीं सविनय अवज्ञा का शस्त्र भी दिया है। इसलिए मै एक बार तो बाहर जा रहा हूँ किन्तु शीघ्र ही विनय पूर्वक इस आदेश की अवज्ञा करके वापिस लौट आऊँगा। तब तक तुम्हें धैर्यपूर्वक कठिनाइयों का सामना करना ही चाहिए।'

गोयलजी के दो विवाह हुए थे। पहली पत्नी से उत्पन्न दो पुत्रियां थीं और इस द्वितीय पत्नी से एक पुत्री रेणु और दूसरा पुत्र इन्दुभूषण उस समय काफी छोटे थे। गोयलजी के पत्नी-बच्चों की घबड़ाहट को मै देख और समझ रहा था। मैने उस समय सोचा कि ऐसे समय में मेरा भी कोई कर्त्तव्य है जो मुझे अवश्य करना चाहिए। मैने गोयलजी की पत्नी को संबोधित करते हुए कहा 'बीबीजी, बाबूजी को खुशी-खुशी विदा दीजिए, देश के काम में इन्हें आगे बढ़ने दीजिए, बाबूजी की गैर मौजूदगी मे अपने आप को अकेली समझ कर घबराइये नही। मै जैसा हूँ आप सब की देखभाल हेतु बाबूजी के आने तक मौजूद रहूँगा'।

घर में यह बातें हो ही रही थी कि घर के बाहर परिषद् के हितैषियों की चहल-पहल सुनाई पड़ी। तत्काल ही 'इंकलाब जिन्दाबाद', 'महात्मा गांधी की जय, 'प्रजा परिषद् जिन्दाबाद', के नारे गूँजने लगे। देश निकाले की बात समूचे शहर मे फैल चुकी

थी। स्वदेशीभंडार व खादीभडार पर मौजूद शंकर महाराज, श्रीराम आचार्य, सत्यनारायण पारीक आदि वावूजी के घर की तरफ लपक पड़े। घर में पहुँच कर सव लोगो ने गोयलजी को चारों तरफ से घेर लिया और पूछने लगे वावूजी बताइये अव हमे क्या करना है ? गोयलजी ने कहा कि मेरे लिए यह आदेश अप्रत्याशित नही है पर मै सन् 1937 की तरह इस अन्यायपूर्ण आज्ञा को मानने वाला नहीं हूँ। वापू ने हम लोगो के लिए सत्य का आग्रह करने की वात कही है (जिसे सत्याग्रह के नाम से पुकारा जाता है) वहीं उन्होंने 'सविनय अवज्ञा' का शस्त्र भी दिया है जिसके अनुसार सत्याग्रही को अनुचित और अन्यायपूर्ण आज्ञाओं को सिर झुकाकर स्वीकार करने के बजाय सिर न झुकाते हुए ऐसी आज्ञाओं की अवहेलना करने और उस अवहेलना के कारण जो भी कष्ट या दंड मिले उसे हँसते-हँसते तितिक्षा पूर्वक सह लेने का मार्ग बताया है। मै वापू के 'सत्याग्रह' के अहिंसात्मक शस्त्र के साथ, 'सविनय अवज्ञा' के शस्त्र को भी वर्तने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। फिर चाहे उसके भौतिक नतीजे कैसे भी क्यों न निकलें। मै जव तक निर्वासन की इस अन्यायपूर्ण आज्ञा को तोड़कर वापिस रियासत में प्रवेश न करूँ तव तक आप लोगों को अपने आपसी विचार-विमर्श से और विवेक से तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार और सूझ-वूझ के साथ निर्णय लेकर आगे के कदम उठाने है। इस पर रावतमल पारीक व गंगादास ने वहां उपस्थित समुदाय को वताया कि अभी तो हमारा सब से पहला कार्य ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्टेशन पहुँच कर वावूजी को शानदार विदाई देने का है। यह सुनकर तत्समय उपस्थित लोग विखर गये। और हम सव घरवाले वावूजी के साथ ले जाने वाले कपड़ों, किताबों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था में लग गये। गुप्तचरों ने इस उत्साह की सूचना प्रशासन को दी। गोयल दृढ़ निश्चय के साथ स्टेशन के लिए तैयार हुए। रवाना होने से पहले ही आई.जी.पी सहित पुलिस आ गई। प्रशासन को भय था कि मुक्ताप्रसाद की रवानगी के दिन स्टेशन पर उन्हें विदा देने अपार भीड़ आ गई थी और नारे लगाये थे सो इस वार भी कही वैसा ही कुछ प्रदर्शन न हो जाय इसलिए प्रशासन ने गोयल को किसी अज्ञात स्थान पर पहुँचा देने की हिदायत कर दी। चुनाँचे उन्हें घर पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। गोयल ने घर पर ही की गई अपनी गिरफ्तारी पर आपत्ति करते हुए कहा कि निर्वासन आज्ञा मे जितने समय के भीतर मुझे रियासत छोड़ने का आदेश दिया गया है उतने समय तक तो मैं एक स्वतन्त्र नागरिक हूँ। पुलिस अधिकारियो का जवाव था कि यहां राज महाराजा गंगासिंह का है और हमारा कानून यही कहता है कि आप को गिरफ्तार कर के जहाँ कहीं पहुँचाना है वहां हम अवश्य ही पहुँचा कर रहेगे। गोयल के कानूनी विरोध के वावजूद उन्हें कार में बैठा कर ले गये। हमें पता ही नही चला कि उन्हे कहां ले गये हैं। मैं तुरन्त ही साईकिल लेकर रावतमलजी के यहां गया। वे भी साईकिल लेकर ढूंढने निकल पड़े और भी कई साथी-संगी इसी खोज में लग गये। शाम को पलाना की तरफ ही गाड़ी जाती थी। जनता ने उस गाड़ी पर देखने का निश्चय किया। गाड़ी रवाना होने तक जव

गोयल को लेकर पुलिस वहां नहीं पहुँची तो अधिकतर भीड़ निराश होकर बिखर गई और वे लोग जो निराश होना नहीं चाहते थे वे अलग-अलग स्टेशनो के टिकट लेकर सवार हो गये। एक मै ही ऐसा प्राणी था जो स्टेशन नहीं जा सका क्योंकि मुझे तो बीबीजी आदि के साथ घर पर ही जमे रहना था। दूसरे दिन साथी-संगियो ने बताया कि पलाना स्टेशन पर गोयलजी कई सिपाहियों और अफसरों के साथ मौजूद मिले। वहां पुलिस वालों ने गोयलजी की जेब से पैसे निकाल कर उन के लिए जयपुर का टिकट खरीदकर गाड़ी मे बैठा देने की योजना घना रखी थी। पलाना स्टेशन पर पुराने प्रजा मडल के मंत्री लक्ष्मीदास स्वामी, कोपाध्यक्ष भिक्षालाल अपने कई संगियों- साथियों सहित गोयल को विदाई देने इसी ट्रेन से पहुँच गये थे। वहां इंकलाब जिन्दाबाद का नारा लगाते ही गाड़ी मे सवार यात्री गणों में से अनेक लोग गाड़ी से नीचे उतर आये और नारेबाजी मे शामिल हो गये। वहां गाड़ी पाँच-सात मिनट इसलिए लेट हो गई कि गोयल ने नारे लगाने वाले कार्यकर्ताओं को संबोधित करना शुरू कर दिया था आखिर पुलिस ने डडा उठाकर—बताकर भीड़ को वहां से हटाया और गोयल को गाड़ी मे बैठाकर गाड़ी को रवाना कर दिया। इस तरह गोयल का निर्वासन सम्पन्न हो गया।

दूसरे दिन हम प्रजा परिषद् वाले आपस में मिले तो पाया कि सब के चेहरों पर मुर्दनी छाई हुई थी। हम सबके सामने यह प्रश्न उठ रहा था कि आगे अब क्या करें? शाम को हमने एक छोटी सी केमरा-मीटिंग का आयोजन किया। यह मीटिंग गोयल के चौतीना कुएँ के पास वाले मकान पर हुई जिस में गोयल के 'कोर ग्रुप' के साथी मिले तथा घटनाओं पर गहन मन्थन किया। इस मन्थन में कई परस्पर विपरीत बिन्दु उभरे। मूल्यांकन ईमानदारी से हुआ था। पहला बिन्दु तो यह उभरा कि सभी को इस बात की प्रसन्नता थी कि राज्य प्रशासन के सारे प्रयत्नों के बावजूद जनता ने पलाना पहुँच कर अपने नेता को इंकलाब जिन्दाबाद आदि नारों के बीच शानदार विदाई देने मे सफलता पाई तथा शासन तंत्र की गोपनीयता और पुलिस का डंडा धरा ही रह गया। इस में उत्साहवर्धक बिन्दु यह भी रहा कि पूर्व के प्रजामंडल के पदाधिकारी भिक्षालाल बोहरा व लक्ष्मीदास स्वामी ने अपने साथियो सहित पलाना स्टेशन पर जोरदार नारेबाजी के साथ गोयल को शानदार विदाई दी। इससे उन्होंने नई प्रजा परिषद् से अपने सहयोग व लगाव को मुखरित किया।

दूसरा बिन्दू जो केमरा-मीटिंग में उभरा वह था गोयल के बाद परिषद् के नेतृत्वहीन हो जाने का। गांधी के उस असहयोग और सत्याग्रह के युग में जब कभी संगठन का शीर्ष नेता गिरफ्तारी देता तो उससे पहले अपना उत्तराधिकारी नामजद कर देता था जो 'डिक्टेटर' कहलाता था। पर दुर्भाग्य से गोयलजी ने ऐसा कुछ नही किया—यही जटिल प्रश्न हमारे सामने घूर रहा था कि गोयल के निर्वासन के बाद तत्काल डिक्टेटर का घोषित किया जाना परिस्थिति की माग थी, बुजुर्गो मे पहली पसन्द रावतमल पारीक, दूसरी ख्यालीसिंह चौधरी, तीसरी रामनारायण आचार्य वकील और

चौथी श्री श्रीराम आचार्य की थी। रावतमल पारीक ने इस मसले पर विचार करने के लिए अगले दिन 31 जुलाई तक बैठक स्थगित कर दी।

रावतमल एवं लेखक की सनदें जब्त

अगले दिन एक ऐसी घटना घटी कि पासा ही पलट गया। 31 जुलाई को मै (लेखक-दाऊदयाल), रावतमल पारीक, गंगादास कौशिक आदि सभी सवेरे-सवेरे ही अपनी-अपनी आजीविका में लग गये। कचहरी में 11 वजे हाईकोर्ट के जमादार ने मुझे सूचना दी कि चीफ जस्टिस अहसानुलहक साहव ने मुझे बुलाया है। मै हाईकोर्ट में पहुँचा तो रावतमलजी को वहां पहले से खड़ा मौजूद पाया। मैने अदव से झुककर जज साहव को नमस्कार किया और धीरे से रावतमलजी से हम दोनों को बुलाने का कारण पूछा। जज साहव ने मेरा प्रश्न सुन लिया था और वे बोल उठे, 'आप दोनों रियासत की अदालतों मे अर्जीनवीसी की सनद के आधार पर रोटी-रोजी कमाते हैं' ? हमने 'हॉ' कहा तो वे गर्ज कर बोले 'आप दोनों सरकार की मुखालफत करने वाले गोयल को रियासत-बदर किये जाने के मौके पर हमदर्दी जताने स्टेशन पहुँचे थे।' मेरे द्वारा इन्कार करने पर उन्होंने अदालत में मौजूद पुलिस अधिकारी गोवर्धन शर्मा के बयान कलम वन्द किये जिस में शर्माजी ने शपथपूर्वक हमारे स्टेशन पर की मौजूदगी का अपने आप को चश्मदीद गवाह वताया। तत्काल ही हमारी सनदें खारिज कर दी गई। हमारे चेहरे फक रह गये। इस अप्रत्याशित घटना से हम दोनों अपनी आजीविका से तुरन्त प्रभाव से वंचित कर दिये गये थे। हम मुँह लटका कर घर चले गये। गंगादास कौशिक अपने किसी काम से कचहरी आये हुए थे। यह खबर सुनकर उन्होंने शाम को होने वाली वैठक अगले दिन सुवह तक के लिए स्थगित कर दी।

प्रथम डिक्टेटर श्री रामनारायण आचार्य वकील

निराशा के इस वातावरण में दूसरे दिन बैठक हुई। तभी एक सुखद घटना घटी। वकील रामनारायण ने स्वेच्छा से अपने आप को परिषद् का डिक्टेटर घोषित किया जाना स्वीकार कर लिया। जिन्दावाद के नारों के साथ वह सभा विसर्जित हो गई।

अगले दिन यानी 2 अगस्त को मुझे सूचना मिली कि वकील रामनारायण व रावतमल पारीक दोनों को जिला मजिस्ट्रेट विशनदास चौपड़ा ने अपनी अदालत में वुलाकर व उनके वयान कलम-वन्द करके उन्हें लालगढ़ भेज दिया। यहां यह उल्लेख कर देना आवश्यक है कि परिषद् की स्थापना दिवस को ही श्री गोयल ने सारे उपस्थितों को सावधान कर दिया था कि परिषद् का कोई भी व्यक्ति सरकार के अधिकारी के समक्ष वयान न दे, पर पता नही क्यों रावतमल पारीक ने चौपड़ा के समक्ष अपने वयान कलम वन्द करवा दिये। ये दोनों जव लालगढ़ से लौटे तो एकदम निराश नजर आ रहे थे। वाद में मालूम हुआ कि इन दोनो पर परिषद् से संवंध तोड़ने के लिए जवरदस्त दवाव डाला गया था। रमणसा विस्सा के दवाव मे रावतमल ने ऐसा किया था क्योंकि वे

रमणसा के अखाड़े के सदस्य थे तथा रमणसा सेठ विस्सेसरदास डागा के मुनीम थे। ये सेठ डागा राज-सभा के सदस्य रह चुके थे।

प्रथम डिक्टेटर रामनारायण जी पंडित हीरालाल नाजम के पुत्र थे और उनके वड़े भाई जेठमल आचार्य राज्य में तहसीलदार थे जिनके दवाव में वकील रामनारायण जी दव गये मालूम होते थे।

परिषद् कार्यालय पर महाराजा की कोप दृष्टि

सनद-जब्ती से प्रशासन ने मुझ लेखक के पेट पर जो लात मारी थी उससे मैं भी तिलमिला उठा था। गोयल के साथी और अनुचर होने के नाते मेरा उन के घर पर ही रहना मेरी माँ व पत्नी दोनों को पसन्द नहीं था। ऐसे वातावरण में भी गंगादास कौशिक ही एक ऐसा व्यक्ति था जो अनवरत प्रजापरिषद् की सदस्यता वढ़ाने मे दत्तचित्त होकर लगा हुआ था। इस नए पौधे को सींचकर मजवूत करने में कौशिक जिस उत्साह से लगा रहा वह मुझ लेखक के लिए प्रेरणा का श्रोत वना हुवा था। कौशिक बीकानेर शहर व रियासत के अन्य कस्वों में प्रगतिशील लोगों से सम्पर्क बनाए हुए थे। उन्होंने केदारजी सेवग से सम्पर्क कर बीकानेर स्टेशन के सामने उन के मकान का एक कमरा किराये पर ले लिया तथा प्रजापरिषद् का बोर्ड लगाकर कार्यालय खोल दिया। इतना ही नहीं अपितु इससे आगे बोर्ड लगाने के साथ ही एक तिरगा झंडा भी उन्होंने ऑफिस पर लगा रखा था।

उधर मद्रास में इलाज करा रहे महाराजा साहव को निरन्तर परिषद् से संवंधित छोटी से छोटी खवरे भी पहुँचाई जा रही थी। 4 अगस्त को महाराजा साहव बीकानेर लौटे। महाराजा साहव के आगमन की अग्रिम सूचना जनता को पहुँचाई हुई थी। 'घणी-घणी खम्मा' करने लोग स्टेशन से लक्ष्मीनाथ मंदिर तक पंक्ति-बद्ध खड़े थे। स्टेशन से सवारी निकली तो महाराजा साहब की नजर परिषद् कार्यालय के बोर्ड व तिरंगे झडे पर पड़ी। उनका चेहरा तमतमा उठा, तभी चौकी पर से किसी ने 'प्रजापरिषद् जिन्दाबाद' का नारा लगा दिया। यह आग में घी का काम कर गया। सवारी आगे बढ़ी तो पुलिस ने तुरन्त कार्यालय के बोर्ड व झंडे को कब्जे मे ले लिया और कागजात छीन लिये गये। लोगो में भगदड़ मच गई। सर्वत्र दहशत फैल गई।

परिषद् के कार्यकर्ताओं पर चौतरफा दवाव

परिषद् के कार्यालय पर अचानक हमला वोलकर पुलिस ने वोर्ड और झंडे के साथ जो फाईले हथियाई थी उनमे उनको सदस्यों की सूची भी प्राप्त हो गई। इस सूची के आधार पर मौहल्ले वार सदस्यों को बुलाकर डराने-धमकाने-फुसलाने का काम तेजी पकड़ने लगा। किसी को थाने, किसी को कोतवाली और किसी को 'गिराई' (वह स्थान जहॉ पुलिस फोर्स के रिजर्व जवान निवास करते थे व जहॉ शहर से दूर एकान्त स्थान होने से मार-पिटाई की सूरत मे पिटने वालो की चिल्लाहट शहर वालो को सुनाई नहीं पड़ सकती थी) मे ले जाया गया। जो जैसे प्रभाव वाले लोग थे उन्हे क्रमशः जैसी जिसकी

हैसियत थी, तहसीलदार, नाजिम, अथवा जिलामजिस्ट्रेट विशनलाल चौपड़ा के घर बुलाया जाने लगा। इससे अधिक प्रभावशाली लोगो को होममिनिस्टर या प्रधानमंत्री मान्धातासिह के पास ले जाया जाता। अंतिम शस्त्र था लालगढ़ ले जाकर स्वयं महाराजा साहव के सामने पेश कर देना।

इस प्रक्रिया द्वारा परिषद् के कार्यकर्ताओं से और सदस्यो से दवाव डाल कर माफीनामे लिखाने शुरू कर दिये गये। जिन्होंने माफीनामे लिखने से इकार किया उन्हें कहा गया कि परिषद की सदस्यता न छोड़ना चाहें तो कम से कम इतना ही लिख दो कि हम श्रीजी साहव वहादुर व उनकी सरकार के खिलाफ कोई चेष्टा नही करेंगे। अव भला कोई यह कैसे कहता कि हम महाराजा के खिलाफ चेष्टा करेगे, क्योकि परिषद् का ध्येय भी उनके खिलाफ चेष्टा करने का नहीं था। ऐसे में इस प्रक्रिया से नैतिक पतन की हीन भावना उत्पन्न करके हतोत्साह का वातावरण वना दिया गया। साधारण नागरिक किसी न किसी स्तर पर झुकने को मजवूर हो गया। इस चपेटे मे अनेक प्रमुख सदस्य भी आ गए। 29 जुलाई को, जिस दिन गोयलजी का निर्वासन हुआ उसी दिन उनकी जगह कोई डिक्टेटर वना दिया गया होता तो गर्म लौहा रहते पाँच गिरफ्तारियाँ भी हो जाती तो उस सूरत मे उसे 'आन्दोलन' की संज्ञा मिल जाती। पर 29 तारीख से 4 तारीख तक गर्म लौहा रहते आन्दोलन का हथोड़ा न चला सकने वाले हम परिषद्वालों को अपनी उस भयंकर भूल का खामियाजा आने वाले वर्षो में वड़े पैमाने पर उठाना पड़ा।

वह सामन्ती युग था, जिसमें व्यक्ति का कम और घरानो का अधिक महत्व था। महाराजा के मंत्रीमंडल मे मंत्रियों को भी घरानों के नाम से नामांकित किया जाता था, जैसे गृहमंत्री हरासर के सामन्त घराने का जीवराजसिह था या सार्वजनिक निर्माण व शिक्षामंत्री दाऊदसर के सामन्त घराने का कवर जसवंतसिह था। प्रजा में डागा, दम्माणी, मोहता आदि घराणों की दृष्टि से राज्य-सभा के सदस्य, म्युनिसिपेलिटी के सदस्य अथवा ऑनरेरि मजिस्ट्रेट नामजद किये जाते थे। इस मौके पर इन तमाम घरानों के प्रमुख लोगों की सहायता से प्रजापरिषद् को दवा देने का प्रयास तेजी से शुरू हो गया। पुष्करणा समाज से जो लोग राजघराने से किसी प्रकार जुड़े हुवे थे उनका उपयोग भी दवाव डालने में किया जाने लगा और रिश्तों का प्रभाव भी काम में लाया गया।

व्यास महेशदासजी महाराजा के प्रमुख दरवारी थे, जोशी जगन्नाथजी कामदार थे जिनका प्रभाव जोशीवाड़े में वरता गया। पंडित सुजानमल पुरोहित, जो किसी समय महाराजा के गोलमेज कांफ्रेस मे इंगलैण्ड प्रवास के समय स्टेनोग्राफर थे और सन् 1942 में प्राईमिनिस्टर मान्धातासिंह के कार्यालय में उनके कानफिडेन्शियल असिस्टेन्ट थे, का प्रभाव जव काम में आया तो मुझ लेखक को इन सारी प्रक्रियाओं का व्यक्तिगत रूप से पता चला।

खादीभंडार के कार्यकर्ता के रूप मे नौकरी करने वाले शकर महाराज व्यास को उनके पिता के साथ वुलाकर सुजानमलजी द्वारा दवाव डाला गया कि वह परिषद् से

सम्पर्क न करे और खादीभडार की नोकरी छोड़ दें तो वदले मे राज की नोकरी मिल जावेगी। दोनो वाप-वेटो के वापिस घर आने पर शकर महाराज को वाप ने ऐसा ही करने के लिए समझाया तो उन्होंने खादीकार्य छोड़ने से इंकार कर दिया। इस पर पिता ने तैश मे आकर कहा 'तूँ माइतो की वात नहीं मानता है तो इतना तो करना कि जो भी काम करना वह डट कर करना और हम माइतो का नाम तो न लजाना।' शंकर महाराज को तो यही चाहिए था सो गुस्से में दिये गए आशीर्वाद के रूप में पिता से मिल गया।

इस मामले मे मेरी भी वारी आई। मेरी अर्जीनवीसी की सनद गोयल को स्टेशन पहुँचाने के झूठे आरोप पर छीनी गई थी। इसकी खवर अखवारों में महाराजा के अत्याचारों को गिनाने में छपी तो उन्हे लगा कि मेरे साथ अन्याय हो गया है। इस कारण से अव यह देशी व्यक्ति गोयल का साथ नहीं छोड़ेगा। महाराजा साहव की यह खुली नीति थी कि फूट डालने के लिए देशी और परदेशी के रूप में प्रजा का विभाजन कर दिया जाय और इसी के अनुसरण में मुक्ताप्रसाद की तरह गोयल को भी परदेशी कहकर यहां के समाज से अलग-थलग कर दिया जाय। चुनॉचे मुझे सुजानमलजी ने घर पर वुलाकर समझाया कि अन्नदाता को जाँच से पता लग गया है कि तुम्हारे साथ अन्याय हो गया है और वे एक देशी व्यक्ति के साथ अन्याय वर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम एक दरख्वास्त देदो कि मैं गोयल को पहुँचाने नहीं गया इसलिए सनद वहाल कर दी जाय, सो तुम्हारी सनद वहाल हो जावेगी। वे आगे वोले 'तुम तो अंग्रेजी पढ़े लिखे हो, चाहो तो राज की नौकरी भी मिल जावेगी और सव ठीक-ठाक हो जावेगा—वस केवल उस परदेशी का साथ छोड़ दो।' मैंने मन में सोचा कि मेरी इस अन्यायपूर्ण सनदजब्ती का इतना प्रभाव पड़ा है तो फिर मैं राजा के प्रशासन की इस वदनामी का लाभ जो प्रजा परिषद् को मिला है उसे क्यो नष्ट होने दूँ? मैने दो क्षण सोचकर जवाव दिया कि यदि महाराजा साहव को मेरे साथ अन्याय होने का यकीन हो गया है और वे इसे सुधारने के लिए कृपालु है तो फिर दरख्वास्त की क्या जरूरत है? प्रशासन तो स्वयं नजरसानी करके गलती सुधार सकता है। वे वोले 'तुम अभी बच्चे हो, विना पीड़ित व्यक्ति की दरख्वास्त के प्रशासन द्वारा कानूनन स्वय अपनी तरफ से 'सुओ मोटो नजरसानी' करके सनद तो वहाल की जा सकती है पर उस सूरत मे महाराजा साहव और उनके प्रशासन की 'प्रेस्टिज' का भी तो सवाल है।

मैने गंभीरता से सोचा कि इस सनदजब्ती से परिषद् के इस आरोप की पुष्टि होती है कि इस राज मे अन्याय होता है तो मैं परिषद् के इस आरोप को ज्यादा मजवूत और प्रमाणित होने देने में अधिक खुश हूँ—वजाय इसके कि भीख मांगकर नौकरी व सनद ले लूँ। मैने उनसे नम्रता पूर्वक निवेदन किया कि 'महाराजा साहव की प्रेस्टिज तो वहुत वड़ी है, उस का क्या वनना-विगड़ना है? पर प्रजापरिषद् और मेरी भी एक छोटी सी प्रेस्टीज है जिसे मैं खोने को तैयार नही हूँ। जिस मालिक ने जीवन दिया है वह रोटी भी देगा—जिसने चूँच दी है वह चुग्गा भी देगा।'

सुजानमलजी पुरोहित से जिस दिन सनद वहाली को लेकर बातचीत हुई थी, वह नौ अगस्त का दिन था। एक दिन पहले आठ अगस्त को कांग्रेस महासमिति के मुम्बई में हुए विशेष अधिवेशन में 'अंग्रेजो भारत छोड़ो' का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हो चुका था और नौ अगस्त को 'करो या मरो' के आह्वान के साथ राष्ट्रव्यापी आन्दोलन का बिगुल बज उठा था। गाँधी, नेहरू, पटेल सहित सभी को बन्दी बना लिया गया तथा समूचे देश भर मे नेताओं की धर-पकड़ की जा रही थी। राज्यों के नरेशों को भी ऐसी ही कार्यवाही अपने-अपने क्षेत्रों में शुरू करने के आदेश अंग्रेजी हुकूमत द्वारा जारी कर दिये गये थे। अपने आप को अंग्रेजी साम्राज्य का एक सुदृढ़ स्तम्भ मानने वाले महाराजा गंगासिंह इस अवसर पर पीछे कैसे रह सकते थे ?

दस अगस्त को प्रजापरिषद् के जो भी नेता, कार्यकर्ता या साधारण सदस्य पुलिस की नजर में आये उन्हें पकड़-पकड़ कर लालगढ़ ले जाया गया। सनदजब्ती के कारण लेखक कचहरी नहीं जाता था तथा बाबूजी के घर पर ही रहता था इसलिए पुलिस की नजर में नही आ पाया और पकड़ा नही गया।

बाद मे मुझे गंगादास कौशिक से पता चला कि उन्हें भी लालगढ़ ले जाया गया था जहां पहले से ही प्रजापरिषद् के नवघोषित डिक्टेटर वकील रामनारायण आचार्य व मत्री रावतमल पारीक लाये हुए मौजूद थे। इन तीनों पर परिषद् से संबंध विच्छेद करने व 'परदेशी' का साथ छोड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा था। कौशिक ने बताया कि महाराजा का दरबार बड़ा भव्य था, नागरिक पर विस्मय के साथ भयकारी छाप पड़ती थी। सिहासन पर महाराजा साहब, और उनके दायें-बायें मंत्रीमडल के लोग बैठे थे। बड़े अफसर, सेठ-साहूकार, राजसभा के नामजद और परोक्ष रूप से म्यूनिसिपल बोर्ड द्वारा चुनकर भेजे गये सदस्य, ऑनरेरि मजिस्ट्रेट आदि वहां मौजूद थे।

पकड़कर लाये गये लोगों को अनेक तरह से समझाया, धमकाया और फुसलाया गया। पदाधिकारियों पर माफीनामा लिखने का जोर दिया गया। इन सबका जब असर होता नही दिखा तो आगे इन्हे इस प्रकार समझाने की कोशिश की गई कि गाँधी द्वारा 'करो या मरो' के आह्वान के कारण हमें लालगढ़ लाया गया था और इस नारे के कारण उत्पन्न हुई स्थिति जब तक काबू में न आ जाय तब तक हमे अपने-अपने घरों मे नजरबंद कर दिया जायेगा। आगे हमें बताया गया कि अगर हम स्वेच्छा से हॉं भरें तो हमें सीधे ही अपने-अपने घर भेज दिया जावेगा वरना हमारे साथ सख्ती बर्ती जावेगी। न मानने पर तो फिर हमें गिराई में ले जाया जावेगा। कौशिक ने मुझे बताया कि उन्हे उस समय वनस्थली ट्रेनिंग कैम्प की पं. हीरालालजी शास्त्री की बात याद आ गई कि जिसमें उन्होंने बताया था कि राष्ट्रकर्मी लोगों को 'हुतात्मा' की वृत्ति के साथ 'कृतात्मा' की वृत्ति को भूलना नही चाहिए, यानी आजादी के लिए मरने की वृत्ति के साथ-साथ ही आजादी के लिए कुछ कर गुजरने का रास्ता निकलता हो तो निकाल ही लेना चाहिए। मैने घर में नजरबंद होना स्वीकार कर लिया और मुझे कोटगेट तक पहुँचा कर छोड़ दिया गया।

स्वदेशी भडार, कोटगेट पर सोहनलाल कोचर, सत्यनारायण पारीक, मुल्तान चंद दर्जी, शंकर महाराज, काशीराम स्वामी आदि सुबह से इंतजार कर रहे थे। पकड़ कर लालगढ़ ले जाये गये लोगो मे से मुझ एक को तो वापिस देखकर वे सब खुश हुवे पर मेरे द्वारा नजरवदी स्वीकार की वात सुन कर वे निराश भी हुवे। मै लालगढ़ का हाल बताते हुए धनजी माली के यहां मिठाई खा कर घर की ओर पैदल ही बढ़ चला। आगे ऑनरेरि मजिस्ट्रेट रामकिसन आचार्य उर्फ कलकतियाजी से भेट हुई और मुझ से लालगढ़ का हाल सुनकर वे बोल उठे 'तू तो वड़ो आदमी हुयग्यो रै, शाही कैदी बणग्यो। पैली तो राज वडै घरोणे रै लोगों ने नजरबंद किया करतो थो, आज तूँ बाँसू कम कोयनी।'

व्यग की भाषा में 'शाही कैदी' की बात सुन कौशिकजी को गौरव महसूस हुवा। पर रोटी-रोजी का जरिया बंद होने से घरवालों की भूखों मरने की नौवत आ गई, क्योकि नजरबंद होने पर वे घर से बाहर कमाई के लिए तो जा ही नहीं सकते थे। कौशिक जव घर पहुँचे तो एक सिपाही पहले से ही बीकानेर सुरक्षा कानून के अधीन नजरबदी आदेश व उसके साथ लगी पावदियो का परवाना लिये बैठा था जिसके अनुसार नजरवंदी काल में घर की चारदिवारी के अन्दर रहना था, घर में निजी कुटुम्बियों के अलावा और किसी का प्रवेश नहीं होने दिया जाता था। गैरो से संपर्क करने की मनाई थी व सुवह-साय दो वक्त कोतवाली जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी थी। उनके घर के आस-पास गुप्तचर छोड़ दिये गये।

स्वेच्छा से घर मे नजरबंदी की बात न मानने वाले रामनारायण आचार्य व रावतमल पारीक को गिराई ले जाया गया जहॉ उन पर दवाव डालना शुरू हुवा। इस पर भी वे डटे रहे तो स्वयं आई.जी.पी ने वहां पहुच कर उन्हें सूचित किया कि वे मान जावे तो ठीक है नहीं तो उन्हें बीकानेर मे नहीं रखा जावेगा और हनुमानगढ़ ले जाकर वहां नजरवद कर दिया जावेगा। इससे भी जव वे अप्रभावित ही रहे तो स्वेच्छा से डिक्टेटर वने आचार्य रामनारायण वकील के पिता हीरालाल नाजम को वहां बुला लिया गया और उनसे जोर डलवाया गया, जिसके फलस्वरूप वे पिता के साथ घर चले गये। उस दिन के बाद वे कभी परिषद् की तरफ मुँह न कर सके।

अव वहा गिराई मे रावतमल पारीक बिचारे अकेले रह गये थे, फिर भी वे टस से मस नही हुवे। अव उन पर आखिरी दाव फैंका गया। उन्हें वताया गया कि उन्हें हनुमानगढ़ में नजरवद करने के वाद उनके भाई मेघराज को तत्काल राज की नौकरी से हटाकर उनके साथ ही हनुमानगढ़ मे नजरबद कर दिया जावेगा। रोजी-रोटी से जुड़ी इस आखरी धमकी ने उनकी हिम्मत तोड़ दी। पीठ पर पड़ने वाली लात को तो वे बर्दाश्त करने को कटिवद्ध थे पर परिवार के पेट पर मारी जाने वाली क्रूर लात की कल्पना से उनका होसला टूट गया। इस में कोई शक नही कि इस के बाद भी वे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से परिषद् को प्रायः सदा सहयोग देते रहे।

श्री गोयल की हलचलें :

गोयल के निर्वासन के बाद एक पखवाड़े तक मेरे और बीवीजी के पास उनका कोई समाचार नहीं आया। पहले तो हम लोगों ने यह सोचा कि बम्बई अधिवेशन के बाद आगे का सामाचार मिलेगा। नौ अगस्त के बाद भी जब उनका कोई समाचार नहीं आया तो बीवीजी ने मुझे कुछ-न-कुछ करने को कहा। मैंने बम्बई व जयपुर में बाबूजी के जो भी हितैषी रहते थे उनके पते मालूम करके सब को अर्जेंट तार दिये और आतुरता के साथ जवाब का इंतजार करने लगा।

29 जुलाई को निर्वासन के बाद गोयल की गतिविधियो के बारे में गृह विभाग की गोपनीय फाइल सन् 1945/101 में आई.जी.पी. ने दर्ज किया है कि 30 जुलाई को जयपुर पहुँच कर गोयल ने वहां के प्रजामडल के प्रमुख कार्यकर्ताओं अर्थात वकील चिरंजीलाल मिश्र, हरीशचन्द्र शर्मा व भूतपूर्व वकील गणेशनारायण सोमाणी से भेंट की और उसके बाद वे जयपुर से अ.भा. चर्खासंघ के प्रदेश हैड-क्वार्टर गोविन्दगढ़-मलिकपुर पहुँच कर उसी शाम चर्खा-संघ के मुखिया देशपाण्डेजी के साथ जयपुर लौट आये और उसके अगले दिन अजमेर जाकर विजयसिंह पथिक से मुलाकात की। यह विजयसिह वही व्यक्ति है जिसने बीकानेर में राष्ट्रीय सप्ताह के अंतिम दिन होने वाली सभा को अन्यायपूर्वक प्रतिबन्धित करने के लिए बीकानेर-सरकार की कटु आलोचना की थी। 3 अगस्त को जयपुर लौट कर उन्होंने प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं की मीटिंग में भाग लिया जिस मे पं. हीरालाल शास्त्री ने बीकानेर की सहायता करने का प्रस्ताव स्वीकार किया मगर उसमें शर्त यह लगा दी कि अ.भा. कांग्रेस कमेटी के बम्बई अधिवेशन से पहले इस संबंध में जयपुर से कोई सक्रिय कदम नही उठाया जावेगा और न इस बारे में जयपुर से कोई मार्गदर्शन ही किया जावेगा। इसी दिन यानी 3 अगस्त की शाम को वे हीरालाल शास्त्री के साथ वनस्थली चले गये और 4 अगस्त को अ.भा. काग्रेस कमेटी के अधिवेशन में भाग लेने बम्बई के लिए रवाना हो गये। बम्बई से 11 अगस्त को जयपुर लौटे तब गोयल के साथ भादरा के खूबराम सराफ भी हो लिए थे। बम्बई से लौटते में रास्ते मे ये दोनों शख्स मुक्ताप्रसाद सक्सेना से भी मिलते आये। 13 अगस्त को रघुवरदयाल व खूबराम ने प्रजामंडल कार्यालय मे बैठकर बीकानेर में आन्दोलन चलाने के बारे में विचार-विमर्श किया। 14 अगस्त को दोनों गोविन्दगढ़ में देशपांडेजी से मिले। चार घंटे विचार-विमर्श के बाद 15 अगस्त को जयपुर प्रजामंडल की जनरल मीटिंग मे बीकानेर का प्रश्न रखने का निर्णय हुआ पर इसी बीच देशपांडेजी को गिरफ्तार कर लिया गया।

लेखक को गोयल का बुलावा

इधर बीकानेर से दिये गये तारों का तो कोई जवाब नही मिला पर 13 अगस्त को गोयलजी की जयपुर से चिट्ठी आ गई जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी को लिखा कि तुम लोग हिम्मत मत हारना। दाऊजी से कहना कि यहां जयपुर में मैं अकेला पड़ गया हूँ।

वे यहा आ जाये तो हम दोनो द्वारा प्रचार कार्य शुरू किया जा सकता है। आगे उस मे लिखा था कि जब पलाना में लोग इकट्ठे हुए थे तो मैने अपने सम्बोधन में कहा था कि आज मुझे महाराजा परदेशी कहकर जलील कर रहे हैं मैं परदेशी नहीं हूँ। भारत में रहने वाला कोई परदेशी नहीं है। यह देशी-परदेशी का गुच्छा छोड़कर महाराजा ने प्रजा में फूट डालने का तरीका निकाला है। गोयल ने आगे फिर लिखा कि जनमत बनाने के लिए मुझे सहायक की जरूरत है, दाऊजी या कौशिकजी आ जावें तो अच्छा है। कौशिकजी हिन्दी अखबारो को खबरें भेज रहे है और भविष्य मे भी भेज सकते हैं पर वे अंग्रेजी नहीं जानते हैं, दाऊजी अंग्रेजी जानते हैं इसलिए वे आजावें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

बीबीजी ने पूछा दाऊजी अब क्या करोगे ? मैंने कहा कि मेरे लिए बाबूजी को 'ना' कहने का तो सवाल ही नहीं है। यह सुनकर उन्हें हिम्मत मिली पर साथ ही उनके चेहरे पर निराशा ऊभर आई क्योंकि उन दिनो उस कुटुम्ब की सहायता के लिए मै ही उनके पास मौजूद रहता था। उन्होने पूछा 'अब हमारे पास कौन रहेगा ? मैंने कहा चौथानी ओझाओं मे रहने वाले शकर महाराज व्यास, जो खादीभंडार मे काम करते हैं, उनको कह दूँगा और वे आप सभी को संभालते रहेंगे। मैंने शंकर महाराज को साथ लाकर बीबीजी से रूबरू करा दिया जिससे बीबीजी को संतोष हो गया।

अब मुझे बीकानेर छोड़कर जाना था तो गोयलजी के मुंशी के नाते मुकदमों को दूसरे वकीलों को संभला कर व्यवस्था कर देना मेरा कर्त्तव्य हो गया। गोयलजी के साथी वकीलों से सम्पर्क किया तो बड़ा विचित्र अनुभव मिला। कई तो मुझे देखते ही घबरा जाते कि गोयल का मुंशी है उसके हमारे घर आने की रिपोर्ट अगर सी.आई.डी. ने कर दी तो मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ अन्य वकील ऐसे थे जिन्होंने एक निश्चित संख्या में गोयलजी के मुकदमें संभालने की हाँ भरली और अपने लिए कोई मेहनताना भी नहीं मांगा। कुछ दूसरे ऐसे वकील थे जिनकी मान्यता थी कि गरीबों के मुकदमो को वे बिना नया मेहनताना लिए सभाल लेगे पर जो समर्थ पक्षकार है उनसे नया मेहनताना क्यूं न ले लें ? मुकदमें मुफ्त मे लड़ने की रिपोर्ट राज्य के पास जाने से उन पर आफत आने की आशंका उन्हें सता रही थी। बहरहाल किसी न किसी तरह सारे मुकदमे दूसरों को संभला दिये गये। अधिक घबराहट महसूस करने वाले गोयल के साथी वकीलो का नाम बताना ठीक नही है पर जिन्होंने नया मेहनताना लेकर या बिना मेहनताना लिए साहसपूर्वक मुकदमे लिए उनके नाम इस प्रकार है—ईश्वरदयाल राजवंशी, लखपतराय गांधी, केवलचन्द बहड़, चेतनदास मूंधड़ा व मनोहरलाल मित्तल। इनमें से अधिकतर के पीछे सी.आई डी लग गई और कइयों की गोपनीय फाइलें खुल गई। मित्तलजी एक ऐसे वकील थे जिन्होने काफी मुकदमें संभाल लिए पर एक वकील के राजनीति में पड़ने को वे हमेशा बेवकूफी मानते रहे थे। उनका गोयल से मामे-बुआ का संबध था, आदतन खादीधारी भी थे, पर उन्होंने राजनीति से कोई लेन-देन नही रखा और वे मुकदमे लड़ने तक सीमित रहे।

एक मार्मिक प्रसंग :

गोयल के घर व मुकदमों की सार संभाल की व्यवस्था करने के बाद मैने जयपुर जाने की योजना माताजी व पत्नी को बताई। माताजी बहुत नाराज हुई। वे कहने लगी 'अब तक तो मैने तेरे को कुछ नहीं कहा। तूं जवान है, पढ़ा-लिखा है, समझदार है। पिता तो तेरे गये वर्ष स्वर्गवासी हो गये, चाचा से मुकदमेंबाजी चल रही है, मामा या भाई तेरे हैं नही। पहले तूने कचहरी छोड़ी, कमाई छोड़ी और घर छोड़कर रात-दिन गोयलजी के यहां रहने लगा और अब बीकानेर छोड़कर जयपुर जा रहा है।' उस समय मेरे एक साल का बच्चा अपनी मॉ की गोद मे था। बच्चे की माँ तो कुछ नहीं बोली, पर मेरी माँ कहने लगी, 'इसे किसके भरोसे छोड़कर जा रहा है? हम तीनों प्राणियों का क्या होगा?' माँ के मुँह से खरी-कड़वी बात सुनकर मन को झटका लगा पर दूसरे ही क्षण सोचा कि यह तो मोह का झटका है। इस झटके से एक बार गिर गया तो फिर कभी उठ नही पाऊँगा, 'राग रहित हो जनसेवा की शुभ अभिलाषा नमो नमः' वनस्थली वाले इस गीत की पंक्ति दिमाग मे कौंधी। अगले क्षण माता को एक कटुवाक्य कह दिया जिसे कोई भी माता कभी सुनना नही चाहती। उस वाक्य की याद मुझे आज भी वेदना दे रही है। मैने कहा, 'माँ तूं पूछती है कि हमारा क्या होगा, मै तुम से पूछता हूँ कि आज मैं मर जाऊँ तो तुम्हारा सब का क्या होगा?' मेरा अप्रत्याशित उत्तर सुनकर मॉ दंग रह गई। हताश होकर बोली' 'बेटा अब मुझे कुछ नहीं कहना है, जैसे तुझे ठीक लगे वैसा कर।' मैं उस दिन जयपुर रवाना हो गया। जयपुर पहुँच कर खेजड़े के रास्ते में स्थित जयपुर प्रजामंडल के नेता पं. हीरालाल शास्त्री के निवास स्थान पर पहुँचा। गोयलजी वहीं ठहरे थे। मेरा या कौशिकजी का वे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैने उन्हें बताया कि उन के जाने के बाद बीकानेर में क्या कुछ हुआ। घर की व्यवस्था शंकर महाराज द्वारा संभाल लेने की बात से वे संतुष्ट हुवे। कचहरी में वकीलों व मुकदमों की सुपुर्दगी की बात बताई। मैने उनको सूचित किया कि कौशिकजी की नजरबंदी के कारण उनका आना संभव नही था इसलिए मै आ गया। परिषद् के हालात सुनकर वे गंभीर हो गये। ऐसा लगा कि उनको झटका लगा है। मैंने बात बदलकर बाहर का हाल जानने की जिज्ञासा प्रकट की। उन्होंने बताया कि बम्बई रवाना होने से पहले वे राजपूताना के कई नेताओं से मिले जिन्होंने निर्वासन को लेकर प्रतिक्रिया व वक्तव्य प्रेस को दिए। अ.भा. नेताओं की प्रतिक्रिया वम्बई के कांग्रेस अधिवेशन में मिलने पर प्राप्त हुई। राजपूताना के अन्य नेताओं के साथ वे बम्बई गये थे। अधिवेशन प्रारम्भ होने से पहले नेहरूजी से मुलाकात हुई। उन्होंने अधिवेशन समाप्त होने के बाद वक्तव्य जारी करने का आश्वासन दिया। ता. 8 अगस्त को नेहरूजी ने मंच पर बुलाकर बीकानेर के बारे में विस्तार से बातचीत की। पर वक्तव्य जारी करने से पहले ही देश के सारे नेता जेल के सीकचो में बंद कर दिये गये। गोयल ने कहा कि बीकानेर प्रजामंडल के मुक्ताप्रसाद आदि नेताओं के निर्वासन के समय ब्रिटिश भारत में अनेक प्रांतों मे कांग्रेस की सरकारे चल रही थी

और युद्ध जैसी परिस्थिति नहीं थी, इसलिए भारतीय नेताओं का देशी रियासतों के आन्दोलनों को सहयोग मिल सका था, पर हमारी परिषद् ऐसे समय में अस्तित्व में आई जब युद्ध की आड मे महाराजा क्रूरता से अति क्रूरता पर उतर गये हैं और हमें भारतीय नेताओं से नैतिक समर्थन और सहयोग पाना भी असंभव हो गया है। ऐसी स्थिति में गुरु रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 'प्रतिपादित' 'एकला चलो रे' के मार्ग का अनुशरण ही उचित है। गाँधीजी के 'करो या मरो' को स्वीकार कर अन्याय के आगे न झुककर सत्य के आग्रह के साथ यानि सत्याग्रह के रास्ते पर हमे अग्रसर होना है।

गोयल ने मुझ से कहा 'तुम प्रेस का मोर्चा संभालो ओर मैं प्रधानमंत्री से पत्र-व्यवहार करके बीकानेर की जनता के आह्वान संबंधी सामग्री तैयार करता हूँ।' उन्होंने आशा व्यक्त की कि कौशिक तो नजरबंदी में रहते हुवे भी अपना काम कर ही लेगा। इस के बाद मैंने एक तरह से परिषद् के प्रचार मंत्री की तरह प्रेस का मोर्चा संभाल लिया और प्रचार कार्य शुरू हो गया।

माताजी का पत्र

कुछ दिनों बाद माताजी का पत्र आया। उसमें एक ऐसी ध्वनि निकल रही थी कि मानो माताजी को शंकराचार्यजी की वह उक्ति महसूस हो रही हो जिसमें उन्होंने कहा है 'कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति।'

'तेरे जचे जैसा कर' शब्दों को सुनकर ही मैं घर से रवाना हो गया था, माँ से आशीर्वाद भी नहीं माँग सका था, माँ के वात्सल्य ने हृदय में हिलौड़ा लिया और उसने लिख भेजा कि 'बेटा, तूं जहां भी है, सुखी रह।' इस छोटी माँ की चिन्ता छोड़ बड़ी भारत माँ की सेवा कर, पर राजी-खुशी का पत्र तो डाल दिया कर।' इस पत्र को पा कर मुझे अपार खुशी हुई। मैंने गोयलजी को भी वह पत्र पढ़ाया। वे भी बड़े खुश हुवे और शुरू में हम लोगों को बताई हुई बात को दोहराते हुए बोले 'दाऊजी, सामान्य सार्वजनिक लक्ष्य को लेकर चलने वाले दो प्राणियों की ऊर्जा की शक्ति एक और एक दो के बराबर न होकर एक और एक ग्यारह के बराबर हो जाती है और उस में तीसरा वैसा ही एकमना प्राणी जुड़ जाये तो वह एक सौ ग्यारह के बराबर हो जाती है। तुम्हारी माँ के इस आशीर्वाद को मै हम सबके लिए शुभ मानता हूँ।'

इसी पत्र में माँ ने आगे लिखा कि 'तूँ ने जब गोयल के साथ हर हालत में रहने का निर्णय कर ही लिया है तो हम भी तेरी इच्छा के विपरीत न जाकर तेरे काम मे अपने बूते सारू सहयोग करेंगे। तुझे तसल्ली होगी यह जानकर कि घर का कामकाज तो मेरी बीनणी ने संभाल लिया है और मैं पूजा-पाठ के बाद बचे समय में गोयलजी के घर बीबीजी को बस्ती कराने चली जाती हूँ। दो-चार घंटे उनसे बातचीत मे लगाकर बिखे के दिन मिलजुल कर काट लेते हैं। इससे दोनो गृहस्थियो का बिखा सोरा कट जाता है। आते समय वहा से छाछ ले आती हूँ जिससे साग-पात का खर्च बच जाता है।' माँ का

पीहर कोलायत तहसील के दासूड़ी गाँव मे था। यह चारणों का गाँव है इसलिए माँ वाक्‌पटु थी और हाजर जवाब भी।

खादी पर मारक प्रहार

1942 का अगस्त वीता, निर्वासन को एक महीने से अधिक हो गया था। गोयलजी को भी अपनी वापसी में हो रही देरी अखर रही थी। खवर मिली कि 7 सितम्वर के एक आदेश से खादीभंडार के तालावंदी कर दी गई। यह तालावंदी का आदेश वाद में 19 सितम्वर के राजपत्र में प्रकाशित हुवा। हम विस्तृत जानकारी के लिए प्रतीक्षारत थे कि इतने में 20 या 21 सितम्वर को अचानक खादीभंडार के व्यवस्थापक देवीदत्त पन्त वावूजी से आ मिले और उन्होंने तालावंदी की वावत जानकारी दी। पंतजी अपने साथ 19 सितम्वर का वह राजपत्र (गजट) लाए थे जिसमें तालावंदी का खुलासा किया गया था। इसमें वताया गया था कि खादीभंडार अ. भा. चर्खासंघ का अंग था और इसका ध्येय नागरिकों को पूर्णकालिक या अंशकालिक रोजगार प्रदान करना था किन्तु इसी वर्ष अप्रैल में भंडार द्वारा तथाकथित राष्ट्रीय सप्ताह में उक्त सप्ताह मनाने के नाम पर खादी से भिन्न कार्यक्रम रखकर 13 अप्रैल को आमसभा का आयोजन रखा जो इस के कार्यक्षेत्र से वाहर की वात थी। सभा पर रोक लगाने के वाद मौके पर सरकार का विरोध किया गया जिसे वर्दाश्त नही किया जा सकता। इन अवांछनीय क्रिया-कलापों के कारण सरकार को मजवूरी में तालावंदी करनी पड़ रही है। पंतजी ने कहा कि इस आदेश से दो समस्याए खड़ी हो गई हैं। पहली, स्टाक का क्या किया जाय तथा दूसरी शंकर महाराज, मालचद शर्मा, व्यासजी आदि स्टाफ के लोगों की रोजीरोटी छिन जाने का क्या हल निकाला जाय। ऐसे समय में कार्यकर्ताओं के पास सेठ रामगोपाल मोहता का एक संदेशा आया। सेठ मोहता हरिजनों व वुनकरों में तथा सूत का कपड़ा खड्डियों पर वनवाने व उसे विकवाने में दिलचस्पी रखते थे। उन का प्रस्ताव आया कि अगर पंतजी को यह स्वीकार्य हो कि खादी के साथ हमारी मिल के सूत से वुनकरो द्वारा तैयार देशी कपड़ा भी रखा जा सकता है तो वह खादीभंडार का स्टाक लेने को तैयार है। उनका प्रस्ताव था कि स्थानीय प्रशासन खादी भंडार के नाम से दुकान चलने नही देगा। इसलिए वीकानेर-वस्त्र-भंडार के नाम से उसी दुकान को चालू रखा जा सकता है तथा उसी स्टाफ को वे लेने को तैयार है। पर साथ ही उन की यह भी शर्त थी कि पंतजी को स्वेच्छा से वीकानेर छोड़ना पड़ेगा। पंतजी की समझ में आ गया कि यह प्रस्ताव सरकारी मंशा के अनुसार उनसे (पंत से) पिन्ड छुड़ाने के लिए है। उन्होने उक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया ताकि स्टाक और स्टाफ दोनों की सुरक्षा हो जावे। इसलिए पंतजी वीकानेर छोड़कर आ गये। उन्होंने गोयल से [illegible] गोविन्दगढ-मलिकपुर मुख्यालय चले जावेंगे और वहीं से परिषद् को सेवा देते रहेंगे। उन्होंने गोयलजी को सुझाव दिया कि अगर वे उचित समझें तो परिषद् का कार्यालय गोविदगढ स्थानान्तरित कर दे तो उस का काम भी वे संभालने को तैयार है। वीकानेर की इस कथा के वाद पंतजी ने वीकानेर मे प्रजापरिषद् के हालात वताये और गोयल [illegible] वीकानेर लौटने में जो विलम्ब हो रहा था उस के वारे में [illegible]

द्वितीय राजनीतिक सं[illegible]

के सुनाई। बड़े वेदना पूर्ण भाव से पतजी ने गोयलजी से कहा कि पलाना रेल्वे स्टेशन पर आपने आश्वासन दिया था कि निर्वासन आज्ञा को भंग कर के आप जल्दी ही लौटेंगे पर इस 'जल्दी' से आपका अर्थ क्या था यह जानना अभी बाकी है। एक महीने से ऊपर हो गया है और जो देरी हो रही है उससे वहाँ लोगों को मुक्ताप्रसाद की याद आ रही है जिन्होंने स्पष्टता पूर्वक कहा था कि जब मुझे राज यहाँ रहने देना नही चाहता तो मुझे क्या पड़ी है। पर आपने तो पलाना मे कहा कि भारतभूमि पर कोई भारतवासी परदेशी नहीं है और आपने घोषणा की थी कि मेरा यह शरीर बीकानेर के अन्न-पानी से बना है और मेरे इस शरीर के रक्त की एक-एक बूंद इसी के लिए समर्पित होगी। आपने जल्दी ही लौटने का कहा था। राजपक्षीय लोग इस 'जल्दी' का मजाक उड़ा रहे हैं। महाराजा के प्रशासन ने दासियो-भैसियो के जरिये, गोल्डन-जुबली के अवसर पर सुरेन्द्र शर्मा की मुखबरी कर उसे धोखे से फंसाने वाले रामलाल आचार्य व गंगादास गज्ञाणी आदि के जरिये यह प्रचार करना शुरू कर दिया है कि सन् 1936 में एक परदेशी नेता भागा था और यह दूसरा 'परदेशीड़ा' भी बंदर भभकी देकर गया कि जल्दी ही आऊँगा पर आज तक तो हिम्मत नहीं की। प्रचार किया जा रहा है कि अब क्या आता है, उस के बाल बच्चे भी भागने की तैयारी में हैं। इसलिए बीकानेर के लोगों को ऐसे 'हराम खोरों' की फांकी में नहीं आना चाहिए और उसके पिछलग्गू बनकर अन्नदाता की 'शामखोरी' नहीं छोड़नी चाहिए। पंत ने आगे और बताया कि लक्ष्मीदास 'अथक' व भिक्षालाल आदि ने आप के पलाना के शीघ्र लौटने के आश्वासन संबंधी उद्‌गारो को हस्तलिखित पेम्फलेटों के जरिए शहर की दीवारों पर अर्द्धरात्रि के बाद चिपकाने का काम किया है। तथा प्रशासन चिपकाने वालों की खोज कर रहा है। पंतजी ने बड़े ही भावपूर्ण ढंग से गोयलजी को बीकानेर लौटने का निवेदन किया और कहा कि आप जल्दी ही न लौटे तो वहां मायूसी घनीभूत हो जावेगी और फिर वर्षों जागृति नहीं आवेगी। पंतजी की राय में महाराजा गंगासिंह के दिन भी उतरते नजर आ रहे थे क्योंकि चूरू से खादीभंडार में आये खादी धारियों व अन्य विश्वसनीय व्यक्तियों ने उन्हें (पंतजी को) गंगासिंह के राज में भी विद्यार्थियों द्वारा हड़ताल किए जाने की चौंकाने वाली खबर सुनाई।

रियासत के विद्यार्थियों पर प्रभाव

गोपनीय फाइल 1942/45 के अनुसार चूरू हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने, जो आठवी, नवमीं, दसवीं में पढ़ते थे, नौ अगस्त को अंग्रेजो भारत छोड़ो आन्दोलन के कारण कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में दस व ग्यारह अगस्त को दो दिन तक स्कूल में हड़ताल रखी। प्रशासन चौंका। उसके फलस्वरूप कुछ अध्यापकों को और सर्वहितकारणी सभा द्वारा संचालित पाठशाला की एक अध्यापिका को नौकरी से निकाल दिया गया।

चूरू के विद्यार्थियों की हड़ताल की घटना तो महाराज के नाक पे घटी थी पर वास्तव में समूचे विद्यार्थी जगत मे 1942 के दमन से रोष व्याप्त था। गोपनीय फाइल 1943/29 के अनुसार बीकानेर के विद्यार्थियो के लिए काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय मे

कुछ सीटे रिजर्व रखी जाती थी। उच्च शिक्षा के लिए वहाँ रियासत से भेजे जाने वाले विद्यार्थियों को वजीफा भी मिलता था। ऐसे दो विद्यार्थियों का किस्सा प्रकाश में आया जिन्हें सन् 1942 के आन्दोलन में भाग लेने के कारण बनारस के कमीश्नर द्वारा रेस्टीकेट कर बनारस से निर्वासित कर दिया गया था और वे बीकानेर लौटने को मजबूर हो गये थे।

इन विद्यार्थियों में एक थे सत्यनारायण हर्ष जो प्रसिद्ध वैद्य गोपाललालजी के पुत्र थे। आने वाले समय में इन के बड़े भाई लक्ष्मीनारायण ने बीकानेर राज्य प्रजा परिषद् से जुड़कर हरिजन आन्दोलन में भाग लिया था व राजकीय गुन्डों की मार के शिकार हुए थे। ऐसे ही दूसरे एक विद्यार्थी सत्यप्रकाश गुप्ता थे। ये वकील बनारसीदास के पुत्र थे। सत्यप्रकाश के बड़े भाई गुरुप्रकाश गुप्ता बीकानेर के हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार के पद पर थे। इन्हीं सत्यप्रकाश के संपादन में आने वाले वर्षों में 'ललकार' नामक पत्र निकाला गया था।

इन दोनों के अलावा तीसरे विद्यार्थी हीरालाल दायमा कानपुर के विद्यार्थी संगठन से जुड़े थे तथा क्रांतिकारी दलों में 'इन्फोरमर' का काम करते रहे थे। सन् 1942 में वे क्रांतिकारियों को सूचना पहुँचाते हुए पकड़े जाने पर किसी तरह चकमा देकर अपने जन्म स्थान बीदासर में आ छुपे थे। वहाँ के नौजवान जागीरदार ने अपने डेरे में इस शर्त पर पनाह दे दी थी कि वे बीदासर में कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। उक्त हीरालाल ने तत्समय शांत रहने की हाँ तो भरी थी पर आदतवश वे शांत न रह पाये और बीदासर में पेड़ों पर हस्तलिखित नारे चिपकाने लगे। विचारे शरणदाता जागीरदार ने उनके पिता को सूचित किया और पिता ने बीदासर पहुँच कर उन्हें अपने साथ ले जाना उचित समझा। यही विद्यार्थी हीरालाल आगे चलकर एक कर्मठ कार्यकर्ता बना जिसे बीकानेर में राजद्रोह के मामले में कई वर्षो की सजा होने पर जेल में लम्बे अर्से तक दमन का शिकार रहना पड़ा।

लौटने में विलम्ब के लिए चौतरफ उपालम्भ

पंतजी के भरसक प्रयत्न के बावजूद गोयलजी ने, विलम्ब क्यों हो रहा है तथा वे कब लौटने का विचार कर रहे हैं, इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। पंत को चरखा संघ के प्रादेशिक मुख्यालय गोविंदगढ-मलिकपुर पहुँच कर अपनी हाजरी देनी थी इसलिए उत्तर के लिए और अधिक इंतजार किये बिना वे बैरंग लौट गये। इस चुप्पी का कारण मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा था पर यह मानकर मै कुछ नहीं बोला कि नेता की क्या योजना है यह उसे ही तय करना होता है, हम तो उनके अनुचर थे इसलिए हमारा कर्तव्य तो उनके बताये हुए मार्ग पर चलते हुए काम में लगा रहना ही था। पंत के जाने के बाद बीकानेर से एक ऐसा पत्र आया जिसके नीचे हस्ताक्षर नहीं थे और न नाम अंकित था। पर लिखावट देखकर मैं पहचान गया कि यह कौशिक की चिट्ठी है। इसमें अनेक छोटी-मोटी सूचनाओं के अलावा एक महत्वपूर्ण सूचना [illegible] [illegible] पारीक ने अजमेर में हरिभानजी आदि से बीकानेर के बारे में [illegible]

द्वितीय [illegible]

अलवर के नेता मास्टर भोलानाथ भी वहां आ गये थे। उन्होंने भी सत्यनारायण को यह कहा कि वे गोयल को संदेश भिजवावें कि एक महीने से ऊपर निर्वासन हो गया है अब लौटने मे शीघ्रता करनी चाहिए। देरी से आंदोलन पर बुरा असर पड़ रहा है। अजमेर में भोलानाथ जी से बातचीत के दौरान ही रामनारायण आचार्य वहाँ पहुँचे थे और गोयल के बारे में जानकारी चाही पर उनके पिछले व्यवहार के मद्देनजर गोयल के बारे में उन्हे कुछ भी बताना उचित नही समझा गया और वे चुपचाप चले गये। यह पत्र पढ़कर गोयल चिंतित लगे। उन्होने मुझे कहा कि बीकानेर लौटने से पहले यहाँ खाली न बैठकर जनता में वितरण के लिए हमें पेंफलेट भेजने चाहिएं। उनकी धारणा थी कि लेनिन, मैजिनी, मार्क्स जैसे लोगों ने देश से निर्वासित होने के बाद पेम्फलेटो के जरिए वैचारिक क्रांति का प्रयल चालू रखा था। अतः गोयल ने छोटे-छोटे पेम्फलेट डिक्टेट कराये तथा छपवाकर बीकानेर भेजने की व्यवस्था की।

शंकर महाराज की सेवा

अचानक एक दिन शंकर महाराज जयपुर आ पहुँचे। वे बेचैन थे तथा जल्दी ही लौटना चाहते थे। उन्होंने बताया कि वे अपने घर सूचना देकर नहीं आए थे। सी.आई.डी. की नजरों से बचकर वापिस शीघ्र निकल जाना चाहते हैं, क्योंकि वस्त्र भंडार जहाँ नौकरी करते थे, वहाँ भी अपने जयपुर प्रवास की बाबत कुछ मालूम नहीं होने देना चाहते थे। गोयल ने कहा कि इतनी जल्दी क्या है, क्या डर है, यदि इतना ही डर है तो फिर आए ही क्यो ? इस प्रश्न से वह कुछ दुखी हुए पर तत्काल उनके निकट सटकर बताया कि 'बाबूजी, कार्य कुछ ऐसा ही लेकर आया हूँ जो दूसरे किसी को सौपा नही जा सकता था।' आने का मकसद बताते हुए उन्होंने कहा कि बीबीजी कई दिनो से मुझ से आग्रह कर रही थी कि घर में पड़ी चांदी की दो सिल्लियों को बिकवा दो, वर्ना वह राज के पंजे से सुरक्षित नहीं है। यह काम दाऊजी को सुपुर्द किया था पर वे तो जयपुर चले गये इसलिए उन्हें बेचने से जो पैसा आवे उसे आप स्वयं जाकर जयपुर पहुचा देवें ताकि वनस्थली मे शिक्षा पा रही दोनों बच्चियों-चन्दो व सब्बो की पढाई चलती रहे, फिर बाबूजी अपने संघर्ष मे कहीं भी रहे ओर कुछ भी करे। 'सिल्लियों की विक्री में सफलता मिलने पर यह पैसा सुपुर्द करने आया हूँ। इस कारण शीघ्र लौटना है।'

यह बात सुनकर गोयलजी के चेहरे पर राहत दिखाई दी। रुपया मिलने के बाद शंकर महाराज से उन्होने सिल्लियों की बिक्री में सफलता की बात पूछी, क्योंकि बीकानेर मे यह काम आसान नहीं था। देरी का खुलासा करते हुए शकर महाराज ने बताया कि इस काम को करने मे अनेक कठिनाइयां आईं। पहली तो यह कि गोयलजी के घर के चारों तरफ सी.आई डी वालों का पहरा रात-दिन रहता था। उन लोगो की नजर से बचकर काम कर लेना सभव नही था। दूसरी, 'ये सिल्लियाँ गोयलजी की है,' यह मालूम पड़ने पर कोई सराफ खरीदने की हिम्मत कैसे कर सकता था ? और तीसरी, उन सिल्लियों को अपना बताकर बेचना भी संभव नहीं था क्योंकि बेचने वाले ही हैसियत का प्रश्न खड़ा हो जाता तथा बात पुलिस तक पहुँच जाती। खुशकिस्मती से एक दिन शाम को आठ बजे बारिश

शुरू हुई, घटो बरसती रही जिससे सड़कों व गलियों में कई इंच पानी भर गया। रात को बारह बजे तक बूंदा-बांदी चलती रही। लोग घरों में घुसे बैठे थे। रात को सोते-सोते विचार आया कि आज चारों तरफ पानी है, सी. आई. डी. वाले भी जरूर अपने घर चले गये होंगे। बारिश के दौरान बिजली भी गुल हो गई थी। आधी रात के बाद मैं लालटेन लेकर आपके घर गया। सी. आई. डी. वालों को न देखकर खुशी हुई। दरवाजा खुलवाया। बीबीजी से कहा कि आज मौका अच्छा है सिल्लियां दे दीजिए और फिर निश्चिंत हो जाइए, मैं अब इन्हें बेच दूँगा। मेरे साथ मेरे मित्र शंकर रंगा भी थे। हम लोगों ने एक-एक सिल्ली अपने-अपने कंधे पर रखी तथा वहाँ से मेरे घर ले आए। इन्हें बेचने में अपने रिश्तेदार धसरिया अचारज की सहायता ली जो कोटगेट के कछभुजिया वाले कटले में गुमाश्ते का काम करते थे। वे मालिक के बड़े विश्वास-पात्र थे। इसलिए उन धनवान कछभुजिया के माध्यम से सिल्लियाँ बिक सकी। वही पैसा लेकर आया हूँ। गिनकर मुझे इजाजत दीजिए। गोयलजी ने रुपये गिने और शंकर महाराज को लौट जाने की छुट्टी दे दी। दूसरे दिन बैंक में वह रुपया जमा कराते समय काउंटर पर उन रुपयो में से एक दस रुपये का नोट जाली होने के कारण पकड़ा गया। बैंकवालो ने पूछा कि यह नोट कहाँ से आया? गोयलजी वकील होने के नाते आसानी से कह सकते थे कि किसी मुवक्किल ने दे दिया होगा, याद रखना संभव नहीं है, तो बात वहीं खत्म हो जाती। पर अपनी साफगोई व सच्चाई की आदत के अनुसार बता दिया कि 'शंकरलाल महाराज व्यास लाए थे।' बैंक वालों ने नाम पता नोट कर लिया। उस समय तो यह बात खत्म हो गई, पर बाद में शंकर महाराज को सरकारी इन्क्वायरी से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बमुश्किल पिंड छूटा। पर शंकर महाराज व साथियों ने गोयल के ऐसे सत्यवचन से हुई परेशानी को इसलिए पचा लिया कि आजादी की इस लड़ाई में महाराजा गंगासिंह से सीधे टकराने का हौंसला केवल बाबूजी मे ही है। ऐसे में, ऐसे देशभक्त नेता के सहयोगार्थ कार्य करते हुए थोड़ा झुलस भी जायें तो हँसते हुए सह लेना चाहिए। गोयल की यह स्वभावजन्य सत्यवादिता कभी नहीं छूटी इसलिए व्यावहारिक राजनीति के मैदान में ऐसी अव्यावहारिक सत्यवृत्ति से कई मोर्चो पर उन्हें व उनके साथियों को आगे जाकर असफलता का सामना भी करना पड़ा। सौ टच सोने से तो कोई गहना भी नहीं घड़ा जा सकता। शंकर महाराज के लौट जाने के बाद गोयलजी के चेहरे पर राहत दिखाई दी। अब उन्होंने बताया कि वे शीघ्र ही निर्वासन आज्ञा तोड़ेंगे। निर्वासन आज्ञा तोड़ने से पहले वे बीकानेर के प्रधानमंत्री को एक विस्तृत पत्र लिखना चाहते थे। मुझे लगा कि बीकानेर लौटने में विलम्ब के अन्य किन्हीं कारणों मे से एक कारण यह भी रहा होगा कि सिल्लियों की बिक्री के अभाव में वनस्थली में पढ रही बच्चियों की व्यवस्था कैसे बैठे? तभी तो शंकर महाराज के जाते ही उनके दिमाग में बीकानेर जाने की रूपरेखा तुरन्त बननी शुरू हो गई।

निर्वासन आज्ञा तोड़कर राज्य में पुनः प्रवेश

शंकर महाराज के जाते ही गोयलजी के दिमाग में बीकानेर लौटने की [illegible] बननी शुरू हो गई। इसी के अन्तर्गत उन्होने राज्य के प्रधानमंत्री [illegible]

द्वितीय राजनैतिक [illegible]

कई पत्र लिखाए किन्तु प्राप्ति-सूचना या प्रत्युत्तर नही मिला। ऐसी स्थिति मे वे केवल संघर्ष के लिए ही संघर्ष लेना नहीं चाहते थे।

गोयलजी महाराजा द्वारा 1941 में 'जनता के अधिकारों की घोषणा' को मूर्तरूप दिलवाना चाहते थे ताकि रियासत की 12-13 लाख मूक जनता को बोलने, लिखने व सगठन बनाने का अधिकार मिले और वह भी शेष भारत के कोटि-कोटि लोगों के साथ राष्ट्र की आजादी की लड़ाई में हिस्सेदार बन सके।

गोयलजी मुझसे कहने लगे कि दुनियां को बताने के लिए महाराजा कैसी भी घोषणाएं क्यों न करें पर वास्तव में वे सन् 1939 में नरेन्द्र-मंडल की कांफ्रेंस में निर्मित अपनी नीति पर ही चल रहे है जिसमें उन्होंने अन्य राजाओं को भी सलाह दी थी कि वे अपने-अपने राज्यों में ब्रिटिश-साम्राज्य विरोधी किसी भी आन्दोलन को प्रश्रय नहीं पाने दें और ऐसी किसी गतिविधि को उत्पन्न होते ही कुचल दें जो राजाओं की एकछत्र व्यवस्था में न्यूनता पैदा करने में सहायक हो। गोयलजी कहने लगे कि जो दूसरे राजाओं को ऐसी सलाह देते रहे हैं वे खुद की रियासत में क्या कुछ नहीं करेंगे? यहाँ पर गोयलजी ने बीकानेरी कहावत को दोहराया जिसमे कहा गया है, 'हूँ, तो बिगाडूँ पाररो, अर ओ तो म्हारै घर रो।'

आगे वे बोले कि हमको अब नौ अगस्त के राष्ट्रीय आह्वान में जुड़ना ही है फिर चाहे हमारे साथ मुट्ठीभर लोग ही क्यों न हों और चाहे मुझे अकेले ही अपने आपको आहूति में क्यों न अर्पण करना पड़े।

इस मामले मे महाराजा गंगासिह की नीति की मुझे जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने चेम्बर आफ प्रिंसेस मे जोर देकर अपनी यह मान्यता रखी थी कि प्रजा मंडलों को तत्काल कुचल दिया जाय और राज्य के बाहर के आंदोलनकारियों, जिनको 'परदेशी' की संज्ञा देते रहे है, के साथ कड़ाई बरती जावे और उन्हे रियासत से बाहर निकाल दिया जावे। बाहरी आन्दोलनकारी, जिनका रियासत में कोई 'खूँटा' न हो तथा जो तथाकथित नेता का अभिनय करता हो, पर जो जनता की आँख में चढ गया हो, उसे तत्काल निर्वासित करके भगा दिया जाना चाहिए, और उस पर सोच-विचार करना ही नहीं चाहिए। ऐसे बाहरी नेता का साथ देने वाले 'देशी' आन्दोलनकारी भी राज्य की सत्ता के लिए घातक होते है फिर भी महाराजा गगासिह ने उनकी स्थिति को भिन्न माना क्योंकि उनका अपनी जन्मभूमि से लगाव होता है और उनके पीछे रिश्तेदारो और इष्ट-मित्रों का 'खूँटा' भी होता है। इसलिए उनके साथ भिन्न स्तर से व्यवहार करना चाहिए-उनकी तकलीफो को दूर करके आंदोलनकारी नेताओं से तोड़ लेना चाहिए और नौकरी-पद आदि देकर उनका मुँह बद कर देना चाहिए। आज गगासिंह यही कर रहा है। तुम्हें और शकर महाराज को सुजानमलजी की मार्फत खरीदने का ही तो प्रयत्न किया था। अन्यों को भी फुसलाया जा रहा है। इस तरह महाराजा ने 'देशी' और 'परदेशी' संज्ञा देकर जनता को दो खेमो मे बाटने की कोशिश की है। आगे वे कहते गये, 'मेरे पिता झम्मनलालजी यहीं वकील रहे तथा महाराजा द्वारा राज्यसभा में मनोनीत

सदस्य रहे, मैं उन्हीं का लड़का हूँ, पर वे तो 'देशी' माने जा कर राज्यसभा के सदस्य रहे और मुझे 'परदेशी' कहकर निर्वासित किया गया है। मै परदेशी नहीं हूँ, मै बीकानेर लौटूँगा और उसी मिट्टी में जीऊँगा और उसी में मरूँगा।' तत्काल ही उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम पत्र डिक्टेट करवा दिया। वे निर्वासन आज्ञा तोड़ने से पैदा होने वाले नतीजों को भुगतने को तैयार थे। गोयल ने लम्बा पत्र लिखवाया जिसमें अन्य बातों के साथ प्रजा परिषद् निर्माण के कारण देशी-परदेशी की 'फूट डालो और राज्य करो' नीति की भर्त्सना करते हुए यह सूचित किया कि 29 सितम्बर को वे पुनः राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। पत्र के मुख्य अंश निम्न हैं:

22 जुलाई, 1942 को राज्य-प्रजापरिषद् का जन्म हुआ जिसकी सूचना डाक से भेजी गई थी जिसका उत्तर 29 जुलाई को निर्वासन आज्ञा के रूप में मिला। उस आज्ञा में निर्वासन के लिए एक भी तथ्यात्मक कारण नहीं लिखा गया था बल्कि गोलमोल शब्दों में लिखा गया कि मेरा व्यवहार राज्य की शांति व अमनचैन के प्रतिकूल है। मैने उसी आज्ञापत्र पर ऐसी आज्ञा को न मानने की मेरी विवशता अंकित कर दी थी। आज्ञा को न मानने के कारण जो भी दंड हो उसे मै भुगतने को तैयार था पर जबरदस्ती मुझे कानून-विरुद्ध पकड़ कर निर्वासित कर दिया गया। बीकानेर-सुरक्षा-एक्ट अवहेलना योग्य ही है.... विशेषतया युद्ध पर जाने से पूर्व महाराजा की घोषणा जो 'सुरक्षा एक्ट' के बनने के बाद की है, उक्त एक्ट को मंसूख कर दिया जाना प्रगट करती है। मुझे गर्व है कि मैंने आज तक ऐसा कोई कार्य नही किया जो राज्य की शांति व अमनचैन में बाधा डालता हो। मेरे किसी भी कार्य को किसी भी स्वतंत्र न्यायकारी के सामने अशांतिपूर्ण प्रमाणित नहीं किया जा सकता। मेरा विचार चीलो स्टेशन पर उतरकर अगले दिन प्रातः पुनः बीकानेर रियासत में घुसने का था किन्तु विशेष कार्यवश मुझे जयपुर जाना ही था इसलिए उक्त विचार स्थगित करना पड़ा।

मै बीकानेर मे पैदा हुआ हूँ, वहीं जीऊँगा व वहीं मरूँगा। मेरे इस विचार में कोई बाधा नहीं डाल सकता। मेरे शरीर के भले ही टुकड़े-टुकड़े कर दिये जाये पर जीते-जी मैं बाहर रहने वाला नही हूँ।

मै चाहता हूँ कि हमें उल्टे समझने की बजाय हमारी भावनाओं को समझा जाय। मैं आशा करता हूँ कि सरकार दमन के मार्ग को छोड़कर उचित मार्ग पर आवेगी, समय की गति पहचानेगी और अपने आपको अनभिज्ञ और अज्ञानी साबित नहीं करेगी। भारत अब स्वतंत्र होने जा रहा है। भौगोलिक बनावटी टुकड़े उसके प्रभाव से अपने को बचा नही सकेगे।

प्रजा परिषद् निर्माण के कारण बताते हुए गोयल ने लिखा कि:-

मध्यपूर्व के युद्ध पर जाने से पहले सन् 1941 मे हुई घोषणा में प्रजा के नागरिक अधिकारो का अधिकृत ऐलान किया गया था, जबकि कार्यरूप में उसकी अवहेलना की जा रही है। खादी संबंधी बैठक को भी शांति भंग होने की आशका के

नाम पर रोक दिया गया। राज्यसभा की वैठके भी नाटकीय होती हैं, उनमे स्वतंत्र मत प्रगट करने की भी छूट नही है।

राज्यसभा के चुनाव में सच्चे जन-प्रतिनिधियो को कभी स्थान ही नहीं दिया जाता....सिर्फ पैसे वाले उसमे आ सकते है, जिन्हे जन-समस्याओं का कोई ज्ञान नहीं होता है-वे एक लाइन भी लिख या वोल नहीं सकते। नामजद सदस्य गले में वंधे वोझ के समान है जो हिलडुल नहीं पाते। जनता की आवाज ऊपर तक पहुँचाने का कोई अधिकृत तरीका नही है।

महाराजा ने स्वर्ण महोत्सव पर वरदान के रूप में वीकानेर शहर छोड़कर वाकी म्यूनीसिपैलिटियों को चुने हुए सभापति देने की घोषणा की थी पर वहाँ तहसीलदार या नाजिम ही सभापति वनते हैं। इनका ट्रांसफर होने पर नया आने वाला अधिकारी ही सभापति वन जाता है। क्या यही चुनाव है ?

जनता को उसके अधिकारों का ज्ञान कराने वाली कोई एजेन्सी नहीं है जिसका कारण पब्लिक सेफ्टी एक्ट है।

सारे महकमों में रिश्वत का जोर है। स्वतंत्र व्यापार पर मोनोपॉली सिस्टम की चोट पड़ रही है। व्यापारी वर्ग दुखी है। खादी पहनने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है, चोरी-डाको पर मौन धारण कर लिया जाता है। पट्टेदारों, जमीदारों और किसानों के तनावपूर्ण संवधों के कारण किसानों की सुनवाई नहीं होती। नित नये टैक्स लगते रहते है और लूटनेवालो को सरकारी संरक्षण मिला हुवा है। सेफ्टी-एक्ट में विना अपराध साबित हुए दंड दे दिया जाता है। गृह उद्योगों का ढिंढ़ोरा पीटा जाता है पर खादी उद्योग को बंद कर दिया जाता है। अकाल और जुवली के नाम पर इकट्ठे किये गये पैसों का हिसाब नही दिया गया। ऐसी तकलीफों को मिटाने के लिए ही परिषद् का गठन किया गया है, जिसे गैर कानूनी घोषित किए बिना ही गैरकानूनी जैसा उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है। सन् 1936 वाले प्रजामंडल को भी कभी विधिवत रूप से गैरकानूनी संगठन घोषित नही किया गया था पर उसके पदाधिकारियो को निर्वासित कर दिया गया था। ठीक वही अघोषित घोषणा परिषद् के खिलाफ कर दी गई है। बीकानेर के राजपत्र मे या किसी फाइल पर उसे गैर कानूनी अंकित न करते हुए भी उसके अध्यक्ष को सगठन निर्माण के एक सप्ताह बाद ही निर्वासित करना, उनके उत्तराधिकारियें व मंत्री को गिराई में ले जाकर शारीरिक यातनाएं देकर परिषद् से विमुख हो जाने को मजवूर कर देना व कोषाध्यक्ष गंगादास कौशिक को मैदान मे डटे रहने पर अपने ही घर में नजरबंद कर देना, परिषद् कार्यालय में बिना वारंट घुसकर रिकार्ड व कोष जब्त कर लेना तथा वोर्ड व झडा उठा ले जाना, परिषद् को अमली रूप से गैरकानूनी मान लेना नहीं तो क्या है ?

गोयल ने लिखा कि मैने वाहर रहकर पत्र-व्यवहार के जरिये सघर्ष टालने का कर्तव्य पूरा किया पर दूसरी तरफ से जवाव न देकर संघर्ष लादा जा रहा है। मेरे पास

एक सप्ताह वाद 29 सितम्बर को निर्वासन आज्ञा भंग कर पुनः बीकानेर प्रवेश के अलावा कोई विकल्प नहीं रहा है। मै आ रहा हूँ और गाँधीवादी प्रकिया के अनुसार पूर्व सूचना दे रहा हूँ।

इसके वाद गोयल ने बीकानेर की जनता के नाम 'नम्र निवेदन' शीर्षक से पेम्फलेट ड्राफ्ट करवाया। इस का श्रीगणेश 'इंकलाव जिन्दाबाद', 'प्रजा परिषद् जिन्दाबाद' के नारों से किया। इस निवेदन में बीकानेर वापिस लौटने में हुई दो महीनों की देरी का खुलासा करते हुए स्वीकार किया कि वहाँ से चलते समय उन्होंने कहा था कि वे बीकानेर से बाहर मौज करने नहीं जा रहे है, वहुत ही जल्दी लौटने का वादा किया था, वे काले कानून बीकानेर सेफ्टी एक्ट की अवहेलना कर अपने को पेश करेंगे तथा हर दमन का सामना करेगे, पर इस इरादे को उतनी जल्दी पूरा न कर सके जितना कहते वक्त सोचा था। उन्होंने खुलासा किया कि कुछ दिन तो साथी नेताओं से मिलने-जुलने में लग गये और कुछ दिन कांग्रेस के बम्वई अधिवेशन में। वम्बई से लौटने पर बीकानेर में हुई दमनकारी कार्यवाहियों की जानकारी मिली जिसमे कार्यकर्ताओं से दवाव व फुसलाव से माफी मंगवा लेना भी शामिल है। इसलिए यह निर्णय लेना पड़ा कि कुछ दिन बाहर रहकर जितना हो सके परिषद् को संगठित व मजबूत किया जाए। गोयलजी ने यह स्वीकार किया कि उन्हें यह मानने में संकोच नहीं था कि काफी अर्सा उन्हें निजी घरेलू समस्याओं को सुलझाने में लगा। पर वे समस्याएँ ज्यों-ज्यो सुलझाने की कोशिश करते, त्यों-त्यों उलझती जाती थी। सरकार के दमन का जिक्र करते हुए उन्होंने जनता को वताया कि अव वे सरकार की चुनौती को स्वीकार करने कि स्थिति मे है। सरकार ने परिषद् की गैरकानूनी संगठन घोषित करने का साहस न दिखाते हुए उसकी कार्यवाहियों को कुचलने की जो कोशिश की है उसका सामना करने व वलिदान देने के लिए वे अव तैयार हो चुके है।

'परिषद्' कैसी है तथा उसकी शक्ति क्या है? इस पर निवेदन किया कि वह बीकानेर की तेरह लाख जनता का प्रतिनिधित्व करती है और जनता के हृदय से निकली हुई उसके दुःख दर्दो की आवाज को संगठित रूप से वुलंद करने और इस अनुत्तरदायी सरकार के रवैये के विरुद्ध विरोध करने के लिए उत्पन्न हुई मूर्तरूप शक्ति है। यह किसी के निर्वासन, तलाशी या जव्ती या जवरदस्ती मंगवाई गई माफियों या इस्तीफों से मिटने वाली नहीं है। इसका जन्म जनता की भावनाओं का प्रतीक है। इसका विचार सरकार से संघर्ष में आने का नहीं था और न है, यह तो केवल महाराजा की घोषणा से प्रोत्साहित होकर जनता में सेवाभाव से उत्तरदायी शासन का प्रचार तथा विधान में लिखे दूसरे कार्यक्रमो पर रचनात्मक कार्यो द्वारा अमल कराना चाहती है। पर प्रशासन इसे कव सहन करता। उसने दमन की होली खेलना शुरू कर दिया और इसके ऊपर संघर्ष जवरदस्ती थोप दिया जिससे वह जानवूझकर वचना चाहती थी। और संघर्ष भी कैसा? स्वयं परिषद् के अस्तित्व को मिटा देने वाला संघर्ष। उन्होंने आगे कहा कि मेरा विचार अव भी सरकार से संघर्ष का नहीं है। इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने प्रधानमंत्रीजी को

पत्र लिखकर पुन' विचार कर उसे सुधार देने की प्रार्थना की थी, किन्तु खेद है कि कोई उत्तर ही नही मिला। अतः अब विवश होकर उन्तीस तारीख को निर्वासन आज्ञा भंगकर वे राज्य में प्रवेश करने को मजबूर हो गये है। उन्होने जनता को सूचित किया कि आइन्दा परिषद् का दफ्तर गोविंदगढ़-मलिकपुर, रियासत जयपुर में देवीदत्त पंत के पास रहेगा जिनसे सभी बीकानेर वासी बखूबी वाकिफ है। उन्होने माफी मांगने वालों का जिक्र करते हुए स्वीकारा कि यह सार्वजनिक जीवन पर एक बड़ा कलंक है। यह सही है कि बीकानेर के लिए यह नया काम था, परखे हुए कार्यकर्ताओं की कमी थी तथा अनुभवशून्यता का माहौल था। यह सब देखते हुए जनता जनार्दन उसे भुलादेगी ऐसी आशा व्यक्त की। इस सब का दोष उन्होंने अपने ऊपर ले लिया कि उन्होंने ऐसे कार्यकर्ताओं को विश्वास के योग्य मान लिया जो समय पर विश्वास को न निभा सके। उन्होंने अत में उन सब का आह्वान किया जो केवल अपने लिए नहीं जी कर मानते हैं कि व्यक्तियो के बलिदान से राष्ट्र जीया करता है। अंत में सब के सहयोग की याचना करते हुए लिखा कि जो भाई किसी कारण से सक्रिय भाग न ले सकते हों वे 29 तारीख को उपवास रखकर परिषद् को नैतिक बल प्रदान करें।

जनता के नाम उपरोक्त निवेदन ड्राफ्ट करवा देने के बाद बाबूजी ने मुझ से कहा 'तुम यही रहकर पब्लिसिटी का काम सभाले रहो क्योकि अंग्रेजी पत्रों पर भी तुम्हारी पकड़ ठीक है।' मैने हाँ भर दी।

लेखक को माँ का बुलावा और उसकी बीच में ही गिरफ्तारी

दूसरे ही दिन मेरे घर से चिट्ठी आई जिसमे माताजी ने लिखा था कि, 'बेटा, तुम्हारे पिताजी का आश्विन कृष्णा पंचमी को पहला श्राद्ध है।' यह तिथि 29 सितम्बर को ही पड़ती थी। आगे उन्होंने लिखा 'प्रथम श्राद्ध दिवस पर पिड-सराने तो आ जा, फिर भले ही तुरन्त वापिस चले जाना।' मैने चिट्ठी गोयलजी को पकड़ा दी। उन्होने उसे पढ़े बिना मुझ से ही पूछा कि क्या बात है मैने बताया कि मॉ ने पिताजी के प्रथम श्राद्ध पर बीकानेर अवश्य पहुँचने की आज्ञा दी है, और उसके बाद फिर वापिस तुरन्त लौट जाने की छूट भी दे दी है। बाबूजी ने मुस्कराहते हुए कहा,' 'दाऊजी, आप तो नितान्त भोलेपन की बात कर रहे हो, जरा सोचो तो सही कि एक वार वहाँ पहुँचने के बाद क्या राज वाले आपको वापिस लौटने का मौका देगे ? इस पर मैने नि संकोच होकर जवाब दिया, 'बंधन-रहित रहते पिड सराने न जाऊँ यह मुझ से कैसे हो सकता है ? हाँ बन्दी हो *जाने के कारण न पहुँचूं तो यह मेरी विवशता होगी*, पर उस सूरत मे घरवालो को संतोष तो होगा कि मजबूरी के कारण मै अनुपस्थित रहा।' इतनी स्पष्ट बातचीत के बाद गोयलजी ने मुझे रोकना उचित नहीं समझा और मै 27 सितम्बर को ही जयपुर से रवाना हो गया ताकि एक दिन पहले पहुँच कर 29 तारीख को दिवगत पिताश्री को अंजलि दे सकूँ। गाड़ी जब नागौर पहुँची तो मेरे मन में विचार आया कि जयपुर स्थित बीकानेर के *सी. आई डी. वालों ने मेरी रवानगी की सूचना अवश्य ही बीकानेर पहुँचा दी होगी और* मै स्टेशन पर ही धर लिया जाऊँगा। अत. प्रशासन को चकमा देने की नीयत से मैने

नागौर में ही उत्तर कर अगली गाड़ी से पहुँचने का निश्चय किया। सारा दिन नागौर में चक्कर लगाते हुए व्यतीत किया और शाम की अगली ट्रेन मे निश्चिंत होकर रवाना हुआ। जव ट्रेन बीकानेर पहुँचने को थी तभी अचानक वह आउटर सिगनल पर रुक गई। उत्सुकतावश मुसाफिर खिड़कियों में से झांक कर वाहर देखने लगे। मैंने भी खिड़की के बाहर सिर निकाला तो पाया कि एक थानेदार साहव और चार सिपाही मेरे डिव्वे की तरफ ही चले आ रहे थे। मैंने अपने डिव्बे में नजर डाली तो पाया कि मेरे ही डिव्वे मे बैठा हुआ एक सी. आई. डी. वाला खिड़की के बाहर हाथ हिलाकर उन्हे इसी डिब्बे की तरफ वुला रहा था। मै समझ गया कि जिसे मैं टालना चाहता था उसका न्यौता आ ही गया। थानेदार ने डिब्बे में आकर दरयाफ्त किया कि क्या दाऊदयाल मै ही हूँ। मेरे हाँ भरने पर उसने कहा कि वे मुझे गिरफ्तार करते है। मैंने पूछा कि किस कानून में? उत्तर मिला, कानून मत छांटिये, वस आप गिरफ्तार है, चलिए हमारे साथ'। डिब्बे से उतरते हुए मैंने उनसे निवेदन किया कि घरवाले पिताजी के पिंड सराने के लिए मेरा इंतजार कर रहे है। कृपया आप उन्हें इतना तो सूचित करने की कृपा करें कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है ताकि वे निश्चिंत हो जाये कि मैं जीवित तो हूँ। दरअसल 9 अगस्त को 'क्विट इंडिया' और 'डू और डाई' का नारा लगा था तथा उसके साथ ही देश में तोड़-फोड़ शुरू हो गई थी। रेलों की पटरियाँ तोड़ी जा रही थी, स्टेशन जलाये जा रहे थे। घरवालों को कही यह वहम न हो जाये कि मैं उन में शरीक हूँ। इसलिए यह सूचना घरवालों तक पहुँचा देने का मेरा आग्रह था, पर थानेदार ने तेवर वदला और कहा कि क्या तुमने हमको नौकर समझ रखा है? हम सूचना नहीं देंगे। मै किंकर्तव्य विमूढ हो गया। अचानक मेरे मन में आया कि एक नुस्खा तो मेरे हाथ मे है ही जिसके जरिये मै अपने आगमन की सूचना घर तक पहुँचा सकता हूँ : और मैंने जोर से 'इकलाव जिन्दावाद', 'रघुवरदयाल जिदावाद', 'प्रजा परिषद् जिन्दावाद' के नारे लगाने शुरू कर दिये। ट्रेन की भीड़ इकट्ठी हो गई वहाँ। थानेदार सकपका गया क्योंकि उसे इस वात की उम्मीद और कल्पना ही नही थी। मेरे हाथों में तो हथकड़ियाँ डाली हुई थी, पर मुँह तो खुला था। थानेदार ने मुँह में रूमाल ठूंसने का आदेश दिया पर मेरा संदेश पहुँचाने का कार्य तो संपन्न हो ही गया था, क्योंकि इस सारी ट्रेन मे सफर कर रहे लोगों में से कोई न कोई तो संदेश पहुँचा ही देगा। इन नारो की वावत और गिरफ्तारी की वात छुपी नही रहेगी।

गिरफ्तारी के वाद गिराई, जेल और काल कोठरी

गिरफ्तार कर मुझे जहाँ रात को ले गये उस जगह को मैने पहले कभी नहीं देखा था। सुवह उठा तो देखा कि वहाँ वड़ी चहल-पहल थी, जिमनास्टिक और खेल-कूद के कई साधन वहाँ मौजूद थे और वहाँ के जवान उन का उपयोग कर रहे थे। वहाँ घोड़े भी थे। एक रसोई घर भी था जिसे वे लोग 'मेस' कह कर पुकारते थे। मालूम हुआ कि इस स्थान को 'गिराई' कह कर पुकारा जाता था। राज्य की अतिरिक्त पुलिस का यह निवास स्थान था। रात को मुझे उन्ही कोठरियों में से एक में डाल दिया गया था जिनमे

जवान रहते थे। वे जवान जाट अथवा राजपूत मालूम देते थे। ऐसा लगा कि मेरी जनेऊ देखकर उनमे मेरे ब्राह्मण यानी पडत होने का भाव उभर आया था। खाने का समय हुवा तो जैसी रूखी-सूखी रोटी और दाल वनी थी परोस कर थाली मेरे सामने रखी और कहा, 'पंडितजी भोजन कर लीजिए।' मैने जब कहा कि स्नान के बाद भोजन करूँगा तो उन्होने पानी की एक वाल्टी ला रखी और मैंने स्नान करके भोजन कर लिया। मुझे बड़ा संतोष था कि कठिनाई की कोई वात नही नजर आती, यहाँ बैठे समय विताने मे क्या हर्ज है ?

तीसरे-चौथे दिन मुझे अपनी कोठरी मे सूचना दी गई की मुझे गिराई के इन्चार्ज बैरीसालसिह ने बुलाया है। उनके खूँखारपने की चर्चा पहले शहर में कई बार सुन चुका था। जब मै उनके ऑफिस के कमरे में पहुँचा तो देखा कि मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरे बहनोई व मेरा बच्चा सब वहाँ खड़े थे। माँ ने पास आकर पूछा 'बेटा, कैसा है ?' मैने कहा सब ठीक है, पर माँ का दिल था, वह रोई हुई सी लग रही थी, कहा 'अच्छी बात है। हमने तो दूसरे ही दिन होम-मिनिस्टर को मिलाई के लिए दरख्वास्त दे दी थी जिस पर आज हुकुम हुआ।' माँ ने बताया' पिण्ड तो तेरे चाचा ने सरा दिये। उनसे मुकदमेबाजी चल रही है, पर घर मे कोई दूसरा पुरुष तो था नहीं जो पिण्ड सराता। देवर से मैने कहा कि दाऊ तो पहुँचा नही है, भाई का पिण्ड अब तुम्हे ही सराना है और उन्होंने पिंड सरा दिये। अब तीन दिन बाद मिलाई की मंजूरी होम मिनिस्टर ने दी है। मुझे मतीरे का शौक था इसलिए माँ अपने साथ एक मतीरा लेती आई थी। बैरीसालसिह ने मुझे मतीरा नही लेने दिया। माँ वेचारी क्या करती ? मायूसी के साथ मतीरा उठाकर वापिस जाने लगी तो बैरीसालसिह ने कहा 'माँजी अपने इस लड़के को समझाती जाओ कि ठीक से काम करे।' माँ ने मेरी तरफ मुँह फेरा, पर कहा कुछ नहीं। वह चुप रही। तब उन्होंने फिर कहा 'इस नादान को समझाओ और सीधे रास्ते पे लाओ।' माँ फिर भी चुप रही। तीसरी बार फिर कहा 'तूँ सुन रही है न डोकरी ? इसको समझाकर सीधे रास्ते पर लाओ।' तब माँ को यह बार-बार कहना बुरा लगा और उसने जवाब दिया, 'क्या समझाऊँ ? मेरे इस लड़के ने कोई चोरी की है या किसी रांड को उठा लाया है, जो समझाऊँ कि यह बुरा काम मत कर। सब राजनीतिक काम है, करता है। अब मै क्या करूं ?' बैरीसालसिह को एक डोकरी से इस जवाब की अपेक्षा नहीं थी कि शहर की डोकरी से ऐसा जवाब मिलेगा। वह हतप्रभ रह गया। कहने लगा 'घाण का घाण बिगड़ा हुआ है, अच्छा माँजी जाइये।' माँजी चली गई।

वहीं गिराई में रोज थानेदारजी आते और कहते कि आप पुष्करणा हो और महाराजा का तो आप लोगो से बड़ा अच्छा संबंध है। आपके तीनधड़ी होती है, आपके सावे थपते है, इन सब मे महाराजा की सहायता रहती है। आप लोगों का उनसे पीढ़ियो का संबंध है जब कि 'वह' तो परदेशी है। मुक्ताप्रसाद गया तो फिर आया ही नही। ये भी चला जायेगा और तुम रोते रह जाओगे। दस-बारह दिन उन्होंने मुझे यही पाठ बराबर पढ़ाये रखा, पर मैने कभी कोई जवाब नही दिया।

जेल और काल कोठरी में

एक दिन रात को मुझे बंद मोटर में बिठाकर ले जाया गया और एक बिल्डिंग के सामने उतार कर उसके लौह के दरवाजे खुलवाकर मेरा उसमें प्रवेश करा दिया। अन्दर जाने के बाद मैं समझ गया कि यह जेल है। उस रात को मुझे जेल के अस्पताल में टिकाया। सुबह उठते ही जेल में ऊपर की तरफ एक कतार में कुछ तंग कोठरियां थी, उनमें से एक मे ले जाकर बैठा दिया। ये काल कोठरियां कहलाती थी जिनकी लम्बाई ज्यादा नहीं थी पर चौड़ाई तो बहुत ही कम थी। दिन में भी अंधेरा रहता था। जिस कालकोठरी मे मुझे रखा गया उसमें मिट्टी के पालसिये और मटकी रखी हुई थी। दो पालसिये देखकर मैने उसका कारण पूछा तो बताया गया कि एक में पिशाब करो और दूसरे में शौच। हवा-रोशनी नाम मात्र के लिए ही थी। मुझे इससे कोई घबराहट महसूस नहीं हुई क्योंकि शुरू से ही मै एकान्त प्रिय था। दोपहर मे खाना आया तो भूखों मरता मै उस पर टूट पड़ा। रोटी का टुकड़ा तोड़ा तो उसमें से एक 'इल्ली' नीचे पड़ी। दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो उसमें भी 'इल्ली', तीसरे में भी वही। महसूस हुवा कि इसमें तो इल्लियाँ भरी पड़ी हैं। मैने अपना गमछा बिछाया तथा रोटी के टुकड़े-टुकड़े कर डाले। 50-60 इल्लियाँ निकली उस रोटी में से। मैंने सोचा खाना तो यही खाना पड़ेगा क्योंकि भूखहड़ताल की ट्रेनिंग मुझे कभी नही मिली थी। रोटी के इल्ली से मुक्त इन टुकड़ों को साग से लगाकर खाने को तत्पर हुआ। साग मूली का था। ज्यों ही साग में कौर डाला तो एक मरे हुए टिड्डे की टाँग मेरे हाथ मे लगी। गहराई से देखा तो पूरा टिड्डा ही साग में पाया गया। बड़ी घृणा हुई। उस साग को छोड़कर रोटी बिना साग के ही खाकर क्षुधा शांत की। उसी दिन से नियम बना लिया कि रोटी आने पर नियमित रूप से उसमें से इल्लियाँ निकाल कर रोटियों को खाना और साग को छूना ही नहीं। जेल वालों से कह दिया कि साग खाऊँगा नहीं और रोटी चबा-चबा कर खालूँगा। एक रोटी इस तरह खाने में पूरा एक घंटा लग जाता। घूमने या टहलने जितनी जगह तो उस कोठरी में थी नही, पर खूब चबा-चबा कर खाने की मजबूरी के फलस्वरूप खाना पच जाता था। स्वास्थ्य भी ठीक रहने लगा क्योंकि शौच साफ आने लगा था। दस दिन हो गए वहां रहते। घरवालों ने गृहमंत्री को दरख्वास्त की कि मेरे खिलाफ कोई मुकदमा हो तो बताया जाय, सजा हो गई हो तो वह बताई जावे। जवाब मिला कि सजा भी नहीं और मुकदमा भी नही। तो दूसरी दरख्वास्त दी कि रोटी घर की खाने की छूट दी जाए। राज ने इसमें अपना लाभ ही देखा और इजाजत दे दी। सुबह-शाम घर से टिफिन आने लगा।

एक दिन अजीब बात हुई। टिफिन खोला तो पाया कि छोटी कटोरी मे रबड़ी थी, सागरी का साग था और रोटी भी चुपड़ी हुई थी। मैंने सोचा कि घर मे तो इतना साधन नहीं है फिर यह रबड़ी कैसे आ गई? टिफिन लाने वाले से मै पूछने ही वाला था कि दूर से आवाज आई 'दाऊजी मेरा टिफिन आपके पास आ गया मालूम पड़ता है।' आवाज गंगादास कौशिक की थी, यह मै पहचान गया। वे मेरी कोठरी से एक कोठरी छोड़, आगे की कोठरी मे रखे गये मालूम पड़ते थे। चूँकि हमे इस कालकोठरी से बाहर तो कभी निकाला ही नही जाता था इसलिए एक दूसरे की उपस्थिति अज्ञात रही। कौशिक ने मुझे पहचान [illegible]

द्वितीय राजनैतिक संगठन [illegible]

था। मैंने वापस पूछा कि मेरा टिफिन तुम्हारे पास आ गया होगा। उन्होंने हाँ कहा। इस तरह मुझे पता लगा कि कौशिक भी मेरी तरह ही कालकोठरी में रखे हुए हैं। कौशिकजी मेरे से कहीं अधिक चतुर थे। उन्होने रोटी देने को आने वाले जेल कर्मचारी को पटा लिया मालूम होता था। उन्होने चिट लिखकर मेरे पास भिजवाने की व्यवस्था वैठा ली। चिट भेज कर मुझे सूचित किया कि गोयलजी भी इसी जेल में है। इसलिए मै अपने आपको यहाँ अकेला न समझू। कुल 18 दिन मुझे कालकोठरी में रखने के वाद प्रशासन ने यह समझ लिया कि इन लोगो पर कालकोठरी और एकान्तवास का कुछ भी असर नही पड़ सका है। अत' वहाँ से उठाकर चौक मे स्थित तीन नम्वर की वैरक में डाल दिया। दूसरा कोई कैदी उसमें नहीं था, इतनी वड़ी वैरक में मै अकेला ही रहा। एक दिन कौशिक की चिट आई जिसमे मुझे सरकार से पढ़ाई के लिए किताबों की माँग करने की प्रेरणा दी गई थी। मैं भी प्रभाकर की परीक्षा के लिए उत्सुक था ही। मेरी माँग पर कागज और पेंसिल तुरन्त मेरे पास भिजवा दिए गये। उन्हें लगा कि शायद माफी माँगने के लिए चाहता होगा। मैंने सरकार को लिखा कि अव तक मुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगाया गया है, न अदालत मे कोई मुकदमा ही पेश हुआ है, किताबें दीजिए ताकि मै पढ़ाई कर सकूँ। उत्तर मे पत्र आया कि तुम्हें वजीफा देकर पढ़ाने के लिए जेल मे नहीं भेजा गया है। अलवत्ता धार्मिक किताबें चाहो तो वे दी जा सकती है। मैने 'कर्मयोग रहस्य' नामक किताव की माँग की तो उत्तर मिला कि वह तो वालगंगाधर तिलक की लिखी होने से राजनैतिक किताव है, इसलिए नहीं मिल सकती। मैने फिर 'अनासक्ति योग' का कहा तो वताया गया कि यह गाँधी द्वारा गीता पर लिखी टीका है इसलिए यह भी नहीं मिल सकती। आगे लिखा था कि राजनीतिज्ञों की नहीं; शुद्ध धार्मिक किताबे ही दी जा सकती हैं। अत में मैंने गीता के मूल श्लोकों की प्रति माँगी और गीता प्रेस गोरखपुर की दस पैसो वाली 700 श्लोको की किताव मुझे दे दी गई।

कौशिक का जेल प्रवेश कैसे हुआ ?

मुझे जेल मे डालने से पहले ही गंगादास को जेल में डाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने घर में नजरवंद रहते हुए भी वाहर के जगत से अपना संपर्क बनाए रखा और परिषद् के कार्यकर्ताओं को संघर्ष के लिए प्रेरित करते रहे। उन पर नजरवंदी के समय मे यह पावंदी लगा दी गई थी कि वे सुवह शाम रोज दो वक्त कोतवाली मे हाजरी दें। इस अपमानजनक हाजरी के आदेश की पूर्ति मे कौशिक घर से कोतवाली जाते व आते समय धीमी चाल से मार्ग तय किया करते थे तथा लोगों से बाते करते-कराते परिषद् की ज्योति प्रज्वलित रखने को प्रेरित करते रहते, क्योंकि उनकी धारणा थी कि एक न एक दिन सरकार उन्हे जेल मे डाल देगी। नजरवदी के दौरान भी उनके क्रियाकलाप बंद नहीं हो पाए थे। इसलिए उनकी क्रियाओं से परेशान होकर सरकार ने गोयल से पहले ही उन्हे जेल मे डाल दिया।

निर्वासन-आज्ञा भंग करने पर गोयल की गिरफ्तारी

पूर्वसूचना के अनुसार गोयल ने निर्वासन आज्ञा तोड़ कर चीलो स्टेशन से रियासत की सीमा मे ता. 29 सितम्वर को प्रवेश किया। गाड़ी नोखा पहुँची उससे पहले ही ट्रेन को

रुकवाकर वीच में ही उन्हे गिरफ्तार कर लिया गया। आगे का सफर कार में किया जाकर वीकानेर-जेल में प्रवेश कराया गया। गोयल को किसी खुली अदालत में पेश न कर, जेल में ही मुकदमे का नाटक रचा गया। 7 अक्टूवर को गोयल ने जेल में नियुक्त न्यायाधीश के समक्ष एक लिखित वक्तव्य 'वीकानेर पब्लिक सेफ्टी एक्ट' के वारे में दिया। उन्होंने लिखा कि महाराजा साहव की 1941 की जन-अधिकारों की उद्घोषणा के वाद यह एक्ट कायम नही रहता क्योंकि इस उद्घोषणा में वड़ी प्रतिज्ञाओं के साथ व्यक्तिगत अधिकारों तथा सत्वो की सुरक्षा का वचन दिया हुवा है। स्वतंत्रता से वोलने व पब्लिक-मीटिंग करने की आजादी दी हुई है फिर मेरे विरुद्ध निर्वासन-आज्ञा क्यों दी गई ? लौटने पर वीच में उतारा गया तथा व्यर्थ समय विताते हुए मानों किसी मुहूर्त को साधा जा रहा हो, रात को दो वजे जेल में दाखिल किया गया। जेल में ही अदालत की वैठक में आपको इस मुकदमे की सुनवाई के लिए न्यायाधीश वनाया गया है। आप स्वयं जानते हैं कि जेल में अदालत लगाने की कोई वजह अव तक फाइल पर है नहीं। यह वात दूसरी है कि सरकार, जिसके हुक्म से यह इस्तगासा आपके सामने पेश हुआ है, उसने आपको जेल में अदालत लगाने की हिदायत दी है। क्या यह सही नहीं है कि शुरू से ही वहैसियत एक इंतजामिया हाकिम के आप इस मामले से वाकिफ हैं क्योंकि आपने ही परिषद् के मंत्री रावतमल पारीक को बुलाकर उनसे इस संवंध मे पूछताछ की थी। नाजिम साहव को बुलाकर अपने सामने आपने ही वयान कलमवद करवाए थे। इसके वाद फिर तहसीलदार-सदर (वीकानेर) पलाना तक आपके ही हुक्म से मेरे साथ गये थे और मेरे लौटते समय नाजिम साहव देशनोक से जेल तक मेरे साथ थे। क्या ये दोनों वहैसियत आपके मातहत के ही मेरे साथ नहीं थे ? क्या इस संवंध की घटनाओं से आप परिचित नहीं हैं ? इन सव वातों की व्यक्तिगत और एक्स्ट्रा ज्यूडीशियल जानकारी होने पर भी क्या आप इस मुकदमे की न्याय की दृष्टि से सुनवाई कर सकते हैं ? इसका निर्णय आप स्वयं ही करें कि राज्य में जन-अधिकारों की घोषणा के 23 अक्टूवर, 1941 वाले फरमान से महाराजा ने निर्देशित किया है—'न्याय करने वाली अदालतों की स्वतंत्रता हमेशा अच्छे राज्य का 'थम्भा' माना गया है। हमारी रियासत में इंतजामी और ज्यूडीशियल कामों को जुदा कर दिया गया है और यह सिद्धान्त कायम किया गया है कि न्याय के मामले में कोई इन्तजामी रोक-टोक नही होगी और राज्य में इन्साफ सव के लिए वरावर है। अच्छे व सभ्य राज्य का यह भी मूल तत्त्व है कि स्वाधीन और लायक जज निष्पक्ष होकर न्याय करे, निडर रह कर इसके गौरव को वढ़ाए और हर आदमी के हको की रक्षा करे। निश्चयपूर्वक हम यह विश्वास दिलाते है कि हमारे राजघराने में इस नीति में फोरसार नही होगा'। मौजूदा मेरे इस मुकदमे मे राज्य और नागरिक के वीच इंसाफ की वात है। आप पर न्याय का दायित्व है और महाराजा की भी स्वतन्त्र न्यायालयों की घोषणा है ही।

अपने लंवे-चौड़े लिखित वयान का समापन करते हुए गोयल ने लिखा, 'प्रारंभ मे इस न्याय-नाटक में भाग लेने का मेरा विचार नही था क्योंकि मोहल्लत न मिलने व पैरवी की आजादी न देने की रुकावट है। यहाँ तक कि इस लिखित वयान को अंकित करने हेतु होल्डर-दवात की सुविधा न दिए जाने से मजवूर होकर यह वक्तव्य पेंसिल से

लिखकर पेश करने पर विवश हूँ। फिर भी मैने सोचा कि पैरवी न होने से इस मुकदमे का एक अंग खाली रह जायेगा, और नाटक पूर्ण नहीं लगेगा इसलिए मैने विचार वदला है। इस नाटक में क्या होने वाला है, यह मुझे मालूम है, आप तो निमित्त मात्र हैं।'

अदालत ने फैसला सुनाने की तारीख 13 अक्टूबर, 1942 तय की।

निर्वासन-आज्ञा भंग कर राज्य मे प्रवेश का अपराध तो गोयल पर था ही महाराजा का क्रोध गोयल पर इसलिए अधिक था कि उन्होंने 'अंग्रेजो भारत छोड़ो' और 'करो या मरो' का राष्ट्रव्यापी संदेश देने वाले कांग्रेस के वम्बई अधिवेशन मे भाग लिया था, जो ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुला विद्रोह माना गया था। महाराजा साहव अपने आप को ब्रिटिश साम्राज्य के एक प्रमुख स्तम्भ मानते थे। वीकानेर रियासत के नागरिकों के उसमे भाग लेने को महाराजा ने सम्राट के प्रति अपनी वफादारी में कमी प्रकट करने वाला चिह्न मान लिया था, इसलिए गोयल व अन्य नागरिकों के खिलाफ वे खार खाये बैठे थे। इस अधिवेशन में वीकानेर के कितने नागरिकों ने भाग लिया इसका तो पता नहीं पर दो नागरिक उनकी पकड़ में आए। उनमें एक थे चुरू षड्‌यंत्र-केस में सजा काटकर आए भादरा के खूबराम सराफ और दूसरे नोहर के मालचंद हिसारिया। हिसारिया परिषद् के गठन के समय से ही गोयल के विश्वसनीय साथी रहे। वम्बई अधिवेशन के वाद जव इन दोनों ने रियासत में प्रवेश किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मालचंद को नोहर में पकड़ कर थाने में पिटाई की गई और एक झूठे मुकदमे में फँसा कर प्रताड़ित किया गया और खूबराम सराफ को बीकानेर पहुँचने पर 14 अगस्त को गिरफ्तार कर महाराजा के सामने पेश किया गया और उसके बाद डी आई.आर. में अनिश्चित काल के लिए नजरबंद करके जेल मे डाल दिया गया।

ऑचलिया को सात साल की सजा

इसी अरसे मे वेशभूषा से और व्यवहार से सौम्य नजर आने वाले एक पुरुष को वीकानेर-जेल में प्रविष्ठ कराया गया जिसका नाम था नेमीचद ऑचलिया। बाद मे पता चला कि यह ओसवाल जैन ऑचलियाजी सरदारशहर के थे तथा जनता के अभाव-अभियोगो को लेकर उन्हे पहले भी कई बार राज्याधिकारियो के कोप का शिकार होना पड़ा था। उन्होंने महाराजा की स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध जनता को जागरूक व संगठित करने का काम किया था। महाराजा सबक सिखाने के फिराक में थे। 1942 की अगस्त-क्रांति के समय अजमेर से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक 'राजस्थान' में यहाँ की अंधेरगर्दी पर इनका एक लेख प्रकाशित हुवा, जिसे राजद्रोहात्मक करार देकर उन्हे गिरफ्तार कर लिया गया तथा मुकदमे का नाटक करके सात वर्ष की सजा दे दी गई। सरदारशहर और वीकानेर में आँचलिया को हथकड़ियां लगाकर घुमाया गया। इन्हें राजनैतिक कैदी न मानकर, पांवों मे वेड़ियां भी डाल दी गई और कालकोठरी मे पटक दिया गया।

वर्षगांठ के वहिष्कार से महाराजा को ठेस

इसी अरसे मे सारी क्रूरता के वावजूद क्रांति वर्ष की हवा ने राज्य की सीमाओं की अवहेलना कर विद्यार्थी-वर्ग को उद्वेलित कर दिया। सरदारशहर हाईस्कूल के

विद्यार्थियों ने दो अक्टूबर को स्कूल में गांधी-जयंती मनाने की योजना बनाई थी पर चूँकि-उन्हे गाँधी-जयन्ती मनाने नहीं दी गई तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप विद्यार्थियों ने स्वयं महाराजा की वर्षगांठ का उत्सव मनाने के स्कूल के आयोजन का बहिष्कार करके अपना रोष जताया। गृह विभाग की गोपनीय फाइल 1942/75 के अनुसार लालगढ़ मे इस खबर को गंभीर माना गया, पर छात्रों पर राजद्रोह का मुकदमा चलना संभव नहीं था। इस कारण सरकार ने चुप्पी धार ली पर विभागीय कार्यवाही कर विद्यार्थियों को दण्डित किया गया। राधाकिसन चांडक, मोहनलाल ब्राह्मण, मूलचंद सेठिया व दीपचंद नाहटा को उकसाने वाले विद्यार्थी मानकर स्कूल से निकला दिया गया। बाद में पता चला कि इस घटना क्रम में प्रेरणा के स्रोत पं. गौरीशंकर आचार्य (अध्यापक) थे। वे जहां रहते थे राष्ट्रीय विचारो का प्रचार करने से नहीं चूकते थे। किन्तु रियासत के लिए एकदम नवीन घटनाक्रम से महाराजा साहब को ऐसा दिमागी धक्का लगा कि जो उनके स्वास्थ्य पर अपना असर बताने लगा और वे अस्वस्थ ही रहने लगे। उन दिनों बीकानेर की जनाना अस्पताल की मुख्यचिकित्सक डा. शिवाकामू थी। यह महाराजा के मुँह लगी थी और महाराजा साहब से उसके निजी संबंध प्रजा में खुली चर्चा के विषय थे। उसकी राय के मुताबिक महाराजा साहब अपने इलाज के लिए बम्बई न जाकर डा. शिवाकामू के साथ मद्रास चले गये पर वहाँ अधिक सफलता नही मिली। वापिस लौट कर उन्होंने भादरा के खूबराम सराफ को, जो अनिश्चित काल के लिए नजरबंद कर दिए गये थे, रिहा कर दिया पर सरदारशहर के ही सेठ नेमीचंद आँचलिया को, जो हथकड़ियों और बेड़ियों मे जकड़कर कालकोठरी में डाल देने से बहुत सख्त बीमार हो गये थे, नहीं छोड़ा। इसी अरसे मे शीतलाप्रसाद नाम के एक कायस्थ दर्जी थे, उनको और उनकी धर्मपत्नी को चौबीस घंटे के भीतर रियासत छोड़ने को मजबूर किया गया क्योकि उस दम्पति पर गोयलजी से संबंधित होने का शक था।

गोयल और गंगादास को सजा

इधर जेल मे गोयल, गंगादास और मुझ दाऊ दयाल, हम तीनों पर सख्ती बरती जाने लगी। मुझ पर तो किसी अपराध का इल्जाम ही नहीं था इसलिए मैं तो बिना मुकदमे ही जेल में पड़ा सड़ रहा था और गोयल तथा गंगादास पर बीकानेर सुरक्षा एक्ट के अन्तर्गत दी गई आज्ञाओं की अवहेलना करने के अपराध मे मुकदमा चलाया जा रहा था।

गोयल के मुकदमे के फैसले की 13 तारीख आ गई। डिस्ट्रिक्ट-मजिस्ट्रेट बिशनदास चौपड़ा ने उन्हे एक वर्ष की सख्त कैद और एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुना दी और उसके बाद इसी प्रकार की नाटकीय कार्यवाही करके गंगादास को छः महीने की सख्त कैद और पाँच सौ रुपयो के जुर्माने की आज्ञा सुनाई गई।

गोयल की भूख हड़ताल

सजा सुनाने के बाद उनके घर के कपड़े उतारकर साधारण कैदियों के कपड़े पहनाये गये। जेल मे खूंखार कैदियों की पहचान के लिए उनके पैर में एक लौहे का

कड़ा डाला जाता था और गोयल को उसी श्रेणी का कैदी मानते हुए पैर मे लौहे का कड़ा डालने का प्रयास किया गया। गोयल द्वारा इसके विरोध के बावजूद कि मैं राजनैतिक कैदी हूँ इसलिए कड़ा नहीं पहनूँगा, जबरदस्ती उन्हें लौहे का कड़ा पहना ही दिया गया। पाशविक बल के आगे गोयल का विरोध धरा रह गया पर गोयल ने गाँधीवादी तरीके पर चलते हुए भूख हड़ताल के रूप में अपना विरोध कायम रखा और उसी दिन यानी 13 अक्टूबर से भोजन लेना बंद कर दिया। महाराजा गंगासिंह का प्रशासन चाहता था कि गोयल के साथ सख्ती का बर्ताव चालू रखा जाय, और भूख हड़ताल की खबरें बाहर की दुनियां तक पहुँचने से रोकी जावे। सब तरह से घोर सख्ती बरती जा रही थी पर कमाल है साथी गंगादास कौशिक का जिसने अदर बैठे ही बैठे ऐसी व्यवस्था कर ली कि भूख हड़ताल के समाचार राष्ट्रीय और प्रादेशिक अखबारों में छपने शुरू हो गये। महाराजा का प्रशासन भौंचक्का रह गया और पूरी सख्ती और खूब खोज पड़ताल के बाद भी सरकार कुछ भी पता न लगा सकी कि खबरें कैसे जेल से बाहर पहुँच रही हैं।

बाद में गंगादास ने मुझे बताया कि जेल से अखबारों तक खबर पहुँचाने के लिए किस तरकीब से काम लिया गया। जेल में एक हैड वार्डर थे मोतीसिह। हैडवार्डर होने के नाते वे जेल की सारी बैरकों को रोज के रूटीन में संभालने के जिम्मेदार थे। इस तरह हम सब के बैरको को प्रायः रोज संभालते रहते थे और एक-दूसरे बैरक के समाचार सहज रूप से एक दूसरे कैदी तक पहुँचा सकते थे। बीदासर के नौजवान जागीरदार, जिसने कानपुर के हीरालाल शर्मा को इसी 1942 के वर्ष में अपने गढ़ में चुपचाप शरण दी थी, की तरह वे भी महाराजा के किसी आदेश से मन में पीड़ित थे और कभी-कभी अपनी व्यथा को गंगादास के सामने व्यक्त कर देते थे। गंगादास ने उनसे वादा किया था कि जेल से बाहर निकलने पर हम प्रजापरिषद् वाले सब पीड़ितों की तरह से इनकी भी हर तरह से मदद करेंगे और बदले में उन्होंने गंगादास को जेल में कागज पैंसिल मुहैया करा दी। जिससे इन्हीं मोतीसिह हैडवार्डर की मार्फत सारे समाचार प्राप्त भी करते थे और उन्ही की मार्फत बाहर भी भेज देते थे। गोयल और गंगादास को तो सजा होने के बाद घर की रोटी बंद कर दी गई थी और जेल का खाना ही मिल सकता था पर मेरे पर तो कोई मुकदमा ही नही था इसलिए मेरा खाना रोज घर से बराबर आ रहा था।

सजा होने के दिन से पहले-पहले गोयल के लिए उनके घर से खाना आता था और वह टिफिन गोयल के घर मे काम करने वाली माँजी, जो विधवा थी के पुत्र काशीराम स्वामी द्वारा लाया और ले जाया जाता था। माँ के नाते से गोयल के सम्पर्क में आने वाले 16 साल की उम्र के काशीराम मे देशभक्ति की भावना ओत-प्रोत थी इसीलिए उसने यह जोखम भरा काम स्वेच्छा से स्वीकार किया था हालांकि सी.आई.डी. वालों ने अनेक धमकियां दी थी पर वह नहीं डरा। सजा सुनाने के बाद घर का खाना नहीं मिल सकता था। मेरे पर कोई मुकदमा न होने से मेरे को घर का खाना मिलता रहा और इस युवक ने गोयल के बाद मेरा टिफिन लाना ले-जाना शुरू कर दिया। मोतीसिह हैडवार्डर खाली टिफिन वापिस देता तब गगादास की चिट उसमे डाल देता। काशीराम

उसे सीधा कोटगेट पर रामरिख पहलवान की पान की दुकान पर चुपचाप पहुँचा देता जहां से रामरिख रावतमल पारीक को पहुँच देता और इस तरह रावतमलजी आगे अखवार तक खवरें भेजने की व्यवस्था कर देते थे और इस तरीके से अवाध गति से वाह्य जगत को भूख-हड़ताल की खवरें मिलने लगी।

एक सुखद प्रसंग :

अखबारों में गोयल के भूख-हड़ताल की खवर आई तो मेरे घरवाले भी घवराये कि कहीं मैं भी भूख-हड़ताल न कर बैठा होऊँ। होममिनिस्टर से मिलाई की इजाजत लेकर एक दिन मेरी वूढ़ी माँ, जवान पत्नी, एक वर्ष का छोटा पुत्र और वहनोई मिलने आए। उन्होंने आते ही पूछा कि खाना खाते हो या खाली टिफिन भेजकर धोखा देते हो ? मैंने विश्वास देकर उन्हें लौटा दिया कि मेरे भूख-हड़ताल नहीं है, चिंता न करें।

इसके वाद एक वड़ी सुखद घटना हुई। मै घरवालों से मुलाकात के वाद अपनी वैरक की ओर जाने लगा तो मेरी पत्नी की आवाज आई 'अजी सुनो तो'। वह वापिस लौट के आई थी यह देखकर मेरा हृदय धक-धक करने लगा कि अभी-अभी गई थी तो वापस क्यों आई ? क्या कोई तकलीफ विशेष है ? क्या तेल-लूण-लकड़ी की समस्या है ? क्योंकि घर की हालत तो फाकामस्ती की ही थी। वहुत चिंतित और व्यग्र होकर मैने पूछा 'क्यों क्या वात है ? वापिस कैसे लौटी ?' जवाव आया, 'मै तो यह कहने वापिस आई हूँ कि तुम अपने काम में डटे रहना—हमारी और माँजी की तरफ से कोई फिक्र नही करना, हम अपना काम वखूवी संभाले हुए है।' यह कहा और लौट गई। उस एक मिनट की एकान्त की मुलाकात ने मेरा हौसला इतना वढ़ाया कि वह आने वाले दिनो में मेरा संवल सिद्ध हुवा। उसके लौटकर पुकारने से जो आशंकाएं उठी थीं वे निर्मूल सिद्ध हुई।

भूख-हड़ताल पर प्रेस वक्तव्य

वाहर के जगत में, ज्यों-ज्यो भूख-हड़ताल लम्वी होती जा रही थी त्यों-त्यों चिंता भी वढ़ती जा रही थी। जयपुर के पं. हीरालाल शास्त्री, जोधपुर की लोक परिषद् के अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद् के महामंत्री श्री जयनारायण व्यास, भरतपुर राज्य प्रजा परिषद् के अध्यक्ष पं. रेवतीरमण, शारदा एक्ट के प्रणेता एव राजपूताना मध्य भारत देशी राज्य प्रजा परिषद् अजमेर के प्रधान कुंवर चादकरण शारदा आदि के वक्तव्य वरावर आ रहे थे जिनमे बीकानेर नरेश की दमन-नीति की निन्दा करते हुए यह मांग की जा रही थी कि जब देश की सभी रियासतों में अब राजनैतिक बंदियों की अलग श्रेणी मान कर वैसा ही वर्ताव किया जा रहा है तो उसी समय बीकानेर के वड़वोले महाराजा साहव गोयल के पैरों में खूँखार डाकुओं के पैरों मे डाले जाने वाले लौह के कड़े जवरदस्ती पहनाकर रियासत की प्रजा के एक सेवक के जीवन के साथ जो खिलवाड़ कर रहे है यह अत्यन्त निंदनीय है और साथ ही यह चेतावनी भी दी कि अगर गोयल के जीवन पर वन आई तो उसकी सारी जिम्मेदारी महाराजा साहव की होगी और उसके नतीजे अच्छे नही होगे।

जेल के अन्दर की भूख हड़ताल के कारण रियासत मे सहानुभूति वढ़ रही थी। इसका एक फल यह हुआ कि प्रजा-परिषद् के जो दूसरे लोग जेल से वाहर थे उन्होंने प्रजा-परिषद् की सदस्यता वढ़ाने का अभियान जोरों से शुरू कर दिया। इस कार्य में किशनगोपाल गुट्टड़ महाराज, घेवरचन्द तम्वोली, श्रीराम आचार्य ने अच्छी प्रगति की। पर सवसे अधिक सफलता श्री गोपाललाल दम्माणी ने प्राप्त की। श्री दम्माणी ने मुलतान चंद दर्जी, पन्नालाल राव्ते वगैरा कई लोगों के साथ-साथ पुराने योद्धा श्री मघाराम वैद्य व उनके पुत्र नारायणराम शर्मा को भी प्रजा-परिषद् का सदस्य वना लिया। 22 जुलाई 1942 को प्रजा-परिषद् के निर्माण के दिन से पुराने प्रजा-मंडल के नेतागण भिक्षालाल वोहरा और लक्ष्मीदास स्वामी आदि तो प्रजा-परिषद् के सदस्य वनकर परिषद से जुड़ चुके थे पर प्रजामंडल के अध्यक्ष मघाराम वैद्य गोयल के जेल जाने के वाद भी परिषद् से नहीं जुड़ पाए। भिक्षालाल और लक्ष्मीदास स्वामी से मालूम हुआ कि मघारामजी को परिषद् में लाने में उन दोनों के प्रयत्न भी इसलिए सफल नहीं हो सके कि उनका मानस पिछले निर्वासन के अनुभव के वाद फिर उस कटु अनुभव को दुहराने को तैयार नहीं हो रहा था जवकि मुक्ताप्रसाद जैसे महान समाज सेवक ने भी 'परदेशी' होने के नाते वीकानेर की तरफ पुनः मुँह नहीं किया और अपने साथियों को उनके भाग्य भरोसे छोड़ दिया। वे दुवारा एक 'दूसरे परदेशी' रघुवरदयाल पर विश्वास करके उसके पीछे कैसे कूद पड़ते? उनका कहना था कि देशनिकाला मौत से भी वुरा होता है और वे दुवारा इस चक्कर में नहीं चढना चाहते थे। ऐसे अनिच्छुक भूतपूर्व नेता को प्रजा-परिषद् का फार्म भरवाने मे श्री गोपाललाल दम्माणी जैसा युवा कार्यकर्ता सफल हो गया इसकी खुशी प्रजा-परिषद् के सभी कार्यकर्ताओं को थी। गोपाललाल दम्माणी से वाद में मालूम हुआ कि वे मघाराम को यह विश्वास दिलाने में सफल हो गये कि श्री गोयल को वे महाराजा की भाषा वोलकर 'परदेशी' क्यों कह रहे है जवकि वह निर्वासित होने के दिन से लगातार ऐलानिया कहता आ रहा है कि वीकानेर उसकी मातृभूमि और जन्मभूमि है और उसके खून की एक-एक वूंद वीकानेर के लिए ही समर्पित है। गोपाललाल ने मुझे आगे वताया कि उन्होंने मघारामजी को विनम्रता पूर्वक वताया कि हाथ-कगन को आरसी क्या के अनुसार गोयल आज निर्वासन आज्ञा तोड़कर जालिम प्रशासन का मुकावला कर रहा है और भागा नही अपितु जेल भुगत रहा है। गोपाललाल ने कहा कि गोयल तो जेल मे है, ऐसी अवस्था मे जनता आपकी ओर न देखेगी तो किसकी ओर देखेगी? इस पर उन्होंने एक अक्टूवर को प्रजा-परिषद् का फार्म भर दिया और उनके नौजवान पुत्र नारायणराम ने भी एक दिसम्बर को फार्म भर दिया।

गोयल के निर्वासन के वाद वकील रामनारायण आचार्य ने स्वेच्छा से डिक्टेटर होने का भार अपने पर ले लिया था और उसके वाद क्या कुछ हुआ और उसके कारण प्रजा-परिषद् मे कितनी घोर निराशा व्याप्त हुई इसकी समीक्षा राजनैतिक क्षेत्रो

में—सरकार और प्रजापरिषद्, दोनों पक्षों में की जाने लगी और परिषद्वालों ने वकील रामनारायण आचार्य द्वारा गिराई में परिषद् के मंत्री रावतमल पारीक का साथ छोड़कर अपने पिता के कहने से सरकार के सामने समर्पण करके पिता के साथ घर चले जाने में षड्यंत्र की बू सूंघी। यही कारण था कि अजमेर में जब उन्होंने हरिभाऊजी, भोलानाथजी (अलवर), सत्यनारायण पारीक (बीकानेर) के पास जाकर सीधे ही गोयल के आगे के प्रोग्राम की जानकारी चाही तो किसी ने उन्हें मुँह नहीं लगाया और कोई जवाब नहीं दिया। तब उन्होंने सीधे गोयल से पत्र द्वारा सम्पर्क करके वहीं आगे का प्रोग्राम जानने की उत्सुकता प्रगट की और 4 सितम्बर के अपने पत्र में लिखा 'आप से कुछ जरूरी बातें करनी हैं, आपका आगे का प्रोग्राम कुछ काल और गोविंदगढ़ में रहने का होगा, सूचित करने की कृपा करें ताकि मैं आकर मिल लूं।' यह आगे का प्रोग्राम सरकार की ओर से भी सी.आई.डी. वालों की मार्फत जानने की बार-बार कोशिश की जा रही थी। सरकार जानना चाहती थी कि मुक्ताप्रसाद की तरह रघुवरदयाल भी उत्तप्रदेश चले जाने के बारे में क्या सोच रहा है या संघर्ष में आने का अंतिम मानस बना लिया है। अतः गोयल की तरफ से आचार्यजी को कोई उत्तर नहीं दिया गया।

निर्वासन के बाद गोयल जयपुर में निवास किये हुए थे पर परिषद् का कार्यालय चर्खा संघ के प्रदेश मुख्यालय गोविन्दगढ़-मलिकपुर में देवीदत्त पंत (बीकानेर में सरकारी आदेश से बंद किये खादी भंडार के निर्वासित भूतपूर्व व्यवस्थापक) द्वारा संचालित किया जा रहा था जहां मूलचन्द अग्रवाल नामक एक अन्य चर्खा संघ के जिम्मेदार कार्यकर्ता सक्रिय रूप से काम चलाते थे। गोयल की डाक सीधी जयपुर जाने में सेंसर का भय होने से गोविंदगढ़ खादी वालों के नाम से डाक जाती थी। वहां बीकानेर से 19 सितम्बर को लिखा हुआ एक पत्र परिषद् के संस्थापक सदस्य किसनगोपाल गुट्टड़ का आया जिसमें उनके द्वारा सक्रियता से कुछ किए जाने के समाचारों के बजाय यह लिखा था कि वे आई.जी.पी. से व होममिनिस्टर से सुलह की वार्ता कर रहे है। गोयल जी हैरान थे कि इन्हें सुलह की बात करने को किसने अधिकृत किया जो पंचायती की बातें कर रहे हैं।

सरकार को गोयल ने जब निर्वासन-आज्ञा भंग करके 29 सितम्बर को बीकानेर पहुँचने की सूचना दे दी तो सरकार ने गंगादास कौशिक को, जिसे अपने घर में नजरबंद कर रखा था, थाने में हाजरी देने आने पर 26 सितम्बर को वहीं से सीधा गिराई में भेज दिया और 28 सितम्बर को लेखक को भी जयपुर से बीकानेर आते समय बीच में रेल रोककर गिराई मे भेज दिया था। रावतमल पारीक ने 29 सितम्बर को [illegible]

इसी अरसे मे परिषद् को एक ऐसा कार्यकर्ता प्राप्त हो गया जिसका नाम गोपाललाल दम्माणी था जो परिषद् की सारी स्थिति से पूर्णतया वाकिफ था और गोविंदगढ़ कार्यालय को सारी सूचनाए भेजता रहता था और वहा से सदस्यता फार्म व रसीद बुक मगाकर बराबर सदस्यता बढ़ाने का कार्य चुपचाप करने लगा। गोविंदगढ़ से प्राप्त होने वाले पेम्फलेटो को प्राप्त करके बड़ी चतुराई से शहर मे बाँट व बँटवा देता था और उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई इसे वापिस सूचित कर देता था और कभी-कभी इस सब का खर्च भी स्वयं उठा लेता था।

गोविंदगढ़ से बीकानेर में प्रजापरिषद् के संस्थापक सदस्यो और अन्य कार्यकर्ताओं पर बराबर जोर डाला जा रहा था कि गोयल परिषद् के अध्यक्ष जेल मे पड़े है ऐसी अवस्था में आप लोग कुछ करके दिखायेगे तभी सरकार पर दबाव पड़ेगा खाली जबानी जमा-खर्च या सहानुभूति से क्या होने वाला है ?

संस्थापक सदस्य घेवरचन्द तंबोली पर सत्याग्रह करके गिरफ्तारी देने का दबाव डाला गया तो उसने कोड भाषा में तार द्वारा दिनांक 4 अक्टूबर को जबाब दिया 'मैं बीमार हूँ, बाजार सुस्त है, खरीददार नही' जिसका अर्थ हुवा कि मैं तो बीमार हूँ, अन्य कार्यकर्ताओं मे उत्साह नहीं है और गिरफ्तारी देने वाला कोई नही है।

दम्माणी ने 12 अक्टूबर के पत्र द्वारा सूचित किया कि डिस्ट्रिक्ट-मजिस्ट्रेट ने जेल में निर्णय शाम को साढ़े छ बजे सुनाया, जहाँ सुनने के लिए गोयल के अलावा वकील लाला ईश्वरदयाल राजवंशी व जेठमल आचार्य मौजूद थे। पंतजी को यह जानकर हैरानी हुई कि वकील जेठमल आचार्य, जो वकील रामनारायण आचार्य के बड़े भाई थे वे वकील ईश्वरदयाल के साथ कैसे आए क्योंकि पंत इस बात के जानकार थे कि चूरू-षड्यंत्र केस में भी इन्ही जेठमल आचार्य का कार्यकर्त्ताओं को फंसाने मे योगदान रहा था।

दम्माणी ने एक पत्र द्वारा सूचित किया कि परिषद् के संस्थापक सदस्य श्रीराम आचार्य, जिनसे गिरफ्तारी देने की बड़ी आशा की जा रही थी, ने अब जबाब दे दिया कि मैं आन्दोलन में भाग नहीं ले सकूँगा। उन्हें सी.आई.डी. इंस्पेक्टर जगदीश ने बहका दिया है। आगे उन्होंने लिखा कि अब अगर हफ्तेभर मे कोई तैयार नही हुवा तो मै खुद ही 8-10 दिन बाद कूद पड़ूँगा। अन्य पत्र में उन्होंने सूचना दी की गुट्टड़ महाराज की आशा छोड़ दे, वे इस लाय में नही कूदेगे।

रियासत के शहरी लोगों, यानी परिषद्वालों पर ही जुल्म नहीं हो रहे थे अपितु किसानवर्ग भी बहुत पीड़ित हो रहा था क्योंकि उस समय बीकानेर की राजधानी मे सैकड़ों की सख्या मे पीड़ित किसान पब्लिकपार्क में इकट्ठे होकर अपनी फरियाद प्रशासन को सुनाने आए थे। बात यह थी कि जिस जमीन पर सरकार एक आना से सवा दो आना तक कर लेती थी अब उसके दो रुपये से लेकर साढ़े चार रुपये तक वसूल करने का हुक्म दे दिया गया था। नेतृत्वहीन किसानों का श्रीगोपाललाल दम्माणी, लक्ष्मीदास स्वामी, श्रीरामजी

आचार्य व मघारामजी ने मार्गदर्शन किया इसलिए इन किसानों सहित सबको पब्लिकपार्क में गिरफ्तार कर लिया गया और इन नेताओं को पुलिसलाइन यानी गिराई में रख दिया। बाद में मघाराम को एक बजे रात को छोड़ दिया गया। दम्माणी को बीमार होने से पुलिस हिरासत में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उधर गोयल ने जुर्माना भरने से इंकार कर दिया था इसलिए उनके चौतीने कुए के पास वाले मकान को प्रशासन ने कुर्क करा लिया पर नीलामी की तारीख मुकर्रर नहीं की।

दम्माणी ने पंतजी को सूचित किया कि एक खुशखबरी यह है कि पं. मघाराम वैद्य, जो सन् 1936 वाले प्रजामंडल के अध्यक्ष होने से उसी सन् में निर्वासित कर दिये गये थे और बाद में रिश्तेदारों की बीमारी के कारण प्रशासन से आज्ञा लेकर बीकानेर लौटे थे और अब तक चुपचाप बैठे थे, उन्हें एक अक्टूबर को प्रजापरिषद् का फार्म भरवाने में उन्हें, यानी दम्माणी को कामयाबी मिल गई है और आशा करनी चाहिए कि इससे परिषद् को बल मिलेगा। और सचमुच एक अक्टूबर को परिषद् का सदस्य बन जाने के बाद उन्होंने सक्रियता अपना ली और 17 तारीख को पब्लिकपार्क में गोपाल दम्माणी, लक्ष्मीदास स्वामी आदि के साथ किसानों का मार्गदर्शन करने में अग्रसर रहे और गिरफ्तार हुए।

इधर गोयल की भूख-हड़ताल को शुरू हुए जब 30 अक्टूबर को अट्ठारह दिन हो गये तो एक अंग्रेजी में लिखा हुवा पत्र सर्वश्री ईश्वरदयाल राजवंशी, लखपतराय गांधी, चेतनदास मूंधड़ा व केवलचन्द वेहड़ को मिला। इस पत्र में इन चारों वकीलों को उपालम्भ देते हुए लिखा गया था कि आपका एक साथी वकील सार्वजनिक हित के लिए यानी जनता के नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए जेल मे पड़ा कैद भुगत रहा है और चोर डाकुओं जैसे अपराधियों की तरह रखे जाने पर राजनैतिक बंदी माने जाने की मांग को लेकर 18 दिनो से भूखा पड़ा है और आप लोग उस साथी को भुला-बिसराकर अपने घरों में रोज दोनों वक्त भोजन करते हो और सारे संसार के काम करते हो और इस बहादुर साथी की तरफ से आँख मूंदे हुए हो। उसने उनसे प्रश्न किया कि क्या उनका वकील होने के नाते और साथी होने के नाते गोयल के प्रति व देश के प्रति कोई कर्त्तव्य नही है? अंत मे उसने इन सब वकीलों से मांग की कि या तो वे कानूनी कार्यवाही करें या प्रशासन व महाराजा साहब से मिलकर गोयल की माँगों को स्वीकार करा कर उनके कीमती जीवन की रक्षा में अग्रसर हों और यदि उन्हें यह लगता हो कि महाराजा गंगासिंह व उनके प्रशासन के अहिंसात्मक कष्ट सहन के माध्यम से 'हृदय परिवर्तन' की कोई उम्मीद नहीं है तो फिर जेल में गोयल से मिल कर उन्हे समझाने का प्रयास करे कि उन्हें भूख-हड़ताल तोड़कर देश और प्रजापरिषद् का कार्य करने के लिए भी जिन्दा रहना चाहिए। उसने आगे लिखा कि गोयल को समझाइये कि 'हृदय परिवर्तन' मानव का होता है। जिनमें मानवीयता ही नही हो वे मानव कैसे और उनका हृदय परिवर्तन कैसा? गाधीजी ने विश्वयुद्ध शुरू होने पर हिटलर के नाम अहिसा का सदेश भेजा था। क्या कोई असर पड़ा? सीता ने बेहद कष्ट सहा, द्रौपदी ने कितनी आर्त पुकार की,

देवकी ने कितनी अनुनय-विनय की पर क्या रावण पर, दुर्योधन पर या कंस पर कोई असर पड़ा? मानवीयता बिना हृदय परिवर्तन कैसा। आप या तो मांगें मनवाइये या गोयल से मिलकर उन पर भूख-हड़ताल तोड़ देने का भरसक दबाव डालें वर्ना उन्हें कुछ कहीं हो गया तो उसके आप भी अपराधी माने जायेंगे। जिन चार वकीलों से यह चाहा गया था कि गोयल के साथी वकील होने के कारण लम्बी हो रही उनकी भूख-हड़ताल में उनके जीवन को खतरे से बचाने के लिए या तो वे प्रशासन पर दबाव डालकर उनकी माँगों को मजूर करवायें या फिर गोयल पर ही पर्याप्त दबाव डालकर भूख हड़ताल को समाप्त करवा देवे उन वकीलो का सोचना था कि प्रशासन पर दबाव डालकर मांगें मनवाना तो उनके बूते के बाहर की बात थी पर गोयल के दृढ़ निश्चयी स्वभाव के कारण उनको भी भूख हड़ताल तोड़ने के लिए राजी कर लेना संभव नहीं लग रहा था। अतः उन्होंने एक तीसरा रास्ता निकाला और जेल मे सुनाए गए फैसले से उन्हें सश्रम कारावास की सजा दी गई थी उसकी अपील ऊपर की अदालत में करके अपील के निर्णय तक सजा को स्थगित करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया। इसकी सुनवाई के लिए 11 नवम्बर की तारीख रखी गई। अब यह पता नही कि अपील में उठाए गये किसी बिन्दु के कारण या सजा को स्थगित करने के लिए दी गई दरख्वास्त के कारण या अन्य किसी कारण से, इसी ग्यारह नवम्बर की तारीख को सरकार ने गोयल की सारी मांगें मान ली और उनके पैर मे जबरदस्ती डाला गया लोहे का कड़ा काट दिया गया, रोटी-कपड़े घर से प्राप्त करने व जेल में चिट्ठी-पत्री प्राप्त करने व देने की छूट दे दी गई। 12 नवम्बर को एक महीने पुरानी भूख हड़ताल समाप्त हो गई और इसके फलस्वरूप गोयल से तथा प्रजापरिषद् से संबंधित सभी लोगों को राहत मिली।

परिषद् के लोगों का उत्साह बढ़ा और गोपाललाल दम्माणी ने भूख हड़ताल समाप्ति की सूचना भेजते हुए गोविंदगढ़ से सदस्यताफार्म और रसीद बुक मंगवाकर सदस्यता अभियान तेज कर दिया। मघारामजी 1 अक्टूबर को सदस्य बन गये थे और 1 दिसम्बर को मघारामजी के पुत्र नारायण शर्मा ने भी परिषद् की सदस्यता ग्रहण कर ली। सदस्यता फार्म मे तो इनका नाम नारायणराम ही लिखा हुआ है पर बाद में ये रामनारायण के नाम से ही पुकारे जाते रहे।

रामनारायण द्वारा झंडा सत्याग्रह

प्रजा परिषद् की सदस्यता ग्रहण करते ही रामनारायण सक्रिय हो गया। उस समय रामनारायण की उम्र 17 साल के आस-पास थी। चढ़ता हुवा खून था और देश भक्ति के संस्कार पिता से प्राप्त थे ही। खाली कैसे रह सकता था। 8 अगस्त के दिन, जिस दिन 'अग्रेजो भारत छोड़ो' और 'करो या मरो' के गाधीजी के संदेश के फलस्वरूप जब देश के सारे नेतागणों को धर-पकड़कर जेल के सीखचो के भीतर बंद कर दिया गया था, तो नेतृत्व हीन जनता ने अहिसा का मार्ग छोड़कर सर्वत्र तोड़-फोड़ और लूटमार शुरू कर दी थी। रेल की पटरिया जगह-जगह उखाड़ी जा रही थी और स्टेशनो, पोस्ट ऑफिसेज और सरकारी खजानो में आग लगाई जा रही थी। उस समय यह नौजवान

रामनारायण हरिद्वार में था और वहां डाकखाने की लूट करने वाली नौजवानो की टोली मे शामिल होकर उसका कुछ हिस्सा हथिया कर पुलिस की नजरो से वचा हुवा बीकानेर आ पहुँचने मे सफल हो गया था। चढ़ता हुआ खून यहां आकर शात नहीं रह सका। पिताजी मघारामजी ने पाँच साल के निर्वासन काल मे बहुत ठंडी-ताजी देख ली थी इसलिए वे एहतियात वरत रहे थे पर इस नौजवान से नही रहा गया और एक दिन यानी 8 दिसम्वर को पिता को साथ लिए वगैर अकेला ही तिरंगा झंडा लेकर दोपहर में दो वजे शहर के भीतर भीड़ भरे वैदो के चौक में अचानक 'इंकलाव जिन्दावाद', 'भारत माता की जय', 'महात्मा गाधी की जय' के नारे लगाता हुआ निकल पड़ा। उसके चारो ओर लोगों के झुंड इकट्ठे होते गये और एक प्रकार से जुलूस सा बन गया जो मोहतों के चौक से होता हुआ दाऊजी के मदिर के पास तक पहुँच गया। बीकानेर रियासत में और महाराजा गंगासिह की राजधानी मे महाराजा साहव की नॉक के नीचे तिरंगे का प्रदर्शन और राष्ट्रीय नारो का उच्चारण एक अभूतपूर्व घटना थी। महाराजा साहव अपनी रियासत के भीतर कहीं भी तिरंगे झंडे के प्रदर्शन को अपने शासन के लिए चुनौती मानते रहे थे। और यही कारण था कि सन् 1932 में चुरू में किसी ने एक इमारत पर तिरंगा फहरा दिया था तो उसकी वड़ी कड़ाई से खोजवीन की गई थी और जिन पर झडा फहराने का शक किया गया था उन्हें कुख्यात चुरू-षड्यंत्र केस मे फसाकर कड़ी सजाए दी गई थी।

श्री रामनारायण शर्मा
वैद्य मघारामजी के सुपुत्र
झंडा सत्याग्रह के नायक

प्रशासन को शहर में तिरंगे झंडे के फहराने और 'इकलाव जिन्दावाद' आदि के नारे की ज्यों ही सूचना मिली त्यों ही पुलिस ने रामनारायण को आ दवोचा और गिरफ्तार करके पुलिस कोतवाली ले जाया गया और वाद में 'सिविल कोतवाली' यानी चांदमल ढड्ढा की कोठी के दफ्तर मे रात भर रखा। इस रात पुलिस ने मनमानी यातनाए दी—रात भर सोने न देकर रात भर खड़े रहने को मजवूर किया और मारपीट की। प्रातः माफीनामा लिखने के लिए बहुत दवाव डाला गया। पर जँव सारी कोशिशों के वावजूद यह नौजवान काबू में नही आया तव उसे छोड़ दिया और इस मामले को दवा देने की दृष्टि से अन्य फर्जी मुकदमे में फंसाकर परेशान करना चालू रखा ताकि आइन्दा फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत न करे।

मघाराम के नेतृत्व में 26 जनवरी मनाई

जेल में जव हमे झंडा सत्याग्रह की जानकारी जेल मे वैठे भाई गंगादास की मार्फत मिली तो हमें इस वात की खुशी हुई कि हम लोगो की गिरफ्तारी के वाद जो एक शमशानी शाति सी छा गई थी यानी हमारे पीछे एक भी अन्य व्यक्ति जेल में नही आया

और न किसी और हलचल की ही सूचना मिली उसे 'वधूड़ा' (यह रामनारायण का प्यार से लिया जाने वाला नाम था) ने हिम्मत कर उस शमशानी शांति को भंग किया और हमें ऐसा लगा कि वीकानेर में इस झँडा सत्याग्रह के वाद और भी कुछ न कुछ हलचल वढ़ेगी जिससे परिषद् के जीवित होने का कोई तो चिह्न नजर आवेगा। यह खवर गंगादास ने गोयलजी तक भी पहुँचा दी तो उन्होने यह विचार प्रगट किया कि जो हुवा सो तो वढ़िया ही हुवा पर 'वधूड़ा' तो आखिर वच्चों में गिना जायेगा। अव 26 जनवरी का स्वतंत्रता-दिवस अगले महीने ही आने को है और उस दिन के लिए मघारामजी को कहलवाना चाहिए कि वे हिम्मत करके आगे आवे और किसी सार्वजनिक स्थान पर 26 जनवरी को झंडा रोहण करें और अन्य लोगो को भी इसमें शामिल होने को प्रेरित करें। इसके साथ ही उन्होंने जेल मे वैठे हुए गंगादास के माध्यम से अपने घर पर यह संदेश भिजवाया कि अगर मघाराम किसी स्थान पर 26 जनवरी मनाकर झंडा रोहण करे तो उनकी पत्नी और पुत्री चन्दो उसमे अवश्य शामिल होवें और गिरफ्तारी होती हो तो घवरावें नहीं—सारा परिवार ही जेल में पहुँच जाय (छोटे वच्चे इनू सहित) तो यह तो घवराने की नहीं गौरव की वात होगी और सभव है इससे औरों को प्रेरणा भी मिल सकती है। गोपाल दम्माणी ने गोविन्दगढ़-मलिकपुर में स्थित प्रजापरिषद् के कार्यालय को भी अपने दिनांक 4 जनवरी के पत्र में सूचित किया कि आजाद-दिवस पर यहाँ कुछ करने का इरादा है। इस पत्र से सूचना भेजने से पहले दम्माणी ने मघाराम से संपर्क साध कर जेल से प्राप्त सुझाव उन तक पहुँचा दिया था। मुझ दाऊदयाल और गंगादास ने भी अपने-अपने घरों की स्त्रियों को 26 जनवरी के झंडारोहण के कार्यक्रम में भाग लेने का आग्रह किया था।

इधर दम्माणी ने पंतजी को अपने 5 जनवरी के पत्र मे लिखा कि 'श्री अजमेराजी को मैंने कुछ पेम्फलेट छाप कर भेजने का लिखा है सो आप उनको फिर से लिख दें। ताकि जल्दी भेज दें।' स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी से 3-4 दिन पहले मघारामजी ने जनता मे परचे वांट कर सूचना दे दी कि लक्ष्मीनाथ के वाग में स्वतंत्रता दिवस मनाने का आयोजन है सो जनता अधिक से अधिक सख्या में उसमे भाग लेकर सहयोग प्रदान करे। इस आयोजन की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी पं. जगदीश प्रसाद व पं. गोवर्धनलाल ने मघारामजी को वुलाकर यह आयोजन न करने के लिए वहुत कुछ कहा पर वे दवे नहीं और कहा कि यह एक राष्ट्रीय आयोजन है सो सारे भारत में मनाया जाता है, इसमे रियासत के विरुद्ध कुछ नही होता, सो हम क्यों न मनावे।

25 जनवरी की रात से ही सी.आई.डी के लोगो ने मघारामजी के घर के घेरा सा डाल दिया ताकि 26 को वे लक्ष्मीनाथ-वाग पहुँच ही न सकें। पर 26 तारीख को सवेरे-सवेरे 3-4 वजे ही मघारामजी उन सव की आँखों से वचकर भिक्षालाल शर्मा के घर आ गए। वहाँ से संसोलाव तालाव मे नागावावा के पास आशीर्वाद लेकर एक 6 फुट लम्वे झंडे के साथ, जो उन्होने कमर पर वाँध कर छुपा रखा था पौ फटते ही लक्ष्मीनाथ वाग पहुँचे। सभास्थल पर पहले से ही भीड़ जमा थी। श्री रघुवरदयालजी की

धर्मपत्नी और उनकी पुत्री कुमारी चन्दोबाई, स्वामी काशीराम और पन्नालाल राठी, रामनारायण शर्मा आदि अनेक कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे थे। मघारामजी ने वहाँ पहुँचते ही कमर में बंधे तिरंगे झंडे को निकाल कर एक लम्बे बॉस पर लगा दिया और गगनभेदी राष्ट्रीय नारों के साथ फहरा दिया। 'वन्दे-मातरम्' गायन समाप्त कर जनता ने अपने निश्चय को पूरा कर दिखाया। सभा विसर्जन कर यह राष्ट्रीय जुलूस कोटगेट पहुँचने वाला था पर घासमंडी के निकट पहुँचते ही लाठीबल-पुलिस ने उन्हें आ घेरा। पुलिस इंसपेक्टर कुन्दनलाल, लक्ष्मीनारायण और जगदीश प्रसाद ने घेरा डालकर सब को पकड़ ले जाना चाहा तो लोग इधर-उधर बिखर गये। मघाराम, भिक्षालाल, पन्नालाल और काशीराम स्वामी एवं दो अन्य लोगो को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में मघाराम और भिक्षालाल को छोड़कर बाकी सबको तो आइन्दा ऐसा न करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया पर इन दोनों पूर्व प्रजामंडलकालीन पदाधिकारियों को थाने, गिराई आदि मे ले जाकर बाद मे जेल में डाल दिया गया।

दम्माणी ने गोविन्दगढ़ कार्यालय को 27 जनवरी के अपने पत्र से सूचित कर दिया कि यहाँ स्वतंत्रता दिवस सफलतापूर्वक मना लिया गया है और पाँच व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। उन्होंने यह भी आशा व्यक्त की कि शायद पाँचों को जल्दी ही छोड़ दिया जायेगा क्योंकि तिरंगा झंडा फहराना किसी कानून में तो मना है नहीं। पर गंगासिंह के प्रशासन को तो तिरंगे झंडे से बड़ी भारी चिढ़ थी इसलिए दो नेताओं को यानी मघाराम व भिक्षालाल को तो सीखचो के अदर बंद कर ही दिया। दम्माणी ने गोविन्दगढ़ कार्यालय को लिखा था कि गिरफ्तार किये गये पाँचों लोगों को जल्दी ही छोड़ दिये जाने की आशा की जाती है पर कानून या बिना कानून उन्हे मघाराम व भिक्षालाल को सबक सिखाना ही था क्योंकि मघाराम को तो पहले निर्वासित भी कर दिया था फिर भी वह ऐसी हरकतें करने से बाज नही आ रहा था। अब सरकार के पास दो ही रास्ते खुले थे—एक यह कि किसी कानून की अवहेलना का आरोप लगाकर सजा दिलवाना या फिर बीकानेर सुरक्षा एक्ट 1932 के अन्तर्गत बिना किसी कारण को बताये निर्वासित कर देना। तिरंगा फहराने को अपराध बताने वाला कोई कानून सरकार को मिला ही नही और निर्वासन किसी 'देशी' नागरिक का करना नही चाहते थे, जिसका रियासत मे (महाराजा गंगासिह के शब्दो मे) कोई खूँटा हो या जिसके निर्वासन से उसके बीकानेरी रिश्तेदारों में असंतोष फैलता हो। मघाराम और भिक्षालाल, इन दोनों मे से किसी को भी 'परदेशी' कह कर निकाला नहीं जा सकता था। महाराजा गंगासिंह के प्रशासन ने सन् 1937 मे तो मघाराम और लक्ष्मीदास को 'देशी' होने के बावजूद इसलिये निर्वासित कर दिया था कि ये सत्यनारायण सराफ को गोलमेज सम्मेलन की घटना के कारण किसी भी सूरत में माफ करना नही चाहते थे और उस समय मघाराम और लक्ष्मीदास 'चने के साथ घुन' की तरह पिस गये थे पर अब महाराजा इन 'देशी' लोगो को निर्वासित करना नहीं चाहते थे इसलिये मघाराम आदि को इनके खिलाफ बिना कोई एफ. आई. आर दर्ज कराये जेल में ठूँस दिया और क्या बहाना लिया जावे उस पर विचार किया जाने लगा।

इस अरसे मे सी. आई. डी. वालों ने खवर दी कि इन लोगो को सारा मार्गदर्शन खादी आश्रम गोविन्दगढ़ से मिल रहा है तो उन्होंने गोविन्दगढ़ सी.आई.डी. भेज दिए और वीकानेर नगर में खादी विरोधी प्रचार अपने भाड़े के लोगों के माध्यम से शुरू कर दिया। यह खादी विरोधी जेहाद सरकार की ओर से एक पत्रकार, जिनका नाम तारानाथ रावल था, उनके माध्यम से शुरू किया गया। ये तारानाथ साहव इन्दौर के थे और अजमेर के प्रसिद्ध क्रांतिकारी अर्जुनलालजी सेठी के जवाई थे। अर्जुनलाल गॉधीजी से मतभेद रखने से गाँधी विरोधी हो गए जिससे उनकी प्रतिष्ठा को धक्का पहुँचा था और उनके जंवाई होने के नाते रावल साहव ने गॉधी और कांग्रेस विरोध का वीड़ा उठा लिया था। कांग्रेस विरोधी प्रचार के लिए व्रिटिश भारत में तो उनकी दाल गलती नही थी इसलिए देशी राज्यों में ही वे अपने कांग्रेस विरोधी प्रचार को कर सकते थे जहाँ उन्हे राजाओं की मदद भी मिल जाती थी और दिल की हुवाड भी निकल सकती थी। सो रावलजी के मार्फत रियासत ने खादी-विरोधी प्रचार शुरू करवा दिया। उन्होंने धूँआधार प्रचार शुरू कर दिया और चुग्गा-पानी बीकानेर प्रशासन से मिलने ही लगा था। उनके अनेक पेम्फलेटो मे से एक का नमूना देखा जा सकता है जिसका शीर्षक था 'खादी से वचो'। इसमें कई अनर्गल बातों के अलावा यह भी लिखा कि खादी के एक-एक तार में वीकानेर वासियो के लिए अशान्ति, सामूहिक दुख और राजनीतिक बरवादी के कीड़े घुसे हुए हैं। एक धूर्त वकील और दो-चार उसके गुर्गे इसके प्रचार मे लगे हुए है - ये गुंडा खसलत वाले किंतु परले सिरे के दब्बू तथा कथित जन सेवक जव मुझ से मोर्चा न ले सके तो मुझ पर अन्य प्रकार के कमीने और झूठे आक्रमण करने लगे और 'राजस्थान' 'रियासत' तथा 'प्रजा सेवक' अखबारों के आँख के ही नही बल्कि हिये के भी अंधे संपादक गण भी इनका साथ देते रहते है। इनसे वचो और खादी का वहिष्कार करो आदि। जनता तो जानती थी कि ये राज के हाथो विके हुए पत्रकार है इसलिए ऐसे पेंफलेट का असर प्रशासन की इच्छा के विपरीत ही पड़ा।

महाराजा गंगासिंह का देहावसान

सन् वयालीस का साल खत्म होकर तयालीस का साल चल रहा था। जेल के वाहर वीकनेर शहर मे सन् 1942 मे झंडा सत्याग्रह हो चुका था और सन् 43 के पहले महिने में ही स्वतत्रतादिवस का सफलतापूर्वक संपन्न होना इस वर्ष की पहली उपलब्धि थी। मघारामजी व भिक्षालालजी जैसे कर्मठ दो नेता जेल मे, हमारे साथ न सही, पर जेल के अंदर तो पहुँच ही चुके थे। अव हम तीनों अप्रेल में राष्ट्रीय सप्ताह तक यानी अप्रेल के महिने तक क्या और कोई उपलब्धि हो सकती है, इसकी कल्पना कर रहे थे कि फरवरी का महिना शुरू हुआ। मुझे जिस न. तीन की वैरक मे रखा गया था वह जेल-आंगन का आखिरी वैरक था जिसमे मुझ अकेले को ही रखा हुआ था ताकि काल कोठरी वाला सूनापन न मिलने पर भी और कोई साथी मेरे साथ न होने से दिन आसानी से न कट जावें। वैसे मुझे किस अवधि तक रहना होगा इसकी मैं कल्पना नही कर सकता था जव कि अपनी-अपनी सजाएँ पूरी करके इसी वर्ष 13 अक्टूवर को गोयलजी वाहर निकल जाने वाले थे और कौशिक जी 26 अप्रैल को। कौशिकजी के 25 अप्रैल

को छः महिने की सजा काट कर बाहर चले जाने पर मेरा क्या होगा, इसकी कल्पना करके मै घबराहट महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि काश मेरे पर भी सरकार मुकदमा चला देती तो कितना बढ़िया होता, बाहर निकलने की एक निश्चित तारीख तो मिल जाती। अपने किसी साथी कैदी के बाहर निकलने की खुशी होना स्वाभाविक थी, पर मेरे को साथी गंगादास कौशिक की रिहाई के बाद बाहर की दुनिया से एकदम सम्पर्कहीन हो जाने की कल्पना बेहद परेशान कर रही थी। इसलिए धीरे-धीरे जेल के आंगन मे मेरी बैरक के आगे, सरदी में भी नंगे पैरों ठंडे पानी में काम करते—पहले जमीन को खोदते और फिर उसी जमीन में घूमरों को ठोकते केदियों से किसी तरह संपर्क बढ़ाने की मेरी इच्छा हुई और मैने फरवरी के शुरू होते ही मेरी बैरक के सामने मशक्कती काम करने वाले कैदियों से कुछ बोल-पूछ कर संपर्क बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। दो फरवरी का सूरज उगा। प्रकाश फैलने के बाद भी कोई कैदी सदा की तरह काम पर नही आया तो मैने सोचा 'प्रथम ग्रासे मक्षिका पात:' यानी पहले कौर में ही मक्खी आ पड़ी। कौशिक की नकल करते हुए पहली ही बार मैने आंगन में काम करने वाले कैदियो से सम्पर्क बढ़ाने का हौसला किया था और दूसरे ही दिन सुबह से ही कैदी गायब। मैं टकटकी लगाये फिर भी खड़ा रहा। इतने मे मोतीसिह वार्डर मेरी बैरक के आगे से निकला। मैने हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया *'क्या बात है? कोई चहल-पहल नही है? क्या आज कैदी काम करने नहीं आएंगे।'* उसने इधर-उधर देखा और किसी अन्य को आंगन मे न पाकर बैरक की छड़ो के एकदम पास आकर धीरे से बोला, 'अन्नदाता गंगासिह का स्वर्गवास हो गया है, इसलिए आज सारे कैदियों को काम से छुट्टी दे दी गई है।' इतना कहकर वह तुरन्त चलता बना।

इतने बड़े नामी नरेश की स्वर्गवास की खबर से जेल के बाहर तो अवश्य ही मातम का माहौल रहा होगा, पर सच्चाई की बात यह है कि मैने तो इस को खुश-खबरी माना और शात होकर अपनी सीट पर लेट गया।

सि.अ. ——> No. 850 P.S.
25-8-44
वर्ष - 1944

PRIVATE SECRETARY'S OFFICE • BIKANER •

Lallgarh,
Bikaner,
Rajputana.

25th August 1944.

Dear Sir,

With reference to the request you conveyed through the Prime Minister on the 19th August, His Highness the Maharaja will be graciously pleased to grant you an audience at 10-00 A.M. tomorrow, the 26th August, at Lallgarh when you should duly present yourself.

Yours sincerely,

M. L. [signature]
Private Secretary.

R. Raghubar Dayal,
Vakil,
BIKANER.

अध्याय पाँचवाँ

समझौता वार्ता और रचनात्मक क्रियाकलापों का वर्ष—1943

समझौता वार्ता और रचनात्मक क्रियाकलापों का वर्ष—1943

नए महाराजा साहब का समझौता संदेश

एक-एक दिन करके चौदह दिन निकल गये। 16 फरवरी आई। प्रातः नौ-साढ़े-नौ बजे का समय हुवा होगा जब मुझे जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट का सन्देश मिला कि उनके कार्यालय के कमरे में जेल-मिनिस्टर साहब कुँवर जसवन्तसिंहजी आए हुए हैं और गोयलजी और गंगादास भी वहां आए बैठे हैं इसलिए मुझ दाऊदयाल को भी वहाँ तुरन्त पहुँचना चाहिए। मैं वहाँ तुरन्त पहुँच गया। मेरे वहाँ पहुँचने पर मिनिस्टर साहब ने इशारे से जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट को वहाँ से चले जाने को कहा और ऑफिस के दरवाजे बंद करवा लिए।

जब मै पहुँचा उस समय सभी चुप-चाप बैठे थे। मेरे पहुँचने पर गोयलजी ने हम दोनो को यानी मुझ दाऊदयाल और गंगादास को बताया कि आगन्तुक कुँवर जसवन्तसिहजी जेल-मिनिस्टर है और नए महाराजा साहब श्री सादूलसिंह जी ने हम से बात करने को इन्हें भेजा है। आप बता रहे हैं कि नए महाराजा साहब चाहते हैं कि हम लोग माफीनामा लिख दें तो हम तीनों को छोड़ दिया जायेगा। गंगादास और तुम्हारी क्या राय है?

मेरी समझ मे नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूँ और मुझे पूछा भी क्यों जा रहा है? हम दोनो तो उनके फोलोवर्स यानी उनके पीछे-पीछे चलने वाले है। वे जो चाहे वह निर्णय करे, हम तो उनके साथ हैं। मेरी तरफ से कोई जवाब न पाकर उन्होने मुझे समझा कर पूछा कि क्या हम माफीनामा लिख कर देना पसंद करेंगे ताकि जेल में से छूट जाएं? मुझे निरुत्तर देखकर कौशिकजी बीच में ही.वोल पड़े कि अगर माफी माँग कर ही छुटकारा पाना होता तो यहाँ तक आते ही क्यों? यह काम तो पहले ही दिन किया जा सकता था। गंगादासजी का यह उत्तर सुनकर गोयलजी ने मिनिस्टर महोदय से कहा कि माफी नामा लिखकर हम में से कोई भी छूटने को तैयार नही है।

जसवंतसिंहजी वोले, 'देखिए, जरा ठँडे दिल से सोचिए कि अन्नदाताजी कितने दयालु हैं कि दो तारीख को पूज्य गंगासिहजी के स्वर्गवासी हो जाने पर वारह दिन के क्रियाकर्म सपन्न हो जाने के वाद 13 फरवरी को नए महाराजा साहब गद्दी पर बैठे, 14 तारीख की छुट्टी थी, 15 तारीख को सवारी लक्ष्मीनाथ मंदिर गई और आज 16 फरवरी को ऐन सुबह ही अन्नदाताजी ने, दूसरे सब कामों से पहले तुम लोगो को याद कर लिया

और मुझे तुम्हारे पास यातचीत करने के लिए भेजा है और आप रूखासा उत्तर दे रहे हो, मुझे विचारपूर्वक खूब सोच कर उत्तर दीजिए। उन्होंने यह कह कर मेरे और गंगादास की ओर देखा मानों वे हम से भी जवाब की अपेक्षा कर रहे हों। पर हम सब की तरफ से हमारे नेता श्री गोयलजी ही वार्तालाप कर रहे थे। इसलिए हमे तो मुँह खोलने की जरूरत नही थी। हम दोनो चुप ही रहे क्योंकि वहुत जिम्मेवारी के साथ बात करने की जरूरत थी।

गोयलजी ने कहा, 'देश के धणी की इतनी वड़ी कृपा के लिए हम श्रीजी साहव वहादुर के वहुत ऋणी है कि राजसिंहासन पर विराजते ही उन्होंने हमे याद फरमा लिया। यह हमारे लिए बड़े गौरव की वात है। इस कृपा के साथ आप जो माफीनामें की शर्त लगाते है—यह क्यों? विना अपराध वताये ही कैसा दण्ड और कैसा माफीनामा? क्या आज भी श्रीमान् हमें वताने की कृपा करेंगे कि हमारा वह कौनसा अपराध है जिसके लिए हमें जेल में डाल दिया गया है सिवाय इसके कि हमने स्वर्गीय महाराजा साहब के सन् 41 के सार्वजनिक ऐलान के प्रकाश में, जिसमें कि हमारी रियासत में जनता को बोलने, विचार-अभिव्यक्ति करने व संगठन करने के अधिकार पहले से मौजूद होना वयान किया गया था, प्रजापरिषद् के नाम से जनता के एक संगठन का निर्माण कर लिया था।' मिनिस्टर साहव बोले कि यह सव बातें तो आप लोग, जव आप लोगो के नए महाराजा साहब से मिलने का प्रश्न तय हो जावे तव उन्हीं के सामने प्रस्तुत करना। मै इस समय कुछ नहीं कह सकता। ऐसी दशा मे मिनिस्टर साहब का कहना था कि माफीनामा न सही, कुछ दो पंक्तियाँ ही ऐसी लिख दीजिए कि जिस को आधार बनाकर अन्नदाताजी आप लोगों को अपने पास बुलाकर आपकी माँगों को स्वयं सुन सकें।

(टू अर इज यूमन) यानी मानव से गलती हो सकती है। पिछली सरकार से भी कुछ गल्तियाँ हुई होगी और आप लोगों से भी क्या कोई गलती नही हो सकती? उनका किसी का उल्लेख किए विना थोड़ा सा खेद नए महाराजा साहब के सामने प्रगट कर देने मे आपकी विनम्रता का ही प्रदर्शन होगा और इससे आपकी प्रेस्टिज (यानी शान या इज़्ज़त) में कोई फर्क पड़ने वाला नही है। पर ऐसा कुछ लिखकर दे देने से देश के धणी की प्रेस्टिज सुरक्षित रहेगी और बातचीत का रास्ता खुल जाएगा। और यह सब तो उस समय तक के लिए है जव तक आप लोग महाराजा साहब के सामने उपस्थित होकर अपना पक्ष नही रख देते। उसके बाद तो आप की बात सुनकर अन्नदाता जो कुछ मेहरवानी फरमाएंगे वही अंतिम होगी, तब तक के लिए दो पंक्तियां लिखकर देने मे आप लोगो को, मेरे ख्याल से तो कोई किसी तरह की भी हिचकिचाहट नही होनी चाहिए।

हमारी तरफ से चुप्पी रहने पर वे फिर कहने लगे, 'मुझे बड़ा अफसोस है कि आप लोग नए महाराजा साहब की उस Spirit (स्पीरिट यानी भावना) की तरफ ध्यान क्यो नही दे रहे है कि जिससे प्रेरित होकर, रियासत की तरक्की के लिए उनके मन में जो बड़ी-बड़ी योजनाए है, जिनसे रिहासत की सुख-सम्पत्ति की बढ़ोतरी के लिए प्रजा का

सहयोग और आप लोगो के साथ विग्रह का वातावरण समाप्त कर सहयोग और प्रगति का नया प्रभात आने को है। वे आगे बोलते गये कि स्वर्गीय महाराजा साहब गंगासिंह जी तो 7-8 वर्ष की उम्र में ही राजगद्दी पर विराज गए थे पर नए अन्नदाताजी को तो चालीस साल की उम्र पार करने के बाद रियासत को प्रगति का नया युग प्रदान करने का अब ही अवसर मिला है।

जिस तीव्र भावना के साथ मिनिस्टर महोदय ने अपनी बात कही उसने हम तीनों को प्रभावित किया और हमारे चेहरों के भावों में परिवर्तन नोट करते हुए उन्होंने एक बात और कह डाली कि राजाओं के Audience (औडियन्स यानी भेंट या दर्शन) के लिए साधारणतया बड़ी कोशिश करनी पड़ती है तब कहीं औडियन्स की मंजूरी मिलती है और यहाँ तो महाराजा साहब अपनी तरफ से औडियन्स आप लोगों को स्वयं प्रदान कर रहे हैं। इसी जेल में आपकी प्रजापरिषद् की तरफ से और भी लोग बंदी बने बैठे हैं पर उनको महाराजा साहब जिम्मेदार नही गिनकर हुल्लड़ मात्र करने वाले मानते हैं इसलिए उन गैर जिम्मेदार लोगों की ओर बिना ध्यान दिए अपनी तरफ से पहल लेकर केवल आप लोगों के पास ही मुझे भेजा है, यह सोचकर कि प्रबुद्ध प्रजाजनो के सहयोग से ही रियासत के उज्वल भविष्य का निर्माण संभव है। क्या आप लोगों को इसका कोई लिहाज नहीं है?

इन शब्दो को सुनकर हमारी झिझक खत्म हो गई और हमारे रुझान में परिवर्तन आया और दस- पन्द्रह मिनटो मे दो-तीन मसौदे बनाए गए और अंत में जो मसौदा तय हुवा वह इस प्रकार था :

> 'मानव भूलों से भरा हुआ है। विपक्ष की तरह हम से भी भूलें हुई होंगी और अगर हम से कोई भूल हुई हो तो उसके लिए हम बेझिझक खेद प्रगट करते हैं।'

इससे मिनिस्टर महोदय भी संतुष्ट थे और यह मजमून एक कागज पर लिख दिया गया। इस पर पहले गोयल जी के दस्तखत हो गये। उसके बाद गंगादास ने हस्ताक्षर करने के लिए कागज अपनी तरफ खींच लिया। वे दस्तखत कर ही रहे थे कि मिनिस्टर महोदय ने उन्हें ठहरने को कहा और गोयल जी से बोले कि आपने जो यह मजमून लिखा है वह अपने आप में पूर्ण और पर्याप्त है, पर इसमें भविष्य के बारे में तो कुछ नही है, केवल भूतकाल की बाबत ही उल्लेख है। गंगादास ने यह सुनते ही अपने किए हुए दस्तखत काट दिए और गोयलजी की ओर देखने लगे और दूसरी नजर उन्होंने मिनिस्टर महोदय पर डाली। मैंने तो बाबूजी के वहाँ मौजूद रहते चुप रहना ही उचित समझा पर बाबूजी को मिनिस्टर का यह नया शगूफा नागवार गुजरा और वे बोले, 'हमें यह स्पष्ट रूप से कहने में कोई हिचक नही है कि लिखने, बोलने, व संगठन करने के जिन मूलभूत नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए प्रजापरिषद् रूपी जिस जन-सगठन को स्थापित करने के फलस्वरूप हमें जेल की चारदीवारी के भीतर रखा गया है, उन अधिकारो की प्राप्ति के बिना और उनके अभाव में हमारे लिए अंदर-बाहर एक समान है

इसलिए हमें अपने भाग्य पर छोड़ दिया जाय—हम अपनी-अपनी सजाएं काट कर आगे का मार्ग उचित समय पर आवश्यकतानुसार तय कर लेंगे।

इस पर जेल-मिनिस्टर साहब बोले कि अन्नदाता के हृदय में आप लोगों के प्रति बड़ा नरम कोना है और आप लोगो को एक बार किसी प्रकार से ऐसी परिस्थिति पैदा कर देनी चाहिए कि जिसमें श्रीमान अन्नदाताजी के लिए आप लोगों को पास बुलाकर आपकी मांगों को सुनने का मार्ग प्रशस्त हो जाय और प्रेस्टिज (महाराजा की शान) का सवाल शीघ्रातिशीघ्र हल हो सके। जब हमने यह कहा कि श्रीमान अन्नदाताजी तो प्रजा के लिए पिता तुल्य है और प्रजा उनके लिए पुत्र तुल्य है तो ऐसी अवस्था में प्रेस्टिज का कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता और जब दोनों ओर सद्भावपूर्वक सहयोग का प्रयास किया जा रहा है तो फिर हमें अपने पास बुलाकर हमारी माँगों को सुनने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जो मसौदा बन चुका है वह पर्याप्त है। भविष्य के लिए आप नया बिन्दु क्यो जुड़वाना चाहते है और वह क्यों आवश्यक है? इस पर मिनिस्टर महोदय गंभीर टोन में बोले कि अब तक तो आप के साथ जो कुछ हुआ वह स्वर्गीय अन्नदाताजी की सरकार की ओर से हुआ था और किया जा रहा था किन्तु इस समय तो आप लोगों का बीकानेर गवर्नमेंट से कोई वास्ता न होकर स्वयं अन्नदाताजी के पर्सन यानी स्वयं शासक **(Sovereign)** के व्यक्तित्व की ओर से सद्भावना का हाथ बढ़ाया जा रहा है तो उस सूरत में उसे लौटाया नही जाना चाहिए। खास तौर पर ऐसी सूरत मे जबकि नए महाराजा साहब अपने स्वर्गीय पिताश्री की नीति से भिन्न नीति पर चलने को उत्साहित हैं और उत्सुक हैं। राजा के स्वर्गारोहण पर और नए राजा के गद्दीनशीन होने पर हर चूल्हे-दीठ जो कर सदियों से वसूल होता था उसे उन्होंने पहले ही दिन रद्द कर दिया। सूरजमालसिंह के साथ अन्याय हुवा ऐसा वे महसूस करते थे उन्हे वापिस बुलाकर जागीर लौटाने की योजना विचाराधीन है और स्वर्गीय पिता श्री गंगासिंह के जिस प्रशासन और नीति के कारण आप लोगों को जेल में डाला गया था उसके ठीक विपरीत जाकर गद्दी पर बैठते ही आपसे राज्य की उन्नति में सहयोग प्राप्त करने के लिए मुझे सवेरे ही सवेरे आप लोगों के पास भेजा है। आप उसकी कोई कीमत न करके छोटी-छोटी बातो में नू-नच कर रहे है यह बड़े अफसोस की बात है। पिताश्री ने आप लोगो के साथ जो मार्ग अपनाया था उसे वे उचित समझते थे, तो क्या ये भी उसे उचित समझेगे? अगर ऐसा होता तो अपनी पहल से मुझे आप लोगों के पास भेजते ही क्यों? क्या आपने अपनी तरफ से कोई दरख्वास्त या फर्याद की थी? नहीं की। मेरी तो आप लोगों से पुरजोर आशा है कि महाराजा की प्रेस्टिज के लिए ही सही इतना और बढ़ा दीजिए कि भविष्य में जिस मार्ग को अन्नदाताजी अनुचित समझेगे हमारे लिए वह मार्ग अनुकरणीय नही होगा।

इतने सारे वाद-विवाद के बाद हमने भी नए महाराजा के सहयोग के प्रस्ताव को लौटा कर उन्हें अपमानित महसूस होने देना ठीक नही समझा और उपरोक्त लाइन बढ़ाकर

हस्ताक्षर कर दिए। जाते-जाते मिनिस्टर ने अग्रेजी मे कहा—Let byones be bygone and let us begin with a clean slate to welcome a new era.

यानी बीती बातों को भूलाकर हम सभी नए युग का स्वागत करते हुए नए सिरे से नए इतिहास की रचना में योगदान करे।

एक बात और यह कही कि शाम तक आपके पास अन्नदाता से भेट कराने के लिए बुलावा आवे तो उसके लिए तैयार और तत्पर रहें।

लालगढ़ से बुलावा और रिहाई

मिनिस्टर साहब के चले जाने के बाद हम तीनों अपनी-अपनी बैरकों में जाने के लिए रवाना हुए तभी सुपरिन्टेन्डेन्ट ने आकर हमें बताया कि मिनिस्टर साहब उन्हे हिदायत देकर गये है कि आज शाम तक हम तीनों को यह छूट दे दी गई है कि आप लोग अपनी-अपनी बैरकों मे जाने के बजाय एक दूसरे की बैरक में इकट्ठे रह-बैठ सकते हैं। यह सुनकर हम दोनों ने बाबूजी की बैरक मे जा बैठना पसंद किया। दिन भर आपस में गप-शप होती रही। मिनिस्टर साहब से हुई बातचीत और हमारी तरफ से लिखकर दिए गये मजूमन की चर्चा के दौरान गोयलजी के दिल का असमंजस सामने आया। वे कहने लगे भावुकता का अभाव हो तो आदमी शुष्क-ठूंठ कहलाता है और उसका अतिरेक हो तो उस अतिरेक में मूर्ख बन सकता है। कहीं ऐसा ही तो सवेरे नही हो गया जब महाराजा के संदेश-वाहक ने अति विनम्रता के साथ झुककर हमें एकदम झुका लिया हो? वैसे अपन तो कुछ भी न लिखकर देने के मूड मे थे फिर महाराजा के बिना हमारी दरख्वास्त या फरयाद के स्वयं अपनी तरफ से पहल करके उन्हे सवेरे ही सवेरे हमारे पास भेजने की बात कह कर और नए महाराजा साहब द्वारा अपने पिता की नीतियों के एकदम विपरीत जाकर, अन्याय जहाँ कहीं भी हुआ उसे ठीक करने की वृत्ति के उदाहरण देकर मिनिस्टर ने हम को 'न' से 'हाँ' मे ला दिया। गंगादास बोले कि बाबूजी इतना असमंजस क्यो अनुभव कर रहे हो, मुझे तो नहीं लगता कि जसवन्तसिंह ने जो कुछ कहा उसमें कोई बात असत्य हो। पहल राजाजी ने की है, बाप की नीति के विरुद्ध जाकर सदियों पुरानी प्रथा अनुसार गद्दीनशीनी पर चूल्हे-दीठ कर को एक क्षण में माफ किया है और हमसे भी मिल-बैठ कर हमारी माँगे सुनने को तत्पर दिखते है—क्या यह सब पिता की नीति के विरुद्ध जाकर भी कुछ कर गुजरने की तमन्ना का संकेत नहीं हो सकता? इस बार मैंने भी मुँह खोला और कहा, जो कुछ हम से लिखाया गया है वह तो केवल मात्र महाराजा साहब के औडियन्स का रास्ता प्रशस्त करने मात्र तक के लिए है—मिलने पर अपनी माँगें निवेदन करके फिर जो उचित समझें वह स्टेण्ड (यानी रुख) हम ले सकते हैं। एक शासक की पर्सनल प्रेस्टिज (यानी व्यक्तिगत शान) को भुलाकर उनकी पहल से बढ़ाये गये उनके सहयोग के हाथ को ठुकरा देना हमारे लिए महज एक

घमंड भरी प्रतिक्रिया ही होती। मेरी और गंगादास की बातो से बावूजी संतुष्ट हुए या नही यह तो कभी पता नही चला पर वे इतना कहकर चुप हो गये कि असलियत का पता तो रूबरू बात होने से ही लगेगा। देखें, शाम को मिलने का अवसर दिया जाता है या नही।

शाम को करीब घंटा-डेढ़घंटा दिन बाकी रहा तब हमें सूचना मिली कि मोटर उपस्थित है और हम तीनों को उसमें जाना है। हम लोग बंद मोटर मे बैठ गए और थोड़ी देर मे लालगढ़ पहुँच गये। हमारी कल्पना के विपरीत, हमें जहां उपस्थित किया गया वहां दरबार लगा हुआ था। नए महाराजा साहब एक ऊचे स्थान पर सिंहासन पर विराज रहे थे। नीचे दोनों ओर दरबारी पौशाक में संभवत. सामन्त लोग बैठे हुए थे। वहां महाराजा साहब के दायीं ओर हमे खड़ा कर दिया गया। यह हमारी अपेक्षा के विपरीत था। हम तो सोच रहे थे कि हमे महाराजा साहब से एकान्त में निवेदन करने का अवसर मिलेगा। सबसे आगे गोयलजी थे, उनके पीछे भाई गंगादास थे और सबसे पीछे मै खड़ा हुआ था। हम तीनो ने उस दरबार मे उपस्थित किए जाने पर दोनो हाथ जोड़कर और झुककर नरेश का अभिवादन किया। महाराजा साहब ने न हाथ हिलाया और न सिर हिलाया। हमने दुबारा अभिवादन किया और इस बार नरेश ने हाथ और सिर दोनो हिलाकर अभिवादन को स्वीकार किया। बाद मे मालूम हुआ कि कैदियो को साक्षात्कार देने के अवसर पर कैदियो द्वारा महाराजा साहब के पैरों पड़ने की अपेक्षा रखी जाती है और उनकी अपेक्षा के विपरीत हमने केवल झुककर हाथ जोड़े थे जो महाराजा को नागवार गुजरा मालूम होता है। उनके चेहरे पर भी स्मित न दीख कर रूखापन नजर आया। पर हम पैरों नहीं पड़े और दुवारा भी केवल हाथ जोड़कर अदब के साथ झुककर अभिवादन किया तब महाराजा साहब को यह लगा होगा कि ये पैरो नहीं पड़ेगे और इनका अभिवादन वैसे ही स्वीकार कर लेना ठीक है। तब उन्होंने सिर और हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करना जताया।

यह भेंट दोनो पक्षों की अपनी-अपनी अपेक्षाओं के विपरीत रही। महाराजा साहब और दरबारियो को तो हम कैदियों द्वारा पैरो पड़ने का दृश्य देखने को नहीं मिला और हमे मिनिस्टर साहब द्वारा पैदा किए गए माहोल की अपेक्षा के अनुसार नरेश के समक्ष अपनी मांगे रखने का अवसर नही मिला। हम नहीं कह सकते कि यह ऐसा परिस्थितिवश हुवा या विचौलिए मिनिस्टर महोदय की कपटपूर्ण चतुराई के कारण हुवा।

वहरहाल महाराजा साहब ने अपना मुँह खोलकर कुछ कहा। क्या कहा यह मुझे तो इसलिए सुनाई नहीं दिया कि मै सबसे पीछे खड़ा होने से कुछ दूरी पर था और वह अग्रेजी मे कहा गया था इसलिए भाई गंगादास की समझ मे नही आया। इसके बाद हमे वापिस उसी मोटर में बैठने को कहा गया और हम उसमें बैठ गये। मै यह सोचने लगा कि संभवत' जो कुछ होना था वह असफल हो गया है इसलिए 'पुनर्मूपकोभव' के अनुसार हमे वापिस जेल में जाना है।

पर हुवा उसके विपरीत। वह बंद मोटर जेल के दरवाजे पर नही पहुँची बल्कि हम मे से हर एक को अपने-अपने घर के आगे पहुँचा कर उतरने को कहा गया।

बाद मे गोयलजी से मिलने पर मैने जब पूछा कि महाराजा साहब ने क्या कहा था तो उन्होने वताया कि उन्होंने कहा था 'यू वेट एंड सी' तुम लोग इंतजार करो और आइन्दा देखो आगे मै क्या करता हूँ।

मै जिस घर मे रहता था वह सीर का घर था जिसमें मेरी तरह अन्य हिस्सेदार भी रहते थे। मेरा निवास ऊपर की मजिल पर था इसलिए मेरे आ जाने का पता घर वालों को नीचे की मजिल में रहने वाले हिस्सेदारो की वधाइयो की आवाज से लगा। माँ, पत्नी और वच्चा तीनो दौड़कर नीचे आए और इस सुखद आश्चर्य से आनंद विभोर हो रहे थे। बच्चा तो मेरी बढ़ी हुई काली लम्बी दाढ़ी देखकर घवराहट के कारण रोने लगा।

मैने घर में जाकर कुशलक्षेम पूछी तो उन्होंने 'सब ठीक है' कहकर, मेरे जेल के काल मे पीछे से उनके द्वारा उठाई गई कठिनाइयो का पिटारा न खोलना ही उचित समझा और माँ ने कहा, 'तू आ गया यह सबसे बड़ी बात है—वाकी सुख-दुख तो यों ही चलते रहेगे। पर तुम लोग छोड़ कैसे दिये गये यह तो बता?' मैने सोचा कि राजनीति की वातों को ये क्या समझेगी, इसलिए छोटा-सा जवाब दे दिया कि नए महाराजा साहब ने राजगद्दी पर वैठने की खुशी मे कई कैदियों को छोड़ा और हम लोगों को भी छोड़ दिया। माँ तो इतने से उत्तर से संतुष्ट हो गई। पर मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि यह प्रश्न तो सभी लोग करेंगे तो क्या सारी बात बता देना ठीक रहेगा क्या? दूसरे-तीसरे दिन मैने गोयलजी से यही प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा 'तुम लोग तो कह दो वाबूजी जाने'। मैने कहा यह तो ठीक है पर यह 'वेट एंड सी' के लिए कितना अरसा लगेगा? उन्होंने वताया कि उस दिन (यानी 16 तारीख को) तो परिस्थितिवश कोई वार्तालाप नहीं हो सका, अव मैं महाराजा को पत्र लिखकर वातचीत के लिए समय माँग रहा हूँ। अगर नेक नीयत है तो जल्द ही समय दे देंगे।

16 फरवरी की संक्षिप्त मुलाकात के ठीक एक सप्ताह वाद यानी 23 फरवरी को महाराजा साहव ने गोयलजी को बुलाकर एक घंटे तक विस्तार से वातचीत की। पूछने पर मुझे गोयलजी ने विश्वास मे लेकर वताया कि इस मुलाकात के वाद महाराजा साहव की नेक नीयत मे तो अविश्वास विल्कुल नही किया जाना चाहिए। महाराजा साहव ने सारी वातें विस्तार से सुनी और अनेक वातें उन्हें (गोयल को) विश्वास में लेकर वताई। महाराजा साहव के सामने भी कुछ वास्तविक कठिनाइयां हैं ऐसा नजर आता है। वे सारी तो गोयलजी खोलना नही चाहते थे पर दो वातें ये सामने आई कि ब्रिटिश सरकार के राजपूताना के पोलिटीकल एजेन्ट, जिन्हें रेजिडेन्ट कहा जाता है, की नजर सारे रजवाड़ो पर रहती है जिससे सारे राजा लोग सशंकित रहकर सुधार करते हैं और हमारे महाराजा साहव तो वहुत ही सशंकित है और सम्राट द्वारा महाराजा की गद्दीनशीनी

की मान्यता (खरीते के समारोह) का इन्तजार कर रहे है और उससे पहले कोई भी सार्थक बात कहने में उनकी हिचकिचाहट दृष्टिगोचर हुई। एक वाक्य में गोयलजी ने अपना इम्प्रेशन यानी मुलाकात के बाद स्वय पर पड़ने वाला प्रभाव यह बताया कि महाराजा साहब शुद्ध हृदय के साथ कुछ करना चाहते है, वह 'कुछ करने' के तरीकों और प्रक्रिया की खोजबीन में तत्पर है। फूँक-फूँक कर कदम बढ़ाते नजर आते हैं इसलिए हमे उतावली से हड़बड़ाहट पूर्ण कोई कदम न उठा कर उन्हें वांछित समय देकर भी प्रशासन में सुधार का अवसर धैर्यपूर्वक देना चाहिए। अब घंटे भर की निष्कपट बातचीत मे क्या कुछ हुवा यह तो वे ही जानें पर एक राजा द्वारा एक नागरिक को विश्वास में लेकर की गई बातचीत को प्रगट करना भी अनुचित होता और हम साथियों द्वारा दबाव देकर सब कुछ जानने का प्रयास करना भी उतना ही अनुचित था। मैंने और भाई गंगादास ने, गोयलजी ने जो कुछ और जैसा कुछ बताया उससे सतुष्ट होकर अपने-अपने धन्धे में लग जाना ही श्रेयस्कर समझकर शांति धारण कर ली।

मेरा वापिस धन्धे में लगना

जेल से छूटने के बाद दो दिन मैने खूब आराम किया क्योंकि एक कैदी की नीद और एक स्वतन्त्र नागरिक की नींद में कितना फर्क होता है इसका मैंने जीवन में पहली बार अनुभव किया। तीसरे दिन हम कुटुम्बी तनाव रहित मूड में बैठे भूतकाल की घटनाओं की चर्चा करने लगे तो मुझे 26 जनवरी को लक्ष्मीनाथ—बाग में मघारामजी द्वारा किये गये झंडारोहण की याद आई जिसमे गोयलजी की पत्नी मनोरमादेवी गोयल व उनकी पुत्री चन्दो बाई ने भाग लेकर महिलाओं का गौरव बढ़ाया था और मै अपनी माँ से पूछ बैठा कि तुम सासू-बहू मे से किसी को तो उसमें भाग लेना था क्योकि मैंने भी गोयल की तरह घर के लिए संदेश भिजवाया था कि तुम लोग उस अवसर पर अवश्य भाग लेना—अगर भाग लेती तो मेरा भी गौरव बढ़ता और तुम्हे कोई फाँसी तो होती नही। ऐसा कहकर मैंने माँ की दुखती रग को छेड़ दिया।

माँ ने दुःख मिश्रित क्रोध की आवाज मे कहा, 'तूं ने तो अपनी सारी जिम्मेदारी अपने सिर से फेंक कर हम लोगों को निराश्रित छोड़ जाना ठीक समझ लिया तो क्या मै भी, तेरी अनुपस्थिति में कुटुम्व की जिम्मेदारी को तिलांजलि दे देती ?' मैं सकपकाकर चुप हो गया। पर माँ का गुस्सा अभी उतरा नहीं था वह आगे बोलती गई, 'इस कंस-राज मे जेल जाने पर हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। मेरे इस नन्हे-से बच्चे (यानी पोते) का भविष्य मैं कैसे दाँव पर लगाने का जुआ खेल लेती।' मैंने चुप रहने में ही अपना कल्याण समझा। पर माँ चुप नही रही और आगे बोली 'अब घर का हाल तो देख ही रहा है न ? ये कब तक चलेगा ? वापिस कचहरी शुरू कर ताकि घर का काम चले।' जब मैंने चुप्पी धारली और देखा कि माँ वास्तव मे दुखी है—और मेरे से भविष्य के लिये कुछ आश्वासन चाहती है—तो मैंने कहा, 'मैं आज ही कचहरी जाना शुरू करता हूँ।'

मैं उसी दिन से कचहरी जाने लगा। पर कचहरी जाने मात्र से तो आमदनी नहीं होती, क्योंकि मेरी अर्जीनवीसी की सनद तो सन् 1942 मे ही जब्त हो चुकी थी। साथी

अर्जीनवीसो ने मुझे सलाह दी कि अव तो शासन और वातावरण सभी बदल चुका है इसलिये सनद के लिये मै नए सिरे से दरख्वास्त क्यों नही दे देता ? मैने दरख्वास्त दी जो शीघ्र ही स्वीकृत हो गई और मैंने अर्जीनवीसी का काम शुरू करके जीवन को नोरमल यानी सामान्य बना लिया।

एक अटपटा कार्यकर्ता

कचहरी में सन् 42 के आंदोलन संवंधी चर्चाएं होती रहती थी जिनमें मेरे गिराई और जेल में रहने के काल में क्या कुछ हुवा इसका हाल मै साथियों को बताता था और इस अरसे में बाहर के हालात की विस्तृत जानकारी औरों से मिलती रहती थी।

इन चर्चाओं के दौरान एक नए कार्यकर्ता की जानकारी मिली जिनका नाम जीवनलाल डागा (महेश्वरी) था। विहार में उनके पिता का कारोबार था और वे मातृभूमि वीकानेर आते-जाते रहते थे। स्वतन्त्रता आंदोलन के संस्कार तो उन्हे बिहार से ही प्राप्त थे और यहां आने पर गंगादास ने उनसे परिषद् का फार्म भरवा लिया था और तभी से ये सक्रिय हो गये थे। नौ अगस्त को जब राज के दबाव से अनेक कार्यकर्ताओं को पीछे हटना पड़ा था तब गंगादास ने माफी न माँगकर अपने ही घर में नजरवंद हो जाना स्वीकार कर लिया था। 10 अगस्त को परिषद् के अनेक सदस्यों की पेशी राज्य के प्रधानमंत्री मान्धातासिंह के सामने लालगढ़ में हुई, उसमें उक्त डागा भी एक थे। चूँकि प्रजा-परिषद् के सदस्यता फार्म मे परिषद् के उद्देश्य के वारे में अंकित था कि 'इस परिषद् का उद्देश्य श्री महाराजा साहब बीकानेर की छत्रछाया में, न्यायोचित और शांतिमय उपायों द्वारा बीकानेर राज्य मे उत्तरदायी शासन प्राप्त करना है।' इसलिए प्रधानमंत्री मान्धातासिंह ने हर एक सदस्य से दो प्रश्न पूछते थे—(1) क्या तुम महाराजा साहव के शासन के खिलाफ हो और (2) उत्तरदायी शासन का क्या अर्थ है ? पहले के उत्तर मे हरेक सदस्य स्वाभाविक रूप से यही कहता था कि नही। और दूसरे प्रश्न के उत्तर में साधारण कार्यकर्ता इसका तकनीकी अर्थ वताने में प्रायः असमर्थ रहता था। डागाजी से भी यह दो प्रश्न पूछे गये थे और पहले प्रश्न के उत्तर मे तो 'नही' आना ही था, पर ब्रिटिश भारत से आए अग्रेजी पढ़े-लिखे सदस्य से दूसरे प्रश्न का सही उत्तर पाने की अपेक्षा स्वाभाविक ही थी। पर सव कुछ जानते हुए और समझते हुए भी डागाजी ने बात को टालते हुए कहा, 'मै सिर्फ अंग्रेजो को भारत से निकालना चाहता हूँ, आपकी पुलिस के पास मेरा पिछला रिकार्ड है।'

डागाजी जैसे समझदार व्यक्ति के इस उत्तर का अर्थ आज तक हम लोगों की समझ में नहीं आया है। अगर वे सिर्फ अग्रेजो को भारत से निकालने मात्र के लिए ही आजादी के जंग में कूद पड़े थे तब तो उनको बीकानेर रियासत मे आकर स्वतन्त्रता सेनानी वनने की क्या आवश्यकता थी। यह कार्य तो वे विहार में रहते हुए भी कर सकते थे क्योंकि सारे ब्रिटिश प्रांतो मे हजारों नर-नारी इस महान यज्ञ में अपनी आहुति दे रहे थे, उनमें ये भी शामिल हो जाते और बीकानेर मे होने वाले क्रूर दमन और दमघोटू वातावरण से उन्हे कोई गिला नही थी तो फिर उत्तरदायी शासन को न्यायोचित और शांतिमय उपायों से कायम

करने के उद्देश्य से संगठित हुई प्रजा-परिषद् का सदस्य क्यों वने थे ? डागाजी की यह दृढ़ धारणा रही है कि देशी रियासतों मे प्रजा की समस्याएं राजा सुनता था इसलिए प्रजा खुश थी तो फिर रियासती आन्दोलन में उन्होने प्रवेश ही क्यों किया और महाराजा गंगासिंह की भाषा मे 'रियासत की सुख-शांति व अमन-चैन को भंग करने वालो' में वे क्यों शामिल हुवे थे ? इसीलिए न कि भारत एक और अखंड है, राष्ट्र की एकता और अखण्डता की मूलभूत राष्ट्रीय धारणा के कारण रियासतो के नरेशों के साथ संघर्ष मे आना अनिवार्य हो गया था क्योंकि ये नरेशगण भारत में ब्रिटिश साम्राज्य रूपी भव्य भवन के सुदढ़ आधार स्तम्भ वनकर ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षार्थ अपनी ही जनता को नृशंसतापूर्वक कुचल डालने में भी गौरव अनुभव करते थे। क्या सारे भारतवर्ष को भारतमाता के रूप मे एक और अखण्ड मानकर ही सारे भारत मे स्वातंत्र्य युद्ध नही लड़ा जा रहा था ? पर डागाजी तो परिषद् के संस्थापक और शीर्ष नेता को, महज उनके पूर्वजो के उत्तर प्रदेश के होने के कारण बीकानेर के लिए एक 'परदेशी' मानते थे। संभवतः वे महाराजा गंगासिह द्वारा 'फूट डालो और राज करो' की नीति के अनुसरण में बुलंद किये गये 'देशी' और 'परदेशी' के भ्रामक नारो के जाल में फँसकर, प्रजा-परिषद् के अपने ही शीर्ष नेता की जड़ काट रहे थे और इस तरह जानकर या अनजान में महाराजा की भाषा में बोलकर राजपक्ष का खिलौना वनते नजर आ रहे थे। अगर महाराजा की भाषा मे और डागा जी की आवाज में ही विश्वास किया जाय तो फिर महात्मा गाधी तो गुजरात की एक रियासत के ही नागरिक थे इसलिए क्यों न उन्हें अपने जन्मस्थान वाली रियासत के अलावा सारे भारत वर्ष के लिए परदेशी मान लिया जाय ? पर डागाजी 'महात्मा गांधी की जय' का नारा तो बड़े जोर से लगाते थे। प्रधानमंत्री ने उपरोक्त टलाऊ उतर सुनकर तुरन्त गोवर्धनलालजी, एस.पी. को बुलाया और डागाजी उनके सुपुर्द कर दिया। एस.पी. साहब ने लक्ष्मीनारायण नामक एक मातहत पुलिस अधिकारी को चार सिपाहियों के साथ उनके घर पर ड्यूटी पर लगा दिया। डागाजी की अपनी लेखनी के अनुसार 'परिषद् के प्रमुख सदस्यों ने मान्धातासिंहजी के आगे माफी मांग ली थी', जवकि मैंने कोई माफी नही मांगी अपितु पुलिस रिकार्ड के अनुसार या तो मैं भूमिगत हो गया था या कलकत्ता चला गया था।' डागाजी आगे लिखते हैं कि 'मैंने जब समझा कि प्राय सभी लोगों ने माफी माँग ली तव भूमिगत होना ही अच्छा समझा।'

इसके वाद सन् 1943 की 26 जनवरी का स्वतन्त्रता दिवस आया। उस समय गोयल, कौशिक, और लेखक तो जेल के सीखचों के पीछे थे इसलिए वैद्य मघाराम आदि परिषद् के लोगों ने लक्ष्मीनाथजी के वाग मे स्वतन्त्रता दिवस मनाने के उपलक्ष्य में जव झंडा फहराया उस समय डागाजी चाहते हुए भी वहा नहीं पहुँच सके। उनके खुद के शब्दो में 'सुवह करीव आठ वजे पुलिस अधिकारी लक्ष्मीनारायण व पुलिस की टुकड़ी जो मेरे घर के वाहर अरसे से तैनात थी, उन्होंने मेरे घर के अन्दर प्रवेश करके मेरे कमरे की तलाशी ली और तीन राष्ट्रीय झडों की वरामदगी करते हुए मुझे गिरफ्तार कर लिया। मेरा प्रोग्राम सुवह नौ वजे झण्डा लेकर जुलूस निकालने का था। आगे वे लिखते हैं कि 16 फरवरी को नए महाराजा ने रघुवरदयाल गोयल को जेल से छोड़ा उसके एक दो दिन पहले मुझे छोड़ दिया। तव तक मुझे लाइन पुलिस की कोटड़ी में रखा गया।

रामनारायण (मघारामजी के पुत्र) तथा मेरे को पुलिस वहुत जूनीयर तथा छोटी अवस्था का समझती थी। इसलिए कोई जिम्मेदारी की बात नहीं की।'

इसके बाद डागाजी बाहर चले गये और आने वाले वर्षो में रियासत मे आते जाते रहे और राजनीति में भाग लेते रहे।

अन्य सभी राजनैतिक कैदियों की रिहाई

श्री सत्यदेव विद्यालकार श्री मघाराम पर लिखी अपनी पुस्तक मे लिखते है कि गोयल वगैरह को छोड़ देने के दूसरे ही दिन श्री भिक्षालाल को रिहा कर दिया गया। जेल मे बंद श्री नेमीचन्द ऑचलिया ने जेल अधिकारियो की ज्यादती के कारण भूख हड़ताल कर रखी थी परन्तु अधिकारियों ने उन्हे भी छोड़कर अपना पीछा छुड़ाया। अब केवल वैद्यजी जेल में इसलिए रह गये कि वे रिहाई के लिए महाराजा के पास जाने को तैयार नही थे। अंत में चार दिनों बाद उन्हें भी छोड़ दिया गया।

इस तरह एक बार तो 'जेल-अध्याय', राजनैतिक कार्यकर्ताओं के लिए सन् 43 के पूरे वर्ष के लिए बंद हुवा क्योकि सारे राजनैतिक बंदियों को नए महाराजा ने जेल से छुटकारा दे दिया था और पूरे साल भर तक राजनैतिक कार्यकर्ताओं के लिए जेल मे जाने का कोई नया अवसर नही आया।

खरीता समारोह

जेल के भीतर की कहानिया कहते-सुनते पूरा फरवरी का महीना समाप्त हो गया। मार्च शुरू हुआ। 8 मार्च को अचानक सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी गई। छुट्टी क्यों घोषित की गई इसके लिए मैने राजपत्र देखने की कोशिश करनी शुरू कर दी। गोयलजी के घर राजपत्र देखने गया तो पता चला कि चिर-प्रतीक्षित 'खरीता दिवस' के उपलक्ष्य मे छुट्टी हुई थी। तब मै यह 'खरीता-दिवस' क्या है इसको जानने में लगा।

महाराजा साहब और प्रजापरिषद् दोनों पक्षो द्वारा अपने-अपने अलग कारणों से चिर-प्रतीक्षित जिस 'खरीता-समारोह' (यानी वह समारोह जिसके द्वारा किसी भी रियासती शासक को सम्राट द्वारा, रियासत के राजसिहासन का उत्तराधिकारी होने के तथ्य को औपचारिक रूप से मान्यता दिया जाना, समारोह पूर्वक घोषित किया जाता है) का इंतजार किया जा रहा था, वह दिन आ गया और 8 मार्च को 'खरीता-समारोह' की सार्वजनिक छुट्टी घोषित की गई। राजपूताना की देशी रियासतों के रेजीडेन्ट मिस्टर जी.वी बी. गिलियन ने गंगानिवास दरबार सभा भवन मे भारत के वायसराय की तरफ से 'खरीता' प्रस्तुत किया जिसके द्वारा उन्होंने सम्राट द्वारा महाराजा साहब की गद्दीनशीनी को मान्यता प्रदान करने की सनद प्रस्तुत की।

रेजिडेन्ट गिलियन का सुझाव

'खरीता' प्रस्तुत करते हुए रेजिडेन्ट गिलियन महोदय ने नए महाराजा साहब को सबोधित करते हुए जो उद्गार व्यक्त किए बहुत महत्वपूर्ण थे। उन्होंने कहा, 'संसार के

इतिहास के इस नाजुक वक्त मे आपने यह अनमोल वपौती प्राप्त की है। इस समय यह आशा नहीं की जा सकती कि आपके राज्य पर वाहर की घटनाओं का कोई असर नहीं पड़ेगा। पारम्परिक आर्थिक निर्भरता, सफर की सुविधाओं तथा उनकी रफ्तार में वृद्धि तथा समाचार पत्रों व रेडियो द्वारा वाहर के विचारों का प्रसारण, इन सब के प्रभावो से राज्य अव अछूता नहीं रह सकता। आप तो दूर-दूर देशों में भ्रमण कर चुके हैं और उन राजनैतिक आलोचनाओं तथा विचारों से आप परिचित हैं, और निश्चय ही निकट भविष्य में आपके लिए भी ऐसी समस्याएं उपस्थित होंगी जिनका सुलझाना, यदि आप छोटी आयु और कम अनुभव के होते तो करीव-करीव असंभव सा प्रतीत होता लेकिन मुझे विश्वास है कि आप समय के साथ-साथ चलते रहेंगे और नए राजनैतिक विचारों में से लाभदायक बातों को काम में लेकर हानिकारक वातों को छोड़ देंगे।'

जिस काल में रेजिडेन्ट महोदय अपनी नेक सलाह इस महत्वपूर्ण खरीता-समारोह में दे रहे थे उस समय ससार में द्वितीय विश्व युद्ध पूरे वेग के साथ चल रहा था और कोई भी यह भविष्यवाणी करने की स्थिति में नहीं था कि हिटलर का अधिनायकवाद विजयी होगा या इंग्लैण्ड, फ्रांस आदि, लोकतंत्र और प्रजातंत्र के हामी मित्र राष्ट्र अधिनायकवाद को पराजित कर संसार में लोकतंत्र लाने और उसे बचाने में कामयाव होंगे। मित्र राष्ट्र लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर ही युद्ध लड़ रहे थे और युद्ध मे सहयोग देने के लिए सारे विश्व के राष्ट्रों का आह्वान कर रहे थे ताकि सारे विश्व में लोकतत्र को लाया जा सके और जहां लोकतंत्र पहले से मौजूद है वहां उसकी सफलतापूर्वक रक्षा की जा सके। भारत को, एक गुलाम देश होने के नाते, विना उसकी स्वीकृति के, युद्ध का एक हिस्सेदार घोषित कर दिया गया था और देश के जन-धन और साधन-सामग्री का भारी शोषण किया जा रहा था। देश में जगह-जगह जवरन सैनिकों की भर्ती की जा कर उन्हें उस विश्वयुद्ध की आग में झोंका जा रहा था, केवल लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर। सन् 39 में जव युद्ध शुरू हुवा उस समय ब्रिटिश-भारत के सारे प्रान्तो में लूले-लगड़े लोकतंत्र के रूप में काग्रेस आदि की 'लोकप्रिय' सरकारें चल रही थी पर जब विना भारतवासियों की स्वीकृति के भारत को युद्ध में घसीट लिया तो इस मनमानी के विरोध में कांग्रेस ने उस लूले-लंगड़े स्वशासन को छोड़ सत्ता से वाहर आकर यह माँग की कि भारत को युद्ध में झोकने मे यद्यपि अंग्रेजों ने भारतवासियों की पूर्व स्वीकृति नहीं ली तो भी हम इसकी तरफ से आँख मूँद कर युद्ध में सहयोगी वनने को तैयार है, वशर्ते कि कम से कम यह घोषणा तो कर दी जाय कि युद्ध मे विजयश्री प्राप्त करने के वाद तो भारत को स्वतन्त्रता दे दी जायेगी। पर अंग्रेजो ने एक न सुनी और भारत के धन-जन और सामग्री को युद्ध में झोंकते ही गये। देशी रियासतो के राजाओं ने सम्राट की वफादारी के नाम पर अपने जन-धन को युद्ध में झोक दिया और महाराजा गंगासिहजी तो अपनी व्यक्तिगत सैनिक सेवाएं सम्राट के चरणों पर न्यौछावर करने वाले नरेशों में सब से आगे रहे। ऐसी हालत मे ही गांधीजी ने 'अंग्रेजो भारत छोड़ो' का नारा देकर देशवासियो को 'करो या मरो' का आदेश दिया था और अग्रेजो की सख्ती के फलस्वरूप सारा राष्ट्र एक वड़ी जेल के रूप में परिणित हो चुका था।

इसी सदर्भ में रेजिडेंट महोदय ने खरीता-समारोह मे नए महाराजा का इस वात के लिए आह्वान किया था कि वे संसार मे प्रजातन्त्र की रक्षा और स्थापना के लिए चल रहे युद्ध के उद्देश्यों को समझकर 'समय के साथ' चलते रहे।

महाराजा के उत्तर 'वेट एण्ड सी' की पुष्टि

रेजिडेट के वक्तव्य के उत्तर मे बीकानेर के नए नरेश ने कहा, 'ससार आज अपूर्व महत्वपूर्ण संकट से गुजर रहा है और हम आपके इस विचार से पूर्णतया सहमत है कि इस संघर्ष मे से निकलने के वाद संसार मे सर्वव्यापक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि देशी रियासतें इन भारी प्रभावो से अलग नही रह सकती और न वे उन नई तथा सारे संसार पर असर डालने वाली शक्तिशाली विचारधाराओं के आक्रमण से ही बच सकती है और हम जानते हैं कि शासक के लिए समय के साथ-साथ चलना आवश्यक है'।

प्रायः सभी क्षेत्रो में एक वार तो नए महाराजा साहब के इन शब्दो पर विश्वास करने की इच्छा हुई जिसका कारण महाराजा की जानी-मानी उदारता व उनके अपने पिता से लम्बे अरसे से चले आते रहे मतभेदों की कहानियां थी।

इन कहानियों की पृष्ठभूमि बड़ी रोचक है। स्वयं महाराजा गंगासिह को राजसिंहासन केवल मात्र सात वर्ष की अवस्था में प्राप्त हो गया था पर नाबालिग होने के कारण वास्तविक शासन तो अंग्रेजी सत्ता द्वारा नियुक्त 'रीजेन्ट' यानी प्रतिशासक के हाथों में रहा। यह रीजेन्ट प्राय. अपनी मनमानी करता था। गंगासिंह अपने नावालिगी के काल मे भी अपने शासक होने के भाव रखते हुए बहुत कुछ करना चाहते थे पर अंग्रेज 'रीजेन्ट' उनकी विल्कुल ही परवाह नहीं करता था और कभी-कभी तो ऐसे भी अवसर आए जब उन्होंने अपने आपको अपमानित महसूस किया।

राज्य के भावी उत्तराधिकारी महाराज कुमार सादूलसिंहजी सन् 1902 में जन्मे थे पर उन्हे मातृत्व सुख अधिक नहीं मिला और बचपन में ही माता का स्वर्गवास हो गया। इससे उन पर पिता का प्यार द्विगुणित हो गया। मानव जीवन का कोई ठिकाना नहीं होता और मौत कभी भी आ सकती है, ऐसे मे महाराजा गंगासिह मातृत्व सुखविहीन अपने भावी उत्तराधिकारी सादूलसिंह के लिए भगवान से सदा यह प्रार्थना करते रहे कि महाराजकुमार को कभी 'रीजेन्सी शासन' की पीड़ा न भोगनी पड़े।

ऐसे में महाराजकुमार सादूलसिह जब 9 सितम्वर 1920 को वयस्कता को प्राप्त हुए उस दिन बड़ी खुशियां मनाई गई और इस अवसर पर बड़ी धूमधाम के साथ जो समारोह मनाया गया उसमे महाराजा गंगासिह ने ईश्वर के प्रति अपनी उत्कृष्ट कृतज्ञता प्रगट करते हुए कहा कि यह उसी की कृपा का फल है कि आज के दिन महाराजकुमार 'रीजेन्सी शासन' के खतरे से पार हो चुके है और आज ही के दिन मै उन्हें राज्य के प्रधानमंत्री के पद पर आशीन करता हूँ ताकि आने वाले वर्षो में मेरा शासन भार दिन-प्रतिदिन हल्का होता चला जाय।

प्रधानमंत्री रहने के काल में महाराजकुमार सादूलसिंहजी ने कई ऐसे निर्णय लिये और फैसले सुनाए जो विवाद और आमचर्चा का विषय बन गये थे। उन्होंने एक मामले में उन सेठ चांदमल ढड्ढा के खिलाफ निर्भीक होकर हुक्म दे दिया, जिन्हें उनके पिता गंगासिंहजी बड़े आदर के साथ 'काकासा' या 'बाबासा' पुकार कर संबोधित करते थे। उस निर्णय से जनता मे तो उनकी साख और शौहरत बढ़ी पर उनके पिता गंगासिंहजी को यह कुछ अटपटा सा लगा। ऐसे ही कुछ कटु निर्णय उन्हें कुछ राजपूत सरदारो के खिलाफ भी लेने पड़े जिनकी वाह-वाह भी बहुत हुई पर आलोचना भी कम नहीं हुई।

इन सब विवादास्पद मुद्दों के अलावा 'सेक्स' यानी कामुकता संबंधी कुछ चर्चाएं प्रजा में सुनी जाने लगी जिनके बारे में भी दो मत रहे—एक उन्हें सही मानता था तो दूसरा इन्हे भी समर्थ तबको के विरुद्ध किये गये कठोर निर्णयो की प्रतिक्रिया में षड्यन्त्रो का अंग बताते थे।

बहरहाल जिस महाराजकुमार को महाराजा गगासिह ने बहुत उत्साहपूर्वक वयस्क होते ही उसी दिन प्रधानमंत्री बना कर राज्य की बागडोर एक प्रकार से सौंप दी थी और आने वाले वर्षों में जिससे अपना खुद का शासन-भार धीरे-धीरे हल्का हो जाने की आशा और अभिलाषा संजोये बैठे थे, पाँच वर्ष बाद ही उसे 'शासन की ट्रेनिंग पर्याप्त रूप से सम्पन्न हो चुकी है' ऐसा कुछ प्रगट करते हुए प्रधानमत्री के बजाय केवल 'महाराजकुमार साहब' ही रहने दिया गया।

राज-काज से वंचित होकर महाराजकुमार साहब सादूलसिंह उदासीन सा जीवन बिताने लगे और बाप-बेटे मे छत्तीस के अंक जैसे संबंध बन गये। फलस्वरूप दोनों बाप-बेटे एक स्थान पर रहने तक नही पाए—एक जब राजधानी बीकानेर मे रहता तब दूसरा बम्बई के देवी-भवन में समय गुजारता और जब दूसरा बम्बई पहुँचता तो पहला दिल्ली चला जाता। सन् 1937 में गगासिंह के शासन के पचास वर्ष की पूर्ति पर जब गोल्डन-जुबली मनाई गई तब के औपचारिक समारोह के अवसर को छोड़कर दोनों बाप-बेटे कभी आमने-सामने होने का अवसर ही नहीं आने देते थे।

ऐसे संबंधों के रहते महाराजा गंगासिंहजी का स्वर्गवास हो गया और उत्तराधिकार में सादूलसिंहजी राजा बन गए और सिंहासनारूढ़ होने के बाद जब उन्होंने स्वर्गीय पिता के अनेक आदेशो को पलटा और पुरानी नीतियों के विपरीत कदम उठाने शुरू कर दिये तो उनकी रोशनी में लोगों को ऐसा लगा कि 'खरीता-समारोह' में रेजिडेन्ट के संबोधन मे नए महाराजा को समय के साथ बदलने की जो सलाह दी गई थी और उत्तर में महाराजा ने जो 'हम जानते है कि शासन के लिए समय के साथ-साथ चलना आवश्यक है,' यह आश्वासन दिया था उस पर विश्वास न करने का कोई कारण नजर नहीं आया और हम सब शासक के बदलाव के साथ ही शासन में पर्याप्त और सुखद बदलाव की आशा मे 'यू वेट एण्ड सी' यानी 'तुम लोग इंतजार करो और देखो कि मै क्या सुधार लाता हूँ, पर विश्वास करके सुधारो का इतजार करने लगे।

नए शासक के सिंहासनारूढ़ होने के बाद दमनकारी पुरानी शासन-नीति में सुखद और सुधारकारी बदलाव आने की हम लोगो की अपेक्षा थी और वह अपेक्षा अव आशा में परिवर्तित होती नजर आ रही थी क्योंकि हम स्वयं प्रत्यक्षतः अनुभव कर रहे थे कि हमारे पिछले कटु अनुभवों के विपरीत नरेश ने अपनी पहल पर हमें जेल से लालगढ़ के दरबार में बुलाया और वहां पर भी बिना हमारे किसी आवेदन-निवेदन का इन्तजार किये अपनी ही पहल पर 'यू वेट एण्ड सी' का आश्वासन देकर उसी दिन हम तीनों को रिहा कर दिया। इतना ही नहीं, वरन दरबार में दी गई उस खुली मुलाकात के एक सप्ताह के भीतर ही हमारे नेता श्री गोयल को लालगढ़ मे मुलाकात का अवसर देकर पूरे एक घटे तक विचारों का आदान-प्रदान किया और 8 मार्च को खरीता-समारोह में रेजिडेन्ट महोदय को यह कहकर आश्वस्त कर दिया कि शासक के लिए समय के साथ चलना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में हमें हमारे नरेश की नेक-नीयत में शंका करने का कोई कारण नजर नहीं आया और हम लोगो के लिए भी हमारी जद्दो-जहद की नीति को एक बार स्थगित करके अपेक्षित सुधारों का धैर्यपूर्वक इन्तजार करना आवश्यक हो गया। हमने निर्णय किया कि 'महाराजा साहब द्वारा दिये गये आश्वासनों के क्रियान्वयन मे हमारे कारण कोई वाधा न पड़े और इस इन्तजार-काल में विरोधात्मक और आन्दोलनात्मक राजनीति को स्थगित करके गांधीजी द्वारा प्रतिपादित रचनात्मक कार्यो यानी खादी, अछूतोद्धार, शिक्षा-प्रसार आदि जैसे कार्यो में परिषद् की शक्ति को नियोजित करे, और इस नीति पर हम लोगों ने अमल करना भी शुरू कर दिया।

सुधारों में बाधक तत्त्व

हम लोग अपने काम जुट गए थे परंतु कुछ समय पश्चात् ही लगने लगा कि सरल और नेक नीयत लगने वाले राजा के नेक इरादो की पूर्ति में उनके महाराजकुमार-काल के साथी-संगी ही बाधक बनने को थे। महाराजकुमार के रूप मे जब वे बीस वर्ष के हुए उस समय, यानी सन् 1922 में उनके कार्यालय में उनके परामर्शदाता के रूप मे कर्नल रायबहादुर गोपसिंहजी (कांगड़ पट्टे के जागीरदार) उनके सरदार-इन-अटेन्डेन्स थे, ठाकुर सूरजमालसिंह (दूधवाखारा जागीर के जागीरदार) उनके सेक्रेटरी थे तथा कुंवर बलदेवसिंह और मालासर के कुंवर जसवंतसिंह उनके ए.डी.सी. थे। ये चारो ही बीकानेर रियासत के सामन्त थे। इनके अलावा रियासत से बाहर का, यानी उत्तर प्रदेश का एक पूरबिया राजपूत बाबू प्रतापसिंह सन् 22 से ही उनके कार्यालय में डिस्पेच क्लर्क था जो महाराजकुमार साहब का चहेता होने के कारण सन् 1938 मे एक्टिंग सेक्रेटरी बन गया था। और सन् 43 में महाराजा ने सिंहासनासीन होते ही उसे अपना पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया और उसके बाद उपरोक्त पद के अलावा प्रशासन के पुर्नगठन के लिए विशेष अधिकारी का पद देकर आगे बढ़ाते-बढ़ाते जल्दी ही उसे गृहमंत्री बना दिया और उसके बाद तो समय पाकर वह राज्य मन्त्रिमंडल में सर्वसमर्थ मिनिस्टर बन गया।

हम लोग सब से पहले खादी के काम में लग गये। चूँकि स्वर्गीय महाराजा गंगासिंहजी ने सरकारी आदेश से गत सितम्बर मे ही खादी भंडार को जबरन बंद करा

लिया था और उसके फलस्वरूप बीकानेर में केवल खादी ही पहनने का व्रत लिये हुए सैकड़ों आजन्म खादीधारियों के लिए यह एक बड़ा संकट खड़ा हो गया था कि खादी कहां से लावें और कैसे पहनें? रियासत से बाहर आने जाने वाले लोगों के माध्यम से आस पास की रियासतों से खादी मंगवा कर जैसे तैसे अपने खादी ही पहनने के व्रत को लोग निभा रहे थे। ऐसे में हम लोगों ने खादी के निर्माण और बिक्री के लिए एक संस्था स्थापित करने का निश्चय किया और गोकुलजी के मार्गदर्शन में कौशिकजी इस काम में जुट गए। पूंजी भी चाहिए थी जिसके बिना खादी-उत्पादन का कार्य नहीं हो सकता था। इसके लिए कौशिकजी ने जगह-जगह पत्र भेजे और बीकानेर के खादी प्रेमियों से तथा पड़ोसी रियासतों के खादी प्रेमियों से सहयोग की अपेक्षा की। इस मामले में कौशिकजी द्वारा जो पत्र व्यवहार हुआ वह प्रजा-परिषद् के छपे पत्र-पैड पर ही हुआ क्योंकि प्रजा-परिषद् पर इस रियासत में अब तक कभी भी कोई कानूनी पाबंदी नहीं लगी और हम में से किसी के खिलाफ 'प्रजा-परिषद् प्रतिबंधित' संस्था है और हम उसके सदस्य हैं, इस आरोप में कभी कोई कार्यवाही नहीं की गई अपितु सदा यही अंकित करके दमन किया गया कि हम लोग 'सीफेरिअस एक्टीविटीज' में लगे हैं यानी घृणित और दुष्ट तथा राजद्रोहपूर्ण क्रिया कलापों में लगे हैं जिसमें हमें रोकना आवश्यक है। इसके लिए 'बीकानेर सुरक्षा एक्ट' का सहारा लिया जाता रहा। पर खादी का कार्य तो दुष्ट कार्य नहीं हो सकता था और न राजद्रोह ही हो सकता था इसलिए कौशिकजी ने सहज रूप से परिषद् के पत्र-पैडों पर पत्र-व्यवहार शुरू कर दिया था।

रियासत की सी.आई.डी. ने सरकार को रिपोर्ट दी कि गंगादास सेवग (कौशिक) आम जनता को यह गलत 'इम्प्रेशन' यानी धारणा देने के लिए कि 'परिषद्' को मान्यता प्राप्त हो गई है, प्रजा-परिषद् के लेटरपैड का अपने पत्र-व्यवहार में अक्सर उपयोग कर रहा है। 24 फरवरी की उस रिपोर्ट में आगे यह अंकित किया गया कि गंगादास निरन्तर यह प्रोपेगण्डा कर रहा है कि जेल से उसकी रिहाई महाराजा साहब से हुई उस मुलाकात का फल है जिसके दौरान प्रजा-परिषद् को सरकारी मान्यता प्रदान करने का भरोसा प्राप्त हुआ है। इस सिलसिले में गंगादास का एक आपत्तिजनक लेख 'दैनिक विश्वामित्र' के 24 फरवरी के अंक में प्रकाशित हुआ जिसमें यह दर्शाया गया है कि गंगादास, रघुवरदयाल और दाऊदयाल ने कभी क्षमा याचना नहीं की और वे कभी भी प्रजा-परिषद् के कार्य को छोड़ने को तैयार नहीं हुए और न छोड़ने वाले हैं।

दरअसल राजपूताने की अन्य सभी रियासतों में प्रजा द्वारा निर्मित जन संगठनों को पहले कानून द्वारा प्रतिबंधित किया जाना घोषित और राजपत्रित किया जाता था और उसके बाद ही उनके नेताओं और सदस्यों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती थी। बीकानेर रियासत इस का अपवाद थी। महाराजा गंगासिंह ने कभी भी किसी भी संस्था या संगठन को गैरकानूनी घोषित नहीं किया क्योंकि ऐसा करना उनकी सन् 1941 की उस सार्वजनिक घोषणा के विपरीत हो जाता जिसमें सारे संसार के समक्ष ऐलान किया गया था कि उनकी रियासत में प्रजा को पहले से ही भाषण, लेखन और संगठन के हक हासिल चले

आ रहे है, जिनको वे 'उसी रूप मे बनाए रखने को बहुत जरूरी' समझते है। वे कानून के बजाय डंडे का उपयोग ज्यादा करते थे और कहावत मशहूर हो गई थी कि 'बीकानेर में कानून अंग्रेजी, पर जूता राठौड़ी' से शासन चलता है।

जिस समय महाराजा सादूलसिंह एक तरफ गोयल से बातचीत चालू रखना उचित समझते थे तभी दूसरी तरफ उनके पुराने सलाहकार 'राठौड़ी जूते' से शासन चलाने के हामी होने से किसी तरह बातचीत में विघ्न पहुँचाने की फिराक में थे और यह सी.आई.डी. की रिपोर्ट उसी योजना का एक अंग थी। महाराजा साहब का ध्यान शासन सुधारों की तरफ था पर उनके पर्सनल सेक्रेटरी बाबू प्रतापसिंहजी जो अब बाबू के बजाय ठाकुर प्रतापसिंह बन चुके थे, हम लोगों द्वारा माफी मांग कर झुकने का प्रचार कर हम लोगों को उसका प्रतिवाद करने को मजबूर करके बातचीत में 'फ्रिक्शन' यानी मनमुटाव ला देने को तत्पर हो रहे थे। गंगादास के 24 फरवरी को विश्वामित्र में प्रकाशित लेख से हमारी सारी स्थिति स्पष्ट हो चुकी थी फिर भी महाराजा साहब की नेकनीयत में कोई फर्क आया हो ऐसा हमे नही लगा क्योंकि 24 फरवरी के बाद भी महाराजा साहब ने गोयल को मुलाकात दी और सूचित किया कि वे किसी ऐसे 'कोन्सटीट्यूशनल एक्सपर्ट' यानी संवैधानिक विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त करने के प्रयत्न में लगे हुए है जो कि राज्य में सवैधानिक सुधारों का ऐसा प्रारूप तैयार कर सके जो शासक और शासित दोनों के लिए संतोषजनक हो और रियासत प्रगति के पथ पर तेजी से अग्रसर हो सके।

हमारा रचनात्मक कार्यक्रम

इस अरसे में हम परिषद्‌वाले खादी के कार्य में दत्तचित्त होकर लग चुके थे। हमने खादीप्रेमियो और खादीउत्पादक संस्थाओं से सपर्क करके सबके सहयोग का आह्वान किया। कुछ ही समय मे हमे सकारात्मक सहयोग प्राप्त होने लगा।

सबसे पहले 'अखिल भारतीय चरखा सघ' की राजस्थान की शाखा गोविन्दगढ़ मलिकपुर के मत्री रामेश्वर अग्रवाल का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने हम लोगों को रिहाई पर बधाई देते हुए विगतवार समाचार जानने के लिए गोयल से मिलने की इच्छा प्रगट की और खादी के बारे में उन्होने लिखा कि 'आशा है खादी के बारे में जो रुकावट है वह भी दूर हो जायगी और आप इस संबंध में जो भी कुछ कर सकते हों वह अब शीघ्र करे और प्रगति की सूचना दे।

उधर सीकर जिले के फतेहपुर निवासी सेठ सोहनलाल दुगड़ ने खादीकार्य के लिए एक हजार रुपये का सहयोग किया। अन्य खादीप्रेमियों ने भी यथाशक्ति आर्थिक सहयोग प्रदान किया और मई 1943 मे खजांची भवन में खादी की बिक्री की व्यवस्था हो गई। इस बिक्री केन्द्र का नाम खादी-मंदिर रखा गया। बाद में इसी खादी मंदिर के अन्तर्गत उत्पादन का काम भी शुरू किया गया जिसके फलस्वरूप कताई करने वाली गरीब महिलाओं को और बुनकरो को रोजी-रोटी मिलने से काफी राहत मिली और अन्य ग्रामोद्योग भी खादी-मंदिर के माध्यम से पनपने लगे।

चरखा-सघ की शाखा के रूप मे जिस खादी-भंडार को सन् 1942 के सितम्बर मे सरकारी आदेश से जवरन वद करके ताला लगा दिया गया था उस शाखा को राजकीय स्वीकृति से पुन खुलवाने में हम लोग सफल नहीं हो सके क्योंकि महाराजा साहब के प्राईवेट सेक्रेटरी ठाकुर प्रतापसिंह सदा इस में आड़े आते रहे। ठाकुर प्रतापसिंह को तो खादी-मदिर का उद्घाटन और संचालन इतना अखरा कि उन्होंने यह रिपोर्ट करवादी कि खादी-मंदिर के नाम से एक संस्था गोयल ने शुरू की है जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य विरोधी लोगो को उसकी आड़ में अपने षड्यंत्र रचने के लिए एक ऐसा स्थान प्राप्त हो जाए जहां वे लोग निर्भय होकर मिल सकें और उसकी ओट में राज्य-विरोधी विचारो और योजनाओं का आदान-प्रदान कर तथाकथित राजनीतिक क्रिया-कलाप चालू रख सकें।

व्यायामशाला का उद्घाटन

अगस्त के महीने में कलकत्ता-प्रवासी सेठ वालकृष्ण मोहता ने गोयलजी से सलाह-मशविरा करने के वाद बीकानेर नगर की ईदगाह वारी के वाहर मरुनायकजी की वगीची में एक व्यायाम-शाला खोल दी जहां लाठी चलाने के अलावा अनेक प्रकार की शारीरिक कसरतें बच्चों को और नवयुवको को सिखाई जाने लगी। इसने नवयुवक वर्ग को अपनी और आकर्षित किया और उसका फायदा उठाने वालों की संख्या दिन-व-दिन वढ़ने लगी। ठा. प्रतापसिंह को इससे भी राज को खतरा महसूस हुआ और उन्होंने रिपोर्ट करवाई कि इस व्यायामशाला का मुख्य शिक्षक भूतपूर्व प्रजामडल का कोषाध्यक्ष भिक्षालाल शर्मा है जो नवयुवको में कसरत सिखाने की आड मे राज्यविरोधी भावनाओं का प्रचार करता रहता है।

इसमे कोई शक नही कि इस व्यायामशाला के मुख्य शिक्षक भूतपूर्व प्रजामंडल के कोषाध्यक्ष भिक्षालाल शर्मा ही थे जो 16 फरवरी को हम लोगों की रिहाई के चार दिन वाद ही जेल से छूटे थे पर वे तो जीवन भर अपनी सेवाएं नवयुवको को लाठी के प्रयोग में प्रवीण करने व शारीरिक रूप से सशक्त वनाने वाले फिजिकल कल्चर की ट्रेनिग देने में लगे रहे और कभी इस वात की परवाह नही की कि इन सेवाओं के वदले में उन्हें आर्थिक रूप से कुछ मिलता है या कुछ नहीं मिलता। ऐसे शारीरिक शिक्षा के केन्द्र में युवकों मे देशभक्ति की भावना भरते रहना उनके जीवन का मिशन था और इस देशभक्ति पूर्ण कार्य मे भी ठा. प्रतापसिंह को 'राज द्रोहात्मक क्रिया-कलाप' की वू आ रही थी। सी.आई.डी की रिपोर्ट में यह और जोड़ दिया गया कि इस व्यायामशाला के संगठनकर्ताओं मे रघुवरदयाल का मुख्य हाथ है और गोयल के अलावा सेठ रामगोपाल मोहता, केवलचन्द वैद, गगादास सेवग, जीवनराम डागा, गंगाराम विहाणी, गोपालदास दम्माणी, वधूड़ा उर्फ रामनारायण, मघाराम वैद्य, मांगीराम ब्राह्मण, मनुजी करणानी भी शामिल है। इसके अलावा यह भी रिपोर्ट की गई कि उपरोक्त सेठ बालकृष्ण मोहता का विचार व्यायामशाला की स्थापना तक ही सीमित नही है अपितु यह सख्श बीकानेर मे कुछ वाचनालय और पुस्तकालय चलाने की योजना बना रहा है इसलिए इस पर सावधानी के साथ निगरानी रखने की जरूरत है।

जिस समय महाराजा के प्राइवेट सेक्रेटरी इन सामाजिक हित के कार्यक्रमों में भी राजद्रोहात्मक गतिविधियों की बू जताकर महाराजा को हम लोगों के विरुद्ध करने की चेष्टा मे लगे हुए थे वहीं महाराजा साहब 'इंतजार करो और देखो' के अपने वादे की पूर्ति मे दिन-प्रतिदिन कुछ प्रगतिशीलता दर्शाने वाले उद्‌गार सार्वजनिक अवसरों पर प्रगट करते जा रहे थे।

राजनैतिक दृष्टि से देखा जाय तो बीकानेर की जनता और आस-पड़ोस के रियासती नेता महाराजा से प्रगतिशील ठोस कदमों की आशा लगाये बैठे थे।

हम लोगों के छूटने के बाद दैनिक विश्वामित्र के संपादक श्री सत्यदेव विद्यालंकार ने गोयल के नाम भेजे गये अपने पत्र मे हम लोगों की रिहाई पर 'खुशी, संतोष और समाधान होना' बताकर अपने स्वयं की तरफ से यह सूचना दी कि 'मैने जानबूझकर ही इस सुखद घटना पर अभी तुरन्त कुछ लिखना उचित नही समझा' और गोयलजी को अपनी राय जाहिर करते हुए लिखा, 'उनको (यानी नए महाराजा साहब को) समय देना चाहिए और कुछ धैर्य से उनके कार्य की प्रतीक्षा करनी चाहिए लेकिन मान्धातासिंह को प्रधानमंत्री पद से हटवाने की मांग तो करनी ही चाहिए।' उनकी राय में शायद मान्धातासिह ही महाराजा गंगासिंह-काल के दमन के जिम्मेदार और सूत्रधार थे।

गोयल के कार्यकलापो ने विद्यार्थी जगत की रुचि भी इधर बढ़ाई थी। गोपीराम गोयल नाम के एक विद्यार्थी-नेता ने पिलानी के बिरला कॉलेज के विद्यार्थियों की ओर से पत्र देते हुए लिखा था कि 'आप लक्ष्मणगढ़ तो आ रहे हैं, अच्छा हो आप एक दिन के लिए पिलानी भी आ जावें। हमारे होस्टल के विद्यार्थीगण व अन्य सब छात्र आपको देखने के लिए उत्सुक हैं।' उधर खादीकार्य के लिए चूरू, सुजानगढ़ और सरदारशहर से गोयल से उधर का दौरा करने की माँग बढ़ती जा रही थी।

इधर महाराजा साहब ने 27 अप्रेल को जनता के नाम दिए गए अपने एक संदेश में 8 मार्च को खरीता-समारोह में जो उन्होने शासन में जनता की भागीदारी को अधिकाधिक मात्रा में बढ़ाने की नीति की घोषणा की थी उसका हवाला देते हुए उसे और आगे बढ़ाने के सिलसिले में बताया कि उन्होंने बीकानेर लेजिस्लेटिव असेम्बली की स्थापना संबंधी ऐलान (एडिक्ट) व उसके अन्तर्गत बने नियमों को उदार और प्रगतिशील तरीके से संशोधित करने के आदेश जारी कर दिये हैं आगे उन्होंने कहा, 'मेरी यह इच्छा है कि संवैधानिक सुधारों की योजना को निर्मित करके यथा संभव उन्हें शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वित किया जावे।'

इस घोषणा पर जब आगे अमल कुछ नहीं हुवा तो महाराजा साहब को याद दिलाने पर जवाब मिला कि सितम्बर में उनकी वर्षगांठ आ रही है, उसके बाद ही कुछ किया जा सकेगा।

सितम्बर के बाद भी जब कुछ नही हुआ और महाराजा साहब को याद दिलाया तो संकेत मिला कि सवैधानिक सुधारो का कार्य किसी विशेषज्ञ के आने पर ही संपन्न हो सकेगा और उसका इन्तजार हमे करना ही चाहिए।

इसके बाद 23 अक्टूबर, 1943 को बीकानेर लेजिस्लेटिव असेम्बली के अधिवेशन पर असेम्बली को संबोधित करते हुए फिर एक बार महाराजा ने संवैधानिक सुधारो के अपने वादे को दोहराते हुए कहा, 'मैं यह स्वीकार करता हूँ कि रियासत और उसके प्रशासन की शक्ति और क्षमता उन गहरे स्नेह-बंधनों पर निर्भर करती है जो उसके शासक और शासित के बीच दृढ़ से दृढ़तर होते चले जावें और इसी मकसद को ध्यान में रखकर कुछ संवैधानिक सुधारो के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है और मैं आशा करता हूँ कि यथासंभव शीघ्र ही उनकी घोषणा की जाकर उन पर अमल शुरू कर दिया जायगा।

ऐसी घोषणाएं सुनते-सुनते नौ महीनों का समय जब बीत गया और वास्तव में कुछ भी नहीं हुवा तो हम लोगों में महाराजा की घोषणाओं के प्रति अविश्वास पैदा होने लगा।

लक्ष्मणगढ़ राजनैतिक सम्मेलन

इसी बीच गोयलजी की लोकप्रियता पड़ोसी रियासतों में भी बढ़ती जा रही थी। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में 'जयपुर राज्य प्रजामंडल' के वार्षिक अधिवेशन का सभापतित्व करने का निमंत्रण बीकानेर के इस नेता को मिला। इस तथ्य से बीकानेर के नागरिक अपने आपको गौरवान्वित अनुभव करने लगे। 'घर का जोगी जोगिया और बाहर गाँव का सिद्ध' इस कहावत के अनुसार जो तटस्थ नागरिकगण अब तक रघुवरदयाल को मात्र एक नामी वकील ही मानते थे वे भी अब, लोकप्रिय समाजसेवी बाबू मुक्ताप्रसाद के बाद बाबू रघुवरदयाल का एक राजनैतिक जननेता के रूप में, पुनर्मूल्यांकन करने को मजबूर हुए थे और प्रजा-परिषद् के कार्यकर्ताओं का उत्साह भी द्विगुणित हो गया था।

यह वार्षिक सम्मेलन 20 और 21 नवम्बर को होने को था जो भयंकर सर्दी का मौसम था। कौशिकजी परिषद् के रचनात्मक कार्यो में उलझे हुए थे इसलिए बाबूजी के साथ जाने वालो में मेरी और काशीरामजी स्वामी की बारी आई। लक्ष्मणगढ़ में गोयलजी का जिस गर्मजोशी से स्वागत हुआ और जिस प्रकार जुलूस मे उन्हे समारोह-स्थल तक अनेक प्रकार के राष्ट्रीय नारे लगाते हुए ले जाया गया वह हमारे लिए अविस्मरणीय है, क्योंकि हमारी अपनी रियासत मे तो ऐसे समारोह, जुलूस और नारों की कल्पना करना भी अपराध माना जाता था। जयपुर भी देशी-रियासत थी, उस पर भी अंग्रेज रेजीडेंट की सदा नजर रहती थी और वहां का राजा भी ब्रिटिश साम्राज्य का स्तम्भ और वफादार था, फिर वहां इतनी आजादी क्यो और कैसे थी और हमारे यहां इतना दमघोटू वातावरण क्यों था, यह प्रश्न हमारे मनों में रह रहकर उठ रहा था। शायद जयपुर प्रजामंडल ने आजादी के लिए अपनी कीमत चुका दी थी और हमारी ओर से कीमत चुकानी अभी बाकी थी जिसे हमारा (शेक्सपीयर के शब्दो मे) शायलोक ब्याज सहित कीमत चुकने में हमारे से 'एक पाउन्ड रक्त' की प्रतीक्षा कर रहा था।

सम्मेलन में जयपुर राज्य के प्राय. सभी नेता भाग ले रहे थे और कई अखिल भारतीय नेता भी मौजूद थे जिनमें गाधीजी के प्रसिद्ध पाँचवे पुत्र जमनालाल बजाज की धर्मपत्नी जानकी देवी बजाज भी थी, जिनका उल्लेख बाद मे राजपूताना के संबध मे प्रेषित सरकारी 'पाक्षिक इन्टेलीजेन्स रिपोर्ट' में भी अंकित पाया जाता है।

अपने अध्यक्षीय भाषण के प्रारम्भ में ही गोयल ने 'एक बीकानेरी' को इतना बड़ा सम्मान देने के लिए अपना आभार व्यक्त किया। फिर द्वितीय विश्वयुद्ध की विभीषिका, ब्रिटिश साम्राज्य की भारत पर जकड़, राजाशाही के दमन और जागीरी जुल्मों की चीत्कार का वर्णन करने के बाद रियासती कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा, 'हमे आवाज से पुकार कर अब संसार भर को बता देना ही नही अपितु करके दिखा देना है कि भारतवर्ष अब गुलाम नहीं रहने वाला है और चर्चिल साहब आप साम्राज्य नहीं छोड़ेंगे, यह हम जानते है लेकिन आपके साम्राज्य मे आपसे शासित होने वाले लोग अब भेड़-बकरी नही रह गये है जिन्हें आप जिधर चाहे हॉक दे वरन हम अब वह दिन निकट ला देने को है जब आपके ऊपर लदे हुए साम्राज्य के बोझ को, जो आपको ठीक तरह से बोलने नहीं दे रहा है, हल्का कर दें और इस बोझ को ढोने की जिम्मेदारी से आपको शीघ्र ही मुक्त कर दें'।

समय की रफ्तार मे राजाओं और राजाशाही का जिक्र करते हुए गोयल ने कहा, 'समय आ गया है कि वे युग की गति को पहिचानें और अपनी बड़ी सरकार से अलग बैठकर अलग तरीके पर सोचना शुरू कर दे कि भविष्य मे उनके लिए क्या होने को है। यदि पुनर्निर्माण मे सारी जगहें भर गई और उन्हे सज-सजा कर आने मे देर हो गई तो उन्हें कहां स्थान मिलेगा यह दूसरे के बताने की बात नही है। राजाओं का स्थान अभी तक, यदि वे सच्चे राजा बनकर रहना चाहे, और केवल चाहे ही नहीं उस ओर तैयारी और गति को भी बनाएं तो, संभवतः भविष्य मे भी बना रह सकता है किन्तु कब तक उनका स्थान रहे और कब तक वे इस तरह स्थान बनाए रखना पसंद करे, यह कोई नही कह सकता।'

किसानों की समस्याओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'किसान जो राष्ट्र की रीढ़ है, उस ओर इतनी उपेक्षा किस काम की ? उसे तो अनुचित लाल-बाग-बेगार तथा ऐसे ही अनुचित दूसरे बोझो से जितनी जल्दी राहत मिले उतना ही अच्छा है। उस विचारे को शासन-सुधारो या ऐसे ही दूसरे वैधानिक सुधारों से सीधा कोई मतलब न होते हुए सदा यही आशा लगाए रहते बैठा रहना पड़ता है कि उसके सिर का और छाती पर का बोझ कैसे कम हो ? जैसे भूखा तो रोटी मिलने से ही तृप्त होता है इसी प्रकार जब तक किसान की रात-दिन की कठिनाईयों का हल न निकले, उसे बड़े-बड़े वैधानिक सुधारों की घोषणा से जल्दी ही कुछ मिलने वाला नहीं है। सबसे अधिक अखरने वाला बोझ उसके लिए है उसका जागीरदार। जागीरदार के लिए न कोई कानून है, न न्याय, वह चाहे जब चाहे जैसे किसान के साथ चाहे जो कर सकता है और उसके राज मे कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। जागीरदारों की मनमानी भी अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है।'

अपने इस अध्यक्षीय भाषण का समापन करते हुए गोयल ने कहा, 'मैं जानता हूँ कि इस वार्षिक सम्मेलन का अध्यक्ष पद देकर आपने मुझे जो सम्मान प्रदान किया है मैं इसके लिए कितना योग्य हूँ और कितना नहीं हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि मुझे कितना बोलना आता है और आप को यह भूल नहीं जाना चाहिए कि मैं आपका पड़ौसी होते हुए भी उस जगह का हूँ जहां भाषण-स्यातंत्र्य केवल बड़ी-बड़ी घोषणाओं के सफेद कागज पर काली स्याही से छपा हुआ है और शासन-सुधार देखो और इंतजार करो की प्रक्रिया मे महीनो से लटकते चले आ रहे हैं।'

दो दिनों के इस अधिवेशन में कई प्रस्ताव स्वीकार किये गये जिनमें जयपुर रियासत मे एक निजामत से दूसरी निजामत में खाद्यान्नों के आवागमन पर लगी रोक को हटाने, और ब्रिटिश सरकार से राजनैतिक कैदियों की रिहाई की मांग करने व रामगढ़-सीकर पुलिस की ज्यादतियो को रोकने और अंत में जागीरदारों द्वारा किसानों के दुर्व्यवहार के प्रति चिंता और रोष जाहिर करते हुए स्वीकार किये गये।

लक्ष्मणगढ़ से वापिस लौटने पर गोयल ने फिर महाराजा साहब से सम्पर्क करना चाहा पर पता चला कि महाराजा साहब युद्ध-मैदान में ईरान-ईराक के दौरे पर हैं जहां वे बीकानेर की फौजों का निरीक्षण कर उनके उत्साह को बढ़ाने गये हुए है। ऐसी अवस्था में गोयल ने जयपुर से प्रकाशित होने वाले हिन्दी दैनिक 'लोकवाणी' में गंगादास की तरह ही वस्तुस्थिति पर प्रकाश डालने वाला एक तथ्यात्मक लेख प्रकाशित किया। इस लेख से महाराजा साहब के प्राइवेट सेक्रेटरी ने बड़ी परेशानी महसूस की क्योंकि ऐसे लेखों से ठा. प्रतापसिंह द्वारा फैलाई जाने वाली झूठी अफवाहों का पर्दाफाश होता था। इस लेख के हवाले से प्रतापसिंह ने महाराजा को भड़काने की कोशिश तेजी से शुरू कर दी।

श्री एच. के. कृपलानी नए प्रधानमंत्री बने

10 दिसम्बर, 1943 को प्रधानमंत्री पणिकर को फोरेन एण्ड पोलीटिकल मिनिस्टर बनाकर, बम्बई से लाए गए श्री एच.के. कृपलानी को प्राइम-मिनिस्टर नियुक्त किया गया। उक्त कृपलानी साहब बम्बई प्रांत के गवर्नर के एडवाइजर रह चुके थे और इन्हें संवैधानिक मामलो का विशेषज्ञ माना जाता था। बड़ी कोशिश करके इन्हें लाया गया था। इनके आने से हम लोगों की नए सुधारों की आशाएं बढ़ गई क्योंकि पूर्व मे महाराजा साहब ने हमें यही संकेत दिया था कि उपयुक्त संवैधानिक विशेषज्ञ की खोज मे ही राजनैतिक सुधारों में देरी हो रही थी। फरवरी 44 में बड़े महाराजकुमार का विवाह और मार्च मे छोटे महाराजकुमार का विवाह निश्चित हो चुका था इसलिए उससे फारिग होकर ही महाराजा साहब इधर ध्यान देने को थे। वैसे नए प्रधानमंत्री महोदय कृपलानी ने गोयल को 19 मार्च को मुलाकात का अवसर दिया और सहानुभूति पूर्वक बातचीत के बाद उन्होंने बताया कि वे संवैधानिक सुधारों की तैयारी मे ही व्यस्त है पर इस काम को सम्पन्न करने में अभी और कुछ समय लगेगा। अतः उतावली करने के बजाय थोड़ा धैर्य धारण करके हमारे लिए अपने आपको रचनात्मक कार्यक्रमो मे लगाए रखना ही उचित होगा।

नए प्रधानमंत्री की सलाह अनुसार हमने अपने आपको रचनात्मक कामों में लगाए रखा। अप्रेल,1944 को राजस्थान चरखा संघ तथा शेखावाटी के अन्य प्रमुख कार्यकर्ताओं की एक सभा हुई जिसमे अन्य नेताओं के साथ रघुवरदयाल गोयल (अध्यक्ष-बीकानेर राज्य प्रजा-परिषद्) को भी आमंत्रित किया गया और सारे राज्यो मे राष्ट्रीय सप्ताह दिनाक 6 से 13 अप्रेल के बीच मनाने का निर्णय लिया गया।

बीकानेर में हम प्रजापरिषद्वालों ने गोयलजी के चौतीने वाले घर में, जो खुली जगह थी, उसमे तिरंगा झंडा एक बांस पर फहराकर 'झंडा ऊँचा रहे हमारा' का गीत गाया और वंदेमातरम् का राष्ट्रीय गीत गाया। यह मकान कचहरी के पास स्थित है और सड़क के किनारे ही है। ऐसे स्थान पर पहली बार राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय नारे सुनकर सड़क पर चलने वाले स्त्री-पुरुषो की भीड़ घर के आगे जमा हो गई। उसी दिन मरुनायकजी की बगीची मे भिक्षालाल बोहरा, श्रीराम आचार्य, चंपालाल उपाधिया, गोपीकिशन सुथार वगैरह ने मिलकर शाम को राष्ट्रीय झंडा फहरा कर व राष्ट्रीय गीत गाकर राष्ट्रीय सप्ताह मनाने की रस्म अदा की। महाराजा द्वारा सुधारों के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए हमने राष्ट्रीय सप्ताह बंद अहातों में मनाकर अपना संतोष कर लिया ताकि महाराजा को भड़काने का अवसर उन लोगों को न मिले जो संवैधानिक सुधारों में बाधा डालने को सदा तत्पर रहते थे।

समझौता वार्ता और रचनात्मक क्रिया-कलापों का वर्ष—1943

अध्याय छठा

संवैधानिक सुधारों से मुकर कर दमन की ओर अग्रसर

संवैधानिक सुधारों से मुकर कर दमन की ओर अग्रसर

1944 का वर्ष बड़ा उथल-पुथल पूर्ण रहा। 1 जनवरी को महाराजा ने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी ठा प्रताप सिह के लिए ब्रिटिश सरकार से रायबहादुर का खिताव प्राप्त कर लिया और 31-3-44 को महाराजा के प्राइवेट सेक्रेटरी राज्य के गृहमंत्री के ऊंचे पद पर आरूढ़ हो गये, जिन्होंने थोड़े ही समय में महाराजा साहब की सुधार नीति को एकदम पलटकर दमन नीति मे परिवर्तित कर दिया।

हम लोगों के लिए भी यह वर्ष सुधार की सभी आशाओं और अपेक्षाओं को निराशा में परिवर्तित करने वाला और परिषद् के सभी कार्यकर्ताओं को भयानक अग्नि परीक्षा मे झोक देने वाला सिद्ध हुआ।

कस्तूरवा स्मृति निधि

परिवर्तन की शुरूआत फरवरी मे गाँधीजी की पत्नी कस्तूरबा गाँधी की आगाखाँ महल में नजरबंदी के दौरान होने वाली मृत्यु से हो गई।

कस्तूरवा की मृत्यु के समाचार प्राप्त होने पर हमने खादी मंदिर की दुकान बंद कर दी और आम जनता से शोक-हड़ताल करने का आह्वान किया। इसके फलस्वरूप कुछ एक राष्ट्रीय विचारों के लोगों ने उस दिन काम और दुकानें बंद रखी पर अधिकतर नागरिकों ने राज के भय से हड़ताल रखने की हिम्मत नही की और कारोबार यथावत चलता रहा।

25 फरवरी को परिषद् के कार्यकर्ताओं तथा कुछएक अन्य नागरिकों ने गोयल के चौतीने वाले घर के अहाते में शोकसभा का आयोजन किया और शोक-प्रस्ताव भेजते हुए उसमें दिवंगत आत्मा को शांति और राष्ट्र के लोगो को इस दुखद आघात को सहने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की गई। बाद मे राष्ट्र की तरफ से गॉधीजी की 75 वीं वर्षगांठ पर, रचनात्मक कार्य और खासतौर पर महिलाओं के उत्थान कार्य के लिए 75 लाख का 'बा-फंड' इकठ्ठा करने का निर्णय लिया जाकर आम जनता से उसमे उदारतापूर्वक सहयोग देने की अपेक्षा से एक अपील निकाली गई। इस फंड के लिए धन एकत्र करने का निश्चय सारी देशी रियासतो में भी प्रारंभ हो गया था। जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल ने निजी तौर पर इसके लिए 501 रुपया सहायतार्थ दिया था। हमने भी देखा कि यह एक नया रचनात्मक कार्य देश में प्रारंभ हुआ है तो हम इसमे पीछे क्यों रहें? परिषद् के सारे कार्यकर्ताओं की एक प्राइवेट सभा का आयोजन किया गया। उस सभा में बा-फंड के लिए बीकानेर रियासत मे, मुझ दाऊदयाल को संयोजक बनाकर कार्य चालू करने का निर्णय लिया गया और 25 मई

को इसके लिए एक आम सभा रतनविहारी बाग मे करने का निश्चय किया गया। चूँकि बीकानेर रियासत की राजधानी मे अब तक कभी कोई आम सभा होने ही नहीं दी गई थी अत इस रचनात्मक राष्ट्रहित के कार्य मे भी होम मिनिस्टर ठा. प्रतापसिह की तरफ से कोई बाधा न खड़ी कर दी जाय इस आशका से हमने नए प्रधानमंत्री श्री कृपलानी को प्रगतिशील मानकर सभा की इजाजत देने की प्रार्थना उन्हीं से करना उचित समझा। मैं स्वयं ही अपना आवेदन लेकर उनके समक्ष लालगढ़ पहुँचा। मेरी दरख्वास्त पढ़कर और जबानी सारी योजना को सुनकर कृपलानी महोदय ने प्रसन्नता प्रगट की और मेरे यह निवेदन करने पर कि जयपुर रियासत में वहाँ के दीवान साहब ने अपने निजी खर्च में से 501/- रुपया फड को प्रदान किया है और आप भी इसमें सहयोग करे, उन्होंने कहा कि फड के लिए तो नही पर सार्वजनिक सभा में जो खर्च लगे उसमें लाउडस्पीकर का खर्च मेरा लिख लीजिए। नए प्रधानमंत्री की तरफ से यह छोटा सहयोग भी हमे अत्यन्त प्रोत्साहन देने वाला था और इस का एक अर्थ स्वाभाविक रूप से हमने यह लिया कि मीटिंग की इजाजत तो हमें मिल ही गई। बीकानेर के लिए यह कोई कम खुशी की बात नही थी क्योंकि राजधानी में अब तक कभी भी कोई सार्वजनिक सभा होने ही नहीं दी गई थी। पर अगले ही क्षण उन्होंने मुझे चिंता में डालते हुए कहा कि मैंने आपके आवेदन पत्र पर 'यस' लिख दिया है पर आपको गृहमंत्री ठा. प्रतापसिंहजी के पास इसे प्रस्तुत करके आदेश प्राप्त कर लेना चाहिए क्योंकि किसी भी आम सभा के लिए पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ती है और इसीलिए उन्ही से आज्ञा ले लीजिए। मैंने मन में सोचा कि बना बनाया काम अब बिगड़ने को है क्योंकि ठाकुर प्रतापसिह ने महाराजा साहब के प्राइवेट सेक्रेटरी रहते हुए ही हमेशा हम परिषद्‌वालों के विरुद्ध ही अपना रवैया बना रखा था और अब तो वे स्वयं गृहमंत्री बने बैठे हैं।

गृहमंत्री महोदय के कार्यालय मे प्रवेश करते ही मेरे खादी के कपड़े देखकर वे चिढ़े से लगे और कड़ी आवाज मे पूछा 'क्या है? क्यों आए हो?' मैंने दरख्वास्त प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री से हुई बात जबानी बताई तो कहने लगे क्या बिना सभा के किए फंड इकट्ठा नहीं किया जा सकता? मैने कहा, 'हुजूर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पर 'यस' लिख कर इजाजत तो दे ही दी है, सिर्फ पुलिस बंदोबस्त की दृष्टि से आपके पास दरख्वास्त फारवर्ड की है।' इतना सुनने के बाद उन्होने दरख्वास्त को पढ़ा और उनका चेहरा तमतमा गया। ऐसा लग रहा था मानो उनकी किसी ने इन्सल्ट यानी अपमान कर दिया हो। दरख्वास्त अपनी दराज में रखली और कहा, 'दो-तीन दिन बाद मिलना।' मैने सोचा बनी बनाई बात बिगड़ गई पर क्या करता?

बाद में मालूम हुआ कि यह सारा किस्सा ठाकुर साहब ने महाराजा साहब को रेफर करते हुए अपना रोष प्रकट किया कि गृहमंत्री के परवार काम में लेकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो 'यस' लिखकर आवेदन स्वीकार किया है वह उनका सरासर अपमान है। महाराजा साहब ने ठाकुर साहब को इतना महत्व दिया कि इस मसले में निर्णय के लिए पूरे मत्रीमडल की बैठक माउन्ट आबू मे बुलाई जहॉं वे गर्मी के मौसम मे निवास कर रहे थे।

आम सभा के लिए सशर्त मंजूरी

गृहमंत्रालय की गोपनीय फाइल न 23/59 सन् 44 मे केविनेट की आवू की मीटिंग का विवरण देते हुए यह लिखा है कि 'दाऊदयाल के 25 मई को सार्वजनिक सभा की इजाजत संवंधी आवेदनपत्र के वारे मे जो मुख्य वात हमे देखनी है वह यह है कि हम नही चाहते कि रियासत मे सार्वजनिक शांति को भंग होने दिया जाय। ताहम भी उक्त सभा करने की इजाजत कुछ शर्तो के साथ ही दी जा सकती है। उक्त सभा मे वक्तागण जब तक श्रीमती गाँधी की वीमारी और उनके जेल गमन के वारे में और फंड के इकट्ठा करने के वारे में वोलना चाहें बोल सकते हैं मगर सभा के संयोजकों को वता दिया जाना चाहिए कि अगर उनमें से कोई भी राजनीतिक भाषण देने का प्रयल करेगा यानी व्रिटिश सरकार विरोधी अथवा राज्य सरकार विरोधी भापणवाजी मे पड़ेगा तो उसके खिलाफ गंभीर कार्यवाही की जावेगी। पुलिस को जो हिदायत की जानी है वह यह है कि सभा मे कोई नारेबाजी नही की जायेगी और न कोई किसी प्रकार के गायन या गीत ही कहे या पढ़े जायेंगे वगैरा-वगैरा। आवू से प्रस्थान करने से पहले-पहले विदेश व राजनीतिक विभाग से संवंधित मंत्री यानी श्री पणिकर इस वारे मे वीकानेर को भेजे जाने वाले तार का मसौदा तैयार करके तव आवू छोड़ेंगे।'

इस प्रकार प्रधानमंत्री पर अंकुश लगाने में सफल होने के बाद गृहमंत्री महोदय ने मुझे लालगढ़ वुलाकर वताया कि सभा की इजाजत तो दी जाती है मगर मुझे नीचे लिखी शर्ते नोट कर लेनी चाहिए।

(1) सभा में कोई भड़काने वाले आपत्तिजनक भाषण नही दिये जायेगे और किसी भी वक्ता द्वारा व्रिटिश सरकार विरोधी अथवा राज्य सरकार विरोधी भाषण नही दिए जायेगे।

(2) न इस प्रकार के कोई गीत, गायन या कविता पढ़ी जायेगी जिससे राजद्रोहात्मकता की बू आती हो।

(3) संयोजकगण इस बात के लिए पावंद होंगे कि कांग्रेस का झंडा या राजनीति से संवधित अन्य कोई प्रतीक वहां प्रदर्शित नहीं किये जायेंगे।

(4) सभा के सभापति को आग्रह किया जाएगा कि ऊपर लिखी शर्तो के अनुसार सभा को सुचारु और शांतिपूर्ण ढंग से संचालित करने की उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

इन शर्तो को मुझे पढ़कर सुनाने के बाद मुझ से कहा कि इन शर्तो को भली प्रकार नोट कर लिया है न? मैने कहा इनको मैंने सुन तो लिया है पर अच्छा हो इनकी एक प्रतिलिपि मुझे दे दी जाय। जवाव मिला कि प्रोपेगंडा करने के लिए तुम्हें कोई प्रति नहीं दी जायेगी, चाहो तो अपने हाथ से लिख ले जा सकते हो।

इन शर्तो के साथ सभा की इजाजत मिली, सभा की तारीख से सिर्फ तीन दिन पहले यानी 23 मई को। अव सार्वजनिक सूचना के लिए पर्चा छपाने के लिए जव

स्थानीय छापेखानों मे गए तो उन्होंने कहा कि हालाकि इसमे सभा के स्थान और समय के अलावा और कुछ भी नहीं लिखा है फिर भी पुलिस की तरफ से छापेखानेवालों को यह हिदायत मिली हुई है कि कस्तूरवा-फंड के वारे मे कोई पेम्फलेट तव तक नहीं छापेंगे जव तक कि उनको आई. जी. पी. द्वारा स्वीकृति मिलने का प्रमाण न वता दिया जाय। अत' दिनांक 23 मई को रात तक तो हमें सभी जगहो से नकार का उत्तर मिला।

24 मई को केवल एक सादा नोटिस छपाने के लिए मुझे आई. जी. पी. के कार्यालय में वार-वार चक्कर लगाने पड़े तव कहीं जाकर उसी दिन आई. जी. पी ने मेरी दरख्वास्त की पीठ पर अंग्रेजी में सूचना नोटिस छापने की छूट इन शब्दों में दी 'चूँकि सभा करने के लिए सरकार की ओर से मंजूरी मिल चुकी है इसलिए पुलिस की ओर से अव सभा के संयोजकों द्वारा सभा के संबंध मे इस सिपल नोटिस यानी सादा सूचना नोटिस को छापने में कोई आपत्ति नहीं है। हस्ताक्षर आई. जी. पी. दीवान चंद।'

इस प्रकार नोटिस छपने के बाद 25 मई को रतनविहारीजी के वाग में रियासत वीकानेर की राजधानी वीकानेर शहर में यह पहली आम सभा हुई जो नगर की जनता के लिए बड़े कौतूहल का विषय होने से उसमे हजारो नागरिक इस प्रथम सार्वजनिक सभा को सुनने के लिए उमड़ पड़े।

25 मई को रतनबिहारी पार्क मे वकील ईश्वरदयाल के सभापतित्व में बीकानेर में पहली सार्वजनिक सभा हुई। गांधी के प्रति सभी की श्रद्धा थी और उनकी पत्नी का निधन हुआ था जिसके लिए रचनात्मक कार्य हेतु 'कस्तूरवा फंड' नाम से पचहत्तर लाख रुपयों की रकम इकट्ठा किये जाने के लिए देशभर मे प्रयास किये जा रहे थे और वीकानेर की यह सार्वजनिक सभा उसी का एक अंग थी। वीकानेर के नागरिको की अच्छी भीड़ इकट्ठी हुई। गोयल प्रमुख वक्ता थे।

गृहमंत्री ने मीटिंग की इजाजत दिए जाने को बुरा माना। उन्हे एतराज था कि दरख्वास्त प्रधानमत्री कृपलानी ने उन्हें क्यों नही फारवर्ड की। उन्होंने अनेक शर्तो को लगाकर ही इजाजत दी थी और सोचा था कि इन शर्तो को जान कर आयोजक मीटिंग नही करेगे। फिर भी आयोजको ने मीटिंग कर ही ली। गृहमंत्री ने सभा स्थल पर एक वड़ी टेवल लगवा दी और टेवल पर अनेक हथकड़ियो का एक ढेर रख दिया और पुलिसवालों का एक झुड वहाँ तैनात कर दिया ताकि पुलिस और हथकड़ियो के प्रदर्शन के कारण सभा स्थल पर पहुँचने वाले नागरिक वहाँ से भयभीत होकर लौट जावे। पर इसका कोई असर नही हुआ और सभा स्थल भीड़ से भर गया। उधर नौहर मे भी प्रजा-परिषद् के स्थानीय नेता मालचंद हिसारिया ने बा-फंड के लिए मीटिंग बुलाई थी। उन्हें वहाँ विना वारंट के गिरफ्तार कर लिया गया और डेढ़ महीने तक जेल मे रख छोड़ा और उनकी रिहाई तभी हुई जव हाईकोर्ट ने उनकी रिहाई की जमानत की अर्जी मंजूर करके जमानत पर उन्हें छोड़ने का आदेश दे दिया।

वाद मे सरकार ने जगह-जगह छापे मारकर वा-फंड के कागजात जब्त कर लिये। वीकानेर नगर मे सेठ वद्रीप्रसाद डागा ने फड के लिए विशेष रूप से सहायता दी थी इसलिए

उनकी वहियों को जब्त करके लम्बे अरसे तक नही लौटाया, जिसके फलस्वरूप उनके चालू कारोवार में अनेक कठिनाइयां पैदा हुई और आर्थिक हानि भी सहनी पड़ी और फड के स्थानीय संयोजको को भी केन्द्र को हिसाव देने मे कठिनाई और विलम्व का सामना करना पड़ा। मोटे रूप में रियासत से 10-11 हजार रुपये इकट्ठे हुए जिनमे नौहर, भादरा आदि की राशि भी शामिल थी। हमें तो यह भी वड़ी उपलब्धि लगी।

ठा. प्रतापसिंह की मनमानी का कुप्रभाव

नए प्रधानमंत्री श्री एच के. कृपलानी का आगमन संवैधानिक एवं प्रशासनिक व हर प्रकार के सुधारों की आशा उत्पन्न करने वाला था। उनको आए छः महीनों से ऊपर का समय बीत चुका था। पर कहीं कोई सुधार दृष्टिगोचर न होकर उल्टी प्रशासन में गिरावट आ रही थी। लोगो की आशा निराशा मे परिणित होने लगी। दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्र 'वीर अर्जुन' ने अपने 28 मई के अंक मे लिखा 'वीकानेर के नए महाराजा ने गद्दी पर वैठने के साथ ही प्रजा के हृदय मे भविष्य के लिए जिन आशाओं का सचार किया था, उनकी पूर्ति वहुत धीरे-धीरे हो रही है। इधर महीनों से प्रायः गतिरोध सा पैदा हो रहा है। नए प्राइम मिनिस्टर मिस्टर कृपलानी का पदार्पण हो जाने पर भी राजनीतिक प्रगति व शासन सुधारों की ओर कोई कदम नही उठाया गया। प्रजा परिषद् के अध्यक्ष श्री रघुवरदयाल जी वकील के साथ शुरू की गई चर्चा भी जहॉ की तहाँ ठप्प हो गई। उसका भी कोई परिणाम सामने नही आ रहा है। जकात की प्रथा के संवंध में जिन सुधारो की घोषणा की गई थी, उनको भी पूरी तरह कार्य में परिणित नहीं किया गया। जनता की शिकायतें पहले ही के सामान वनी हुई है। अव पता चला है कि प्रजा-परिषद् के प्रधान श्री रघुवरदयालजी ने मुलाकात के लिए फिर महाराजा और प्रधानमंत्री कृपलानीजी को पत्र लिखे हैं, देखे इसका क्या परिणाम सामने आता है।'

इस प्रकार प्रधानमंत्री कृपलानी सार्वजनिक आलोचना का निशाना बनते जा रहे थे। मंत्रिमंडल के मुखिया होने के नाते प्रशासन के यश और अपयश उन्हीं के जिम्मे पड़ रहे थे। इससे वे परेशानी अनुभव करने लगे, पर उनकी कितनी चलती थी यह गृहमंत्री श्री प्रतापसिंह द्वारा कस्तूरबा-फंड में डाली गई बाधाओं से जाहिर था परन्तु वाह्य जगत उन्हें नही जान सकता था इसलिए वाह्य जगत में वदनाम प्रधानमंत्री हो रहे थे। अतः तीन वर्ष के एग्रीमेंट पर आए कृपलानी ने अपने कार्यकाल को इस भद्दी और तकलीफ देह स्थिति मे पूरा करने के वजाय छः महीनों के वाद ही इससे छुटकारा पाने के लिए 9 जून, 1944 को इस्तीफा देकर रियासत से लौट जाना ही श्रेयस्कर समझा। उन्होंने 'वीकानेर की गर्मी असहनीय होने' को कारण बताकर निजात पाई और उनकी जगह श्री के. एम. पणिकर पुन. प्रधानमंत्री वना दिये गये। और टी. जी. रामा अरूयर को भी, जो मैसूर राज्य की सिविल सर्विस के उद्योग और विकास क्षेत्र विशेषज्ञ के पद से सेवानिवृत्त हो चुके थे और जिन्हें वीकानेर रियासत के डवलपमेंट कमिश्नर के पद पर 19 नवम्वर, सन् 1943 को नियुक्त किया गया था, सन् 44 मे अपने समय से पूर्व वीच ही में 'व्यक्तिगत कारणो से' इस्तीफा देकर चले जाना पड़ा और यही हाल

रायबहादुर मदन मोहन वर्मा, जिन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया था, का हुआ। उन्हें भी एक वर्ष के कार्यकाल में ही चले जाने को मजबूर होना पड़ा।

प्यादी से फर्जी भयो

इसी अरसे में वातावरण में अब उफान आ रहा था। जिस समय प्रजा-परिषद् के प्रारम्भिक काल में जब गोयल को निर्वासित कर दिया गया था तो उस रिक्त स्थान को भरने के लिए 'प्रथम डिक्टेटर' के रूप में अपनी सेवाएं अर्पित करने की घोषणा जिन वकील साहब रामनारायण आचार्य ने की थी और डिक्टेटर बनते ही दूसरे दिन माफीनामा लिख दिया था, उन महानुभाव की सेवाएं गृहमंत्री ने अपना राजनैतिक सलाहकार बनाकर राज्य के लिए प्राप्त कर लीं। इस पर राजनैतिक हल्कों में वकील आचार्य की खूब बदनामी हुई। इसकी अखबारों में आलोचना हुई और कोटा से निकलने वाले अखबार 'दीनबन्धु' ने 'प्यादी से फर्जी भयो, टेढ़ो टेढ़ो जाय' शीर्षक से लिखा—'पहले ही वर्तमान होम मिनिस्टर साहब की नियुक्ति से प्रजा में असंतोष था और अब होम मिनिस्टर साहब के सलाहकार, जो पहले प्रजा-परिषद् के डिक्टेटर रह कर सरकार से माफी माँग चुके हैं, की नियुक्ति से और भी असंतोष फैल गया है। क्या ऐसी हराम मनोवृत्ति के लोग राज और प्रजा का भला कर पाएंगे?' इस संवाद के प्रकाशित होने पर राज्य के अधिकारियों में खलबली मच गई। इस शीर्षक का संकेत गृहमंत्री पर बिल्कुल फिट बैठता था। उक्त खबर को जब गृहमंत्री ने पढ़ा तो वे तिलमिला उठे क्योंकि वे स्वयं ही ऐसे व्यक्ति थे जो डिस्पेच क्लर्क से गृहमंत्री बने बैठे थे। उन्होंने महाराजा को यह बात बताई तथा कहा कि इन लोगों को प्रोत्साहन क्यों दे रहे हैं? महाराजा विचलित हुए। यहीं से हमें वापस पकड़ने की योजना बनी। अंततोगत्वा शासक स्तर पर कोटा नरेश से सीधी बात करके 'दीनबन्धु' का प्रकाशन बन्द करवा कर ही डा. प्रतापसिंह ने चैन की सांस ली।

जून-जुलाई में गोयल ने प्रधानमंत्री पणिकर को चिट्ठियां लिखकर मिलने का समय मांगा, उन्होंने समय दे दिया। गोयल ने पिछली बातें बताई तथा कहा कि 'फरवरी 43 में महाराजा ने हमें संवैधानिक सुधारों का आश्वासन दिया था और कृपलानी को इसी निमित्त यहां लाया गया था, अब आगे क्या हो रहा है, हमें बतायें।'

प्रधानमंत्री पणिकर के आश्वासन पर हमारे राज्यव्यापी दौरे

पणिकर ने कहा कि कृपलानी के चले जाने के बाद मैं तो अभी ही उनकी जगह आया हूँ, अगर महाराजा ने आश्वासन दिये है तो वे अवश्य पूरे होंगे। इस आश्वासन के बाद गोयल आ गये। थोड़े दिनों बाद चिट्ठी देकर फिर मिले तो पणिकर ने कागजों का पुलिन्दा दिखाते हुए बताया कि संवैधानिक सुधारो के कागज बने पड़े है, कृपलानी को तो यहां की गर्मी सूट नही हुई इसलिए वे चले गये। अब मैं इनको देखूँगा। प्रधानमंत्री के इस आश्वासन से आश्वस्त होकर हम लोगों ने कस्तूरबा-फंड के लिए अधिक से अधिक धन इकट्ठा करने के लिए राज्य के अन्य महत्वपूर्ण कस्बो के दौरे शुरू कर दिये। साथ मे हमारी

नीयत यह भी रही कि जब पणिकर कह ही रहे है कि महाराजा ने अगर राजनैतिक सुधारों के लिए फरवरी 43 से आश्वासन दे रखे है तो वे अवश्य पूरे होगे तो ऐसी अवस्था में कस्तूरबा-फंड के संग्रहण के साथ राज्य भर मे प्रजा-परिषद् के कार्यकर्ताओं को पणिकर के आश्वासनों से अवगत कराकर राजनैतिक गतिविधियों को पुन: प्रारम्भ करने के लिए तैयार रहने के संकेत भी क्यों न दे दें ताकि जिस दिन भी परिषद् का कार्य पुन. विधिवत शुरू करने का अवसर आए तो राज्य भर के कार्यकर्ता तत्काल ही जन-सेवा के साथ लोक-शिक्षण के काम में अग्रसर होना शुरू कर दे।

चुनाँचे, जून के महीने में गंगादास कौशिक ने राज्य के पूर्वी क्षेत्र का दौरा करते हुए रतनगढ़, राजलदेसर आदि कस्वो में जनसंपर्क साधने का कार्य शुरू कर दिया जिससे उस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा। राजलदेसर मे श्री पूनमचन्द वैद से सम्पर्क और अधिक गहरा हो गया—ये वैदजी, परिषद् की सन् 42 मे स्थापना हुई उसी दिन से हम लोगों को सक्रिय सहयोग देते आ रहे थे।

इसी प्रकार इस दौरे मे अध्यापक पं. गौरीशंकर आचार्य का संपर्क भी आने वाले दिनों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ। पं. गौरीशंकर आचार्य तीव्र राष्ट्रीय विचारो के थे और इन्हीं की प्रेरणा से सन् 42 में राष्ट्रीय नेताओं की 9 अगस्त को हुई सामूहिक गिरफ्तारियो के बाद दशहरे के दिन महाराजा गंगासिह की वर्षगांठ पर जब राज्य की सभी स्कूलों में समारोहपूर्वक उत्सव मनाया जाने को था तब सरदारशहर हाई स्कूल में छात्रों द्वारा सौ से ऊपर की संख्या में अनुपस्थित रहकर समारोह के बहिष्कार ने लालगढ़ के हल्कों में सनसनी फैला दी थी। पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट ने अपनी गोपनीय साप्ताहिक रिपोर्ट में गृह विभाग को इसकी सूचना प्रेषित की थी।

रतनगढ़ में खद्दरधारी मोहनलाल सारस्वत अर्जीनवीस ने स्टेशन पर गोयल का स्वागत किया था और फिर जनसंपर्क में गोयल के साथ हो लिए थे। इस संघर्षकाल में जहां गोयल का साथ देने में वकील वर्ग हमेशा हिचकिचाता रहा वहीं रावतमल पारीक, दाऊदयाल आचार्य, मोहनलाल सारस्वत जैसे अर्जीनवीसों ने खुले-आम उनको सहयोग और साथ देने की हिम्मत बताई।

इसी काल में दैनिक विश्वामित्र अखबार में यह खबर प्रकाशित हुई कि बाबू रघुवरदयाल गोयल, प्रेसीडेंट बीकानेर राज्य-प्रजा-परिषद् ने रियासत के उत्तरी भाग का दौरा कस्तूरबा-फंड के लिए किया। गंगानगर मे श्री रामरतन (म्यूनीसीपल कमिश्नर) व नौहर में मालचन्द हिसारिया को गोयल ने फंड का संयोजक नियुक्त किया। इस दौरे में लोगो ने वकील साहब का उत्साह के साथ अच्छा स्वागत किया। गृहमंत्रालय की सन् 1944 की गोपनीय फाइल संख्या 42/13 मे पुलिस के डिस्ट्रिक्ट सुपरिन्टेन्डेट की साप्ताहिक गोपनीय डायरी में प्रजा-परिषद् के लोगो की इन सारी हरकतों-हलचलों की जानकारी सी.आई.डी. की तरफ से अंकित पाकर गृहमंत्री ठा. प्रतापसिह एकदम बौखला उठे। उन्होने महाराजा से मिलकर यह सारी रिपोर्ट दी और कहा बताते है कि अभी तो

आपके द्वारा सवैधानिक सुधारो की घोषणा का इंतजार ही हो रहा है और उनके प्रगट होने से पहले ही परिषद् वाले उटपटाग व्यवहार करने लगे है तो सुधारों को घोषित होने पर तो न मालूम वे क्या कुछ करेंगे जिससे कम से कम मेरे गृहमंत्रालय को तो वहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्या इस सुधार कार्यक्रम को कुछ समय के लिए स्थगित करके इन लोगो को निरुत्साहित करना हमारे लिए वांछित नहीं होगा? पता नही क्यो महाराजा साहव ठाकुर साहव की वात टाल नही पाते थे और गृहमंत्री की इस मुलाकात के वाद महाराजा साहब का रवैया काफी कुछ बदलने लगा।

तथाकथित स्वायत्तशासी संस्थाओं की पोल

मई-जून के महीनों में जव एक तरफ संवैधानिक अधिकारो के लिए कशमकश पूर्ण वातावरण वन रहा था उसी समय दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट वोर्ड व म्यूनिसीपेलिटी के नाम से पुकारी जाने वाली तथा कथित स्वायत्त संस्थाओं मे भी दिन-व-दिन असंतोष व्याप्त हो रहा था। महाराजा गंगासिंह के समय से वीकानेर लेजिस्लेटिव असेम्वली तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड व म्यूनीसिपल वोर्ड के आकर्षक नामों से पुकारी जाने वाली संस्थाएं व दूर से सुंदर दिखने वाली इनकी इमारतें राज्यभर में खड़ी नजर आ रही थी, जिनका ढांचा वाहर से ठीक-ठाक दिखते हुए भी जिनके अन्दर एकदम थोथ पाई जाती थी। वे ऐसे देव-मंदिरों के समान भव्यता लिए हुए थी जिनमे ऊपर का सारा साज-सामान अर्थात् तोरण, पताका, ध्वजा, घंटा, घड़ियाल आदि सव मौजूद थे पर मुख्य अधिकार रूपी देव-मूर्ति उनके भीतर नदारद पाई जाती थी। राजधानी वीकानेर मे भी म्यूनीसिपेलिटी का अध्यक्ष-पद सदा ही किसी न किसी राजकीय अधिकारी के ही पास रहा था पर अव सेठ वद्रीदास डागा को प्रथम गैरसरकारी अध्यक्ष के रूप मे नामजद कर दिया गया। श्री डागा ने जनसेवा की भावना से ही इस पद को स्वीकारा था पर जल्द ही उन्हें इस पद से इस्तीफा देने को मजवूर होना पड़ा।

दमन-चक्र फिर शुरू

दिनांक 29 जून, 1944 को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हुए उन्होंने कहा, 'वोर्ड के प्रति सरकार की नीति उपेक्षापूर्ण है, जनहितकारी कार्यो के लिए बजट का अभाव है, बोर्ड के कर्मचारियो में अनुशासनहीनता इस हद तक है कि वे अफसरों तक को टका सा जवाव दे देते हैं और अधिकारियो को तो अपने आराम की लगी रहती है—जनता मरे या जीये इससे उनको कोई वास्ता नहीं है। आर्थिक सहायता की सरकार की ओर से अपेक्षा और गुहार करने पर भी कोई सुनवाई नही की जाती। ऐसी अवस्था में किसी भी नामजद अध्यक्ष के लिए इस वास्तविक अधिकार रहित और साधन रहित पद पर अधिक समय तक वने रहना संभव नही है। अतः इस्तीफा देने के सिवाय कोई चारा मेरे पास वाकी नहीं रह गया है।'

कोटा के हिन्दी साप्ताहिक 'दीनवन्धु' में डागा की स्पीच छपी और इसकी प्रतियाँ श्री गगादास कौशिक ने अपने सहयोगी श्री काशीराम स्वामी और श्री श्रीराम आचार्य के

माध्यम से जनता में खूब वेची गई ताकि उससे बोर्ड की वास्तविक स्थिति का सही ज्ञान लोगों को हो सके। कहते हैं कि उक्त स्पीच का मसौदा श्री रावतमल पारीक ने तैयार किया था। इस भाषण से रियासत की हुकुमत बड़ी चिढ़ गई। उसने डागा की गतिविधियों की कड़ाई से जाँच शुरू कर दी।

यह मालूम होने पर कि सेठ डागा ने प्रजापरिषद् के रावतमल पारीक के कारण कस्तूरवा-फंड मे अच्छा चंदा दिया है, प्रशासन ने सेठ डागा की वहियात तलब कर जॉच करने की कार्यवाही शुरू कर दी। इस पर डागा ने गृह एवं विकास मंत्री ठा. प्रतापसिंह को लिखा कि 'अपने मुनीम रमणलाल विस्सा से यह जानकर मुझे बड़ी पीड़ा हुई है कि आपने उन्हे जाँच करने के निमित्त बुलाकर कस्तूरवा-स्मृति-फंड की वावत वहियां पेश करने को कहा है। मै इस नुक्ते पर आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि यह कस्तूरवा-फंड न तो गवर्नमेंट द्वारा प्राइवेट रूप से प्रतिवंधित है और न ही राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा इसे प्रतिवंधित घोषित किया गया है, फिर इस प्रकार क्यो परेशान किया जा रहा है जबकि तुर्रा यह है कि बीकानेर सरकार कहती है कि उसने फंड के बारे मे सार्वजनिक सभा की इजाजत देकर, सरकारी लाउडस्पीकर निःशुल्क देकर उसके संग्रहण में सहयोग दिया है। सचमुच में यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक तरफ तो सहयोग का दावा किया जा रहा है और दूसरी तरफ फंड में पैसा देनेवालो को परेशान करने का रवैया वरता जा रहा है, कृपया मुझे यह वताने की कृपा करें कि मेरे खिलाफ ऐसा रवैया अपनाने का आखिर कारण क्या है ?

डागा के इस पत्र के वाद तो गृहमंत्री महोदय का रुख उनके खिलाफ और भी कड़ा हो गया और प्रजापरिषद् के हाथों मे खेलने के संदेह में सेठ डागा की गतिविधियों की वारीकी से छानवीन की जाने लगी और खेलकूद और मनोरंजनार्थ चलने वाली 'डागा क्लव' की रिपोर्ट भी मांगी जाने लगी।

इस प्रकार व्यायामशालाओं एव खेलकूद और मनोरंजन क्लबों पर ही ठाकुर साहव की कोप दृष्टि नही थी अपितु आर्य समाज जैसी धार्मिक संस्थाएं भी ज्यादतियो का शिकार होने से अपने आपको नही वचा सकी। अखिल भारतीय आर्य प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान मे सभी रियासतो की तरह वर्ष भर में एक बार ऐसे उत्सव मनाए जाते थे जिनमें भारत के प्रकांड विद्वान भिन्न-भिन्न विषयों पर विद्वत्तापूर्ण भाषण दिया करते थे जिनमें सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों और पाखंड पर अच्छी खासी चोट की जाती थी। हमेशा की तरह सन् 44 में ऐसा अवसर आया तो स्थानीय आर्य समाज को आगाह कर दिया गया कि सरकार की पूर्व आज्ञा विना कोई आयोजन न किया जावे और न कोई धार्मिक शोभा-यात्रा या जुलूस ही निकाला जावे। इसका विरोध किये जाने पर कोई सुनवाई नही हुई तो उन्होंने आयोजन ही रद्द कर दिया। इस विषय मे राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा के जिम्मेदार व्यक्तियों ने इस बात को गंभीरता से लिया पर सरकार की ओर से उसकी कोई परवाह नहीं की गई। उन्हें तो हर परिवर्तन में 'राजद्रोह' की गंध आती थी।

मौलिक मूल्यों से मुड़ कर दमन की ओर...

सामाजिक सुधारो के निमित्त कुछ नागरिक सक्रिय होना चाहते थे और यह सोच कर निश्चिंत थे कि सामाजिक सुधारों का राजनीति से कोई लेना-देना नही है इसलिए उन्हें राज की तरफ से तो किसी खतरे का अन्देशा नहीं होना चाहिए। 18 अप्रेल, 1944 को सेठ रामगोपाल मोहता व बालकृष्ण मोहता और मास्टर जयभगवान ने एक 'विधवा विवाह सहायक सभा' के नाम से संगठन बनाया और उसका कार्यालय स्थानीय डागा बिल्डिंग मे रखा। माहेश्वरी समाज में विधवा विवाह को प्रोत्साहन मिले इस हेतु से सेठ छोटूलाल मोहता ने इस संगठन को दस हजार रुपयों का चंदा प्रदान किया और इतनी ही रकम का चंदा सेठ रामगोपाल मोहता ने दिया और इस बारे में एक ट्रस्ट का निर्माण किया जिसके ट्रस्टी थे—रायबहादुर शिवलाल मोहता, सेठ चादरतन मूंधड़ा, सेठ बृजरतन करनाणी और बालकृष्ण मोहता (जो सेक्रेटरी बनाए गए) और पांचवें ट्रस्टी थे छोटूलाल मोहता।

इसके अन्तर्गत डॉ. छगन मोहता के परामर्श से एक पुस्तकालय चलाया गया जिसमें एक बोर्ड टांगा गया था जिसमें मानव जीवन के दो पक्ष ज्ञान और अज्ञान दर्शाये गये थे और अज्ञान के अन्तर्गत भगवान, भाग्य, स्वर्ग और नरक को बताकर ज्ञान के अन्तर्गत जिज्ञासा, तर्क, उद्योग और विज्ञान की वृद्धि को अंकित करके अज्ञान को मिटाने का आह्वान किया गया था, परंतु सरकार द्वारा ज्ञान और अज्ञान की इस लड़ाई में राज्य में अशांति पैदा करने का षड्यंत्र सूंघा गया और 'विद्रोह' और 'राजद्रोह' की आशंका देखी गई। इस बारे में कुछ पेम्फलेट वितरित किये गये थे जिनमें इसके प्राप्ति का स्थान 'ज्ञानवर्धक पुस्तकालय' लिखा गया था। भूल से इसमे प्रकाशक का नाम व प्रेस लाइन अंकित होना रह गया था। इसी कमी के बहाने से सरकार की कोप-दृष्टि पड़ी और बालकृष्ण मोहता को सबक सिखाने के लिए महाराजा साहब से पूर्व-मंजूरी लेकर प्रशासन ने पुस्तकालय की तलाशी के बहाने जबरन उसमें प्रवेश करके उसमे हमेशा के लिए ताला लगा दिया जो कभी नही खोला गया। पुस्तकालय मंत्री बालकृष्ण मोहता को प्रेस लाइन की गलती के कारण, जेल भेजने के लिए मुकदमा दायर कर दिया गया। मोहताजी ने प्रशासन से बहुत अनुनय-विनय की पर राज्य मे अशांति फैलाने के इल्जाम पर एक न सुनी गई। आखिर उक्त बालकृष्ण मोहता-संस्था के मत्री-ने 20 मार्च सन् 1945 को पुस्तकालय की गतिविधियां वापिस लेकर, बीकानेर छोड़कर व कलकत्ता जाकर अपना पिड छुड़ाया।

इस तरह राज्य में खादी, ग्रामोद्योग, कस्तूरबा-फंड, ज्ञानवर्धक पुस्तकालय, डागा मनोरंजन क्लब आदि सभी रचनात्मक हलचलो और सामाजिक चेतना और सुधार कार्यों का गला घोटकर रियासत में शमशानी शांति का सा वातावरण बनाने का प्रयत्न जोरों से चल पड़ा।

पुनः गिरफ्तारी के लिए जाल और लालगढ़ से महाराजा का बुलावा

जब गोयल को अपने सूत्रो से यह जानने को मिला कि गृहमत्री महोदय पूरी तरह से इस प्रयत्न में लगे है कि महाराजा साहब ने प्रजापरिषद्‌वालों से जिन सवैधानिक

एवं प्रशासनिक सुधारों का वादा किया हुआ है, वे किसी भी तरह घोषित ही न होने पावे तो उन्होंने गांधीवादी तरीकों पर चलते हुए यह सोचा कि क्यो न स्वयं ठाकुर साहब से मिलकर उन्हें महाराजा साहब द्वारा दिये गये आश्वासनो की पूरी और सही जानकारी देकर उनके दिमाग में अगर कोई किसी प्रकार की गलतफहमी ने घर कर लिया है तो उसे दूर करने का प्रयास किया जावे। अत. उन्होंने एक अगस्त को गृहमंत्री महोदय को एक आवेदनपत्र देकर मुलाकात के लिए समय मांगा। गृहमंत्री ने एक सप्ताह तक तो कोई किसी प्रकार का 'हां' या 'ना' का जवाब ही नही दिया और न दरख्वास्त को खारिज ही किया बल्कि विचाराधीन कहकर लटकाए रखा। ऐसी अवस्था में गोयल ने प्राइम मिनिस्टर पणिकर को दिनांक 7 अगस्त को पत्र देकर मिलने का समय मांगा। प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी द्वारा तुरन्त ही 8 अगस्त को उत्तर मिला जिसमें 10 अगस्त को उन्हें अपने बंगले पर मिलने का समय दिया गया था।

अपने गुप्तचरों द्वारा जब गृहमंत्री को इस मुलाकात का समय तय होने का पता लगा तो इस मुलाकात में विघ्न डालने के लिए मनोहरलाल नाजिम से, जो अतिरिक्त मजिस्ट्रेट भी थे, गोयल के नाम 9 अगस्त को ही एक नोटिस जारी करवा दिया, जिसमें लिखा था, 'चूँकि मुझ मनोहरलाल नाजिम एवं एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त आधार है कि तुम रघुवरदयाल गोयल चन्द अन्य लोगो के साथ जुलूस निकालकर, सभाएं करके, राजनैतिक महत्व के झडे फहराकर और अन्य प्रकार से प्रदर्शन आदि करके सार्वजनिक शाति और प्रशांति को भंग करने का इरादा रखते हो अतः एतद् द्वारा तुम्हें निर्देशित किया जाता है कि तुम आज 9 अगस्त से सात दिन तक तमाम ऐसी तथा अन्य प्रकार की क्रियाओं को करने से बाज आओ जिनसे सार्वजनिक शांति और प्रशांति भंग होती हो।'

अप्रत्याशित रूप से, अकारण ऐसा अपमानजनक आदेश पाकर गोयल ने इस आदेश पर अपने दस्तखत करने से पहले इसकी नकल दिये जाने की मांग की तो नकल देने से इंकार कर दिया गया। इस पर गोयल ने इसकी पीठ पर यह अंकित किया 'मुझे इसकी नकल नहीं दी गई है, केवल हस्ताक्षर करने की आज्ञा है, इसलिए हस्ताक्षर करता हूँ।' आर. डी.गोयल (हस्ताक्षर) 9/8/44

इसी नोटिस को प्राप्त करने के तत्काल बाद गोयल ने नाजिम साहब को एक अलग से दरख्वास्त देकर लिखा, 'मुझे जिस कागज पर दस्तखत करने का हुक्म देकर दस्तखत कराए गए है उसमें लिखी हुई सारी बाते गलत हैं, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। मुझे उसे पढ़कर बड़ा आश्चर्य तथा दुख हुआ। उसमे लिखी हुई सूचना को मै अपने पूरे सामर्थ्य से चुनौती देता हूँ। इस प्रकार एक नागरिक को अपमानित करना उचित नही है, विशेषतया उस बात को ध्यान मे रखते हुए जो 23 फरवरी, 1943 को श्रीजी साहब बहादुर द्वारा प्रदान की गई ओडियन्स में हुई थी। अत. प्रार्थनापत्र पेश करके अर्ज है कि हुक्म तुरन्त मंसूख फरमाया जावे, तारीख 9-8-44। गोयल ने इसे गृहमंत्री द्वारा

शुरू की जाने वाली छेड़खानी के रूप मे लिया, जिन्होंने गोयल की मुलाकात की दरख्वास्त पर भी इस समय तक कोई उत्तर नहीं दिया था।

अगले दिन 10 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर साहब ने गोयल को मिलने का समय दे ही रखा था। प्राइम मिनिस्टर की गोयल से दिन में सवा दस बजे से पौने बारह बजे तक डेढ़ घंटे तक खुलकर बातचीत हुई जिसमें गोयल ने 16 फरवरी सन् 1943 को महाराजा साहब द्वारा भरे दरबार में 'यू वेट एण्ड सी' व उसके बाद 23 फरवरी को एक घंटे तक एकान्त में हुई मुलाकात में दिये गये आश्वासनों की ओर ध्यान दिलाते हुए जब यह निवेदन किया गया कि आज इन बातों को सत्रह महीने हो चुके हैं, और हम लोग केवल मात्र नरेश के आश्वासनों के भरोसे अपने स्व-अनुशासन के आधार पर चुप्पी मारे इंतजार कर रहे हैं तो आप महाराजा साहब तक हमारी फरियाद पहुँचाकर सुधार कार्य अब अविलम्ब करने की कृपा करने को कहें।

संवैधानिक एवं प्रशासनिक सुधारो के मसले को लेकर भूतपूर्व प्रधानमंत्री एच.के. कृपलानी के साथ जो कुछ हुवा था उससे हवा का रुख देख लिया गया था और अब पणिकर महोदय को यह भी विदित हो चुका था कि गृहमंत्री का रुख किसी भी प्रकार के सुधारों के पक्ष में नहीं है, ऐसी अवस्था में वे स्वयं अपनी ओर से संवैधानिक सुधारों के बारे में बहैसियत प्राइम मिनिस्टर के जो सहानुभूति का रुख रखते और दर्शाते आ रहे थे उससे एकदम पलटकर कहा, 'आप तो बहुत जल्दी कर रहे हैं, सुधार होते-होते हो जायेंगे, ऐसे गंभीर कार्य जल्दी करने से थोड़े ही होते हैं।'

पणिकर महोदय का टोन एकदम पलटा खा चुका था।

इधर गृहमंत्री को पणिकर से गोयलजी की मुलाकात का पता चला तो उन्होंने गोयल की एक अगस्त से विचाराधीन रखी हुई दरख्वास्त पर उन्हें 13 अगस्त को मिलने का समय दिया और ऑफिस में न मिलकर अपने घर पर रात को 10 बजे मिलने के लिए बुलाया। गोयल ने गृहमंत्री से मिलने के लिए समय प्राप्त करने की दरख्वास्त की जो ऑफिस कॉपी अपने पास रख छोड़ी थी उस पर नोट दिया है—'मुलाकात हुई 13-8 की रात को 10 बजे से 1 बजे तक।' तीन घंटे तक क्या बात हुई यह तो हमें पता नही चला पर इस बातचीत के बाद निकट भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं ने यह बता दिया कि तीन घंटे की लम्बी बातचीत से कोई सुलझाव निकलने के बजाय उलझाव और अधिक तीव्र होने जा रहा था। अलबत्ता डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बी.डी. चौपड़ा ने 12 अगस्त को जारी की गई अपनी चिट्ठी में गोयल को सूचित किया कि 'अब सार्वजनिक शांति को कोई खतरा नहीं रहा है इसलिए 9 अगस्त को अतिरिक्त मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश को वापिस लिया जाता है।' यहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के इस पत्र के साथ ही नौ अगस्त को अचानक खड़ा किया गया शगूफा समाप्त हुआ ऐसा न मानने का हमारे पास कोई कारण नहीं था क्योंकि एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बिना किसी तथ्यात्मक आधार के जो नोटिस देकर गोयल को जलील करने की कोशिश की थी

उस नोटिस को जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपनी 12 अगस्त की चिट्ठी से वापिस लेना अंकित कर दिया तो बात आई-गई हो गई ऐसा लगा। पर ऐसा हुआ नहीं और ऐसा लगा मानो यह नोटिस तो किसी दूरगामी षड्यंत्र की पेशबंदी में उठाया गया एक प्राथमिक कदम मात्र था जिसके अगले कदम आइन्दा सामने आने को थे।

9 अगस्त का अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नोटिस जितना अप्रत्याशित और अपमानजनक था उससे कहीं अधिक अप्रत्याशित और अधिक अपमानजनक थी प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी की 16 अगस्त की गोयल के नाम भेजी गई वह चिट्ठी जिसमें एकदम असत्य और मनघड़न्त बातें खूबसूरती से सजाकर रखी गई थीं। चिट्ठी गोयल को उसी दिन शाम को 7 और 8 बजे के बीच में अर्जेन्ट रूप से सौंपी गई।

उक्त चिट्ठी में प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी की ओर से गोयल को वकील हाईकोर्ट के रूप में संबोधित करते हुए अंग्रेजी में बिना किसी पूर्व भूमिका के लिखा गया था—

'फरवरी, 1943 में अपनी रिहाई के समय से पहले ही तुमने महाराजा साहब को निम्नलिखित आश्वासन दे रखे थे और जिन्हें तुमने प्रधानमंत्री के समक्ष दोहराया है कि (1) तुम और तुम्हारे साथियों द्वारा ऐसी किन्हीं कार्यवाहियों (एक्टीविटीज) को नहीं किया जाएगा जिन्हे स्टेट नापसंद करती हो और अवांछनीय समझती हो और कि किन्ही कार्यवाहियो (एक्टीविटीज) को करने का विचार करने पर किसी क्रियात्मक कदम को उठाने से पहले तुम गवर्नमेंट को उनकी पूर्व सूचना दोगे और महाराजा साहब को ऐसी कार्यवाहियो के स्वरूप और स्वभाव (नेचर) से अवगत कराओगे और कि तुमने महाराजा साहब को दिये गये आश्वासनो को आज तक भंग नही किया है और बीकानेर रियासत में तुम्हारी तरफ से किसी प्रजा-परिषद्, लोक-परिषद् या प्रजामंडल या इसी तरह की अन्य कोई संस्था या संगठन को शुरू करने या संगठित करने की तुम्हारी कोई मंशा नही है। इन आश्वासनों पर तुम्हारे खिलाफ जो आदेश दिये गये थे उन्हें सरकार ने वापिस ले लिया जिसकी सूचना तुम्हे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा दी जा चुकी है। इस पत्र की पहुँच की स्वीकृति शीघ्रातिशीघ्र भेजें।'

यह एकदम अप्रत्याशित चाल थी जो अब हम लोगों के साथ आइन्दा खेले जाने वाले किसी बड़े षड्यंत्र की शुरूआत बताती थी और इसे झूठ का पुलंदा ही कहा जा सकता था। इस की प्राप्ति के दूसरे ही दिन 17 अगस्त को गोयल ने प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी महोदय को इसका उत्तर देते हुए लिखा कि उक्त चिट्ठी में लिखी हुई बातों का कोई संबंध 9 अगस्त को दिये गये नोटिस और उसकी वापसी से नही है और न हो ही सकता है और वैसे इसमें दूसरी बातें भी ऐसी हैं जो वस्तुस्थिति के अनुकूल नहीं हैं। इस विषय में विस्तार से लिखने से पूर्व एक बार श्रीमान् से मिलकर कुछ निवेदन करना चाहता हूँ अतः प्रार्थना है कि समय और स्थान की सूचना भिजवाने की कृपा करें। इसके उत्तर में 18 अगस्त को ही प्राइम मिनिस्टर ने 19 अगस्त को मिलने का समय दे दिया।

19 अगस्त को गोयल ने पणिकर महोदय से मिलकर निवेदन किया कि आपके सेक्रेटरी के पत्र मे अप्रत्याशित और कल्पित वाते लिखी हुई प्रतीत होती है और अगर उन्हें आप सत्य मानते है तो कृपया मुझे हमारे तथाकथित आश्वासनों को किस आधार पर लिखा गया है, यह बताने और दिखाने की कृपा करे।

इस पर पणिकर ने गोयल से कहा कि आप लोग बार-बार महाराजा के जिन आश्वासनों को बराबर दोहराते आ रहे है उनका भी कोई लेख आपके पास है क्या? केवल जबानी ही महाराजा साहब के 23-2-43 के आश्वासनों को आप लोग रटते आ रहे है, इसलिए आपको अपनी सही स्थिति इस पत्र द्वारा दर्शाई गई है। अच्छा हो कि आप मंत्रियो से बार-बार मिलने का प्रयल करने के बजाय स्वयं महाराजा साहब से ही ओडियन्स क्यो नही ले लेते? आमने-सामने बात हो जाय तो सारी अस्पष्टता का अंत हो जाय। इस पर गोयल ने निवेदन किया कि ओडियन्स के लिए मैने कई बार महाराजा साहब के प्राइवेट सेक्रेटरी महोदय को पत्र द्वारा निवेदन किया पर ओडियन्स देना तो उनके हाथ में है। आप ही महाराजा साहब से निवेदन करके समय दिला दीजिए। प्राइम मिनिस्टर ने इसके लिए हाँ भर ली और गोयल ने घर आकर मुझ को और गंगादास को सारी वातचीत से अवगत करा दिया।

अव हम लोग आडियन्स का इन्तजार करने लगे।

19 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात के बाद गोयलजी ने मुझको और गंगादास को अपने घर पर बुलाकर उनसे हुई वार्तालाप की सक्षेप मे जानकारी दी और बोले की जब प्रधानमंत्री स्वयं समस्या को हल न करके सारी समस्या को हल करने के लिए अपनी तरफ से ही यह सुझाव दे रहा है कि मंत्रियो से बार-बार मुलाकाते लेते रहने के बजाय हमे सीधे महाराजा साहब से मिलकर अपनी समस्या को तय कराना चाहिए और महाराजा साहब से ओडियन्स प्राप्त कराने में सक्रियता से सहयोग देने का वादा करता है तो ऐसी अवस्था में ओडियन्स मिल जाय तो हमें क्या करना चाहिए और न मिले तो अगला कदम अब कब और क्या उठाना चाहिए, इस पर हम दोनो की स्पष्ट राय जाननी चाही। गंगादास की उपस्थिति मे मै सदा चुप रहता आया था और अब भी मैने चुप रहना ही ठीक समझा। इसका कारण यह था कि एक तो गंगादास की और मेरी आयु मे दस वर्ष का फर्क था। वे चूरू षड्यंत्र केस के समय से राजनीति खेलते-खेलते खिलाड़ी बन चुके थे और मेरी राजनैतिक आयु सन् 42 से 44 तक, दो ही वर्ष की थी। उनमें परिपक्वता यानी मैच्युरिटी देखने मे आती थी और मैं अपने आपको नया और अपरिपक्व यानी इम्मैच्युर खिलाड़ी मानता था। हम दोनों में समानता यह थी कि हम दोनो गोयल के ईमानदार अनुचर थे। हममें समानता यह भी थी कि वे हिन्दी पत्रकारिता द्वारा अपने आपको राष्ट्रसेवा मे खपा रहे थे और मैं अंग्रेजी पत्रो को संभालता रहता था क्योंकि कौशिकजी अग्रेजी के करीब-करीब बिल्कुल ही जानकार नही थे। महाराजा सादूलसिंहजी ने राजगद्दी पर बैठने के बाद प्रशासन से रिपोर्ट मागी थी कि परिषद् के आंदोलनकारी किस असंतोष के कारण राज्य की शाति में बाधा डाल रहे थे,

तो इन्सपेक्टर जनरल पुलिस ने अपनी गुप्त रिपोर्ट में परिषद् के प्रायः सभी कार्यकर्ताओं के लिये किसी न किसी स्वार्थ की पूर्ति का जिक्र किया था पर हम दोनों के लिए यही लिखा था कि इन दोनों का निजी स्वार्थ बजाहिरा कुछ भी नजर नहीं आता है सिवाय इसके कि ये दोनों गोयल के अंध-अनुचर है जो यही मानकर चलते है कि उन्हें गोयल के साथ ही तैरना है और उसके साथ ही डूबना है। अंग्रेजी में लिखा है कि 'दे विल स्विम और सिंक टुगेदर विथ गोयल'। गंगादास कौशिक मैदानी कार्यकर्ता थे और मैं टेबलवर्कर मात्र था, निष्ठा भले ही दोनो की एक जैसी थी। अतः जब मेरी तरफ से कोई उत्तर न पाकर गोयल ने कौशिकजी की तरफ नजर उठाई तो कौशिकजी बोले कि उनकी राय मे तो हमें महाराजा द्वारा ओडियन्स का पर्याप्त समय तक, यानी कम से कम अगस्त के अंत तक तो इंतजार करना ही चाहिए और इस समय में पणिकर साहब ओडियन्स न दिला सकें तो सितम्बर महीने भर में सीधा पत्राचार करके मिलने का यत्न करना चाहिए और सितम्बर भी निकल जाय तो 2 अक्तूबर को, जिस दिन गांधी जयन्ती पड़ती है, राजनैतिक आंदोलन नागरिक अधिकारों के लिए शुरू कर ही देना चाहिए फिर चाहे इसमें हमें और कोई सहयोग दे या न दे, हमें तो पुनः उन सीखचों के पीछे चले जाने को तैयार रहना चाहिए जिन सीखचों में से महाराजा साहब के संदेशवाहक जेल मिनिस्टर जसवंतसिह की पहल पर निकल कर महाराजा से पहली बार भरे दरबार में मिले थे और स्वयं नरेश द्वारा 'वेट एण्ड सी' का आश्वासन देकर हमें रिहा कर दिया गया था। अपनी राय देकर कौशिकजी ने गोयल की ओर देखा पर उनकी तरफ से आगे कुछ सुनने को न मिलने पर कौशिकजी ने बात का और अधिक खुलासा करते हुए कहा, 'जेल में मिनिस्टर जसवंतसिंह से बात का सिलसिला समाप्त करते हुए आपने स्वयं ने ही दो टूक शब्दों में नहीं कहा था क्या कि हमें यह स्पष्ट कहने में कोई हिचक नहीं है कि लिखने, बोलने और संगठन बनाने के जिन मूलभूत नागरिक अधिकारों (सिविल लिबर्टिज) की प्राप्ति हेतु परिषद् रूपी संगठन को बनाने के फलस्वरूप हमें जेल में रखा गया है, उन मूलभूत नागरिक अधिकारों के अभाव में हमारे लिए जेल के अन्दर या बाहर रहना एक समान है इसलिए हमें हमारे भाग्य भरोसे छोड़ दीजिए, हम अपनी सजाएं काटकर आगे का मार्ग उचित समय पर आवश्यकतानुसार तय कर लेंगे। क्या हमें इससे भिन्न किसी अन्य स्टेण्ड को वैकल्पिक रूप में सोचने की आवश्यकता बाकी रहती है?'

इस पर गोयलजी ने इतना ही कहा, 'तुम्हारे कहने के अनुसार अगर ओडियन्स नहीं मिले तो गांधी जयन्ती से पहले तो कुछ नया न करके, उस दिन की तैयारी [illegible] जाना चाहिए। ठीक है, अभी तो हमें ओडियन्स का इंतजार करते हुए [illegible] में मिलते रहना है।'

उस दिन के बाद हम लोग सुबह-शाम श्री गोयल से [illegible] मिलते रहे। एक दिन यानी तारीख 25 अगस्त की शाम [illegible] वाहक ने महाराजा साहब के प्राइवेट सेक्रेटरी [illegible] लिफाफा गोयलजी के सुपुर्द किया। [illegible]

मेनन ने गोयल को सबोधित करते हुए लिखा था कि 19 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर के माध्यम से तुमने जो याचना की थी उसके सदर्भ मे महाराजा साहब ने तुम्हें लालगढ़ मे 26 अगस्त को प्रातः 10 बजे ओडियन्स प्रदान करने की कृपा की है अतः नियत समय और स्थान पर तुम्हें विधिवत रूप से उपस्थित रहना चाहिए। (देखो पृष्ठ 240)

पत्र पढ़कर मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि आखिर 23 फरवरी, 1943 की मुलाकात के सोलह महीनों बाद दुबारा मुलाकात का अवसर तो मिला। अब शीघ्र ही सारा झमेला सुलझने की आशा क्यों न की जाय ? अधूरे अधिकार रखने वाले मिनिस्टरों से माथा पच्ची मिटी।

लालगढ़ में मुलाकात का नतीजा तीनों की गिरफ्तारी

गोयल ने हम दोनों को कहा कि हम दोनों सुबह साढ़े नौ बजे अवश्य आ जाएं ताकि ऐन समय पर कोई विचार करने की जरूरत पड़ जाय तो तुम लोगो का पास में रहना लाभकारी हो सकता है और एक अच्छा सा इक्का भी मंगालें ताकि नियत समय में कोई बाधा न पड़े क्योंकि लालगढ़ कचहरी की तरह नजदीक तो है नही। हम दोनों समय से पहले ही पहुँच गए। पौने दस बजे मुझे एक अच्छे घोड़े का स्वच्छ तांगा ले आने के लिए कहा गया और ज्यों ही मैं घर से बाहर निकला तो घर के आगे एक सरकारी मोटर आकर रुकी। मैं जाता-जाता रुक गया तो पता चला कि लाल पट्टी की नम्बर प्लेट लगी सरकारी कार गोयलजी को लालगढ़ ले जाने के लिए भेजी गई है इसलिए किराए का तांगा लाने की जरूरत नहीं रही। उसी कार मे गोयल लालगढ़ के लिए प्रस्थान कर गये। मैं सीधा कचहरी चला गया और गगादास खादी मंदिर चले गये और गोयल अपने मुशी से मुकदमों में तारीखें लेने की हिदायत कर गये। हम सब अपने-अपने धंधे में लग गये। दोपहर हुई। एक बजे जब मैं सरकारी मोटर से गोयल की वापसी का इंतजार कर रहा था तभी एक पुलिस के सिपाही ने आकर कहा कि आई जी पी. साहब ने मुझे याद फरमाया है। मैने सोचा कि हो न हो गोयलजी ने ही सलाह-मशविरे के लिए याद किया होगा, इसलिए लालगढ़ के फोन पर हम दोनों को बुलाया गया होगा। आगन्तुक सिपाही से मैंने पूछा कि और भी किसी को आई.जी.पी. साहब ने याद फरमाया है क्या ? उसने धीरे से शंकते-शंकते कान में बताया कि गंगादास को भी बुलाने उसका एक साथी सिपाही गया हुआ है। मेरा विश्वास पक्का हो गया क्योंकि जेल में भी गोयल ने हम दोनों साथियों को बुलवाकर, हमें साथ रखकर ही जसवंतसिहजी से वार्तालाप शुरू किया था।

मैने आई.जी.पी साहब से निवेदन किया कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। उन्होंने कहा बैच पर बैठ जाइए। इतने में गगादास भी तांगे से उतरकर आ गया। उसे भी बैच पर बैठने को कहा गया। हम दोनो पास-पास ही बैठ गये। हमे बैठे-बैठे एक घंटे से ऊपर हो गया तो मैने निवेदन किया कि मै अपना टाइप राइटर खुला छोड़कर आया हूँ इजाजत हो तो उसे बद करके कागज-पत्र समेट आऊँ। इतने में फोन की घंटी बजी और उसे सुनकर

आई.जी पी. साहव का वोलने का टोन ही बदल गया और कड़क कर बोले 'कही जाना नही है, आप दोनो गिरफ्तार है।' घंटी वजाकर आदेश दिया कि इन दोनो को गिराई ले जाओ। मै तो भौचक्का रह गया। गोयल को लालगढ़ ले जाने के लिए आई लालपट्टी की सरकारी गाड़ी देखने के वाद से जो सुनहले स्वप्न देख रहे थे वे सारे एक झटके मे ध्वस्त हो गये। पुलिसवालो को सन् 42 की मेरी गिरफ्तारी के समय मेरे द्वारा जोर-जोर से नारे लगाकर भीड़ इकट्ठी कर लेने का रिकार्ड याद था इसलिए हम दोनो को एक वंद मोटर मे बैठाकर ले जाया गया ताकि नारेवाजी की आवाज ही मोटर से वाहर न आने पावे। अप्रत्याशित गिरफ्तारी से मेरा हौसला पस्त हो रहा था पर गगादास की स्थिति मुझ से वहुत अच्छी थी। उन्होंने मोटर मे मुझे बताया कि उन्हे खादी मंदिर बंद करवाकर लाया गया तो उन्हे किसी दुर्घटना की आशंका होने से रास्ते में शंकर महाराज को अपने तांगे के पास से गुजरते देखा तो खादी मंदिर की चावियों का गुच्छा उनकी तरफ धीरे से फेक कर इशारे से संकेत कर दिया कि खादी मंदिर में पड़े कागजात और नकदी को गायव कर दें। उन्होंने सव समझ लिया और गर्दन हिला दी तो उस तरफ से तो निश्चिंत हो गया। अब यह सव एकाएक पासा कैसे पलट गया। इसका तो हमें पता लगना अभी संभव मालूम नहीं होता पर उनका अन्दाजा था कि अनुचरो की धर पकड़ की गई है तो नेता तो खुला रह ही नहीं सकता। उसे भी अवश्य ही गिरफ्तार किया ही होगा। गिराई में कोई सूत्र मिला तो पता लगाने की वात कही। इस अप्रत्याशित गिरफ्तारी के वाद भी कौशिकजी का यह हौसला देखकर मैं तो दंग रह गया। मेरी भी कुछ हिम्मत वढ़ी और दिल की बढ़ी हुई धड़कनें कम हुई। गिराई मे पहुँचने पर हमने पाया कि गोयल हमसे पहले ही पहुँचा दिये गये थे। हम तीनों के इकट्ठा हो जाने पर मेरी मानसिक हालत सामान्य (नोरमल) होने को आई। मैने गोयलजी से पूछा कि वावूजी यह क्या और कैसे हुआ तो उन्होंने इशारे से शांत होने के लिए कहा और मै चुप हो गया।

शाम होने को आई तो हमें कहा गया कि आप लोग टट्टी, पिशाव करना हो तो करलें और पानी पीना हो तो यही पी लें क्योकि आप लोगों को कही दूर ले जाया जाने को है। वताने वाला कोई गंगादास का ही हितैषी था। जव सिपाही मोटर के इन्तजार मे कमरे से वाहर निकला तो गोयल ने वताया कि अगर मोटर मे हमे एक जगह ही रखा तो सारी बाते मोटर में बताऊँगा, अभी तो इतने से ही संतोष कर लो कि महाराजा से मिलने वुलाना और सरकारी कार का भेजना, यह सब सुनियोजित षड्यन्त्र का ही एक भाग था। महाराजा से बात एकदम टूट चुकी है और हमें वुरा से वुरा देखने और भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए।

लालगढ़ का वार्तालाप

जब अंधेरा हो चला तो हम तीनो को एक वद मोटर मे वैठा दिया गया और मोटर चल पड़ी। कानासर स्टेशन पर हमे उतार दिया और कहा कि भटिंडा की गाडी रात को 11 वजे आने पर उसमें हमे जाना है। गाडी आने तक हमे इतजार ही करना था सो एकान्त पाकर गोयल ने बताया कि उन्हें अव यह स्पष्ट दिख रहा है कि अगस्त

माह के शुरू से ही गृहमंत्री ने हम लोगों को पुनः बंदी बनाने की योजना खूब सोच-विचार कर बना ली थी और 9 अगस्त को एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नोटिस कि जुलूस निकालने से व झंडा फहराने से बाज आओ आदि उसी षड्यंत्र की शुरुआत थी ताकि हम लोग उत्तेजित होकर उसकी अवहेलना करें और उसी बहाने हमें गिरफ्तार कर लिया जाय। इसी प्रकार 16 अगस्त का प्राइम मिनिस्टर का पत्र कि मैंने उनको मुलाकात में अमुक-अमुक आश्वासन दिये थे, ताकि मैं तुरन्त उसका कड़े शब्दों में विरोध करूं पर मैंने विरोध करने के बजाय मिलकर बात करने का समय मांग लिया तो इस षड्यंत्र मे प्रधानमंत्री का शामिल होना भी सिद्ध हुआ और जब यह भी सफल नही हुआ तो महाराजा साहब के माध्यम से मिलने का समय देकर सरकारी मोटर भेजकर लालगढ़ बुलाने का रास्ता निकाला और हमें गलतफहमी में रखकर पुनः बंदी बनाने का षड्यंत्र सफल किया। गोयल ने लालगढ़ की बातचीत का ब्यौरा बताते हुए कहा कि वे जब लालगढ़ मे कार से उतरे तो उस एकांत स्थान मे नही ले जाया गया जहां महाराजा साहब ने 23 फरवरी, 1943 को सौहार्द्रपूर्ण ढंग से बातचीत में एक घंटे का समय दिया था। अब की बार दरबार हाल में ले जाया गया जहां महाराजा साहब पहले से आसीन थे और पूरा दरबार तो नहीं था पर पणिकर, प्रतापसिंह, आई.जी.पी. दीवानचंद आदि कई ऊंचे ओहदे वाले अधिकारी मौजूद थे। गोलाकार रूप में महाराजा साहब के तीनो ओर पूरा बंदोबस्त था। मुझे इस बंदोबस्त के बीच में बैठने को कहा गया और ऐसा लगा मानो वहीं बंदी बना लिया गया होऊं। बैठने के बाद मैंने देखा कि मेरे दोनों ओर एक-एक स्टेनोग्राफर बातचीत को रिकार्ड करने के लिए कॉपी और पैंसिलें लिए बैठ गये है और एक स्टेनोग्राफर मेरी पीठ पीछे महाराजा साहब की ओर मुँह करके तैनात था। बैठने पर महाराजा साहब ने फरमाया कि बोलो तुमने ओडियन्स क्यों चाहा है? मैंने बहुत संक्षेप मे 16 फरवरी, 1942 के दरबार की 'वेट एण्ड सी' के आश्वासन का जिक्र किया और 23 फरवरी की एकान्त मुलाकात में महाराजा साहब द्वारा नया प्रधानमंत्री आने तक इंतजार करने वाली बात का जिक्र किया और निवेदन किया कि कृपलानी साहब आ भी गये और चले भी गये और आज सत्रह महीने हो गये है हमे इंतजार करते हुए और अन्नदाता के वादों के अनुसार शनै-शनै हमारी सारी माँगों की पूर्ति का समय निकल रहा है। मैंने आगे नम्रतापूर्वक निवेदन किया कि यह तो हमने अन्नदाता के भेजे हुए जसवंतसिंहजी से जेल में ही स्पष्ट कर दिया था कि स्वर्गीय गंगासिंहजी द्वारा सन् 41 में राजपत्र-गजट-द्वारा घोषित भाषण के अनुसार लेखन और संगठन के अधिकारों को अमल मे लाने के लिए ही हमने प्रजा-परिषद् का संगठन बनाया था और अन्तोतगत्वा उनके बिना तो हमारा जेल में रहना या बाहर रहना एक ही समान है इसलिए अन्नदाता द्वारा संवैधानिक सुधार जनता को मिल जायें तो स्व-अनुशासन के अन्तर्गत सत्रह महीनों से स्थगित सार्वजनिक हित के कार्य शुरू हो जाये और राजा और प्रजा के सहयोग से राज्य प्रगति की ओर शीघ्र और अबाध गति से अग्रसर हो चले।

इस पर महाराजा ने फरमाया कि तुम लोगों ने अखबारो मे मुलाकात के बारे मे लेख छपवाए और लक्ष्मणगढ़ मे रियासत की बदनामी की, जबकि हमने न तो तुम्हें 16 फरवरी को कोई 'वेट एण्ड सी' का और न 23 फरवरी की मुलाकात में अन्य कोई आश्वासन दिया था। महाराजा साहब एकदम सारे आश्वासनो से नट गये। मै आश्चर्यचकित था कि रियासत का नरेश सत्रह महीनो के बाद अपने आश्वासनों से एकदम मुकर रहा है जबकि हम इस सारे अरसे मे इन आश्वासनों का जिक्र अखबारों और भाषणों में ही नहीं अपितु गृहमंत्री, प्रधानमंत्री आदि से होने वाले प्रत्येक पत्र-व्यवहार में बराबर दोहराते आ रहे हैं। राजा की इस पलटी के बारे मे मैं सिवाय इसके और क्या कहता कि 'अन्नदाता मैने तो सही रूप मे अब तक की सारी बाते बिना लाग-लपेट और बिना घटाये-बढ़ाये निवेदन की है आप इन पर गौर करके पुनः विचार करने की कृपा करें।' इस पर महाराजा साहब ने मुझ से पोइन्टेड प्रश्न किया कि 'क्या मै झूठ बोल रहा हूँ?' इन शब्दों को सुनते ही मै समझ गया कि इसका ज्यों ही मैने 'हाँ' मै उत्तर दिया नहीं कि उसी वक्त मेरे लिए बीकानेर पीनल-कोड की धारा 121-डी में सात साल की सजा तैयार है और ये स्टेनोग्राफर तीन तरफ से मुझे 'ट्रेप' करने के लिए ही बैठाये गये हैं। एक वकील के नाते मैने चुप रहना ही ठीक समझा तो महाराजा बोले 'चुप क्यों हो गए, जवाब क्यो नहीं देते? क्या मै झूठ बोल रहा हूँ?' मुझ से वे 'हाँ' सुनना चाहते थे और मै इस ट्रेप में फँसने को तैयार नही था इसलिए यही उत्तर दिया 'अन्नदाता मेरा तो निवेदन इतना ही है कि मैने जो कुछ कहा है वह सब सच-सच कहा है।' इस पर महाराजा साहब ने तीसरी बार फिर कहा—'तो फिर साफ-साफ क्यों नहीं बोलते कि मै झूठ बोल रहा हूँ।' इस पर मैने दृढ़तापूर्वक दोहराया कि 'मुझे इतना ही निवेदन करना है कि मैने सत्य के अलावा कुछ नहीं कहा है।' तीन बार में जब महाराजा साहब मेरे मुँह से यह नहीं निकलवा सके कि वे झूठ बोल रहे हैं और इस प्रकार मै धारा 121-डी की पकड़ में नहीं आ रहा हूँ तो चिढ़कर बीकानेर की भाषा मे कहा, 'तो थे जाय सको हो'! मैंने उठकर महाराजा साहब को वंदना करके लालगढ़ से निकल कर पैदल ही घर का रास्ता पकड़ा क्योंकि वापिस घर पहुँचाने के लिए सरकारी मोटर कहा मिलनी थी और वहां तांगा मिलने का सवाल ही नहीं था। गोयलजी आगे बताते गये कि लालगढ़ से निकल कर वे पैदल ही घर की ओर कदम बढ़ा रहे थे कि कुछ ही दूर जाने पर पीछे से डी.एस.पी. गोवर्धन लाल पांडे ने ठहरने की आवाज दी और मेरे पास आकर कहा, 'आपको गिरफ्तार किया जाता है।' जब गोयल ने उनसे दरयाफ्त किया कि क्या उनके पास कोई वारंट है और किस अपराध में गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें भारत रक्षा नियमों के नियम 26 (1) डी के तहत जारी वह आदेश पकड़ा दिया जिसमें लिखा था कि चूँकि महाराजा साहब की सरकार इस बात से संतुष्ट है कि तुम रघुवरदयाल गोयल वकील पुत्र झमनलाल अग्रवाल, निवासी बुलन्दशहर (यू.पी.) बीकानेर में इस प्रकार के क्रिया-कलाप करते आ रहे हो जो कि यहां की पब्लिक की सुरक्षा और शांति

को बनाए रखने में हानिकारक सिद्ध होते है अतः तुम्हे आदेश दिया जाता है कि तुम सार्वजनिक सुरक्षा एवं शांति के हितार्थ अगले आदेश के मिलने तक अपने आपको बीकानेर से हटा कर उन शर्तों के अन्तर्गत लूणकरणसर में निवास करोगे जो आई जी.पी. द्वारा समय पर तुम्हारे लिए लागू की जावें।
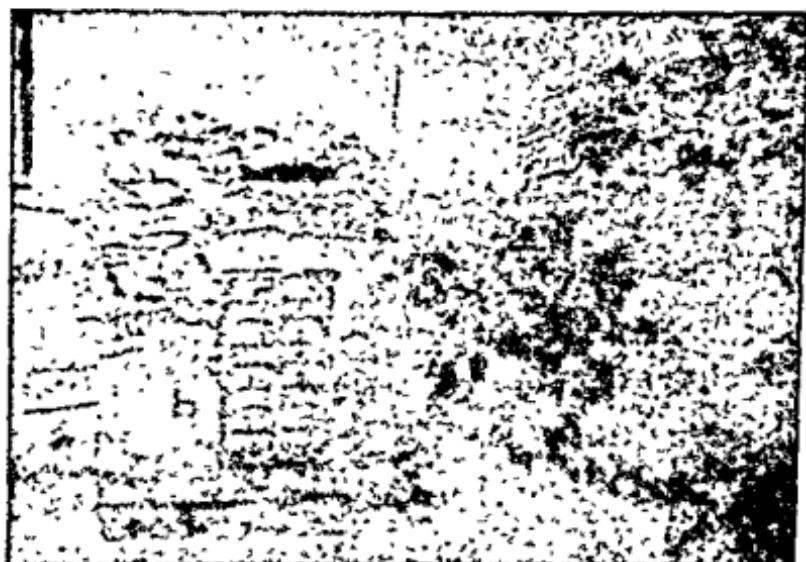
लूणकरणसर की वह ऐतिहासिक कोठरी जहां बाबूजी को स्वतंत्रता आन्दोलन के अन्तर्गत यातनाएं भुगतनी पड़ी थी

काल कोठरी का वह भाग जहां से स्वतत्रता की लड़ाई जारी रखी गई।

इस पर गंगादास ने और मैंने अपनी-अपनी गिरफ्तारी का हाल सुनाया। गोयल बोले कि यह हमारे लिए तो अप्रत्याशित था पर दूसरे पक्ष की ओर से सुनियोजित रूप से

किया गया है। पहले 9 अगस्त पर अपमानित करने वाला बेबुनियाद नोटिस जारी करना, फिर उसमें प्रधानमंत्री को शामिल करके 16 तारीख के उनके पत्र द्वारा सारी मनगढंत बातों का लिखा जाना और उन्हें परिपुष्ट करने के लिए पत्र की प्राप्ति की स्वीकृति शीघ्र भेजने को लिखना, और उस जाल से बच जाने पर सरकारी मोटर भेजकर लालगढ़ बुलाने में स्वयं नरेश का इस योजना को आशीर्वाद होना स्पष्ट रूप से दर्शाता है और अंत में नरेश के गौरवशाली व्यक्तित्व को उसके स्वयं के द्वारा कहे गये वचनों और वादों से एकदम मुकरवा देना बड़ा विस्मयकारी और अफसोसजनक तथ्य है। रियासत का नरेश अपने व्यक्तित्व और राठोड़ घराने के गौरव को भुलाकर एक तुच्छ होम मिनिस्टर के हाथों में खेल जायेगा यह हमारे लिए अकल्पित था। अगर इस बारे में हमें कल्पना होती कि एक नरेश इस प्रकार पलटा खाकर झूठ पर उतर आयेगा तो हम ओडियन्स के चक्कर में न पड़कर सीधा 2 अक्टूबर को अपना कार्य पुनः प्रारम्भ कर देते। एक बार हम जसवंतसिंह मिनिस्टर की मीठी बातों से जेल मे धोखा खा गये और अब की बार स्वयं नरेश के मीठे आश्वासनों से छले गए। अब तो झुकने के बजाय बापू के अहिंसात्मक प्रतिरोध के मार्ग पर चलकर मरने को तैयार रहना चाहिए—झूठी आशाओं और अपेक्षाओं के चक्कर मे बिल्कुल नहीं पड़ना है।

नरेश के व्यक्तित्व से धोखा खाने की पीड़ा गोयल को साल रही थी पर अन्याय के आगे सिर न झुकाने का संकल्प भी और ज्यादा मजबूत हो चला था। गोयल आगे बोले कि विश्वयुद्ध की स्थिति का फायदा उठाकर अबकी बार बीकानेर सुरक्षा एक्ट के बजाय भारत सुरक्षा नियमों का सहारा लिया गया है ताकि युद्ध समाप्ति के अनिश्चित काल तक हमें बंदी बनाए रखा जा सके। मुझ दाऊदयाल को ऐसा लगा मानो हम लोगो को आंखों पर पट्टी बांधकर किसी विस्तृत रेगिस्तान में भटकते हुए भूख-प्यास से मरने के लिए छोड़ दिया गया हो जहां कौन मृत पाया जायेगा, कौन मूर्छित पाया जायेगा और कौन जीवित बच सकेगा, इसका कोई अन्दाजा नही लगाया जा सकता था।

भटिंडा की गाडी आने में अभी एक घंटे का समय बचा था। कौशिकजी बोले कि दो अक्टूबर का इन्तजार न करके हम मघाराम, भिक्षालाल और लक्ष्मीदास जैसे, इस मार्ग के पुराने पथिकों से सम्पर्क शुरू कर देते तो हमारी गिरफ्तारी के बाद पीछे से वे 2 अक्टूबर पर कुछ न कुछ सार्वजनिक कार्यक्रम अवश्य कर लेते। मैंने कहा कि हमें इनसे क्यों उम्मीद करनी चाहिए जो 26 जनवरी के मनाने में या राष्ट्रीय सप्ताह में भी बाबूजी के घर पर होने वाले कार्यक्रमों में शामिल न होकर व्यायामशाला में अलग से अपनी खिचड़ी पकाते रहे है। इस पर गोयल बोल उठे कि दाऊजी को ऐसा नही सोचना चाहिए। नेतृत्व की भूख अक्सर होती ही है और अलग से राष्ट्रीय कार्यक्रम मनाते हैं तो अच्छा ही है, एक की बजाय दो जगह मनाया जाय और जगह-जगह मनाया जाय तो हम उसे अन्यथा क्यो लें? काम तो एक ही है, जितनी अधिक जगह हो उतना प्रचार और उत्साह बढ़ता ही है। किसने क्या नही किया इस तरफ ध्यान न देकर हमें किसने क्या कुछ किया उसको महत्व देना चाहिए। बिना देश-भक्ति और त्याग की भावना के

तो कोई इस मार्ग का पथिक बनेगा ही क्यो ? पर इनमें भी पंचमाङ्गियों से तो सावधान रहना ही चाहिए जो केवल भेद लेने व उसे सरकार तक पहुँचाने के लिए हम लोगो के साथ हो जाते है—और मुझे तो इनमें ऐसा कोई होगा, ऐसा नहीं लगता। अब किसी को पहल सूझती है और कोई केवल रूटीन ही निभा लेते हैं—हैं सभी देश भक्त। हाँ, प्रजामंडल के भूतपूर्व अध्यक्ष मघारामजी ऐसे जरूर हैं जो शारीरिक कष्टों को सहकर भी कुछ कर सकते है, यदि उनको कोई उनका बल याद दिला दे।

इतने में चहल-पहल शुरू हो गई और भटिंडा की गाडी आ गई जिसमें हम तीनों को चढ़ा दिया गया। गोयल का गंतव्य तो लूणकरणसर निश्चित और मालूम था पर हम दोनो अंधेरे में ही थे कि न मालूम हमें कहां ले जाया जायेगा ?

लूणकरणसर में गोयल नजरबंद कर दिए गए

हम तीनों को एक ऐसे डिब्बे में बैठाया गया जिसमें हम तीनो के अलावा और कोई मुसाफिर नहीं था, सिवाय उन दो बन्दूकधारी पुलिस के सिपाहियों के जो हमारी निगरानी के लिए हमारे साथ ही डिब्बे में चढ़ा दिए गए थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बीकानेर स्टेट रेलवे को इस प्रकार खाली डिब्बे चलाने में, क्या आर्थिक हानि नहीं होती ? गंगादास बोले, 'दाऊजी आप भी बड़े भोले हो, और तो सारे डिब्बे भरे हुए हैं केवल यही डिब्बा इसलिए खाली रखा गया है कि हमारा और किसी मुसाफिर से सम्पर्क न हो जाय।

लूणकरणसर आते ही डी.एस.पी. गोवर्धन पांडे मय 8-10 सिपाहियों के डिब्बे में घुसे और गोयल को चारों ओर से घेर कर रेलवे स्टेशन पर स्टेशन की दूसरी तरफ उतार लिया ताकि स्टेशन पर गाड़ी पर चढ़ने वाले किसी मुसाफिर से गोयल का सम्पर्क न होने पावे। हमने गोयल को हाथ जोड़कर विदा दी।

गंगादास व लेखक दोनों रियासती 'काले पानी' अनूपगढ़ की ओर

गाड़ी चल पड़ी तो हमने हमारे पहरे पर रखे हुए सिपाहियों से पूछा कि हमे कहा ले जाया जा रहा है ? जवाब मिला कि उन्हें इससे ज्यादा कुछ भी मालूम नहीं है कि उन्हें सूरतगढ़ पर उतरना है। गंगादास समझ गये कि सूरतगढ़ उतरने का मतलब यही है कि हमे अनूपगढ़ ले जाया जा रहा है जो बीकानेर में 'कालापानी' कहा जाता है। जैसे ब्रिटिश भारत में अण्डमान-निकोबार आइलैंड को 'कालापानी' कहा जाता था जहां भारत भूमि से दूर निर्जन स्थान में राजनैतिक कैदी उम्र निकालने को मजबूर होते थे और भारत से उनका सम्पर्क सर्वथा टूट जाता था। वैसे ही बीकानेर रियासत मे अनूपगढ़ को कालापानी कहा जाता था जहा सरकार उन नौकरो को ट्रांसफर कर भेज देती थी जिनको दण्ड देना होता था। अनूपगढ़ को सप्ताह मे एक रेल जाती थी और एक ही अनूपगढ़ से सूरतगढ़ आती थी।

हमें सूरतगढ़ उतार लिया गया और थाने में रखा गया क्योंकि अनूपगढ़ के लिए रेल दो दिन बाद ही जाने की बारी आती थी। दो दिन सूरतगढ़ थाने में बिताने के बाद

तीसरे दिन हमें अनूपगढ़ ले जाया गया। स्टेशन से हमें उस किले मे प्रवेश कराया जहाँ तहसीलदार का कार्यालय स्थित था और कुछ सिपाही-फौजी उसमे निवास करते थे तथा दिन मे वहा तहसील होने के नाते कुछ अन्य जरूरतमदो और प्रार्थियो का आवागमन होता था जो संख्या में बहुत ही कम होते थे। गढ़ के चारो ओर कोई बस्ती नजर नहीं आती थी, शायद बस्ती गढ़ से कुछ दूरी पर होगी। ऐसे सुनसान और वीरान प्रदेश में हमे लेजाकर ठहराया गया। गंगादास को तहसील कार्यालय के पास, थोड़ी दूरी पर एक कोठरी मे रखा गया और मुझे गढ़ में घुसते ही दाहिने हाथ को बुर्ज पर बनी एक कोठरी में रखा गया जहां पहुँचने के लिए 18-20 ऐसी पैड़ियों पर चढ़ना पड़ता था जो फौजियों के लिए तो ज्यादा तकलीफदेह नहीं हो सकती थी पर मेरे जैसे शहरी के लिए आसान नही थी। प्रवेश के दिन गंगादास को जो देखा था उसके बाद तो मै गंगादास को वहाँ कभी भी नजदीक से या दूर से भी नहीं देख पाया क्योंकि हमें कभी एक-दूसरे से मिल पाने का अवसर ही नहीं दिया जाता था। हम एक दूसरे को देखने को तरसते ही रहे।

बीकानेर रियासत का कालापानी कहलाने वाले अनूपगढ़ किले का सिहद्वार

किले की बुर्जी पर स्थित वह नारकीय कोटड़ी जिसमें सर्व प्रथम : लेखक दाऊदयाल आचार्य को तत्पश्चात् गंगादास कौशिक को और अन्त में चौ. हनुमानसिह को नजरबंद रखा गया था।

वह नारकीय कोठरी

बुर्ज के ऊपर वाली कोठरी में जब मुझे प्रवेश कराया गया तो मैने सोचा शायद एक बार दूसरा स्थान देने तक यहां रखा गया होगा क्योंकि उस कोठरी में तो टूटे और साबित ऊँटो के पलाण, बाँस और डंडे, टूटी-फूटी मटकिया और दुनियां भर का कचरा-कबाड़ा रखा हुआ था और उसमें पैर रखने को भी जगह नही थी। मै एक दो

टूटी-फूटी मटकियों को सरका-हटाकर वैठने की सोच ही रहा था कि हवा का एक ऐसा झोंका आया कि मेरा सर फटने लगा। गजव की वदवू आ रही थी। चारों ओर नजर दौड़ाई तो दिन के अंधेरे में सव तरफ छोटे वड़े चमगादड़ लटकने दिखाई पड़े। थोड़ी देर मे एक व्यक्ति झाडू लेकर आया तो मैंने पूछा कि यहां तो मैं वैठ ही नहीं सकता इस वदवू में। मुझे जहां ठहराना है वहां जल्दी ले चलो। वह कहने लगा कि आपको और कहीं नहीं वल्कि यहीं गुजारा करना है—ये लो झाडू जो तुम्हारे पास भिजवाया गया है जिससे आप स्वयं सफाई करके अपना स्थान साफ कर लो—रहना आप को अव यहीं है। यों कहकर वह चला गया। मन मसोस कर मैंने झाडू से सफाई करके वैठने लायक स्थान वना लिया। काफी थकावट महसूस होने लगी। थोड़ी देर में एक व्यक्ति एक सिगड़ी व कुछ लकड़ियाँ व माचिस, थाली, तवा, लोटा आदि लेकर आया और कहने लगा कि मैं आटा ले आता हूँ आप अपनी रोटी बना लीजिए और खाना खा लीजिए। मैं भौंचक्का रह गया क्योंकि मैंने कभी जीवन में रोटी वनाना तो दूर चूल्हा भी नहीं जलाया था। माँ-वाप का लाडला इकलौता वेटा था तो मेरी रोटी वनाने की नौवत ही क्यों आती? मै सोचने लगा इससे तो वीकानेर जेल ही अच्छी थी जहां गंगासिंह के शासनकाल मे बनी बनाई रोटी तो मिलती थी फिर चाहे इल्लियों से भरी हुई ही क्यों न हों। नए महाराजा ने तो चिकनी-चुपड़ी वातों और वड़े-वड़े आश्वासनों के वावजूद जो कुछ दिया वह यह तोहफा दिया। सामान लाने वाले को कहा कि भाई पानी तो दो ताकि जैसी-तैसी रोटी बनाने का प्रयास करूँ। वह वोला कि देखो नीचे वह कूवा है, वैसे तो आपको इस कोठरी में से वाहर जाने की इजाजत नहीं है और न नीचे उतरने की छूट है पर सुवह-शाम एक-एक वार उस कूवे पर जाकर स्नान करके अपने लिए पानी लाने मात्र की छूट है। मैं अभी घड़ा ला देता हूँ सो आप अपने पानी की व्यवस्था स्वयं कर लो। उसने घड़ा लाकर रख दिया और एक मिनट भी ठहरे विना चला गया। मेरा सर चक्कर खाने लगा। नजरवंदी और जेल का फर्क नजर आया और जिन्दगी में पहली वार घवराहट महसूस हुई। तरह तरह के विचार करता एक ओर लेट गया। थोड़ी देर मे प्यास लगी पर वहां पानी कहां था? आंखों में जरूर उमड़ आया था। संसार का अनुभवहीन नौजवान था और वास्तविक शारीरिक कष्टों का अव श्रीगणेश हो चुका था। कूवे पर जाने को नीचे उतरने लगा तो पहरे पर तैनात संतरी ने पूछा कूवे पर जा रहे हो क्या? और कही इधर-उधर जाने की मनाही है। मैंने कहा कूवे पर ही पानी पीने जा रहा हूँ तो उसके चेहरे पर सहानुभूति उमड़ आई और दयावश वोला, 'पानी पीने कितनी वार जाओगे-आओगे? घड़ा और धोती साथ ले जाओ, तुम्हारे जनेऊ पहनी हुई है, पंडित मालूम पड़ते हो, इसलिए पडितजी! स्नान भी कर आओ और चौबीस घटों के लिए पीने का पर्याप्त पानी भी लेते आओगे तो वार-वार इतनी पैड़ियां चढ़नी-उतरनी नही पड़ेंगी।' सहानुभूति भरी आवाज में सुझाव सुना तो वापस ऊपर जाकर घड़ा और धोती ले आया और कूवे पर जाकर स्नान कर कूवे मे से पानी खीचकर घड़ा भरा। घड़ा इतना वड़ा था कि मेरे से

उठता नहीं लगा। कूवे पर कुछ सैनिक स्नान कर रहे थे उनसे कहा 'क्या यह घड़ा ऊपर तक पहुँचा दोगे ?' जवाव मिला कि हम एक नहीं दो पहुँचा दें पर वह जो सतरी खड़ा है हमें ऊपर नहीं जाने देगा। यहां भी इन्कार मिल गया। पर उन्होने सहानुभूति भरे टोन में कहा, 'पंडितजी, घड़े को आधा करके ले जाइये, यह तो रोज की जरूरत की चीज है, अगर एक दिन संतरी जाने भी देगा तो रोज-रोज कौन सहायता करेगा ?' कटु होते हुए भी बात विल्कुल सत्य थी पर सहानुभूति से पूर्ण थी। मुझे वहां कोई जानता नहीं था पर मुझे लगा कि मेरी जनेऊ के कारण उन राजपूतों के हृदय में सहानुभूति और सम्मान था—जो सख्ती बरती जा रही थी वह तो मात्र ऊपर के कठोर आदेशों के फलस्वरूप थी। घड़ा आधा खाली करके मै पानी ले गया। लोहे की बोरसी मे रोटी बनाने के लिए आग जलाने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद चूल्हा जला। आटा गूंदने के लिए पानी डाला तो ज्यादा पड़ गया। आटा वहुत गीला हो गया, थोड़ा आटा और मिलाया तव तक आग बुझ गई। फिर जलाई। फिर बुझ गई। तीसरी बार फिर जलाई और फूंक मारता गया जिससे आग तो जल उठी पर फूक के साथ चूल्हे की राख आंखों में पड़ गई जिससे आखें बंद हो गई। किसी तरह रोटी वेलकर तवे पर डाल दी। आँख कड़कने लगी, आंखों में पानी आ गया और उनको पोंछता रहा। रोटी की याद आई तो तवे की तरफ नजर डाली। तब तक तवे पर की रोटी जल गई थी। परेशान होकर कच्ची-पक्की जैसी भी रोटी वन पाई उसे खाकर जैसे-तैसे पेट भरा। यही क्रम करीब 12-15 दिन चला तो कब्ज रहने लगी, पेट मे आफरा आ गया और अस्वस्थता महसूस होने लगी। थोड़े दिन वाद शरीर भारी रहने लगा। मै समझ गया कि कच्चा या जला हुआ खाने का यही नतीजा हो सकता था और घूमने-फिरने को कोई स्थान ही न था। इस एक कोठरी में पड़े-पड़े जो हो सकता था वही हो रहा था, पर किससे कहता और कौन सुनता। राम भरोसे ऐसा ही रूटीन चलता रहा। सितम्बर खत्म हो गया। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती याद आई पर कैसे मनाऊं यह समझ नही पड़ रहा था।

2 अक्टूबर को सुवह उठा। जल्दी से स्नान करके मानसिक रूप से गांधी जयन्ती मनाने लगा। कल्पना में गाधी का चित्र सामने रखकर 'वैष्णव जन तो तैने कहिये जे पीर पराई जाणे रै' यह भजन भाव विह्वल होकर गाया। दोपहर में घड़ा भरने कूवे पर गया तो आधा घड़ा भी भारी लगा। घड़े को उठाने को जोर लगाते समय घड़े के पानी में मुंह दिखा तो उस पर सोजन सा लगा। जैसे-तैसे ऊपर आया और रसोई वनाने की व्यवस्था करके आटा गूंदने लगा तो ध्यान में आया कि हाथों पर भी सोजन था। तव पैरों पर उत्सुकतावश देखा तो वे भी सूजे हुवे से दिखे। संतरी को पुकारा तो उसने धीरे से बताया कि पडितजी हम को आप से बात करने की मनाही है, फिर भी कहिये क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा मेरे शरीर में सोजन आ गया लगता है और आधा घड़ा उठाकर लाने की शक्ति भी शरीर में नहीं रही है, यहां कोई डाक्टर तो होगा ही क्योंकि तहसील का हैडक्वार्टर है तो कृपा करके उसे बुला दो। उसने कहा [illegible]

राय करने का अधिकार नहीं है पर मैं तहसीलदार तक आपकी बात पहुँचा दूँगा पर आज तो अब क्या होगा ? इतवार है, कल ही कुछ होगा। उसने धीरे से कहा कि यह सोजन तो हम पाँच-सात दिन से देख रहे हैं, आपके ध्यान में आज ही आई होगी। वह अपनी ड्यूटी पर चला गया। दूसरे दिन उसने बताया कि तहसीलदारजी ने कहा है कि कल तक डाक्टर आ जायेगा।

मंगलवार को डाक्टर आया। उसने हकीकत पूछी और स्टेथेस्कोप लगाकर जाँच की। थर्मामीटर लगाकर देखा तो कहा कि आपको सोजन के साथ बुखार भी है। आप स्नान करना बंद कर दें और मैं दवा भिजवाता हूँ जो इस तरह ले लेना। मैं दवाई का इंतजार करता रहा पर दो दिन कोई दवाई नहीं आई। मुझ में कमजोरी और निराशा दोनो दिन पर दिन बढ़ने लगी थी। तीसरे दिन जब बुखार और तेज हो गया तो मैंने संतरी से गुहार की और कहा कि भैया मेरा यहां कौन है तुम लोगों के सिवाय जो मेरी सहायता करे। तुम्हारी ड्यूटी पहरा देने की है, यह मैं जानता हूँ पर दो दिन से बुखार तेज हो रहा है और मैं रोटी भी नहीं बना सकता, केवल पानी पीकर समय गुजार रहा हूँ और अब तो घड़े में पानी भी खत्म हो रहा है। कुवे पर जाकर घड़ा भरकर लाने की मुझ में शक्ति नहीं है। डाक्टर देखकर गया था, आज तीसरा दिन है दवा तो कोई आई नही। तहसील तो पास में ही है, मुझे या तो वहां तक जाने दो या तुम जाकर तहसीलदारजी से दवा के लिए निवेदन कर दो और पानी के लिए भी कुछ व्यवस्था कर दो।

ऐसा लगा मानों उसे कुछ दया आई और वह बोला, 'पंडितजी, हमारी भी कुछ मजबूरियां है, तुम्हारे लिए और तहसील के पास वाले कमरे में रहने वाले दोनों पंडितो के लिए सख्त हिदायतें दी हुई हैं जिनमें चूकने पर हमारे पेट पर लात पड़ सकती है।' वह चुप हो गया पर मेरी हालत की तरफ देखता हुआ फिर बोला, 'पंडितजी, आपको इतने दिनो से देख रहा हूँ, आप भले आदमी मालूम होते हो, मुझे पक्का विश्वास है कि मैं तहसीलदारजी तक जाकर कहूँ तब तक आप नीचे उतर कर कहीं नहीं जाओगे न जाने जैसी आप की हालत है, इसलिए दोनों बातें कर देता हूँ।' उसने घड़ा भरकर ऊपर लाकर रख दिया और थोड़ी देर मे ही कुनीन की गोलियां लाकर दे दी और बताया कि दवा तहसील में आई हुई पड़ी थी। डाक्टर ने कहलवाया है कि मलेरिया का जोर चल रहा है जिसमें बुखार तेज ही आता है, आपको भी मलेरिया ही मालूम पड़ता है सो तीन दिन बराबर टिकिया ले लोगे तो ठीक हो जाओगे, घबराने की कोई बात नहीं है। और यह भी कहलवाया है कि दूध लेना चाहिए पर दूध की जुगाड़ न हो तो पानी खूब पीते रहना।' मैने कृतज्ञतापूर्वक दवाई ले ली। जाता-जाता वह बोला 'दो दिन से आपने चूल्हा नहीं जलाया है, क्या मैं कुछ भुजिया-बुजिया ला दूँ ? पहली बार सहानुभूति पूर्ण बातें सुनकर ही मै गदगद हो गया और सोचा कि इस सिपाही के अन्दर बैठा हुवा राजपूत धर्म अपना निर्वाह कर रहा मालूम पड़ता है। मैंने कहा, 'मेरे पास पैसे कहां हैं जो दूध पीलूँ और भुजिया मगालूँ ?' वह नीचे चला गया पर मेरे सामने खाने के लिए कुछ ही देर में भुजिए पहुँच गये थे। उन्हे खाकर पानी पीकर मैने बड़े संतोष की सांस ली और हृदय से उस संतरी का आभारी हो गया।

सचमुच में तीन दिन तक भुजिए खाकर और पानी पीकर मैं अपने आपको स्वस्थ महसूस करने लगा। चौथे दिन मै कूवे पर जाकर स्नान कर आया, और पीने का पानी तो घड़े में पर्याप्त था ही। मैने चूल्हा जलाया, कच्ची-पक्की जैसी बनी वैसी रोटी बनाई। साग सब्जी वहा कहां थी? माँ को रोटी बनाते वक्त आटे मे नमक डालते हुए देखा हुवा था अतः मै भी आटे में थोड़ा नमक डाल दिया करता था और रोटी खा लेता था। वैसे जेल मे कई महीनों तक ईल्लियां निकाल कर विना साग-सब्जी के पेट भरने का आदि तो सन् 42 में, जेल में हो ही चुका था। स्वास्थ्य नोरमल होने लगा। बीमारी शायद मलेरिया बुखार की ही थी जो उस काल मे अनूपगढ़ में व्याप्त हो रही थी। पर पैरों और हाथों पर सोजन अब भी थोड़ा-थोड़ा मौजूद था। मैंने सोचा सोजन है मात्र, पीड़ा तो कुछ है नही अतः सोजन पड़ा रहे मेरा उससे क्या काम अड़ता है। मेरी दिनचर्या पूर्व की तरह चलने लगी।

एक दिन मुझे अचानक संतरी ने बताया कि कोई मुझ से मिलने आया है। मै चकित था कि यहां मुझ से कौन मिलने आ सकता है? साथ ही उसने कहा कि तहसीलदारजी आने वालों के पास ही खड़े है और बातचीत उनके सामने ही होगी। आपको नीचे आकर मिलने की छूट नही है और न उनको ऊपर आने की—अतः चलिए मिलाई कर लीजिए। मिलाई शब्द सुनते ही मै समझ गया कि घर में से कोई आया है क्योंकि बीकानेर जेल में रहते भी अफसर की उपस्थिति में मिलाई के मौके आए थे।

मै बुर्ज के ऊपर स्थित उस गंदी कोठरी से बाहर निकला और दो पैड़ियां उतरा तो देखा नीचे मेरे बहनोईजी श्री शंकर महाराज के साथ मेरी वृद्धा माता अपने पोते को अंगुली पकड़ाए खड़ी ऊपर की ओर देख-ताक रही है— माँ तो माँ ही होती है। उसकी आंखों मे वात्सल्य-रस बरसता दीख रहा था क्योंकि संतान कितनी ही बड़ी उम्र की क्यों न हो माँ को तोतली बोली बोलने वाला बच्चा ही लगता है। मै दो पैड़ी और उतरा तो मुझे याद आया कि मुझे नीचे नही उतरना है। मै वहीं ठिठक कर खड़ा हो गया और एक क्षण में प्रभु को बहुत-बहुत धन्यवाद दिया कि उसने पहले से ही पाबंदियों के माध्यम से कैसी सुन्दर व्यवस्था कर रखी थी कि वह मेरी उस चमगादड़ो की टट्टी से भभकती हुई गंदी कोठरी तक आने ही नही पाएगी वर्ना वहां की दुर्गंध और काठ-कबाड़े भरी स्थिति और टूटी हुई बोरसी और बिखरा हुआ आटा देखकर ही रो पड़ती। राज की पाबंदी अमृत का काम कर गई। पर मै भी नीचे उतरकर उसके पास नहीं जा सकता था इसलिए मैंने वहां उनके पास खड़े तहसीलदारजी से पुकारकर कहा कि वे मेरी माँ को नीचे की पैड़ी तक लाने की कृपा करे वर्ना दूर खड़े मेरी बात सुन ही नहीं सकेगी। उन्होंने कृपा कर दी और नीचे की पैड़ी के पास खड़ी माँ से मैंने बिचली पैड़ी पर खड़े-खड़े बात कर ली। माँ ने पूछा बेटा क्या हाल है? मैंने कहा माँ बहुत मजे में [illegible] उन्ने
पूछा खाने-पीने की व्य[illegible]
का मेहमान हूँ इसलिए चिंता तो मेजबान को ही है, हम उसकी क्यों चिंता करें। [illegible]
तो मेरे स्वभाव से वाकिफ ही है कि रूखा-सूखा जैसा भी मिले घर में भी [illegible]
था और यहां भी वैसा ही संतुष्ट हूँ। उसने एक प्रश्न और किया कि [illegible]

रहना होगा तो मैंने कहा कि जेल में भी, जहाँ दूसरों को सजा होने से छूटने की एक मियाद तय थी पर वहां भी मै वेमियादी कैदी था और यहां भी वैसा ही है, और लोग छूटेंगे तब शायद मैं भी छोड़ दिया जाऊँ।

दूरी से मुलाकात का एक फायदा यह भी हुआ कि माँ मेरे हाथ-पैरों की सोजन नहीं देख पाई। तहसीलदारजी ने कहा कि माँजी हो गई मुलाकात, अब आप जाइये। माँ अनमने मन से लौट पड़ी पर इतने मे मेरे बहनोई ने रामायण की याद दिलाई और माँ ने तहसीलदारजी को रामायण की पुस्तक सौंप कर कहा कि इसे मेरे बच्चे को दे दीजिए। 'बच्चा' शब्द सुनकर तहसीलदारजी मुस्करा पड़े और सिपाही के साथ उनके सामने ही रामायण की पोथी मेरे पास भिजवादी। बहनोईजी ने केवल हाथ हिलाकर आशीर्वाद दिया और दादी-पोते के साथ लौट पड़े और मै पुनः अपने 'स्वर्ग-स्थान' में आ बैठा। बैठे-बैठे खयाल आया कि सौभाग्य से दीपावली के मौके पर माताश्री के दर्शन अनूपगढ़ में बैठे हो गए और रामायण महाग्रंथ भी यहीं वैठे उपलब्ध हो गया ये सभी मुझे सु-दिन आने के चिह्न लगे। खुशफहमी में जी रहा था और रामायण का निरन्तर पाठ करने लगा। एकान्त और रामायण दोनों के मेल से मुझे वह नर्क भी स्वर्ग लगने लगा। अयोध्या-कांड के बाद जब अरण्यकांड में आया तो महसूस हुवा कि राम और सीता जैसों को सत्य के मार्ग पर चलने की कीमत चुकानी पड़ी तो मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को निराशा छोड़कर उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। मानसिक रूप से वल मिला, प्रसन्नता हुई। पर विधाता हँस रहा था जिसे आगे आने वाला दुर्दिन सामने दिख रहा था।

लेखक की फिसलन

कार्तिक का महीना था। ठंड और जोर पकड़ रही थी पर मेरे पास कोई कंवल नहीं था, न ही सौड़ था। माँ आई तब मौसम में ठंड का नामोनिशान भी नहीं था, नही तो उसे कह देता तो माँ घर से कपड़े भेज देती। मौका निकल गया। दीवाली की चार छुट्टियों के बाद तो ठंड एकदम बढ़ गई पर मैने कूवे पर जाकर स्नान करना यथावत जारी रखा। एक दिन शरीर भारी हो गया, खाँसी शुरू हो गई और वह दिन-प्रतिदिन बढ़ती गई। रामायण का स्वाध्याय प्रायः बंद हो गया। उन्हीं दिनों में स्नान करने के बाद रामायण-पाठ को न बैठ सका और प्रायः लेट जाता था। सवेरे 9-10 वजे के करीब एक फौजी अफसर दो सिपाहियों को लेकर मेरे कमरे मे आए तो चमगादड़ों की टट्टी की बदबू से उनका सिर भन्ना गया। ऐसा लगता है वे उसी दुर्ग में कहीं निवास करते थे और मेरी माताजी आई तब वे मौजूद थे। मेरी खाँसी रुक नही रही थी। संभव है उन्हें मुझ से कुछ हमदर्दी महसूस हुई होगी। दो एक क्षतिग्रस्त पलानों को अपने अर्दलियों के साथ भेजकर उन्हें मरम्मत कराने का आदेश देने के बाद मेरे पास बैठकर मेरा हालचाल पूछने लगे। मुझे लगा वे अपनी किसी फौजी ड्यूटी पर थे वर्ना अब तक अन्य कोई तो आया ही नही था और न किसी को मुझ से बातचीत करने का मौका दिया जाता था। वे मुझे पूछ बैठे, 'पंडितजी, आप किस अपराध में इस कालेपानी के इलाके में यहां लाये गये हो और कितना समय तुम्हें इस बैरक मे गुजारना बाकी है? मेरा दिल भर आया और मैंने कहा कि मेरा अपराध और दण्ड का

काल आज तक मुझे नहीं वताया गया है। वे वोले किसी युद्ध-अपराध मे या राजनीति के चक्कर मे आ गये हो क्या ? मैने संक्षेप में हाल वताया तो बड़ी सहानुभूतिपूर्ण भाषा में बोले, 'जिसकी माँ बूढ़ी हो, भाई-बंधु कोई हो नहीं, और नन्हा-सा बच्चा हो ऐसे घर के अकेले कमाऊ सदस्य का क्या अपने बूढ़े माँ-बाप व स्त्री-बच्चों की जिम्मेदारी की तरफ से आँखें मूंद कर राजनीति के चक्कर में पड़कर उन्हें अपने भाग्य पर छोड़ देना केवल भोलापन या मूर्खता ही नहीं अपितु धार्मिक दृष्टि से भी पाप नही है क्या ? भगवान न करे आपकी इलाज के अभाव में मृत्यु हो जाय तो माँ-वच्चो का क्या होगा ? क्या बूढ़ी माँ और नन्हें से वच्चे की दुराशीश तुम्हें नरक में नहीं ले जाएगी ?' 'दुराशीश' और नरक की धार्मिक भाषा का प्रयोग करके वह व्यक्ति तो चलता बना पर मेरे दिमाग में पहली वार भ्रम पैदा हो गया। मैं भ्रमित होकर सोचने लगा कि बेलाग होकर खरी-खोटी सुनाने वाला यह कौन है ? क्या इसकी वातों में सच्चाई नही है ? मुझ जैसे धार्मिकवृत्ति वाले व्यक्ति को 'दुराशीश' और 'नरक' शब्दों ने हिला दिया। मातृभूमि की भक्ति और मातृसेवा के कर्त्तव्य के वीच भ्रम की स्थिति पहली वार पैदा हुई। हृदय में उथल-पुथल मच गई। किंकर्त्तव्य विमूढ़ता के तूफ़ान में फफेड़ा गया। मेरा मानसिक संतुलन विगड़ चला। इसी बीच बुखार भी पुनः रहने लगा। कमरे की वदवू जिसका आदी हो चला था, वह स्वास्थ्य पर असर डाले बिना थोड़े ही रहती ? बुखार, खाँसी व शरीर में बढ़ती हुई सोजन में मानसिक अस्थिरता की स्थिति ने आग में घी डालने का काम शुरू कर दिया और मेरी हिम्मत का बांध टूटता सा नजर आने लगा।

इसी ऊहापोह की स्थिति में से गुजरते हुए अव यह भी याद आया कि माँजी अपने साथ पोते को तो लाई थी पर उसकी माँ को क्यों नहीं लाई ? क्या वह बीमार है इसलिए नहीं आ सकी या धनाभाव के कारण उसे मन मसोस कर रह जाना पड़ा ? घर की आर्थिक स्थिति तो मेरी जानी-समझी हुई थी पर इतनी खराब हो गई क्या कि अनूपगढ़ मिलने आना भी सामर्थ्य के वाहर हो गया ? उसके न आने का कारण या तो अधिक अस्वस्थता या घोर आर्थिक तंगी, इन दोनों में से एक होना चाहिए। यह सोचते-सोचते हृदय में व्याकुलता वढ़ने लगी। इसी बीच खयाल आया कि मौजूदा विगड़ते स्वास्थ्य की स्थिति में कहीं मै मर गया तो बूढ़ी डोकरी पर क्या बीतेगी ? बस यहीं से मेरे पतन का रास्ता खुल गया और मैने निश्चय किया कि जैसी मेरे कुटुम्ब की स्थिति है उसमें मुझे हर कीमत पर अपने आपको मरने से वचाना ही चाहिए। ऊंठों की सवारी का पलाण लेने मेरे कमरे में आये उस फौजी अफ़सर की स्पीच की रील दिमाग में चलने लगी जिसमे उसने कहा था कि भगवान न करे माकूल इलाज के अभाव में मेरी मृत्यु हो जाए, और कही वास्तव में ऐसा हो गया तो बूढ़ी माँ और नन्हें वच्चे की 'दुराशीश' मुझे 'नरक' में नही ले जायगी क्या ? यही प्रश्न मेरे दिमाग में बार-बार गूँजने लगा और मेरी स्वाभाविक धार्मिकवृत्ति, जिसने अव तक निष्कामता पूर्वक डटे रहने का बल दिया था वही 'दुराशीश' और 'नरक' के बहाने सकामता की खाई मे धकेलने को कृतसंकल्प हो गई थी। हिम्मत बटोर कर मैने संतरी से कहा कि तहसीलदारजी से निवेदन करो कि मुझे पत्र लिखने के लिए कागज, कलम और लिफाफा भेजने की कृपा करें ताकि मै पत्र भेज सकूँ। जवाब आया कि ये चीजे इस शर्त पर दी जा

सकती है कि लिखा हुआ पत्र लिफाफे में बंद करने से पहले ही खुला हुवा मै तहसीलदारजी को सौंप दूँ। अलवत्ता गृहमंत्री, प्रधानमंत्री या अन्नदाताजी को पत्र उनके सामने लिफाफे में बंद करके दिया जा सकता है जिसे उसी प्रकार बंद रूप में डाक मे डलवा दिया जायेगा। मेरी मंशा जान लेने पर कागज, कलम, दवात और लिफाफा मेरे पास पहुँच गये। मैने तीन पेज में पत्र लिख लिया जिसमें मैने संक्षेप में 16 फरवरी व 23 फरवरी, 43 के आश्वासनों का उल्लेख करते हुए निवेदन किया कि प्रजा-परिषद् को कभी भी प्रतिबंधित संस्था आज तक घोषित किया हुआ न होने से उस संस्था का सदस्य होना किसी कानून का उल्लंघन नहीं होता और अन्य कोई अपराध मैने किया नहीं है और किया हो तो मुझे बताया जाय और यहां अनूपगढ़ में चमगादड़ों की ट्टी की गंदगी भरे कमरे मे रखा गया है जहां श्वास लेना भी मुश्किल हो रहा है और बुखार, खाँसी और सारे शरीर में मेरे सोजन आ गया है और इस हालत में भी माकूल इलाज नहीं है। मेरी हालत दिन-ब-दिन विगड़ती जा रही है। अन्नदाता सारी प्रजा के माई-बाप हैं, मै भी उनकी प्यारी प्रजा में से ही एक प्राणी हूँ जिसके कुटुम्ब में और कोई कमाई करने वाला है नहीं, मुझ पर व मेरे आधारहीन कुटुम्ब पर दया करके मुझे रिहा किया जावे।

एक सप्ताह में गृह विभाग के एक अधिकारी ने आकर मेरी हालत देखी और मुझे बताया कि इतने लम्बे चौड़े पत्र की जरूरत नहीं है सिर्फ चंद लाइने लिखकर मै दे दूँ तभी अन्नदाताजी इस पर आदेश देगे। उन्होंने मुझे एक मसौदा बताया जिसकी हूबहू नकल करके उस पर दस्तखत करने को कहा। उस मसौदे में लिखा था :—

श्री अनूपगढ़

ता.

सेवा में,

श्री अन्नदाताजी साहब बहादुर बीकाणा नाथ घणी घणी खम्मा।

हूँ, दाऊदयाल बेटो स्व. पं सोहनलालजी जाति पुष्करणा ब्राह्मण श्री बीकानेर रो सदा रो वाशिंदो हूँ और इण माफीनामें द्वारा म्हारे आज तक रे सारे अपराधां री बावत क्षमा मॉगू हूँ और भविष्य मे श्रीजी साहब बहादुर व वांरी गवर्नमेंट री मर्जी रे खिलाफ कोई राजनैतिक कार्य नही कर सूँ ओ विश्वास दिलाऊ हूँ।

द.

ता.

सारा मजमून ठेठ बीकानेरी बोली मे लिखा हुआ था ताकि अकृत्रिमता, निष्कपटता, कष्ट और दवाव रहित होने में कोई किसी प्रकार का शक ही न हो। यह मजमून मेरे गले नही उतर रहा था। मैने आगन्तुक से कहा कि मैं वरसो से अर्जीनवीसी करता और टाइपिंग का काम भी करता आ रहा हूँ। मेरा अनुभव तो यही है कि सरकारी कामकाज हिन्दी या अंग्रेजी में ही होता है और कभी घरेलू बोली में नही होता।

अन्नदाताजी को लिखे पत्र में मैने स्पष्ट रूप से दया की भीख मागी है क्या वह पर्याप्त नहीं है? उसने जवाब मे इतना ही कहा कि मौजूदा खस्ता हालत से नजात पाना है तो वहसबाजी करने के बजाय तीन पेज की जगह तीन लाइने लिखकर पिड क्यो नहीं छुड़ाते? कुछ न बोलना ही ठीक समझकर मै चुप रहा। इस पर वह उठ कर चला गया पर जाता-जाता यह कह गया कि मुझे गंभीरता से शीघ्र निर्णय कर लेना चाहिए वर्ना पछताने की नौबत आ सकती है।

पिछली शाम को भी चूल्हा नहीं जला था शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी। सोचा कि पेट में कुछ न कुछ डालना ही ठीक रहेगा खाली पानी से काम नहीं चलेगा। घड़े मे पानी भी कम हो चला था पर खाना बनाने जितना तो था ही। संतरी बेचारा दया कर के एक घड़ा भर ला देता था तो 4-5 दिन चल जाता था। भूख बुरी होती है, उसके सामने झुकना ही पड़ता है। उठ बैठा हुआ, किसी तरह आटा गोंदा तथा रोटी बटकर चूल्हे पर रखे तवे पर डाल दी। आग बुझने लगी तो फूँक मार कर तेज करने की कोशिश की। फूँक से चूल्हे की राख आँख मे आ पड़ी। आँखों में पानी भर आया। रोटी कभी तेज आग से जल जाती तो कभी कच्ची रह जाती। यह रोजमर्रा का क्रम शुरू से ही चलता आ रहा था पर बुखार और कमजोरी के कारण अब ज्यादा अखर रहा था। दो-चार कौर खाए इतने में ठंड महसूस हुई। शायद नवंबर का महीना चल रहा था इसलिए मौसम भी ठंड का ही चल रहा था। ओढ़ने के लिए कुछ प्राप्त करने को नजर दौड़ाई, इतने मे जोरदार कंपकंपी छूट चली। डाक्टर को जब-जब भी बुलाया तो वह प्रायः हाँ करके भी टालता ही रहा। इस बार डाक्टर को फिर कहलवाया तो जवाब आया शाम को आ सकेगे। उनका भरोसा नही रहा तो संतरी से विनय की कि जो भी कोई अफसर किले मे या किले के आस-पास मिल सकता हो उसे मेहरबानी करके बुला लाओ क्योंकि मेरी तबीयत घबरा रही है और हालत बिगड़ती जा रही है। मेरी जो हालत थी वह उस संतरी के सामने थी। मेरे कहीं भाग जाने की तो स्थिति थी नहीं इसलिए दयावश उसने मेरे कहने से कई चक्कर लगाने की कृपा कर दी और थोड़ी देर में एक व्यक्ति मेरे पास आया और पूछा क्यों बुलाया है? काफी तेज बुखार के कारण मैं 'डाक्टर' के सिवाय कुछ न कह सका। पर आगन्तुक समझ गया कि डाक्टर को बुलाने को कह रहा हूँ। उसने संतरी को उसके नाम से पुकारा और आने पर उसे थोड़ा डांटते हुए से टोन में कहा कि ये तो डाक्टर को बुलाने को कह रहे हैं, तुम मुझे क्यों घसीट लाए। संतरी ने कहा 'थानेदारजी, डाक्टर बुलाने पर नहीं आया तभी तो इन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी को बुला लाओ। आपके सिवाय आज छुट्टी के दिन और कोई मिला नही, तो मैं क्या करता? उसके जवाब से शांत होकर उस बिना वर्दी के थानेदारजी ने उसे जाने को कह दिया और मेरी तरफ मुखातिब होकर बड़ी सहानुभूति पूर्वक बोले, 'पंडितजी, हमें आप लोगों से बड़ी सहानुभूति है, मैं भी ब्राह्मण हूँ, पर हम कर ही क्या सकते हैं। आप दोनों पंडितों पर सरकार की ऐसी ही कोप दृष्टि है कि कोई कुछ नहीं कर सकता।' फिर मेरे नजदीक आकर बहुत ही धीरे से बोले, 'क्या आप आशा रखते हैं कि आपको यहां माकूल दवाई मिलेगी? प्रतापसिंह की गुप्त हिदायत है कि आप दोनों नजरबंदो को कोई कारगर दवाई नही दी जाय। आप किसी गलतफहमी के शिकार न हो

जायें इसलिए एक थानेदार के नाते नहीं, बल्कि एक ब्राह्मण के नाते आपको यह सीक्रेट हिदायत बता दी है।' इन थानेदार महोदय ने उठते हुए कहा, 'मै डाक्टर साहब से अभी जाकर आपकी हालत बता दूँगा पर वह एक फोरमैलिटी पूरी करने जैसा ही होगा।' इतना कहकर वे फिर रुके और इधर-उधर देखकर मेरे पास बैठ गए और बोले, 'पिछले दिनो टिहरी गढ़वाल रियासत में आपकी तरह ही एक राजवंदी था जो माकूल इलाज के अभाव में जेल में ही चल बसा। बाहर की दुनियां में खूब बावेला मचा और जाँच की फोरमैलिटी के बाद उसकी मौत की जिम्मेदारी के लिए वहां के जेल के डाक्टर को ही बलि का बकरा बना दिया गया। इसी कारण हमारे डाक्टर चौपड़ा साहब भी काफी घबराए हुए है। वैसे व्यक्तिश. वे बड़े भले डाक्टर हैं, पर क्या करें प्रतापसिह की हिदायत के खिलाफ जाने से घबराते है। मुझे पता चला है कि चौपड़ा साहब ने सीधे प्रधानमंत्री से संपर्क किया है ताकि यहां भी कुछ वैसी ही दुर्घटना हो जाए तो वह अपनी जान बचा सकें। देखें अब प्रधानमंत्री से उन्हें क्या कुछ हिदायत मिलती है।' थानेदार साहब उठ चले पर जाते-जाते बोले, 'पंडितजी, मैंने व्यक्तिगत रूप से अपनी बात कही है, कहीं कभी मुझे न मरवा देना।'

तड़फते हुए ही रात बीती। सवेरा हुआ। बुखार कुछ कम हुआ। पर प्यास लग रही थी। लेटे-लेटे ही पास पड़े घड़े मे गिलास डाला तो सिर्फ चार घूट पानी हाथ लगा। पीकर कंठ गीले किये, प्यास तो तेज थी पर पानी नही था। पिछली बार संतरी ने मेहरबानी करके पूरा घड़ा भरकर धर दिया था जो करीब 4-5 दिन चला और अब पानी घड़े में बिल्कुल नही बचा था। बुखार और हल्का हुआ तो हिम्मत करके संतरीजी को आवाज दी कि भैया मेहरबानी करके घड़ा भर ला दो। हमेशा के विपरीत संतरी आवाज सुनकर भी नहीं आया। बड़ा दुखी हुआ मै। प्यास तो बुझी नही थी, सिर्फ कंठ गीले हुए थे। प्यास बढ़ती ही जा रही थी, कंठ सूखते जा रहे थे, पर करता क्या? सतरी के सिवाय वहां और किसे पुकारता? पर वह भी आज सुनी-अनसुनी करने पर उतर गया मालूम होता था। रामजी को पुकारने के सिवाय और करता भी क्या? इतने में संतरी आया तो मेरी आशा भरी नजर उसकी तरफ लगी। पर वह तो आते ही उपालम्भ भरी टोन मे एक दम धीरे से कान में कहने लगा, 'पडितजी मुझे मरवाओगे क्या? होम करते हाथ जलने की कहावत क्यों सच्ची कर रहे हो? बीकानेर से कल जो अफसर आये थे, उसके बाद सख्ती बढ़ गई है। अब मेहरबानी करके हम में से किसी को भी, वो अफसर साहब यहां रहें तब तक तो भूलकर भी आवाज नहीं देना वर्ना आपकी सहायता तो हो ही नहीं पाएगी और हमारे पेट पर जरूर लात पड़ जायेगी। वह अफसर साहब अभी थोड़ी देर में आपके पास आने ही वाले हैं, आप को जो कुछ कहना हो उन्ही से कहना।' यों कहकर वह तुरन्त अपनी ड्यूटी पर चला गया।

पानी... पा...नी...पा...

प्यास तो ओर अधिक तेज होने लगी। कठ एकदम सूख चुके थे पर पानी की बूंद कहां से मिले? बैचेनी बढ़ते-बढ़ते बेहोशी आ गई। सब कुछ शून्य हो गया। पता नही कब थोड़ा सा होश सा आया तो मुँह से 'पानी-पानी' की आवाज निकली। पास मे

कोई है, ऐसा लगा। 'पानी मिलेगा' ऐसी ध्वनि कानो मे पड़ी। आशा की किरण ने आँख खुलवादी तो सामने कल वाले अधिकारी बैठे दिखे। आशाभरी नजर उनके चेहरे पर जा लगी तो सुनने को मिला—'पानी भी मिलेगा' कल वाला मजमून लिखकर देने को तैयार हो या नहीं ? प्यास से तड़पते को सशर्त पानी का वादा मिला। बोलने की सामर्थ्य नही थी कंठ एकदम सूख कर खिच रहे थे पर पानी की बूंद नदारद थी। फिर बेहोशी आ गई।

लेखक बीकानेर के अस्पताल में

होश कब आया पता नहीं लगा। होश आने पर मैंने अपने आपको अचानक एक पलंग पर पाया।

करवट लेनी चाही तो किसी ने हाथ थाम लिया। आँखें खोलकर इधर-उधर देखा तो पता चला कि ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था। अब विश्वास हो गया कि मै बीकानेर के अस्पताल में था। साइड-रूम के बाहर पहरे पर सिपाही खड़ा था। दिन गया। ग्लूकोज की नली रात को ही निकाल दी गई थी। बाकी रात मामूली बेचैनी के साथ बीत गई। सुबह अस्पताल की चहल-पहल साफ सुनाई देने लगी। नर्स ने टेम्प्रेचर लिया, पल्स देखी। मैंने पूछा कितना है ? नोरमल सा ही है, जवाब मिला। दस-ग्यारह बजे किसी पुलिस अधिकारी के साथ दो-तीन प्राणियो ने साइड-रूम में प्रवेश किया। मेरी वृद्धा माँ, पत्नी, बहनोई आए थे, साथ मे मेरा इकलौता तीन साल का बच्चा भी था। मैंने सोचा कि मेरे अस्पताल में होने का हाल इन्हें अब मालूम हुआ होगा, तभी यहाँ आए हैं। पुलिस अधिकारी दूर खड़े हो गए और ये घरवाले बिल्कुल मेरे पास आ गए। मेरा कंकाल सा बदन और मुरझाया हुआ चेहरा घूरते हुए माँ की आँखो से टप-टप आँसू टपक रहे थे। बोली 'क्या हाल कर लिया है तूने। मै बोलना चाहता था पर ताकत नहीं थी बोलने की। माँ ने और नजदीक आकर सिर पर हाथ फेरा और आँखें पोछती हुई बोली, भला हो उस मोहनिये भादाणी का जिसने परसो देर रात मे घर आकर मुझे बताया कि माँजी तुम्हारा बेटा बीकानेर अस्पताल में सख्त बीमारी की हालत मे कैद है, तुम से कुछ हो सकता हो तो करो। सुबह होते ही होम मिनिस्टर साहब से इजाजत लेकर जल्दी मिलो और उसकी जान बचाने की कोशिश करो वर्ना जैसा मुझे मालूम हुआ है शायद वो बचे या न बचे। मै उसी समय रात को तेरे बहनोई के पास गई और मोहनिये की कही हुई खबर सुनाई तो कल दिन भर की कोशिश के बाद मिलने की इजाजत मिली कि थानेदार के साथ जाकर मिल सकते हो। हम तो सुबह से यहां आए खड़े है मगर थानेदार जी नही आए तब तक हमे अन्दर नही घुसने दिया गया। मुझे थानेदार जी ने सब कुछ बता दिया है।' माँ बोलती-बोलती रुक गई। फिर रोती हुई बोली, 'बेटा, तू देश का काम करे इसमें मैने कभी एतराज नहीं किया, मैने कभी तुझे रोका नही और रोका तो उसका जवाब पा लिया, उसके बाद हिम्मत नही हुई कुछ कहने की। तू भारत-माता के लिए काम करना चाहता है तो बेशक कर, पर जिन्दा तो रह। माँ तो यही चाहती है कि उसका बेटा जिन्दा रहे। मरने मे कसर तो है, नहीं। अब मेरे खातिर ही

जिन्दा रह जा तूँ। मै डोकरी, यह छोरी और यह बच्चा, कहा जायेंगे हम? तेरे मामा, चाचा, ताऊ, भाई तो कोई है नहीं, कही तेरे कुछ हो गया तो कौन संभालने वाला है हमको?' यह कहकर डोकरी बुरी तरह फूट पड़ी। पत्नी की आँखों में से भी चुपचाप सावण बरस रहा था और बहनोईजी ने अपना रुदन छिपाने के लिए मुँह फेर लिया था। स्तब्धता छा गई उस कमरे में। मै क्या उत्तर देऊं, मेरी समझ में नही आ रहा था—अन्दर से टूटा हुआ तो मै भी था ही। पर ताकत नही थी बोलने की। इतने मे माँ फिर बोली, 'आज मै फिर पूछती हूँ कि तू हमे किसके हवाले करके जाने की तैयारी कर रहा है। अब तो हमारी छाती धड़कती है कि तूं बचेगा या नही? अभी जब मै अन्दर घुसी थी तो थानेदारजी ने कहा कि माताजी अब आपके हाथ में है बेटे को छुड़ाना। यह कागज ले जाओ साथ में और इस मजमून की चंद लाइनो को साथ के सादे कागज पर हूबहू लिखाकर उसके नीचे दस्तखत करा दो अपने बेटे के और चौबीस घंटें में या शाम तक ही यह पहरा हटा लिया जायेगा और तेरा बेटा आजाद हो जायेगा।' मै कुछ बोला नहीं तो माँ ने मॉपना जताकर कहा, 'बेटा उम्र भर मैने तुझे पाल-पोस कर बड़ा किया-तेरे बाप के मरने के बाद तूने जो भी जिद की वह मैने मन मसौस कर भी पूरी की, आज मेरी आज्ञा मानकर ही थानेदारजी ने जो यह कागज दिया है वैसा ही लिख दे, और मैं समझ लूँगी कि तुने माँ का ऋण चुका दिया।' मेरे पास कोई विकल्प नही रह गया था पर मै बोलता कैसे, बोलने की ताकत ही नहीं थी इतने में डाक्टर राउण्ड में आने वाले होने से एक बार सब को बाहर जाने की हिदायत दे दी गई। सब लोग बाहर चले गये। मैं अब बेचैनी में नही था। सब कुछ सुन और समझ रहा था। अन्दर सावधानी थी पर कमजोरी इतनी थी कि न बोल सकता था और न बैठ सकता था। डाक्टर साहब ने पूरी जाँच पड़ताल की। बैड टिकट पर हिदायतें लिख दी और स्टाफ से कहा कि इनको कम से कम दो दिन की कम्पलीट रेस्ट की सख्त जरूरत है। दो दिन मिलना-मिलाना जरा न हो तो अच्छा है, ऐसा बाहर खड़े रिश्तेदारों को और थानेदारजी को कह दो। मै यह सब सुन और समझ रहा था। डाक्टर साहब जाते-जाते मुझे भी सांत्वना दे गए कि मै जल्दी ही ठीक हो जाऊँगा। मुझे खुशी हुई। मैने सोचा था कि डाक्टर साहब के राउण्ड के बाद घरवाले फिर मिलेंगे मगर शायद उन सबको भी दो दिन मुझे न छेड़ने की हिदायत दे दी गई थी इसलिए अगले दो दिन कोई मेरे पास नहीं आ पाया। दिन में कई इंजेक्शन लगते थे और फलों का रस भी मिलता था। तीसरे दिन मैं बैठने की स्थिति मे आ गया था और बखूबी बातचीत करने की ताकत महसूस करने लगा।

तीसरे दिन डाक्टर के राउण्ड के बाद दोपहर मे मेरे घरवाले फिर आ गए। मुझे बैठा देखकर माँ और पत्नी, बहनोईजी बहुत प्रसन्न हुए। माँ ने फिर हाथ फेरा मेरे सिर पर। माँ कुछ बोलती उसके पहले ही मैं बोला, 'माँ तू इतना लाऊ-झाऊ क्यों करती है, मैंने तेरे निमित्त ही अपनी सारी अब तक की तपस्या, मान-सम्मान, राजनैतिक जीवन को बेचकर बदले में इस शरीर रूपी भौतिक ढाँचे को खरीद लेने का निर्णय ले लिया था और अगर दो बूंद पानी मिल जाता तो...., खैर, जो होना था सो हो गया मैंने तेरी आज्ञानुसार

थानेदारजी के कागजों पर हस्तख्त कर दिये है अब मेरी राजनैतिक मृत्यु हो चुकी है, इसलिए मरी हुई आत्मा को ढोने वाला यह पाँच फुट छः इंच का शरीर का ढाँचा तेरी ही सेवा में लगेगा। भारत माता के लिए तो यह बच्चा मर चुका है पर जन्मदात्री जननी की सेवार्थ यह शरीर जिन्दा रह गया है। अब तूँ जल्दी मत करना, डाक्टर द्वारा छुट्टी मिलने पर ही घर आऊँगा। मेरी इस वेदना भरी वाणी को माँ शायद पूरी तरह नहीं समझ पाई होगी पर घर आने की बात सुनकर सब प्रसन्न होकर घर चले गये।

दिसम्बर का महीना चल रहा था। ठंड ने जोर पकड़ लिया था। मैं शौच-वगैरा के लिए चलने-फिरने लगा था। डाक्टर की सलाह के अनुसार घर से खाना टिफिन में आने लगा—पर ठंडा तो हो ही जाता था इसलिए माँ चाहती थी कि जल्दी छुट्टी मिल जाये तो गरम-गरम भोजन मिलने लगे। डाक्टर से इस बारे में निवेदन किया तो उसने कहा कि घर में अस्पताल जैसी सार-संभाल तो होगी नहीं, अभी थोड़ी ताकत आ जाये तब जाओ तो बढ़िया होगा। धूप तेज हो तो सामने वाले लॉन में बैठा करो, थोड़ी ताकत और आ जावे तो हफ्ते भर बाद चले जाना। चुनाचे मै तेज धूप होती तो लॉन मे कुछ समय जा बैठता। एक दिन लॉन में तारानाथ रावल से भेंट हुई। उनका राजपक्षीय और प्रजापरिषद्-विरोधी होना मुझे मालूम था। वे पूछने लगे कि आपके दोनों साथी तो अभी नजरबंद है, आप कैसे छूट गये? प्रश्न व्यंग्य भरा था और उस चर्चा के निमित्त से वे मजमा इकट्ठा करके प्रजापरिषद् की खिल्ली उड़ाने की मंशा रखते थे ऐसा लगा। मैंने वार्तालाप को शुरू करके समाप्त भी कर दिया, एक ही वाक्य में। मैंने कहा 'रावलजी आप तो राज-पत्रकार हैं जैसे राजवैद्य और राजज्योतिषी होते है, क्या आपको इतना भी मालूम नहीं है कि मैने माफी माँग ली और मुझे छोड़ दिया गया।' एक वाक्य में उन्हे संपूर्ण जवाब मिल गया और वे बहस-मुबाहस करके मजमा इकट्ठा न कर सकें और तुरन्त रवाना हो गये।

मैंने सच्चाई को छुपाने की कभी कोशिश नही की, चाहे उसके घाटे-नफे जो होते थे, होते रहें जिन्दगी भर। एक हफ्ता या दस दिन बाद छुट्टी हो गई और मैं 26 अगस्त के बाद तीन महीने में जीवन का सर्वस्व लुटाकर एक भगौड़े सैनिक की भाँति निस्तेज शरीर के ढाँचे को लिये घर आ गया। घर में आया तो घर भी लुटा-लुटा सा लगा मानो वहा भी सब कुछ समाप्त सा हो गया था, फिर भी पता नहीं इन्होंने अस्पताल में अच्छे से अच्छा खाना कैसे पहुँचाया?

शारीरिक कमजोरी तो महसूस हो रही थी पर चलने फिरने लायक तो हो ही गया था। रिश्तेदारों और हितचितको का कई दिनो तक ताँता लगा रहा था। ये लोग कुशलक्षेम पूछने के साथ ही घर आ जाने की बधाई देते थे, मुझको और मेरी माँ को। माँ तो बेचारी वास्तव मे प्रसन्न थी कि उसका बेटा मौत के मुँह में से निकल कर सकुशल घर आ गया। वह तो कभी-कभी पूजा करते समय एक भजन गाती थी, भाव विभोर होकर जिसके बोल थे 'घर आया श्री लक्ष्मण राम, अयोध्या झूम रही'। मानो बेटे के घर वापिस आ जाने की खुशी मना रही हो पर मैं सोचता था कि माँ कितनी भोली है कि राम-लक्ष्मण तो चौदह वर्ष बाद रावण को मारकर विजयी होकर घर आ गए थे इसलिए

कौशल्या और तमाम अयोध्यावासियो की खुशी तो वास्तव मे बहुत स्वाभाविक थी पर मेरे घर आने की खुशी को अनुभव करते समय माँ यह क्यो भूल जाती है कि मैं तो अपना सर्वस्व लुटाकर, हार कर घर आ पाया हूँ।

कभी-कभी तो पड़े-पड़े मेरे हृदय में पश्चाताप की ऐसी आग भभक उठती कि पड़े-पड़े के ही पसीना आ जाता। मै सोचता कि क्या का क्या हो गया, मेरी मातृभूमि की अर्चना के सारे स्वप्न चकनाचूर हो गये। सब से बड़ी वेदना का शूल उस समय हृदय को वेधता जब मुझे यह याद आता कि मैने और कौशिकजी ने बाबू रघुवरदयालजी को कितनी दृढ़ता से वचन दिया था कि बाबूजी आप कुछ शुरू तो कीजिए, कम से कम हम दोनों को तो आप अपने पीछे खड़ा पावेंगे—जीने में भी और मरने मे भी। हाय! मैने अपने वीर साथियों को कितना बड़ा धोखा दिया। यह सोचते-सोचते मै अपने पतन को तो भूल ही जाता और मेरे हृदय में यह हूक उठती कि कही मेरे इस कृत्य से उन दोनों को—यानी गोयलजी और कौशिकजी को तो नुकसान नही पहुँचेगा। क्या मेरे इस पतन से वे साथी और उनके साथ ही प्रजापरिषद् का संगठन ही निर्बल होकर प्रजामडल की तरह मर तो नहीं जायेगा। विचार आता कि इस संघर्ष में और किसी ने हमारा साथ दिया हो या न दिया हो पर हमारा नरेश और उसकी सरकार भी यह तो सोचती ही थी कि यह त्रिभुज इकमन्ना है जो टूटना मुश्किल है पर मैने एक भुज को तो तोड़ ही दिया—अब क्या दूसरे दो भुज कमजोर होकर टूट तो न जायेगे? इस व्याकुलता में मैंने यह निर्णय किया कि मै झूठ बोलकर भी यह क्यों न कहूँ कि यह मेरा व्यक्तिगत पतन है, प्रजापरिषद् से मेरा कोई संबंध नहीं है और मै तो केवल गोयल का मुंशी होने के नाते पकड़ा गया और गिर गया? अब कभी-कभी सोचता हूँ कि राजस्थानी कहावत है कि 'इणी चूक्यां बीसासो' यानी पहाड़ पर पहुँचा व्यक्ति अगर एक बार अपने पथ से विचलित होकर ऊक-चूक कदम रखने लगता है तो यह निश्चित समझ लेना चाहिए कि उसका सर्वनाश निश्चित है क्योंकि पहाड़ पर से पथभ्रष्ट होते ही वह ऐसा लुढ़केगा कि ठेठ गहरी खाई में पड़ना ही उसकी नियती बन जायेगी। मूल में एक डिग्री की चूक; परिधि पर एक सौ बीस कदम का अन्तर ला सकती है। यही हाल मेरा हुआ, देशभक्ति की उमंग में अपना सर्वस्व मातृभूमि के लिए न्यौछावर करने की तमन्ना लिए देशभक्ति के पथ पर अग्रसर होने वाला नौजवान स्त्री-बच्चे और घर-कुटुम्ब का चिन्तन करता हुआ जब पथ भ्रष्ट हुआ तो फिर झूठ बोलने को भी तत्पर हो गया। यह विधि की विडम्बना कैसे विचित्र रूप से सामने आई।

साथी गंगादास कौशिक

घर आने के बाद लम्बे अरसे तक दवा लेते रहना पड़ा। इस अरसे मे मुझे कौशिकजी की याद सताती थी जिनके साथ ही अनूपगढ़किले मे प्रवेश किया था पर प्रवेश के बाद हम कभी एक दूसरे को दूर से भी देख न पाये। बाद में मुझे अखबारों से जानने को मिला कि कौशिक को भी उसी नरक सदृश्य सफील वाले कमरे में रखा गया है जहा उनका स्वास्थ्य गिरने के समाचार आते रहते थे। पर मेरा वीर साथी सभी कुछ सह गया कभी झुका नहीं, रुका नही और लुढ़का नहीं।

जीते जी कभी 'उफ' तक नहीं की थी कौशिक ने। पर मृत्यु के कुछ समय पहले पुरातत्व विभाग मे अपने संस्मरण रिकार्ड कराते हुए कौशिक ने बयान दिया कि 'अनूपगढ़ किले मे हमे ऐसी जगह रखा गया जहा मनुष्य तो क्या जानवर भी नहीं रह सकता। जीवन यापन के लिए मासिक पन्द्रह रुपये मात्र दिये जाते थे और स्त्री-बच्चों वाले आठ प्राणियों के लिए कुछ भी नही दिया गया। मेरी खुराक के लिए अन्य कोई व्यवस्था ना देखकर मुझे तो आठ आना रोज का बकरी का दूध मात्र पीकर ही जैसे-तैसे जीना पड़ा। मेरे को वहा 104-5 डिग्री तक तेज बुखार रहने लगा और कभी-कभी इससे भी ज्यादा, जिसमे होश हवास नहीं रहता था और बठीठे भी आते थे। वहां कोई सरदार इन्सपेक्टर था उससे मैने कहा कि पुलिस के एक आदमी को मेरे पास रखने की व्यवस्था करें जो बठीठों के समय मुझे संभाल लेवे, लेकिन नहीं रखा। बारिश में पानी टपकता था। बारिश हो, कीचड़ हो, बुखार हो या बठीठे आते हों, पानी तो अपने हाथों कूए से खेच कर लाता तभी पीने को मिलता अन्यथा प्यासे ही रहना पड़ता था। वहा कष्ट और परेशानी बेहद थी। जब बुखार बिगड़ने लगा तो वहां के डाक्टर चौपड़ा ने कुछ दवा दी जिससे कुछ ठीक हुआ। ऐसे ही कष्ट भोगते-भोगते महीने बीत गये तो 25 अगस्त 45 को एक पुलिस अधिकारी ने सूचना दी कि मुझे पैरोल पर छोड़ दिया गया है। अतः बीकानेर ले आया गया। घर में आया तो प्रायः सारा कुटुम्ब बीमार मिला। स्त्री से मालूम हुआ कि उसने अनेकों दरख्वास्तें दी थी कि उसका और उसके बच्चों के खाने-पीने का और दवा-दारू का सरकार इन्तजाम करे या उसके पति को छोड़ दे। उसकी कोई सुनवाई नही की गई और पूरे बारह महीने बीत जाने पर ही पैरोल पर छोड़ा गया। कौशिक ने अपने बयान में आगे यह अंकित कराया, 'बीकानेर आकर मैने परिषद् का काम शुरू कर दिया। मघारामजी पहले से परिषद् की बागडोर संभाले हुए थे ही। सन् 46 मे अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद् का सातवां अधिवेशन 31 दिसम्बर, 45 से उदयपुर में होने को था जिसके अध्यक्ष पं. नेहरू थे। वहां मैं शामिल हुआ। गोयल जी भी वहा मिले। वहां से गोयल और मैं फिर साथ साथ हो गये'।

कौशिक ने सब कुछ बहादुरी से सहा पर कभी उफ तक नही की। वे बोलते कम थे पर क्रियाशीलता में परिषद् के तमाम कार्यकर्ताओं में अग्रणी रहे। मेरा उनसे पुनर्मिलन सन् 1946 में अलवर मे प्रजापरिषद् के कार्यालय में पुनः सहकर्मी के रूप मे हुआ।

एक नया कर्मठ नौजवान कार्यकर्ता—मूलचन्द पारीक

घर आने के बाद काफी अरसे तक मै शर्म के मारे घर से बाहर ही नही निकलता था पर बाहर के हालात जानने की मेरी उत्सुकता को कौन मिटाता ? आखिर मैं किस विश्वसनीय साथी से दिल की बात कहता और कौन मुझे परिषद् के हालात बताता ?

दिसम्बर महीने के अन्त मे एक परिचित नौजवान को परिषद् के नए कार्यकर्ता के रूप मे पाया तो मेरा चित्त बहुत कुछ शात हुआ और अन्दर की उथल-पुथल कुछ

मूलचंद पारीक

प्रजापरिषद् के संदेशो को-'अटक से कटक' और 'कश्मीर से कन्याकुमारी' तक यानी सारे भारत वर्ष मे पहुँचाने वाला 'गुप्त-दूत'

शांत हुई। गोयल के हालचाल जानने को मै वहुत आतुर था क्योंकि त्रिभुज के एक भुज के टूट जाने पर बाकी दो की सुरक्षा के लिए दिल मे बेचैनी चली आ रही थी।

इस नौजवान का नाम था मूलचन्द पारीक। मेरे से पांच-चार साल उम्र में छोटा पर उत्साह से भरा हुआ पाया मैने इस युवक को। सन् 1942 व 43 में उसे कचहरी में रावतलमजी पारीक के साथ काम करते और अरजीनवीसी सीखते तथा अक्सर गोयलजी के पास आते-जाते देखा था पर इतना ही सोचता था कि पारीक होने से रावतमलजी का ही कोई रिश्तेदार होगा जो कचहरी में अरजीनवीसी से आजीविका प्राप्त करने को रावतमलजी से काम की ट्रेनिग ले रहा है और उन्हीं के कारण से गोयलजी के पास भी आता-जाता है। कभी-कभी वह मुझसे भी नि·संकोच होकर दरख्वास्तो वगैरा की लिखाई में मदद प्राप्त कर लेता था।

दिसम्वर के अंत में यह नौजवान मेरे घर पर मेरे स्वास्थ्य का हालचाल पूछने और मेरे साथ सहानुभूति प्रगट करने आया और बताया कि हम लोगों के नजरबंद होने के वाद वह (मूलचन्द) वाबूजी की पत्नी से मिलकर वावूजी के मुंशी के रूप में उनके दफ्तर में भी काम करता था और मुंशी के नाते लूणकरणसर जाता-आता रहता था। उसने कहा कि वह मुझसे वहुत कुछ परामर्श करना चाहता है, परिपद के कार्य के बारे मे और बावूजी ने भी उसे मुझ से सम्पर्क साध कर मेरी मदद लेने की हिदायत की है। इस पर सारे हालात जानने की मेरी उत्सुकता वहुत अधिक बढ़ गई और मैने उसे सारे हालात विस्तार से बताने को कहा। उसने उस दिन बताया कि आज तो मै परिषद् के कार्य से शास्त्रीजी से मिलने जयपुर जा रहा हूँ और वहीं से सीधा जोधपुर जाकर व्यासजी से मिलूँगा और फिर गोयलजी से सम्पर्क साधना है, तत्पश्चात् शाति के साथ आप से लम्वी वात करने की इच्छा रखता हूँ। मै तो उसी समय सब कुछ जानने को उत्सुक था पर उसका शास्त्रीजी और व्यासजी से मिलकर फिर गोयलजी से सम्पर्क साधने का कार्य टॉप प्राथमिकता का था इसलिए उसे छुट्टी देकर, वापिस उससे मिलने के दिन का उत्सुकता से इंतजार करने लगा।

सन् 44 वीत चुका था। नया साल आया पर मूलचन्द वापिस नही आया। मैने सोचा अव तो मूलचन्द ने एक प्रकार से मेरा सारा काम संभाल लिया है—गोयलजी के मुंशीपने का और राजनैतिक असिस्टेन्ट, दोनों का, पर गत वर्ष मेरे नजरवंद होने के बाद बीकानेर में क्या कुछ नया कार्य या नई घटना हुई इसका लेखा-जोखा तो जानना चाहिए। मेरी नजर लालगढ़ स्थित महकमा-खास यानी राज्य के सेक्रेटेरियेट की ओर गई जहां राज्य की प्रिवीकौसिल का दफ्तर स्थित था। इसके रजिस्ट्रार थे दुर्गाशंकर आचार्य। ये बड़े मिलनसार अधिकारी थे जो ऊँचे पद पर रहते हुए भी जरूरत-मंदो के साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखते थे। मेरा एक मौरूसी जायदाद के बंटवारे का मुकदमा, जिसमें मेरे वकील गोयलजी थे, प्रिवीकौसिल में विचाराधीन था। मै और मेरे वकील दोनों ही जव एक साथ वधन में पड़कर अनूपगढ़ और लूणकरणसर में अपने दुर्दिन बिता रहे थे तो मुकदमे का जहन्नुम में जाना सहज ही था पर सौभाग्य से ऐसा हुआ नही

क्योंकि उपरोक्त प्रिवीकौंसिल के रजिस्ट्रार दुर्गाशंकर आचार्य मुकदमे में मुझ पक्षकार और उसके वकील दोनों से दिली सहानुभूति रखते थे इसलिए उन्होंने उसे लम्बान में डाल दिया और इस प्रकार मुझे कौटुम्बिक सम्पत्ति की हानि से बचा लिया—ऐसा लालगढ़ पहुँच कर उनसे सम्पर्क करने पर पता चला। वहीं एक-आध अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों से मुलाकात हुई तो पता चला कि पिछले महीनो मे दो ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है जिनका मुझे पता लगना सहज नहीं होता अगर वे चुपचाप न बता देते।

सत्यनारायण सराफ का आत्म समर्पण

राजनैतिक दृष्टि से दुखद किन्तु महत्वपूर्ण पहली खबर चूरू-षड्यंत्र केस के हीरो (नायक) के बारे में थी कि उन्होंने लम्बे संघर्ष के बाद महाराजा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। यह लोकनायक थे—वकील सत्यनारायण सराफ, जिनके प्रयत्नों के फलस्वरूप बीकानेर रियासत के गलाघोटू राजनैतिक वातावरण का कच्चा-चिट्ठा लंदन तक में उस समय लोगों को जानने को मिला था जब महाराजा गंगासिंह स्वयं अपनी रियासत में स्थापित विधान-सभा का लम्बा-चौड़ा बखान राउण्ड टेबल कांफ्रेंस में कर रहे थे। इस अपमान से पीड़ित होकर ही स्वर्गीय महाराजा ने तुरन्त बीकानेर लौटकर चूरू-षड्यंत्र केस के माध्यम से सात नागरिकों को लम्बी सजाएं, राजद्रोह के इल्जाम पर दिलाई थी और सन् 1937 में उक्त वकील साहब को देश-निकाला दे दिया था। सात साल के लम्बे निर्वासन के बाद उन्होंने थककर अगस्त 1944 में अपनी माताजी के बीमार हो जाने पर बीकानेर प्रवेश और निवास की इजाजत माँगी थी और महाराजा साहब ने आडियन्स में बेरूखी जाहिर करते हुए कुछ समय के लिए इजाजत दे दी थी और 19 अगस्त से वे रियासत में लौट आए थे। राजनैतिक हल्कों में अनुमान यही किया जा रहा था कि उन्हें किन्हीं शर्तों के साथ रियासत में बने रहने की व वकालत का धंधा करने की छूट दे दी जाएगी। बाद मे उन्होंने गंगानगर में यह ऐलान भी कर दिया कि चूँकि अब उनकी दिलचस्पी राजनीति में नहीं रही इसलिए उन्हें राजनीति में न घसीटा जावे।

सेठों और साहूकारों को चेतावनी

दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी प्राइम मिनिस्टर पणिकर द्वारा 6 अक्टूबर को बीकानेर के सेठ-साहूकारों की एक सभा लालगढ़ में बुलाया जाना और उसमें पणिकर साहब द्वारा महत्वपूर्ण भाषण दिया जाना। बात यह थी कि पिछले चार वर्षों में पूर्व में कलकत्ता और आसाम से और पश्चिम मे सिंध और कराची से बीकानेर के सेठ और साहूकार वहां से पलायन कर अपनी लाखों-करोड़ो की सम्पत्ति के साथ रियासत में लौट आए थे। उनके रियासत में लौटकर आने से रियासत की सम्पत्ति में अचानक काफी बढ़ोतरी हुई थी। बीकानेर में इनकम-टैक्स से संबंधित कोई एक्ट न होने से ये लोग मातृभूमि लौट कर अपने आपको सुरक्षित मान रहे थे तो दूसरी तरफ रियासत के हुक्मरान के मुँह में भी पानी भर रहा था कि इस अवसर पर क्यों न इनकम-टैक्स लगाकर राज्य भी अपने खजाने को समृद्ध कर ले। राज्य के हुक्मरान इस योजना को

सेठ-साहूकारो के गले उतार कर प्राइम मिनिस्टर साहब के माध्यम से यह संकेत देना चाहते थे कि जब ये लोग रियासत मे सम्पत्ति सहित लौट कर अपने आपको सुरक्षित महसूस करते हैं तो उस सुरक्षा की कुछ तो कीमत और हिस्सेदारी सुरक्षा प्रदान करने वाली सत्ता को भी देनी ही चाहिए। इस सभा में प्राइम मिनिस्टर महोदय ने सेठो और साहूकारों के सामने इनकम-टैक्स और राशनिग की योजना और औचित्य का ब्यौरा देने के बाद कुछ महत्वपूर्ण राजनैतिक परिवर्तनों के भी संकेत दिए। यह इसलिए किया कि ब्रिटिश भारत में जैसे आंदोलनों की वे लोग मदद करते रहे हैं, वैसी यहां नही करे। उन्होंने यह रहस्यभरी सुखद सूचना दी कि जल्द ही विश्वयुद्ध समाप्त होने को है क्योंकि अब मित्र राष्ट्रों का पलड़ा भारी होता जा रहा है। अब तक हिटलर-पक्ष का जोर रहा था पर अब वह दबता जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि युद्ध की समाप्ति का एक महत्वपूर्ण परिणाम और असर यह होगा कि ब्रिटिश-भारत में पब्लिक के आंदोलनों पर जो कड़ी पाबंदी लगी हुई चली आ रही है वह हटा दी जायेगी। नतीजन इस बात की पूरी आशंका है कि पब्लिक ओपीनियन यानी सार्वजनिक चिंतन में एक क्रांतिकारी उफान आ सकता है जो अवांछनीय स्थिति को जन्म दे सकता है। इसलिए उन्होंने वहां उपस्थितों से कहा कि हम सब का यह प्रयास निरन्तर चलता रहना चाहिए कि ऐसे आंदोलनों का असर हमारी रियासत मे न प्रवेश करने पावे और न फैलने पावे। यह मानते हुए भी कि विचारों का प्रवाह राजनैतिक सीमाओं की परवाह नहीं करता है, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार एवं जनता मे जिम्मेदार तत्वों का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि इस बात के लिए प्रयत्नशील रहें कि समाज की सुरक्षा के लिए खतरनाक सिद्ध होने वाले ऐसे आंदोलन हमारी रियासत के शांतिपूर्ण वातावरण को भग न करने पावें। सरकार इस समस्या के प्रति पूर्ण सावधान है किन्तु सरकारों को भी बड़ी हद तक पब्लिक के सद्भाव और राज्य और नरेश के प्रति उसकी वफादारी पर निर्भर रहना होता है कि पब्लिक ऐसी घृणित और जघन्य कार्यवाहियो और आंदोलनों को राज्य मे चलाने का कोई अवसर ही किसी को न दे। अत में उन्होंने यह धमकी भी दे डाली कि वे पूर्ण अधिकृत रूप से यह चेतावनी देना उचित समझते हैं कि महाराजा साहब की सरकार राज्य के किसी भी हिस्से में या किसी भी तबके द्वारा ऐसे आंदोलनार्थ सिर उठाने वालों को और उनकी प्रत्यक्ष और परोक्ष मदद करने वालो को तत्काल ही कुचल डालने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाने में तनिक भी हिचकिचाने वाली नही है। फिर सेठों और साहूकारों और उपस्थित अन्य आगन्तुको और अफसरो को संबोधित करते हुए विश्वास प्रगट किया कि उनका यह पक्का विश्वास है कि उपस्थित लोग यह अपना परम कर्त्तव्य समझेंगे कि महाराजा साहब के पूर्ण वफादार होने और शातिप्रिय नागरिक होने के नाते अपने कर्त्तव्यो को पूरी वफादारी के साथ अजाम देगे।

सरकार द्वारा झूठे इल्जामों के सहारे से दमन का औचित्य

इधर 26 अगस्त को हम लोगों की गिरफ्तारी के बाद सरकार ने दमन और अत्याचारो के इल्जाम से अपने आपको बचाने और हम लोगों को बदनाम करने के लिए

गोयलजी के बारे में अब तक की जानकारी देने का वादा करके बाहर गया था सो अब वह मुझे कब सारे हालात विस्तार से बतायेगा ? उसने कहा कि वह मुझ को बहुत कुछ बताना और साथ ही बहुत कुछ पूछने को स्वयं उत्सुक है इसलिए मैं उससे प्रश्न पूछना शुरू कर दूँ तो वह उत्तर देने को तैयार है।

उत्सुकतावश मैने पहला प्रश्न यही किया कि वह (मूलचन्द) तो दो साल से कचहरी मे आता रहा था और अरजीनवीस का कार्य सीखता और करता चला आ रहा था पर जिस माहौल में बड़े-बड़े तीसमारखाँ अपने आपको इस राजकोप की ज्वाला से बचाकर निकलने मे ही अपनी सारी चतुराई को काम में लेते रहे है उसी ज्वाला में उसने एक पतंगे की तरह पड़ने की हिम्मत कैसे कर ली ? मूलचन्द बोला कि एक तो मेरे पीछे के संस्कार मुझे इस ओर आकर्षित कर रहे थे और दूसरा रावतमलजी की अंदरूनी शह मुझे प्रोत्साहित करती रही, नहीं तो पिताजी मुझे कभी का इधर कदम बढ़ाने से रोक देते।' मैने कहा रावतमलजी की बात तो समझ मे आई क्योंकि वे तो प्रजापरिषद् के संस्थापकों में रहे है पर तुम्हारे पुराने संस्कार क्या रहे है यह जानने को मैं उत्सुक हूँ। इस पर उसने कलकत्ते का अपना किस्सा सुनाया जहां उसके पिताजी कुटुम्ब सहित बरसों से अपनी आजीविका कमाने के लिए एक प्रकार से बस ही गये थे। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के कारण बंगाल तो देशभक्ति में उफन ही रहा था और उस माहौल में वह कैसे अछूता रह सकता था ? वहां डीडू माहेश्वरी विद्यालय में नवी क्लास मे वह पढ़ता था उन्हीं दिनों नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के फारवर्ड ब्लाक द्वारा 'ब्लेक हॉल ऑफ कलकत्ता' के ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्मित स्मारक को हटाने का सत्याग्रह शुरू हुवा था जिसमें अन्य छात्रों के साथ वह भी भाग लेता रहा था और वहीं से उसके हृदय में देशभक्ति का बीज अंकुरित हो गया था। इसी अर्से में द्वितीय महायुद्ध में जब कलकत्ते पर शत्रु राष्ट्रों द्वारा बम्बार्डमेंट हुवा तो गैरबंगला लोगों का वहां से पलायन होने लगा और उसी भगदड़ में उसके पिता नरसिंहदास जी कुटुम्बसहित बीकानेर में आ गये और जमीन की खरीद फरोख्त की दलाली का काम यहां शुरू कर दिया। जाति के पारीक होने से रावतमल पारीक के सम्पर्क से वह भी कचहरी मे आजीविका के लिए आने लगा और रावतलमजी के पास अरजीनवीसी सीख ली। रावतमलजी के परिषद् से संबंध होने से वह गोयलजी के और मुझ दाऊदयाल के सम्पर्क में आया और देशभक्ति का बीज पहले से अंकुरित था ही, इसलिए परिषद् की तरफ आकर्षित हुआ, पर सदस्य नही बना। गोयल के मुकदमो में लिखा-पढ़ी के कामों में दिलचस्पी लेकर आजीविका चलाने लगा। गोयल, कौशिक व मेरी गिरफ्तारी के बाद गोयल के मुकदमों के सिलसिले मे उसका गोयलजी के घर और कार्यालय में अधिक संपर्क हुआ और अघोषित रूप से वह गोयल के मुशी का कार्य करने लगा। आगे उसने बताया 26 अगस्त को गोयलजी की गिरफ्तारी के बाद गोयल की पत्नी मनोरमादेवी की प्रेरणा से 27 अगस्त की रात को ही मै लूणकरणसर पहुँचा। पहली बार वहां गया था इसलिए थाने में ही जाकर गोयल की

हम पर मनगढ़न्त इल्ज़ाम लगाते हुए एक विज्ञप्ति 28 अगस्त, 1944 को स्टेट-गज़ट में प्रकाशित करते हुए लिखा—'जैसे सब महाराजा साहब प्रजा पर विदित है कि उस वक्त रघुवरदयाल गोयल, गंगादास कौशिक और दाऊदयाल सेन्ट्रल जेल बीकानेर में सज़ा पा रहे थे जो कि उनको सन् 1942 में दी गई थी (कह रहे कि मुझ दाऊदयाल पर न तो कभी कोई इल्ज़ाम लगाया गया था, न मुझ पर कोई मुकदमा चलाया गया था और न मुझे कभी कोई सज़ा ही सुनाई गई थी)। महाराजा के सालगिरह पर इन तीनों ने मिलकर माफी की अर्जी पेश की जिसमें अपने पिछले चाल-चलन के लिए खेद प्रकट किया था और भविष्य में बिना किसी शर्त के अच्छा चाल चलन रखने का वचन दिया था और यह वायदा किया था कि वे ऐसे किस्म की कार्यवाही नहीं करेंगे जिसे महाराजा साहब की सरकार अनुचित व एतराज़ के लायक समझे। विज्ञप्ति में आगे बताया गया कि महाराजा साहब पिछली बातों को गर्द करने व उनकी नाजायज कार्यवाहियों का ख्याल न करने के लिए इस शर्त पर तैयार थे कि उनका आइन्दा का रवैया एतराज़ लायक न हो और उनको इस बात का मौका दिया जाय कि वे अपनी चालें सुधारें। इस पर तारीख 16 फरवरी सन् 1943 को महाराजा साहब ने मेहरबानी फरमाकर उनको फौरन जेल से रिहा करने का हुक्म बख्शाया और उनको इस बात की साफ चेतावनी दी थी कि वे अपनी पिछली कार्यवाहियों को किसी रूप में दुबारा शुरू न करें लेकिन अफसोस की बात है कि उनके लिखित वायदे करने व महाराजा साहब द्वारा उन पर रहम फरमाने पर भी वे इस पिछले डेढ़ साल के अर्से में लगातार ऐसी कार्यवाहियां करते गये जो कि न सिर्फ राज के खिलाफ काबिले एतराज थी बल्कि उन्होंने जो लिखित वायदा किया था उसके प्रत्यक्ष खिलाफ थी। इसलिए बीकानेर-सरकार इस नतीजे पर पहुँची है कि वक्त आ गया है जब कि महाराजा साहब की प्रजा के हित व अमन चैन के लिए ऐसी एतराज लायक कार्यवाहियों को बगैर गौर किये और ज्यादा अरसे के लिए जारी न रखने दिया जाय और इसलिए सरकार ने रघुवरदयाल, गंगादास और दाऊदयाल की हरकतों पर पाबंदी लगाने के हुक्म जारी कर दिये हैं।'

यह विज्ञप्ति झूठी बातों का पुलन्दा थी और जेल में जसवंतसिंह ने हम लोगों से क्या-क्या कहा था और महाराजा ने भी 'वेट एण्ड सी' कहा था यह सब लोग बखूबी जान चुके थे। पिछले 18 महीनों तक हमें दिये जाते रहे आश्वासनों से पलट कर बिना कारण हम लोगों पर दमन-चक्र चला देने के अन्यायपूर्ण तथ्य पर पर्दा डालकर सरकार की दमन-नीति को येन-केन-प्रकारेण उचित ठहराने के लिए यह विज्ञप्ति जारी की गई थी। चूँकि हमारी गिरफ्तारी के बाद हमारा तो बाहर के जगत से सम्पर्क टूट चुका था, इसलिए तत्काल उसका उत्तर देने वाला कोई नहीं था।

मूलचन्द के क्रियाकलाप

1 जनवरी को नया वर्ष आया तो मैं पीछे के सारे हालात को जानने के लिए मूलचन्द का ही इंतजार करता रहा। एक हफ्ते बाद मूलचन्द जयपुर, जोधपुर आदि का चक्कर लगाकर मुझे से मिलने आया। मैंने उससे पूछा कि वह मुझे पीछे के हालात और

गोयलजी के बारे में अब तक की जानकारी देने का वादा करके बाहर गया था सो अब वह मुझे कब सारे हालात विस्तार से बतायेगा? उसने कहा कि यह मुझ को बहुत कुछ बताना और साथ ही बहुत कुछ पूछने को स्वयं उत्सुक है इसलिए मैं उससे प्रश्न पूछना शुरू कर दूँ तो वह उत्तर देने को तैयार है।

उत्सुकतावश मैंने पहला प्रश्न यही किया कि वह (मूलचन्द) तो दो साल से कचहरी मे आता रहा था और अरजीनवीस का कार्य सीखता और करता चला आ रहा था पर जिस माहौल में बड़े-बड़े तीसमारखाँ अपने आपको इस राजकोप की ज्वाला से बचाकर निकलने में ही अपनी सारी चतुराई को काम में लेते रहे हैं उसी ज्वाला में उसने एक पतंगे की तरह पड़ने की हिम्मत कैसे कर ली? मूलचन्द बोला कि एक तो मेरे पीछे के संस्कार मुझे इस ओर आकर्षित कर रहे थे और दूसरा रावतमलजी की अंदरूनी शह मुझे प्रोत्साहित करती रही, नही तो पिताजी मुझे कभी का इधर कदम बढ़ाने से रोक देते।' मैंने कहा रावतमलजी की बात तो समझ में आई क्योंकि वे तो प्रजापरिषद् के संस्थापकों मे रहे है पर तुम्हारे पुराने संस्कार क्या रहे हैं यह जानने को मैं उत्सुक हूँ। इस पर उसने कलकत्ते का अपना किस्सा सुनाया जहां उसके पिताजी कुटुम्ब सहित बरसों से अपनी आजीविका कमाने के लिए एक प्रकार से बस ही गये थे। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के कारण बंगाल तो देशभक्ति मे उफन ही रहा था और उस माहौल में वह कैसे अछूता रह सकता था? वहां डीडू माहेश्वरी विद्यालय में नवीं क्लास में वह पढ़ता था उन्हीं दिनों नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के फारवर्ड ब्लाक द्वारा 'ब्लेक हॉल ऑफ कलकत्ता' के ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्मित स्मारक को हटाने का सत्याग्रह शुरू हुवा था जिसमें अन्य छात्रों के साथ वह भी भाग लेता रहा था और वहीं से उसके हृदय में देशभक्ति का बीज अंकुरित हो गया था। इसी अर्से में द्वितीय महायुद्ध में जब कलकत्ते पर शत्रु राष्ट्रों द्वारा बम्बार्डमेंट हुवा तो गैरबंगला लोगों का वहां से पलायन होने लगा और उसी भगदड़ में उसके पिता नरसिंहदास जी कुटुम्बसहित बीकानेर में आ गये और जमीन की खरीद फरोख्त की दलाली का काम यहां शुरू कर दिया। जाति के पारीक होने से रावतमल पारीक के सम्पर्क से वह भी कचहरी में आजीविका के लिए आने लगा और रावतलमजी के पास अरजीनवीसी सीख ली। रावतमलजी के परिषद् से संबंध होने से वह गोयलजी के और मुझ दाऊदयाल के सम्पर्क में आया और देशभक्ति का बीज पहले से अंकुरित था ही, इसलिए परिषद् की तरफ आकर्षित हुआ, पर सदस्य नहीं बना। गोयल के मुकदमों में लिखा-पढ़ी के कामों में दिलचस्पी लेकर आजीविका चलाने लगा। गोयल, कौशिक व मेरी गिरफ्तारी के बाद गोयल के मुकदमों के सिलसिले में उसका गोयलजी के घर और कार्यालय में अधिक संपर्क हुआ और अघोषित रूप से वह गोयल के मुंशी का कार्य करने लगा। आगे उसने बताया 26 अगस्त को गोयलजी की गिरफ्तारी के बाद गोयल की पत्नी मनोरमादेवी की प्रेरणा से 27 अगस्त की रात को ही मैं लूणकरणसर पहुँचा। पहली बार वहां गया था इसलिए थाने में ही जाकर गोयल की

जानकारी लेने का प्रयत्न किया। 30 अगस्त से पहले गोयल पर सिवाय इसके और कोई पाबंदी नहीं थी कि वे कस्बे की सीमाओं से बाहर न जावें और चाहें तो तहसील में वकालत भी कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में पुलिस वालों ने गोयल से मिला दिया। 27 से 29 अगस्त, तीन दिन में गोयल जी के साथ बिना किसी रोक- टोक के रहा और तीन दिन तक हम दोनों के बीच विचार-विमर्श होता रहा। जिस मकान को गोयल के लिए किराये पर लिया गया था वहां गोपनीय बातें करना असुरक्षित मानकर दोनो प्रातः लोटे लेकर शौच के लिए कस्बे की सीमाओं के भीतर दूर-दूर चले जाते थे और वहां एकान्त में खुलकर बातचीत करते रहे। वहां गोयलजी ने बाहर के जगत से अपना संपर्क सूत्र मुझे बनाते हुए मुकदमों के अलावा घर-गृहस्थी के बारे में व खादी-मंदिर के बारे में कई कार्य करने बताये पर खास चिंता गोयल को इस बात की थी कि चूँकि आप तीनों को धोखे में रखकर अचानक बंदी बना लिया गया था और चूंकि कौशिक जैसा चतुर साथी अब उन्हें प्राप्त नही था इसलिए पीछे से परिषद् का काम बंद न हो जाये, इसकी व्यवस्था करना आवश्यक था। बहुत सारी चर्चा के बाद आगे परिषद् के कार्य को जिंदा रखने के लिए उनकी नजर मघाराम वैद्य पर ही जाकर टिकी। यह सुनने पर मुझे हँसी आ गई तो मूलचन्द ने पूछा कि मघारामजी का नाम लेते ही आप हँस क्यों पड़े? इस प्रश्न को टालने के लिए मुझे चुप रहते देखा तो मूलचन्द ने कहा तुम चुप क्यों हो गए? बाबूजी ने तो मुझे तुम से परामर्श लेते रहने के लिए कहा है क्योंकि वे तुम पर बड़ा स्नेह रखते है और उतना ही विश्वास रखते हैं और मै भी आज यह धार-विचार कर आया हूँ कि तुम से खुलकर अपनी बात कहूँ और तुमसे मुझे परामर्श मिलता रहे। बाबूजी से बार-बार मिलना तो एक मोर्चा लेने के बराबर है क्योंकि ये पुलिस वाले न मिलने देने के लिए कृत संकल्प मालूम होते हैं इसलिए उन्हे धोखा देकर ही कोई मिलले तो भले ही बाबूजी से मिल ले, वरना आज्ञा लेकर कोई मिलने की उम्मीद करे तो वह परमीशन आसानी से मिलती ही नहीं है। अभी 12 या 14 दिसम्बर की ही बात है जब मैने आई.जी.पी. से परमीशन चाही तो कहा कि आज्ञा की क्या जरूरत है, आप तो उनके मुंशी हो और उसी नाते वार्तालाप करनी होगी सो कोई रोके तो कह देना कि मै उनका मुंशी हूँ और मुकदमो के बारे में हिदायत लेने व बातचीत करने जा रहा हूँ, फिर तुम्हें कोई नही रोकेगा, पर देखना मुकदमों के सिवा और कोई गड़बड़ नहीं करना। मै आई.जी.पी. के सामने बुद्धू की सी सूरत बनाकर ही मिलता हूँ इसलिए मुझे यह हिदायत कर दी और जाने का कह दिया। पर जाने पर मुझ पर जो बीती वह मै ही जानता हूँ। मैने पूछा जो तुम पर बीती वह तुम्ही जानते हो ऐसा क्या हुआ—सिर्फ यही हुआ होगा न, कि तुम्हें मिलने नहीं दिया? मूलचन्द बोला कि ऐसी बात नहीं है दाऊजी, हुआ यह कि दिसम्बर की कड़कड़ाती सर्दी के बावजूद आई.जी.पी के भरोसे मे बिना किसी कम्बल आदि को लिए चला गया यह सोचकर कि स्टेशन से उतर कर बाबूजी के घर तक ही तो पहुँचना है उसके बाद तो वहा ओढ़ने-बिछाने को मिल ही जाएगा। पर हुआ इसके बिल्कुल विपरीत

क्यों कि स्टेशन से उतरते ही पुलिसवालों ने रोक लिया और पूछा कहां जा रहे हो। मैंने सीधी-सीधी बात बता दी तो बोले कि कोई लिखित में हुक्म लाए हो तो बताओ। मैंने आई.जी.पी. वाली बात बताई तो अकड़ कर बोले कि तुम झूठ बोलते हो तुम्हें बिना लिखित परमीशन के गोयल से मिलने देने का सवाल ही नहीं है। और यों कहने के बाद स्टेशन से थाने पर ले गये और थाने के बाहर एक खाट बिछाकर मुझे उस पर बिठा दिया और पूरे चार सिपाहियों को मेरे पर पहरा देने को खड़ा कर दिया। भरे सियाले की मध्य रात्रि की उस कड़कड़ाती ठंड में खाट पर काँपते हुए घंटों बैठाए रखा और बीकानेर जाने वाली गाड़ी जब आई तो उस में जबरदस्ती बैठा दिया। सारी रात काँपते और खाँसते रेल में बिताई। सुबह स्टेशन पर उतरते ही टी. टी. ने बिना टिकट यात्रा में पकड़कर छह रुपये और कुछ पैसों की वसूली, हनुमानगढ़ जंक्शन से बीकानेर का किराया लगाकर कर ली और मिमो देकर स्टेशन से बाहर निकाल दिया। ठंड में अकड़ गया था और कुछ-कुछ बुखार भी हो गया मालूम हुआ। घर पहुँचा तब तक बुखार तेज हो गया। कुछ दिन भुगतने के बाद कुछ ठीक होने पर फिर आई.जी.पी. के पास इजाजत लेने पहुँचा तो उन्होंने वही बात दोहराई पर मैं अबकी बार दरख्वास्त में पिछली बार की सारी वारदात लिख कर ले गया था, जिस पर इजाजत दे दी गयी।' यों कहकर मूलचन्द ने मुझे अपने कागजों में से उस असल दरख्वास्त को बताया जिस पर आई.जी.पी. ने अपनी कलम से लिखा था, 'परमीटेड'। इधर संसार को यह बताया जा रहा था कि गोयल को लूणकरणसर तहसील हेडक्वाटर पर वकालत तक करने की छूट है और वास्तविकता यह थी कि किसी को उनसे मिलने ही नही दिया जाता था। इस प्रसंग को समाप्त कर मूलचन्द फिर से असली प्रसंग पर आया और कहने लगा कि 'मघाराम जी का नाम लेने पर आप हँस क्यों पड़े जबकि बाबूजी तो उनकी ओर ही नजर लगाए हुए है।' मैने कहा 'मूलचन्द, अपने-अपने विचार है। कानासर स्टेशन पर अगस्त में इस विषय पर हम तीनों नजरबंदों की खुलकर बात हुई थी तब भी मेरी बाबूजी से भिन्न राय थी पर बाबूजी ने मुझे यह कहकर चुप कर दिया था कि देशभक्ति की प्रबल भावना बिना तो कोई राजनीति की आग मे कूदेगा ही क्यों? और अगर वह भावना मूलरूप से हृदय में उफन रही हो तो हमें कार्यकर्ता ने क्या नहीं किया इस पर ध्यान न देकर उसी पर ध्यान देना चाहिए कि उसने क्या कुछ किया और आगे क्या कुछ करने की उससे सही रूप से अपेक्षा की जा सकती है। इस पर कानासर की स्टेशन पर मैं निरुत्तर होकर चुप हो गया पर मेरे जो विचार उस समय थे वे ही आज हैं इसलिए मघारामजी का नाम लेने पर आज फिर हँसी आ गई। इसे तुम अन्यथा नही लो। हमें तो कानासर की रेल्वे स्टेशन पर कुछ घंटों का ही एकान्त मिला था आपस में विचार-विमर्श करने के लिए और तुम्हे तो बाबूजी से पूरे तीन दिन यानी 72 घंटे मिले हैं एकान्त में हृदय-मंथन करने के लिए। इसलिए अब आज इस एकान्त में तुम मुझे तफसील से या संक्षेप मे जैसा तुम उचित समझो यह बताओ की बाबूजी के इस पसन्दगी के कारण क्या रहे हैं?' इस पर

मूलचन्द ने बताया कि बाबूजी ने मघारामजी के बारे में बहुत गहराई से विचार करने के बाद ही यह पसन्द बताई है। उन्होंने उनकी कमियों का भी विवेचन किया है और खूबियों को भी खूब सराहा है। बाबूजी ने मुझे बताया कि मघारामजी ने उस समय प्रजामंडल का अध्यक्ष बनने की हिम्मत की जबकि उनको प्रेरित करने वाले बुद्धिजीवी दिग्गज बाबू मुक्ताप्रसादजी और सत्यनारायण सर्राफ जैसे लोगों ने गंगासिहजी के उस काल में आगे आकर नेतृत्व करने का हौसला न करके परदे के पीछे रहकर राजनीतिक संघर्ष चलाने में ही संतोष किया। वे दोनों दिग्गज तो कानूनवेत्ता यानी कुशल वकील भी थे और मघारामजी की पूंजी थी केवल राष्ट्रकार्य के लिए अपने आपको झोंक देने का प्रबल हौसला। इनकी जगह कोई दूसरा होता तो कह देता कि आप आगे आइये और हम मर-मिटने को तैयार है आपके साथ, पर मघारामजी ने बिना कुछ आगा-पीछा सोचे और बिना दाएं-बाएं देखे कूद पड़ने का हौसला साबित किया और अपनी बुद्धि और बूते के अनुकूल डटकर काम किया। स्वयं डूंगरगढ़ के थे इसलिए अपने इलाके के किसानों की दु:ख-पीड़ा को महसूस करके उदरासर के पीड़ित किसानों और उस गाँव की बहू-बेटियों की इज्जत की रक्षार्थ गगासिह के खूँखार प्रशासन से झूझ पड़े जिसके फलस्वरूप निर्वासन की सजा भोगने को मजबूर हुए। निर्वासन की सजा, बाबूजी के ख्याल से जेल, नजरबंदी, शारीरिक यातनाओं आदि सारी यातनाओं से अधिक भयानक है क्योंकि निर्वासित को अपने बाल-बच्चों, इष्ट-मित्रो, जमीन-जायदाद, रोजी-रोटी आदि सभी से वंचित होकर, मातृभूमि या जन्म-भूमि से दूर एकाकी जीवन जीने को मजबूर होना पड़ता है। निर्वासन का दण्ड 'सजाए मौत' से कही अधिक पीड़ादायक है क्योकि मौत के बाद संसार और बालबच्चों और रिश्तेदारो के कष्टों को सहने और सुनने के लिए तो प्राणी मौजूद नहीं रहता (आप मरे पर जग परलै हो जाती है।), पर निर्वासित को तो जीवित रहते इन सबकी पीड़ाओं को दूर बैठे, सुनते रहना पड़ता है जबकि वह स्वयं उन्हें राहत पहुँचाने के लिए कुछ भी नही कर सकता। बाबूजी ने मुझे बताया कि निर्वासन की पीड़ा को वे बखूबी अनुभव कर चुके है इसीलिए वे इस सजा को सजाए-मौत से भी अधिक भयंकर महसूस करते है और फिर इंसान तो इसान ही है, मोहमाया के बंधन किसको नही झुका देते? उन्होने आपका (यानी मुझ दाऊदयाल का) उदाहरण देकर कहा कि मेरे ऐसे मजबूत साथी को भी मोह-माया के बंधन ने ही झुकने को मजबूर किया होगा वर्ना ऐसा व्यक्ति कभी झुक सकता है, ऐसा वे सोच ही नही सकते थे। आगे उन्होंने मुझे यह रहस्य की बात भी बताई कि मघाराम जैसा कष्ट-सहिष्णु व्यक्ति भी सजा-ए-निर्वासन सुनकर झुकने को मजबूर हुआ और महाराजा गंगासिंह के समक्ष 'मर्सीपिटीशन' यानी 'दया के लिए दरख्वास्त' पेश कर दी पर वह बेकार गई क्योकि महाराजा को सत्यनारायण सराफ के द्वारा लदन में जो अपमान का घूंट पीना पड़ा था उसके खार की आग उनके हृदय में धधक रही थी और उसके पीछे मघाराम की वह याचना भी अस्वीकार कर दी गई। इस अस्वीकृति में उस क्रूर हेमिल्टन हार्डिज का भी

वड़ा हाथ था जिसे महाराजा ने गृह विभाग में 'ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी' के पद पर नियुक्त करके एक प्रकार से अतिरिक्त गृहमत्री ही वना रखा था। कुटुम्बीजनों की वीमारी पर मघारामजी को राज्य मे पुनः प्रवेश मिल गया, जैसे गत वर्ष सत्यनारायण सराफ को भी मिल गया था। फिर भी पुनः प्रवेश मिलने के वाद मघाराम की देशभक्ति में कोई फर्क नही आया और वे स्वतन्त्रता-दिवस और गांधी-जयन्ती आदि का आयोजन बराबर करते ही रहे है। इसलिए वाबूजी ने आगे के काम के लिए मघारामजी पर ही नजर टिकाकर, उन्हें समझा-बुझाकर आगे आने को प्रेरित करने का जिम्मा मुझ पर डाला है। मुझ पर यह जिम्मा डालते हुए गोयलजी ने दो विन्दुओं पर विशेष ध्यान रखने को कहा है और वे विन्दु हैं—(1) मघारामजी सजा-ए-निर्वासन से वचना चाहते रहे है इसलिए उन्हें अध्यक्ष पद संभालने में हिचकिचाहट होना कोई अस्वाभाविक वात नही है क्योंकि उन्होंने यह अनुभव किया है कि सन् 36 मे वे प्रजा मंडल के अध्यक्ष वने तो निर्वासित हुए और सन् 42 में मैं (रघुवरदयाल) प्रजापरिषद् का अध्यक्ष वना तो निर्वासित हुआ इसलिए अगर वे (मघाराम) फिर अध्यक्ष बनकर प्रजापरिषद् का काम संभालते है तो फिर कही सजा-ए-निर्वासन न हो जाए। इस आशंका से तुम्हारे (मूलचन्द के) सामने उनकी हिचकिचाहट सामने आ सकती है। उन्हें मेरे नाम से वता देना कि गोयल ने वताया है कि 'अध्यक्ष' को निर्वासन मिलेगा इस हिचकिचाहट को मेरे (गोयल के) कहने से त्याग कर संकट की घड़ी मे वीकानेर-वासियो का नेतृत्व संभालें। अव उन्हें निर्वासन मिलने वाला नही है। क्योकि पिछली वार तो 'चने के साथ घुन' पिस गया और वकील सराफ के साथ मघारामजी को भी निर्वासन मिल गया। वैसे गगासिंह की यह पॉलिसी थी कि जिस वीकानेरराज्य-निवासी की जड़ राज्य की भूमि में हो ऐसे खूंटे वाले किसी व्यक्ति को निर्वासित नहीं किया जाय और यही कारण है कि मुझे (गोयल को) गैरवीकानेरी वताकर निर्वासित किया, पर उसी समय परिषद् के मंत्री गंगादास व दाऊदयाल को, दोनों को, निर्वासित नहीं किया। इसलिए उनको (मघाराम को) भी निश्चित रूप से निर्वासन का दण्ड तो नही ही मिलेगा। गंगादास और दाऊदयाल की तरह जेल या नजरवदी ही हो सकती है जिसके लिए मघाराम से ज्यादा मजबूत अन्य कोई नजर नहीं आता। मूलचन्द ने आगे वताया कि गोयल ने दूसरी बात मुझे यह वताई कि मघाराम को धीरे से कहना कि मै (गोयल) सन् 43 में उनके अनेक मुकदमो में वकील रह चुका हूँ इसलिए जानता हूँ कि वे दोनों बाप-वेटे अनेक फौजदारी मुकदमों में, बधूड़े की उच्छृंखलता और उद्दण्डता के कारण आकंठ डूवे हुए है और सारे ही मुकदमें फर्जी हो ऐसी बात भी नही है इसलिए अपने पुत्र को काबू में रखकर देशकार्य की बागडोर संभाले इसके बाद पुलिस की झूठे-सच्चे मुकदमों में फंसाने की हिम्मत भी टूटेगी ही। अव उन्हे हौसले के साथ परिषद् की बागडोर संभाल कर कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करना चाहिए, यह समय की पुकार है। समय-समय की वात होती है और इस समय वक्त उनका नेतृत्व संभालने का आह्वान कर रहा है और मुझे (गोयल को) विश्वास है

मूलचन्द ने बताया कि बाबूजी ने मघारामजी के बारे में बहुत गहराई से विचार करने के बाद ही यह पसन्द बताई है। उन्होंने उनकी कमियों का भी विवेचन किया है और खूबियों को भी खूब सराहा है। बाबूजी ने मुझे बताया कि मघारामजी ने उस समय प्रजामंडल का अध्यक्ष बनने की हिम्मत की जबकि उनको प्रेरित करने वाले बुद्धिजीवी दिग्गज बाबू मुक्ताप्रसादजी और सत्यनारायण सर्राफ जैसे लोगों ने गंगासिंहजी के उस काल में आगे आकर नेतृत्व करने का हौसला न करके परदे के पीछे रहकर राजनीतिक संघर्ष चलाने में ही संतोष किया। वे दोनों दिग्गज तो कानूनवेत्ता यानी कुशल वकील भी थे और मघारामजी की पूंजी थी केवल राष्ट्रकार्य के लिए अपने आपको झोंक देने का प्रबल हौसला। इनकी जगह कोई दूसरा होता तो कह देता कि आप आगे आइये और हम मर-मिटने को तैयार हैं आपके साथ, पर मघारामजी ने बिना कुछ आगा-पीछा सोचे और बिना दाएं-बाएं देखे कूद पड़ने का हौसला साबित किया और अपनी बुद्धि और बूते के अनुकूल डटकर काम किया। स्वयं डूगरगढ़ के थे इसलिए अपने इलाके के किसानों की दु.ख-पीड़ा को महसूस करके उदरासर के पीड़ित किसानों और उस गाँव की बहू-बेटियों की इज्जत की रक्षार्थ गंगासिह के खूँखार प्रशासन से झूझ पड़े जिसके फलस्वरूप निर्वासन की सजा भोगने को मजबूर हुए। निर्वासन की सजा, बाबूजी के ख्याल से जेल, नजरबंदी, शारीरिक यातनाओं आदि सारी यातनाओं से अधिक भयानक है क्योंकि निर्वासित को अपने बाल-बच्चों, इष्ट-मित्रों, जमीन-जायदाद, रोजी-रोटी आदि सभी से वंचित होकर, मातृभूमि या जन्म-भूमि से दूर एकाकी जीवन जीने को मजबूर होना पड़ता है। निर्वासन का दण्ड 'सजाए मौत' से कहीं अधिक पीड़ादायक है क्योंकि मौत के बाद संसार और बालबच्चों और रिश्तेदारो के कष्टों को सहने और सुनने के लिए तो प्राणी मौजूद नहीं रहता (आप मरे पर जग परलै हो जाती है।), पर निर्वासित को तो जीवित रहते इन सबकी पीड़ाओं को दूर बैठे, सुनते रहना पड़ता है जबकि वह स्वयं उन्हें राहत पहुँचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। बाबूजी ने मुझे बताया कि निर्वासन की पीड़ा को वे बखूबी अनुभव कर चुके है इसीलिए वे इस सजा को सजाए-मौत से भी अधिक भयकर महसूस करते हैं और फिर इंसान तो इंसान ही है, मोहमाया के बंधन किसको नही झुका देते? उन्होने आपका (यानी मुझ दाऊदयाल का) उदाहरण देकर कहा कि मेरे ऐसे मजबूत साथी को भी मोह-माया के बंधन ने ही झुकने को मजबूर किया होगा वर्ना ऐसा व्यक्ति कभी झुक सकता है, ऐसा वे सोच ही नही सकते थे। आगे उन्होंने मुझे यह रहस्य की बात भी बताई कि मघाराम जैसा कष्ट-सहिष्णु व्यक्ति भी सजा-ए-निर्वासन सुनकर झुकने को मजबूर हुआ और महाराजा गंगासिह के समक्ष 'मर्सीपिटीशन' यानी 'दया के लिए दरख्वास्त' पेश कर दी पर वह बेकार गई क्योंकि महाराजा को सत्यनारायण सराफ के द्वारा लंदन मे जो अपमान का घूट पीना पड़ा था उसके खार की आग उनके हृदय में धधक रही थी और उसके पीछे मघाराम की वह याचना भी अस्वीकार कर दी गई। इस अस्वीकृति में उस क्रूर हेमिल्टन हार्डिज का भी

बड़ा हाथ था जिसे महाराजा ने गृह विभाग में 'ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी' के पद पर नियुक्त करके एक प्रकार से अतिरिक्त गृहमंत्री ही बना रखा था। कुटुम्बीजनों की बीमारी पर मघारामजी को राज्य में पुन. प्रवेश मिल गया, जैसे गत वर्ष सत्यनारायण सराफ को भी मिल गया था। फिर भी पुनः प्रवेश मिलने के बाद मघाराम की देशभक्ति मे कोई फर्क नही आया और वे स्वतन्त्रता-दिवस और गांधी-जयन्ती आदि का आयोजन बराबर करते ही रहे है। इसलिए बाबूजी ने आगे के काम के लिए मघारामजी पर ही नजर टिकाकर, उन्हें समझा-बुझाकर आगे आने को प्रेरित करने का जिम्मा मुझ पर डाला है। मुझ पर यह जिम्मा डालते हुए गोयलजी ने दो बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखने को कहा है और वे बिन्दु है—(1) मघारामजी सजा-ए-निर्वासन से बचना चाहते रहे है इसलिए उन्हें अध्यक्ष पद संभालने में हिचकिचाहट होना कोई अस्वाभाविक बात नही है क्योंकि उन्होंने यह अनुभव किया है कि सन् 36 में वे प्रजा मंडल के अध्यक्ष बने तो निर्वासित हुए और सन् 42 मे मै (रघुवरदयाल) प्रजापरिषद् का अध्यक्ष बना तो निर्वासित हुआ इसलिए अगर वे (मघाराम) फिर अध्यक्ष बनकर प्रजापरिषद् का काम संभालते है तो फिर कहीं सजा-ए-निर्वासन न हो जाए। इस आशंका से तुम्हारे (मूलचन्द के) सामने उनकी हिचकिचाहट सामने आ सकती है। उन्हें मेरे नाम से बता देना कि गोयल ने बताया है कि 'अध्यक्ष' को निर्वासन मिलेगा इस हिचकिचाहट को मेरे (गोयल के) कहने से त्याग कर संकट की घड़ी में बीकानेर-वासियों का नेतृत्व संभालें। अब उन्हे निर्वासन मिलने वाला नहीं है। क्योंकि पिछली बार तो 'चने के साथ घुन' पिस गया और वकील सराफ के साथ मघारामजी को भी निर्वासन मिल गया। वैसे गंगासिह की यह पॉलिसी थी कि जिस बीकानेरराज्य-निवासी की जड़ राज्य की भूमि में हो ऐसे खूंटे वाले किसी व्यक्ति को निर्वासित नहीं किया जाय और यही कारण है कि मुझे (गोयल को) गैरबीकानेरी बताकर निर्वासित किया, पर उसी समय परिषद् के मंत्री गंगादास व दाऊदयाल को, दोनों को, निर्वासित नही किया। इसलिए उनको (मघाराम को) भी निश्चित रूप से निर्वासन का दण्ड तो नहीं ही मिलेगा। गंगादास और दाऊदयाल की तरह जेल या नजरबंदी ही हो सकती है जिसके लिए मघाराम से ज्यादा मजबूत अन्य कोई नजर नही आता। मूलचन्द ने आगे बताया कि गोयल ने दूसरी बात मुझे यह बताई कि मघाराम को धीरे से कहना कि मैं (गोयल) सन् 43 मे उनके अनेक मुकदमों में वकील रह चुका हूँ इसलिए जानता हूँ कि वे दोनो बाप-बेटे अनेक फौजदारी मुकदमो मे, बघूड़े की उच्छृंखलता और उद्दण्डता के कारण आकंठ डूबे हुए है और सारे ही मुकदमें फर्जी हों ऐसी बात भी नही है इसलिए अपने पुत्र को काबू में रखकर देशकार्य की बागडोर सभालें इसके बाद पुलिस की झूठे-सच्चे मुकदमों में फंसाने की हिम्मत भी टूटेगी ही। अब उन्हें हौंसले के साथ परिषद् की बागडोर सभाल कर कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करना चाहिए, यह समय की पुकार है। समय-समय की बात होती है और इस समय वक्त उनका नेतृत्व संभालने का आह्वान कर रहा है और मुझे (गोयल को) विश्वास है

कि उपरोक्त दो बिन्दुओं को उनके दिलो-दिमाग में उतारकर एक बार उन्हे खड़ा करने में मुझ (मूलचन्द) को सफलता मिल जाए तो फिर तो देशभक्ति और कष्टसहन की शक्ति के भरोसे वे सफल ही होवेंगे। इसलिए श्री गोयल की नजर में परिषद् की बागडोर संभालने लायक एक मात्र सही व्यक्ति मघाराम ही है। मेरी (मूलचन्द) राय मे भी गोयल की नजर सही रूप में सही व्यक्ति पर टिकी हुई है। यह कह कर मूलचन्द मुझ से पूछ बैठा कि अब तुम्हारी क्या राय है ?

मूलचन्द के इस प्रश्न ने मुझे असमंजस में डाल दिया फिर भी मैंने कहा कि बाबूजी हमारे नेता हैं और उनके विचार सामने आ जाने पर हमारी राय क्या अर्थ रखती है ? बाबूजी को हम नेता इसीलिए मानते हैं कि उनके चिंतन में परिपक्वता और दूरदर्शिता पाई जाती है जबकि हम अनुचरों को तो इस राष्ट्रीय संघर्ष में उनके पीछे-पीछे चलना व उनका सहयोग करना मात्र है। मेरा अपना अनुभव यह बताता था कि हमारी राय अपरिपक्व (इम्मेच्युअर) होने से हानि भी हो सकती है। जेल में भी जब मिनिस्टर जसवंतसिंह चिकनी-चुपड़ी और अति विनम्र भाषा में बोलकर हमसे जो 'विपक्ष की तरह हम से भी भूलें हो सकती हैं और ऐसी कोई भूलें हम से हुई हों तो उसके लिए हमे खेद प्रगट करने में कोई आपत्ति नहीं है', ऐसा ही कुछ मजमून लिखाकर ले गया था और उसके बाद हम तीनों में जो विचार-विनिमय हुआ उसमें मै और गंगादास तो निशंक थे पर बाबूजी के मन में असमंजस चला आ रहा था कि कही कुछ गलत तो नहीं करा लिया गया हमसे और बाद की घटनाओं ने बताया कि नेता का असमंजस ठीक निकला और वास्तव मे गांधीजी के मार्ग का अनुसरण करने वाले हम लोग घाटे में रहे और कूटनीति से काम लेकर चिकनी-चुपड़ी बातों और विनम्रतापूर्ण व्यवहार करके, 'यह मजमून तो अन्नदाता से मिलने तक का मार्ग प्रशस्त करने के लिए है और महाराजा से मिलने के बाद तो इसका कोई महत्व नही रह जायेगा', इस पर भरोसा करने का फल यह हुआ कि महाराजा ने वहा बात तक नहीं की और आज हम तीनों उसी धोखे का फल भोगने को मजबूर हो रहे है। इसलिए नेता के नाते भी बाबूजी की राय का मै हृदय से आदर करता हूँ और अब तो तुम्हारे माध्यम से बाबूजी की इस च्वाइस (मघाराम) को बुद्धिपूर्वक भी सही होना स्वीकार करता हूँ क्योंकि बाबूजी ने मघारामजी की जो पृष्ठभूमि तुम्हे बताई, जो तुम से मुझे अब मालूम हुई उसके बाद इस मामले मे भिन्न राय हो ही नहीं सकती। और मै तो अब यहां तक सोचने लगा हूँ, और तुम्हें मेरी बात ठीक लगे तो मघारामजी को नेतृत्व संभालने को राजी करने में मेरे दिमाग मे आए इस बिंदु को उनके सामने रखने में शायद फायदा ही होगा और वह बिन्दु यह है कि मघारामजी ग्रामीण पृष्ठभूमि में पले-पुसे है, ग्रामीण क्षेत्र की सामन्ती जुल्मो की वेदनाओं को बखूबी जानते ही नहीं है अपितु दिल से महसूस करते है इसीलिए तो उदरासर के किसानो की कठिनाईयों के साथ ही उनकी बहु-बेटियों की सामन्तों और नौकरशाही के हाथों बेइज्जती को वे सह न सके और 'नागरिक अधिकारों' और 'उत्तरदायी शासन' के गहराई को छूने वाले राजनैतिक

मुद्दों के बजाय ग्रामीण क्षेत्र के तात्कालिक कष्टो और समस्याओं की सुलझाहट के लिए गगासिह के प्रशासन से स्वय उलझ पड़े जब कि बुद्धिजीवी साथी पर्दे के पीछे रहकर ही मार्गदर्शक बने रहने में अपने को सुरक्षित समझते थे। वाबूजी रघुवरदयालजी और उनके पीछे चलने वाले हम लोग इस सारी बीमारी के मूल इलाज यानी नागरिक अधिकारो के माध्यम से जन-जाग्रति और जन-संगठन के मूल अधिकारों के मुद्दों को लेकर गंगासिंह से उलझ पड़े ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के आधार राजाओं को हिलाकर देश की आजादी के जग में अपना योगदान दे सकें। पर आम आदमी तो सैद्धांतिक संघर्ष से ज्यादा तात्कालिक राहत के मार्ग को अपना कर ही जन-संगठन को पनपाया जा सकता है। अब मघारामजी के नेतृत्व मे परिषद् ग्रामीण क्षेत्रो में पहुँचेगी जो परिषद् के लिए बहुत शक्तिवर्द्धक टॉनिक सिद्ध हो सकता है। गोयल और मघाराम एक दूसरे के पूरक ही सिद्ध होगे। इसलिए तुम मघारामजी को तैयार करने मे अपना सारा कौशल लगा दो और भगवान तुम्हें सफलता देवें।

इतना कहने के बाद मै मूलचन्द से पूछ बैठा कि उसकी वाबूजी से पर्याप्त लम्बी प्रथम मुलाकात तो 28 से 30 अगस्त के अर्से में हो चुकी थी और तब से अब तक क्या तुम मघारामजी को आगे आने के लिए राजी नही कर सके या वे राजी हो गये है? जरा संक्षेप में बताओ तो सही कि पिछले चार महीनो में यानी सितम्बर से दिसम्बर तक मे इस प्रयास में क्या कुछ प्रगति कर पाए? मूलचन्द ने संक्षिप्त रूप से बताया कि वह दो कार्य संभाले हुए था—एक तो प्रांतीय नेताओं से बराबर संपर्क रखने के लिए बार-बार उनके पास जाकर सूचनाओं का आदान-प्रदान करना क्योंकि पोस्टमास्टर की मिली भगत से कानून- विरुद्ध डाक का सेंसर होता है और दूसरा मघारामजी से बराबर मिलते रहना। इन चार महीनों में नेताओं से बार-बार मिलने का तो यह फायदा हुआ कि उनके वक्तव्य बीकानेर-सरकार की दमननीति पर आने शुरू हो गये जो अभी तक बराबर आ ही रहे है जिनसे जनमानस में जागृति के साथ ही साहस के आने में बहुत कुछ मदद मिल रही है और बीकानेर के परिषदी कार्यकर्ता यह महसूस करने लगे है कि हम लावारिस नही है क्योंकि राजपूताने की दूसरी रियासतों के नेता भी हमारे प्रश्न को अपना प्रश्न समझकर बराबर सहयोग दे रहे है और प्रेस का और खासतौर पर हिन्दी-प्रेस का तो बहुत प्रशंसनीय समर्थन और सहयोग मिला है जिसे घर में बैठकर आपको (मुझ दाऊदयाल को) नहीं बताया जा सकता। फिर सुझाव देते हुए मूलचद मुझ से पूछ बैठे कि मै कब तक घर में बैठा रहूँगा? मुझे कचहरी में जाकर रोजी-रोटी के लिए अपना अरजीनवीस का काम करना चाहिए और बाकी समय में पुस्तकालयों और वाचनालयों में जाकर सार्वजनिक हितचिंतन को बनाए रखने के लिए गत चार महीनी के अखबार देखकर हालात से वाकिफ होना चाहिए। बात बहुत पते की थी और मैं उनके सुझाव को मान गया पर बोला कि यह तो बताओ कि मघारामजी के बारे में कितना आगे बढ़े? इस पर मूलचन्द बोला कि अखबारों में प्रांतीय नेताओं के वक्तव्यों और राज्य सराकर की दमन नीति की निंदा से मघाराम भी प्रोत्साहित हुए हैं। काफी समय तक तो वे

(मघारामजी) मेरी बाते मात्र सुन लेते थे और उत्तर में कुछ नहीं बोलते थे पर अब वे, ऐसा लगता है कि मानस बना रहे है नेतृत्व संभालने का। पूरे दिसम्बर में मैं जब-जब उनसे मिला हूँ और इस बारे में बात करता रहा हूँ तब-तब वे चुप रहने के बजाय 'मूलिया तूं मनै मराइस क्या ?' ये कह बैठते हैं। इससे पोजिटिव रुख का संकेत स्पष्ट होता जा रहा है। अब 26 जनवरी सामने आ रही है और इस अवसर पर उनके आगे आकर कुछ घोषणा कर देने की मुझे पूरी-पूरी उम्मीद है।

लूणकरणसर में गोयल-परिवार की व्यथा-कथा

मैंने मूलचन्द से बाबूजी के बारे में जानकारी चाही तो वे कहने लगे कि मेरे तीन दिन के उनके साथ के निवासकाल में मुझे अच्छी तरह से पता चल गया कि अब मुझे क्या करना है पर उधर सी.आई.डी. ने यह रिपोर्ट कर दी कि गोयल प्रायः रेलगाड़ी के आने के समय स्टेशन पहुँच ही जाता है और प्रायः हर गाड़ी में उसकी जान-पहचान के लोग अक्सर मिल ही जाते हैं। वह आगन्तुको से गाड़ी के रवाना होने तक गुफ्त-गू करता नजर आता है। इस तरह उसका जन-सम्पर्क बराबर चालू है। गाड़ी के रवाना हो जाने के बाद वह स्थानीय पोस्ट-ऑफिस चला जाता है और बहुत सारे पोस्टकार्ड व लिफाफे खरीद कर अनेक चिट्ठियां डाक के डिब्बे में डालकर अपने निवास स्थान को चला जाता है। इस रिपोर्ट के पहुँचने पर डी.आई.जी. ने गृहमंत्री को रिपोर्ट की कि स्टेशन और पोस्ट-ऑफिस पर जाने की कोई मनाई न होने से वह बराबर जनसंपर्क बनाए हुए है इस पर विचार किया जाय। इस पर उत्तर मिला कि 26 अगस्त के आदेश में आई.जी.पी. द्वारा समय-समय पर लगाई जाने वाली शर्तो के अधीन ही उसे निवास करना है इसलिए ऐसी शर्ते अविलम्ब लगा दी जावें कि जिससे उसका यह जनसम्पर्क सभव ही न रह सके। चुनाँचें 31 अगस्त, 44 को गोयल पर एक नए और कड़े आदेश की तामील करा दी गई जिसमें लिखा था :—

'चूँकि महाराजा साहब की सरकार के नोटिस में यह लाया गया है कि रघुवरदयाल गोयल जिसको अपने निवास के लिए भारत रक्षा नियमो के नियम 26 (1) (डी) के अधीन लूणकरणसर कस्बे की सीमाओं तक ही रहने को प्रतिबंधित कर दिया गया था, उसने वहां निवास ग्रहण कर लेने के तुरन्त बाद इस नीयत से अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ जनसम्पर्क शुरू कर दिया है कि महाराजा की सरकार के खिलाफ घृणा व अवहेलना की वृत्तियां फैलाई जा सके और आम तौर पर ऐसे क्रिया-कलाप करने लगा है जिन्हें सरकार आपत्तिजनक मानती है। ऐसी सूचनाओं की तस्दीक कर लेने व उनके सही पाये जाने के बाद सरकार ने इन्सपेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को इस बात के लिए अधिकृत कर दिया है कि 'भारत-रक्षा-नियमो' के नियम 26(1) के क्लाज (ई) और (एच) के अन्तर्गत रघुवरदयाल गोयल पर ऐसी शर्ते लगा सकते है कि जिन्हें लगाना उचित और आवश्यक समझते है।'

उपरोक्त अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद आई जी.पी. ने निम्नलिखित पाबदियां लगा दी कि—

'उक्त रघुवरदयाल गोयल इस नोटिस की तामील होने के बाद सब प्रकार के पत्र, तार, रजिस्टर्ड अथवा बीमाकृत पत्र अथवा पारसलें लूणकरणसर के पुलिस ऑफिसर इन्चार्ज को विना वंद किये खुले रूप में सुपुर्द कर देगा जिन्हे वह अफसर आगे डाक मे डालेगा और (2) उक्त क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले गजेटेड अफसर की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना न तो वह रेलवे स्टेशन जायेगा और न पोस्टआफिस ही जायेगा।'

इस पावंदी के लगने के वाद गोयल का रेलवे स्टेशन और पोस्टआफिस पर जाना बद हो गया। इससे गोयल के सामने कार्ड-लिफाफे प्राप्त करने की समस्या पैदा हो गई। वे इस बात का इन्तजार करने लगे कि कोई व्यक्ति बीकानेर से मिलने उन के पास आवे तो यह काम उससे करा लें। इतने में उनके दो सुराणा भक्त मिलने आ गये। उनके नाम थे तोलाराम व भैराराम। ये दोनों वंधु बीकानेर में थोक पान-बिक्री का व्यवसाय करते थे और उसमे जब-जब कठिनाइयाँ पैदा होती तो दौड़कर गोयल से मार्ग दर्शन लेकर सरकार के रिश्वतखोर अमले से भिड़ पड़ते थे। गोयल के सम्पर्क से वे काफी दवग हो गये थे। गोयल के इस आपत्तिकाल मे उनके कुछ काम आ सकें इसी नीयत से लूणकरणसर आ पहुँचे। गोयल को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने लायक सेवा मांगी तो गोयल ने उनसे पूछा कि क्या वे निडर होकर उनकी सहायता करने की स्थिति में है? क्योकि उससे उनकी रोजी-रोटी के व्यवसाय पर भी अड़ंगेबाजी खड़ी करके सरकार उन्हें तग कर सकती है, तो उन्होने सीधे-साफ दिल से वता दिया कि जेल जाने की तैयारी की तो उनकी हिम्मत नहीं है और उससे वचकर वे हर प्रकार से उनकी और उनके घरवालो की बीकानेर में और यहां लूणकरणसर आकर सेवा करने की पूरी तैयारी मे है। इस पर गोयल ने उन्हें बीकानेर में उनके घर में जो गाय-वच्छी थी उनकी सेवा का जिम्मा सौप दिया जो उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके अलावा गोयल ने उन्हे पोस्ट ऑफिस से कार्ड-लिफाफे लाकर देने को कहा तो उन्होंने वताया कि रविवार के कारण उस दिन पोस्टऑफिस तो बंद था पर उन्होंने अपने अत्यन्त विश्वसनीय रिश्तेदार को, जो जाति के तातेड़ थे और वहा परचून का काम करते थे, लाकर मिला दिया जिसने उस दिन के वाद जव तक गोयलजी लूणकरणसर में नजरवंदी में रहे तव तक जी-जान से सेवा की और कार्ड-लिफाफे लाकर देने से लेकर घड़े में पानी भरने और वाजार से खाद्य-सामग्री आदि पहुँचाने का काम वड़े उत्साह से किया।

लूणकरणसर का कस्वा

सुराणा वधु तो मिल—भेट कर बीकानेर लौट गए पर जिस 'तातेड़-वंधु' से परिचय करा गए थे उस नौजवान ने मुस्तैदी के साथ गोयल की सेवा शुरू कर दी और दूसरे दिन पोस्टऑफिस खुलते ही लिफाफे-कार्ड ला दिये और पानी का घड़ा भर कर उनके पास रख दिया और आटा-दाल आदि लाकर दे दिए ताकि वावूजी आसानी से अपना भोजन वना लें। तहसील हेडक्वार्टर भले ही रहा हो पर रेगिस्तानी इलाके से घिरा हुआ यह कस्वा लूणकरणसर वड़े कस्वों में से नही था। यह कस्वा साँपो, बिच्छुओं,

पाड़ों और वांडियो जैसे विषधर जीवों की बहुतायत के लिए कुख्यात था, जैसे अनूपगढ़ बीकानेर रियासत का 'काला-पानी' के नाम से कुख्यात था। अब गोयल इन विषैले जन्तुओं के खतरों के बीच अपने एकाकी जीवन का स्वाद लेने को यहाँ पहुँचा दिये गये थे। ऐसे इस छोटे से कस्बे में एक वकील और सार्वजनिक नेता के अनुरूप निवास मिलना बहुत कठिन था और मिल भी जाय तो गोयल जैसे राज के कोप-भाजन प्राणी को कोई अपना अच्छा सा रहने लायक मकान देकर स्वयं को कोप-भाजन बनाना नहीं चाहता था। चुनाँचे एक टूटा-फूट्य पुराना मकान ही उनको किराये पर नसीब हुआ जिसका नीचे का स्थान रहने लायक न होने से दूसरी मंजिल पर स्थित एक कमरे मे निवास करना पड़ रहा था। वहां गोयल स्वयंपाकी बनकर 27 अगस्त से दिन काट रहे थे। साथी-संगी बनने की हिम्मत कौन करता ? हाँ तातेड़ की सेवाएं प्राप्त होने के बाद वह पट्ठा तो भोजन बनाने में भी हाथ बँटा देता था। उस साधारण किन्तु भावनापूर्ण व्यक्ति की तरफ किसी भी राजकर्मचारी का ध्यान नहीं जा पाया था क्योंकि वह कहीं बाहर से आया हुआ न होकर वहीं का निवासी था।

आई.जी.पी. साहब के 31 अगस्त के नए आदेश के बाद 2 सितम्बर, 44 को बाबूजी ने अपना पहला खुला पोस्टकार्ड वहां के पुलिस थानेदार को, डाक से भेजने के लिए सुपुर्द कर दिया और एक कागज पर पत्र संख्या 1 लिखकर उसकी प्राप्ति के लिए उसके हस्ताक्षर करा लिये और नीचे तारीख डलवा दी। यह पत्र उन्होंने अपनी धर्म-पत्नी मनोरमादेवी गोयल के नाम बीकानेर भेजा था जिसमे उन्हें कुछ समय के लिए छोटे बच्चों सहित लूणकरणसर आकर रहने के लिए लिखा गया था। चन्द्रकला और सावित्री दोनों बड़ी बच्चियाँ वनस्थली (जयपुर राज्य) मे पढ़ रही थीं और घर में गाय-बच्छी भी पाल रखी थी जिन्हें पीछे से संभालने वाला भी कोई नही था फिर भी तोलाराम-भैराराम सुराणा बंधुओं को गाय-बच्छी सम्भला कर बीबीजी 3 सितम्बर की रात को 12 बजे की ट्रेन से लूणकरणसर बच्चों को साथ लेकर पहुँच गई।

चर्खा संघ के मूलचन्द अग्रवाल

बाबूजी को उनके आ जाने से रोटी की बड़ी सहुलियत हो गई। सामान व पानी वगैरा तातेड़ बधु बाजार से ला ही देता था। पर बाबूजी को राजनीति के अलावा खादी-मंदिर और कस्तूरबा फंड, वाचनालय, व्यायामशाला आदि रचनात्मक कार्यो की भी चिता घेरे हुए थी क्योकि 16 फरवरी, 43 से 26 अगस्त, 44 के राजनैतिक संधिकाल अथवा विश्राम-काल में हम सभी ने बाबूजी के मार्गदर्शन मे रचनात्मक कार्यों में अपने आपको और साथियों को लगाए रखा था और ये रचनात्मक कार्य इन 18 महीनों में पनपते जा रहे थे। एकाएक हम तीनो की गिरफ्तारी से इन सभी कामों की प्रगति मे काफी बाधा आ गई थी और खादी-मदिर, जिसे गंगादासजी संभाले हुए थे, तो उनकी गिरफ्तारी के बाद बंद सा ही हो गया था। हम तीनो की गिरफ्तारी की खबरें जब अखबारो के माध्यम से बाहर के जगत को मिली तो प्रान्तीय चर्खा-संघ द्वारा मूलचन्द अग्रवाल को बीकानेर जानकारी लेने भेजा गया।

गृह विभाग की गोपनीय फाइल सन् 1944 संख्या 30 के अनुसार गृहमत्री को रिपोर्ट भेजी गई कि राजस्थान चर्खासघ, गोविन्दगढ़-मलिकपुर के एक सदस्य मूलचन्द अग्रवाल ने दिनाक 6 सितम्बर को जयपुर से आने वाली गाड़ी से बीकानेर मे पदार्पण किया है। उसमे यह भी रिपोर्ट की गई कि यह मूलचन्द वही शख्स है जो सन् 1942 मे तारीख 29 सितम्बर को रघुवरदयाल गोयल ने जव निर्वासन आज्ञा भंग करके वीकानेर मे प्रवेश किया था और गिरफ्तार हुआ था तव गोयल और उनकी पुत्री चन्द्रकला के साथ वीकानेर आया था और गोयल की गिरफ्तारी हो जाने से उनकी पुत्री चन्द्रकला को उनके घर पहुँचा कर लौट गया था। गृहमंत्री के द्वारा आगे जानकारी मांगने पर वताया गया कि वह मुख्य रूप से तो गंगादास (जो खादीमंदिर संभाले हुए था) की नजरवदी के फलस्वरूप जो स्थिति वनी है उसमें खादीमंदिर के वारे मे क्या कुछ किया जाय और खादीमंदिर के हिसाव-किताव को कैसे सुव्यवस्थित रखा जाय इसलिए ही यहा आया है पर साथ ही नजरबंदी के कारणो की जानकारी व्यक्तिगत रूप से प्राप्त कर प्रोपेगण्डा करने की नीयत भी दिखाई देती है। इसी फाइल मे आगे रिपोर्ट की गई है कि उक्त मूलचन्द अग्रवाल 7 सितम्बर की शाम को फुलेरा की ट्रेन से वापिस लौट गया किन्तु जाने से पहले रघुवरदयाल गोयल वकील के मोहर्रिर मूलचन्द पारीक को रावतमल पारीक की मार्फत खादीमंदिर सभालने की हिदायत दे गया है। इसी फाइल मे वाद मे यह रिपोर्ट की गई कि उक्त मूलचन्द अग्रवाल राजनैतिक और राज्य के खिलाफ प्रोपेगंडा करने की नीयत से वीकानेर आया था जैसा कि हिन्दी दैनिक 'हिन्दुस्तान' के 12 सितम्वर के पृष्ठ दो पर छपे लेख से सिद्ध होता है। इसमें आगे यह भी रिपोर्ट की गयी कि गोकुल भाई भट्ट के वीकानेर आने की प्रवल सभावना वताई जाती है।

वीकानेर नगर में मूलचन्द अग्रवाल के आगमन का तो लूणकरणसर में वैठे रघुवरदयाल को पता हो ही नहीं सकता था पर खादीमदिर के संस्थापक के नाते इस वारे मे अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए वे गंगादास का विकल्प ढूँढ़ने लगे थे।

गोयल ने 6 सितम्बर को दो पोस्टकार्ड थानेदारजी को सुपुर्द किये जिनमे से एक मूलचन्द पारीक के नाम लिखा गया था और दूसरा अपनी दोनों पुत्रियों के नाम वनस्थली भेजा जाना था। 6 सितम्बर के पत्र की पालना में मूलचन्द 8 सितम्बर को लूनकरणसर पहुँच गया था। गोयल वा-फंड की एकत्रित रकम भी समय पर यथा स्थान पहुँचाने की जिम्मेदारी को वहुत अधिक महसूस कर रहे थे। मूलचन्द ने आगे बताया कि पत्राचार के सिवाय गोयल अन्य कुछ कर भी क्या सकते थे? उनके पत्रों द्वारा किये गये प्रयत्नों में खादी-मंदिर और बा-फण्ड के वारे मे उनकी चिंता स्पष्ट झलकती है। जब कहीं से कोई उत्तर नही मिला तो उन्हें यह शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ हो कि पुलिस थानेदार ने ही मेरे पत्रों को डाक मे डाला ही न हो या आई.जी.पी. की कोई जबानी हिदायत हो। इसी दौरान आई.जी.पी. का एक पत्र मिला जिसमें उन्हें यह हिदायत दी गई थी कि वे अपने पत्रों में राजनैतिक मन्तव्य न लिखें। अतः गोयल ने आई.जी.पी. से अपनी शका निवारण करने के लिए 7 सितम्बर को निम्न पत्र लिखा :—

'यद्यपि आपकी आज्ञा (जिस पर कोई तारीख नहीं है) में ऐसी कोई रुकावट या पाबंदी नहीं है कि मैं माता कस्तूरबा स्मारक फण्ड या खादी मंदिर के विषय में किसी से पत्राचार नहीं करूं, और मेरी गिरफ्तारी के दिन 26 अगस्त को लाइन पुलिस में इस संबंध में हुई बातचीत में आपने ऐसा कहा भी था (कि गैर राजनैतिक बातो या कार्यवाहियों में कोई आपत्ति नहीं है) किन्तु फिर भी कोई आपत्ति अकारण न उठाई जा सके, अतः निवेदन है कि कृपया इस संबंध मे साफ-साफ आज्ञा दें। इसके साथ यह भी बताएं की क्या रियासत के उच्च अधिकारियों के नाम दिये गये पत्र भी खुले रूप में ही थानेदारजी को दिये जाने चाहिएं, अथवा बंद लिफाफे मे दिये जा सकते हैं? आज्ञा शीघ्र देने की कृपा करे। आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा में बड़ा आवश्यक पत्र व्यवहार रुका रहेगा क्योंकि 'बा-कोष' तथा खादीमंदिर के कार्य बड़े ही महत्वपूर्ण तथा जिम्मेदारी के हैं। और बा-फंड कोष का एकत्रित सारा धन और हिसाब-किताब लेने, समझाने और भेजने की काफी जल्दी है क्योंकि 2 अक्टूबर 1944 को देश के कर्णधार पूज्य बापूजी की वर्ष-गांठ पर तो यह थैली उन्हे भेंट ही की जाने को है। बा-कोष के विषय मे तारीख 10 अगस्त, 44 को वर्तमान प्राइम मिनिस्टर साहब द्वारा दी गई मुलाकात मे उन्होंने भी इस कोष में कुछ अपने नाम से देने को कहा था ताकि इस रियासत में चंदा इस रियासत के नाम और स्वरूप के अनुसार हो सके और यह रियासत दूसरी रियासतों से पीछे न रह जाये। 'बा-कोष' न तो किसी प्रकार से किसी मूवमेंट के बारे में है और न किसी इन्सटीट्यूशन (यानी संस्था) की 'एड' (सहायता) मे ही है। यह कोष भारत में एक सौ एक प्रमुख नागरिकों द्वारा (जिनमें बड़े-बड़े 'सर' की उपाधि प्राप्त लोग और रियासतो के दीवान तक शामिल है।) अपील किया जाकर इकट्ठा किया जा रहा है, जिसमें जयपुर रियासत के दीवान श्री सर मिर्जा इस्माइल ने पाँच सौ एक रुपया दिया भी है और ग्वालियर महारानी साहिबा ने दस हजार रुपये दिये है। अतः आशा करता हूँ कि आप शीघ्र ही इस बारे में आज्ञा प्रदान करेंगे।'

ता. 6 सितम्बर के इस पत्र के बावजूद, इसका उत्तर आने से पहले ही गोयल ने 8 सितम्बर की रात को 2 बजे बीकानेर जाने वाली ट्रेन से मूलचन्द के साथ अपनी पत्नी और तीनों बच्चो को बीकानेर के लिए रवाना कर दिया क्योंकि पत्नी का मन बीकानेर में अपने घर की गैर हाजरी के कारण पॉच दिन की गाय-बच्छी के लिए चिंतित हो उठा था हालाकि उनकी सार-सभाल का जिम्मा तोलाराम-भैरूराम सुराणा बंधुओं ने अपने पर ले रखा था। इधर रघुवरदयालजी भी आई जी पी. का कोई जवाब आवे तब तक, या नही भी आवे तो इन दोनों सूरतो मे बीबीजी की मारफत खादीमंदिर की सुव्यवस्था के लिए गोकुल भाई जैसे किसी खादी प्रेमी से सम्पर्क करने की हिदायत करके व्यवस्था को सुनिश्चित कर देना चाहते थे। इसलिए 8 सितम्बर को मूलचन्द को व पत्नी व बच्चो को रवाना करके कुछ निश्चिंत हुए।

आई.जी पी को पत्र दिए तीन दिन हो चुकने पर भी कोई उत्तर उनकी तरफ से नही आया। तब उन्होने 1 सितम्बर को सेक्रेटरी, वार-एसोसिएशन को एक पत्र लिखा

और (नजरवदी के वारे मे) कानूनी सलाह के लिए चाहा कि वे स्वयं आने की कृपा करें अथवा एसोसिएशन के किसी योग्य वकील को लूणकरणसर मिलने को भेजने का कष्ट करे। इसके साथ ही उन्होंने एक पोस्टकार्ड, थोड़ी हिम्मत और हौसला रखने वाले वकील सरदार निरजन सिह को भी प्रेषित कर के चाहा कि वे तो कम से कम एक वार गोयल से मिलकर जो कुछ कानूनी सहायता उन्हे दी जा सकती हो, वह देने का कष्ट करे।

गोयल इन पत्रो के उत्तर के इंतजार करते रहे पर किसी तरफ से कोई उत्तर या प्रतिक्रिया नही मिली। वकील वर्ग पर पीड़ित को कानूनी सहायता देने की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है तभी तो वे चोर, डाकुओं और हत्यारो तक की तरफ से न्याय पाने के लिए निडर होकर खड़े हो जाते हैं और इसे कभी बुरा नही माना जाता बल्कि उचित फीस मिलने पर भी वकील वनने से इन्कार करने वाले को हेय माना जाता है। मगर गोयल के मामले मे वीकानेर के वकीलो में से किसी ने भी मदद करना तो दूर रहा पत्र का जवाव तक देने की हिम्मत नही की और राजकीय दमननीति से आतंकित होकर चुप्पी साध ली।

तारीख 14 सितम्वर को गोयल को अपनी पत्नी का एक पत्र मिला जिसमे वताया गया था कि जव वे वावूजी के पास लूणकरणसर आई हुई थी तो पीछे से चर्खा सघ के श्री मूलचन्द अग्रवाल खादीमदिर की चिंता लेकर बीकानेर आए थे और रावतमल पारीक और मूलचन्द पारीक से खादीमंदिर की व्यवस्था के वारे मे कुछ बातचीत करके लौट गये हैं और 10 सितम्वर को मनोरमा देवी ने खादी प्रेमी सिरोही के नेता श्री गोकुल भाई भट्ट को खादीमंदिर के सिलसिले में वीकानेर आकर वीवीजी की मदद करने को लिख दिया है। इन समाचारों के साथ ही वीवीजी की तरफ से 9 सितम्वर को उनके वीकानेर पहुँचने पर राज की तरफ से जो दुर्व्यवहार और अपमान किया गया उसका हाल भी लिखा जिसे पढ़कर गोयल व्यथित हो गये।

गोयल की पत्नी को सरेआम अपमानित करने की घृणित हरकतें

गोयल अपनी पत्नी का 11 सितम्वर का पत्र पढ़ कर व्यथित हुए, यह मूलचन्द से जानकर मुझे कुछ अटपटा सा लगा क्योंकि मै उनको अपने दिलोदिमाग में लोह-पुरुष देश-भक्त मानकर चलता था इसलिए मैं समझ नही पाया कि ऐसा हमारा नेता पत्नी के एक पत्र से इतना व्यथित क्यों हो गया? क्या उस काल मे हम लोग कल्पना भी कर सकते थे कि गृहमंत्री ठा. प्रतापसिंह जैसे हृदयहीन शासक से इंसानियत के व्यवहार की अपेक्षा रखनी चाहिए थी? सादूलसिंह महाराजा तो उस काल में बस आज के राष्ट्रपति की तरह दर्शक मात्र रह गये मालूम होते थे और रियासत की वागडोर उस पूरविए डिस्पेच क्लर्क से गृहमंत्री वने ठा. प्रतापसिंह के ही हाथ मे आ चुकी थी। इस प्रश्न को मै किससे पूछता? चूकि गोयल की पत्नी और बच्चे मूलचन्द के साथ बीकानेर के लिए रवाना हुए थे इसलिए यह प्रश्न मैंने उन्ही से कर लिया। सारा किस्सा सविस्तार सुनाते

हुए वे बोले कि जब हम बीबीजी और उनके तीनों बच्चों के साथ प्लेटफार्म पर उतर कर तीसरे दर्जे के मुसाफिरों के फाटक के पास पहुँचे तो कस्टम विभाग के एक अधिकारी ने हमको बाहर निकलने से रोक कर पूछा कि बीबीजी के साथ जो बक्सा था उसमें क्या था। उसे वह खुलवा कर देखना चाहता था। मुझे यह अटपटा लगा क्योंकि कस्टम तो रियासत के बाहर से आने वाले मुसाफिरों के सामान पर ही लगता था, रियासत के अन्दर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले मुसाफिर से जगात कैसे माँगी जा सकती है ? मैंने उसको अपने टिकट बताकर कहा कि हम तो लूणकरणसर से आ रहे है इसलिए हमारी तलाशी क्यों और कैसे ले सकते हो ? जरा विचार तो करो। इस पर वह अकड़कर बोला कि क्या तुम नहीं जानते कि हम सब कुछ कर सकते है ? बीबीजी और बच्चियों के साथ होने से मैने झोड़ आगे बढ़ाना न चाहते हुए उससे इतना ही कहा कि मै भी कचहरी में ही काम करता हूँ और जानता हूँ कि जगात रियासत के बाहर से आने वाले मुसाफिरों से ही कानूनन वसूल की जा सकती है, अन्दरवालों से नही। पर मेरी दलील का कोई असर नहीं पड़ता देख मैने बक्सा खोल दिया। उसमें बीबीजी के और बच्चों के कपड़ों के सिवाय और क्या मिलना था ? जब बक्से में कुछ नहीं मिला तो उसने पैतरा बदल कर कहा कि हम तुम लोगों की जामा-तलाशी लेगे ? मैने उससे कहा कि तुम्हारे पास जामा-तलाशी लेने का कोई वारंट है ? तो उसने कुछ जवाब न देकर एक-दो कस्टम के कर्मचारियों को बुलाकर वह बच्चियों और बीबीजी की जामा-तलाशी लेने आगे बढ़ा। मैं एक बार तो किंकर्त्तव्यविमूढ़ हो गया कि यह सरासर अन्याय है और मैंने जोर से चिल्लाकर कहा कि बिना वारंट के ही जामा-तलाशी लेनी है तो एक महिला की जामा-तलाशी के लिए किसी महिला को ले आओ और पुरुष होकर महिला के शरीर के हाथ लगाओ, यह मेरे देखते तो होने नही दूँगा। बढ़ते हुए झोड़ को सुनकर मुसाफिरों का वहां मजमा इकट्ठा हो गया। उनमें से कुछ ने मेरा साथ भी दिया पर जामा-तलाशी लेने को उतारू उन लोगो पर कोई असर नहीं पड़ा। मैने घड़ी देखी तो दस बज चुके थे। मैने बीबीजी से कहा कि आप जरा डट जाओ किसी भी सूरत में तलाशी में इन्हें शरीर पर हाथ न लगाने देना अब दफ्तर खुल चुके है, मै अभी शिवबख्शजी कोचर, जो इनके सब से बड़े अफसर है, उनको शिकायत करता हूँ। नागरी भंडार के पास ही कस्टम व आबकारी महकमे का दफ्तर था। मै दौड़कर तीन मिनट में वहां पहुँच गया और शिवबख्शजी को सारा हाल सुनाया तो उस नेक अफसर ने गोयलजी के पत्नी व बच्चों के साथ ऐसे व्यवहार पर आश्चर्य प्रकट करते हुए तुरन्त अपना आदमी दौड़ाकर इस अन्याय को रुकवा दिया और तब कही जाकर हमारा पिंड छूटा। यह सारा हाल बताने के बाद मूलचन्द ने मुझ से प्रश्न किया कि बाबूजी की जगह कोई भी पति हो तो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ऐसा गैरकानूनी और पाशविक व्यवहार क्या अविचलित रहकर सह लेगा ? मेरी जिज्ञासा का अब समाधान हो गया था कि बाबूजी जैसा व्यक्ति क्यों व्यथित हो गया था। पर मैने मूलचन्द से आगे प्रश्न किया कि बाबूजी को बीबीजी के

पत्र से जव यह सारा हाल मालूम हुवा तो उन्होंने इसका कड़ा प्रतिकार तो किया ही होगा ? मूलचन्द वोला उन्होंने कैसा प्रतिकार किया इसको जानने के लिए आप वावूजी द्वारा 14 सितम्वर को आई.जी.पी. को लिखा गया पत्र पढ़ना जिसकी नकल मैं तुम्हें वावूजी के घर से लाकर दूँगा। वाद मे मूलचन्द ने वावूजी के स्वयं के हाथ से लिखी हुई पत्र की नकल लाकर मेरे हाथ मे थमा दी।

तीन दिन का उपवास

पत्र इस प्रकार था—'साथी (स्त्री) तथा वच्चों के साथ वीकानेर स्टेशन पर जो कुछ ता. 9 सितम्वर के प्रातः उनके वहाँ से पहुँचने के दिन हुआ उसका कुछ ब्यौरा साथी (स्त्री) के 11 सितम्वर के पत्र से, उस पत्र के आज यहाँ पहुँचने पर जान पड़ा। उस दिन के उनके साथ के व्यवहार को जव मै उनके साथ 3 सितम्वर की रात को यहाँ के स्टेशन पर किये व्यवहार तथा और दूसरी कई वातो के साथ मिला कर देखता हूँ तो यह विचार करने के लिए विवश होना पड़ता है कि इन सवके मूल में मेरे प्रति पहिले से वने हुए एक अविश्वास तथा शक की झलक है जो (अविश्वास) 26 अगस्त के पहिले अथवा वाद में मेरे किसी जाने, अनजाने व्यवहार के आधार पर वना है। ऐसी बातों में दूसरों की ओर न देखकर केवल अपनी ही ओर सतर्क दृष्टि से झांकना सत्य की शोध है उसी के फलस्वरूप पर्याप्त विचार-विमर्श के पश्चात् मै इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि आत्म-शोधन के लिए शनिवार ता. 17 सितम्वर के प्रातः काल सात वजे से पूरे तीन दिन का पूरा उपवास केवल जल लेकर करूं। संभवतः यह आत्म-शोध मेरे प्रति वने हुए अविश्वास को यदि पूरा नहीं तो कुछ अंशों मे कम करने मे सफल हुआ तो मुझे शांति मिलेगी।'

'मेरा विचार इस संबंध में आपको सूचना न देकर ही इसे प्रारम्भ कर देने का था, किन्तु फिर यह ध्यान में आते ही कि मैं यहां स्वतन्त्र नहीं हूँ (इसलिए) जिसके चार्ज में हूँ कम से कम उन्हें सूचना तो दे ही दूँ। अतः यह सूचना-पत्र वड़ी विनम्रतापूर्वक श्रीमान की सेवा में भेज रहा हूँ। आशा है कष्ट के लिए क्षमा करेंगे। विनीत, रघुवरदयाल गोयल, लूणकरणसर ता. 14-9-1944।'

यह पत्र और इसी के अनुसार की गई क्रिया गोयल के गाधीवादी सिद्धातो में जीवन्त विश्वास का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक राजनैतिक सत्याग्रही पर विपक्ष की तरफ से प्रहार पर प्रहार किया जा रहा है, उसे सारे नागरिक अधिकारों से वंचित करके ऐकान्तिक एवं एकांगी जीवन विताने को विवश किया जा रहा है, उसके स्त्री-वच्चों को राजधानी के रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर दिन-दहाड़े विना किसी महिला राजकर्मचारी की सहायता के, अदने पुरुष राजकर्मचारियों के हाथो बिना किसी लिखित आज्ञा या वारन्ट के व्यक्तिगत जामा-तलाशी के बहाने शारीरिक रूप से वेइज़्ज़त करने का प्रयत्न किया जा रहा है फिर भी सत्याग्रही उत्तेजित न होकर मानसिक हिंसा से भी वचकर आत्म-शोधन के लिए अहिंसात्मक शस्त्र को अपनाकर तीन दिन केवल पानी पर रह कर

विपक्षी में 'हृदय परिवर्तन' की अपेक्षा के साथ स्वयं को ही पीड़ित कर रहा है, यह है उस सत्याग्रही का गांधीवादी सिद्धांतों में दृढ़ विश्वास का एक सक्रिय नमूना।

और कड़ी पाबंदियाँ

पर इस पत्र से और उपवास के गांधीवादी शस्त्र से वे विपक्षी में 'हृदय परिवर्तन' के बजाय 'हृदय परिवर्धन' ही देख पाए और प्रशासन का अगला प्रहार था आई.जी.पी. का वह आज्ञा पत्र जिसके द्वारा सत्याग्रही पर और अधिक कड़ी पाबदियाँ लगाते हुए लिखा था 'मैं, बीकानेर का इन्सपेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मुझ को बीकानेर सरकार के आदेश सं. 2309/2864 दिनांक 26 अगस्त, 1944 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन तुम रघुवरदयाल पुत्र झम्मनलाल को एतद् द्वारा निर्देशित करता हूँ कि तुम अब से आगे आयन्दा निम्न पाबंदियों का पालन करोगे : — (1) तुम अपनी हलचलें लूणकरणसर कस्बे की सीमाओं के भीतर, जहां तुम्हें निवास करने के लिए आदेशित किया गया है, सीमित रखोगे और तत्स्थानीय राजपत्रित पुलिस अधिकारी की इस बारे में लिखित पूर्व अनुमति लिये बगैर किसी भी कारण से या बहाने से उपरोक्त सीमाओं का उल्लंघन नही करोगे। (2) तुम किसी औपचारिक या अनौपचारिक मीटिंग को करने या उसमें भाग लेने से बाज आओगे फिर चाहे वह मीटिंग किसी सगठन के नाम से अथवा अपनी स्वयं की इच्छा से ही क्यों न की गई हो और किसी पब्लिक संगठन का अपने आपको न सदस्य बनाओगे, न ऐसे सदस्य की हैसियत से कोई क्रिया करोगे और न उसकी तरफ से कोई पत्राचार करोगे। (3) तुम इस रियासत के शासक या सरकार या किसी अन्य रियासत के शासक या सरकार या ब्रिटिश शासक या सरकार के विरुद्ध कोई क्रिया-कलाप नहीं करोगे न इनके खिलाफ कोई भाषण दोगे, न रियासत के भीतर या रियासत के बाहर किसी ऐसे विषय पर पत्राचार करोगे जो इस रियासत या किसी अन्य रियासत या ब्रिटिश शासन से संबंध रखता हो। (4) तुम किसी जुलूस या प्रदर्शन में भाग नहीं लोगे, न नारे लगाओगे और न ऐसा कोई व्यवहार करोगे जिससे रियासत के खिलाफ असंतोष पैदा होता हो। (5) तुम रियासत के भीतर या बाहर, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकाशन के लिए किसी प्रेस को कोई लेख नही दोगे और न किसी ऐसे शख्स से मिलोगे जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रियासत के किसी भाग में चल रहे किसी आंदोलन से या सार्वजनिक सस्था से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ा हो, और न तुम अपने पेशे (वकालत) को इस प्रकार उपयोग मे लाओगे जिससे ऐसे आदोलनों आदि को सहायता मिलती हो और न इसके लिए चंदा इकट्ठा करोगे, न चंदा दोगे। (6) तुम कोई आग्नेयास्त्र (फायर आर्म) धारण नहीं करोगे न कोई अन्य अस्त्र-शस्त्र धारण करोगे जिससे किसी पर हमला किया जा सकता हो।

दीवान चद

I.G.P., 15-9-44

आई जी.पी. को आत्म-शुद्धि के निमित्त तीन दिन के उपवास की सूचना देने वाला पत्र बद लिफाफे में दिया गया था। उसी दिन पत्नी को प्रेषित खुला पोस्टकार्ड थानेदार को सुपुर्द किया था पर अबकी बार उसने इन दोनो की रसीद देने से इंकार कर

दिया। गोयल को यह बहुत अखरा कि पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी को बद लिफाफे मे पत्र देने की और पत्नी को खुला कार्ड देने की छूट तो स्वयं आई.जी.पी. ने, अपने 15 सितम्बर के कड़े आदेश में, दे रखी है फिर भी थानेदार डाक आगे भेजने के लिए प्राप्त पत्रो की रसीद न देवे इसका मतलब तो सीधा ही यह निकलता है कि उसके न पहुँचने की शिकायत करने पर प्रशासन मना भी कर सकता है कि ऐसे कोई पत्र 14 सितम्बर को उन्हें सुपुर्द किए गए है। अतः गोयल ने रसीद लेने का कागज बना रखा था उसमें नोट दर्ज किया कि दोनो की रसीद देने की प्रार्थना की गई पर दस्तखत देने मे इन्कार कर दिया गया। गोयल की आशंका एकदम खरी निकली क्योंकि आत्म-शोधनार्थ तीन दिन की भूख हड़ताल को प्रशासन रिकार्ड पर नहीं लाने देना चाहता था ताकि अखबारों में कही प्रचार करके गोयल दुनियां की सहानुभूति का पात्र न बन जाय, अत. इस पत्र की पहुँच या जवाब आई.जी.पी. की तरफ से कभी नही मिला और पत्नी के नाम भेजा हुआ पोस्ट कार्ड भी पत्नी को नहीं पहुँचाया गया। सात दिन तक इंतजार करने के बाद भी जब कही से कोई उत्तर नहीं मिला तो 20 सितम्बर को वकील साहबान पन्नालाल को व निरंजन सिंह को एक-एक खुला पोस्ट कार्ड भेजा। पर उनकी भी रसीद देने से इंकार कर दिया गया। एक हफ्ते बाद गोयल ने 26 सितम्बर को प्रधानमंत्री को एक बंद लिफाफे में पत्र भेजकर प्रशासन से इस कपटपूर्ण व्यवहार के प्रति अपना दुःख प्रगट करते हुए प्रार्थना की कि ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री उन्हें एक बार बीकानेर आकर मुलाकात करने का समय देने की कृपा करें। इस बंद लिफाफे की रसीद तो दे दी गई पर उस का उत्तर उन्हें कभी नहीं मिला।

शिवदयाल दवे द्वारा नजरबंदियों की गोपनीय जांच

इसी अर्से मे जोधपुर के नेता श्री जयनारायणजी व्यास-मंत्री, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के लेफ्टिनेन्ट श्री शिवदयाल दवे, नागौर निवासी का चुपचाप बीकानेर में पदार्पण हुआ। मूलचन्द पारीक के माध्यम से बीकानेर का जो हाल जयपुर और जोधपुर के प्रजामंडलो के नेताओं को अचानक की गई हम लोगों की नजरबंदी के बारे में मालूम हुआ तो वे सक्रिय हो गए और व्यासजी ने अ.भा. देशी राज्य लोक परिषद् के मंत्री होने के नाते तुरन्त ही उपरोक्त शिवदयाल दवे को बीकानेर पहुँचकर गोपनीय ढंग से यह मालूम करके रिपोर्ट करने को कहा कि जो महाराजा पिछले अठारह महीनों से सुधार करने के आश्वासन देते आ रहा था उसने अचानक सुधार के बजाय यह 'बिगाड़' यानी दमन का मार्ग कैसे अपना लिया और इस बदलाव के लिये किस पर अगुली उठाई जा सकती है। याद रहे कि ये शिवदयाल दवे वही व्यक्ति है जिसने सन् 1932 के चूरू-षड्यंत्र केस के चलते जेल में से समाचार भेजे थे और व्यासजी के माध्यम से सारी भारत भर की हिन्दी-अंग्रेजी प्रेस ने गंगासिंह के घोर दमन को उजागर कर महाराजा को जबरदस्त पीड़ा पहुँचाई थी।

दवेजी बीकानेर मे सितम्बर 1944 के तृतीय सप्ताह से जमे हुए थे और मौजूदा दमन-नीति व दमन कार्यो की विस्तृत जानकारी छुपे रहकर प्राप्त करने की

विपक्षी मे 'हृदय परिवर्तन' की अपेक्षा के साथ स्वयं को ही पीड़ित कर रहा है, यह है उस सत्याग्रही का गांधीवादी सिद्धांतों में दृढ़ विश्वास का एक सक्रिय नमूना।

और कड़ी पाबंदियाँ

पर इस पत्र से और उपवास के गांधीवादी शस्त्र से वे विपक्षी मे 'हृदय परिवर्तन' के बजाय 'हृदय परिवर्धन' ही देख पाए और प्रशासन का अगला प्रहार था आई.जी.पी. का वह आज्ञा पत्र जिसके द्वारा सत्याग्रही पर और अधिक कड़ी पाबंदियाँ लगाते हुए लिखा था 'मै, बीकानेर का इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मुझ को बीकानेर सरकार के आदेश सं. 2309/2864 दिनांक 26 अगस्त, 1944 द्वारा प्रदत्त शक्तियो के अधीन तुम रघुवरदयाल पुत्र झम्मनलाल को एतद् द्वारा निर्देशित करता हूँ कि तुम अब से आगे आयन्दा निम्न पाबंदियों का पालन करोगे : — (1) तुम अपनी हलचले लूणकरणसर कस्बे की सीमाओं के भीतर, जहां तुम्हें निवास करने के लिए आदेशित किया गया है, सीमित रखोगे और तत्स्थानीय राजपत्रित पुलिस अधिकारी की इस बारे में लिखित पूर्व अनुमति लिये बगैर किसी भी कारण से या बहाने से उपरोक्त सीमाओं का उल्लघन नही करोगे। (2) तुम किसी औपचारिक या अनौपचारिक मीटिंग को करने या उसमे भाग लेने से बाज आओगे फिर चाहे वह मीटिंग किसी संगठन के नाम से अथवा अपनी स्वयं की इच्छा से ही क्यों न की गई हो और किसी पब्लिक संगठन का अपने आपको न सदस्य बनाओगे, न ऐसे सदस्य की हैसियत से कोई क्रिया करोगे और न उसकी तरफ से कोई पत्राचार करोगे। (3) तुम इस रियासत के शासक या सरकार या किसी अन्य रियासत के शासक या सरकार या ब्रिटिश शासक या सरकार के विरुद्ध कोई क्रिया-कलाप नहीं करोगे न इनके खिलाफ कोई भाषण दोगे, न रियासत के भीतर या रियासत के बाहर किसी ऐसे विषय पर पत्राचार करोगे जो इस रियासत या किसी अन्य रियासत या ब्रिटिश शासन से संबध रखता हो। (4) तुम किसी जुलूस या प्रदर्शन में भाग नहीं लोगे, न नारे लगाओगे और न ऐसा कोई व्यवहार करोगे जिससे रियासत के खिलाफ असंतोष पैदा होता हो। (5) तुम रियासत के भीतर या बाहर, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकाशन के लिए किसी प्रेस को कोई लेख नहीं दोगे और न किसी ऐसे शख्स से मिलोगे जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रियासत के किसी भाग में चल रहे किसी आदोलन से या सार्वजनिक संस्था से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ा हो, और न तुम अपने पेशे (वकालत) को इस प्रकार उपयोग में लाओगे जिससे ऐसे आंदोलनो आदि को सहायता मिलती हो और न इसके लिए चदा इकट्ठा करोगे, न चंदा दोगे। (6) तुम कोई आग्नेयास्त्र (फायर आर्म) धारण नही करोगे न कोई अन्य अस्त्र-शस्त्र धारण करोगे जिससे किसी पर हमला किया जा सकता हो।

दीवान चंद

I G.P., 15-9-44

आई.जी.पी को आत्म-शुद्धि के निमित्त तीन दिन के उपवास की सूचना देने वाला पत्र बंद लिफाफे में दिया गया था। उसी दिन पत्नी को प्रेषित खुला पोस्टकार्ड थानेदार को सुपुर्द किया था पर अबकी बार उसने इन दोनो की रसीद देने से इकार कर

दिया। गोयल को यह बहुत अखरा कि पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी को बंद लिफाफे मे पत्र देने की और पत्नी को खुला कार्ड देने की छूट तो स्वय आई.जी.पी. ने, अपने 15 सितम्बर के कड़े आदेश में, दे रखी है फिर भी थानेदार डाक आगे भेजने के लिए प्राप्त पत्रो की रसीद न देवें इसका मतलब तो सीधा ही यह निकलता है कि उसके न पहुँचने की शिकायत करने पर प्रशासन मना भी कर सकता है कि ऐसे कोई पत्र 14 सितम्बर को उन्हें सुपुर्द किए गए है। अतः गोयल ने रसीद लेने का कागज बना रखा था उसमें नोट दर्ज किया कि दोनों की रसीद देने की प्रार्थना की गई पर दस्तखत देने में इन्कार कर दिया गया। गोयल की आशंका एकदम खरी निकली क्योंकि आत्म-शोधनार्थ तीन दिन की भूख हड़ताल को प्रशासन रिकार्ड पर नहीं लाने देना चाहता था ताकि अखबारों में कहीं प्रचार करके गोयल दुनियां की सहानुभूति का पात्र न बन जाय, अतः इस पत्र की पहुँच या जवाब आई.जी.पी. की तरफ से कभी नही मिला और पत्नी के नाम भेजा हुआ पोस्ट कार्ड भी पत्नी को नहीं पहुँचाया गया। सात दिन तक इंतजार करने के बाद भी जब कहीं से कोई उत्तर नहीं मिला तो 20 सितम्बर को वकील साहबान पन्नालाल को व निरंजन सिह को एक-एक खुला पोस्ट कार्ड भेजा। पर उनकी भी रसीद देने से इंकार कर दिया गया। एक हफ्ते बाद गोयल ने 26 सितम्बर को प्रधानमंत्री को एक बंद लिफाफे में पत्र भेजकर प्रशासन से इस कपटपूर्ण व्यवहार के प्रति अपना दु.ख प्रगट करते हुए प्रार्थना की कि ऐसी स्थिति मे प्रधानमंत्री उन्हें एक बार बीकानेर आकर मुलाकात करने का समय देने की कृपा करें। इस बंद लिफाफे की रसीद तो दे दी गई पर उस का उत्तर उन्हें कभी नहीं मिला।

शिवदयाल दवे द्वारा नजरबंदियों की गोपनीय जांच

इसी अर्से मे जोधपुर के नेता श्री जयनारायणजी व्यास-मंत्री, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के लेफ्टिनेन्ट श्री शिवदयाल दवे, नागौर निवासी का चुपचाप बीकानेर में पदार्पण हुआ। मूलचन्द पारीक के माध्यम से बीकानेर का जो हाल जयपुर और जोधपुर के प्रजामंडलो के नेताओं को अचानक की गई हम लोगों की नजरबंदी के बारे में मालूम हुआ तो वे सक्रिय हो गए और व्यासजी ने अ.भा. देशी राज्य लोक परिषद् के मंत्री होने के नाते तुरन्त ही उपरोक्त शिवदयाल दवे को बीकानेर पहुँचकर गोपनीय ढंग से यह मालूम करके रिपोर्ट करने को कहा कि जो महाराजा पिछले अठारह महीनों से सुधार करने के आश्वासन देते आ रहा था उसने अचानक सुधार के बजाय यह 'बिगाड़' यानी दमन का मार्ग कैसे अपना लिया और इस बदलाव के लिये किस पर अंगुली उठाई जा सकती है। याद रहे कि ये शिवदयाल दवे वही व्यक्ति है जिसने सन् 1932 के चूरू-षड्यंत्र केस के चलते जेल मे से समाचार भेजे थे और व्यासजी के माध्यम से सारी भारत भर की हिन्दी-अंग्रेजी प्रेस ने गंगासिह के घोर दमन को उजागर कर महाराजा को जबरदस्त पीड़ा पहुँचाई थी।

दवेजी बीकानेर में सितम्बर 1944 के तृतीय सप्ताह से जमे हुए थे और मौजूदा दमन-नीति व दमन कार्यों की विस्तृत जानकारी छुपे रहकर प्राप्त करने की

कोशिश करते रहे थे, किन्तु जाहिरा तौर पर खबरें प्राप्त करने के लिए उनके पास बहाना नहीं सूझ रहा था। पहले की तरह किसी गंगादास रूपी स्थानीय सूत्र को नहीं पकड़ पा रहे थे। दवेजी ने व्यासजी को अपनी कठिनाई हल करने को लिखा और व्यासजी ने जोधपुर से निकलने वाले 'प्रजा सेवक' के संपादक श्री अचलेश्वरप्रसाद शर्मा के जिम्मे यह काम डाल दिया। तब से दवेजी पत्रकार के रूप में प्रजा सेवक के संवाददाता बनकर खबरें भेजने लगे किन्तु सरकारी अफसरों से बिना किसी प्रेस-ऑथॉरिटी के भेंट करना कठिन हो रहा था अतः अचलेश्वर प्रसादजी को प्रेस-ऑथॉरिटी भेजने को लिखा।

यह प्रेस ऑथॉरिटी का पत्र शर्माजी ने एक लिफाफे में बंद करके ईश्वरदयाल वकील के नाम डाक से भेजा जो यहां 1 अक्टूबर को पहुँचा। दुर्भाग्य से बीकानेर प्रशासन की जनरल पोस्ट ऑफिस के हैडपोस्टमास्टर से गुप्त रूप से बिठाई हुई तिकड़म के फलस्वरूप यह पत्र ईश्वरदयाल वकील को कभी डिलीवर न किया जाकर बीकानेर के प्रशासन को सौंप दिया गया। उसमें प्रजा सेवक के संपादक द्वारा रखे हुए दो पत्र सरकार के हाथ लग गए जिसमें से एक तो शिवदयाल दवे के नाम प्रेस ऑथॉरिटी का पत्र था और दूसरा दवेजी को स्वयं को लिखा गया पत्र था जिसमें शर्माजी ने लिखा था 'प्रिय दवेजी, तुमने जिस फुर्ती से काम किया है उसके लिए तुम धन्यवाद के पात्र हो। तुम्हें हड़बड़ी से काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम सारे तथ्य विस्तृत रूप से मालूम करके और आइन्दा के लिए व्यवस्था कर के ही लौटना। बेशक तुम्हें यह स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं है कि अपनी जाँच से जो कुछ जानकारियाँ मिलें उसकी रिपोर्ट की एक प्रति व्यासजी को भी सीधे भेजते रहना है। इस समय व्यासजी, मथुरादासजी और तात साहब को लेकर रामगढ़ गए हुए है। मै इसी लिफाफे मे तुम्हारे नाम की प्रेस ऑथॉरिटी का पत्र भेज रहा हूँ, जिसका उपयोग किसी से भेंट-वार्ता करने के लिए जब आवश्यक लगे तब कर लेना। और हाँ, ललताप्रसादजी, ईश्वरदयालजी और अन्य सभी परिचितों से मेरा वंदे कहना और समय-समय पर रिपोर्ट भेजते रहना। शेष कुशल। 'प्रजा सेवक' 3 या 4 अक्टूबर से एक हफ्ते के स्थगन के बाद पुनः चालू होने जा रहा है।

ह. ए.पी. शर्मा

इस पत्र का सरकार के हाथ पड़ जाना काफी हानिकारक सिद्ध हुआ क्योंकि इस पत्र के अंत मे ललताप्रसाद (निर्वासित जन नेता मुक्ताप्रसाद के सगे भाई) और ईश्वरदयाल वकील के नामो का उल्लेख था। शिवदयाल दवे के नाम उक्त लिफाफे में मिले इस पत्र के आधार पर आई.जी.पी. ने पूरी जाँच पड़ताल के बाद गृहमंत्री को जो रिपोर्ट भेजी उसमें लिखा, 'जोधपुर से निकलने वाले हिन्दी साप्ताहिक पत्र 'प्रजा सेवक' (जो फिलहाल प्रकाशित नही हो रहा है) के संपादक का पूरा नाम अचलेश्वर प्रसाद शर्मा है जो जोधपुर रियासत के अग्रणी राजनैतिक कार्यकर्ताओं में से एक है। जोधपुर की पुलिस द्वारा इसे अन्तिम बार 29 मई सन् 1942 को मारवाड़ राजद्रोह एक्ट 1909 की धारा 10 ए

डागा, सेठ नरसिंहदास डागा, सेठ बद्रीप्रसाद डागा और सेठ रामगोपाल मोहता। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री ने सेठ-साहूकारों को संबोधित करने के लिए विशेष रूप से बुलाई गई अपनी 6 अक्टूबर की मीटिंग में इन्कमटेक्स और राशनिंग के बारे में वकालत करते हुए *आंदोलनकारियों को चंदा-विट्ठा द्वारा परोक्ष सहायता पहुँचाने की कोशिश या कल्पना* मात्र करने वालो के खिलाफ प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाने मे बिल्कुल हिचकिचाहट न करने की नीति का एलान कर दिया था।

उधर लूणकरणसर से गोयल ने मनीआर्डर द्वारा मैनेजर 'हिन्दुस्तान टाइम्स' नई दिल्ली के नाम पैसे भेजकर अखबार लूणकरणसर के पते पर मंगवाना शुरू किया था मगर वह कुछ दिन तो आया और फिर अचानक आना बंद हो गया। गोयल ने अंदाजा लगाया कि हो न हो ये न पहुँचने वाले अखबार प्रशासन ने हथिया लिये होंगे और आई.जी.पी. के ऑफिस में पड़े होगे। इसलिए 12 अक्टूबर को आई.जी.पी. को पत्र लिखकर प्रार्थना की कि ये अखबार उनके कार्यालय में कहीं पड़े होंगे और वास्तव मे पड़े हों तो भिजवाने की कृपा करें और अगर रोक रखे हों तो वैसे वता दें कि मुझे नहीं मँगाने चाहिएं ताकि मेरा मनीआर्डर से भेजा हुआ पैसा व्यर्थ न जावे। मगर इसका कभी कोई जवाव नहीं मिला।

मुक्ता प्रसाद के भाई ललताप्रसाद

गृहमंत्री ने प्रधानमंत्री को सूचित किया कि सन् 1936 मे निर्वासित मुक्ता प्रसाद के भाई ललताप्रसाद वकील पर राजनैतिक मनोवृत्ति का होने का संदेह चला आ रहा था इसलिए उस पर बारीकी से निगाह रखी जा रही थी। इससे उसकी वकालत पर काफी बुरा असर पड़ा और उसने मेरे पास आकर कहा कि वह न तो राजनीति में भाग या दिलचस्पी लेता रहा है और न भविष्य में लेगा क्योंकि उस पर सी.आई.डी. और पुलिस ने निरन्तर घेरा डाल रखा है इसलिए उसकी जिंदगी नारकीय बन गई है। अब उसने वचन दिया है कि वह राजनीति से बिल्कुल अछूता रहना चाहता है उसके वचनों पर विश्वास करके उस पर का घेरा उठा लेने की कृपा की जावे। उसने यह भी बता दिया कि नागौर वाले शिवदयाल दवे ने उसके निर्वासित भाई मुक्ताप्रसाद का फोटो मांगा था पर उसने साफ शब्दों मे इकार कर दिया। उसने यह भी बताया कि रघुवरदयाल आदि के बारे में अधिकतर सूचनाएं और ब्यौरे शिवदयाल दवे को ईश्वरदयाल वकील ही मुहैया कराता रहता है। ललताप्रसाद के रूप में हमें एक नया इनफार्मर (भेद देन वाला) प्राप्त हो रहा है। इसलिए उसके शब्दो पर विश्वास करके उस पर रखी जाने वाली निगरानी तुरन्त बंद कर देनी चाहिए। इसके बाद इस गोपनीय फाइल को दाखल दफ्तर कर दिया गया।

गोयल का पूरा कुटुम्ब लूणकरणसर में

स्टेशन पर जो पत्नी का अपमान किया गया था उससे गोयल ने सोचा कि अब पत्नी और बच्चों को बीकानेर में रखने के बजाय लूणकरणसर मे अपने पास ही रख लेना

चाहिए। इसमें गाय-बच्छी को संभालने की समस्या आडी आती थी इसलिए पत्नी-बच्चों के साथ गाय-बच्छी को भी लूणकरणसर मंगवाकर गौ-सेवा का जिम्मा खुद अपने पर ले लिया। नवम्बर में ही पत्नी के बच्चा होने जा रहा था इसलिए उन्हें फिर वापिस बीकानेर भेजना पड़ा। इस अवसर पर उन्होंने 16 नवम्बर को आई.जी. को एक पत्र देकर लिखा 'घर मे निकट भविष्य मे प्रसव (डिलीवरी) होने वाली है। ऐसे कठिन समय में उनकी घर की तथा बच्चों की सार-संभाल करने वाला घर पर कोई नहीं है, इतने समय के लिए मुझे बीकानेर जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए—बड़ा आभार होगा' मगर कोई जवाब नहीं मिला। पत्रों द्वारा जो भी प्रार्थना की जाती रही उनका किसी का भी जवाब प्रशासन की ओर से कभी नहीं दिया गया, मानो सारी प्रार्थनाओं के पत्र प्रशासन को न भेजकर सीधे ही किसी कुए में डाले जा रहे थे। आखिर अपनी एक बच्ची को पत्र लिखकर वनस्थली से बुला कर जैसे-तैसे डिलीवरी की व्यवस्था की। इस कार्य में गोयल की एक बहन ने आकर इस समय घर को संभाला।

सर्दी का पूरा मौसम इधर लूणकरणसर में गोयल ने और उधर बीकानेर में उनकी पत्नी ने नवजात शिशु और अन्य छोटे बच्चों के साथ बड़ी कठिनाइयो से जैसे-तैसे गुजारा और गर्मी का मौसम आने पर वनस्थली से बड़ी लड़की चन्द्रकला को इम्तिहान के बाद बीकानेर बुलाकर के फिर सारे कुटम्ब ने गाय-बच्छी सहित लूणकरणसर में दुख-सुख का समय साथ रहकर ही काटने का निश्चय किया।

गोयल-गंगादास-दाऊदयाल के त्रिभुज में से एक भुज दाऊदयाल के टूट जाने पर भी बाकी दो भुज जैसे के तैसे जुड़े और डटे चले आ रहे हैं, इसकी गोयल के पत्रों से व मूलचन्द द्वारा बताई गई अंदरूनी सूचनाओं से सही जानकारी पाकर मेरी आत्मग्लानि काफी कुछ कम हो गई क्योकि अब मुझे विश्वास होने लगा था कि प्रजा-परिषद् के संस्थापक इन दोनो वीरों की मजबूत धुरी पर देश की आजादी के लिए संघर्षरत यह बीकानेरी संग्राम-रथ मघाराम व उसके साथियों का अपेक्षित सहयोग पाकर एक न एक दिन अपने गतव्य स्थान पर पहुँच ही जायेगा और बीकानेर का राठौड़ी जुल्मी-दमन देश के स्वतन्त्रता संग्राम मे बीकानेर के योगदान को अब रोक नहीं पाएगा।

प्रशासन की झूठ का नेताओं द्वारा पर्दाफाश

मूलचन्द के सुझाव के अनुसार मैं आजीविका के लिए कचहरी जाने लगा और बाकी बचे हुए सारे समय में कचहरी के निकट स्थित स्टेट लाईब्रेरी और कोटगेट स्थित [illegible] गुण प्रकाशक सज्जनालय में जाकर हमारी गिरफ्तारी के बाद के सितम्बर से दिसम्बर [illegible] के चार महीनो के अखबारों की फाइलें निकलवाकर बड़ी उत्सुकता से यह [illegible] कोशिश मे लगा रहता कि इन चार महीनों में बीकानेर की पड़ोसी रियासतों [illegible] और जन-संगठनो ने भी हमारी कोई सुध ली या नहीं। अखबारों की इन [illegible] को देख-पढ़कर मुझे यकीन हो गया कि चाहे बीकानेर राज्य में हमारे लिए [illegible] की भले ही कोई हिम्मत न जुटा पाया हो पर हमारी तरफ से [illegible]

रियासतों के संगठनों ने और नेताओं ने हमारा पक्ष संसार के समक्ष बखूबी रखा और राज्य की दमन-नीति और मनमाने प्रोपेगंडा की खूब जमकर खिंचाई की।

बीकानेर रियासत से बिल्कुल चिपती हुई रियासत जोधपुर के नेता और अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद् के मंत्री होने के नाते श्री जयनारायण व्यास ने मूलचन्द द्वारा बताए गए बीकानेरी दमन के सारे तथ्यों को बारीकी से जान-समझकर और उन तथ्यों का सत्यापन अपने निजी स्तर पर नागौर के शिवदयाल दवे द्वारा एकत्रित सामग्री का विस्तार से अध्ययन करने के बाद कर, बाह्य जगत को वास्तविक तथ्यों से अवगत कराने के लिए 26 अक्टूबर, 1944 के 'प्रजा सेवक' अखबार में 'बीकानेर का दमन—सही हाल' शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया जिसके कुछ अंश इस प्रकार हैं :—

'तारीख 26 अक्टूबर को 'बीकानेरी दमन-विरोधी दिवस' मनाया जा रहा है। देश भर का कर्त्तव्य है कि वह इस दमन के विरुद्ध अपनी आवाज बुलन्द करे। परन्तु बीकानेर सरकार की तरफ से अभी से प्रचार कार्य शुरू हो गया है, जिसमें दमन के कारण दूसरे बताये गये हैं। सरकारी-विज्ञप्ति मे कहा गया है कि इन लोगों ने यानी बा. रघुवरदयालजी, गंगादासजी व दाऊदयालजी ने लिखित शर्तनामे के विरुद्ध कार्यवाही की है अतः उन्हें गिरफ्तार करके नजरबंद किया गया...ऐसी अवस्था में यह जरूरी मालूम होता है कि वास्तविक बातों को प्रकाश में लाया जाय।

सरकारी विज्ञप्ति में बीकानेर सरकार ने जिसे शर्तनामा और कहीं-कहीं जिसे माफीनामा कहा है वह है क्या ? उसकी शुरूआत कैसे हुई ? उसका अर्थ क्या है ? इसके बारे में उक्त तीनों महानुभावो के नीचे लिखे शब्द जो महाराजा साहब को लिखे थे, पर्याप्त प्रकाश डालेगे 'तारीख 16 फरवरी, 1943 को सवेरे करीब 9 बजे हम सबको बीकानेर सेन्ट्रल जेल में जसवंतसिहजी जनरल मिनिस्टर की मार्फत श्रीमान् की ओर से एक विशेष सन्देश भेजा गया। हमने उस समय उनसे बातचीत के दौरान यह स्पष्ट कर दिया था कि नागरिक स्वाधीनता एवं जनसंगठन, जिनकी प्राप्ति का प्रयत्न करते हुए हमें इस चारदीवारी में रखा गया है, उनकी प्राप्ति के बिना और उनके अभाव में हमारे लिए अदर और बाहर एक समान है—श्री जसवंतसिहजी की ओर से यह कहा गया कि यह ध्यान मे रखा जाना चाहिए कि उस समय तक हम लोगों के साथ जो कुछ किया गया था वह तो बीकानेर गवर्नमेंट की ओर से किया जा रहा था किन्तु इस समय तो हमें बीकानेर गर्वनमेंट से कोई वास्ता न होकर स्वयं श्रीमान् (महाराजा साहब) की ओर से संदेश भेजा जा रहा है और ऐसी अवस्था में उसकी पूर्ति मे आगे बढ़ने को श्रीमान् की पर्सनल प्रेस्टीज (व्यक्तिगत सम्मान) को ध्यान मे रखकर और खास तौर पर ऐसी सूरत में जबकि श्रीमान् अपने स्वर्गीय पिता की नीति से भिन्न नीति पर राजगद्दी पर बैठते ही चलने को उत्सुक है, हमारी ओर से कोई ऐसे आधार (बेसिस) का दिया जाना आवश्यक है जिसके सहारे आगे की ओर कदम बढ़ाया जा सके, हम लोगो की तरफ से ऐसी कोई बेसिस न बनाई जाने पर श्रीमान् यह समझेगे कि उनकी ओर से भेजी गई सद्भावना को ठुकराया गया है और इसके लिए श्रीमान् को बड़ा दुख होगा।' इस 'आधार' के तौर

पर, जिस पर आगे समझौते की बुनियाद कायम की जा सके, एक पत्र लिखवाया जिसकी नकल जेल मे रखी नही जा सकी पर जो प्रायः इस प्रकार था :—'मानव भूलों से भरा हुआ है। विपक्ष की तरह हमसे भी भूलें हुई होंगी। अगर कोई भूल हम से हुई हो तो उसके लिए दुख प्रकट करने में हमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती। भविष्य में जिस मार्ग को श्रीमान् अनुचित समझें वह मार्ग अनुकरणीय नहीं होगा। ता. 16-2-44 ई. दस्तखत रघुवरदयाल गोयल, गंगादास कौशिक व दाऊदयाल आचार्य।' इस लेख मे व्यासजी आगे प्रश्न खड़ा करते है कि उपरोक्त लिखित में अनुचित क्या था? जिन महाराजा ने 2 फरवरी को ही अधिकारियो को संबोधित करके जनता के हितों की रक्षा के लिए यह कहा था कि—'जनता के साथ निकट और सीधे सम्बन्ध स्थापित करने से ही शासन का निर्जीव मशीनपन मिट सकता है—तुम्हें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सरकार जनता की भलाई के लिए कायम है आदि-आदि' उनसे यह आशा करना तो वेजा होगा कि वे 'जन संगठन' जन सेवा और जनसंपर्क के काम को ही अनुचित समझें। बेशक, महाराजा साहव जनसंगठन के विरोधी नहीं थे पर संस्था का नाम कुछ ऐसा चाहते थे जिसे आपत्तिजनक न समझा जाय। अगले वर्ष 13 अगस्त को जो मुलाकात श्री रघुवरदयालजी की प्रधानमंत्री से हुई थी उसमें यह तय पाया था कि बीकानेरी जनसंगठन का नाम 'प्रजामंडल' 'लोकपरिषद' आदि न होकर, 'सार्वजनिक सभा' रखा जाय पर बाद मे होम मिनिस्टर के संगठन विरोधी होने के कारण ही कस्तूरवा फंड मे बाधा डाली गई और ये गिरफ्तारियां हुई जिससे सरकार इंकार कर रही है। खैर इन कागजात के प्रकाशित होने के वाद हम सरकार से नीचे लिखे सवाल करते हैं :

1. इन लोगों का वह कौनसा अनुचित कार्य था जिसके लिए आपने दमन नीति अख्तियार की?
2. क्या महाराजा साहव प्रजा संस्थाएं बनाने के विरोधी हैं?
3. कस्तूरवा-फंड के सिलसिले के अलावा इन गिरफ्तारियों के समय दूसरी कौनसी सार्वजनिक प्रवृत्तियो का सिलसिला चालू था?
4. इन लोगो ने शर्तनामे को किस बात से तोड़ा, अगर उक्त मजमून के भाव को कोई शर्तनामा भी मान लिया जाय?

हमारे ख्याल से सरकार के पास सिवाय चुप्पी के इन प्रश्नो का कोई उत्तर नही है। एक मात्र उत्तर जो दमन के संबंध मे दिया जा सकता है वह यही हो सकता है कि 'नए होम मिनिस्टर की मर्जी।'

कस्तूरवा-फंड की मीटिंग के वाद श्री रघुवरदयालजी ने प्रधानमंत्री पणिकर महोदय से कई मुलाकातें प्राप्त की। इन मुलाकातों मे आखरी मुलाकात 19-8-44 को हुई थी जिसमें दीवान महोदय ने ही यह वाजिव समझा कि रघुवरदयालजी महाराज साहव से मुलाकात लें। महाराजा के प्राईवेट सेक्रेटरी ने 25-8-44 को श्री रघुवरदयालजी को यो लिखा था--

'दीवान साहब की मार्फत 19-8-44 को भेजी हुई प्रार्थना पर महाराजा साहब ने मेहरबानी करके 26-8-44 को सुबह 10 बजे लालगढ़ में आपको मुलाकात देना मंजूर किया है। अतः आप उस समय उपस्थित हो जाना।'

ध्यान रहे कि रघुवरदयालजी ने कोई प्रार्थना नही की थी। खैर फिर भी वे मुलाकात के लिए रवाना हो गये और वापिस आ ही नही सके। वे उसी दिन गिरफ्तार कर लिये गये। इन प्रमाणो के होते हुए कोई भी समझ सकता है कि यह एकदम गिरफ्तार होना जब दीवान इन्हें निर्दोष समझते है और महाराजा देते हैं मुलाकात—अनुभवहीन होम मिनिस्टर महोदय की ही अदूरदर्शिता का परिणाम है। जनता को चाहिए कि इस दमन का जबरदस्त विरोध करे।'

जयनारायण व्यास के इस लेख ने बीकानेर-प्रशासन के उन आरोपो की पोल खोल दी जिनमें हम लोगों पर आश्वासनो को भंग करने अथवा माफी मांग कर रिहाई हासिल करने का झूठा इल्जाम लगाया जा रहा था। दिल्ली से प्रकाशित 'दैनिक 'विश्वामित्र' के संपादक श्री सत्यदेव विद्यालंकार ने अपने अग्रलेख में बीकानेरी दमन-नीति की निंदा करते हुए लिखा—

'जब तक बीकानेर के अधिकारी खुली अदालत मे मामला चलाकर यह न बतावें कि बीकानेर के इन कार्यकर्ताओं ने ऐसा क्या किया था जिसके कारण उन्हे अचानक गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया गया, तब तक बीकानेर की जनता को ही नहीं अन्य देशवासियों की दृष्टि में भी बीकानेर के ये कार्यकर्ता रियासत की अंधेरगर्दी के ही शिकार समझे जावेंगे। हमें दुख है कि बीकानेर के महाराजा ने कुछ ऐसे व्यक्तियों को उत्तरदायित्व के स्थान पर रख छोड़ा है जो अपने पद के सर्वथा अयोग्य है और जो अपने कार्य से बीकानेर के शासन को कलंकित कर रहे है और जिनके स्वेच्छाचार से नागरिक स्वतन्त्रता त्राहि-त्राहि कर रही है।'

व्यासजी के उपरोक्त लेख से जिसमे उन्होंने नजरबदों द्वारा यह स्पष्ट कर दिये जाने का उल्लेख किया था कि नागरिक स्वाधीनता और जन संगठन जिन की प्राप्ति का प्रयत्न करते हुए हमे इस चार-दीवारी में रखा गया है उनकी प्राप्ति के बिना और उनके अभाव में हमारे लिए जेल के अन्दर रहना या बाहर आ जाना दोनो एक समान हैं, इससे सरकार भौचक्की रह गई क्योंकि सरकार को यह कल्पना ही नहीं थी कि इन तीनों को नजरबंद करके इनका जनसम्पर्क पूरी तरह तोड़ देने के बाद भी सारे तथ्य बाहर की दुनियां को कभी प्राप्त हो पावेंगे। उन्हें इस बात का बड़ा अफसोस रहा कि इतनी सारी सख्ती के बावजूद ये तथ्य कैसे व्यासजी तक पहुँच गए। मूलचन्द ने और शिवदयाल दवे ने जोखिम उठाकर भी जो कमाल दिखाया उससे गंगादास द्वारा जेल से सवाद-प्रेषण जैसा ही कुछ हो पाया था। अब सरकार के पास कोई उत्तर नही रहा तो उसने हड़बड़ाकर 6 नवम्बर को एक खडन की विज्ञप्ति निकाल कर व्यासजी की तमाम बातो को गलत और मनगढ़न्त बताते हुए यह भी लिख दिया कि 'नागरिक स्वतन्त्रता और जन

संगठन के अभाव मे तो हमारे जेल मे बंदी रहना या जेल से बाहर खुला रहना एक जैसा ही होगा' इस आशय का कोई पत्र महाराजा को या सरकार को कभी मिला ही नही इसलिए गलत आधार पर सारी कहानी व्यासजी ने प्रकाशित की है। हड़वड़ाहट मे निकाली गई इस विज्ञप्ति पर 'प्रजा सेवक' ने अपने 15 नवम्बर के अंक मे लिखा कि सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार बीकानेर सरकार को ऐसा कोई पत्र नहीं मिला, पर मान लो कि प्रधानमंत्री की फाइलों में या लालगढ़ पैलेस की किसी फाइल मे इस आशय का पत्र मिल भी जावे तो पणिकर साहव क्या करेगे? क्या इससे बीकानेरियो को फौरन से पेश्तर नागरिक आजादी के लड्डू मिल जावेगे? और तत्पश्चात क्या इन तीनो देश-भक्तो को नजरबंदी कैम्पों से रिहा कर दिया जावेगा?

इस विषय पर दैनिक विश्वामित्र ने 'बीकानेर दमन विरोधी दिवस' इस शीर्षक के अन्तर्गत लिखा कि 'सीकर जिला राजनीतिक सम्मेलन का यह प्रस्ताव अभिनन्दनीय है कि जिसमें राजस्थान कार्यकर्ता संघ का व्यापक संगठन करने का निश्चय किया गया है और जिसके सिलसिले में आगामी 18-19-20 नवम्बर को अलवर मे कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होने जा रहा है जिसमें रियासतो की निरंकुशता पर गभीरता से विचार होने को है। इस रियासती निरंकुशता का एक नया उदाहरण बीकानेर मे घटित हुआ है और उसके सिलसिले में रामगढ़-सम्मेलन में एकत्र रियासती कार्यकर्ताओं ने यह निश्चय किया है कि 26 अक्टूवर को 'बीकानेर दमन विरोधी दिवस' मनाया जाय और उस दिन श्री रघुवरदयाल गोयल, श्री गंगादास कौशिक और श्री दाऊदयाल आचार्य की गिरफ्तारी का प्रतिवाद किया जाय।'

मेरे इन तीन-चार महीनों के नजरबंदी काल में मेरी पीठ पीछे क्या-क्या हुवा इसकी जानकारी उस काल के अखबारों से ही मिल सकती थी इसलिए मैने नित्यप्रति नियमित रूप से वाचनालयों मे जाकर यह अध्ययन चालू रखा ताकि तत्कालीन नई घटनाओं को उनके पुराने संदर्भ से जोड़ कर ठीक से समझ सकूं। हालाकि मेरी तत्समय राजनीति में पुन सक्रिय होने की न तो मनःस्थिति थी और न हिम्मत, पर इस कहावत के अनुसार कि 'चोर चोरी से गया तो क्या हेराफेरी से भी गया', मै मानसिक रूप से राजनीति को कभी नही छोड़ पाया।

जनसेवी डा. धनपत पर प्रतिबंध

एक दिन मैने 26 नवम्बर के विश्वामित्र दैनिक मे 'बीकानेर नागरिक हितो पर आघात' शीर्षक से बीकानेर निवासी सेठ शिवदास डागा का वक्तव्य देखा। बीकानेर का वनिया-वर्ग निरंकुश व स्वेच्छाचारी क्रूर राठौड़ी शासन की नाराजगी से वचने के प्रयत्न सावधानी से करता रहता था पर ये डागाजी उसमें अपवाद सिद्ध हो रहे थे। वक्तव्य का विषय था 'डा धनपतराय के विरुद्ध अनुचित प्रतिवंध'। डा. धनपतराय एक सफल जनसेवी डाक्टर थे जो 23 वर्षो से अपनी सेवाए अमीर-गरीब सभी को तन-मन और धन से देते थे। डाक्टर-वर्ग में भी उक्त धनपतरायजी ही ऐसे सुयोग्य और सफल

डाक्टर थे जो निजी धन लगाकर यानी गरीबों को मुफ्त दवाई और इंजेक्शन वगैरा देकर अत्यन्त लोकप्रियता प्राप्त कर चुके थे। ऐसे जनसेवी डाक्टर को ऐसे समय मे डाक्टरी करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था जबकि राज्य में मलेरिया का भयंकर प्रकोप चल रहा था जिसमें पूरे के पूरे कुटुम्ब बीमारी के शिकार हो रहे थे और राजकीय चिकित्सा विभाग असफल हो रहा था। सरकार की ओर से प्रतिबंध लगाने का कोई कारण भी नहीं बताया गया था। जानकार लोग इस प्रतिबंध की जड़ मे उनका म्यूनीसिपैलिटी के एक सदस्य के नाते किसी प्रस्ताव का विरोध करते हुए 'वाक आऊट' कर जाना था। इस वाक-आऊट को गृहमंत्री ने 'राजद्रोह' का कार्य मान लिया और उनकी प्रेक्टिस पर प्रतिबंध लगा दिया जिसका सीधा असर पड़ा आम जनता पर। जनता त्राहि-त्राहि कर उठी। मगर सुनता कौन ?

डागाजी ने कहा, 'ऐसे लोकप्रिय जनसेवी डाक्टर के विरुद्ध राज्य की ओर से प्रतिबंध लगाया गया है कि वे राज्य की सीमा के अन्दर चिकित्सा न करें। इस प्रतिबंध लगाने का न तो कोई कारण ही दिया गया है और न डा. राय को इस बात का अवसर दिया गया कि अपने विरुद्ध लगाये गये किसी भी अभियोग की सफाई पेश कर सकें। मै तो यह कहता हूँ कि इस प्रतिबंध को लगाकर डा. राय के प्रति ही अन्याय नही किया वरन इस आज्ञा से राज्य में पहले से.ही बढ़ते हुए असतोष के साथ और नए बीज बो दिये है—इस आज्ञा को वापस लेने के लिए जनता बराबर महाराजा के पास तार और चिट्ठियाँ भेज रही है। अतः मै महाराजा साहब से प्रशासन के इस अनुचित कदम में दखल देने की प्रार्थना करता हूँ और यहाँ तक कहता हूँ कि अगर डा. राय के संबंध में जनता की राय जानने की इच्छा हो तो लोकमत संग्रह की व्यवस्था कर ली जाय और उसके प्राप्त होने पर उचित आज्ञा प्रदान की जाय।'

'अंधेरगर्दी और अन्याय' इस शीर्षक से इस प्रकरण पर टिप्पणी करते हुए दैनिक विश्वामित्र ने अपने 26 नवम्बर के अंक में लिखा 'रियासत की यह क्षोभजनक निरकुशता निन्दनीय है, अत्यन्त निन्दनीय है, उसकी जितनी भी निंदा की जाय वह पर्याप्त नहीं हो सकती। पता नही कि यह मूर्खतापूर्ण प्रतिबध लगाने के लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन है ? रियासत मे काफी अर्से से दमन की नीति बरती जा रही है उसके खिलाफ आवाज उठाने वालों को नजरबंद कर दिया जाता है। दमन से काम लेकर जन-असतोष को अनिश्चित काल तक नही दबाया जा सकता। एक सीमा होती है जब दमन का शस्त्र बेकाम हो जाता है। बीकानेर के महाराज ने यदि इधर ध्यान नही दिया तो उनके जिम्मेदार अधिकारियो के स्वेच्छाचार की बदौलत वह सीमा आने में अधिक समय नहीं लगेगा। रियासती प्रजाजनो को एक बार इस समस्या पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।'

इस संपादकीय का असर यह हुआ कि बीकानेर के सभी समुदायों के लोगो के एक शिष्टमंडल ने महाराजा साहब से भेंट चाही और भेंट का अवसर देने के बाद महाराजा साहब ने, गृहमंत्री के किसी कदम में दखल न देने की अपनी मूल नीति को

एक वार ताक पर रखकर डा. राय पर लगाई गई रोक-आज्ञा को वापिस ले लिया। सादूलसिहजी के शासन काल मे जनमत का आदर किये जाने का यह प्रथम उदाहरण सिद्ध हुआ।

पं. हीरालाल शास्त्री का वक्तव्य : सरकार को झुकना पड़ेगा या टूटना पड़ेगा!

बीकानेर में दिन पर दिन वढ़ते हुए दमन से क्षुब्ध होकर जयपुर के जननेता प. हीरालाल शास्त्री ने एक वक्तव्य जारी करके बीकानेर सरकार को चेतावनी दी कि दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकेंगी कि एक तरफ तो बीकानेर सरकार दमन के मार्ग से मूलभूत नागरिक अधिकारों का दमन करती रहे और दूसरी ओर प्रगतिशीलो मे अपना नाम लिखाना चाहती रहे। सन् 1944 में यह नही हो सकता। बीकानेर सरकार यदि अपने 'सरकार' नाम को सार्थक करना चाहती है तो उसे सीधे तरीकों से अपने यहां की जनता को लिखने, वोलने और संगठन बनाने की स्वतन्त्रता देनी होगी और उत्तरदायी शासन के नाम से घवराना नहीं होगा। स्व. महाराजा गंगासिंह जिस कूटनीति मे सफल हुए उसमे उनके सुपुत्र को सफलता नही मिलेगी क्योंकि मुझे मालूम है कि वीकानेर की जनता मे भीतर ही भीतर असंतोष की लहर वढ़ती जा रही है। वक्तव्य को जारी रखते हुए शास्त्रीजी ने लिखा, 'मुझे पूरा भरोसा है कि श्री रघुवरदयाल और उनके साथियों का कष्ट-सहन कदापि व्यर्थ नहीं हो सकता और बीकानेर की जनता अपने कर्त्तव्य को सदा के लिए भूली हुई नहीं रह सकती।' और अंत मे उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए लिखा 'मै यह भी जानता हूँ कि इस जमाने में वीकानेर के महाराजा और उनकी सरकार भी जैसे है वैसे ही वने नही रह सकते, चाहे उस सरकार में श्री प्रतापसिंह होम मिनिस्टर हों, श्रीनारायणसिह आर्मी मिनिस्टर हों, श्री प्रेमसिंह रेवेन्यू मिनिस्टर हो और श्री जसवंतसिंह जनरल मिनिस्टर हों। ऐसी 'सिह प्रधान' सरकार को भी एक दिन झुकना पड़ेगा और झुकने से इन्कार करने की हालत में उसे टूट जाना पड़ेगा।'

अलवर कार्यकर्ता-सम्मेलन का वीकानेरी जनता को सहयोग का आश्वासन

ता. 3 से 5 दिसम्बर, 1944 तक अलवर में राजपूताना रियासती कार्यकर्ता संघ का सम्मेलन वड़े जोशोखरोश के साथ सम्पन्न हुआ। वीकानेर की स्थिति को लेकर राजपूताना के अलावा कलकत्ते के वीकानेरी सज्जन भी वड़े चिंतित पाए गए। अ.भा. मारवाड़ी सम्मेलन के कुछ प्रतिनिधि भी अलवर सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन के सभापति पद पर श्री जयनारायण व्यास आसीन रहे। सम्मेलन की शुभकामना करते हुए महात्मा गांधी (श्री प्यारेलाल की मार्फत), डा. सैय्यद महमूद, वावू श्रीप्रकाश एम.एल.ए. (केन्द्रीय), प्रसिद्ध गुजराती दैनिक 'जन्मभूमि' के संपादक श्री अमृतलाल सेठ आदि की तरफ से संदेश प्राप्त हुए। बीकानेर रियासत की राजनैतिक स्थिति के संवंध में सम्मेलन मे एक प्रस्ताव स्वीकृत कर बीकानेर की हुकूमत द्वारा नए रूप से अपनाई गई दमन नीति की निंदा की व बीकानेर के जन नेता श्री रघुवरदयाल व उनके साथियों की नजरवदी, ज्ञानवर्धक वाचनालय की तलाशी व उसे वन्द करने की कार्यवाही व अन्य दमनकारी कार्यों पर तीव्र रोष जाहिर किया। वीकानेर की सरकार से अपील की कि दमनकारी

कार्यवाहियों को अविलम्ब वापिस लिया जाय, जनता को पूर्ण नागरिक स्वाधीनता का उपयोग करने दिया जाय और उत्तरदायी शासन के लक्ष्य को सामने रखकर पर्याप्त शासन-सुधार किये जावे। बीकानेर की सरकार के दमनकारी रुख के बावजूद जनता को अपने मौलिक अधिकारों की प्राप्ति के प्रयत्न करने के लिए जनसगठन बनाने की कोशिश करनी चाहिए और इस कार्य के रास्ते में जो दिक्कते आवें उनका मुकाबला करने को तैयार होना चाहिए। सम्मेलन ने आश्वासन दिया कि वह बीकानेर की जनता की आजादी की लड़ाई मे उसकी पूरी सहायता करने को तैयार है। (देखो विश्वामित्र दैनिक दिल्ली दि. 9 सितम्बर, 1944 जो बीकानेर अभिलेखागार की गोपनीय फाइल 1944/19 पेज नं. 20 पर है।)

गंगादास पर अत्याचार

दमन बदस्तूर चालू रहा। 'विश्वामित्र' ने लिखा (देखे गृह विभाग गोपनीय फाइल 1944/18 पृष्ठ 61 व 1944 दिसम्बर पेज 21 दिनांक 14-12-44) 'गंगादास कौशिक जो अनूपगढ़ में नजरबंद चले आ रहे हैं और जिन्हें अब तक एक हवादार मकान में रखा गया था उन्हें अब चमगादड़ों के केन्द्र स्थान यानी बुर्ज में कैद कर दिया गया है, जिसमे पहले श्री दाऊदयाल को रखा गया था और जहां की दूषित हवा से श्री दाऊदयाल बीमार पड़कर मरणासन्न स्थिति मे बीकानेर लाए गए और जिन्हें लालगढ़ स्टेशन पर ही सूजे हुए पैरों के कारण अर्द्ध मूर्च्छित अवस्था में एम्बूलेन्स के अन्दर डालकर बीकानेर के बड़े अस्पताल मे दाखिल कराया गया जहां उन्हें लिखित आश्वासन देने को बाध्य किया गया। ऐसा कहा जाता है कि श्री कौशिक के साथ भी वही अमानुषिक बर्ताव किया जा रहा है ताकि वे भी लिखित आश्वासन देने को बाध्य हो जाएं। कौशिकजी को कई फर्लांग से अपने हाथो से खींचकर कन्धों पर पानी लाना पड़ता है और गुजारा-भत्ता भी उनका तीस रुपये से घटाकर पन्द्रह रुपये कर दिया गया है। पत्र-व्यवहार तथा लिखने-पढ़ने की भी कोई सुविधा नही है। सरकार उन्हें व उनके कुल कुटुम्ब को भूखो मारकर घुटने टिकवाना चाहती है। उधर बाबू रघुवरदयाल अध्यक्ष, बीकानेर रा. प्रजापरिषद् को लूणकरणसर मुकाम पर नजरवद कर रखा है जहां उनसे मिलने मे कानूनी तौर पर कोई रुकावट लिखित में न लगाई होने पर भी किसी को बिना आज्ञा प्राप्त किये मिलने नहीं दिया जाता और लिखित आज्ञा मांगने पर भी नहीं दी जाती, सब कुछ जुबानी जमा-खर्च ही किया जा रहा है। अलबत्ता सी.आई.डी. को साथ जरूर कर दिया जाता है, जिससे जन साधारण आतंकित होते रहें और कोई भी उनसे मिलने के लिए जाने की हिम्मत न करे। श्री गोयल के क्लर्क श्री मूलचन्द पारीक को भी उनसे मिलने की पूरी सुविधा नही है और हर बार आज्ञा लेकर जाना पड़ता है। मूलचन्दजी के घर के चारों तरफ सी.आई.डी. चक्कर लगाती रहती है।

सरकार के जंगलीपन की निंदा

दैनिक पत्रों मे आई इन खबरों के बाद जोधपुर मे प्रकाशित साप्ताहिक प्रजा-सेवक के संपादक ने अपने 27 दिसम्बर, 1944 के अंक में उपरोक्त वर्णन को

दोहराते हुए लिखा, 'हम बीकानेर सरकार से पूछना चाहते है कि आखिर वह किस हद तक जगलीपन करने के लिए आमादा हो चुकी है।' (गोपनीय गृहविभाग फाइल 1944/18 कटिंग प्रजा सेवक)।

इधर जब दमन की ज्वाला उठ रही थी तो उधर महाराज साहब ब्रिटिश साम्राज्य की सेवा में झौंके गये अपने सैनिकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए 16 नवम्बर 1944 को आसाम-बर्मा फ्रन्ट पर पहुँचने पर बीकानेर विजय बैसरी के सैनिकों का उत्साह बढ़ाने कलकत्ता के लिए प्रस्थान कर गये और वहाँ रतनगढ़ के सेठ सूरजमल नागपाल की फर्म के मेहमान रहे जहां बीकानेरी सेठ-साहूकारों से मान-पत्र प्राप्त करने के अलावा दो लाख रुपयों की थैली प्राप्त की जो सारी की सारी रकम रेडक्रास सोसायटी और वायसराय के युद्ध-कोष को समर्पित कर दी गयी और 20 नवम्बर को बीकानेर लौट आए। (देखो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट सन् 1944 पेज 10-11)।

संवैधानिक सुधार का नाटक और उस पर विभिन्न प्रतिक्रियाएँ

बीकानेर प्रशासन द्वारा दमन-विरोधी वातावरण के उफान की अखबारों की कतरनों का अवलोकन करने के बाद पानी के छींटे देकर इस उफान को शांत कर देने की उम्मीद में कुछ संवैधानिक सुधारो की घोषणा की गई जिसको कानूनी रूप 1 जनवरी, 1945 को जारी की गई राजाज्ञा यानी एडिक्ट के बीकानेर राजपत्र मे प्रकाशन के बाद मिलना था। पूरे ढोल-ढमाके के साथ घोषित ये संवैधानिक सुधार क्या थे? बीकानेर लेजिस्लेटिव असेंबली में कुल सदस्य 51 होते थे, जिनमें से 26 चुने हुए होते थे और 25 सरकार द्वारा नामजद होते थे। नए सुधारो द्वारा चुने हुवो की संख्या 29 और नामजदों की संख्या 22 कर दी गई थी। बीकानेर राज्य एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट 1944-45 के अनुसार अब इस असेंबली में 6 तो मंत्रिमंडल के मिनिस्टर होने थे और दो राजघराने से सम्बन्धित राजवी सरदार और 14 नामजद सरकारी ऑफिसर और गैर सरकारी सेठ-साहूकार। इस प्रकार ये 22 तो नामजद सरकारी लोग थे ही और 29 चुने हुए सदस्य होते थे जिनमे 3 ताजीमी सरदार (बड़े-बड़े जागीरदार), 16 म्यूनिसिपैलिटियों द्वारा और 10 डिस्ट्रिक्ट बोर्डो द्वारा चुने हुए सदस्य होने को थे। इन 51 सदस्यों में से म्यूनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा 26 लोगों के अलावा बाकी तो सारे सरकारी जी-हजूरी करने वाले थे। असेंबली का अध्यक्ष तो सरकारी होता ही था और अब एक उप-सभापति का पद भी बना दिया गया था जिसको महाराजा द्वारा चुने हुए सदस्यो में से मनोनीत किया जाना था और इस पद पर भी जागीरदार ठाकुर कानसिंह को नियुक्त कर दिया गया। इस प्रकार असेम्बली मे 'सिंहों' की भरमार थी। नए सुधारों में 3 अण्डर सेक्रेटरी सरकार द्वारा चुने हुए मेम्बरो मे से नियुक्त होने थे और ये तीन नियुक्त किये जाने वाले लोग थे—(1) रावतसर के जागीरदार रावत तेजसिंह (विकास विभाग), (2) मस्तानसिंह (ग्रामीण विकास) और (3) भूतपूर्व तहसीलदार प. जेठमल आचार्य (शिक्षा व सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग)। इसके अलावा असेम्बली के कार्य-संचालन संबंधी नियम जो अब तक सरकार बनाती थी उन्हे बनाने का अधिकार अब स्वयं असेम्बली को ही सौंप दिया गया।

तथाकथित सुधारों पर टिप्पणी—'पर्दा डालने के लिए'

दिल्ली के हिन्दी दैनिक विश्वामित्र ने इन तथाकथित सुधारों पर एक लंबा सम्पादकीय, 'पर्दा डालने के लिए', इस शीर्षक से प्रकाशित करते हुए लिखा, 'बीकानेर में *कुछ शासन सुधार किये जाने की घोषणा की गई है। सुधारों का जो सारांश पढ़ने में* आया है उसमें कोई बात ऐसी नहीं मालूम होती जिसके लिए हम रियासत को बधाई दे, उस रियासत को बधाई दें जिसके महाराजा प्रगतिशील होने का हौसला रखते और संभवतः दावा भी करते हैं। बीकानेर में इस समय भी धारा-सभा है और उसमे निर्वाचित मेम्बरों का बहुमत भी है—इसमें 25 मनोनीत सदस्यों के मुकाबले मे 26 निर्वाचित सदस्य है और प्रस्तावित सुधार क्रियान्वित होने के बाद तो यह अनुपात 22 और 29 का हो जाएगा। जहां तक मनोनीत और निर्वाचित मेम्बरो का प्रश्न है यह अगर महत्वपूर्ण हो सकता है और है परन्तु बीकानेर मे जिस तरह राजनीतिक जीवन को दबाए रखने के लिए अधिकारों का दुरुपयोग किया जा रहा है—मूलभूत नागरिक अधिकारो का सर्वथा अभाव बनाये रखकर जन-नेताओं और राजनैतिक कार्यकर्ताओं को बिना मुकदमा चलाये बंदी बनाए रखा जा रहा है और उन्हें सामाजिक परिस्थितियो और प्रजाननों की आवश्यकताओं पर विचार करने का अवसर नही दिया जा रहा है और प्रजाजनों की जागृति को राजनीतिक संस्थाओं का रूप ग्रहण न करने देने के लिए अधिकारी जिस मूर्खतापूर्ण तत्परता का परिचय दे रहे है, उसकी दृष्टि से इस सुधार का कोई अर्थ नहीं रह जाता और ऐसा प्रतीत होता है कि इस दमन और संकीर्ण शासन नीति पर पर्दा डालने के लिए ही वैसा किया गया है। सुधारों की सारहीन घोषणा की गई है।

सुधार एक ढोंग

दिल्ली के ही अन्य अखबार 'वीर अर्जुन' ने 'बीकानेर सुधार एक ढोंग (देखें फाइल नं. 1944/20) शीर्षक से अपनी संपादकीय टिप्पणी में लिखा, 'श्री रघुवरदयाल गोयल, श्री गगादास कौशिक और श्री दाऊदयाल आचार्य की अकारण की गई नजरबंदी और इस प्रकार स्वीकार की गई दमन-नीति पर परदा डालने के लिए बीकानेर सरकार ने सुधारों का एक ढोंग रचा है। ढोंग हम इसलिए कहते हैं कि इन सुधारों का नाम लेते हुए देशी राज्यो में ब्रिटिश भारतीय मिंटो-मार्ले (सन् 1908 के) सुधारों की भी तो नकल नहीं की जाती और उससे भी पहले के दिनों की नकल की जाती है। इन वैधानिक सुधारों में क्या दिया गया है? निर्वाचित सदस्यों की सख्या 51 में से 26 से बढ़ाकर 29 कर दी गई है और उपाध्यक्ष निर्वाचित सदस्यो में से चुना जायेगा। प्रश्न करने का दायरा विस्तृत किया गया है—बजट की शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा रचनात्मक कार्यों की मद में कुछ प्रतिबंधों के साथ मत प्रकट किया जा सकेगा—निर्वाचित सदस्यों की संख्या का बढ़ना तब तक कुछ भी महत्व नही रखता जब तक कि निर्वाचित क्षेत्रों को और मताधिकार को व्यापक नहीं बनाया जाता। सरकारी म्यूनीसिपैलिटियों की ओर से चुने गये प्रतिनिधियों को जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि

कहना सत्य की स्पष्ट अवेहलना करना है। इसी प्रकार वजट की आवश्यक मदो पर प्रतिबध के साथ मत प्रगट करने का अधिकार देना भी प्रायः निरर्थक ही है।'

कलंक धोने का विफल प्रयास

सुधारों पर जनमत को प्रकट करने वाली इन टिप्पणियो में प्रजा सेवक के 29 नवम्बर के अंक में 'कलंक धोने का विफल प्रयास', इस शीर्षक से की गई टिप्पणी बड़ी स्पष्ट और वेवाक रही जिसमें लिखा गया कि 'रियासतों के निरंकुश तानाशाह जव-जव देखते हैं कि उनकी वेवकूफियों के कारण सारी दुनियां में उनके खिलाफ वदनामी का तूफान खड़ा हो गया है, तव-तव वे अपनी कलंक-कालिमा को धोने के लिए उटपटांग काम करने लगते है। एक तरफ तो वे जन-सेवकों की धर-पकड़ शुरू करने में दमन-दावानल को जोरों से सुलगाने लगते हैं, तो दूसरी तरफ झूठा प्रचार और नकली शासन-सुधार की घोषणाएं करने लगते है। वीकानेर में ठीक इसी नीति का आजकल अवलम्बन हो रहा है। देशभक्तों को जेल में भेजकर नागरिक आजादी को कुचलकर और 'प्रजा सेवक' के पाठकों पर (रियासत में उसके प्रवेश पर पावंदी लगाकर) आतंक का सिक्का बैठाकर अव उन्होंने दुनिया की आँखों में धूल झोंकने के लिए वीकानेर के असेम्वली रूपी चन्द खिलौनो पर थोड़ा सा नया रोगन चढ़ाने की घोषणा की है, जिससे इस पुराने खिलौने में थोड़ी वहुत चमक पैदा हो जाय और वीकानेर के राजनैतिक वच्चे यह मानने लग जाएं कि उनके माई-वाप बीकानेर दरवार ने उनको अव एक नया खिलौना ला दिया है।'

महाराजा की मनोवृत्ति पर प्रकाश डालते हुए यह पत्र आगे लिखता है कि 'इस (उपरोक्त दिखावे की मनोवृत्ति) के साथ ही वीकानेर के महाराजा साहव को राजगढ़ इत्यादि में ले जाना, और वहां के एक सेठ द्वारा निर्मित स्कूल के नए भवन के उद्घाटन के वहाने एक वड़ा जलसा करना, डाक्टर मुंजे जैसे हिन्दू महासभावादी नेता तथा दिल्ली और कलकत्ते के बड़े-वड़े पूजीपतियों को बुलाकर उनसे अपनी तारीफे करवाना, इत्यादि ऐसे कृत्य है, जिनसे वीकानेर का कलंक धुलने के वजाय और ज्यादा बढ़ता ही है। जव तक वीकानेर सरकार साफ दिल से कोई कार्य नही करेगी तव तक उसकी कहीं भी शोभा नहीं होगी।'

सन् 1945 के आगमन पर वैद्य मघाराम ने नेतृत्व संभाला

सन् 1945 के आगमन के साथ ही कुछ नई हलचल पं. मघाराम वैद्य के नेतृत्व में शुरू हो जायेगी ऐसी उम्मीद मूलचन्द की वातों से पैदा हुई थी। मूलचन्द यह अपेक्षा लिए ही भाग दौड़ कर रहा था कि लगातार चार महीनों से वह वैद्यजी से जो संपर्क साधे हुए था उसका फल 26 जनवरी के राष्ट्रीय पर्व पर जरूर सामने आयेगा और वह अपेक्षा पूरी हुई जव पं. मघाराम वैद्य ने उस दिन परिषद् का झंडा संभाल लिया। वैद्यजी किस प्रकार क्रियाशील हुए उसका सजीव वर्णन यशस्वी पत्रकार एवं राष्ट्रकर्मी श्री सत्यदेव विद्यालंकार की कलम से उनके 'वीकानेर का राजनैतिक विकास और पं. मघाराम वैद्य'

नामक कृति में देखने योग्य है। 'प्रजा परिषद का पुनः गठन', इस शीर्षक के अन्तर्गत वे लिखते हैं : जनता पर सरकारी अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे थे, किसानों के कष्टों की कहानी कानों को फोड़े डाल रही थी और प्रजा में अन्याय का विरोध करने की कोई शक्ति नहीं दीख पड़ती थी। ऐसी अवस्था को देख, एक जनसेवक के कठोर कर्त्तव्य के नाते, मित्रों के जोर देने पर, वैद्यजी ने पुनः-प्रजापरिषद् के संगठन का कार्य अपने हाथ में लेने का निश्चय किया। प्रजा परिषद के सदस्य बनाने का कार्य आरम्भ हो गया। कुछ व्यक्तियों के उत्साह से सदस्य संख्या काफी बढ़ गई। 26 जनवरी का दिन था। जनता पर राज्य का आतंक था ही अतः जस्सूसर गेट के बाहर गोवोलाई तलाई पर प्रजापरिषद् के सदस्यों की बैठक का आयोजन गुप्त रूप से किया गया। झंडाभिवादन और राष्ट्रीय नारे लगाकर स्वतन्त्रता दिवस की रस्म पूरी की गई। सदस्यों मे एक नया जोश और नई उमंग दीख पड़ती थी। उक्त कार्य के बाद सदस्यों की बैठक हुई जिसमें सर्वसम्मति से यह निश्चय हुआ कि प्रजापरिषद् का समस्त भार श्री मघारामजी को सौंप दिया जाए। पहले तो वैद्यजी तैयार नहीं हुए, परन्तु आग्रह को बढ़ता देख उनको यह भार स्वीकार करना ही पड़ा। मंत्री और कोषाध्यक्ष का चुनाव भी आगे के लिए रख दिया गया। राज्य की स्थिति को देखकर सदस्यों ने यही ठीक समझा कि केवल प्रधान का ही नाम प्रकट किया जाय। इस भार के पड़ने पर वैद्यजी ने अपने अन्य काम बंद कर दिये और प्रजापरिषद् के कार्य में पूरी तरह लग गये। परिषद् के पुनर्संगठन संबंधी समाचार जब समाचार-पत्रों द्वारा सरकार को विदित हुए तब राज्य के गुप्तचर श्री मघाराम के पीछे रहने लगे। इन लोगों की परवाह न करते हुए परिषद् का प्रचार-कार्य खुले रूप में चलने लगा। किसानों की करुण कहानियां सुनी जाती, उनको प्रजापरिषद् के उद्देश्य और कार्यप्रणाली के संबध में जानकारी कराई जाती। देहातों में दौरे करने से संगठन कार्य बढ़ने लगा। जब कुछ नींव जम गई तब वक्तव्य के द्वारा जनता और सरकार को स्पष्ट रूप से सूचित कर दिया गया कि प्रजापरिषद् का प्रथम उद्देश्य शांत और वैध उपायों द्वारा जनता का संगठन करने का है। संगठन कार्य होने पर ही दूसरा कदम उठाया जाएगा। संगठन मे सफलता दिखाई देने पर प्रजापरिषद् के कार्यकर्ता आपसी बैठकों में प्रस्तावो पर विचार कर उन्हें स्वीकार करने लगे। श्री रघुवरदयाल वकील और श्री गगादास कौशिक की रिहाई के संबंध मे भी आवाज उठाई जाने लगी (पृष्ठ 152-153)।

विद्यार्थी नेता दामोदरप्रसाद सिंघल और उसके क्रिया-कलाप

2 फरवरी, 1945 को बीकानेर के विद्यार्थी-जगत मे खलबली एवं रोष उत्पन्न करने वाली एक अजीब घटना घटी। 19 मार्च को यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं प्रारम्भ होने को थी। इसलिए विद्यार्थी परीक्षापूर्व के इस डेढ़ महीने के अल्पकाल मे दूसरे सारे खेल-कूद, आमोद-प्रमोद और सामाजिक क्रिया-कलापो की ओर से मुँह मोड़ कर अपनी सारी शक्ति को एकाग्र करके पढ़ाई के कार्य में जुट चुके थे। ऐसे मे बीकानेर के एकमात्र राजकीय डूंगर कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर एक डेढ़ पक्ति का आदेश पढ़ने को-

मिला जिसमें लिखा था, 'चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थी दामोदरप्रसाद सिंघल को आज की तारीख से तत्काल कॉलेज से रेस्टिकेट (यानी निष्कासित) किया जाता है—डॉ. एम.एन. तोलानी प्रिंसीपल, डूंगर कॉलेज बीकानेर, निष्कासन का कोई कारण नहीं बताया गया था। नोटिसबोर्ड मे उल्लिखित चतुर्थ (अंतिम) वर्ष का यह विद्यार्थी कॉलेज में बहुत लोकप्रिय और उत्साही था और कॉलेज के हर उत्सव-समारोह और खेल-कूद में सदा अग्रणी रहने से विद्यार्थी यूनियन का अध्यक्ष भी रह चुका था। गत वर्ष 1942 के अगस्त माह मे यूनियन की अध्यक्षता से किसी कारणवश वह इस्तीफा दे चुका था। जब उसे अपने साथियों से सूचना मिली कि बोर्ड पर लगे एक आदेश के अन्तर्गत उसे कॉलेज से तुरन्त प्रभाव से निष्कासित कर दिया गया है तो वह दौड़कर प्रिंसीपल महोदय एम.एन. तोलानी के कार्यालय में गया और पूछा कि यह क्या बात है? प्रिंसीपल ने कहा कि उसे यह सूचित करते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि एक सरकारी आदेश के अधीन उसे तुरन्त प्रभाव से कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिया गया है। कारण पूछने पर प्रिंसीपल महोदय ने कहा कि कृपया कारण मत पूछो। जब श्री सिंघल ने प्रिंसीपल महोदय से निवदेन किया कि 'आप एक विद्यार्थी को बिना कोई कारण बताए इस सरस्वती के मंदिर से अचानक निष्कासित कर रहे हो, क्या यह एक अजीब बात नहीं होगी? खैर, यह तो बताने की कृपा करें कि कितने दिनों के लिए मुझे निष्कासित किया है' तो प्रिंसीपल ने इस अतिलोकप्रिय विद्यार्थी से बड़ी सहानुभूति जताते हुए कहा 'मेरे प्यारे बच्चे, मै स्वयं भी कुछ नहीं जानता कि ऐसा क्यों किया गया। सरकार की ओर से यह आदेश मुझे अभी-अभी प्राप्त हुआ है और मैं सरकार को इस बारे में स्वयं ही पूछने जा रहा हूँ और एक या दो दिन में उत्तर आने पर कारण से तुम्हें अवगत करा दूँगा।' जब सिंघल ने प्रिंसीपल महोदय के शब्दों में सहानुभूति का अनुभव किया तो फिर उनसे पूछ बैठा कि क्या वह अगले दिन आकर जानकारी ले ले। 'नहीं-नहीं, ऐसा मत करना, मैं तुम्हारे किसी मित्र को सूचित कर दूँगा जो आगे तुम्हें सूचित कर देगा।' प्रिंसीपल स्वयं व्यथित प्रतीत हो रहे थे और बोले, 'तुम तो बस मेरी राय में कॉलेज या होस्टल में प्रवेश ही न करना।' यह सारा वर्णन तत्समय 18 मार्च, सन् 1945 को बी.डी. शर्मा द्वारा 'बिना किसी आरोप के विद्यार्थी दंडित' इस शीर्षक से प्रकाशित पुस्तिका में अंकित है। पुस्तिका में आगे बताया गया है कि दूसरे दिन कॉलेज मे स्वयं स्फूर्त ऐसी मुकम्मिल हड़ताल हुई कि जैसी कॉलेज के इतिहास में पहले कभी नहीं, हुई थी। इस हड़ताल को असफल करने के लिए कॉलेज के एक प्रोफेसर सुरेन्द्रसिंह ने एड़ीचोटी का जोर लगा लिया और विद्यार्थियो को तरह-तरह की

विद्यार्थी नेता दामोदर सिंघल

नामक कृति में देखने योग्य है। 'प्रजा परिषद का पुन. गठन', इस शीर्षक के अन्तर्गत वे लिखते हैं : जनता पर सरकारी अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे थे, किसानों के कष्टों की कहानी कानों को फोड़े डाल रही थी और प्रजा में अन्याय का विरोध करने की कोई शक्ति नहीं दीख पड़ती थी। ऐसी अवस्था को देख, एक जनसेवक के कठोर कर्तव्य के नाते, मित्रों के जोर देने पर, वैद्यजी ने पुनः-प्रजापरिषद् के संगठन का कार्य अपने हाथ में लेने का निश्चय किया। प्रजा परिषद के सदस्य बनाने का कार्य आरम्भ हो गया। कुछ व्यक्तियों के उत्साह से सदस्य संख्या काफी बढ़ गई। 26 जनवरी का दिन था। जनता पर राज्य का आतंक था ही अतः जस्सूसर गेट के बाहर गोवोलाई तलाई पर प्रजापरिषद् के सदस्यों की बैठक का आयोजन गुप्त रूप से किया गया। झंडाभिवादन और राष्ट्रीय नारे लगाकर स्वतन्त्रता दिवस की रस्म पूरी की गई। सदस्यों मे एक नया जोश और नई उमंग दीख पड़ती थी। उक्त कार्य के बाद सदस्यों की बैठक हुई जिसमे सर्वसम्मति से यह निश्चय हुआ कि प्रजापरिषद् का समस्त भार श्री मघारामजी को सौंप दिया जाए। पहले तो वैद्यजी तैयार नही हुए, परन्तु आग्रह को बढ़ता देख उनको यह भार स्वीकार करना ही पड़ा। मंत्री और कोषाध्यक्ष का चुनाव भी आगे के लिए रख दिया गया। राज्य की स्थिति को देखकर सदस्यों ने यही ठीक समझा कि केवल प्रधान का ही नाम प्रकट किया जाय। इस भार के पड़ने पर वैद्यजी ने अपने अन्य काम बंद कर दिये और प्रजापरिषद् के कार्य में पूरी तरह लग गये। परिषद् के पुनर्संगठन संबंधी समाचार जब समाचार-पत्रों द्वारा सरकार को विदित हुए तब राज्य के गुप्तचर श्री मघाराम के पीछे रहने लगे। इन लोगों की परवाह न करते हुए परिषद् का प्रचार-कार्य खुले रूप में चलने लगा। किसानों की करुण कहानियां सुनी जाती, उनको प्रजापरिषद् के उद्देश्य और कार्यप्रणाली के संबंध में जानकारी कराई जाती। देहातों मे दौरे करने से संगठन कार्य बढ़ने लगा। जब कुछ नीव जम गई तब वक्तव्य के द्वारा जनता और सरकार को स्पष्ट रूप से सूचित कर दिया गया कि प्रजापरिषद् का प्रथम उद्देश्य शांत और वैध उपायो द्वारा जनता का सगठन करने का है। संगठन कार्य होने पर ही दूसरा कदम उठाया जाएगा। संगठन में सफलता दिखाई देने पर प्रजापरिषद् के कार्यकर्ता आपसी बैठकों मे प्रस्तावों पर विचार कर उन्हें स्वीकार करने लगे। श्री रघुवरदयाल वकील और श्री गगादास कौशिक की रिहाई के संबंध में भी आवाज उठाई जाने लगी (पृष्ठ 152-153)।

विद्यार्थी नेता दामोदरप्रसाद सिंघल और उसके क्रिया-कलाप

2 फरवरी, 1945 को बीकानेर के विद्यार्थी-जगत मे खलबली एव रोष उत्पन्न करने वाली एक अजीब घटना घटी। 19 मार्च को यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं प्रारम्भ होने को थीं। इसलिए विद्यार्थी परीक्षापूर्व के इस डेढ़ महीने के अल्पकाल में दूसरे सारे खेल-कूद, आमोद-प्रमोद और सामाजिक क्रिया-कलापों की ओर से मुँह मोड़ कर अपनी सारी शक्ति को एकाग्र करके पढ़ाई के कार्य में जुट चुके थे। ऐसे मे बीकानेर के एकमात्र राजकीय डूंगर कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर एक डेढ़ पंक्ति का आदेश पढ़ने को -

मिला जिसमें लिखा था, 'चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थी दामोदरप्रसाद सिंघल को आज की तारीख से तत्काल कॉलेज से रेस्टिकेट (यानी निष्कासित) किया जाता है—डॉ. एम.एन. तोलानी प्रिंसीपल, डूंगर कॉलेज बीकानेर, निष्कासन का कोई कारण नहीं बताया गया था। नोटिसबोर्ड मे उल्लिखित चतुर्थ (अंतिम) वर्ष का यह विद्यार्थी कॉलेज में बहुत लोकप्रिय और उत्साही था और कॉलेज के हर उत्सव-समारोह और खेल-कूद में सदा अग्रणी रहने से विद्यार्थी यूनियन का अध्यक्ष भी रह चुका था। गत वर्ष 1942 के अगस्त माह में यूनियन की अध्यक्षता से किसी कारणवश वह इस्तीफा दे चुका था। जब उसे अपने साथियों से सूचना मिली कि बोर्ड पर लगे एक आदेश के अन्तर्गत उसे कॉलेज से तुरन्त प्रभाव से निष्कासित कर दिया गया है तो वह दौड़कर प्रिंसीपल महोदय एम.एन. तोलानी के कार्यालय में गया और पूछा कि यह क्या बात है? प्रिंसीपल ने कहा कि उसे यह सूचित करते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि एक सरकारी आदेश के अधीन उसे तुरन्त प्रभाव से कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिया गया है। कारण पूछने पर प्रिंसीपल महोदय ने कहा कि कृपया कारण मत पूछो। जब श्री सिंघल ने प्रिंसीपल महोदय से निवदेन किया कि 'आप एक विद्यार्थी को बिना कोई कारण बताए इस सरस्वती के मंदिर से अचानक निष्कासित कर रहे हो, क्या यह एक अजीब बात नहीं होगी? खैर, यह तो बताने की कृपा करें कि कितने दिनों के लिए मुझे निष्कासित किया है' तो प्रिंसीपल ने इस अतिलोकप्रिय विद्यार्थी से बड़ी सहानुभूति जताते हुए कहा 'मेरे प्यारे बच्चे, मै स्वयं भी कुछ नहीं जानता कि ऐसा क्यों किया गया। सरकार की ओर से यह आदेश मुझे अभी-अभी प्राप्त हुआ है और मै सरकार को इस बारे में स्वयं ही पूछने जा रहा हूँ और एक या दो दिन में उत्तर आने पर कारण से तुम्हे अवगत करा दूँगा।' जब सिंघल ने प्रिंसीपल महोदय के शब्दों में सहानुभूति का अनुभव किया तो फिर उनसे पूछ बैठा कि क्या वह अगले दिन आकर जानकारी ले ले। 'नहीं-नहीं, ऐसा मत करना, मै तुम्हारे किसी मित्र को सूचित कर दूँगा जो आगे तुम्हें सूचित कर देगा।' प्रिंसीपल स्वयं व्यथित प्रतीत हो रहे थे और बोले, 'तुम तो बस मेरी राय में कॉलेज या होस्टल में प्रवेश ही न करना।' यह सारा वर्णन तत्समय 18 मार्च, सन् 1945 को बी.डी. शर्मा द्वारा 'बिना किसी आरोप के विद्यार्थी दडित' इस शीर्षक से प्रकाशित पुस्तिका में अंकित है। पुस्तिका मे आगे बताया गया है कि दूसरे दिन कॉलेज में स्वयं स्फूर्त ऐसी मुकम्मिल हड़ताल हुई कि जैसी कॉलेज के इतिहास में पहले कभी नहीं, हुई थी। इस हड़ताल को असफल करने के लिए कॉलेज के एक प्रोफेसर सुरेन्द्रसिंह ने एडीचोटी का जोर लगा लिया और विद्यार्थियों को तरह-तरह की

विद्यार्थी नेता दामोदर सिंघल

धमकियाँ दीं मगर उनकी एक न चली। ये प्रोफेसर साहब सुरेन्द्रसिंह, शिक्षा विभाग में आने से पहले गृहमंत्री ठा. प्रतापसिंह के सचिव के पद पर कार्यरत रहे थे इसलिए ठाकुर साहब के प्रति अपनी वफादारीवश विद्यार्थियो में फूट डालने की कुचेष्टा मे जी-जान से लगे रहे। यह हड़ताल अनिश्चित कालीन रूप लेने को थी पर सिंघल ने अपने साथियों पर जोर डालकर उसे सिर्फ एक दिन तक के लिए सीमित करवा दिया क्योंकि परीक्षा के लिए थोड़े ही दिन बचे थे और प्रिंसीपल के बंगले पर गये विद्यार्थियों के शिष्टमंडल से प्रिंसीपल तुलानी साहब ने वादा कर लिया था कि वे स्वयं प्रयास करके प्रशासन से पुनर्विचार कर अनुकूल आदेश प्राप्त करने को प्रयत्नशील हैं। जोश में विद्यार्थियों ने सिंघल से हड़ताल न तुड़वाने का आग्रह किया क्योंकि उनकी मान्यता थी कि उनके साथ सरासर अन्याय किया जा रहा है और उनकी राय में सफलता जीती जाती है, भीख में नहीं मिलती। पर सिंघल ने उनके गले यह बात उतारी कि हड़ताल को आखरी शस्त्र मानना चाहिए और अन्य सवैधानिक उपाय असफल होने पर ही हड़ताल का हथियार काम में लेना उचित है।

5 फरवरी से कालेज-कक्षाएं नियमित रूप से पुनः चलने लगी। उत्साह से ओत-प्रोत विद्यार्थियों ने इस अनर्गल निरंकुशता के विरुद्ध उभरी सामूहिक पीड़ा से प्रेरित होकर एक आवेदन-पत्र तैयार किया जिस पर प्रायः सभी विद्यार्थियों द्वारा हस्ताक्षर किये जाकर राज्य के नवनियुक्त शिक्षा मंत्री श्री मदनमोहन वर्मा को प्रस्तुत कर दिया गया। श्री सिंघल व उनके अभिभावक व मामा श्री पूर्णचन्द द्वारा पुनर्विचार के लिए एक निवेदन प्रस्तुत किया गया। ये प्रतिवेदन कॉलेज के प्रिंसीपल के माध्यम से भेजे गये जिन पर प्रिंसीपल ने 'अति अनुकूलता पूर्वक विचार करने के लिए' सिफारिश अंकित कर दी। प्रति

लगा

कि उसका तो जो होना है वह होगा पर उसके सहयोगियों पर जासूसो का जबरदस्त घेरा पड़ रहा था और सरकारी नौकरी में जो अभिभावक थे उन्हे बरखास्त कर दिये जाने की धमकियाँ दी जाने लगी थी इसलिए उन्होंने अपने साथियों को सुरक्षित करने के लिए प्रिंसीपल की स्वीकृति लेकर अपने भाई के पास कुछ दिनों के लिए दिल्ली चले जाना उचित समझा। दिल्ली में उन्होंने गांधीजी के पुत्र एवं हिन्दुस्तान टाइम्स के सम्पादक श्री देवदास गांधी से भी मुलाकात की और उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराया। इसी बीच खबर मिली कि सिर्फ डेढ़ महीने पहले शिक्षा मंत्री का पद संभालने वाले शिक्षा मंत्री श्री मदनमोहन वर्मा ने क्षुब्ध होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और सचमुच ही वे 1 मार्च को रियासत छोड़कर बीकानेर से प्रस्थान कर गये।

प्रिंसीपल महोदय ने 5 मार्च को कॉलेज-हाल मे विद्यार्थियों और कॉलेज-स्टाफ की सभा बुलाई जिसमें निर्णय यह सुनाया गया कि 2 फरवरी का सिंघल के कॉलेज से निष्कासन का आदेश महाराजा साहब द्वारा यथावत कायम रखा गया है।

इसके बाद शिक्षार्थी सिंघल के अभिभावक, उसके मामा श्री पूनमचन्द गर्ग को बुलाकर महाराजा का निर्णय सुनाया गया और इस निर्णयके तीन कारण बतलाए—(1) सन् 1944 में दामोदर सिंघल द्वारा कॉलेज के विद्यार्थी यूनियन के अध्यक्ष पद से (रघुवरदयाल गोयल की नजरबंदी की आज्ञा के विरोध स्वरूप) इस्तीफा देना, (2) 26 जनवरी, 1945 को होस्टल में स्वतन्त्रता दिवस मनाना और (3) दिल्ली मे देवदास गांधी से मुलाकात करना। आश्चर्य की बात तो यह थी कि रेस्टीकेशन आदेश के बहुत अर्से के बाद देवदास गांधी से हुई मुलाकात को 2 फरवरी के दिन रेस्टीकेशन का कारण कैसे मान लिया गया? क्या 2 फरवरी को कोई इल्हाम हो गया था कि भविष्य में उसकी देवदास से मुलाकात होगी?

निष्कासन के बाद निर्वासन

दो फरवरी को कॉलेज से दामोदर सिंघल के निष्कासन का आदेश ज्यों का त्यो कायम रखने का महाराजा का निर्णय मानो अपर्याप्त दण्ड माना गया इसलिए उसे पूर्ण बना देने के लिए प्रिंसीपल महोदय ने आगे सूचनार्थ यह और बताया कि दामोदर को अगले दिन दोपहर दो बजे से पहले-पहले बीकानेर छोड़कर चले जाना होगा। जब सिंघल के मामा ने प्रिंसीपल से उक्त निर्णय को लिखित में देने को कहा तो प्रिंसीपल महोदय बोले 'मुझे हिदायत की गई है कि इस बारे में मै कुछ भी लिखित मे न दूँ इसलिए मैं मजदूर हूँ।'

इस मीटिंग मे अंतिम निर्णय सुनाने से एक दिन पहले गृहमंत्री ठाकुर प्रतापसिंह ने दामोदर के अभिभावक, उपरोक्त पूर्णचन्द गर्ग, को बुलाकर मुख्य प्रश्न के अलावा भी अन्य अनेक बातो पर वार्तालाप की थी फिर पता नही क्यों प्रिंसीपल द्वारा निर्णय सुनाने के लिए इस मीटिंग का आयोजन करवाया गया? उसी दिन एक पुलिस इन्स्पेक्टर ने दामोदर को कॉलेज के मैदान में ही आई.जी.पी. के कार्यालय अपने साथ ही चलने को कहा पर वहां से रवाना होने से पहले ही आई.जी.पी. महोदय स्वयं वही मौके पर पहुँच

धमकियाँ दीं मगर उनकी एक न चली। ये प्रोफेसर साहब सुरेन्द्रसिंह, शिक्षा विभाग मे आने से पहले गृहमंत्री ठा. प्रतापसिंह के सचिव के पद पर कार्यरत रहे थे इसलिए ठाकुर साहब के प्रति अपनी वफादारीवश विद्यार्थियो मे फूट डालने की कुचेष्टा में जी-जान से लगे रहे। यह हड़ताल अनिश्चित कालीन रूप लेने को थी पर सिंघल ने अपने साथियों पर जोर डालकर उसे सिर्फ एक दिन तक के लिए सीमित करवा दिया क्योंकि परीक्षा के लिए थोड़े ही दिन बचे थे और प्रिंसीपल के बंगले पर गये विद्यार्थियो के शिष्टमंडल से प्रिंसीपल तुलानी साहब ने वादा कर लिया था कि वे स्वयं प्रयास करके प्रशासन से पुनर्विचार कर अनुकूल आदेश प्राप्त करने को प्रयत्नशील है। जोश में विद्यार्थियों ने सिंघल से हड़ताल न तुड़वाने का आग्रह किया क्योंकि उनकी मान्यता थी कि उनके साथ सरासर अन्याय किया जा रहा है और उनकी राय में सफलता जीती जाती है, भीख मे नहीं मिलती। पर सिंघल ने उनके गले यह बात उतारी कि हड़ताल को आखरी शस्त्र मानना चाहिए और अन्य संवैधानिक उपाय असफल होने पर ही हड़ताल का हथियार काम मे लेना उचित है।

5 फरवरी से कालेज-कक्षाएं नियमित रूप से पुनः चलने लगी। उत्साह से ओत-प्रोत विद्यार्थियों ने इस अनर्गल निरंकुशता के विरुद्ध उभरी सामूहिक पीड़ा से प्रेरित होकर एक आवेदन-पत्र तैयार किया जिस पर प्रायः सभी विद्यार्थियो द्वारा हस्ताक्षर किये जाकर राज्य के नवनियुक्त शिक्षा मंत्री श्री मदनमोहन वर्मा को प्रस्तुत कर दिया गया। श्री सिंघल व उनके अभिभावक व मामा श्री पूर्णचन्द द्वारा पुनर्विचार के लिए एक निवेदन प्रस्तुत किया गया। ये प्रतिवेदन कॉलेज के प्रिंसीपल के माध्यम से भेजे गये जिन पर प्रिंसीपल ने 'अति अनुकूलता पूर्वक विचार करने के लिए' सिफारिश अंकित कर दी।

शिष्टमंडल द्वारा प्रस्तुत इन निवेदनों पर शिक्षामंत्री ने पीड़ित विद्यार्थी के प्रति पूरी सहानुभूति प्रकट करते हुए स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उक्त मामला उनके खुद के विभाग का है किन्तु फिर भी किसी कारणवश उनकी खुद की पहुँच से बाहर का हो गया है अतः वे इसे महाराजा साहब के समक्ष पूरी मुस्तैदी से प्रस्तुत करके अनुकूल आदेश के लिए दिल से प्रयत्न करेगे।

शिक्षामंत्री से मिलने गये शिष्टमंडल को ऐसा लगा कि शिक्षामंत्री महोदय के सामने इस मसले के निपटारे के लिए इसके सिवाय अन्य कोई विकल्प नही था कि वे स्वयं बम्बई जावें, जहां महाराजा साहब 'देवी भवन' में विराजते है और महाराजा साहब की स्वीकृति इस बात के लिए प्राप्त करें कि इस बेकसूर शिक्षार्थी का रेस्टिकेशन आदेश रद्द कर दिया जाय ताकि उसके जीवन का एक कीमती साल बर्बाद होने से बच सके। बीकानेर का विद्यार्थी-वर्ग बड़ी बेताबी से शिक्षा मंत्री महोदय के बम्बई से लौटने का इतजार करने लगा पर मंत्री महोदय केवल यही संदेश लेकर लौटे कि महाराजा साहब के बीकानेर लौटने की तारीख 25 मुकर्रर होने से उनके बीकानेर लौटने पर ही कोई अंतिम निर्णय हो पाएगा। इस संदेश ने सारे वातावरण को कटु बना दिया। सिंघल को लगा

कि उसका तो जो होना है वह होगा पर उसके सहयोगियों पर जासूसों का जवरदस्त घेरा पड़ रहा था और सरकारी नौकरी में जो अभिभावक थे उन्हें वरखास्त कर दिये जाने की धमकियाँ दी जाने लगी थी इसलिए उन्होने अपने साथियों को सुरक्षित करने के लिए प्रिंसीपल की स्वीकृति लेकर अपने भाई के पास कुछ दिनों के लिए दिल्ली चले जाना उचित समझा। दिल्ली मे उन्होंने गांधीजी के पुत्र एवं हिन्दुस्तान टाइम्स के सम्पादक श्री देवदास गांधी से भी मुलाकात की और उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराया। इसी बीच खबर मिली कि सिर्फ डेढ़ महीने पहले शिक्षा मत्री का पद संभालने वाले शिक्षा मंत्री श्री मदनमोहन वर्मा ने क्षुब्ध होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और सचमुच ही वे 1 मार्च को रियासत छोड़कर बीकानेर से प्रस्थान कर गये।

प्रिंसीपल महोदय ने 5 मार्च को कॉलेज-हाल मे विद्यार्थियों और कॉलेज-स्टाफ की सभा वुलाई जिसमें निर्णय यह सुनाया गया कि 2 फरवरी का सिंघल के कॉलेज से निष्कासन का आदेश महाराजा साहव द्वारा यथावत कायम रखा गया है।

इसके वाद शिक्षार्थी सिंघल के अभिभावक, उसके मामा श्री पूनमचन्द गर्ग को बुलाकर महाराजा का निर्णय सुनाया गया और इस निर्णयके तीन कारण बतलाए—(1) सन् 1944 में दामोदर सिंघल द्वारा कॉलेज के विद्यार्थी यूनियन के अध्यक्ष पद से (रघुवरदयाल गोयल की नजरबंदी की आज्ञा के विरोध स्वरूप) इस्तीफा देना, (2) 26 जनवरी, 1945 को होस्टल में स्वतन्त्रता दिवस मनाना और (3) दिल्ली में देवदास गांधी से मुलाकात करना। आश्चर्य की बात तो यह थी कि रेस्टीकेशन आदेश के बहुत अर्से के वाद देवदास गाधी से हुई मुलाकात को 2 फरवरी के दिन रेस्टीकेशन का कारण कैसे मान लिया गया? क्या 2 फरवरी को कोई इल्हाम हो गया था कि भविष्य में उसकी देवदास से मुलाकात होगी?

निष्कासन के वाद निर्वासन

दो फरवरी को कॉलेज से दामोदर सिघल के निष्कासन का आदेश ज्यों का त्यों कायम रखने का महाराजा का निर्णय मानो अपर्याप्त दण्ड माना गया इसलिए उसे पूर्ण वना देने के लिए प्रिंसीपल महोदय ने आगे सूचनार्थ यह और बताया कि दामोदर को अगले दिन दोपहर दो वजे से पहले-पहले बीकानेर छोड़कर चले जाना होगा। जव सिंघल के मामा ने प्रिंसीपल से उक्त निर्णय को लिखित में देने को कहा तो प्रिंसीपल महोदय वोले 'मुझे हिदायत की गई है कि इस वारे में मै कुछ भी लिखित में न दूँ इसलिए मै मजवूर हूँ।'

इस मीटिंग मे अंतिम निर्णय सुनाने से एक दिन पहले गृहमंत्री ठाकुर प्रतापसिंह ने दामोदर के अभिभावक, उपरोक्त पूर्णचन्द गर्ग, को वुलाकर मुख्य प्रश्न के अलावा भी अन्य अनेक वातो पर वार्तालाप की थी फिर पता नही क्यों प्रिंसीपल द्वारा निर्णय सुनाने के लिए इस मीटिंग का आयोजन करवाया गया? उसी दिन एक पुलिस इन्स्पेक्टर ने दामोदर को कॉलेज के मैदान मे ही आई.जी.पी. के कार्यालय अपने साथ ही चलने को कहा पर वहां से रवाना होने से पहले ही आई.जी.पी महोदय स्वयं वही मौके पर पहुँच

गये और सिंघल को अपने बंगले पर अपने साथ लेजाकर 6 मार्च की शाम से पहले-पहले बीकानेर से निर्वासित होकर रियासत छोड़ने का जबानी आदेश सुना दिया और लिखित आदेश माँगने पर कहा, 'मैं ऐसे पद पर आसीन हूँ जहां मेरे शब्दो को ही कानून मान लेना होगा (माई वर्ड इज लॉ)।'

चुनाँचे 6 मार्च की शाम की गाड़ी से, जुबानी दी गई निर्वासन-आज्ञा की पालना में उसे जोधपुर के लिए प्रस्थान करना पड़ा। इसमे सुखद आश्चर्य यही रहा कि इतने आतंक भरे वातावरण के बावजूद साथी विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में स्टेशन पर उपस्थित होकर उसे हृदयस्पर्शी विदाई दी।

महाराजा के मगरमच्छी आँसू

इधर जब महाराजा साहब की नाक के नीचे और उनकी भीतरी स्वीकृति के सहारे बीकानेर के गृहमंत्री, आई.जी.पी. और कॉलेज के प्रिंसिपल श्री तोलानी खुल्लम खुल्ला कानून की अवहेलना करते हुए दमन-पथ पर बराबर अग्रसर होते स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहे थे तो उधर दूसरी तरफ स्वयं महाराजा साहब प्रजा की पीड़ा को असह्य मानकर मगरमच्छी आँसू बहाते नजर आ रहे थे। बीकानेर के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर द्वारा तार से भेजे हुए एक संवाद में, जो हिन्दुस्तान टाइम्स अंग्रेजी दैनिक तारीख 29 मार्च, 1945 के अंक मे प्रकाशित हुआ था यह खबर दी गई कि 26 मार्च को लालगढ़ महल में बीकानेर राज्य की प्रशासनिक कांफ्रेंस का 25 मिनट का उद्‌घाटन भाषण देते हुए बीकानेर नरेश ने अपने राजकर्मचारियो को संबोधित कर कहा, 'हमारी प्रजा के लिए आपके हृदय उस समय दयार्द्र हो जाने चाहिएं जब कभी आप लोग देखें कि उनके प्रति कुछ गलत या अनिष्ट हुआ है अथवा उनके साथ न्याय नहीं होता है। हमारा हृदय दयार्द्र हो जाता है (माई हार्ट ब्लीड्स) जब हम इस प्रकार की बातें देखते हैं।'

हिन्दुस्तान टाइम्स अंग्रेजी दैनिक के 22 अप्रेल के अंक में यह खबर प्रकाशित हुई कि डूँगर कॉलेज के विद्यार्थीगण सर्व श्री बुद्धदेव भारद्वाज एवं शंकरलाल माथुर को कॉलेज प्राधिकारियों द्वारा यह चेतावनी दी गई है कि अगर वे डूँगर कॉलेज के विद्यार्थी यूनियन के भूतपूर्व अध्यक्ष, राज्य से निष्कासित श्री दामोदर सिंघल से मिलेगे तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। सिंघल का कसूर यह माना था कि उन्होंने 26 जनवरी, 1945 को कॉलेज होस्टल में तिरंगा झंडा फहराकर स्वतन्त्रता दिवस मनाया था जिसके फलस्वरूप उन्हें बिना किसी लिखित आज्ञा के रियासत से निर्वासित कर दिया गया।

नया सेनानी मेघराज पारीक और उसके क्रिया-कलाप

सारे आतंक के बावजूद दुबके बैठे हुए नागरिकों के हृदयों में देशभक्ति की स्वतः स्फूर्त भावनाओं को महाराजा साहब और राज्य के सर्व समर्थ गृहमंत्री कुचल देने में असफल ही होते जा रहे थे। कौशिकजी की गत अगस्त मे अचानक की गई नजरबंदी के बाद रचनात्मक कार्यों को बहुत हानि पहुँची। बीकानेर का एकमात्र खादी केन्द्र 'खादी

मदिर' बद-सा रहा क्योकि जो भी उसे खोलकर बैठने का साहस करता वह साधारणतया पुलिस और गुप्तचरों के घेराव और धमकियो से घबरा कर पीछे हट जाता। दमन और आतंक के इस माहौल मे अपना सर्वस्व लुटा देने को तत्पर हो ऐसा व्यक्ति ही टिक सकता था, साधारण देशभक्त का धैर्य जवाब दे देता। ऐसे वातावरण में एक नागरिक ने सर्वस्व त्याग कर इस स्वातंत्र्य युद्ध के यज्ञ में अपनी आहुति देना ठान लिया और राजकीय न्यायालय मे अपनी पेशकारी की नौकरी को होम कर जंगेआजादी के मैदान मे आ डटा। इसका नाम था 'मेघराज पारीक।' यह व्यक्ति प्रजापरिषद् के प्रथम मत्री श्री रावतमल पारीक का सगा भाई था। इसने नौकरी छोड़कर परिषदवालों से काम मांगा तो खादीमंदिर को एक सुदृढ़ मैनेजर मिल गया। मेघराज खादी मदिर सभाले हुए थे। सन् 45 का राष्ट्रीय सप्ताह (6 से 13 अप्रेल) नजदीक आ रहा था। गृहमंत्री की 'सरकार' चौकन्नी हो गई थी। गृहमंत्रालय की गोपनीय फाइल 1945/85 के अनुसार गुप्तचर विभाग से बीकानेर में राष्ट्रीय सप्ताह को मनाने वालों की क्या योजना रहेगी, इसकी विस्तृत जानकारी मागी गई। 3 अप्रेल को आई.जी.पी. ने योजना के बारे में तफसील देते हुए लिखा कि तारीख 6 से 13 तारीख तक के सप्ताह भर में नौ आइटम इस प्रकार *मनाए जाने को हैं—अर्थात्* (1) *खादी की विक्री*, (2) *महिला दिवस*, (3) *मजदूर दिवस*, (4) ग्रामीण विकास, (5) पद दलित जातियो अर्थात् हरिजन विकास दिवस, (6) प्रभात फेरियाँ निकालना, (7) जुलूस निकालना, (8) मीटिगें करके भाषण देना, (9) राष्ट्रीय झंडा-रोहण करना। इस पर ऊपर तक केबिनेट से आइटमवार हिदायतें दी गई। (1) खादी की विक्री की इजाजत दे दी जाय मगर झडों का प्रदर्शन न होने दिया जायें, अथवा राजनैतिक नारे या राष्ट्रीय गीत न गाने दिये जाये, खादी के नाम पर भी जुलूस न निकलने दिये जावे, किन्तु अगर गाडे भर कर खादी की विक्री की जाती हो तो न रोका जावे। किसी भी प्रकार संगठित रूप से जुलूस न निकलने दिया जाये। (2) सार्वजनिक रूप से झंडा रोहण न करने दिया जाय। (3) मजदूरों संबंधी मीटिंग न होने दी जाये (4) सार्वजनिक सभाएं और भाषण बाजी प्रतिबंधित कर दी जाये, (5) जुलूस और प्रभात फेरियां न निकालने दिये जावे, (6) अगर कहीं विद्यार्थी गण इकट्ठे होते नजर आवें या किसी जुलूस या मीटिगो में शामिल होते दीखें तो पुलिस द्वारा उन्हे हिकमत अमली (टेक्टफुली) के साथ चुपचाप तितर-बितर कर दिया जाये और (7) पिछले वर्षो मे ऐसे अवसर पर क्या किया जाता रहा है और क्या-क्या नोटिस जारी किये जाते रहे हैं और क्या आदेश मिलते रहे है उन पर गौर व अमल किया जावे। इसी फाइल में गुप्तचरों द्वारा 28-3-45 को यह भी रिपोर्ट किया गया कि मेघराज पारीक (रावतमलजी पारीक का भाई) ने राष्ट्रीय सप्ताह के बारे में लूणकरणसर मे रखे गये रघुवरदयाल गोयल से मिलकर हिदायते लेने की कोशिश की मगर मेघराज को उससे मिलने की इजाजत नही दी गई जिस पर उसने 27 मार्च से तीन दिन का उपवास शुरू कर दिया है। यह मेघराज गोविंदगढ़ से जिस दिन से आया है उसी दिन से खादीमदिर वद है और उसने

खादी का सारा स्टाक राष्ट्रीय सप्ताह यानी 6 से 13 अप्रेल के लिए रिजर्व कर रखा है। उसने 6 अप्रेल को खादीमंदिर पर बोर्ड टांग दिया है कि चर्खासंघ की हिदायत है कि खादी केवल प्रतिज्ञाबद्ध खादीधारियों को ही मिलेगी।

पुलिस-जुल्म के विरोध में अनशन

1 अप्रेल के वीर अर्जुन में प्रमुखता के साथ खबर छपी जिसका शीर्षक था 'खादी मंदिर के व्यवस्थापक का अनशन—अनशन का कारण पुलिस द्वारा किये गये जुल्म हैं।' इस खबर में वीर अर्जुन ने लिखा कि 'बीकानेर खादीमंदिर के व्यवस्थापक श्री मेघराज पारीक ता. 22 मार्च की शाम को श्री रघुवरदयाल गोयल (नजरबंद) सचालक 'खादी मंदिर' से चर्खा संघ के नए नियमों तथा राजस्थान शाखा से हुई बातचीत के बारे में विचार-विमर्श करने तथा आगे के कार्यक्रम के बाबत हिदायतें लेने गये। लूणकरणसर स्टेशन पर उतरते ही पुलिस ने उन्हें बिना कोई आज्ञा दिखाये ही अपने पहरे में ले लिया और श्री गोयल से नहीं मिलने दिया। उन्हें सुबह की गाड़ी में जबरदस्ती बिठाकर बीकानेर लाया गया और बीकानेर स्टेशन पर हनुमानगढ़ जंक्शन तक का दुगना किराया छ रुपये तेरह आने वसूल कर लिया गया तथा बाद में छोड़ दिया गया। श्री पारीक ने आई.जी.पी. से शिकायत की ओर पुलिस द्वारा की गई बेईमानी का हाल कहा। आई.जी.पी. ने उनसे लूणकरणसर जाने का कारण लिखित रूप मे पूछा तो पारीकजी ने बताया कि अव्वल तो श्री गोयल से मिलने पर कोई पाबदी नहीं है और दूसरा मेरा राजनीति से कोई वास्ता नही है मैं तो केवल मात्र चर्खासंघ के नए नियमों की जानकारी कराने तथा नई हिदायतें लेने जा रहा हूँ। इस पर आई.जी.पी. ने कहा 'मै होम मिनिस्टर से पूछ कर जवाब दूँगा।' ता. 25 को पूछने पर आई.जी.पी. ने फरमा दिया कि तुम्हें गोयल से मिलने की इजाजत नहीं मिल सकती। पुलिस विभाग द्वारा की गई इस ज्यादती तथा अपमान के विरोध स्वरूप व्यवस्थापकजी ने तीन दिन के लिए 25 मार्च से अनशन कर दिया है। पुलिस की इस मनमानी की सर्वत्र चर्चा हो रही है और जनता मे विक्षोभ फैल रहा है।'

नागौर में राजनैतिक सम्मलेन

इसी समय समाचार मिला कि राष्ट्रीय सप्ताह के काल मे दिनांक 8, 9 व 10 अप्रेल को नागौर जिला राजनैतिक सम्मेलन बड़े उत्साह के साथ मनाया जाने को है। बीकानेर के गुप्तचर विभाग ने (गोपनीय फाइल सन् 1945/10 मे) रिपोर्ट की कि इस सम्मेलन में मारवाड़ (जोधपुर राज्य) की समस्याओं के साथ ही बीकानेर की समस्याओं पर भी विचार किया जाएगा। इस खबर से बीकानेर प्रजापरिषद् के लोग बड़े उत्साहित है और यहां से काफी लोग उक्त सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयारी में लग गए है। नागौर जाने वालों में भैरोलाल सुराणा (तोलाराम सुराणा का भाई जो गोयल की बीकानेर में गैरमौजूदगी के काल में उसके कुटुम्ब की सेवा में बड़ी तत्परता से लगा रहता है), गोपी किशन सुथार, श्रीराम आचार्य, घेवरचन्द तबोली, चंपालाल उपाध्याय, काशीराम

स्वामी के नाम प्रमुख रूप से लिये जा रहे है और मघाराम वैद्य तो 29 मार्च की शाम की गाड़ी से जोधपुर के लिए रवाना होने का निश्चय भी कर चुके हैं और शायद मौखिक रूप से निर्वासित विद्यार्थी नेता दामोदर सिघल के कुछ मित्र भी उनके साथ जोधपुर जा सकते हैं और उसके वाद नागौर की तैयारी भी उनकी वताई जाती है। इस रिपोर्ट के मिलने पर पुलिस चौकन्ना होकर उपरोक्त सभी लोगों पर कड़ी नजर रखने लगी।

नागौर जिला राजनैतिक सम्मेलन मे वीकानेर के लोंग उत्साह से भाग लेने जा रहे है, गुप्तचरों की यह रिपोर्ट विल्कुल सही थी। हालांकि हम तीनो की नजरवंदी के 5-6 महीने वाद 26 जनवरी को ही मघाराम ने परिषद् की वागडोर संभाल कर स्वतन्त्रता दिवस मनाया था और एक नई पहल कर दी थी पर अव तक सब कुछ अंदर ही अदर हो रहा था। परिषद् की सदस्यता के फार्म भी चुपचाप ही भराए जा रहे थे। वीकानेर राज्य की सीमा से निकलते ही चिपता हुआ जिला नागौर का ही था, जहा होने वाले प्रथम राजनैतिक सम्मलेन में वीकानेर के कार्यकर्ताओं को वहुत कुछ जानने और सुनने तथा अपना दुखड़ा प्रकट करने का मौका और उचित मार्गदर्शन मिलेगा, इस कल्पना से ही कार्यकर्ताओं का पुनर्जीवित होने वाला विश्वास उनकी हलचल से प्रकट होने लगा था। परिषद् के नए अध्यक्ष तो 29 मार्च को ही जोधपुर के लिए रवाना हो गये। गुप्तचर विभाग ने सरकार को सूचित किया कि 29 मार्च की शाम की गाड़ी से जव मघाराम स्टेशन जा रहे थे तो पौने सात बजे डूंगर कॉलेज के प्रथम वर्ष के विद्यार्थी, कैलाशनारायण, वुद्धदेव व शंकरलाल जो निर्वासित दामोदर सिंघल के खास सहयोगी मित्र थे, उनके साथ हो लिए। ये चारो स्टेशन पहुँचे और वहां शंकरलाल ने उन्हें एक लिफाफा सौपा जो उन्होंने अपनी जेव मे रख लिया। अंदाजा यही लगाया गया कि यह लिफाफा उनके निर्वासित नेता दामोदर सिघल के नाम ही होगा जो यहा से निर्वासित होने पर जोधपुर जाकर अपना संघर्ष जारी रखे हुए था। निर्वासन उस नौजवान की हिम्मत और हौसले को न तोड़ सका था और न कम कर सका था। वीकानेर के विद्यार्थी वर्ग का उससे संपर्क बना रहना गृहमंत्री के लिए चिंता का विषय वन गया था क्योंकि इन नौजवान विद्यार्थियो में एक था बुद्धदेव जो त्रिलोचनदत्त का पुत्र था जो वीकानेर की न्यायपालिका में सेशनजज के उच्च पद पर कार्यरत थे। राज्य की सेवा में लगे अधिकारी वर्ग के वच्चों का राष्ट्रीय आंदोलन मे जुड़ जाना और उसमें भाग लेना गृहमंत्री ठा. प्रतापसिंह को वहुत अखरा। जज साहब को सदेश भेजा गया तो जवाव यह मिला कि सन् 42 से विद्यार्थी वर्ग अपने अभिभावकों के काबू मे नही रहे हैं और वीकानेर के ही अनेक उच्च पदस्थ अधिकारियो के वच्चों ने उस समय काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में सरकारी वजीफे पर शिक्षा पाते हुए भी जो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया वह सर्वविदित है। इसलिए मेरा कोई कसूर हो तो सरकार मुझे बताये, मैं अपने आपको ठीक कर सकता हूँ। कानून अपना काम करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। इस जवाव के वाद वुद्धदेव आदि पर निगरानी कड़ी कर दी गयी और प्रिसीपल तोलानी को जरा सख्ती से काम लेने का निर्देश दिया गया।

'नागौर चलो' की तैयारी

उधर तीन दिन का अनशन-काल वीत जाने पर खादीमंदिर के व्यवस्थापक मेघराज पारीक ने खादी मंदिर खोल तो दिया मगर खादी की विक्री इसलिए वंद रखी कि

खादी का सारा स्टाक राष्ट्रीय सप्ताह यानी 6 से 13 अप्रेल के लिए रिजर्व कर रखा है। उसने 6 अप्रेल को खादीमंदिर पर वोर्ड टांग दिया है कि चर्खासंघ की हिदायत है कि खादी केवल प्रतिज्ञावद्ध खादीधारियों को ही मिलेगी।

पुलिस-जुल्म के विरोध में अनशन

1 अप्रेल के वीर अर्जुन में प्रमुखता के साथ खवर छपी जिसका शीर्षक था 'खादी मंदिर के व्यवस्थापक का अनशन—अनशन का कारण पुलिस द्वारा किये गये जुल्म है।' इस खवर में वीर अर्जुन ने लिखा कि 'वीकानेर खादीमंदिर के व्यवस्थापक श्री मेघराज पारीक ता. 22 मार्च की शाम को श्री रघुवरदयाल गोयल (नजरवंद) संचालक 'खादी मंदिर' से चर्खा संघ के नए नियमों तथा राजस्थान शाखा से हुई वातचीत के वारे में विचार-विमर्श करने तथा आगे के कार्यक्रम के वावत हिदायतें लेने गये। लूणकरणसर स्टेशन पर उतरते ही पुलिस ने उन्हें विना कोई आज्ञा दिखाये ही अपने पहरे में ले लिया और श्री गोयल से नही मिलने दिया। उन्हें सुवह की गाड़ी में जवरदस्ती विठाकर वीकानेर लाया गया और वीकानेर स्टेशन पर हनुमानगढ़ जंक्शन तक का दुगना किराया छ रुपये तेरह आने वसूल कर लिया गया तथा वाद में छोड़ दिया गया। श्री पारीक ने आई.जी.पी. से शिकायत की ओर पुलिस द्वारा की गई वेईमानी का हाल कहा। आई.जी.पी. ने उनसे लूणकरणसर जाने का कारण लिखित रूप मे पूछा तो पारीकजी ने वताया कि अव्वल तो श्री गोयल से मिलने पर कोई पावंदी नही है और दूसरा मेरा राजनीति से कोई वास्ता नहीं है मै तो केवल मात्र चर्खासंघ के नए नियमो की जानकारी कराने तथा नई हिदायतें लेने जा रहा हूँ। इस पर आई.जी.पी. ने कहा 'मैं होम मिनिस्टर से पूछ कर जवाब दूँगा।' ता. 25 को पूछने पर आई.जी.पी. ने फरमा दिया कि तुम्हे गोयल से मिलने की इजाजत नहीं मिल सकती। पुलिस विभाग द्वारा की गई इस ज्यादती तथा अपमान के विरोध स्वरूप व्यवस्थापकजी ने तीन दिन के लिए 25 मार्च से अनशन कर दिया है। पुलिस की इस मनमानी की सर्वत्र चर्चा हो रही है और जनता मे विक्षोभ फैल रहा है।'

नागौर में राजनैतिक सम्मलेन

इसी समय समाचार मिला कि राष्ट्रीय सप्ताह के काल में दिनांक 8, 9 व 10 अप्रेल को नागौर जिला राजनैतिक सम्मेलन वड़े उत्साह के साथ मनाया जाने को है। वीकानेर के गुप्तचर विभाग ने (गोपनीय फाइल सन् 1945/10 मे) रिपोर्ट की कि इस सम्मेलन में मारवाड़ (जोधपुर राज्य) की समस्याओं के साथ ही वीकानेर की समस्याओं पर भी विचार किया जाएगा। इस खवर से वीकानेर प्रजापरिषद् के लोग वड़े उत्साहित हैं और यहां से काफी लोग उक्त सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयारी में लग गए है। नागौर जाने वालो में भैरोंलाल सुराणा (तोलाराम सुराणा का भाई जो गोयल की वीकानेर में गैरमौजूदगी के काल मे उसके कुटुम्व की सेवा में वड़ी तत्परता से लगा रहता है), गोपी किशन सुथार, श्रीराम आचार्य, घेवरचन्द तंवोली, चंपालाल उपाध्याय, काशीराम

स्वामी के नाम प्रमुख रूप से लिये जा रहे है और मघाराम वैद्य तो 29 मार्च की शाम की गाड़ी से जोधपुर के लिए रवाना होने का निश्चय भी कर चुके है और शायद मौखिक रूप से निर्वासित विद्यार्थी नेता दामोदर सिघल के कुछ मित्र भी उनके साथ जोधपुर जा सकते है और उसके बाद नागौर की तैयारी भी उनकी बताई जाती है। इस रिपोर्ट के मिलने पर पुलिस चौकन्ना होकर उपरोक्त सभी लोगों पर कड़ी नजर रखने लगी।

नागौर जिला राजनैतिक सम्मेलन में बीकानेर के लोग उत्साह से भाग लेने जा रहे है, गुप्तचरो की यह रिपोर्ट बिल्कुल सही थी। हालांकि हम तीनों की नजरबंदी के 5-6 महीने बाद 26 जनवरी को ही मघाराम ने परिषद् की बागडोर संभाल कर स्वतन्त्रता दिवस मनाया था और एक नई पहल कर दी थी पर अब तक सब कुछ अंदर ही अंदर हो रहा था। परिषद् की सदस्यता के फार्म भी चुपचाप ही भराए जा रहे थे। बीकानेर राज्य की सीमा से निकलते ही चिपता हुआ जिला नागौर का ही था, जहां होने वाले प्रथम राजनैतिक सम्मेलन मे बीकानेर के कार्यकर्ताओं को बहुत कुछ जानने और सुनने तथा अपना दुखड़ा प्रकट करने का मौका और उचित मार्गदर्शन मिलेगा, इस कल्पना से ही कार्यकर्ताओं का पुनर्जीवित होने वाला विश्वास उनकी हलचल से प्रकट होने लगा था। परिषद् के नए अध्यक्ष तो 29 मार्च को ही जोधपुर के लिए रवाना हो गये। गुप्तचर विभाग ने सरकार को सूचित किया कि 29 मार्च की शाम की गाड़ी से जब मघाराम स्टेशन जा रहे थे तो पौने सात बजे डूंगर कॉलेज के प्रथम वर्ष के विद्यार्थी, कैलाशनारायण, बुद्धदेव व शंकरलाल जो निर्वासित दामोदर सिघल के खास सहयोगी मित्र थे, उनके साथ हो लिए। ये चारों स्टेशन पहुँचे और वहां शंकरलाल ने उन्हें एक लिफाफा सौंपा जो उन्होंने अपनी जेब मे रख लिया। अंदाजा यही लगाया गया कि यह लिफाफा उनके निर्वासित नेता दामोदर सिंघल के नाम ही होगा जो यहां से निर्वासित होने पर जोधपुर जाकर अपना संघर्ष जारी रखे हुए था। निर्वासन उस नौजवान की हिम्मत और हौसले को न तोड़ सका था और न कम कर सका था। बीकानेर के विद्यार्थी वर्ग का उससे संपर्क बना रहना गृहमंत्री के लिए चिंता का विषय बन गया था क्योकि इन नौजवान विद्यार्थियों मे एक था बुद्धदेव जो त्रिलोचनदत्त का पुत्र था जो बीकानेर की न्यायपालिका मे सेशनजज के उच्च पद पर कार्यरत थे। राज्य की सेवा में लगे अधिकारी वर्ग के बच्चो का राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ जाना और उसमें भाग लेना गृहमंत्री ठा. प्रतापसिंह को बहुत अखरा। जज साहब को संदेश भेजा गया तो जवाब यह मिला कि सन् 42 से विद्यार्थी वर्ग अपने अभिभावकों के काबू में नही रहे है और बीकानेर के ही अनेक उच्च पदस्थ अधिकारियों के बच्चो ने उस समय काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में सरकारी वजीफे पर शिक्षा पाते हुए भी जो आंदोलन मे सक्रिय भाग लिया वह सर्वविदित है। इसलिए मेरा कोई कसूर हो तो सरकार मुझे बताये, मै अपने आपको ठीक कर सकता हूँ। कानून अपना काम करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। इस जवाब के बाद बुद्धदेव आदि पर निगरानी कड़ी कर दी गयी और प्रिंसीपल तोलानी को जरा सख्ती से काम लेने का निर्देश दिया गया।

'नागौर चलो' की तैयारी

उधर तीन दिन का अनशन-काल बीत जाने पर खादीमंदिर के व्यवस्थापक मेघराज पारीक ने खादी मंदिर खोल तो दिया मगर खादी की बिक्री इसलिए बंद रखी कि

राष्ट्रीय सप्ताह के अवसर पर प्रतिज्ञा-वद्ध खादीधारियों को खादी मिल सके। मघाराम जोधपुर में जयनारायणजी से सम्पर्क करके तुरन्त ही वापिस लौट आए और अपने साथियों से संपर्क करने में जुट गये। मेघराज पारीक से संपर्क करने के बाद वे दोनो गोयलजी के घर गये और उनकी पत्नी को व लड़की चन्द्रकला को सारी स्थिति से अवगत कराया। इधर मघारामजी ने अपने साथी चम्पालाल उपाध्याय को शहर मे सपर्क करने और अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को नागौर चलने को तैयार करने का प्रयत्न करने कोटगेट के अन्दर वाले भाग में भेज दिया।

मघाराम, मेघराज व चंपालाल का खादी मंदिर पर मिलकर मंत्रणा करके नागौर के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करने की दौड़धूप की खबर गुप्तचर विभाग से प्राप्त होने पर गृहमंत्री खादी-मंदिर और खादी धारियों पर सख्त नाराज हुए और गुस्से मे आकर कम से कम सरकारी कर्मचारियों के खादी मंदिर पर आने-जाने को रोकने के लिए कुछ निर्णय लिये। उन्होंने महकमा खास यानी राज्य सचिवालय के कर्मचारियों को बुलाकर खादी पहनने और खादी मंदिर पर जाने से मना किया और इस आज्ञा को न मानने पर नौकरी से अलग कर देने की धमकी दी। मंत्री महोदय की उपरोक्त आज्ञा दूसरे महकमों के कर्मचारियों पर भी लागू कर दी गई। इस आज्ञा के कारण अरसे से खादी पहनने वालों को बड़ी परेशानी हुई और उनमें असंतोष फैला। सार्वजनिक कार्यकर्ताओं और खादी पहनने वालों के पीछे सी.आई.डी. लगा दी गई और खादी मंदिर के पास खुफिया पुलिस का पहरा वैठा दिया ताकि सरकारी कर्मचारीगण और साधारण नागरिक वहां जाने से डरते रहें। गृह विभाग की गोपनीय फाइल 1945/21 के पेज 36 पर वीर अर्जुन की 28 मार्च की कटिंग में 'राज्य में खादी पहनना भी जुर्म है' यह खबर छपी, जिसमें इसके कुछ उदाहरण प्रकाशित किए है। एक उदाहरण में लिखा है कि 'सफेद खादी-टोपी धारी एक नागरिक अपनी वहन से मिलने लूणकरणसर गया तो रेलवे स्टेशन पर ही उसे पुलिस ने रोक लिया। उक्त खादीधारी ने पुलिस को यह विश्वास दिलाने की पूरी कोशिश की कि वह रघुवरदयाल से मिलने नहीं आया है, उनसे उसका कोई वास्ता नहीं है और वह तो अपनी बहन से मिलने आया है, जिसका अता-पता भी बता दिया पर उसकी एक न सुनी गई और बीकानेर की ओर जाने वाली गाड़ी आने तक रात को दो वजे तक स्टेशन पर ही रोके रखा और गाड़ी आने पर उसे बीकानेर जाने को कहा। अपने आप जाने से इंकार करने पर पुलिस द्वारा उसे जवरन गाड़ी मे वैठाकर वापिस जाने पर मजवूर किया गया।'

इसी गोपनीय फाइल में गुप्तचरों की अतिरिक्त रिपोर्ट भी शामिल है जिसमे बताया गया है कि परिषद्वालो के पास पैसों की बहुत कमी है। 29 तारीख को जोधपुर के लिए रवाना होने से पहले शाम साढ़े पाँच वजे मघाराम खादीमंदिर गया और वहा रावतमल पारीक, मेघराज पारीक, काशीराम स्वामी से मंत्रणा की और राजनैतिक स्थिति पर विचार-विनिमय किया और मघाराम को नागौर कांग्रेस मे बीकानेर की स्थिति बताने के लिए भेजने का निश्चय किया और रुपये 35/- का चंदा इकट्ठा किया। दाऊदयाल

और रघुवरदयाल का भानजा पूनमचन्द खादीमंदिर में तो नही आये पर चंदे में अपना भाग अदा किया है। इस रिपोर्ट से यह पाया जाता है कि इतनी तफसील की वाते कि चदा कितने रुपये का जमा हुवा और दाऊदयाल और पूनमचन्द ने विना खादी मदिर में शामिल हुए चंदे का अपना हिस्सा अदा किया यह वताता है कि गुप्तचर को इतनी तफसील से जानकारी देने वाला या तो कोई इनमे से ही होना चाहिये या फिर इनमें से ही कोई घर चले जाने के वाद किसी गुप्तचर को छोटी से छोटी वात की सूचना देता रहता होगा। कुछ ही समय वाद जव परिपद्‌वालों को यह पता चला कि हमारी गोपनीय वातें भी पूरी तफसील के साथ सरकार के पास पहुँचा दी जाती है तो एक वार ऐसी स्थिति पैदा हो गई जव ये लोग एक दूसरे पर शक करने लगे कि पता नहीं कि जिससे वे वात व परामर्श कर रहे हैं वह साथी वास्तव में 'साथी' है या सी आई.डी. या सी.आई.डी. का इनफोरमर है। इस स्थिति के कारण कार्यकर्ताओं मे आपस में अविश्वास की भावना फैलने लगी जिसने आगे जाकर नागौर में विकट स्थिति पैदा कर दी। वाकी सारे लोग तो मघाराम के जोधपुर से लौटने का इतजार करने लगे पर परिपद् का एक कार्यकर्ता घेवरचन्द तंबोली तो 5 अप्रेल की शाम की गाड़ी से नागौर के लिए रवाना हो गया और दूसरे लोगों मे मघाराम, श्रीराम आचार्य व उनकी दूसरी धर्मपत्नी कमला देवी आचार्य, भिक्षालाल शर्मा, मघाराम का लड़का वधूड़ा उर्फ रामनारायण, मघाराम का भाई शेराराम, जीवनराम डागा, किशनगोपाल गुट्टड़, मुल्तानचन्द दर्जी और चम्पालाल उपाधिया तारीख 7 अप्रेल की शाम की गाड़ी से रवाना हो गए जवकि सम्मेलन 8, 9 व 10 को होना था। तारीख 8 को इन लोगो के अलावा वीकानेर से निर्वासित विद्यार्थी नेता दामोदर सिघल भी नागौर पहुँच गया। आई.जी.पी. को नागौर से भेजी गुप्तचर की रिपोर्ट मिली कि निर्वासित दामोदर सिंघल नागौर पहुँच गया और वह वीकानेर खादी भंडार के भूतपूर्व व्यवस्थापक देवीदत्त पत, जिसको सन् 43 में ही खादी मदिर की दुकान वंद कर देने के वाद बीकानेर से निर्वासित कर दिया गया था और जो तत्समय यानी नागौर सम्मेलन के समय जयपुर राज्य में चौमू मे खादी भंडार के मैनेजर के पद पर कार्यरत था, से मिलकर नागौर आया है और साथ ही 'आदर्श' अखबार के संपादक महेन्द्र कुमार (अजमेर वाले) व गोविंदगढ़ चर्खासंघ के मैनेजर बी.एस. देशपांडे से लम्वे विचार-विमर्श के वाद नागौर आया है। गुप्तचरों की रिपोर्ट थी कि ये सभी लोग नागौर सम्मेलन के 10 तारीख को होने वाले समापन के वाद 11 अप्रेल को रघुवरदयाल के भान्जे पूनमचन्द गर्ग से मिलने बीकानेर पहुँचेगे। इस रिपोर्ट के मिलने से गृहमंत्रालय चौकन्ना हो गया और सहायक पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट सुजानगढ़ को हिदायत कर दी कि देवीदत्त पंत को, गृहमत्री के 21 जुलाई 1943 के आदेश के अन्तर्गत ज्यों ही वह रियासत मे प्रवेश करें त्यों ही रियासत छोड़ देने का नोटिस दे दिया जावे और इसी तरह सिघल के लिए नोखा के सव इंस्पेक्टर पुलिस को हिदायत कर दी गई कि उसे आगे न वढ़ने देवें। चूँकि श्री देवीदत्त पंत की तरह दामोदर सिघल के खिलाफ कोई लिखित आदेश निर्वासन का नही था और विना

किसी लिखित आदेश के धक्के से ही उसे बीकानेर छोड़ने को मजबूर किया गया था इसलिये उसको कानूनन कोई नोटिस दिया नहीं जा सकता था अतः धक्के से ही यानी शारीरिक बल प्रयोग करके ही नोखा से बीकानेर की तरफ आगे न बढ़ने देने के निर्देश जारी कर दिये गये।

सम्मेलन की कार्यवाही

तारीख 8 अप्रेल को सवेरे की ट्रेन से मारवाड़ (जोधपुर) लोकपरिषद् के नेता श्री जयनारायण व्यास और मध्यप्रदेश के नेता श्री कन्हैयालाल वैद्य और उनकी पार्टी के करीब 35 लोग नागौर स्टेशन पर उतरे और इन्हीं लोगों के साथ बीकानेर से निर्वासित विद्यार्थी नेता श्री दामोदर सिंघल भी शामिल थे। इन सारी पार्टियों को रेलवे स्टेशन के पास ही जो धर्मशाला है उसमें ठहराया गया। बीकानेर के कार्यकर्ताओं की पार्टी जिसमे सर्व श्री मघाराम वैद्य, उनके पुत्र रामनारायण उर्फ बधूड़ा, उनके भाई शेराराम, श्रीराम आचार्य और उनकी धर्मपत्नी कमला देवी आचार्य, चंपालाल उपाधिया, भिक्षालाल शर्मा, जीवनलाल डागा, मुल्तानचन्द दर्जी और किसन गोपाल गुट्टड़ शामिल थे, जब नागौर मे उतरी तो उसी धर्मशाला मे टिकाया गया, जिसमें व्यासजी एवं उनके साथी कार्यकर्ता ठहरे हुए थे। उसी दिन करीब नौ बजे बीकानेर के कार्यकर्ता उस कमरे में अपनी दुख-दमन की दास्ताँ लेकर पहुँचे ताकि बाहर के जगत को बीकानेर के आतक, जुल्मो-ज्यादती, मनमानी और निरंकुशता से त्रस्त जनता की दयनीय अवस्था से परिचित कराकर परामर्श और मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सके।

बीकानेर के कार्यकर्ताओं ने अपनी दुख-दर्द की दास्तां श्री व्यासजी को सुनाते हुए कहा कि परिषद् के अध्यक्ष बाबू रघुवरदयाल एवं मंत्री पं. गगादास कौशिक को बिना कोई कारण बताए लूणकरणसर और अनूपगढ़ में नजरबद कर रखा है और अन्य जिन लोगों ने उन्हें देखने जाने का प्रयत्न किया उनके साथ पुलिस दुर्व्यवहार करती है और ट्रेन में ही उनको जबरदस्ती पीछे धकेल देती है और हम परिषद् के सदस्यो और कार्यकर्ताओं को राजधानी बीकानेर में ही हैरान, परेशान और हर प्रकार से तंग और पीड़ित किया जा रहा है।

सवेरे की इस खानगी (प्राइवेट) बातचीत के बाद जब दोपहर में सम्मेलन की विषय-समिति की बैठक हुई तो बीकानेर के कार्यकर्ताओं को औपचारिक रूप से अपनी दुख-दर्द की दास्तां बताने का अवसर मिला जिसमें उन्होंने समिति को वही सब दोहराया जो सवेरे व्यासजी से कहा था।

पंचमांगियों का सम्मेलन से निष्कासन

इस बैठक में बीकानेर नगर के गोगागेट क्षेत्र मे हस्तरेखा विशेषज्ञ का धधा करने वाले एक व्यक्ति को, जिसने अपना नाम कृष्णानंद मिश्रा बताया और 'जैन' नामक पत्र के संवाददाता के रूप में अपना परिचय देते हुए 'बीकानेर राज्य प्रजा परिषद्' के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ अनर्गल बकवास शुरू की तो जयनारायणजी के

पुत्र देवनारायण ने उससे पूछा कि तुम यहां इस विषय-समिति की बैठक मे किसकी इजाजत से आए और किसने तुम्हे निमंत्रण दिया तो वह बोला कि एक पत्रकार के नाते मेरा यह स्वय का अधिकार है कि समाचार संकलन करूं तो देवनारायण ने चिल्लाकर कहा कि समाचार संकलन के लिए आप खुले अधिवेशन मे पधारते, यहां कैसे घुस आए ? इस पर वह बदतमीजी पर उतर आया और देवनारायण ने उसका कालर पकड़ कर बाहर कर दिया। इस पर बीकानेर के चिरपरिचित राजपक्षीय पत्रकार श्री तारानाथ रावल भी उसकी हिमायत में उठ खड़े हुए तो वहां के कार्यकर्ताओं ने उन्हें भी यह कहते हुए निकाल दिया कि खुले अधिवेशन मे सभी आ सकते है, बद कार्यवाही में नही। हम आपको अच्छी तरह जानते हैं कि आप बिना पत्र के पत्रकार है अतः खुले अधिवेशन में रिपोर्टिंग करने आ सकते हो। इस प्रकार ये दोनों अड़ंगेबाज 'बड़े बेआबरू होकर तेरी महफिल से निकले हम' को चरितार्थ कर गये।

बाद मे उक्त राजपक्षीय पत्रकार श्री तारानाथ रावल ने राजपूताना पत्रकार सम्मेलन के मत्री श्री मानमल जैन-संपादक 'ओसवाल' व संचालक 'वीर पुत्र' को नागौर राजनैतिक सम्मेलन मे उनके साथ हुए अपमानजनक व्यवहार की शिकायत की जिस पर उन्होंने एक वक्तव्य जारी कर रावलजी के साथ हुए दुर्व्यवहार की निंदा करते हुए लिखा 'नागौर में राजस्थान के एक पुराने पत्रकार श्री रावलजी के साथ जो वर्ताव किया गया वह सचमुच शिष्टाचार से शून्य था, अतः अशोभनीय रहा। इस बुरे बर्ताव का कारण उनके सी.आई.डी. होने का भ्रम था।'

रावलजी सी.आई.डी. है यह अफवाह इससे पूर्व मुझे भी, जब वे अजमेर मे हुए राजपूताना पत्रकार सम्मेलन मे आए और इन्हें सभापति बनाने का सुझाव भी किसी एक संपादक ने ही किया, तब भी सुनाई दी थी, पर जब इस अफवाह पर गुप्त रूप से सत्य बात खोजी गई तो मैने ऐसी बात रावलजी के लिए नही पाई। हाँ, इन्हें एक स्वतन्त्र विचार का व्यक्ति अवश्य पाया। मेरी मान्यता है कि इनका विचार-वैषम्य ही संभवतः इन्हें खामोख्वाह सी.आई.डी. मान लेने का या इस नाम पर बदनाम करने वालों का मूलभूत कारण या आधार बना हुआ था।

कुछ भी हो, रावलजी एक पत्रकार है इसमे कोई शक नही होना चाहिए। देश प्रेम के कारण वे 1921 में जेल भी गये थे।

बीकानेरियों से व्यासजी की खरी-खरी

विषय-समिति की बैठक समाप्त हो जाने पर बीकानेर की पार्टी व्यासजी से एकांत मे मिली और बीकानेर के मामले में सहायता और मार्गदर्शन के लिए निवेदन किया तो व्यासजी ने उनसे खरी-खरी बातें की और कहा कि आपके यहां मजबूत संगठन जैसी कोई चीज नही है तो आप सरकार से संघर्ष की तो कल्पना ही नही कर सकते। मजबूत संगठन का निर्माण तब तक नही हो सकता जब तक उसे आम जनता का सहयोग प्राप्त न हो और जनता का सहयोग तब तक नहीं मिलता जब तक आप उसकी

सेवा न करो, उसके दुःख-दर्द में हिस्सेदार न बनो और रचनात्मक कार्य न करो और उनके अभाव-अभियोगों को मिटाने मे जी-जान से न लग जाओ। गोयलजी और उनके साथी गत अगस्त में नजरबंद कर दिये गये और आप लोग बताएं कि इन 8-10 महीनो में आपने क्या किया ? बीकानेर की पार्टी इन प्रश्नों का उत्तर न दे पायी तो व्यासजी ने कहा 'आप लोग शिक्षा प्रसार में लगो, पुस्तकालय-वाचनालय जगह-जगह खोलो, खाद्य पदार्थो के अभावों में आगे बढ़कर लोगों को राशन प्राप्त करने मे सहयोग करो, साधनहीनो की दवा-पानी की व्यवस्था करो तब लोक-संपर्क बढ़ेगा और संगठन मे शक्ति का संचार होगा।

कड़वी घूंट

श्रीराम आचार्य ने आग्रह किया कि आप हमारा मार्गदर्शन ही नहीं नेतृत्व भी संभालो तो व्यासजी ने झुंझला कर एक बहुत कड़वी बात कह दी। उन्होंने धीरे से कहा मेरी सूचना के अनुसार मैं तो यह भी नही कह सकता कि तुम में से किसका विश्वास करूँ और किसका नही, क्योकि आप में से कई तो स्वयं बीकानेर की सी.आई.डी. के एजेन्ट हो सकते हैं। यह सुनकर अनेकों के चेहरे मुरझा गये क्योकि चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात हो गई।

सच्चे सेवकों की प्रतिज्ञा व पदाधिकारियों का चुनाव

सच्चे देशभक्तों को यह लांछन सहन नही हुआ और उन्होने व्यासजी के सामने उसी समय हाथ मे पानी लेकर राष्ट्र और संगठन के प्रति पूर्ण वफादारी की प्रतिज्ञा ली और तत्काल ही बीकानेर राज्य प्रजापरिषद् के संगठन के पदाधिकारियों का चुनाव व्यासजी की उपस्थिति मे ही कर डाला जिसमें पं. मघाराम वैद्य को अध्यक्ष और चंपालाल उपाधिया को मंत्री घोषित कर दिया। इस पर व्यासजी ने उन्हे प्रोपेगंडा के जरिए पूरी सहायता देने का आश्वासन दिया बशर्ते कि इस अर्से में वे अपने आपको संगठित कर लें और हाथ मे जल लेकर जो प्रतिज्ञा की है उसे निष्ठापूर्वक निभावे। इतना कह देने के बाद व्यासजी ने यह तो कह ही दिया कि उनकी नेकनियती और ईमानदारी में अभी तक तो उन्हे इसलिए शक बना रह गया है कि अब तक उनमे से किसी नेता ने भी परिषद् के संस्थापक श्री रघुवरदयाल और उनके साथियो को कष्ट में से उबारने के लिए कुछ भी नहीं किया है।

इस अनौपचारिक वार्ता के दरमियान निर्वासित विद्यार्थी नेता दामोदर सिंघल की चर्चा भी आई पर इस बारे में पूरी चर्चा नहीं हो पाई और न कोई निर्णय ही हो पाया। बाद में दामोदर ने बीकानेर-पार्टी से वार्तालाप की तो उस वार्तालाप के दौरान चंपालाल उपाधिया ने दामोदर को बताया कि बीकानेर की पुलिस उनके बीकानेर में पुनः आगमन पर उन्हें बीच मे ही किसी छोटे स्थान पर शारीरिक रूप में उठा कर राज्य की सीमा से बाहर फेक देने की तैयारी में है। दामोदर ने बताया कि वह तो प्रजापरिषद् के मित्रो से मिलने के लिए ही एक बार बीकानेर आने की सोच रहा था सो उन लोगों से तो नागौर में मिलना हो

गया है अत: वह अभी न आकर फिर कभी आने की योजना बनाएगा। रात्रि को सम्मेलन का खुला अधिवेशन हुआ पर उसमें बीकानेर का कोई जिक्र नहीं आया।

प्रभातफेरियों में बीकानेरियों का योगदान

दूसरे दिन बड़े उत्साहपूर्वक प्रभातफेरी निकाली गई जिसका नेतृत्व बीकानेर की कार्यकर्त्री कमलादेवी आचार्य (दूसरी धर्मपत्नी-श्रीराम आचार्य) हाथ में एक तिरगा झंडा लेकर और बड़ी बुलंदी से राष्ट्रीय नारे लगाती हुई कर रही थी। बीकानेर राजनैतिक दृष्टि से एक बहुत पिछड़ी रियासत मानी जाती थी और उस पिछड़ी रियासत से आई हुई एक नारी कार्यकर्ता द्वारा इस बुलन्दी के साथ प्रभातफेरी का नेतृत्व किया जाना एक सुखद आश्चर्य को जन्म दे रहा था जिसका पत्र-पत्रिकाओं में भी प्रशंसा के साथ उल्लेख किया गया। तीसरे और आखिरी दिन की प्रभातफेरी का नेतृत्व भी बीकानेर के ही कार्यकर्ता भिक्षालाल बोहरा के सुपुर्द रहा और उनकी अति बुलन्द आवाज के नारों ने भी सुबह-सुबह घरों मे बैठे स्त्री-पुरुषों को घरों से बाहर निकल आने को प्रेरित किया।

खुले अधिवेशन में बीकानेर का प्रश्न

आखिरी दिन का खुला अधिवेशन रात को 9 बजे से अर्द्धरात्रि के बाद डेढ़ बजे तक चला। भारतीय देशी रियासतों में दमन की निदा के प्रस्ताव के दौरान मध्यप्रदेश के नेता श्री कन्हैयालाल वैद्य ने बीकानेर की निरंकुशता और दमन का विरोध करते हुए कहा इस जन-जाग्रति काल में बीकानेर में कैसे प्रजा-पीड़न और दमन का साम्राज्य छाया हुआ है यह समझने में मैं असमर्थ हो रहा हूँ। वहां जन-नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है और जहा से एक विद्यार्थी को, जो आज के इस खुले अधिवेशन के श्रोतागणों के बीच उपस्थित है, केवल इसलिए राज्य से निर्वासित कर दिया गया कि उसने वहां स्वतंत्रता दिवस मनाकर राष्ट्रीय झंडा फहराया। अभी भी उस विद्यार्थी का जोधपुर और यहां नागौर में भी बीकानेर की सी.आई.डी. द्वारा पीछा किया जा रहा है और जहा भी वह जाता है वहीं उसका पीछा किया जाना चालू है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किसी बाढ़ या तूफान में बीकानेर रियासत बह जाने को है या उसका राज छिन जाने को है?' उनके भाषण से स्टेज पर कुछ श्रोताओं ने तालियां बजाई तो वैद्यजी ने कहा कि यह तालिया बजाने का अवसर नही है, मै आप लोगों के ध्यान मे इस तथ्य को ला देना चाहता हूँ कि वहां दमन का बोल-बाला है। बीकानेर में पोस्ट, टेलीग्राफ, नहरे और बिजली पहुँच जाने से महीनों का काम घंटो में संभव हो जाता है तब इस जन-जाग्रति के युग में जन-जाग्रति के करंट को वहा पहुँचने से कैसे रोका जा सकता है। बीकानेर की जनता के साथ दुर्व्यवहार (मालट्रीटमेन्ट) किया जा रहा है और हजारों लोगों को महज झासे और वादे देकर कब तक रखा जा सकता है। ऐसे हालात मे राज्य की चापलूसी समझ मे न आने वाली बात है।

नजरबंदों की रिहाई की माँग

अत में राजनैतिक कैदियों और नजरबदों की भारत भर मे और रियासतो मे रिहाई की मांग करने वाले प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के दौरान में जोधपुर के कार्यकर्ता श्री

हरिकिशन भाई ने कहा कि बीकानेर में भी नेताओं को नजरबंद कर रखा है और अब समय आ गया है जब हमें उनकी रिहाई के लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए।

सम्मेलन के समापन भाषण में श्री जयनारायण व्यास ने फिर बीकानेर का जिक्र किया और कहा कि बीकानेर के साथ हमारा गहरा संबंध है, खास तौर से पुष्करणों मे और अग्रवालों में। इसके अलावा हमारे अन्य संबंध भी हमें बीकानेर से जोड़ते हैं, खास तौर से पुरातन काल से संबंध जुड़ा हुआ है जब उस काल में राजा तखतसिंह ने पुराने जमाने में जयपुर पर हमला किया था तो उस समय उनको बीकानेर के शासक का समर्थन प्राप्त रहा था। पर इन दिनों में बीकानेर का प्रशासन दिन पर दिन गिरावट की ओर जा रहा है और ठा. प्रतापसिंह की आवाज की तूती बज रही है जिसको कोई चुनौती नहीं दे सकता पर उसे भी एक दिन अपनी कुनीति में सुधार लाना ही पड़ेगा।

बीकानेर सरकार को गुप्तचर विभाग द्वारा इस रिपोर्ट पर यह संतोष था कि सारे तीन दिन के सम्मेलन ने बीकानेर के किसी कार्यकर्ता को सम्मेलन के मंच से बोलने का अवसर नही दिया गया।

इस प्रकार तीन दिन तक नागौर सम्मेलन में भाग लेकर बीकानेर के कार्यकर्ता और नेता बहुत कुछ सुन समझकर और फटकार पाकर और आयन्दा के लिए भविष्य में निष्ठापूर्वक कार्य करने की जल-प्रतिज्ञा लेकर 11 अप्रेल को बीकानेर लौट आए।

एक नया सेनानी राव माधोसिंह

इन लोगो के साथ एक नया व्यक्तित्व भी जुड़ गया जिसका नाम था राव माधोसिह जो जाति का अहीर था और नागौर सम्मेलन से लौटते समय बीकानेर के नेता और कार्यकर्ताओं से खूब घुल-मिल चुका था। इस नए मेलजोल के कारण वह सीधा गंगानगर न जाकर बीकानेर में रुक गया और अध्यक्ष मघाराम का अतिथि बना।

उत्साही माधोसिंह का निमंत्रण

मघाराम के आतिथ्य के दौरान 12 अप्रेल को मघाराम और परिषद् के मंत्री चंपालाल उपाधिया व माधोसिह के मध्य प्रजापरिषद् के कार्य को गंगानगर क्षेत्र में कैसे शुरू करके कैसे बढ़ाया जाय, इस पर खूब विचार-विनिमय हुवा और माधोसिह ने मघाराम को गंगानगर क्षेत्र का दौरा करने का निमंत्रण दिया और उस इलाके में प्रजा परिषद् की शाखाएं खुलवाने में अध्यक्ष महोदय की पूरी इमदाद करने का वचन दिया। ये तीनो दोपहर में खादीमदिर आए और वहां के व्यवस्थापक मेघराज पारीक से माधोसिह का परिचय कराया गया। जब बाद मे ये तीनों सामने रतनबिहारी पार्क मे बैठ वार्तालाप कर रहे थे तभी वहां डूँगर कॉलेज के दामोदर सिंघल के साथी, प्रथम वर्ष के विद्यार्थी वहाँ पहुँच गये और उन्होंने इस नये चेहरे (यानी माधोसिंह) का परिचय जानने के बाद एक ग्रुप फोटो लेना चाहा और मघाराम, माधोसिह व चंपालाल का 'सोलो-स्नेप' लिया और बाद में एक अन्य सोलो-स्नेप मे इन तीनों के साथ खादी मदिर के व्यवस्थापक श्री मेघराज पारीक को भी जोड़ दिया गया। गोपनीय फाइल 1945/10 मे पेज 3 व

4 में गृहमंत्री को सूचित किया गया है कि इन सोलो-स्नेप फोटुओं के लेने का मकसद शायद ये रहा हो कि उन्हे अखवारो मे देकर बाहर की दुनियां को यह जताने की कोशिश की जायेगी कि बीकानेर मे राजनैतिक कार्यकर्ता सजग और सक्रिय है और गोयल और उनके साथियो की नजरवंदी के वाद भी प्रजापरिषद् जिन्दा है ही। गुप्तचर विभाग ने वाग में खेंची गई फोटो की एक-एक प्रति गृहमंत्री को प्रस्तुत कर दी।

सिंघल के साथियों को चेतावनी

गुप्तचर विभाग की उपरोक्त रिपोर्ट के वाद बुद्धदेव भारद्वाज और शंकरलाल माथुर, डूंगर कॉलेज के इन विद्यार्थियों पर नजर और अधिक टेढी हो गई। सरकारी आदेश के अनुसार कॉलेज के पदाधिकारियों ने इन दोनों को चेतावनी दी कि अगर वे, डूँगर कॉलेज के भूतपूर्व अध्यक्ष और राज्य से निर्वासित श्री दामोदर सिंघल से मिलेंगे तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कदम उठाया जायेगा। ऐसा इसलिए किया गया कि इन लोगों ने जोधपुर जाकर सिंघल से मुलाकात की थी और वीकानेर लौट आए थे। हिन्दुस्तान टाइम्स, दिनांक 22 अप्रेल 1945 में प्रकाशित इस खवर पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, ग्वालियर राज्य सार्वजनिक-सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री गोपीकृष्ण विजयवर्गीय ने कहा यह न्याय की सरासर हत्या है और बीकानेर प्रशासन से माँग की कि ऐसी अन्यायपूर्ण आज्ञा को तुरन्त रद्द करके वापिस ले लें।

परिषद्-कार्यकारिणी द्वारा अनेक प्रस्ताव स्वीकार

नागौर सम्मेलन से लौटने के वाद वीकानेर के नेता श्री मघाराम व उनके अन्य साथियो का हौसला काफी बुलंद हो गया था क्योकि उन्होंने व्यासजी के समक्ष हाथ में जल लेकर राष्ट्र और संगठन के प्रति पूर्ण वफादार रहकर राष्ट्र-कार्य जारी रखने और गोयल आदि नजरवंदो की रिहाई के लिए भरसक प्रयत्न करने की प्रतिज्ञा ले रखी थी। नागौर से लौटते ही मघाराम ने प्रजापरिषद् की कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर उसमें विविध प्रस्ताव स्वीकार किये। एक प्रस्ताव द्वारा श्री रघुवरदयाल वकील की अनेक प्रतिबंधों सहित लूणकरणसर मे तथा श्री गंगादास कौशिक की अनूपगढ़ मे स्थानवद्धता का विरोध किया गया व इसे नागरिक अधिकारों का अपहरण कहकर महाराजा साहव से प्रार्थना की गई कि वे प्रजा के नागरिक अधिकारों को स्वीकार करने वाली अपनी और अपने स्वर्गीय पिता महाराजा गगासिंह की घोषणाओं को ध्यान मे रखकर इन वंदियो को तुरन्त रिहा कर दें। एक अन्य प्रस्ताव द्वारा श्री दामोदर सिघल को विना कारण वताये डूंगर कॉलेज से निर्वासित करने का विरोध किया गया। कार्यकारिणी की उक्त मीटिंग में निश्चय किया गया कि राज्य के किसानों के लिए व मजदूरो की समस्याओं व उनके कष्ट निवारण के लिए एक विभाग खोला जाय। एक अन्य प्रस्ताव द्वारा वीकानेर नरेश से प्रार्थना की गई कि वे वीकानेर लेजिस्लेटिव असेम्वली को वास्तविक अधिकार दे जिनका कि वर्तमान विधान में अभाव है तथा पुराने ढर्रे के आम चुनावो के वजाय व्यापक मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष-चुनाव पद्धति से चुनाव करावे। एक अन्य प्रस्ताव द्वारा

बीकानेर राज्य की कंट्रोल व्यवस्था पर असंतोष व्यक्त करते हुए सरकार से अपील की गई कि वह प्रजा प्रतिनिधियों का भी इसमें सहयोग ले।

वैद्य मघाराम का वक्तव्य

उपरोक्त प्रस्तावों को स्वीकार करने के बाद मघाराम ने एक सप्ताह बाद एक वक्तव्य देते हुए बताया कि रघुवरदयाल की गिरफ्तारी के बाद बीकानेर राज्य प्रजापरिषद् का कार्यभार एक राय से सदस्यों ने मेरे कंधों पर डाल रखा है। मैंने प्रजापरिषद् के पुनः संगठन का कार्य आरम्भ भी कर दिया है और मुझे खुशी है कि मेरे प्रस्तावों का स्वागत किया गया है। हमारे संगठन का कार्य दिन-ब-दिन मजबूत होता जा रहा है लेकिन अभी हम अपने संगठन को एक आदर्श संगठन कहने की स्थिति में नहीं हैं। अभी हमें अपना कार्यालय गुप्तस्थान पर रखना पड़ रहा है जहां कि हम लोग आसानी से बातचीत कर सके। बेशक, हमारे काम में रुकावटें आ रही है लेकिन मुझे अपने मित्रों की शक्ति पर विश्वास है और बहुत जल्दी मैं रियासत में दौरा कर प्रजापरिषद् का संगठन दृढ़ करने का निश्चय कर रहा हूँ। पिछले सप्ताह ही अपनी कार्यकारिणी की बैठक में हमने जो निर्णय किये है उन्हें पूरा करने के लिए मैंने अपने सभी मित्रो को काम सौंप दिया है। संगठन के साथ हमारे सामने पहला सवाल है बीकानेर के लोकनेता सर्व श्री रघुवरदयालजी वकील और गंगादास कौशिकजी की रिहाई तथा विद्यार्थी नेता श्री दामोदरप्रसाद सिंघल के रिस्टिकेशन और निर्वासन को रद्द करवाना। मेरा काम बीकानेर की दबी कुचली जनता में परिषद् के संगठन के साथ इन नेताओं की रिहाई के लिए निरंतर लोकमत तैयार करना है।

प्रशासन से समझौते की खबरें और गोयल को खरीदने की योजना

21 अप्रेल के 'वीर अर्जुन' ने अपने विशेष प्रतिनिधि के हवाले से खबर दी कि बीकानेर के नजरबंदी श्रीरघुवरदयाल और बीकानेर राज्य शासन के बीच कुछ व्यक्तियों के प्रयत्न से समझौते की बातचीत शुरू होने को है। यह सच दीखता है कि बीकानेर सरकार स्वयं समझौते के लिए उत्सुक है, तथापि महाराजा की ओर से जो शर्तें रखी जा रही है वे शायद लोकनेताओं को मान्य न होगी क्योंकि महाराजा चाहते है कि बीकानेर मे कही तिरंगा झंडा न फहराया जाय तथा बीकानेर में प्रजापरिषद् नाम की कोई संस्था ही न रहने पावे। सरदारशहर के श्री नेमीचन्द आँचलिया कभी लूणकरणसर मे श्री रघुवरदयाल से मिले थे। इसके बाद श्री आँचलिया ने होम मिनिस्टर एवं महाराजा से भी भेंट की, तो महाराजा ने अपने पुराने शब्दो को उद्धृत करते हुए उक्त शर्तें पेश की और उनकी स्वीकृति पर श्री रघुवरदयाल की रिहाई स्वीकार की। ऐसा ज्ञात हुआ है कि श्री आँचलिया ने श्री रघुवरदयाल से महाराजा का यह सदेश लेकर अभी भेंट नही की है। इसी बीच यह भी सुनने मे आया है कि राज्य के इस्पेक्टर जनरल पुलिस राजबंदियों से मिलने को रवाना हो चुके है। अनूपगढ़ मे श्री गंगादास कौशिक से वे मिल चुके है तथा लूणकरणसर मे उतरकर श्री रघुवरदयालजी से भी मिलना चाहते थे पर अपने पुत्र की अचानक बीमारी के कारण सीधे बीकानेर चले गये। यह भी जानने को मिला है कि सरदारशहर वाले श्री आँचलिया होम मिनिस्टर की प्रेरणा से ही श्री रघुवरदयाल से मिले थे।

गोयल को खरीदने की योजना

गृहमंत्री ने समझौते के नाम पर गोयल को खरीदने की योजना बनाई और किसके माध्यम से बातचीत की जाय इसकी ऊहापोह में उनकी नजर ईश्वरदयाल वकील पर पड़ी जो गोयल के अति निकट माने जाते थे। जहां साधारण खादीधारी को भी अपनी बहन से मिलने जाने मे, गोयल से मिलने के डर से, बाधा डाली जाती रही थी वहां सरदारशहर के नेमीचन्द आँचलिया एवं बीकानेर के वकील ईश्वरदयाल की पहुँच बिना गृहमंत्री की पहल के हो ही नहीं सकती थी। ईश्वरदयाल को यह संदेश ले कर भेजा गया कि गोयल को खादी से प्रेम है तो शासन उन्हे खादी-कार्य के लिए पाँच लाख रुपये कभी न लौटाने की छूट के साथ दे देगा, अगर गोयल नागरिक अधिकारों की माँग को छोड़ दे और प्रजापरिषद् नाम के संगठन को वापस समेट ले। ईश्वरदयाल को गोयल के साथ पूरे चौबीस घंटे बिताने की सहूलियत दी गई पर गोयल ने ईश्वरदयाल से कहा कि ऐसे बेहूदा प्रस्ताव को लेकर उन्होंने लूणकरणसर आने की हिम्मत कैसे की जबकि वे खुद गोयल के चरित्र की एक एक रग से बरसों से वाकिफ है। गोयल ने ईश्वरदयाल से कहा कि उनकी जगह कोई दूसरा आता तो वे उससे बात तक करने से नफरत करते पर आपसी उम्र भर की दोस्ती के नाते बातचीत करली और अब वे (ईश्वरदयाल) वापिस जाकर गृहमंत्री से कह दें कि प्रजापरिषद् का अध्यक्ष तो क्या कोई छोटे से छोटा कार्यकर्ता सिपाही भी चांदी के टुकड़ों में अपने आपको और राष्ट्रकार्य को बेचने को कभी तैयार नहीं होगा। आयन्दा फिर कभी सच्चे देश भक्तों को खरीदने की कोशिश से बाज आवें। देशभक्तो की बलि राष्ट्र की बलिवेदी पर गृहमंत्री महोदय चढ़ा देना चाहें तो चढ़ावे पर आयन्दा फिर कभी चादी टुकड़ों में खरीदने की कल्पना ही न करें। उन्होंने यह भी कहा कि गोयल और उसके साथियों ने तो 16 फरवरी 1943 को जब महाराजा साहब का सद्भावना संदेश लेकर जेल मंत्री जसवतसिह जेल में पधारे थे तभी उन्हे स्पष्ट कर दिया था कि जिन नागरिक अधिकारों के लिए और उत्तरदायी शासन की प्राप्ति के लिए मैदान में उतर कर खड़े हुए है उनके बिना तो इनका जेल की चार दीवारी के भीतर या बाहर रहना एक जैसा है और हमें अपने भाग्य पर सजा भोगने को छोड़ देने को कहा था पर नए महाराजा साहब की शान रखने के लिए ही दोनों पक्षो की तरफ से भूलो के लिए औपचारिक रूप से खेद-पत्र अंकित कर दिया था परंतु आज भी हम वहीं खड़े है और जब तक जीयेंगे उसी स्टेण्ड पर खड़े रहेगे, ईश्वर ने हमे बलिदान की पर्याप्त शक्ति दे रखी है।

माधोसिंह की पृष्ठभूमि और क्रिया-कलाप

नागौर से बीकानेर की परिषद्‌वालो की टीम के साथ माधोसिह नाम का एक नया चेहरा देखने को मिला था और माधोसिह और मघाराम तथा माधोसिंह और मेघराज पारीक के संयुक्त फोटो की नकले गुप्तचर विभाग ने गृहमंत्री को प्रस्तुत की थी इस पर गृहमंत्री ने इन्क्वायरी शुरू कर दी कि यह नया व्यक्ति माधोसिह कौन था जिसे भूतपूर्व कस्टम का थानेदार बताया गया था और क्या उसे बरखास्त कर दिया गया या इसलिए वह राजनैतिक खेमो में चला गया था? जाँच के बाद रिपोर्ट की गई कि माधोसिंह को

बरखास्त नहीं किया गया था बल्कि उसने अपनी मर्जी से 1937 मे बिना कोई कारण इस्तीफा देकर अपना पद छोड़ दिया था। अगर वह बरखास्त किया हुवा कस्टम का थानेदार होता तो गृहमंत्री को खुशी होती क्योकि आसानी से यह इल्जाम लगाया जा सकता था कि नौकरी से बरखास्त किए जाने से राज के खिलाफ हो गया। पर चूँकि ऐसा नहीं निकला तो इस सिलसिले मे एक नई गोपनीय फाइल खोल दी गई जिस पर गोपनीय गृह विभाग फाइल 1945/12 अंकित हुआ। इस नई फाइल में माधोसिंह की पूरी जानकारी दर्ज करते हुए अंकित किया गया कि माधोसिंह मूलरूप से रेवाड़ी जिला गुड़गाँव का वाशिदा है जिसका गंगानगर मंडी में एक रिहायशी मकान है और चक 1 मे खेती करता है जो गंगानगर से 2 मील दक्षिण में स्थित है। इसका एक भतीजा अमरसिंह कस्टम विभाग में सुपरिन्टेन्डेन्ट कस्टम के पद पर नौकर है। इसने मघाराम, अध्यक्ष प्रजापरिषद् से वादा किया है कि वह कॉलोनी-क्षेत्र में चंदा इकट्ठा करके भेजेगा और प्रजापरिषद् के सदस्य बनायेगा।

वैद्यजी का गंगानगर क्षेत्र का दौरा

13 मई को परिषद् के स्थानापन्न अध्यक्ष मघाराम वैद्य ने अपने दौरे शुरू कर दिये और माधोसिंह यादव के गंगानगर स्थित चक में जाकर उससे मुलाकात की और दोनो ने गगानगर मंडी के कुछ लोगो तक पहुँच कर प्रजापरिषद् के लिए चंदा इकट्ठा करने का काम तेजी से प्रारम्भ कर दिया। बीकानेर राज्य के गृह विभाग की गोपनीय फाइल सन् 1945 सख्या 14 के अनुसार वहां उन्हें मंडी मे हसराज लोहिया, चौधरी ज्ञानीराम वकील व चौधरी हरिशचन्द्र वकील, जो बीकानेर रियासत के भूतपूर्व एम.एल.ए. थे, से परिषद् के लिए चंदा प्राप्त करने में सफलता भी मिल गई।

गंगानगर में परिषद् की शाखा खुली

माधोसिह ने मघाराम को बीकानेर खाली हाथ नही लौटने दिया बल्कि गंगानगर में प्रजापरिषद् की शाखा खोलने के लिए अपने दो स्थानीय मित्रो को जुटा ही लिया। इन दो में से एक थे हरिश्चन्द्र दर्जी जो माधोसिह के गुड़गाँव जिले के खुद के गांव के ही निवासी थे जो तब दो साल से गंगानगर मंडी मे दर्जीपने का काम धंधा करते थे। इनके पिता ने जिला हिसार के सीसवाला गांव की प्राइमरी स्कूल मे अध्यापकी की जहां हरिश्चन्द्र ने सन् 1942 में स्थानीय काग्रेस कमेटी के उपप्रधान का पद संभाला था। वह राष्ट्रीय भावनाओं से ओत-प्रोत था और गंगानगर आने पर स्थानीय आर्य समाज का सदस्य बन गया था। सामाजिक सेवा के कार्यो मे भी यह अग्रणी बन कर अपनी सेवाए देता था और अध्यापक के रूप मे अपनी सेवाएं आर्य समाज की हरिजन पाठशालाओं को निःशुल्क दे रहा था। दूसरा साथी था जीवनदत्त वैद्य जो इसी वैद्यगी के धंधे से आजीविका चलाता था। माधोसिंह, जीवनदत्त और हरिश्चन्द्र इन तीनों ने मिलकर गगानगर में प्रजापरिषद् की शाखा खोल ली और तीनो ही उक्त शाखा के क्रमशः प्रधान, सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष बन गये। इस प्रकार पहले ही प्रयास मे मघारामजी प्रजापरिषद्

के लिए एक नई शाखा खोलकर अपनी झोली भर कर ही बीकानेर लौटे और प्रेस को गंगानगर मे प्रजापरिषद् की शाखा खुलने की खबर भेज दी। अखबारों में इस खबर को पढ़कर गृहमंत्री बहुत ही हैरान हुए क्योंकि गोयल और उसके साथियों को बंदी बनाकर ठाकर साहब ने समझ लिया था कि इस रियासत में प्रजापरिषद् मर चुकी है। पर यह नई शाखा खुलने से प्रजापरिषद् के जिन्दा रहने और दिन पर दिन आगे फैलने का प्रमाण दुनिया के सामने प्रगट हो रहा था।

माधोसिंह को दूधवाखारा के लिए मघाराम का बुलावा

माधोसिंह गंगानगर जिले के गाँवों और कस्बों का दौरा करके प्रजापरिषद् के प्रचार मे लग गया और उसने वहां के पीड़ित लोगो को इधर आकर्षित किया। इसी दौरान उसे परिषद् के अध्यक्ष मघाराम का संदेश मिला कि चूरू जिले मे दूधवाखारा जागीर के किसानो पर जागीरदार द्वारा अत्याचार की करुण कहानिया आ रही है और अभी-अभी वहा के किसानो का एक झुण्ड अपनी स्त्रियों और बच्चो के साथ बीकानेर में आया है जिसे महाराजा से फरियाद करने आबू जाने की सलाह दी गई है जहां महाराजा साहब गर्मी की मौसम मे आराम करने को विराज रहे है। वे लोग तो आबू चले गये है और परिषद् से मदद देने की फरियाद कर गये है। परिषद् पीड़ितों के लिए ही बनी है, इसलिए अब हमें खम ठोककर उन बेजुबान किसानो की पूरी मदद करनी है। पहले हमें दूधवाखारा के सही हालात को स्वयं वहां पहुचकर मौके पर जान लेना चाहिए ताकि उनकी सही रूप से और सही तरीके से सहायता की जा सके अत. तुम फौरन पहुंचो। मघाराम के इस न्यौते को माधोसिंह ने तत्काल स्वीकार कर लिया और परिषद् के जॉच-मंडल में शामिल होने वह बीकानेर के लिए तुरन्त ही रवाना हो गया। इधर गुप्तचरों ने गृहमंत्री को रिपोर्ट की कि माधोसिंह 7 जून 1945 को दूधवाखारा के लिए रवाना हुवा और मघाराम व उसके लड़के रामनारायण से जा मिला। गृहमंत्री ठा. प्रतापसिह ने तत्काल महाराजा को रिपोर्ट की कि माधोसिह और उसकी पार्टी दूधवाखारा में उत्पात खड़ा करने का प्रयत्न कर रही है। ये लोग दूधवाखारा के जाटनेता हनुमान जाट व उसकी पार्टी के जो वहां के जागीरदार से मतभेद है, उनका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मघाराम के दूधवाखारा जाने की रिपोर्ट पहले ही महाराजा साहब को दी जा चुकी थी।

माधोसिंह की कर्मठता

माधोसिंह 13 जून सन् 1945 को सूडसर से बीकानेर वापिस पहुँचा और उसी शाम गंगानगर के लिए रवाना हो गया। रवाना होने से पहले वह चंपालाल उपाधिया-मंत्री प्रजा परिषद, मघाराम वैद्य-अध्यक्ष प्रजा परिषद, शंकर महाराज व्यास और गोयल की पुत्री चन्द्रकला से मिला। इन सब के घर जाकर मिला। अगले ही दिन गुप्तचरों ने सूचना दी कि माधोसिह को एक व्यक्ति मूलचन्द उर्फ भगवान दास शर्मा का दिल्ली से एक पत्र मिला है जिसमे मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी कलकत्ता ने भरोसा दिया है कि बी.रा. प्रजापरिषद् के खर्चे को यह सोसायटी संभाल लेगी और प्रजापरिषद् के कार्यकर्ताओं के जेल चले जाने पर उनके परिवारो के भरण-पोषण के लिए भी खर्चा

देगी। उस पत्र में आगे लिखा गया है कि दो प्रस्ताव स्वीकार करके या तो प्रजापरिषद् के मुख्यालय बीकानेर को भेज दो या दिल्ली भेज दो जिनमें से एक मे ट्रावनकोर के महाराजा साहब को इस बात की बधाई दी जावे कि उन्होंने रियासत की प्रजापरिषद् को रियासत का संविधान बनाने की आज्ञा प्रदान कर दी है और दूसरा प्रस्ताव जयपुर राज्य प्रजामंडल के कार्यकर्ता की हत्या के जागीरदारों के कृत्य की घोर निंदा का भेजा जावे। इसी पत्र में गंगानगर प्रजापरिषद् में सरदार तारासिंह को शामिल करने का परामर्श दिया गया। दूधवाखारा का हनुमान जाट गंगानगर में माधोसिंह से मिला और अब माधोसिंह दिल्ली के लिए रवाना हो गया। गुप्तचर की रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि माधोसिंह से यह भी मालूम हुवा कि दिल्ली और कलकत्ता में प्रजापरिषद् की शाखाएं खुल चुकी हैं और गंगानगर जिले मे सदस्यों की संख्या 17 को पहुँच चुकी है। इस प्रकार माधोसिंह गंगानगर जिले में प्रजापरिषद् के कार्य को बड़ी तेजी के साथ संगठित करने में कामयाब हो रहा था। दिल्ली की अपनी ट्रिप मे माधोसिंह दूधवाखारा के जुल्मों की कहानी अखबारों में प्रकाशित कराने में बहुत सफल हुआ। दिल्ली से वापस लौटकर माधोसिंह ने जिले के जमीदारी एसोसिएशन के नेताओं से मेलजोल बढ़ाने की नीति अपनाकर राज्य की दमन-नीति से मिलजुल कर टकराने की योजना बनाई। वह चक 4 डब्ल्यू के तारासिंह से मिला और उसे प्रजापरिषद् का सदस्य बना लेने में सफल हो गया। फिर चक 10 डब्ल्यू के कालासिंह, इन्दरसिंह व छवीसिह को उसने मेम्बर बना लिया। थोड़े ही अर्से में प्रजापरिषद् के महत्वपूर्ण सदस्यों की संख्या 17 को पहुंच गई। एक सप्ताह बाद ही जिले के डी.आई. जी. पुलिस पं. गोवर्धन शर्मा ने सूचना भेजी कि जिले में प्रजापरिषद् के सदस्यों की संख्या 35 हो चुकी है। इसी बीच प्रधानमंत्री पणिकर ने यह दरयाफ्त करके जल्द रिपोर्ट करने की आज्ञा दी कि परिषद् को आर्थिक मदद देने को तत्पर मारवाड़ी सोसायटी की पूरी जानकारी तुरन्त दी जावे।

माधोसिंह का प्रजापरिषद् के लोगों से प्रथम बार नागौर में होने वाले राजनैतिक सम्मेलन में सम्पर्क हुआ और परिषद् का सदस्य बनने के बाद चार महीनों मे उसने बहुत तेजी से परिषद् की शाखाएं गंगानगर जिले मे संगठित कर दी और अनेक ऐसे लोगों को परिषद् में आकर्षित किया जिनका व्यक्तितत्व इस इलाके में कुछ असर कारक रहा था। ऐसे लोगों में उल्लिखित करने योग्य कुछ नाम इस प्रकार है : रामनारायण महाशय जिन्होंने लायलपुर में काग्रेस आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था और यहां वे म्युनीसिपल कमिश्नर थे। जीवनदत्त ने सन् 43 के लक्ष्मणगढ़ सम्मेलन मे भाग लिया था। एक सदस्य बने थे हंसराज लोहिया जो भी म्यूनीसिपल कमिश्नर थे। तारासिह, कालासिंह और हरिसिंह दुखिया क्रमशः चक 4 डब्ल्यू, 10 डब्ल्यू और चक 20 (ओ) के तीनों अकाली दल के सदस्य थे और जिले के सन् 42 के जमीदारी आंदोलन के सिलसिले मे नजरबंद कर दिए गए थे। माधोसिंह के नेतृत्व मे गंगानगर में प्रजापरिषद् की शाखाएं जितनी तेजी से खुल रही थी और प्रतिष्ठित नागरिक उससे संबधित होते जा रहे थे उससे बीकानेर सरकार चितित हो रही थी। अब माधोसिंह की प्रगति सरकार के लिए

नाकाविले वरदास्त होती जा रही थी और अंत मे एक दिन रियासत के प्रधानमत्री ने गंगानगर पहुँचकर अपने ही स्तर पर उसे परिषद् से तोड़ने का व्यक्तिगत प्रयास किया, अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए, अनेक प्रकार का भय दिखलाया और चाहा कि वह परिषद से संबध तोड़ ले पर जब माधोसिह चट्टान की तरह दृढ़ रहकर भय और प्रलोभन से अप्रभावित रहा तो 27 जुलाई 1945 को प्रधानमत्री की आज्ञा के अधीन उसे 24 घंटे में रियासत छोड़ने का आदेश दिया जो उसने मानने से इकार कर दिया। उसे जवरदस्ती भटिंडा पहुँचा दिया गया। उन्हे ऐसे समय निर्वासित किया गया जब उनकी धर्मपत्नी अत्यन्त रोगग्रस्त अवस्था में पीड़ित थी और घर मे कोई अन्य पुरुष ऐसा नही था जो उस रोगिनी की देखभाल कर सके। 12 अगस्त को हिन्दी दैनिक हिन्दुस्तान ने लिखा कि माधोसिह के निर्वासन के वाद उसकी अनुपस्थिति में दयावश या कर्त्तव्य समझकर कोई पड़ौसी या रिश्तेदार उसकी रुग्ण और पीड़ित पत्नी की पूछताछ करने जाता है तो सी.आई.डी. और मुकामी पुलिस वाले उसका पीछा नही छोड़ते और उसे हर प्रकार से डरा धमका कर भगा देते है।

चन्द्रकला से गोयल के उत्पीड़न की जानकारी

इसी समय अखवारों मे खवरे आने लगी कि अनूपगढ़ मे गंगादास और लूणकरणसर में गोयल के स्वास्थ्य की हालत चिंताजनक होती जा रही है। अनूपगढ़ तक तो किसी की पहुँच न होने से समाचार पूरे नही मिल रहे थे पर लूणकरणसर में गोयल परिवार सहित रहने लगे थे इसलिए उनकी बड़ी पुत्री चन्द्रकला जव-जव वीकानेर आती तो वहां के हालात का कुछ वर्णन उसकी जुवानी वीकानेरवासियों को सुनने को मिल जाता था।

गोयलजी की हालत लूणकरणसर में अच्छी नहीं है यह समाचार-पत्रों में पढ़कर मै दुखी और उद्विग्न हुवा परन्तु क्या करता ? उनसे मिलने की इजाजत तो मुझ को कौन देता और लुक-छिपकर जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी। एक दिन मालूम पड़ा कि चन्द्रकला, गोयलजी की साहसी और विदुषी पुत्री, लूणकरणसर से वीकानेर आई हुई है तो गोयलजी के घर जाकर चन्द्रकला से मिला। मैने अनूपगढ़ से अपना छुटकारा किस तरह प्राप्त किया था, इसका सारा किस्सा मालूम होते हुए भी वह मेरा आदर पहले की तरह ही करती रही। मैंने उससे वावूजी के और कुटुम्व के हालात पूछे तो हालात वताते हुए उसने कहा, 'कुटुम्व के हालात तो संक्षेप मे इस प्रकार है कि मैं वनस्थली से वीकानेर पहुँची तव तक वीणा, रेणु, इन्दू और शीनू इन चार भाई-वहनो में से वीणा वहन और शीनू भाई तो भगवान को प्यारे हो गये थे और भाई इन्दुभूषण को वेहद कमजोर और मरणासन्न स्थिति में पाया। लूणकरणसर मे पानी प्राप्त करने का केवल एक ही जरिया है और वह है रेल की टंकी द्वारा लाया हुवा पानी। वहां एक टंकी भी है जिसका पानी अक्सर वदवूदार होता है। रेल्वे स्टेशन से घर तक पानी लाने के पैसे अलग लगते है और वह भी पैसे देने पर भी जितना चाहो उतना और जव चाहो तव नही मिलता।

मकान के नाम पर नौ घन फुट की कोठरी है उसी में सर्दी, गर्मी, बरसात, आँधी, रसोई उठना-बैठना, सोना, पढ़ना-लिखना सभी कुछ करना होता है। उसमें छः सात प्राणियो का परिवार और कभी-कभी बड़ी मुश्किल से (तथा अपमान सहकर) आने वाले मेहमान गुजारा करने को मजबूर हैं। उसमे भी सॉप, बिच्छू के प्रायः दर्शन होते ही हैं, जीवन दिन रात हुचके मे बिताना पड़ रहा है। कहने को तो बाबूजी की वकालत खुली है पर लूणकरणसर में मुकदमें है कहां? और बाबूजी तक पहुँचने किसे दिया जाता है जो वकालात कर ले। स्वयं बाबूजी तो पोस्ट ऑफिस और स्टेशन तक भी नही जा सकते क्योकि इसके लिए उन्हें लिखित रूप में हुकुम लेना अनिवार्य किया हुवा है। बाबूजी को कहीं जाने की छूट नहीं है और अगर कोई मुवक्किल उन तक पहुँचना चाहे तो आई.जी.पी. साहब उसे बाबूजी तक आने की इजाजत नही देते और इनकारी भी लिखित में नहीं दी जाती। लिखत मांगने पर 'हमारी तो जुबान ही कानून है (माई वर्ड इज लॉ)' ऐसा उत्तर आई.जी.पी. साहब से मूलचन्द, मेघराज और अनेकों को अनेक बार मिला है। अपने पैसो से मंगाया हुवा अखबार कभी दो दिन से कभी तीन दिन बाद मिलता है और अक्सर हफ्ता-हफ्ता भर मिलता ही नहीं है तो पैसे क्यो व्यर्थ लगाये जाये। अखबार बंद कर देना पड़ा। डाक भी बीकानेर से डाली हुई 8-10 दिन में मिलती है क्योंकि सेन्सर की जाती है और कई बार तो सेंसर करने वालो द्वारा असावधानी से खोलने के कारण चिट्ठी भी फटी हुई मिलती है। और कभी-कभी तो सेसर के नाम पर दी ही नहीं जाती। हमारी माताजी व बहन भाइयों को स्टेशन पर उतरते ही जकात के नाम पर बेहद परेशान किया जाता है और जामा-तलाशी के नाम पर स्टेशन पर सरे आम बेइज़्ज़ती की जाती है जबकि जकात लगती ही है रियासत के बाहर के आने वालो पर। मेरी हालत बीकानेर आने-जाने में बड़ी परेशानी की होती है। बाबूजी को स्टेशन पर जाने की इजाजत नहीं इसलिए रास्ते में एक पेड़ पड़ता है वहीं तक वे मुझे पहुँचाते है और लूणकरणसर पहुँचती हूँ तो बाबूजी उस पेड़ के नीचे मेरी बाट जोहते खड़े मिलते है तो बड़ा दुख होता है। खुद लूणकरणसर का पानी नमक से भी ज्यादा खारा है जिसे पीना तो दूर कुल्ला करने पर भी मुँह से खून निकलते लगता है, नहाने पर बाल जुड़ जाते है। अब गर्मी आ गई है तो आंधियां खूब आती है। निबटने की कोई व्यवस्था परिसर मे न होने से सुबह बहुत जल्दी यानी साढ़े तीन बजे ही उठकर अम्मा के साथ जाना पड़ता है। पहले कभी ऐसा हुवा नही इसलिए बहुत-बहुत खराब लगता है, पर मजबूरी है, करें तो क्या करें? कपड़े हफ्ते में एक बार धोते है। नहाते भी है तो, खाट खड़ी करके, उस पर कपड़ा डालकर, उसके पीछे बैठकर। वह भी खराब लगता है पर जगह कहां है। बाबूजी गोडे तक की धोती पहने दिन रात बिताते हैं और बच्चे गंजी-जांघिया से संतोष करते है। बहन सब्बो पायजामा पहनकर काम चला लेती है। रात को बाहर छत पर सोते हैं। बहुत तेज आंधी में उसी कमरे में बाबूजी-अम्मा बैठे रहते हैं, हम बच्चो को सुला देते है क्योंकि जगह की तंगी है। मैं और मेरी छोटी

वहन सब्वो भी बारी-बारी से जागते रहते है पर अम्मा को लिटा देना चाहते है। बाबूजी तो प्रायः जागते ही रहते हैं। ऐसे हमारे दिन इस भयकर गर्मी मे कट रहे है। वहा की सरकारी डिस्पेंसरी में केवल मात्र एक कम्पाउंडर मिलता है, पर भला आदमी है। वह स्वयं दिन में एक बार आ जाता है। उसने अपनी योग्यातनुसार मेरा इलाज भी किया है पर दवाओं का साधन उसके पास है ही नहीं और दवाई की कोई दुकान नही है। नौ-दस महीनो से बाबूजी नजरबंद ही है—पैसा आखिर आवे तो कहा से आवे। आर्थिक तगी खूब महसूस हो रही है। भयंकर गर्मी, आंधी, लू और पानी की सीमित मात्रा के कारण उल्टी, दस्त। सब्वो, रनो (वहनों) और मधु (भाई) का लीवर भी खराव हो गया है। उसी कम्पाउंडर की सलाह पर बाबूजी ने गौ-मूत्र मे थोड़ा बाइकार्ब चुटकी भर डालकर उन लोगो को पिलाया जिससे कुछ लाभ हुआ है। बाबूजी थाना और पोस्ट ऑफिस भी नही जाते है। पोस्ट ऑफिस का काम वही के एक तातेड़ वधु कर देते है। बाबूजी ने बार बार सरकार को अपनी आजीविका के लिए धनोपर्जिन की सुविधा के लिए लिखा है परन्तु सरकार का कोई जवाव ही नहीं आता। सरकार को भेजे गये आवेदन मानो कूवे में डाल दिये गये हों। जहा हम रहते है वहां पुलिस तो पहरे पर नही है किन्तु सी.आई.डी. अवश्य उस स्थान को घेरे रहती है। ऐसे मे भी तातेड़ वधु कभी नही डरा। उसे मालूम होने वाली सभी बातो की सूचना देने वह आता रहता है किन्तु आता रात को ही या फिर ऐन सबेरे। पानी भी उस समय देकर जाता है। मटकी का पानी बाहर रखा गर्म हो जाता है, पर उसी को पीना पड़ता है। घोर गर्मी में पीने का गर्म पानी। पर क्या करें मजबूरी है। बाबूजी का धैर्य सराहनीय है। इतने सब कष्टों के बावजूद हमारा जीवन नियमित है। बाबूजी और अम्मा नियमित चर्खा कातते हैं। 'राग रहित हो जन सेवा की प्रवल भावना नमो नमः', यह गीत हम रोज गाते हैं।

कभी-कभी बाबूजी शारीरिक रूप से अधिक बीमार हो जाते है तो भी शात रहते हैं पर हमारा धैर्य छूटने लगता है। कभी-कभी डाक्टर भी डिस्पेन्सरी मे मिल जाता है पर वह भी दवा लिखकर चला जाता है क्यो कि डिस्पेंसरी मे तो कुछ है नही। अव दवा प्राप्त करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम कहे तो किसे कहें और कौन बीकानेर जाकर दवा लाकर देवे। ऐसे मे हमे तभी सहारा मिलता है जव मूलचन्द मुशी लुकछिप कर रात को पहुँच जाता है और किसी तरह दवा बीकानेर से आ जाती है। अभी कुछ समय से बाबूजी का स्वास्थ्य बहुत गिर गया है। एक दिन डाक्टर स्वयं चिंतित लगा। दवा के रुक्के में एक इन्जेक्शन लिखा गया, पर मंगावे कैसे? उसी रात को दियातरा के भैरूंदानजी छल्लाणी आ गए तो उनके साथ रुक्का बीकानेर भेज दिया। पर मूलचन्द भी परिषद् के कार्य से कलकत्ता की ओर गया हुवा होने से छल्लाणीजी ने वह रुक्का शंकरमहाराज को दे दिया। शंकर महाराज पूरे सेवाभावी हैं मगर चतुर और चंट न होने से असमजस मे पड़ गये। फिर भी दूसरे दिन ही रात को लुक-छिप कर हमारे पास इंजेक्शन लेकर पहुँच ही गये। आधी रात के बाद 'बावूजी'-'बावूजी' की आवाज लगी

तो आवाज से हमने पहचान लिया कि शंकर महाराज है। साथ मे इन्जेक्शन लाए हैं यह देखकर हमें वहुत खुशी हुई। रात को कम्पाउंडर ने सूई लगा दी और शंकर महाराज रात ही को वीकानेर लौट गये। इस तरह हमारा जीवन सकुटुम्व वीत रहा है।

वंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका

इतना सब विस्तृत हाल सुनाने के बाद चंदोवाई ने मुझे धीरे से यह नई बात वताई कि प्राईम मिनिस्टर और महाराजा को भेजे गए सारे आवेदन-निवेदन अनुत्तरित होने से वावूजी ने अव न्यायालय की शरण लेने के लिए एक हेबियस कॉरयस की यानी वंदी प्रत्यक्षीकरण की दरखास्त 15/5/45 को ही प्राईम मिनिस्टर की मार्फत भिजवाई है जिसमें अव तक उनके साथ व उनके कुटुम्ब के साथ किए जाने वाले गैरकानूनी और दमनकारी व्यवहार की पूरी विगत दी है और प्रार्थना की है कि 'मुझे हाईकोर्ट, अपने सामने उपस्थित करा कर मेरी सुनवाई करे और सरकार की गैरकानूनी हरकतो और आज्ञाओं को निरस्त करके मुझे वंधन मुक्त करे।' चंदोबाई ने यह सब विस्तृत जानकारी देकर कहा कि न्यायालय की ओर से न्याय मिलेगा ऐसी प्रवल आशा है। पर वहां से भी न्याय न मिला तो परमात्मा ही रखवाला है।

इतना सव बताकर चंदोवाई ने मुझे वताया कि वह कुछ जरूरी सामान और दवाईयां लेने आई थी और रात को ही लूणकरणसर लौट रही है। मुझ से मिलना हो गया तो दिल का दर्द हल्का हो गया।

अध्याय सातवां

व्यक्ति-संघर्ष से जन-आन्दोलन की ओर

व्यक्ति-संघर्ष से जन-आन्दोलन की ओर

नन्हा-सा दीपक अब न बुझ सकने वाली मशाल बनने चला

राठौड़ वंश के इक्कीसवें और बाईसवें शासको के निरंकुश और दमघोटू शासन के घनघोर अधकार को मिटाने के लिए श्री गोयल के नेतृत्व मे 22 जुलाई सन् 1942 को जो प्रकाश-दीप, 'प्रजा परिषद्' के रूप में मात्र तेरह सस्थापक सदस्यो की टोली ने प्रज्वलित किया था वह अब इन नरेशों की दमन रूपी फूंक से बुझने वाला नहीं था। आजादी के दीवाने एवं उत्सर्ग के लिए तत्पर पतंगो को क्या कभी किलों, कस्वो और कारागृहों की दीवारें रोक सकी है? ज्यों-ज्यों इस नन्हें-से आजादी के दीपक को बुझाने के लिए दमन रूपी फूकें मारी जाने लगी त्यों ही त्यो इस की लौ तेज होती गई और अप्रेल सन् 1945 के नागौर सम्मेलन के वाद तो यह दीपक मशाल का रूप लेता नजर आने लगा और मई, जून और जुलाई की प्रचंड गर्मी में इस मशाल का प्रकाश उत्तर में गंगानगर क्षेत्र और पूर्व में चूरू क्षेत्र के आजादी के दीवाने पतंगों को आकर्षित करने लगा। उत्तर में राव माधोसिह इस मशाल को अपने हाथों में थामे अनेको पतंगों को आकर्षित करने मे सफल हो रहे थे तो पूर्व में चूरू, राजगढ़ आदि क्षेत्रों में चौ. हनुमानसिंह सैकड़ों पतंगों को आकर्षित कर प्रजा परिषद् रूपी मशाल की लौ को और तेज करने में सफल हो रहा था, जिसका लोमहर्षक दृश्य आगे के अध्यायों मे विस्तृत रूप में देखने को मिलेगा। इसी समय विद्यार्थी-जगत में इस मशाल को ले जाने में दामोदर सिघल किसी से पीछे नहीं था। इस अध्याय मे हम देखेगे कि सन् 1945 के इन महीनों में इस मशाल को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय तेज हवाओं से कितना वल मिला। यह वर्ष 1945, विश्व और राष्ट्र में उथल-पुथल मचा देने वाला वर्ष सिद्ध हो रहा था, तो बीकानेर कैसे अछूता रह सकता था?

विश्वव्यापी हलचलों का प्रभाव

विश्व के रंगमंच पर सन् 1939 मे शुरू हुए युद्ध में धुरी-राष्ट्रें अर्थात् जर्मनी और जापान आदि का वढ़ता कदम अव ठिठकने लगा था और मित्र-राष्ट्रों का पलड़ा भारी होता चला जा रहा था। जो जापान अब तक मलाया, सिगापुर से आगे वढ़कर रंगून को कब्जे में कर चुका था और भारत की भूमि पर आगे वढ़ने को तत्पर था वह अव आगे वढ़ने में असमर्थ हो रहा था और मित्रराष्ट्रों की फौजों ने उसे पीछे खदेड़ कर रगून पर पुनः अधिकार जमा लिया था। दिन प्रति दिन मित्र राष्ट्र सफलता की मंजिल पर आगे वढ़ते जा रहे थे और उनका हौसला वुलंद था। 1 मई 1945 को हिटलर की मृत्यु के समाचार मिले और उसके एक सप्ताह वाद ही जर्मनी ने पूर्ण समर्पण कर दिया और उसके साथ ही यूरोप मे युद्ध

समाप्त हो चुका था। जापान अभी तक डटा हुआ था। अगस्त 1945 मे हिरोशिमा के ऊपर एटमवम गिरने के साथ जी जापान ने भी समर्पण कर दिया और द्वितीय विश्वयुद्ध पूरी तरह समाप्त हो गया था। लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर लड़े गये इस विश्वयुद्ध मे विजेता राष्ट्र अर्थात् रूस, अमेरिका और ब्रिटेन अव पराजित राष्ट्रों को एकदम निर्वल वनाकर उनको लूटने की वदर-वांट में लगकर विश्व के नव-निर्माण के लिए पुरानी विश्व संस्था लीग ऑफ नेशन्स को संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में वदल चुके थे। नव-निर्माण के निमित्त ब्रिटेन में राष्ट्र मंडल सम्पर्क सम्मेलन अर्थात् कॉमनवेल्थ रिलेशन्स कान्फ्रेस, सानफ्रांसिस्को में विश्व सुरक्षा सम्मेलन अर्थात् वर्ल्ड सेक्युरिटी कांफ्रेंस होने को था और उसके वाद 46 देशों के प्रतिनिधियों की सभा भी होने को थी। इन सभी सम्मेलनों में लोकतंत्र की रक्षार्थ युद्ध लड़ने वाले ब्रिटेन को भी अपने अधीन राष्ट्रों मे लोकतंत्र की छवि दिखानी थी। इस सिलसिले में भारत के वारे में अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उस समय क्या कुछ हो रहा था उसका स्पष्ट विवरण देते हुए डा. पट्टाभिसीतारमैया ने कांग्रेस के इतिहास के तृतीय खंड में लिखा है कि वड़ी चतुराई के साथ गुलाम भारत की तरफ से भी कुछ ऐसे लोगों को प्रतिनिधि वनाकर भेजा गया जो विश्व-राष्ट्रों को भारत में लोकतंत्र के अस्तित्व का आभास दे सकें। विश्व सुरक्षा सम्मेलन होने से पहले लार्ड लिस्टोवेल ने पीटरवरी के युवक सम्मेलन में भाषण देते हुए कहा, 'सीधे-सादे शब्दों में सवाल लंदन में वैठी अंग्रेजी सरकार के हाथ से शासन व्यवस्था भारतीय लोकमत का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं को हस्तांतरित करने का है।' ये शब्द सानफ्रांसिस्को सम्मेलन के विचार से कहे गये थे। लार्ड लिस्टोवेल ने यह चेतावनी भी दी कि ब्रिटेन के वारे में यह न कहने को रह जाय कि हमने वहुत थोड़ा और वह भी देरी से दिया। इन शब्दों में वेशक सचाई की गंध थी किन्तु ब्रिटिश राजनीति सत्य और कूटनीति का ऐसा सम्मिश्रण रही है कि एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ब्रिटेन में युद्धकाल से ही अनुदार टोरी दल का शासन चला आ रहा था जो भारत को आजादी देने को अनिच्छुक था पर ब्रिटेन की आम जनता का क्या रुझान था इस पर प्रकाश डालते हुए डा. पट्टाभी ने इसी तृतीय खंड में आगे वताया है कि 'ब्रिटिश लोकमत इस वात पर जोर दे रहा था कि भारत मे राजनैतिक अड़ंगे को दूर करने मे भारत और ब्रिटेन दोनों का ही समान रूप से लाभ है।' राष्ट्रमंडल सम्पर्क-सम्मेलन में ब्रिटेन की मिट्टी खराव हुई क्योंकि भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेता, फेडरल कोर्ट के एक जज, सर मोहम्मद जफरूल्ला ने साहसपूर्वक भारतीय स्वाधीनता के लिए तारीख निश्चित करने की मांग उपस्थित कर दी।

मई 1945 में सवसे महत्वपूर्ण वात यह रही कि अमरीका की इंडिया लीग के प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित द्वारा सानफ्रासिस्को के सम्मुख एक आवेदन उपस्थित किया गया जिसमे उन्होंने सिर्फ जनता का ही नही अपितु भारत व दक्षिण-पूर्व एशिया की 60 करोड़ जनता का भी हवाला दिया था। आपने कहा था कि भारत का मामला सम्मेलन की परीक्षा के समान है और वर्लिन के पतन के साथ नाजीवाद व फासीज्म का तो दिवाला निकल चुका है और अव केवल साम्राज्यवाद ही मिटने के लिए शेष रहा है। परन्तु जहां तक सानफ्रांसिस्को सम्मेलन के सम्मुख भारतीय

स्वाधीनता का प्रश्न उपस्थित करने का संवध था, भारत की इस गैर-सरकारी 'राजदूत' श्रीमती पंडित के प्रयत्न बेकार सिद्ध हुए। भारत सरकार के नामजद प्रतिनिधियों की ओर से यह आवेदन प्रस्तुत न होने के कारण इसे अनियमित ठहरा दिया गया।

इसी समय सोवियत रूस की भी भारत के प्रति सहानुभूति स्पष्ट रूप से प्रकट हुई जब रूस के विदेश मंत्री श्री मोलोटोव ने एक ऐसा वक्तव्य दिया जो असंदिग्ध था। श्री मोलोटोव ने यह वक्तव्य संयुक्त राष्ट्र संघ की उस सभा में दिया जिसमें विश्व के 46 देशों के 1100 प्रतिनिधि उपस्थित थे। उन्होंने कहा, इस समय में हमारे मध्य एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल भी है, किन्तु भारत स्वाधीन राष्ट्र नहीं है। हम सभी जानते हैं कि वह समय आयेगा जब स्वाधीन भारत की आवाज सुनी जायेगी।' परोक्ष रूप से उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की ओर इशारा किया कि ब्रिटिश सरकार द्वारा गुलाम भारत की तरफ से जो प्रतिनिधि मंडल विश्व संस्था मे भेजा गया है उसकी आवाज स्वतन्त्र भारत की आवाज नही मानी जा सकती। इस प्रकार सारे विश्व-राष्ट्रों की भारत के प्रति प्रकट हो रही सहानुभूति ने ब्रिटिश सरकार को प्रभावित किया।

राष्ट्रीय रंग-मंच पर बदलाव के चिह्न

विश्व के राजनैतिक रंगमंच पर भारत के पक्ष में हुए इन प्रयत्नों के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार की नीति में परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगा। 9 अगस्त 1942 के अंग्रेजो भारत छोड़ो और करो या मरो के प्रस्ताव के साथ ही देश भर के समस्त नेता जेल के सीखचों के पीछे कर दिये गये थे। जब कांग्रेस के हाथ-पैर बंध गये, जब उस तक पहुँचने का मार्ग अवरुद्ध हो गया और उसकी आवाज को किलों व जेलखानों के भीतर बंद कर दिया गया तो उसके कितने ही मित्र व शुभचिंतक अपने-अपने ढंग से किलो व जेलखानों के फाटक खुलवाने व गुत्थी को सुलझवाने का प्रयत्न करने लगे। अब तक ब्रिटिश सरकार 9 अगस्त 42 के प्रस्ताव से चिढ़ी हुई थी और उसकी यह जिद चली आ रही थी कि उस प्रस्ताव को वापिस लेने पर ही बातचीत और रिहाई का रास्ता खुल सकता है। दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार को अब यह लगने लगा कि कांग्रेस किसी भी सूरत में प्रस्ताव को वापिस लेने को तैयार नही है, और विश्व का जनमत ब्रिटिश सरकार के ही खिलाफ जा रहा है, तो उसने अपनी जिद छोड़ दी और मध्य जून में सारे ही नेताओं को बिना शर्त रिहा कर दिया गया।

राष्ट्रीय नेताओं की रिहाई पर भारत में जन-उत्साह की बाढ़

कांग्रेसी नेताओं की रिहाई होने को है, ऐसी खबर सुनते ही भारत भर में उत्साह की लहर उमड़ पड़ी। नेतागण जो तीन साल से जेल मे पड़े-पड़े यह अनुमान कर रहे थे कि नेतृत्व के अभाव मे भारतीय जन-जीवन में मायूसी का महौल देखने को मिलेगा पर हुआ ठीक इसके विपरीत। रिहाई होने वाली है, इसकी भनक पड़ते ही किलों और जेलों के आगे नेताओं का स्वागत करने हजारों-हजारो की भीड़ जमा होना शुरू हो गई और जय-जयकार के नारों से भारत का वातावरण गूँज उठा। नेताओं के जेल से छूटते ही भारतीय गुत्थी को

सुलझाने के प्रयत्नों मे वायसराय लार्ड वावेल ने गर्मी के मौसम का खयाल रखते हुए तमाम राजनैतिक पार्टियो का सम्मेलन शिमला में रखा जिसे शिमला-सम्मेलन के नाम से पुकारा गया। इसनें वायसराय का यह प्रस्ताव आया कि राष्ट्र की आजादी के प्रश्न को अंतिम तौर पर सुलझाने से पहले एक यार आम सहमति से सारे राजनैतिक दल मिलकर अन्तरिम काल के लिए एक राष्ट्रीय मिली-जुली सरकार बनाकर देश का भार संभाल लेवें तो उत्तम होगा। यह सम्मेलन 30 जून से शिमला में शुरू हुआ और 15 दिन तक चलता रहा पर 14 जुलाई को असफल घोषित हुआ क्योंकि मुस्लिम लीग अंतरिम मंत्रिमंडल में अपने पचास प्रतिशत मंत्री लिए जाने की मांग पर अड़ गई और वार्ता टूट कर सम्मेलन असफल घोषित हो गया। इस असफलता का दोष अंततोगत्वा ब्रिटिश सरकार पर ही आता है क्योंकि उसके प्रतिनिधि वायसराय लार्ड वावेल आवश्यक दृढ़ता तथा निर्भयतापूर्वक कार्य न कर सके। सम्मेलन को मुस्लिम लीग ने जो क्षति पहुँचाई उसका निवारण करने की शक्ति वायसराय में थी, पर उन्होंने ऐसा नही किया। इससे ब्रिटिश सरकार की फूट डालने वाली शक्तियों के समर्थन की कुटिल नीति के अभी भी चालू रहने का प्रमाण सामने आया। घटनाचक्र तेजी से यदल रहा था। उधर ब्रिटेन में पुरानी पार्लियामेंट 8 जून को भंग हो गई और नया चुनाव 5 जुलाई को हुआ और 10 जुलाई को मजदूर दल की सरकार की स्थापना हो गई। भारत मे केन्द्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के आम चुनावो की घोषणा कर दी गई। 19 सितम्बर को वायसराय लार्ड वावेल ने राष्ट्र के नाम ब्राडकास्ट किया। केन्द्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के चुनाव, जो अब तक युद्ध के कारण स्थगित थे, आगामी शीत ऋतु में किये जाने की घोषणा कर दी गई।

नए चुनावों की घोषणा से लोगो में एक नया जोश भर गया था। वे जनमत के आधार पर वनी सरकार की संभावना से उल्लसित थे। चुनाव सभाओं में भारी भीड़ होने लगी। पचास-पचास हजार लोगों का जुट जाना तो मामूली वात थी। जव किसी वड़े नेता के आने की खवर होती तो एक लाख या इससे ज्यादा भी लोग आ जाते। नेहरू तक ने, जो 1937 के चुनावों में वेहद सक्रिय रहे थे, स्वीकार किया कि 'मैने इतनी भीड़, इतना उन्मादपूर्ण उत्साह इसके पहले कभी नही देखा था'। उन चुनाव क्षेत्रों को छोड़कर जहा राष्ट्रवादी मुसलमान चुनाव लड़ रहे थे, उम्मीदवारों को न तो वोट मागने की जरूरत थी और न पैसा खर्च करने की। वस्तुतः चुनाव प्रचार का लक्ष्य वोट वटोरना नहीं वल्कि जनसाधारण को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खड़ा करना था। चुनाव प्रचार ने दो मुद्दों को उठाकर लोकप्रिय बनाया, वे मुद्दे थे—(1) सन् 1942 व उसके वाद का दमन और (2) आजाद हिंद फौज के युद्धवंदियों के खिलाफ मुकदमें। दिसम्बर 1945 में नए चुनाव हो गये और कांग्रेस प्रचंड बहुमत से चुनावों मे विजयी रही। सन् 1945 का अंत सुखद रहा। (देखो विपिन चन्द्र आदि का 'भारत का स्वतन्त्रता संघर्ष' पृष्ठ 378)

आजाद हिंद फौज के युद्ध-वंदियों का मुकदमा और उसकी पृष्ठभूमि

जिस मुद्दे ने लोगो की भावनाओं को सवसे ज्यादा उद्वेलित किया था वह यह था कि आजाद हिंद फौज के युद्ध वंदियो का अव क्या होगा ?

सन् 42 मे जब धुरी राष्ट्र जर्मनी और जापान, विजय पर विजय पाते हुए अग्रसर हो रहे थे तो एशिया में जापान को आगे बढ़ने से रोकने के लिए ब्रिटिश फौजों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। जब ब्रिटिश फौजें एशिया में जापान से युद्ध कर रही थी उस समय भारत के एक व्यक्ति मोहनसिंह ब्रिटिश भारतीय फौज में अफसर थे। जापानी फौज की आंधी के सामने ब्रिटिश फौजें पीछे हटने को मजबूर हो रही थी उस समय सबसे पहले उक्त मोहनसिंह को ही अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के बजाए भारत की आजादी के लिए एक 'आजाद हिंद फौज' बनाने का खयाल आया। ब्रिटिश फौजों के पीछे हटते जाने के अवसर पर उक्त मोहनसिंह जापानियों के साथ हो गये और जापानियो ने पीछे हटती हुई ब्रिटिश भारतीय फौज के सैनिकों को बड़ी संख्या में बंदी बना लिया और इन भारतीय युद्ध बंदियो को मोहनसिंह के सुपुर्द कर दिया।

सिंगापुर का जापानियों के हाथ आना इस दृष्टि से महत्वपूर्ण था क्योंकि पैंतालीस हजार युद्ध बंदी मोहनसिंह के प्रभाव क्षेत्र मे आ गए। सन् 42 से अब तक चालीस हजार सैनिक आजाद हिद फौज में भर्ती होने को उत्सुक थे। अत. आजाद हिंद फौज का निर्माण हुआ। इस भारतीय आजाद हिंद फौज ने यह घोषणा कर दी थी कि वह कांग्रेस व भारतीय जनता के आह्वान पर हरकत में आयेगी। आजाद हिंद फौज के द्वारा जापानी फौजों के साथ सहयोग करने में यह आशा भी काम कर रही थी कि जापान की विजयी फौज भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार नही करेगी।

आजाद हिंद फौज का दूसरा चरण तब शुरू हुआ जब 3 जुलाई 1943 को सुभाष चन्द्र बोस को जर्मन और जापानी पनडुब्बी द्वारा सिंगापुर लाया गया और वहां से उन्होंने टोकियो जाकर जापान के प्रधानमंत्री टोजो से बात की जिसके फलस्वरूप टोजो ने घोषणा की कि जापान भारत पर कब्जा करना नही चाहता। तारीख 31 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर लौटकर सुभाष ने अपनी स्वाधीन भारत की सरकार के अस्तित्व मे आने की घोषणा की और देश के बाहर अस्तित्व में आई इस भारतीय सरकार को जर्मनी और जापान ने तो तत्काल ही मान्यता दे दी। आगे जाकर जापानी फौजों का इम्फाल पर किया गया हमला नाकामयाब रहा और जापानी पीछे लौटने लगे। (देखो विपिनचन्द्र का 'भारत का स्वतन्त्रता संघर्ष' पृष्ठ 375 व 376)।

अगस्त 1945 में जापान ने मित्र राष्ट्रों के आगे पूर्ण समर्पण कर दिया तब आजाद हिद फौज के सैनिको को युद्ध बंदी के रूप में भारत में लाया गया और भारत में ब्रिटिश सत्ता द्वारा उन्हें कठोर दंड देने के लिए मुकदमें चलाने की तजवीज शुरू हुई। इस काल मे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आगामी चुनाव की तैयारी करने में आजाद हिंद फौज के युद्धबदियों का मसला अपने हाथ मे ले लिया और आजाद हिद फौज के कितने ही अभियुक्त अफसरों व सैनिकों की पैरवी का प्रबंध किया। कांग्रेस द्वारा उठाये गये इस मुद्दे ने भारतीय जनमानस को सबसे ज्यादा उद्वेलित किया। कांग्रेस ने 'आजाद हिद फौज बचाव समिति' का गठन किया और रिहा होने वाले फौजियों को आर्थिक सहायता देने तथा उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करने के लिए 'आजाद हिंद

फौज राहत तथा जाँच समिति' बनाई गई। जब लाल किले में यह ऐतिहासिक मुकदमा शुरू हुआ तो भूलाभाई देसाई बचाव पक्ष की अगुवाई कर रहे थे। कार्यवाही के पहले दिन नेहरू भी वकीलों की पोशाक पहनकर अदालत में उपस्थित हुए। इस उपस्थिति ने चुनावों को भी प्रभावित किया।

आजाद हिंद फौज को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन के साथ जनता का गहरा जुड़ाव था। सरकार के विरुद्ध जन-रोष तरह-तरह से व्यक्त हो रहा था। छात्र सबसे ज्यादा सक्रिय थे। वे कक्षाओं का बहिष्कार कर रहे थे, सभाओं और प्रदर्शनों का आयोजन कर रहे थे, हड़ताल करा रहे थे, कोष जमा कर रहे थे और पुलिस से संघर्ष भी कर रहे थे। दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी थीं। उनमें से बहुत से सभाओं और जुलूसों में भी जाते थे। जिनमें इतना साहस नहीं होता था वे चंदा देते थे और दूसरों से दिलवाते थे। जिला बोर्डों, नगरपालिकाओं, प्रवासी भारतीयों, गुरुद्वारा समितियों, कैंब्रिज मजलिस, बम्बई और कलकत्ता के फिल्मी सितारों तथा अमरावती के ताँगे वालों ने भी पैसा भेजा। कलकत्ता के गुरुद्वारे आजाद हिंद फौज के पक्ष में प्रचार के केन्द्र बन गये थे। पंजाब के बहुत-से शहरों में उस साल दीवाली नहीं मनाई गई।

सामाजिक और भौगोलिक दृष्टि से भी इस आंदोलन का दायरा काफी बड़ा था। गुप्तचर ब्यूरो के निदेशक ने भी स्वीकार किया कि 'शायद ही कोई और मुद्दा हो जिसमें भारतीय जनता ने इतनी दिलचस्पी दिखाई हो और यह कहना गलत नही होगा कि इतनी व्यापक सहानुभूति मिली हो।' भौगोलिक दायरा भी कम विस्तृत नही था। दिल्ली, पंजाब, बंगाल, संयुक्त प्रांत बम्बई और मद्रास में तो आंदोलन उग्र था ही, कुर्ग, बलुचिस्तान, अजमेर, असम, ग्वालियर और दूर-दूर के गाँवों मे भी संवेदना और समर्थन का वातावरण था। (देखे, विपिनचन्द्र आदि का 'भारत का स्वतन्त्रता संघर्ष' पृष्ठ 378-79)।

बीकानेर पर इस मुकदमे का प्रभाव

बीकानेर रियासत भी इस हवा से प्रभावित हुए बिना नहीं रही और राज्य के विद्यार्थियों ने 'जयहिंद' का नारा अपना लिया। राजधानी बीकानेर नगर और अन्य कस्बों में विद्यार्थी एक दूसरे का अभिवादन 'जयहिंद' से करने लगे। (बीकानेर अभिलेखागार की गोपनीय फाइल गृह विभाग सन् 1945/45 व 1945/76 के अनुसार) इतना ही नहीं, बीकानेर में रामपुरिया विद्यालय मे नवीं कक्षा मे अध्ययन कर रहे गंगादास कौशिक के सबसे बड़े पुत्र द्वारका ने तो एक दिन जब अध्यापक द्वारा कक्षा में उपस्थिति अंकित करने के लिए विद्यार्थियों के नाम पुकारे जा रहे थे तो उसके उत्तर में 'यस सर' या 'हाजिर' कह कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के बजाय बुलन्दी के साथ 'जयहिंद' कह कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कक्षा का अध्यापक भौचक्का रह गया। उसने तत्काल कक्षा छोड़कर हेड मास्टर से जाकर रिपोर्ट की। हेडमास्टर ने उसी समय जाँच की तो पाया कि यह विद्यार्थी प्रजापरिषद् के मंत्री गगादास कौशिक का पुत्र है और

अपने पिता के अनूपगढ़ में नजरबंद होते हुए भी क्लास मे 'जयहिंद' का नारा लगाने की हिमाकत कर रहा है। हैडमास्टर ने तत्काल ही शिक्षा निदेशक और आई जी पी. को इस घटना (जिसको वे दुर्घटना समझ रहे थे) की रिपोर्ट की और उसी दिन विद्यालय बद होने से पहले ही इस द्वारका को विद्यालय से रेस्टिकेट कर दिया गया यानी निकाल दिया गया। बाद मे पता चला कि राज्य की तमाम स्कूलों के हैडमास्टरों को एक गुप्त सरक्यूलर भेज कर इस बीमारी को तत्काल रोकने की जिम्मेदारी उन पर डाल दी। बीकानेर के प्रधानमंत्री श्री पणिकर द्वारा गत वर्ष 6 अक्टूबर सन् 1944 को लालगढ़ मे बुलाई गई सेठ-साहूकारों की सभा मे अनजाने मे कहे गये इस सत्य को कैसे झुठलाया जा सकता था कि जब विचार क्रांति होती है तो वह भौगोलिक और राजनैतिक सीमाओं की बिल्कुल परवाह नहीं करती और इन सारी कृत्रिम सीमाओं को लांघ ही जाती है।

अखबारों में जब रामपुरिया विद्यालय से द्वारका के निष्कासन की खबर रियासत भर में पहुँची तो यह रोग छूत की बीमारी की तरह जगह-जगह फैलने लगा और नोहर हाईस्कूल के विद्यार्थियों ने भी अपनी कक्षाओं में इसी प्रकार हाजरी देने की शुरूआत कर दी और जब कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी गई तो उनका उत्साह और बढ़ गया और रात्रि के समय विद्यार्थी-समूह ने विद्यालय की भीतों पर जगह-जगह 'जयहिंद' लिखना शुरू कर दिया। सारी भाग दौड़, सख्ती और धमकियों के बावजूद इसे दबाया नही जा सका। नौहर मे एक विद्यार्थी को विद्यालय से निष्कासित करने पर वहां अन्य विद्यार्थियो ने हड़ताल कर दी। बीकानेर के विद्यार्थी भी हड़ताल कर सकते थे पर नहीं की। द्वारका को अकेले ही अपनी शिक्षा की हानि सहनी पड़ी। उसे अन्य विद्यालय मे भी तत्समय तो प्रवेश नही ही मिल सका।

आजाद हिंद फौज के मुकदमों के समाचारो को बीकानेर की सरकार रोकने में बिल्कुल असमर्थ रही क्योंकि किस-किस अखबार के प्रवेश पर पाबंदी लगाती। फल यह हुआ कि जब प्रजापरिषद्‌वालों ने गंगानगर मे प्रचार का काम शुरू किया तो कई स्थानों पर 'जयहिंद' के अभिवादन से उनका स्वागत हुआ और गंगानगर जिले ने तो आजाद हिंद फौज के सैनिकों की सहायतार्थ अपनी-अपनी सामर्थ्य के अनुसार चंदा भी दिया। इस काल में आजाद हिंद फौज के हितार्थ चदा देना और इकट्ठा करना गाधी के अन्य रचनात्मक कार्यों की तरह एक रचनात्मक कार्य माना जाने लगा जिसमें लुके-छिपे राजकर्मचारीगण भी गुमनाम की रसीदें लेकर चंदा देने लगे और गृहमंत्री इसको रोकने मे फैल हो गए।

इतना ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में ऐसा जोश आया कि उन्होंने अपनी-अपनी स्कूलों के हैडमास्टरों और कालेजों के प्रिंसीपलों से यह माग करनी शुरू कर दी कि स्कूलो और कॉलेजों में जो रुपया विद्यार्थी कोष में जमा होता था उसे आजाद हिंद फौज के चंदे मे दिया जाए। सरकार को इसकी रिपोर्ट मिलने पर सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और 'आजाद हिंद फौज के मुकदमो पर विद्यार्थियो की प्रतिक्रिया और उस पर

निगरानी रखने की समस्या' इस शीर्षक से एक अलग से गोपनीय फाइल का निर्माण किया गया जिसकी संख्या 'गृह विभाग फाइल 1945/76' अंकित है। इसमें पहली सूचना राजधानी के रामपुरिया जैन कॉलेज के बारे में है जिसमे रिपोर्ट की गई है कि उसके विद्यार्थियों ने कॉलेज प्रोफेसर श्री घोष के पास पहुँचकर चाहा कि कॉलेज के विद्यार्थियों से सामाजिक समारोह के लिए जो करीब 400/- रुपयों का कोष जमा हुआ पड़ा है उसे आ.हि. फौज के सैनिकों के मुकदमो में उनके बचाव के लिए बने कोष को प्रेषित कर दिया जाए। प्रो. घोष ने उनकी मांग स्वीकार नहीं की। विद्यार्थीगण अब भी इसके लिए दबाव डालने के लिए प्रयत्नशील हैं।

दूसरी रिपोर्ट राजकीय डूंगर कॉलेज के विद्यार्थियों से संबंधित है जिसमें कहा गया है कि इस कॉलेज के विद्यार्थियों ने शिवलाल डागा और कंवरसिह, चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थियों के नेतृत्व में प्रिंसीपल से इजाजत चाही कि वे कॉलेज के विद्यार्थियों से आजाद हिंद फौज के सैनिकों के बचाव-कोष के लिए चंदा इकट्ठा करना चाहते हैं, जिसकी इजाजत दी जाय। उनकी मांग ठुकरा दी गई पर अगले ही दिन उन्होंने लक्ष्मीचन्द गोयल की अध्यक्षता मे विद्यार्थियों की सभा बुलाकर उसमें चंदा इकट्ठा करने का निर्णय लेना घोषित कर दिया। सरकार विद्यार्थी-समाज की इस प्रवृत्ति से चिंतित है। पर इसे रोकने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा है।

राजधानी के सभी कॉलेजों में उपस्थिति अंकित करने के लिए नाम पुकारे जाने पर 'जयहिंद' कहकर हाजरी लिखाई जाने लगी।

इधर गंगानगर के डी.आई.जी.पी. की रिपोर्ट आई कि चक 39 आर.बी. के गुरदयालसिंह और रामसिह ने आजाद हिंद फौज के लिए रुपये 101/- का चंदा जमा कर लिया है।

दूसरी तरफ राजगढ़ से आई रिपोर्ट बताती है कि राजगढ़ कस्बें में घरों की दीवारो पर कोयले से अथवा चाक से 'जयहिंद' के नारे लिखे हुए पाए जा रहे है। जाँच में कोई पकड़ा नहीं जा रहा है। इसी फाइल में स्टेट मे निवास करने वाले आजाद हिंद फौज के लोगों से कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए इसके बारे में सरकारी अमले का मार्ग-दर्शन किया गया है। इसमें बताया गया है कि फौज के कुछ कट्टर सदस्य बड़े उत्साही पाये जाते हैं। वे सारे ही ब्रिटिश विरोधी है। उन पर खास नजर रखी जावे। पर यह निगरानी गुपचुप की जाए ताकि उन्हें उसका पता न चल पाए। युद्ध से पूर्व के अपने धंधे में लगना चाहने वालो को शांतिपूर्वक बस जाने के लिए उत्साहित करके उनकी सहायता की जानी चाहिए। ये लोग ब्रिटिश विरोधी भावनाएं रखते भी हो तो हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि वे राज्य विरोधी न बन जाये। सावधानीपूर्वक यह प्रयत्न किया जाना चाहिए कि उन्हें महाराजा-विरोधी बनने का कोई कारण न मिल सके। उनके 'जयहिंद' से किये जाने वाले अभिवादन को न छेड़ा जाय और प्रयत्न किया जाय कि वे जयहिन्द के साथ ही 'जय बीकाणा' भी कहने लगे। हमे भी संतोष कर लेना चाहिए कि 'जयहिंद' मे 'जयबीकाणा' अन्तर्निहित ही है।

दूधवाखारा किसान आंदोलन का जन्म

भारतवर्ष में सामन्ती प्रथा प्राचीन काल से प्रचलित थी। अनेक राजाओं पर विजय करने वाला सम्राट कहलाता है और राजागण अपने-अपने राज्य की स्थापना में जिन अपने रिश्तेदारो से सहयोग प्राप्त कर राज्य की स्थापना करते है ऐसे सहयोगी सामन्त कहलाते हैं। ये सामन्त प्राय' प्रथम राजा के एवं उसके भाई-भतीजो के उत्तराधिकारी होते है। वीकानेर राज्य की स्थापना में राव वीका के भाई वीदा ने और चाचा कांधल ने जी-जान लगाकर राज्य की स्थापना और फिर उसके फैलाव में अपना रक्त वहाया था। उसके बदले में जिस भू-भाग के शासन और उपयोग का अधिकार देकर एक प्रकार से उन्ही को सौप दिया गया था वे भू-भाग जागीर या ठिकाणा कहलाते थे। इनके मुखिया जागीरदार या ठाकर होते थे और अपनी जागीर के वे एक प्रकार से छोटे राजा ही होते थे। शासन की इस व्यवस्था को सामन्तशाही कहा जाता है।

वीकानेर राज्य के सत्तर से अस्सी प्रतिशत भू-भाग पर सामन्तो का शासन रहा और जो भू-भाग सीधे ही राजा से शासित होता रहा उसे खालसा-क्षेत्र कहा जाता था। महाराजा सूरतसिंह (सन् 1787 से 1828) के शासनकाल मे राज्य के जागीरदारों से संबंध काफी विगड़े हुए रहे। चूरू के जागीरदार ने तो जब एक प्रकार से विद्रोह ही कर दिया तो राजा ने अंग्रेजों से संधि की और अंग्रेजी फौज की सहायता से चूरू व कुछ अन्य ठिकानों पर पुनः महाराजा का अधिकार हो पाया। महाराजा गगासिंह के शासनकाल (1887 से 1943) में जागीरदार महाराजा की सख्ती के कारण पूर्ण रूपेण राज्य के आज्ञानुवर्ती वन गये। (देखें, गोविद अग्रवाल का चूरू मंडल का शोधपूर्ण इतिहास) महाराजा के निकटस्थ कुटुम्बीजन राजवी कहलाते थे। महाराजा के मत्रिमंडल में अधिकतर जागीरदार ही नियुक्त होते थे या फिर वाहर से योग्य व्यक्तियों को लाया जाता था पर इनके अलावा जनता का कोई भी व्यक्ति मत्रिमडल में लिये जाने के अयोग्य ही समझा गया। महाराजा गंगासिह का जागीरदारो पर कठोर नियंत्रण था वह केवल राज्य के प्रति वफादारी की हद तक ही अधिक था और प्रजा के लिए तो ये जागीरदार वैसे ही कठोर थे जैसे पहले से चले आ रहे थे। ये अपने किसानो के साथ कैसा ही व्यवहार करें राज्य उस तरफ प्रायः अनदेखी ही करता रहा। महाराजा गंगासिंह के शासनकाल में जागीरदारों को कितना महत्व दिया जाता था उसका नमूना महाराजा साहब के उन उद्‌गारों में पाया जा सकता है जो उन्होंने 1941 मे मध्यपूर्व के युद्ध क्षेत्र में प्रस्थान करने से पहले प्रजा के नाम सदेश मे उल्लिखित किये है। जागीरदारो के वारे मे वे कहते है, 'हमने उमरावों और सरदारो को पहले भी विश्वास दिलाया है और आज फिर विश्वास दिलाते हैं कि वे सदैव इस राज्य के थम्भे (पिलर) और हमारे राजसिहासन के आभूषण रहेगे। और हम और हमारे पूत-पोते भी उनके वाजिव हको और खास सुविधाओं को कायम रखने और उनकी इज्ज़त और गौरव को वनाये रखने और राज्य मे उन्हें उचित और प्रतिष्ठित स्थान देने का हमेशा प्रयास करते रहेंगे। जव तक उमराव और सरदार राज्य के सामखोर (वफादार) रहेंगे, राजा और राज्य के प्रति अपने कर्त्तव्यो

का पालन करते रहेंगे और जो जागीर बसाने और भोगने की शर्ते हैं उनकी पाबदी करते रहेगे तव तक उमराव व सरकार को यह भय न होना चाहिए कि उनकी जागीर अन्याय के साथ छीन ली जायेगी या उनसे जवरदस्ती ली जाकर किसी दूसरे को दे दी जायेगी चाहे ऐसी जागीरें कायम करते समय और चढ़ाइयो के समय बहुमूल्य सेवाओं के बदले या किसी अन्य कारणों से ही क्यों न दी हुई हो (देखें, बीकानेर-गैरमामूली राजपत्र-गजट, दिनांक 23/10/41)।

जागीर दूधवाखारा

चूरू जिले में चूरू से 18 मील के फासले पर दूधवाखारा गांव स्थित है। इसने एक दूधवामीठा है और दूसरा दूधवाखारा। मुख्य जागीर दूधवामीठा की रही जिसका जिक्र ओझाजी के बीकानेर का इतिहास, भाग 2 के पृष्ठ 737 पर पाया जाता है और दूधवाखारा नाम उक्त इतिहास पुस्तक में कहीं नहीं पाया जाता। फोरेन एण्ड पोलीटिकल डिपार्टमेंट की गोपनीय फाइल सन् 1940 संख्या ए 587-93 मे दूधवाखारा के बारे में विस्तृत जानकारी अंकित है। इसके अनुसार दूधवामीठा के मुख्य जागीरदार के छुटभाइयो के गुजारे के लिए इस नए ठिकाने का निर्माण किया गया था। इसका भोगता रावतसिह था जो सन् 1923 में मर गया। इसके पॉच पुत्र थे, जिनके नाम थे चन्द्रसिंह, लालसिंह, गीगसिंह, गुलाबसिह और दूलेसिह। इस गुजारे मे मिले ठिकाने के भी दो हिस्सेदार थे और दूसरे आधे हिस्से का मालिक था सुगनसिह। रावतसिंह के पॉच लड़कों में बड़ा लड़का चन्द्रसिंह अपने वाप की जिन्दगी में ही मर गया था और इस चन्द्रसिह का एकमात्र लड़का सूरजमालसिह होने से 'टीकाई' व्यवस्था के अनुसार यह उत्तराधिकारी माना जाता परन्तु सूरजमालसिंह दूधवामीठा के मुख्य जागीरदार के गोद चला गया इसलिए रावतसिह का दूसरा लड़का लालसिंह उत्तराधिकार संभालने लगा। पर गोदनामे को गंगासिंहजी ने नामंजूर कर दिया जिसके फलस्वरूप दूधवाखारा के तीन दावेदारों यानी सुगनसिंह, लालसिंह और सूरजमालसिंह के आपसी झगड़े में जागीर के किसान अकारण फँसे जाने लगे और यह इलाका त्राहि-त्राहि करने लगा।

किसानों के सामने बड़ा सकट खड़ा हो गया था कि वे किसको वास्तविक जागीरदार मानकर लगान देवें। ये तीनों ही अपने को जागीरदार मानकर भूमि के पट्टे जारी करते रहे और पशु-वल अपनाकर जोर-जवरदस्ती से लगान वसूली के नाम पर मूक किसानों का जवरदस्त शोषण करने लगे थे। जागीरदार की ज्यादतियो के बारे में कोई दाद-फरियाद सुनने वाला नहीं था। अधिकतर किसान जाट थे और ये जागीरदारगण बीकानेर रियासत के निर्माता राव बीका के सगे चाचा कांधल की औलाद मे से होने के कारण राज-परिवार से रक्त संवंध रखते थे। इस कारण से राज्य-प्रशासन मे प्रभावी पदो पर आसीन अधिकारियों द्वारा इनके खिलाफ कुछ करने या न्यायपूर्ण निर्णय देने की क्षमता का अभाव पाया जाता था और किसान-वर्ग अघोषित दमन की चक्की में पिसता था।

सूरजमालसिंह की पृष्ठभूमि

इन तीनों जागीरदारों में सूरजमालसिंह अत्यन्त क्रूर और कामी मिजाज का था, पर था चलता पुर्जा। महाराजा सादूलसिह जव राजकुमार ही थे, उस काल मे यह उनका ए.डी.सी. नियुक्त हो गया था। जानकार तबकों मे यह धारणा पुष्ट होती चली जा रही थी कि राज्य के इस भावी उत्तराधिकारी महाराजकुमार के ऑफिस में स्वयं महाराज कुमार के नेतृत्व में एक चौकड़ी वन चुकी थी। इस चौकड़ी के बाकी तीन सदस्य थे ठाकुर सूरजमालसिह, ठाकुर बलदेवसिंह और तीसरे ठा. प्रतापसिंह। इनमें से पहले दो तो महाराजकुमार के ए डी सी. के पद पर थे और तीसरा उनके प्राईवेट सेक्रेटरी के पद पर था।

जब स्वर्गीय महाराजा गंगासिंह के कानो मे इस चौकड़ी के आवांछनीय कारनामों की खबरें पहुँचने लगी तो उन्होंने महाराजकुमार और उनके दोनों एडीसियों के प्रति सख्त नाराजगी तीव्र शब्दों में व्यक्त की जिस पर महाराजकुमार अपने पिता से कटे-कटे-से रहने लगे। उन्होंने अपने दोनो एडीसियों को स्वर्गीय महाराजा के कोप से वचाने के लिए अपनी निजी सिफारिश के साथ जामनगर नरेश के पास भेज दिया जहां उन दोनों को सवैतनिक ओहदे मिल गये। जब गगासिंहजी के ध्यान मे यह वात आई तो बहुत खफा हुए और इसमें अपनी और अपने घराने की तौहीन समझी कि मेरे राज्य का जागीरदार एक पराई रियासत में जाकर शरण लेवे और सवैतनिक नौकरी करे।

इस घटना से पहले भी जब एक वार महाराजा गगासिंहजी सदलवल किसी खास अवसर पर उदयपुर गये हुए थे तो सूरजमाल सिह ने कुछ ऐसी कारगुजारियां कर डाली थी जिससे वीकानेर राजघराने को लज्जित होना पड़ा था। वह क्या घटना थी यह तो रिकार्ड पर नहीं आया पर फाइल सन् 1940 फोरेन एण्ड पोलीटिकल डिपार्टमेंट संख्या ए-587-93 में सूरजमालसिंह का एक माफीनामा मौजूद है जिसमें उसने अपने इस अनुल्लिखित अवांछनीय कारनामे के लिए अपने घोर पश्चात्ताप को अंकित करते हुए दया की भीख मांगी है।

अतः गगासिंहजी ने सूरजमालसिह के नाम पर तार और चिट्ठी भेजकर उसे तुरन्त जामनगर से वीकानेर लौट आने का आदेश दिया पर सूरजमालसिह ने उसकी अवहेलना की और वह नहीं लौटा। इस पर दिनांक 31-12-1940 को महाराजा ने कौसिल की मीटिंग बुलाकर दूधवाखारा की जागीर के सूरजमालसिह के आधे हिस्से को जब्त करके खालसा क्षेत्र घोषित कर दिया और तुरन्त प्रभाव से चूरू के तहसीलदार ने उसका कब्जा ले लिया। किसानों को एक वहुत वड़ी राहत मिली।

पर विधि की विडम्बना यह रही कि 2 फरवरी सन् 1943 को महाराजा गगासिंह का स्वर्गवास होते ही नए महाराजा साहव सादूलसिह ने दूसरे ही दिन यानी 3 फरवरी को ही अपनी पुरानी चौकड़ी के दोनों एडीसियों को आदरपूर्वक बुला लिया और दिनांक 19 मई 1943 को सूरजमालसिह की जब्त की गई जागीर को तुरन्त प्रभाव से

वहाल कर दी और इतना ही नहीं वल्कि राज्य में 'जनरल सेक्रेट्री' के एक नए पद का सृजन करके सूरजमालसिंह को उस पर आसीन कर दिया। दूसरे ए डी.सी. वलदेवसिंह ने कोई पद लेना स्वीकार नहीं किया और महाराजा से निवेदन किया बताते है कि मै तो आपके द्वारा 350/- रुपयों की पेंशन से संतुष्ट हूँ और 350/- आपकी कृपा से मुझे जामनगर से पेशन के रूप में मिल जाते है जो दोनों मिलाकर मिनिस्टर की तनख्वाह से कम न होकर कुछ ज्यादा ही पड़ते हैं। चौकड़ी के चौथे सदस्य ठा. प्रतापसिह को राज्य का गृहमंत्री वना दिया जो आगे चलकर एक प्रकार से राज्य प्रशासन का सर्वेसर्वा ही सिद्ध हुआ।

सूरजमालसिंह तो पहले से ही तेज-तर्रार स्वभाव का था और अव जागीर और जनरल सेक्रेट्री का वड़ा पद मिल जाने से उसकी क्रूरता और कामुकता पराकाष्ठा को पहुँच गई और उस इलाके के किसानों की शामत आ गई। इसी मे से दूधवाखारा-किसान आंदोलन का जन्म हुआ।

वीकानेर रियासत में जाटों का स्थान

राव बीका ने पांच सौ साल पहले जव एक नए राज्य की तलवार के वल पर स्थापना की उस समय उनको अधिकतर मुकावला जाटों के उन एक प्रकार के गणतंत्रों से करना पड़ा जो इस रेतीले इलाके मे जगह-जगह जमे हुए थे। जाटों को एक वीर जाति के रूप मे पाकर उन्होंने *तलवार के वजाय कूटनीति और भेदनीति अपनाकर* कावू में किया जव गोदारा साख के जाटों ने स्वयं अपने अंगूठे के रक्त से राठौड़ों का राजतिलक करके, अनवरत युद्ध में जूझने के वजाय, राठौड़ों से सहयोग और सम्मान प्राप्त करने का मार्ग अपनाया। शुरू में उन्हें राठौड़ों से सम्मान और सहयोग दोनो मिले पर वाद में राज्य की मजवूत नीव पड़ जाने पर इस वीर और लड़ाकू जाति को पराजित शूद्र मानते हुए सहयोग के साथ-साथ शोषण का भी प्रारम्भ हो गया।

कालांतर मे इन लड़ाकू जाटों को मात्र किसान के रूप में स्थान दिया जाता रहा और उसके वाद किसानों में भी राजपूत किसानो और जाट किसानों के वीच भयंकर भेदभाव का व्यवहार शुरू हो गया क्योंकि राजपूत किसानों को तो उनके रिश्तेदार राजपूत अफसरों, राजपूत मिनिस्टरों और सत्ता सम्पन्न सामतो की शह और सहयोग मिलता रहा और जाट तवका अपने आपको असहाय और शोषित पाने को विवश हो गया। 1937 मे बीकानेर राज्य प्रजामंडल के निर्माण के वाद उसके अध्यक्ष पं. मघाराम वैद्य ने पीड़ित किसानों के हक में आवाज वुलन्द की तो दण्ड स्वरूप वे राज्य से निर्वासित कर दिए गए। वाद में सन् 1938-39 में वीकानेर रियासत में महाजन पट्टे के किसानो ने अपनी आवाज उठाई लेकिन गगासिंह की क्रूर सरकार और वेरहम सामंतशाही उसे कव सुनने वाली थी। उसका दमन किया गया। जमीन, जायदाद, पशु वगैरा सव जब्त कर लिये गये तथा किसानों को वड़ी-वड़ी सजाएं दी गईं।

शेखावाटी के किसान आंदोलन व दूधवाखारा

इस आतंक से एक बार तो किसानो मे सन्नाटा छा गया पर उन्ही वर्षो मे पड़ौसी इलाके शेखावाटी के किसान आंदोलनो ने उनके हृदय मे जलन को सुलगाए रखा। पड़ौस के शेखावाटी किसान आंदोलनो में दूधवाखारा के कई किसान सम्मिलित हुए थे। इस *सिलसिले में दूधवाखारा के बुधा जाट पर इसी अपराध के कारण मुकदमा करके सजा दी* गई। गंगासिंह यह सहन नही कर सकते थे कि उनके राज्य का कोई जाट पड़ौसी रियासत के राजपूती सामन्त का सामना करने वाले अपने जाति भाइयों की मदद में जाने की हिम्मत करे।

बीकानेर के अभिलेखागार मे मौजूद गृह विभाग की गोपनीय फाइल सन् 1946 संख्या 15 में दूधवाखारा के नेता चौधरी हनुमानसिह ने एक बयान पृष्ठ संख्या 259 पर दिया जिसमें उसने अंकित किया है कि जब दूधवाखारा की जागीर के जागीरदारों के कौटुम्बिक गृह-कलह के कारण पट्टा कोर्ट हुवा यानी राज्य के इन्तजाम में आ गया उस समय पैमाइश गलत तरीके से की जाकर लगान बढ़ा दिया था (जिसे जागीरदार स्वयं नहीं बढ़ा सकता था) तो हमने शोर मचाया। ठाकुर सूरजमालसिह ने अपने चाचा सबलसिंह, तत्कालीन डी.आई.जी.पी., की मदद से हम पर यह इल्जाम लगवाया कि ये लोग शेखावटी के पोलीटिकिल अशखासान से मेल-जोल रखते है और राज्य में बगावत फैलाने की साजिश कर रहे थे। यह बात आज से यानी सन् 1945 से 12 साल पहले की है। बस फिर क्या था हमारे खिलाफ यानी मेरे चाचा ज्ञानाराम के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट का वार किया गया। हमारी फरियाद पर बड़े हजूर ने नेक अफ्सर लाला रूलियारामजी (जो तत्समय कोर्ट अफसर थे) को स्पेशल जाँच के लिए लगाया और उन्होंने सही-सही रिपोर्ट की जिस पर हम किसान एक ना-जहानी लगाए जाने वाले राजनैतिक जुर्म की आफत से बच गये।

सन् 1941 के जयपुर प्रजामडल के शेखावाटी सम्मेलन में भी दूधवाखारा के किसानों ने भाग लिया था जिनमें से एक हनुमानसिंह था। सन् 1945-46 के जोधपुर के किसान आंदोलन का भी दूधवाखारा आंदोलन पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था क्योंकि श्री जयनारायण व्यास का प्रभाव सर्वत्र था और जोधपुर और बीकानेर के सामती शासन में कोई विशेष फर्क भी नही था। सन् 1945 के आते-आते सारी देशी रियासतों में आंदोलन की रणनीति किसान आंदोलनों के माध्यम से राजशक्ति को निर्बल करने की बन गई थी।

गृहविभाग की एक अन्य गोपनीय फाइल सं 1946/15 के पृष्ठ संख्या 314 पर मौजूद चौ. हनुमानसिह के बयानों में अंकित है, 'ठाकुर सूरजमालसिंह के महाराजा के मित्र होने के कारण, जामनगर से लौटने पर जागीर की बहाली के साथ ही उन्होंने हमारे साथ बहुत सख्तियां शुरू कर दीं और महाराजा व गवर्नमेंट का दिल हमारे प्रति बदल दिया। नतीजा साफ था कि हमारे जानवर चुरवाये गये, हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे बनवाये गये जिनका सिलसिला अभी तक जारी है। हम पर लाग-बाग बेगार लगाई व बढ़ाई गई। हमे चोर-डाकू कहकर मारने और मरवाने की कोशिश की जा रही है। दाद

फरियाद करके जब हम निराश हो गए तो हम इसके लिए मजबूर हो गये कि हम अपना बचाव स्वयं करके इस दमन नीति का विरोध करें। हमारी मांगें हैं कि चुरवाये गये जानवर वापिस दिलवाए जावें, हम किसानों के खिलाफ जागीरदार द्वारा झूठे चलाए जा रहे फौजदारी मुकदमे खारिज किये जावें या वापिस लिए जावे, हमारे खेत, बाड़ें, घर जमीन पर ठाकुर साहब ने जो नाजायज कब्जे कर रखे हैं उन्हें वापिस दिलाये जावे। दूधवाखारा के किसानों को बाड़े, नोहरे व कुंड के लिए जमीनें और उनकी तामीर के लिए पत्थर खोदकर लेने की आम इजाजत होनी चाहिए जो ठाकुर साहब ने अर्से से बंद कर रखी है। तहसील राजगढ़ के खालसा भूमि के किसानों की तरह रियासत भर के जागीरी किसानों के साथ सलूक करने की घोषणा की जावे। मेरे और मेरे भाइयों के खिलाफ अगर कोई फौजदारी मुकदमें हैं तो विधिवत अदालत में चलाये जावें ताकि या तो सजा हो और या बरी हो सकें और मौजूदा अनिश्चितकाल की नजरबंदी की नीति या अनीति खत्म होवे क्योंकि यह न्याय के अनुकूल नहीं है।'

हनुमानसिंह का संक्षिप्त परिचय

दरअसल हनुमानसिंह केवल मिमियाने वाले और केवल 'हजूर माई बाप हैं, हम पर रहम किया जावे', ऐसी दाद-पुकार करके चुप बैठने वालों मे नहीं था क्योंकि उसमें लड़ाकूपने का मादा था। उसने अपना नाम जाट होते हुए भी 'हनुमानराम' न रखकर 'हनुमानसिंह' रखा था। सन् 1930 में इसने पंजाब से मिडल पास की थी और बीकानेर में पुलिस सेवा में लग गया था। तत्परता और हाजिरजवाबी के कारण वह तत्कालीन डी.आई.जी. ठाकुर सबलसिंह द्वारा पुलिस में भर्ती कर लिया गया और थोड़े ही समय में हैड कांस्टेबल बनकर डी.आई.जी. का खास विश्वासी बन गया और इसको महाराजा साहब के बम्बई के दौरों में विश्वासी स्टाफ में भेजा जाने लगा। इससे राजपूत अमले में ईर्ष्या जाग्रत हुई और उन्होंने महाराजा के दौरे में दालभात मे मूसलचन्द की तरह से एक गैर राजपूत (जाट) को पाकर अपने में से दूर करने के लिए झूठी-सच्ची शिकायते करनी शुरू कर दीं पर जाँच होने पर इसने उन सब शिकायत करने वाले राजपूत स्टाफ की पोले खोलनी शुरू कर दी और नतीजा यह हुआ कि कुछ समय बाद 'अक्खड़ और मुँहजोर और बदतमीज' के फतवे के साथ इसे नौकरी के बरखास्त कर दिया गया। दूधवाखारा जागीर के किसान पीड़ित तो चले ही आ रहे थे पर वे लोग, और किसानों की तरह मूक चले आ रहे थे, पर जब उन्हें हनुमानसिह जैसा वाचाल व्यक्ति मिल गया तो अपने दुख-दर्द की आवाज उठाने के लिए इसे नेता बनाकर आवाज बुलद करनी शुरू कर दी।

दूधवाखारा के चौ. हनुमानसिंह

महाराजा से फरियाद

सन् 1943 में जव इन्हे वहुत तंग किया जाने लगा तो वह महाराजा साहव के गर्मी के दिनों के आवू के कैम्प-निवास पर फरियाद करने गया और साथियों सहित महाराजा साहब के सामने पेश हुआ। उपरोक्त फाइल में अपने वयान में वह बताता है, 'वहां हमे अच्छी तरह सुना गया जिससे हमें काफी शांति मिली और हम अनेक आश्वासनों के साथ लौटे। मगर हमें दिया-लिया कुछ नही। सन् 1944 भी यों ही गया और हमें कोई राहत नहीं मिली तो जनवरी सन् 1945 में महाराजा साहव के रियासती दौरे में, वे जव भादरा-कैम्प में विराज रहे थे तो हम ने फिर एक वार अपने दुख-दर्द सुनाये। हमें फिर आश्वासन मिले पर महाराजा साहव से वार-वार फरियाद करने के कारण हमारे जागीरदार सूरजमालसिंह हमसे और अधिक खीज बैठे।

महाराजा द्वारा जाँच के आदेश

इस वार महाराजा साहव ने दि 23 अप्रेल सन् 1945 को प्रधानमत्री को हमारी दरख्वास्तें प्रेषित कर आदेश दिया कि सचाई जानने के लिए पूरी जॉच कराई जावे और इस जाँच में किसी की सिफारिश न मानी जावे। दूधवाखारा के किसानो की अनेक शिकायती दरख्वास्तों मे से महाराजा साहब ने तीन दरख्वास्तो पर जॉच कराने की आज्ञा दी। इनमे लादू व मूला की दरख्वास्त मे फरियाद की गयी थी कि जागीरदार ने हमें हमारे खेतो से बेदखल कर दिया है और अनेक प्रकार से परेशान किया जा रहा है। हमें हमारे खेत वापिस दिलाए जावें। दूसरी दरख्वास्त नरसाराम की थी जिसमे उसने फरियाद की थी कि ग्राम में किसानो पर अनेक लागें कायम कर दी और मनमाने ढंग से वढ़ा दी गई है और सख्ती से वसूल की जा रही है। उसकी यह भी फरियाद थी कि उनकी दस फेमीलीज (कुटुम्बों) को ठाकुर साहब गॉव से निकाल देना चाहते है। हमारी रक्षा की जावे। तीसरी दरख्वास्त थी गनपत व सरदाराराम की जिस में शिकायत की गई थी कि उनके खेत उनसे जबरदस्ती खोस (छीन) लिये गये है और इनके पास काश्त करने को कोई जमीन नहीं रही है। इतना ही नही अपितु गैरकानूनी ढंग से मिलीटरी-फोर्स का उनके खिलाफ उपयोग किया जा रहा है। ठाकुर साहव का चाचा जगमालसिह चूरू में पुलिस थानेदार है जो उन्हें अनेक प्रकार से परेशान कर रहा है और उनके दो ऊँट चोरी करा दिये है। उनकी फरियाद थी कि उन्हें उनकी भूमि वापस दिलाई जावे और मकानों का मुआवजा दिलाया जावे जिन्हें उनसे गैरकानूनी ढंग से छीन लिया गया है।

जाँच में जागीरदार द्वारा अड़ंगेवाजी

महाराजा ने तो जाँच के लिए आदेश दे दिया मगर तुरन्त कोई कार्यवाही नही की गई जिससे किसानों पर अत्याचार और अधिक तेज हो गये। 1 मई 1945 को सूरजमालसिंह स्वयं गॉव दूधवाखारा पहुँच गये। स्टेशन पर करीव 40 पुलिस के सिपाही व अफसरान और रिटायर्ड डी.एस.पी. सवलसिह व रिटायर्ड तहसीलदार गणेशसिह उतरे। इस कदर सदलवल जागीरदार को आया देखकर गांव वालों मे आतंक

छा गया। पुलिस हनुमानसिंह के घर के सामने तैनात कर दी गई और उक्त पुलिसवालों ने फोश गाने व बदफेलियां करने के नजारे प्रस्तुत करके किसानों और उनकी औरतो और बच्चों को लज्जित व आतंकित किया। इस मौके पर सेठ-साहूकारों ने जागीरदार साहब सूरजमालसिंह को हजारों रुपयों की नजरें भेंट की और सोने के हार पहनाए। हनुमानसिंह अपने लिखित बयान में लिखता है, 'हमने भी सौजन्य के नाते (और सौजन्य की भावना के साथ-साथ और अधिक जुल्म होने का डर भी शामिल था), चाँदी के रुपयों की नजरें भेट की तो जागीरदार साहब ने व्यंग्य करते हुए गरज कर कहा, 'तुम्हें नजर करने की जरूरत क्या है, तुम तो आबू जाने वाले फरियादी हो।' इस अवसर पर वहां गोठें हुई जिनमें चूरू जिले के पुलिस सुपरिंटेडेन्ट, नाजिम, तहसीलदार और यहां तक कि चूरू जिला व सेशन जज श्री त्रिलोचन दत्त भी शामिल हुए। इन्हीं त्रिलोचन दत को महाराजा की आज्ञा से किसानों की जाँच सुपुर्द की गई थी और ये जज साहब, जिस व्यक्ति के खिलाफ जाँच की जाने को थी उसी जागीरदार की गोठों में शिरकत करके लुत्फ ले रहे थे। अन्दाजा लगाया जा सकता है कि कैसा न्याय होगा—और हुवा भी यही कि अपनी गोपनीय रिपोर्ट में जज साहब ने यही लिखा बताते हैं कि किसी को जबरदस्ती बेदखल नहीं किया गया बल्कि किसानों ने स्वेच्छा से खेत समर्पित कर दिए अथवा छोड़ दिए। न्याय की यह कैसी विडम्बना सामने आई।

जुल्मों में बढ़ोत्तरी

मई के महीने में दूधवाखारा गाँव में जागीरदार द्वारा गोठो का आयोजन और शक्ति व सत्ता का प्रदर्शन हुआ उसका प्रभाव यह हुआ कि वहां के कृषक अपने आपको बिल्कुल असहाय और असमर्थ महसूस करने लगे और हनुमानसिंह को कोसने लगे कि उसने आबू लेजाकर उनकी हालत और खराब कर दी। दूधवाखारा नाम बताता है कि वहां का पानी इतना खारा है कि पीने के काम नहीं आता इसलिए कृषक लोग अपने घरों के व नोहरों के अन्दर कुण्ड बनाकर बारिश के पानी को उसमें जमा करके जीवन निर्वाह कर लेते है। अब जागीरदार ने धनपतियों को ये नोहरे और भूमि ऊँची-ऊँची कीमत पर बेचना शुरू कर दिया और किसानों को रिहायश की भूमि से खदेड़ना शुरू कर दिया। गाँव में हड़कंप मच गया। तब हनुमानसिंह और कुछ अन्य काश्तकार दौड़कर बीकानेर पहुँचे। महाराजा साहब से फरियाद करना चाहते थे पर मालूम हुआ कि वे तो आबू चले गये है।

परिषद् से गुहार पर उसने आंदोलन की बाग डोर सम्हाली

यहां हनुमानसिंह आत्म-मंथन करके इस नतीजे पर पहुँचा कि किसान केवल अपने बूते पर सामन्त से नहीं जूझ सकता और न राजा को ही प्रभावित कर सकता है। संगठन में ही शक्ति है और पड़ौसी रियासतों मे किसान-आंदोलन प्रजामंडलों के माध्यम से प्रभावी कदम उठा रहे है तो क्यो नही हम भी बीकानेर राज्य प्रजा परिषद् से सहयोग ले और उसे अपना सहयोग देकर और मजबूत बनाये। 5 जून को अपने साथियों सहित परिषद् से अध्यक्ष पं. मघाराम के घर जाकर हनुमानसिंह ने दूधवाखारा की करुण कहानी

सुनाई। यशस्वी पत्रकार श्री सत्यदेव विद्यालंकार अपने ग्रंथ *'बीकानेर का राजनीतिक विकास और प. मघाराम वैद्य'* नामक ग्रंथ के पृष्ठ 159 पर लिखते है : 'किसानो की बेदखली, झूठे मुकदमों से तंगी, मकानों और नोहरों का और मीठे पानी के कुडो का छीनना और किसानों के पशुधन की चोरी आदि की इतनी करुण कहानिया सुना डाली कि उन पर साधारण रूप से विश्वास नहीं हो पाता था, परन्तु थी वे सब सच्ची। उन लोगों का कहना था कि इन कष्टो के सबंध में महाराजा के पास भी अनेक प्रार्थनापत्र भेजे गये थे, तथा महाराजा से स्वयं से भादरा मे मिलकर निवेदन किया गया, कुछ आश्वासन भी मिले पर उनका कोई फल नहीं मिला। उन लोगो ने मघारामजी से प्रार्थना की कि वे स्वयं दूधवाखारा पहुँच कर जाँच कर लें और काश्तकारो की इस सकट की वेला में सहायता करे। मघाराम ने उन्हे हिम्मत बधाई और कहा कि हम स्वयं गांव मे आकर वस्तुस्थिति की मौके पर जॉच करेगे और हर प्रकार से किसानों की सहायता करेंगे। *यह आश्वासन पाकर ये लोग महाराजा से पुनः फरियाद करने आबू चले गये।*

परिषद्-अध्यक्ष द्वारा मौके की जाँच

मघाराम ने माधोसिंह को तार देकर तुरन्त आने को कहा और अपने पुत्र रामनारायण व परिषद् के मंत्री चंपालाल उपाध्याय को साथ लेकर 8 जून की रात दूधवाखारा स्टेशन पहुँचे। वहां माधोसिंह भी आ मिला। स्टेशन से गांव काफी यानी छः मील दूर पड़ता था। गाँव किराये के ऊँट पर चढ़कर देर रात गये पर धर्मशाला के ब्राह्मण रखवाले ने यह कहकर इन लोगों को वहाँ नही ठहरने दिया कि धर्मशाला के मालिक सेठ की आज्ञा है कि सफेद टोपी वालों को न ठहरने दिया जाय। इन लोगो को सकट मे देख धर्मशाला के किसी पड़ौसी ने एक नोहरे के चबूतरे पर रात बिताने की छूट दे दी। वहां भी सी आई डी. के लोग पीछे लगे रहे। दूसरे दिन प्रातः और दिन मे गणपत सिंह बुढ़ानिया के यहां एकत्रित होकर किसानों ने अपनी बेहाली का सारा हाल बताया। जाँच से सारी करुण कहानियां सत्य पाई गई। किसानो को खेतो से बेदखल कर मीठे पानी के कुण्डो से वंचित कर, झूठे मुकदमों में फंसा दिया गया था और धन्ना सेठों ने जागीरदार को मनचाही कीमत देकर 150-150 बीघो के नोहरे बना लिये थे। इस प्रकार दूधवाखारा के गरीब किसान *सामन्ती दमन, साहूकारी शोषण और राठौड़ी जूते के शिकार हो कर राजधानी की ओर* टकटकी लगाए प्रजापरिषद् की ओर आकर्षित होते जा रहे थे।

होम मिनिस्टर को प्रजापरिषद् के अध्यक्ष व कार्यकर्ताओं के दौरे का हाल सी.आई.डी. से मिला तो महाराजा साहब को सूचित किया गया कि चौधरी हनुमानसिंह प्रजापरिषद् की ओर तेजी से आकर्षित होता जा रहा है और महाराजा साहब के आश्वासनों की कोई इज्जत नही कर रहा है।

ऐसा लगता है कि गृहमंत्री ने महाराजा को प्रजापरिषद् का हौवा बताकर न्याय प्रदान करने के उनके आश्वासनों के बावजूद हनुमानसिंह को अन्याय देने को प्रेरित कर दिया और दमन चक्र चल पड़ा। इसी समय परिषद् को बल पहुँचाने वाली एक सुखद घटना घट गई।

गोयल का दुबारा निर्वासन

लूणकरणसर से गोयल ने हाईकोर्ट को वंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका प्रधानमंत्री के माध्यम से 25 मई सन् 45 को ही प्रेषित कर दी थी। पणिकर जैसा व्यक्ति गृहमंत्री की तरह उसको दबाकर रख लेने की कार्यवाही कैसे कर सकता था हालांकि गृहमत्री की राय तो यही थी। याचिका हाई कोर्ट मे पहुँचने पर हाई कोर्ट ने सरकार के नाम नोटिस जारी कर दिया कि इस याचिका पर सरकार अपना पक्ष प्रस्तुत करे। सरकार का पक्ष कानूनी तौर पर बहुत कमजोर था क्योंकि अब तक सारी कार-गुजारियां जो आई.जी.पी. की मार्फत की गई वे कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अमल में लाई गई थी। सरकारी जवाब प्रस्तुत होने के बाद बंदी रघुवरदयाल को सशरीर हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने की आज्ञा जारी होने की प्रबल संभावना थी। अब सरकार में यानी मंत्रिमंडल में यह विचार किया गया कि अगर हाई कोर्ट ने गोयल के बंदीकरण को अनुचित ठहराकर स्वतन्त्र कर दिया तो सरकार को नीचा देखना पड़ेगा और प्रेस को प्रचार का मौका मिल जाएगा। और अगर न भी छोड़ा और बंदीकरण को उचित ठहरा दिया तो भी एक बार हाईकोर्ट में सशरीर उपस्थिति से परिषद् के उसके साथियों का हौसला बुलंद होगा और प्रदर्शन और नारेबाजी तो अवश्य हो जायेगी। ऐसी अवस्था में नोटिस का जवाब देने की तारीख आए उससे पहले सरकार द्वारा गोयल को लूणकरणसर से दुबारा निर्वासित करके न्यायालय को सूचित कर देना ठीक होगा कि उक्त नाम का व्यक्ति सरकार की कस्टडी में या रियासत में ही नही है।

इस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अलावा गोयल को पुन- निर्वासित करने के लिए केबिनेट में एक और कारण भी सामने आया। सरकार यह सोचने लगी कि हनुमानसिंह के व्यक्तिगत मामले को दूधवाखारा जागीरदार के जुल्मों के हवाले से किसान-आंदोलन का रूप देने में अवश्य ही गोयल की अकल ही काम आ रही होगी क्योंकि सरकार की सारी पाबंदियों के वावजूद मूलचन्द, मेघराज वगैरा गोयल से संपर्क बनाए रखने मे हमेशा सफल रहे है। अतः रियासत में बैठकर गोयल अपने विश्वसनीय कार्यकर्ताओं के माध्यम से किसानों के नाम पर ववंडर खड़ा करे उससे पहले ही क्यों नहीं हनुमानसिंह को गिरफ्तार करके अज्ञात स्थान पर रख दिया जाय और गोयल को रियासत की सीमा से पार कर दिया जाय। अतः यही निर्णय लिया गया और 11 जून को पब्लिक सेफ्टी एक्ट में गोयल को दुबारा निर्वासित करके भटिंडा पहुँचा दिया गया और हनुमानसिंह को पकड़कर अज्ञात स्थान पर वंद कर दिया गया।

सरकार का यह निर्णय परिषद् को और अधिक मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध हुआ क्योंकि रियासत के भीतर तो मघाराम का नेतृत्व काम कर ही रहा था और रियासत के बाहर निकाल दिये गये रघुवरदयाल गोयल को भारतीय कांग्रेस के बड़े नेताओं से सम्पर्क साध कर मार्गदर्शन व सहयोग प्राप्त करने का अवसर मिल गया। मघाराम और गोयल अब एक दूसरे के पूरक बन गये बल्कि दो एक साथ होकर ग्यारह की तरह परिषद् को पनपाने व मजबूत बनाने मे अधिक सक्षम बन गये। गोयल को

11 जून को लूणकरणसर से निर्वासित कर जबरदस्ती भटिंडा की गाड़ी मे बैठा दिया गया और पुलिस भटिंडा तक उसके साथ गई। वहां से वे 13 जून को दिल्ली पहुँचे और 18 जून तक वहीं रह कर हिन्दी और अंग्रेजी अखवारो से सम्पर्क साधकर बीकानेर के दमन की कहानी प्रेस तक पहुँचाने में कामयाब रहे।

इधर जोधपुर के प्रजासेवक ने खबर दी कि हनुमानसिह व दूधवाखारा के अनेक स्त्री-पुरुषो ने आवू पहुँच कर दूधवाखारा के जागीरदार सूरजमालसिह के अत्याचारों से तंग आकर पहाड़ पर विराजमान श्री बीकाण नाथ से अपने दु.ख दर्द सुनाने की कोशिश की तो महाराजा साहब ने उन्हें ठेठ बीकानेरी बोली में कहा 'तुम मुझ को सूरजमालसिंह से ज्यादा प्यारे हो। यह मत समझो कि चूंकि सूरजमालसिह मेरे पास रहता है इसलिए ज्यादा अच्छा लगता है। मेरी 15 लाख प्रजा है वह मेरे लिए सब समान है। मै तुम्हारे कागजात देखकर जल्दी ही फैसला करूगा। यह बात मेरे ध्यान में है कि तुम तीसरी वार मेरे सामने आ चुके हो पर मै क्या करूं? युद्ध के कारण मेरे पास काम बहुत बढ़ गया है इसलिए इन कामों के आगे मुझे फुर्सत नहीं मिलती। अव तुम मेरे पर भरोसा रखो, तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दूँगा।' याद रहे कि युद्ध के कारण फुर्सत न मिलने की बात तो महज एक बहाना ही कहा जा सकता है क्योंकि 1 मई को हिटलर मर गया था और 7 मई को यूरोपीय युद्ध समाप्त हो चुका था।

इधर आश्वासन और उधर जुल्म

किसान स्त्री-पुरुष जो बड़ा खर्चा करके किसी तरह आबू पहुँच गए थे महाराजा साहव के उपरोक्त आश्वासन से संतुष्ट हुए और 'घणी खम्मा' कह कर अपने गाँव के लिए लौट पड़े। लौटने पर उन्हें पता चला कि उनके गाँव को तो फौज घेरे हुए पड़ी है, उनके ऊपर पुलिस ने डकैतियों के फर्जी मुकदमें चला दिये है और उनकी आधे से ज्यादा जमीन छीन कर पूँजीपतियों को नोहरे व बगीचियाँ बनाने के लिए दी जा चुकी है।

परिषद् सक्रिय हुई और राजधानी में किसानों का दूसरा मोर्चा खुला

इधर बीकानेर नगर में मघाराम ने दूधवाखारा मे किसानो पर होने वाले अत्याचारों का भण्डाफोड़ करना आरम्भ कर दिया। समाचार पत्रों और वड़े पर्चो द्वारा जनता को पूरी जानकारी कराई गई। जनता मे नई चेतना दिखाई देने लगी। नागौर सम्मेलन से लौटने के बाद जिस राष्ट्रीय वाचनालय की स्थापना मुहल्ला तेलीवाड़ा मे की गई थी उसमें पाठकों की संख्या दिन-ब-दिन वढ़ने लगी। श्री मघाराम ने इस समय जयनारायणजी व्यास से दिल्ली जाकर संपर्क किया और दूधवाखारा के हालात विस्तृत रूप से बताए। व्यासजी ने उन्हें राय दी कि किसानों का शिष्टमंडल तो आबू गया हुआ है ही पर पीछे से उनके गाँव को फौज ने घेर रखा है और सारा गाँव ही एक प्रकार से वड़ा जेलखाना वन गया है तो परिषद् की ओर से प्रस्ताव स्वीकार करके विधिवत सरकार और महाराजा से इस जुल्म को रोकने के लिए प्रार्थना व माँग करो और इधर मैं भी प्रेस को अपना वक्तव्य भेज रहा हूँ। इस दमन के विरोध में प्रेस भी मुखर हो उठा

Newspaper .... "The Hindustan Times"Delhi.

Page .... 6.

Dated .... 13th.June,1945.

C.I. And.Rajputana News

JAGIRDAR'S ALLEGED ATROCITIES IN BIKANER VILLAGE

FORCIBLE EJECTION OF TENANTS

(From Our Correspondent)

JODHPUR June 11—The pathetic story of how the peasants of the village of Dudwa Khara in Bikaner State are being ejected from their holdings by the Jagirdar of that village with the aid of the Bikaner Infantry and his own retainers was narrated by a large number of panic-stricken men and women, who recently broke journey here, while on way to Mount Abu to meet the Bikaner Ruler and lay before him their grievances.

It is alleged that the whole village has practically been besieged, villagers' life and property jeopardized and the honour of their women-folk threatened.

No. 1697/1529/ Dated the 15th June ,1945.

Submitted to the Home Minister,Bikaner,for information.

Y.Pal.
15.6.45.

Inspector General of Police,
Bikaner.

13 जून 1945 के हिन्दुस्तान टाइम्स का जो हवाला दिया गया है उसकी मूल कापी

था। हिन्दी के अखबारों को तो बीकानेर सरकार गटर प्रेस मानकर उनकी अनदेखी करने की नीति अपनाए हुए थी पर अबकी बार हिन्दुस्तान टाइम्स नाम के अंग्रेजी अखबार मे दूधवाखारा के जुल्मो को उजागर करने वाली खबरे छपी तो बीकानेर की सरकार को झटका लगा। 13 जून के हिन्दुस्तान टाइम्स मे दो कॉलम का शीर्षक था। 'बीकानेर के ग्राम में जागीरदार द्वारा कथित जुल्म : काश्तकारो की जबरदस्ती से की जा रही बेदखलियां।' इस खबर मे विस्तृत रूप से जागीरदार के जुल्मो का उल्लेख करते हुए बताया गया था कि 'बीकानेर रियासत के दूधवाखारा ग्राम के काश्तकारो को ग्राम के जागीरदार द्वारा बीकानेर रियासत की इनफेन्द्री (फौज) एव अपने खुद के लठैतों द्वारा किस प्रकार बेरहमी से अपने-अपने खेतों से बेदखल किया जा रहा है, इसकी करुण कहानी बड़ी संख्या में आबू मे पहुँचकर महाराजा साहब को निवेदन करने को सफर करते हुए दूधवाखारा के स्त्री-पुरुषों ने रास्ते मे जोधपुर मे रुकने के दौरान हमारे संवाददाता को बताया। यह आरोप लगाया जा रहा है कि व्यावहारिक रूप से सारे ग्राम की ही घेराबंदी कर ली गई है और ग्रामीणों का जीवन संकट में है और महिलाओं की इज्ज़त और सतीत्व खतरे मे पाया जा रहा है।'

हिन्दुस्तान टाइम्स में छपी इस खबर से बीकानेर सरकार तिलमिला उठी और इसका प्रतिवाद करते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि 'उस इलाके मे पिछले कुछ अरसे से डाकुओं का उत्पात बढ़ रहा था इसलिए जनता की जान और माल की सुरक्षा के लिए वहां फौजी टुकड़ियां तैनात की गई है। इनकी मौजूदगी से इलाके के लोगों का मानस मजबूत हुआ है और जनता अब अपने आपको अधिक सुरक्षित महसूस करने लगी है। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद् के लोग और हनुमानिया जाट शरारत पसंद लोग है जो भोले-भाले किसानो को गुमराह करके अकारण ही बहका रहे है और विग्रह की स्थिति पैदा कर रहे हैं। किसानों पर जुल्म की बाते झूठी है।' सरकार की इस प्रेस विज्ञप्ति के बाद दिल्ली जाकर जयनारायण व्यास की सलाह से मघाराम ने उक्त सरकारी प्रेस विज्ञप्ति का खण्डन करते हुए एक बयान जारी किया जिसमें सूरजमालसिह के जुल्मों का पूरा ब्यौरा जनता के सामने रखा।

हनुमानसिंह को धोखे से गिरफ्तार किया

मघारामजी दिल्ली मे नेताओं से सम्पर्क करके उन्हे दूधवाखारा की स्थिति से अवगत करा रहे थे इसी अरसे में पीछे से गृहमंत्री ने महाराजा साहब को फिर भड़काया कि 'हनुमानिया' उत्पात करने पर उतारू है और प्रेस और प्रजापरिषद् के माध्यम से रियासत और उसके शासक तक को बदनाम करने पर तुला हुआ है और वह आपके आश्वासनो की कोई इज्ज़त न करते हुए राजद्रोह करने को तत्पर है और सरकार के अलावा आपके व्यक्तित्व पर भी छींटाकशी कर रहा है जो अब हमारे लिए नाकाबिले बरदास्त हो रहा है। वह आपके पास गाव के स्त्री-बच्चो सहित आबू आता है और आप उसे न्याय का आश्वासन देते हैं फिर भी वह उन आश्वासनो की कोई इज्ज़त करने के बजाय उल्टा विद्रोह करने पर उतारू है। आपकी उदारता सरकार के लिए बहुत महगी

पड़ सकती है। इस पर हनुमानसिंह को गिरफ्तार करके दण्डित करने का निर्णय लिया गया। एक पुलिस सब-इन्सपेक्टर को दूधवाखारा भेजकर हनुमानसिंह को यह कहकर कि रतनगढ़ मे प्रतापसिंहजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं क्योंकि वे तुम्हारे लिए कोई सदेश लाए है, जो तुम्हीं को बताया जाने को है, रतनगढ़ ले आया गया और वहां पहुँचते ही उसे गिरफ्तार करके किसी अज्ञात स्थान के लिए रवाना कर दिया गया।

दूधवाखारा के पीड़ित व संकटग्रस्त किसान स्त्री-पुरुषों के संघर्ष का प्रथम मोर्चा तो उनके खुद के गॉव दूधवाखारा में चल ही रहा था पर अब दूसरा मोर्चा हनुमानसिंह की धोखे से की गई गिरफ्तारी के बाद प्रजापरिषद् के तत्वावधान में राजधानी बीकानेर मे खुल गया और इसी के साथ दूधवाखारा के किसान आंदोलन की बागडोर प्रजापरिषद् के हाथों में आ गई।

राजधानी में खुले इस किसान मोर्चे को सरकार ने किस प्रकार लिया इसका कुछ अन्दरूनी हाल गृहमंत्रालय की गोपनीय फाइल 1945/25 मे पाया जाता है। उसमें अंकित है कि हनुमानसिंह की गिरफ्तारी की खबर पाकर उसके तमाम भाई अर्थात् लाधू व ज्ञाना औरतों और बच्चों सहित 27 जून को राजधानी बीकानेर पहुँच गये पर चूँकि स्वयं मघाराम दूधवाखारा आंदोलन के कार्य के ही सिलसिले में दिल्ली गये हुए थे और अभी तक वहां से लौटे नहीं थे इसलिए सारे जाट स्त्री-पुरुषों और बच्चो को तत्काल ठहरने के लिए कोई और स्थान ढूँढ़ने की चिंता हुई और आखिर वे सब के सब स्टेशन के पास ही स्थित मोहता धर्मशाला में आ टिके। उन्होंने मघाराम के साथियों यानी खादी मंदिर के मैनेजर मेघराज पारीक, परिषद् के मंत्री चंपालाल उपाध्याय, मघाराम के पुत्र रामनारायण उर्फ बधूड़ा, दाऊदयाल आचार्य और वकील ईश्वरदयाल राजवंशी से संपर्क किया। संपर्क कराने का काम मेघराज पारीक ने किया। इन सब लोगों ने इन ग्रामीणो को इस बात के लिए प्रेरित और उत्तेजित किया कि वे अपने दूर-दूर के गाँवों से अपने परिचितों और सबंधियों को बुला लेवें ताकि सरकार को पटकी दी जा सके और उनकी तमाम मांगों को पूरी तरह और बिना शर्त स्वीकार कराई जा सके। अतः हनुमानसिंह के भाई, पेमा, सरदारा और बेगा इस मकसद को पूरा करने के लिए 29 जून को गाँवों को लौट गये। पेमा और सरदारा 1 जुलाई को बीकानेर लौटे और पेमा दुबारा 2 जुलाई को इसी कार्य के लिए फिर रवाना हो गया। 29 जून को मघाराम दिल्ली से बीकानेर लौटे तो उन्होंने देखा कि दूधवाखारा के 21 स्त्री-पुरुष उनके मकान पर ठहरे हुए हैं। सरकारी कर्मचारियों के आदेश से इन्हें धर्मशाला से खदेड़ दिया गया था।

हनुमानसिंह पर राजद्रोह का इल्जाम और मुकदमे का नाटक

महाराजा साहब और गृहमंत्री के बीच हुई गुप्त मंत्रणा के अनुसार गृहमंत्री से मिलने के बहाने बुलाने के बाद हनुमानसिंह को अज्ञात स्थान पर रखा गया। न्याय का नाटक रचते हुए उस पर अज्ञात स्थान में ही राजद्रोह का यह इल्जाम लगाया गया कि महाराजा सादूलसिंह को उसने सादूलीबाई कहकर उनका अपमान किया और इसके

दण्ड-स्वरूप उसे पाँच साल के कठोर कारावास की सजा सुना दी गई। राज्य की इस मनमानी के विरुद्ध हनुमानसिंह विचारे क्या कर सकते थे ? पर अत्याचार को पाप और उसे चुपचाप सह लेने को महापाप मानने वाले हनुमानसिह ने अपना विरोध भूख हड़ताल करके प्रकट किया। उसकी माँग यह थी कि उसने महाराजा को सदूलीवाई कभी नहीं कहा फिर भी ये शब्द सिर्फ मुकदमा वनाने की दृष्टि से उसके मुँह में रखकर सरकारी गुर्गो की गवाही पर सजा सुनाई गई है जब कि उसे वकील करके अपना वचाव करने का कोई मौका ही नहीं दिया गया। इसलिये उसे अपना वकील करने का मौका देकर खुली अदालत मे मुकदमा चलाया जावे।

मघाराम दिल्ली से लौटकर अपने घर पर पहुँचे तो वहां उन्होने 20-25 ग्रामीण स्त्री-पुरुषों की भीड़ मौजूद पाई जो उन्ही का वेतावी से इतजार कर रही थी। उन्होने वैद्यजी को हनुमानसिंह की धोखे से की गई गिरफ्तारी का हाल सुनाया और वताया कि गाँव में हम पर जागीरदार के लठैत वड़ा जुल्म कर रहे हैं। खेत तो हमारे पास से पहले ही छिन चुके हैं और अव हमारा जीना ही दुभर कर दिया गया है। हनुमानसिह, हमारे नेता को धोखे से गिरफ्तार कर अज्ञात स्थान को ले गये है। हमारी जान और माल सभी खतरे में है। जैसे भी हो हमारी रक्षा का उपाय कीजिये। उन्होंने यह भी वताया कि वे सुन रहे हैं कि हनुमानसिंह कई दिनों से भूख हड़ताल पर है उसकी भी जान बचाइए। वैद्यजी ने उनकी व्यथा-कथा पूरी तरह सुनने के वाद उन्हे सहायता और सहयोग का आश्वासन दिया। अव सव तरफ से उपेक्षा का पात्र समझे जाने वाले किसानों को वैद्यजी के इस आश्वासन से वड़ी राहत मिली और उनमे उत्साह का संचार हुआ। 2 जुलाई को ही दूधवाखारा क्षेत्र के करीव 300 किसान स्त्री-पुरुष बीकानेर आ पहुँचे जिन सब को मघाराम ने अपने बाड़े व बाड़े के वाहर ठहराया और उनके लिए रोटी-पानी की व्यवस्था की। रात को मघाराम और उनके साथी कार्यकर्ताओं ने उन्हें संघर्ष के लिए और अधिक कष्ट सहन करने तो तैयार रहने की वात् वताई और इस बारे मे श्रीराम आचार्य की पत्नी कमला आचार्य ने वड़ा उपयोगी रोल अदा किया क्योंकि वह नागौर सम्मेलन में काफी कुछ सीख चुकी थी।

4 जुलाई को लगभग 300 पुलिस के सिपाहियों ने जस्सूसर गेट से मघाराम के घर के बीच वाले स्थान को घेर लिया। यह वही स्थान था जहा बाहर से आए हुए किसान स्त्री-पुरुष डेरा डाले पड़े थे। पुलिस केवल घेरे से संतुष्ट नही हुई। उसके अधिकारियों जिनमे राजवी सोहनसिंह डी.आई.जी.पी., कुंदनलाल इन्सपेक्टर, मदनलाल इन्स्पेक्टर आदि थे, इन ग्रामीणो को डरा धमका कर अपने-अपने गाँवों को भाग जाने को कहा पर दृढ़ निश्चय करके अपनी पीड़ा मिटाने आए ग्रामीण टस से मस नही हुए।

3 जुलाई को प्रजापरिषद् के प्रस्ताव द्वारा दिये गये अल्टीमेटम की अवधि 6 जुलाई को खत्म होती थी। 5 जुलाई को प्रजापरिषद् के कार्यकर्ताओं की सारी टीम अगले दिन होने वाले सत्याग्रह और जुलूस आदि के प्रोग्राम को सफल वनाने मे जी जान से जुट गई। इस टीम मे मघाराम और उसके इकलौते पुत्र रामनारायण के अलावा अन्य

उल्लेखनीय नाम थे : परिषद् के मंत्री चंपालाल उपाध्याय, किसन गोपाल गुट्टड़, श्रीराम आचार्य व उनकी पत्नी कमला आचार्य, चिरंजीलाल सुनार, भिक्षालाल बोहरा, मुल्तान चन्द दर्जी, घेवरचन्द तंबोली, मेघराज पारीक और भैरोंलाल सुराणा। उधर दूधवाखारा से आने वाले सैकड़ों किसानों को मजबूत बनाने में लगे हुए थे हनुमानसिंह के भाई सरदारा और गनपत व लालिया। दूसरे दिन लक्ष्मीनाथ मंदिर दर्शन करने को जाने के बहाने जुलूस निकालने की योजना बनी जिसमें कुछ लोग जस्सूसर गेट से रवाना होकर जाने वाले थे और शहर के अधिकतर लोग शहर के बड़े बाजार-कंदोई बाजार से रवाना होने को थे।

6 जुलाई को सुबह 8 बजे मघाराम के पुत्र रामनारायण के नेतृत्व में करीब 100-125 स्त्री-पुरुष जस्सूसर गेट के पास कतार बनाए, हाथ में झंडा लिए शहर की ओर नारे लगाते हुए रवाना हुए। थोड़ी दूर जाते ही डी.आई.जी. राजवी सोहनसिंह सशस्त्र पुलिस के साथ आ पहुंचे और रास्ते में ही सबको घेर कर लाठियो से पीटना प्रारम्भ कर दिया और नेतृत्व कर रहे रामनारायण को सरे आम बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया और जब वह खड़ा न रह सका तो उसे गिरफ्तार कर लिया। साथ के किसान स्त्री-पुरुषों पर भी जोर-जोर से डंडे बरसने लगे। इतने में मघाराम अनेक स्त्री-पुरुषो का नेतृत्व करते हुए आ पहुँचे और लक्ष्मीनाथ मंदिर दर्शनार्थ जाते हुए शांत नागरिकों पर अकारण लाठी बरसाने और गिरफ्तार करने का कारण पूछा तो राजवी सोहनसिह आग बबूला हो गये और मघाराम का कंठ पकड़कर व जस्सूसर गेट दरवाजे के बाहर घसीटकर भूमि पर पटक कर बेरहमी के साथ लातों, घूसों और डंडों से पीटते ही चले गये। जब यह खबर बड़े बाजार वाली टीम के पास पहुँची तो चिरंजीलाल, गुट्टड़ महाराज, चंपालाल आदि ने अपना जुलूस शहर में घुमाना शुरू कर दिया। उस जुलूस को सोनगिरी कुए के पास पुलिस ने रोका और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। अब वहां आई.जी.पी. पहुंच गये। उस समय सरदारा व गनपत महिलाओं के आगे पीछे रहकर 'हनुमानसिंह जिन्दाबाद' आदि नारे लगा रहे थे। आई.जी.पी. अपने साथ ही नाजिम को भी लेकर आए थे जिन्होंने धारा 144 लगाने की घोषणा की और एकत्रित लोगो को तुरन्त बिखर जाने का आदेश दिया। किसान महिला व पुरुषों ने बिखरने के बजाय जहा थे वहीं बैठकर नारे लगाना जारी रखा। आई.जी.पी. ने सैकड़ों किसान स्त्री-पुरुषो मे से केवल 41 को गिरफ्तार किया और शहर के कार्यकर्ताओं मे मघाराम और रामनारायण के अलावा चंपालाल उपाध्याय, चिरंजीलाल सुनार, गुट्टड़ महाराज, श्रीराम आचार्य, मुल्तानचंद दर्जी को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस लोक-अप यानी पुलिस हवालात में बंद कर दिया।

मघाराम को हथकड़ी लगाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया जहां रात को 10 बजे डी.आई.जी. की उपस्थिति में उन्हें उस समय तक पीटा जाता रहा जब तक कि वे बेहोश न हो गये। पूरे पन्द्रह दिन यही कार्यक्रम चलता रहा। न तो पुलिस ही अपने इस कुकर्म से बाज आयी और न मघारामजी ने ही माफी मांगी। आखिर क्रूर दमन से भी

जब पुलिस वाले माफी न मंगवा सके तो 21 जुलाई को मघाराम, रामनारायण व किसन गोपाल गुट्ड, श्रीराम आचार्य को हथकड़ी डालकर जिला मजिस्ट्रेट विशनदास चौपड़ा की अदालत में पेश किया गया। वैधजी की रीढ़ की हड्डी तथा अन्य स्थानो पर लगी घातक चोटो को दिखलाया परन्तु चौपड़ा साहब ने देखने से इंकार कर दिया। इन सबको सदर जेल लाकर अलग-अलग कोठरियों में बंद कर दिया गया।

6 जुलाई किसान दिवस बना

यह 6 जुलाई 1945 का दिवस भी बीकानेर राज्य प्रजापरिषद् के 22 जुलाई 1942 के स्थापना दिवस के बाद दूसरा ऐतिहासिक दिवस बन गया। इस दिन राज्य के किसान वर्ग ने पहली वार यह अनुभव किया कि इस राज्य मे अब किसान अकेला नही है और प्रजापरिषद् के तत्वावधान में वह सामन्तशाही और राठौड़ी राजशाही दोनो के जुल्मों से जूझने मे प्रजापरिषद् को अपना हितैषी, सक्रिय सहायक ही नहीं अपितु साझेदार और संरक्षक भी मानकर आगे बढ़ने की आकांक्षा रख सकता है और इसी दिन से प्रजापरिषद् का आदोलन केवल शहरी तबके का आदोलन न रहकर जन-आंदोलन का रूप धारण कर गया। सरकार ने भी देख लिया कि किसानवर्ग और परिषद् दो अलग-अलग इकाइयां नहीं है। इसलिए सैकड़ों स्त्री-पुरुषों में से केवल 41 को गिरफ्तार करके बाकी सबकी अनदेखी करके ही संतोष किया।

फिर भी उसने फूट डालने के लिए मघाराम को तो गिराई में भेज दिया और शहर की तरफ से जो जुलूस जस्सूसर गेट की तरफ आ रहा था उसको सोनगिरी कुवे के पास रोककर चंपालाल उपाधिया, श्रीराम आचार्य, मुल्तान चन्द दर्जी, किसन गोपाल गुट्ड व चिरंजीलाल सुनार को शहर कोतवाली की हवालात मे रख दिया। चिरंजीलाल सुनार बताते हैं कि रात को करीव 2 बजे विरदीचन्द नाजिम साहव आए और हम सब से कहा कि पुलिस हम लोगों से पूछताछ करने के लिए रिमांड मॉग रही है; 15 दिन का। हमने कहा कि हम से पूछताछ करने को कुछ है ही नही तो फिर पुलिस रिमाड क्यों दिया जाय—क्योकि हम तो स्वयं ही यह मानते है कि हमने जुलूस निकाल राष्ट्रीय नारे लगाये और दूधवाखारा के पीड़ित किसानो से हमारी पूरी-पूरी सहानुभूति और एकजूटता है इसके लिए जो भी दण्ड हो सकता है उसे हम खुशी से भोगने को तैयार है फिर रिमांड क्यो ? हमारी बात सुनी अनसुनी करके नाजिम ने 16 दिन का रिमांड दे दिया। किसन गोपाल गुट्ड और चिरंजीलाल सुनार को गंगाशहर थाने मे रखा गया और हरेक को अलग-अलग। चंपालाल और श्रीराम आचार्य को शायद गजनेर थाने में रखा गया। और हरेक को अलग-अलग रखा गया। 15 दिन के रिमाड काल में किसी को पता नहीं चलने दिया गया कि उन्हें कहां रखा गया है। 15 दिन बाद किसन गोपाल गुट्ड को तो मघाराम व रामनारायण के साथ हथकड़ी पहनाकर जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में चालान कर दिया और वाकी लोगो को छोड़ दिया गया। बाद मे मैंने चिरंजीलाल से मुलाकात की तो पता चला कि गंगाशहर में उन्हे अलग-अलग कोठड़ियों में बद कर दिया गया—15 दिन तक लगातार पिटाई होती रही। कई दिनों तक दिन रात 24 घंटे खड़ा

रखा गया और बैठने सोने नहीं दिया जिससे उनके पांव बुरी तरह सूज गये। घंटो उन्हे जुलाई के महीने की कड़कड़ाती धूप में खड़ा रखा गया। चिरंजीलाल ने यह बताया कि थप्पड़, मुक्के और डंडों से तो पिटाई होती ही थी पर एक दिन सोहनसिंह डी.आई.जी. ने रात के समय आकर हवालात में मां-बहन की फोश गालियां निकालते हुए माफीनामा लिखने को कहा और इन्कार करने पर मेरे पेट में इतने जोर से लात मारी कि मैं बेहोश होकर गिर पड़ा।

इन लोगों में से किसन गोपाल गुटड़ का हाल गृहविभाग की गोपनीय फाइल 1945/24 में मिलता है जिसमे दिया गया है कि गुटड़ महाराज की पत्नी लक्ष्मीदेवी ने 14/7/45 को गृहमंत्री को दरख्वास्त देकर निवेदन किया कि मेरे पति को 6/7/45 को गिरफ्तार किए आज आठ दिन हो गये हैं मगर कुछ बताया नहीं जाता कि किस इल्जाम में पकड़ा है और कहां रखा गया है। खबर ऐसी आ रही है कि इन्हें खूब पीटा जा रहा है और इसी वजह से हम घर वालो को मिलाने से इंकार किया जा रहा है। कम से कम हम को एक बार मिलने का अवसर दिया जाय तो उनकी हालत का कुछ तो पता लगे। इस पर गृहमंत्री ने आई.जी.पी. को लिखा कि श्रीराम आचार्य की पत्नी कमला से बात हो चुकी है इसलिए पहले उसको श्रीराम से मिलाया जाय उसके बाद ही गुटड़ महाराज की पत्नी को गुटड़ महाराज से मिलाया जा सकता है। उसके दूसरे ही दिन आई.जी.पी. ने 15 जुलाई को रिपोर्ट की कि कमला को श्रीराम से मिलाया जा चुका है। कमला से जब बात हो गई तो श्रीराम को लालगढ़ ले जाया गया और वहां उसकी रिहाई हो गई। बाद में किसन गोपाल को उसके रिश्तेदारों से मिलाया गया। उस समय रिश्तेदारो से जो बात हुई उसकी जो रिपोर्ट गृहमंत्री को भी की गई उसमें लिखा है कि उसने अपने रिश्तेदारों को बताया कि पुलिस की हवालात में उसके साथ पुलिस का व्यवहार 'अमानवीय' रहा पर अब उसे कोई तकलीफ नहीं है। रिश्तेदारों ने उसे सलाह दी कि उसका कथित अपराध काबिले जमानत है उसे जमानत देकर छूट जाना चाहिए। उसके बाद जमानत पर उसे रिहा कर दिया गया। जमानत पर छूटने के बाद भी किसन गोपाल गुटड़ पर 24 घंटे निगरानी रखी जाती थी ऐसा उक्त फाइल से मालूम होता है। इसी गोपनीय फाइल में आगे अंकित है कि मघाराम की दो बहनें खेतूड़ी व नानूड़ी किसन गोपाल के घर पर मिलने गईं। उनके कुटुम्ब के साथ पुलिस जो जुल्म कर रही थी उस दर्द को बताने आई थी। उन्होंने बताया कि भाई का तो जो हाल है वह है ही पर हमारी माता को व हमको भी बड़े कष्ट दिये जा रहे है। हमारी वृद्ध माता को तीन दिन तक जंगल में ले जाकर रखा गया। मुह में एक भी दांत न होने पर भी जंगल में भुने हुए चने मात्र खाने को दिये गये। माँ के साथ जो ज्यादतियां की गई उसके बारे मे गृहविभाग की गोपनीय फाइल 1945/61 मे गुमानी और खेतू द्वारा प्रधानमंत्री को 19 जुलाई 1945 को दी गई दरख्वास्त में उन्होंने निवेदन किया कि मेरी माता को पुलिस वाले पकड़ ले गये और तीन दिन जंगल में रखा और खाने को चने दिए और तीसरे दिन सुबह 10 बजे उसे घर छोड़कर गये। नाहक परेशान किया जा रहा है सो जाँच करके अपराधियों को दंडित किया जावे फिर चाहे वे पुलिस वाले ही क्यों न हो। आगे उसी दरख्वास्त मे उन्होंने लिखा है कि 'जब हम मघाराम व रामनारायण से गिराई मे मिली तो

हमने देखा कि मघाराम के शरीर पर सख्त चोटें है और वह वड़ी तकलीफ मे है। प्रधानमंत्री महोदय खुद इसका मुलाहिजा फरमा सकते है। दोनो के सख्त चोटे है। इन्हे वड़ी-वड़ी तकलीफें दी जा रही है। उन्हें दूर करने की कृपा करे। इस दरख्वास्त की जॉच के लिए उसी विरदीचन्द नाजिम को भेज दिया गया जिसकी निगरानी में ही ये सारे जुल्म होते थे। नाजिम के यहां जो फाइल वनी उस फाइल के ता. 23/7/45 के फर्द अहकाम मे गुमानी का वयान लेना अकित किया गया है व ता. 24 को खेतू का वयान लिया गया और वाद मे शिकायत प्रमाणित न होना लिखकर कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया। इसके वाद उन्होंने फिर डाक्टरी मुआयना की मॉग की व धारा 330 वीकानेर दंड सहिता के अन्तर्गत पुलिस पर इस्तगासा किया। वह भी खारिज कर दिया गया। इसके वाद जव 21 जुलाई को मघाराम, रामनारायण और किसन गोपाल गुटड़ को हथकड़ी लगाकर जिला मजिस्ट्रेट विशनदास चौपड़ा की अदालत मे पेश किया गया, उस समय स्वयं अदालत को मघारामजी ने रीढ की हड्डी तथा अन्य स्थानों पर लगी घातक चोटों को दिखाया परन्तु चौपड़ा साहव ने इस सवको देखने से इंकार कर दिया। इन सब को वीकानेर की सदर जेल मे ले जाकर अलग-अलग कोठरियों में वंद कर दिया गया।

किसानों पर नई आफत

जव एक तरफ दूधवाखारा के पीड़ित किसान स्त्री-पुरुषों की सहायता के अपराध मे प्रजापरिषद् के नेताओं और कार्यकर्ताओं को दमन की चक्की मे पीसा जा रहा था उसी समय जेल और पुलिस हवालात के वाहर दूधवाखारा मे जागीरदार ने वहां किसानों पर नई आफत खड़ी कर दी यानी वीकानेर आए हुए किसानों की खड़ी फसल पर अपने लठैतों के माध्यम से हल चलवा दिया। महाराजा साहव को इस वारे मे तार के द्वारा राहत देने की गुहार की गई।

कानूनी सलाह देने वाले वकील को देश निकाले की धमकी

किसानों द्वारा महाराजा साहव को तार-तुमार देने मे श्री ईश्वरदयाल वकील मदद कर रहे थे इसलिए गृहमंत्री की कोप दृष्टि उन पर भी जा पड़ी। 'वीर अर्जुन' दैनिक मे खवर छपी कि वीकानेर के एक प्रमुख वकील श्री ईश्वरदयाल की निर्वासन की आज्ञा की अफवाह से स्थानीय वार-एसोशियेसन में सनसनी फैल रही है। उनका अपराध यह वताया जा रहा है कि वे सरकारी दमन के शिकार प्रजापरिषद् के कार्यकर्ताओं अथवा उनके रिश्तेदारों को कानूनी सलाह देते रहे है। सरकार का ईश्वरदयाल पर दूसरा आरोप यह था कि जून-जुलाई के महीने में वीकानेर से जो कई तार वायसराय व पं. जवाहरलाल नेहरू आदि के नाम शिमला के पते पर दिये गये थे उनका मजमून इन्ही ने वनाकर दिया था। इन तारों में दूधवाखारा मे व वीकानेर शहर में किये गये दमनकारी कदमों का विस्तृत विवरण था। वीकानेर के पोस्टमास्टर ने यहा की सरकार को इन तारो को रोकने से इकार कर दिया था। इससे गृहमंत्री चिढ़ गये थे मगर फिर भी वे तार तो वायसराय व अन्य नेताओं को पहुँचते रहे। दूसरे मामलो मे सी.आई डी. की यह रिपोर्ट आती रही कि श्री ईश्वरदयाल ही ऐसे मामलों में अक्सर पीड़ितों का सलाहकार रहता है इसलिए वायसराय व प नेहरू वाले

तार भी इसी ने लिखे होंगे। ईश्वरदयाल ने कमरे में लाकर वायसराय आदि वाले तारो से साफ इंकार किया। पर उनकी एक बात नहीं सुनी और निर्वासन का आदेश जारी करने की आज्ञा दे दी गई। ईश्वरदयाल वकील यू.पी. के राजवंशी थे और लम्बे काल से बीकानेर में बसे हुए थे। उनका कुटुम्ब बड़ा था शायद 10-12 तो सन्तान थी, जिनमें अनेक नाबालिग थे। निर्वासन का बोझ उनके व उनके परिवार के लिए असह्य था। वीर अर्जुन मे रिपोर्ट प्रकाशित हुई कि अपनी निर्वासन आज्ञा रद्द करवाने के लिए उनसे सार्वजनिक कार्यों से कतई कोई संबंध न रखने और परिषद्वालों को कानूनी सलाह न देने का आश्वासन लिया गया बताते हैं। फलस्वरूप बीकानेर के वकीलों में इस कार्य से घबराहट हो रही है। कोई भी वकील दमनचक्र में पिसने वालो या उनके संबंधियों को सलाह देने का साहस नहीं करता।

शिमला-सम्मेलन को प्रेषित तारों की असलियत

दरअसल बात यह थी कि 30 जून से शिमला में वायसराय लार्ड वेवल और भारतीय नेताओं में भारत की राजनैतिक गुत्थी सुलझाने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें केन्द्र में अन्तरिम रूप से सत्ता भारतीय नेताओं को किस प्रकार दी जाय यह तय होना था। यह सम्मेलन शिमला-सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। यह सम्मेलन 14 जुलाई को असफल हो गया पर इस अर्से में सारे भारतवर्ष में यह आदेश जारी कर दिया गया था कि शिमला को भेजी जाने वाली कोई डाक या किसी तार को कही किसी प्रकार न रोका जावे और न उसके प्रेषण में कोई विलम्ब ही किया जावे। मूलचन्द और मुझ दाऊदयाल ने यह योजना बनाई कि उन दोनों को इस आंदोलन में सक्रिय होकर उतरना है वही पर जनता के सामने से बिल्कुल अदृश्य रहते हुए पब्लिसिटी का मोर्चा संभाले रखना है ताकि आंदोलनकारियों का श्रम और बलिदान व्यर्थ न चला जावे। शिमला सम्मेलन के दौरान संचार विभाग को यह आदेश था कि कोई संदेश जो शिमला के लिए हो उसे तुरन्त प्रेषित किया जावे और किसी प्रकार का विलम्ब न होने दिया जावे। हमने इस आदेश की आड में धूंआधोर पब्लिसिटी की और शिमला सम्मेलन के दौरान तारो की झड़ी लगा दी। हस्ताक्षर पकड़े न जावें इसके लिए हाथ से लिख कर भेजने की जगह टाइप करके ही तार भेजा जाता और नीचे भेजने वाला 'बाबूलाल' बताया जाता जो अन्य कोई नहीं होकर एक फर्जी नाम ही था। मैने अपना अंग्रेजी टाइपराइटर मूलचन्द के घर में रख छोड़ा था और वही बैठकर मैं तार ड्राफ्ट और टाइप कर लेता और मूलचन्द 'बाबूलाल' नाम से हस्ताक्षर अंकित करके तार भिजवा देता। लेखक पर शक होने पर गृहमंत्री ने उसे लालगढ़ बुलाकर पूछताछ की। पोस्टमास्टर से तार मगवा रखे थे। लेखक से पूछा कि ये टाइप किए तार तुम्हारे दिए हुए है क्या? इन्कार करने पर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस लाइन में पूरी रात मदनलाल पुलिस इन्स्पेक्टर ने डराया धमकाया और मुझे कहा कि तुम्हारा टाइप राईटर पकड़ा गया है अब क्यों नटते हो? पर मै उनके झाँसे मे नहीं आया तो दूसरे दिन छोड़ दिया गया। घर आने पर पता चला कि पुलिस तलाशी लेने आई थी पर मेरी माँ को मोहनियां भादाणी—सी.आई डी. वाला धीरे से तलाशी की सूचना दे गया था

इसलिए उसने मशीन को थेपड़ियों के नीचे छुपा दी थी। इस प्रकार लेखक और मूलचन्द की कारगुजारी की सजा बिचारे ईश्वरदयाल वकील को मिलने जा रही थी पर उसने भी माफी मांग कर पिड छुड़ा लिया।

किसान सत्याग्रहियों को खदेड़ दिया गया

दूधवाखारा के पीड़ित सैकड़ों स्त्री-पुरुषों को जब पुलिस भयभीत नहीं कर सकी और उनके उद्देश्य में सहायक बने मघाराम आदि प्रजापरिषद् के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बेरहमी से पीट-पीट कर पूरे पन्द्रह दिन तक अकारण पुलिस हवालात मे रखना बेकार सिद्ध हुआ तो उनमें से सिर्फ तीन लोगो का अर्थात् मघाराम, रामनारायण व किसन गोपाल गुट्ड का चालान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अदालत मे प्रस्तुत करके उन्हें जेल भेज दिया गया। बीकानेर राजधानी में जब किसानों के सहायक लोग जेलो में बंद कर दिये गये तो बाहर बचे ग्रामीण स्त्री-पुरुषो के लिए टिके रहना कठिन हो गया और पुलिस ने उन्हें राजधानी से खदेड़ देने में सफलता प्राप्त कर ली।

अनूपगढ़ में गंगादास की चिंताजनक हालत और पैरोल पर रिहाई

इसी जून महीने में प्रजासेवक द्वारा यह समाचार दिया गया कि राजबंदी गगादास कौशिक के पत्र एक-एक महीने तक रोक लेने के कारण उनके स्वास्थ्य के बारे में चिंता हो रही है। इधर उनकी धर्मपत्नी बीकानेर मे बहुत बीमार हो गई, पत्र के अभाव में बेचारी जैसे-तैसे अनूपगढ़ पहुंची तो कौशिक से मिलने पर पाया कि उनके मुँह में घाव (छाले) हो रहे थे और खंखारे में खून आने लगा था। खुराक खर्च केवल रुपये 15 मिलने से दो वक्त भोजन नहीं कर पाते थे और केवल दोपहर में एक समय आठ आने का दूध पीकर किसी तरह जीवनयापन करने को मजबूर थे। आधे पेट निरंतर रहने से कमजोर हो गये थे और अनेक बीमारियों के शिकार हो रहे थे।

मजबूर होकर पत्नी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि उनके पति पर मुकदमा चलाया जावे ताकि या तो वे बन्धन मुक्त होवें या फिर उनकी बंधन की अवधि तय हो जावे अन्यथा उनकी पत्नी व बच्चों को भी अनूपगढ़ मे कैद कर लिया जाये ताकि वह भोजन, वस्त्र आदि की चिंता से मुक्त हो जावे। ऐसा भी न होने पर वह लालगढ़ में महाराजा के महल के सामने बच्चों सहित धरने पर बैठने को मजबूर होगी। इसी काल में कौशिक की नजरबंदी का एक वर्ष पूरा होने को आया तो उन्हें पैरोल पर छोड़ दिया गया। वे बीकानेर आ गये। उन्होंने स्टेशन से सीधे ही आई.जी.पी. के कार्यालय पहुँच कर पैरोल की अवधि की जानकारी चाही तो उत्तर मिला की गतिविधियां अवांछनीय होते ही उन्हे पुनः गिरफ्तार कर लिया जायेगा। घर पहुँचते ही कौशिक ने अपनी कलम उठा ली। घर की चिंता छोड़ उनकी लेखनी दूधवाखारा आंदोलन को मुखरित करने में लग गई।

प्रजासेवक पत्रिका में अग्रलेख 'जांगलू का जंगलीपन' और प्रजासेवक पर प्रतिबंध

दूधवाखारा के किसानो व परिषद् के नेताओं पर हो रहे जुल्मों पर प्रजासेवक में 'जांगलू में जगलीपन' इस शीर्षक से एक लेख छपा जिसमे लिखा गया था कि पूंजीपति

किसान की सभी जमीनें हड़पने में लगे है। जगलीपन के वर्ताव के कारण 22-23 दिन से हनुमानसिंह भूख हड़ताल पर रहने को मजबूर हो रहे है। हमारे सामने सरकार की ओर से चौधरी जीवणराम जैसा व्यक्तित्व भी खड़ा किया गया है जिसने हनुमानसिंह पर कीचड़ उछाल कर सरकार की थोथी वकालत की है। दूसरी ओर जेल से प्राप्त सवाद मे वताया गया है कि आई जी.पी. दीवानचन्द ने जेल के सीखचों में बंद मघाराम को रबड़ के हंटर से पीटा है। इस संवाद में किंचित भी सत्य है तो कहा जा सकता है कि यह व्यवहार 'नरभक्षी' से कम नही है। यदि महाराजा ने 'बस काफी हो चुका' ऐसा कहकर इसे रोका नहीं तो आने वाली पीढ़ियां इन्हें माफ नहीं करेंगी।'

इस आलेख का महाराजा व उनकी सरकार पर अनुकूल असर नहीं पड़ा। प्रजासेवक अखबार पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा इसका वीकानेर मे प्रवेश रोक दिया गया।

शिमला भेजे गये तारों का असर

जून के उतरार्द्ध में लेखक और मूलचन्द ने जो लम्बे-लम्बे तार वायसराय, पं. नेहरू व अन्य नेताओं को भेजे थे उनका असर सामने आने लगा। तारो से दमन का ब्यौरा पढ़कर पं नेहरू का दिल भी हिल गया। गोपनीय फाइल गृहविभाग सन् 1945/20 के पृष्ठ 9 पर हिन्दुस्तान टाइम्स की वह कटिंग मौजूद है जिसमें उन्होंने 17 जुलाई 1945 को लाहौर की प्रेस कांफ्रेंस मे दिये गये साक्षात्कार मे 'पाकिस्तान का निर्माण साम्प्रदायिक समस्या का हल नही होगा इसलिए पाकिस्तान अकल्पनीय है' ऐसा कहने के बाद साक्षात्कार के अन्त में बीकानेर का जिक्र किया। वे बोले, 'मुझे बीकानेर से प्रजापरिषद् के नेताओं और किसानों के वारे में अनेक विचलित करने वाले संदेश मिलते आ रहे है। मै बीकानेर के अधिकारी वर्ग से चाहता हूँ कि वे वहा के तनाव को ढीला करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें। इसके तीन दिन बाद 20 जुलाई के हिन्दुस्तान टाइम्स मे पं. नेहरू ने पुन- इस वक्तव्य को दुहराया। उधर वायसराय को भी तार पहुंचे थे जिसके फलस्वरूप भारत सरकार के राजनैतिक विभाग ने भी समाचारों की जानकारी व रिपोर्ट मांगी।

बीकानेर सरकार में हड़कम्प और क्रूरतम कदम का निर्णय

इन खवरो से वीकानेर प्रशासन में हड़कम्प मच गया। नेहरू और भारत सरकार को संतुष्टि कैसे मिले इस वारे में कैविनेट स्तर पर विचार किया गया। आई.जी.पी. को हिदायत की गई कि परिषद् के दमन और उत्पीड़न की शिकायतों से संवधित जो भी लोग हो उन सवसे 'किसी भी कीमत पर' माफीनामें लिखवाए जाकर नेहरू और पोलीटिकल विभाग को भेज दिये जावे। चूनाँचे क्रूरतम शारीरिक पीड़ाए देकर 15 जुलाई को मघाराम से, 18 को मेघराज पारीक से व 21 जुलाई को चपालाल उपाधिया से मनमाने माफीनामें प्राप्त करके भेज दिये गये।

हनुमानसिंह से छलपूर्वक माफीनामा

इसी काल में चौ. हनुमानसिह के साथ जेल में दुर्व्यवहार किया गया तो उन्होने 25 जून को भूख हड़ताल शुरू कर दी। तारीख 4 अगस्त को महाराजा ने हनुमानसिंह के पास जेल मे संदेश भेजा कि वे उसके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है तथा चाहते हैं कि उसकी सारी बातें सुनकर न्याय करें। भूख हड़ताल खत्म करके वह लालगढ़ आकर मुलाकात करे। इस प्रस्ताव पर हनुमानसिह ने भूख हड़ताल तोड़ दी। उसको राजमहल में उपस्थित होने में आवश्यक हो, ऐसी पोशाक पहनाई गई। केशरिया साफा पहनाया गया। बन्द मोटर में जाने से उसके इन्कार करने पर उस के लिए खुली मोटर मंगवाई गई और राजा से मिलने पर पाँव छूने की प्रथा समझाई गई। वहां पांव छूने पर महाराजा ने उसे पास बैठाकर डेढ़ घंटे तक उसकी बाते सुनीं। इस वार्तालाप के दौरान महाराजा ने दमन की शिकायतों को एक सीमा तक स्वीकारा तथा अधिकारियों को दण्ड देने की बात भी कही—पर शर्त यह लगाई कि यह सभी कुछ अपने तरीके से करेंगे और दण्ड की प्रक्रिया को प्रकट नहीं करेंगे। अब तक की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को भूलने का भी कहा क्योकि ऐसी बातो से सरकार की बदनामी होती है। हनुमानसिंह से उन्होंने कहा कि वह एक वक्तव्य पं. नेहरू व प्रेस के लिए जारी कर दे कि किसान स्त्री-पुरुषों के साथ दुर्व्यवहार नही हुआ। पहले तो हनुमानसिह ने कहा कि जब आप स्वयं दमन की बात स्वीकार कर रहे हैं तो मेरे लिखने की क्या जरूरत है? इस पर महाराजा ने उससे पेच भरा सवाल पूछा कि वह राजा के प्रति वफादार है या नहीं? इसका प्रत्युत्तर हाँ में ही हो सकता था। इस पर महाराजा ने चंद पंक्तियां अपने सामने लिखाई तथा बाद में उसे रिहा कर दिया गया। जो कुछ लिखाया उसे जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट को भिजवा दिया ताकि लगे कि बंदी ने स्वेच्छा से लिख कर दिया है। इस सब का विवरण दिनांक 28 अगस्त 1945 के दैनिक हिन्दुस्तान में विस्तृत रूप से प्रकाशित हुआ है जिसकी कतरन गृहविभाग की गोपनीय फाइल 1945/28 के पृष्ठ 16 पर मौजूद है।

बदनाम करने की नीयत से राजपत्र में विज्ञप्ति

किसान नेता को बदनाम करने की दृष्टि से 10 अगस्त, 1945 को बीकानेर राजपत्र में एक विज्ञप्ति प्रकाशित की गई। इसमे लिखा गया कि हनुमान जाट ने महाराजा के चरणों मे पड़ने व माफी मांगने की प्रार्थना की। उसे कहा गया कि जब तक वह भूख हड़ताल पर है उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। उसने भूख हड़ताल तोड़ दी और बिना शर्त महाराजा के चरणों में पड़कर रहम की प्रार्थना की तथा आयन्दा नेक चलन और वफादार रहने का आश्वासन दिया। अदालत द्वारा दोषी ठहराने के बाद भी महाराजा ने माफी बख्स दी तथा उसे रिहा कर दिया।

दमन की खबरों को भेजने और रोकने का कटु संघर्ष

जून और जुलाई के महीने प्राकृतिक रूप से सबसे अधिकतम गर्मी के रहे और इन्हीं महीनो मे दूधवाखारा के किसान स्त्री-पुरुषों व प्रजापरिषद् के तमाम नेताओं और

कार्यकर्ताओं में देशभक्ति की उमंग भी और जुल्म के आगे सिर न झुकाकर आगे वढ़ने की तमन्ना का पारा भी वहुत ऊपर चढ़ चुका था तो राजा और सामन्तों के पाशविक दमन का ताण्डव भी अपनी पराकाष्ठा को पहुँच चुका था। शिमला के राष्ट्रीय सम्मेलन मे वायसराय व नेहरू को मिले वीकानेर के हृदयद्रावक समाचारों पर उस तरफ से हुई जवाव-तलवी ने महाराजा और गृहमंत्री को मानव से दानव वना दिया था। किसी भी कीमत पर और कैसी भी नृशंसता और क्रूरता का सहारा लेकर एक-एक देशभक्त से माफीनामा हासिल करके नेहरू और वायसराय को सफाई जो देनी थी। सरकारी मशीनरी की वौखलाहट चरम सीमा छू रही थी। सभी देशभक्तों के माफीनामे किस प्रकार प्राप्त करके वाहर के जगत को भेजे गये यह पहले वर्णित हो चुका है। अव रस्साकसी इस वात की चलने लगी कि सरकार अपने जुल्मों की दास्तान को वाहर जाने से रोकने में सफल रहती है या देशभक्त कार्यकर्ता सारे वंधनों को लांघ कर पीड़ित और पद-दलित मानवता की सिसकियों की दर्द भरी आवाज देश के कोने-कोने तक पहुँचाने मे कामयाव होते हैं। सरकार ने 14 जुलाई को ही मुख्य डाकखाने पर (जहां तारघर भी था) एक पूरी गारद ही चौवीसो घंटों के लिए बैठा दी ताकि तार या चिट्ठी डालने वालो को तत्काल ही पकड़ कर जेल में डाला जा सके। दाऊदयाल को एक दिन गिराई में रखकर छोड़ दिया था और मूलचन्द की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिये थे पर वह बच निकलने में कामयाव रहा। दोनों के घरो के चारों और सी.आई.डी. का घेरा रात-दिन रहने लगा था। इनके घरों में आने वालों और जाने वालों को एक-एक को पूछा जाने लगा कि कहां से आये हो और आगे कहां जाने वाले हो। विना वारंट के पकड़ कर तलाशी लेने में भी कोई रुकावट नहीं थी—हमारी वहन-वेटियो और वहुओं की परेशानी को किन शब्दो मे बताया जाय यह समझ मे नहीं आता। घरवाले भी परेशान होकर हमें कहते थे कि यह क्या आफत मोल ले ली है तुम लोगों ने और यह कव तक चलेगी? हँसकर टाल देने के सिवाय हम क्या कर सकते थे? ऐसे माहौल में जेल में जा बैठना महत्व नहीं रखता था और समय की मांग थी कि हम गिरफ्तारी से किसी भी प्रकार वचें और सगठन, आंदोलन और प्रचार कार्य को अनवरत आगे वढ़ाते रहें और सही समाचारो से वाह्य जगत को अवगत कराते रहें। अखवारों से, नेताओं से, कार्यकर्ताओं से वीकानेर को जोड़ने का एकमात्र संपर्क सूत्र था मूलचंद जो पहले से वखूवी अपना कार्य कर रहा था पर अव उसके लिए दूर-दूर तक दौड़ करने का वक्त आ गया था। आधा वीकानेर कलकत्ते मे वसा हुआ है और कलकत्ता मे वसे प्रवासी वीकानेरी हमारी वहुत मदद कर सकते थे इसलिए जयपुर मे हीरालालजी शास्त्री, जोधपुर के जयनारायण व्यास, सिरोही में गोकुलभाई भट और अजमेर में हरिभाऊजी उपाध्याय आदि से जुड़ा होना अव पर्याप्त न होने से वंगाल के कलकत्ता से और आसाम में गौहाटी से जुड़ने के लिए मूलचद को लम्वा सफर करना आवश्यक हो गया था जिसका वह पहले से आदी था और इसके लिए उसने कमर कस ली थी और एक विस्तर चौवीसों घटे वाहर जाने के

लिए वंधा रहने लगा था। उसके पिताजी ने भी देख लिया था कि उसे कुछ कहना या रोकना कोई अर्थ नहीं रखता क्यो कि उस जुनून को रोक पाना संभव न होने से मन से या वेमन से घर से छूट सी ही मिल चुकी थी। मेरी तरफ से वह आश्वस्त था कि उसकी गैर मौजूदगी में दाऊदयाल स्थानीय संपर्क सूत्र सभालने मे चूकने वाला नही है।

दूधवाखारा के किसानों का राठौड़शाही और सामन्तशाही से टकराव और सघर्ष अव प्रजापरिषद् का संघर्ष अर्थात् लोकशाही का संघर्ष वन गया था और खार खाए हुए महाराजा ने प्रजापरिषद् को येन-केन प्रकारेण नेस्तनावूद कर देने के संकल्प के साथ परिषद् के नेताओं और कार्यकर्ताओं को दमन की चक्की मे पीसना शुरू कर दिया।

मूलचंद का बंगाल व आसाम के अप्रवासियों से संपर्क

सन् 1944 में गोयल के निर्देशानुसार मूलचंद ने कलकत्ता जाकर मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी के प्रमुख संचालक श्री तुलसीराम सरावगी को उनका सदेश पहुँचाया था। ये सरावगीजी वीकानेर राज्य की तहसील तारानगर (रिणी) के निवासी थे। उन्होंने मूलचन्द का एक अन्य तारानगर निवासी सीतारामजी अग्रवाल से परिचय कराया था। इन सीताराम अग्रवाल से मिलकर मूलचन्द ने कलकत्ता में और लोगों से संपर्क किया। दूधवाखारा आंदोलन मे उक्त सीताराम अग्रवाल का वड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा।

सीताराम अग्रवाल

बीकानेर के गृहमंत्रालय की गोपनीय फाइल सन् 1945/35 से पता चलता है कि उक्त सीताराम तारानगर निवासी दुर्गादत्त चाचाण का पुत्र है जिसने बीकानेर की सादूल हाई स्कूल से सन् 1940 में मैट्रिक की परीक्षा पास कर बनारस के हिन्दू विश्वविद्यालय के कॉलेज मे विज्ञान विषय में दाखिला पाया था जहाँ वह सन् 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में आतंकवादी कार्यवाहियों मे डी.आई.आर 39 मे गिरफ्तार कर लिया गया था और डेढ़ वर्ष की सजा काटने के बाद 15-3-44 को सेन्ट्रल जेल वनारस से छूटने पर वनारस से निर्वासित होकर तारानगर लौट आया था। इसी गोपनीय फाइल में उक्त सीताराम की अपने ताऊजी के नाम लिखी 30-7-44 की एक चिट्ठी मौजूद है जिसमे उसने लिखा है कि आपके इस सुझाव से मुझे घोर निराशा हुई है कि मै किसी सरकारी नौकरी को ग्रहण करूं क्योंकि वह मेरी प्रकृति के प्रतिकूल है। राज्य सेवा में जाना मेरे लिए अत्यंत अपमानजनक और अपयशकर होगा क्योंकि मैं राज्य सेवा मे जाकर एक गैर जिम्मेदार विदेशी सरकार को चलाने में सीधा हाथ वटाने का दोषी वनूंगा जो हमारी मातृभूमि के हितो पर कुठाराघात करने पर तुली हुई है। सरकारी नौकरी की कल्पना का विरोध करके वे कलकता चले गये और थोड़े समय वाद ही अपनी योग्यता के वल पर आसाम आइल मिल्स ऐसोशियेसन गौहाटी के सेक्रेटरी वन गये। सन् 44 से मूलचंद का इनसे सीधा सम्पर्क रहा है और प्रजापरिषद् और दूधवाखारा आंदोलन में मूलचंद को इनसे सक्रिय सहयोग मिलता रहा। मूलचंद से समाचार जानकर सीताराम जी ने 14 जुलाई को वीकानेर के प्रधानमंत्री को गौहाटी से एक लम्वा तार भेजकर माग की

थी कि वे हनुमानसिंह व प्रजापरिषद् के नेता मघाराम वैद्य व अन्य कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से उत्पन्न गंभीर स्थिति में दखल देकर उन्हें रिहा करें और दूधवाखारा की ज्वलंत समस्याओं का हल निकालकर उनके गहरे घावों पर मरहम लगावें। इस तार का कोई उत्तर न पाकर सीतारामजी ने पत्र द्वारा मूलचंद से आगे की जानकारी मांगी।

सीताराम के नाम मूलचंद के पत्र

पत्रोत्तर में मूलचंद ने उन्हें सूचित किया, 'शिमला सम्मेलन खत्म होते ही सरकार ने सारे संचार साधनों पर कड़ाई से रोक लगा दी है इसलिए उसके बाद के अनेक समाचार अखबारों में भी नहीं पहुँच सके हैं अत: इस पत्र से संक्षेप में मैं आपको समाचार लिख रहा हूँ ताकि उनका प्रकाशन आसाम और बंगाल के पत्रों में करवाने मे आपको सुविधा हो। यह पत्र भी आपको बीकानेर रियासत से बाहर जाकर किसी डाकखाने से भेज रहा हूँ। मेड़ता रोड़ से आपको जो पत्र दिया था उसके बाद के समाचार लिख रहा हूँ। 12 जुलाई को मघारामजी के छोटे भाई शेराराम को गिरफ्तार कर लिया और बुरी तरह से मारपीट करते वक्त बीच में उनकी बहन व चौ. हनुमानसिंहजी की धर्मपत्नी के हस्तक्षेप करने पर उन्हे भी पुलिस ने डंडों से पीटा और उसके बाद शेराराम के मुंह में कपड़ा ठूँसकर किसी अज्ञात स्थान को ले गए, उसी रात को वैद्यजी की 90 वर्षीय वृद्धा माता को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उसके मकान की तलाशी ली गई। ता. 15 को खादी मंदिर के व्यवस्थापक श्रीयुत मेघराज जी पारीक व राजपूताना इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के कर्मचारी खादीधारी कुंजबिहारी नोखा में गिरफ्तार कर लिये गये। उसी दिन् राष्ट्रीय पुस्तकालय पर पुलिस ने जबरन कब्जा कर लिया। ता. 13 को मुझे भी एक बार गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में इन्सपेक्टर के सामने जाकर बगैर वारंट बताए लाइन पुलिस तक जाने में मेरे इंकार करने पर न जाने क्यों छोड़ दिया गया। बाद मे मुझे फिर बुलाया भी गया लेकिन मैंने बिना वारंट जाने से इंकार कर दिया क्योंकि मेघराज को बुलाकर बात करने के बहाने गिरफ्तार कर लिया गया था। दूधवाखारा के किसानों की समस्या की जाँच करने के लिए महाराजा साहब ने चूरू के सेशन जज श्री त्रिलोचन दत्त का जाँच कमीशन नियुक्त किया है पर इसमें कोई गैरसरकारी जन प्रतिनिधि न होने से न्याय की उम्मीद अधिक नहीं है फिर भी किसानों में जोश है और वे गवाहियां पेश कर रहे है जो अब तक परिषद् के हक में हुई हैं। इस जॉच में भी जागीरदार सूरजमालसिंह को वकील करने की सुविधा दी गई है जबकि किसानों की वकील की मांग को नामंजूर कर दिया गया है। इस समय तक के हालात से जोधपुर जाकर श्री जयनारायण व्यासजी को अवगत करा दिया है। गोयलजी को भी मैंने नागौर जाकर सारी जानकारी दे दी है और उन्होंने भी इस बारे मे प्रेस को एक वक्तव्य जारी करने का वादा किया है।'

राजपूताना कार्यकर्ता संघ का प्रतिनिधि मंडल

बीकानेर शासन के इस घोर दमन से उठने वाली चीखो की आवाज राजपूताने की अन्य रियासतों तक पहुँची तो राजपूताना कार्यकर्ता संघ द्वारा एक प्रतिनिधि मंडल

बीकानेर के शासक से मिलने के लिए भेजा गया ताकि वस्तुस्थिति का सही पता लगाया जाकर कोई सुलह-समझौते का रास्ता निकाला जा सके। इस प्रतिनिधि मडल में दो व्यक्तियों में से एक थे अजमेर-मेरवाड़ा के वरिष्ठ वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता हरिभाऊजी उपाध्याय और दूसरे थे राजस्थान चर्खासंघ के वरिष्ठ व्यवस्थापक श्री बलवन्त सखाराम देशपांडे। इन्हें बीकानेर रियासत की सीमा मे प्रवेश करते ही दो दिन तक आगे नहीं आने दिया गया और नोखा में ही रोके रखा गया। बीकानेर पहुँचने पर भी इन्हें आम नागरिकों से घुलने-मिलने नहीं दिया गया। राज्य के महत्वपूर्ण मेहमानों को जिस कोठी नं. 18 में निवास दिया जाता था उसी कोठी में इनको भी ठहराया गया था। ऐसी अवस्था में 10 अगस्त के हिन्दुस्तान टाइम्स में यह खबर 'बीकानेर मे राजपूताने के नेतागण बंदी बना लिये गये,' इस शीर्षक से प्रकाशित हुई। अखबार के जयपुर स्थित संवाददाता ने लिखा—राजपूताना कार्यकर्ता संघ के आदेशानुसार राजपूताने के दो नेतागणों अर्थात् हरिभाऊ उपाध्याय व बी.एस देशपांडे को जो हाल ही में बीकानेर गए थे, बीकानेर से हाल ही में निर्वासित जननेता रघुवरदयाल गोयल की पुत्री कुमारी चन्द्रकला गोयल से नहीं मिलने दिया गया। जब उसने आई.जी.पी से इस बारे में शिकायत की तो उसे बताया गया कि उक्त दोनों नेता पुलिस हिरासत में है और उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जा सकता। राज्य की कोठी नं. 18 जहाँ उनको रखा गया है, पर पुलिस की गारद तैनात की हुई है।

इस खबर पर गृहमंत्री को अपना खुलासा देते हुए आई.जी.पी. ने लिखा है कि 30 जुलाई को कु. चन्द्रकला गोयल ने मुझ से मुलाकात करके चाहा कि 18 नंबर की कोठी में स्थित नेताओं से उसे मिलने की इजाजत दी जाय। उसने बताया कि वह इजाजत इसलिए माँग रही है कि इससे पूर्व जब दाऊदयाल आचार्य उनसे मिलने गया था तो सी.आई.डी. और पुलिस द्वारा उन्हे रोक दिया गया था इसलिए वह इजाजत लेने आई है। इस पर मैने स्वाभाविक रूप से यही जवाब दिया है कि मै व्यक्तिगत रूप से नेताओं के बारे में कुछ नहीं जानता कि वे कहां ठहरे हुए है किन्तु इतना कह सकता हूँ कि अगर वे लोग आपसे मिलना चाहेंगे तो आपके घर आने से उन्हे कोई रोकने वाला नहीं है। बहरहाल चन्द्रकला को उनसे मिलने नही दिया गया।

इसी प्रकार अपने भाई की नृशस पिटाई से पीड़ित मघारामजी की विधवा बहन खेतू बाई ने बताया कि जब हमने सुना कि देश के बड़े नेता हरिभाऊजी आए है तो मै दौड़कर 18 नम्बर की कोठी की ओर गई पर 200 कदम दूरी पर ही पुलिस ने मुझे रोक कर वापिस लौटा दिया।

नेताओं के बयान

लालगढ़ में महाराजा साहब से उनकी मुलाकात हुई और दूसरे दिन वे लौट गये। अजमेर से उन्होंने बयान जारी किया जिसमें कहा कि हम महाराजा साहब के रवैये से प्रभावित हुए हैं और आशा करते है कि जल्दी ही कुछ ठीक होने वाला है। उनका

यह वक्तव्य तत्कालीन वस्तुस्थिति और घोर दमन से मेल नहीं खा रहा था इसलिए उनके वीकानेर आगमन की आम जनता पर बुरी छाप पड़ी।

संचार के साधनों पर शिकंजा

ऐसे आतंक भरे वातावरण में वीकानेर में वैठकर प्रचार करना सरकार ने असंभव वना दिया था। डाक, तार और रेल आदि संचार के सभी साधनों पर शिकंजा कसा जा चुका था। रेल में वैठ कर नागौर पहुँचना भी मुश्किल हो गया था क्योंकि जरा सा भी शक होने पर रेल में चल रहे सी.आई. डी. के लोग विना वारंट मुसाफिर को गिरफ्तार कर लेते और फिर डिब्वे से उतार कर नोखा स्टेशन पर पुलिस के सुपुर्द कर देते। पूछने पर गिरफ्तारी का कोई कारण नहीं वताया जाता। खासतौर पर नागौर के टिकटधारी मुसाफिरों की मुसीवत हो गई थी क्योंकि वहाँ अपने निर्वासन के वाद कुछ समय के लिए गोयल धर्मशाला में टिके हुए थे जहाँ उनके साथ उनका भानजा दामोदर सिंघल भी जा मिला था जो स्वयं भी बीकानेर से सन् 1944 के बाद से निर्वासित चला आ रहा था। इस प्रकार सरकार ने एक प्रकार से नागौर की नाकेवंदी कर रखी थी।

वीकानेर के ऐसे माहौल में से मूलचंद ने कलकत्ता जाकर सरावगीजी और सीताराम अग्रवाल के सहयोग से बीकानेर के जुल्मों को पब्लिसिटी देना ठीक समझा और एक दिन चुपचाप विना विस्तर या अन्य सामान साथ लिये नागौर पहुँच गया। धर्मशाला में कुछ घंटे गोयलजी के साथ विताए और वीकानेर के सारे हालात वताकर योजनानुसार आगे प्रस्थान करने के लिए गोयलजी से इजाजत मांगी तो यह पाया कि गोयलजी यह चाहते हैं कि वे नागौर में उनके साथ टिककर रहे। पर एक तो परिस्थिति की मांग तुरन्त आगे बढ़ने की थी और किसी एक जगह ठहर जाना चालू आंदोलन के लिए घातक सिद्ध हो सकता था और दूसरे में मूलचंद का मन गोयल की बातों से खट्टा हो रहा था क्योंकि उन्होंने मूलचंद के सामने मेघराज के वारे में अपने परिवार की शिकायतों पर एक तरफा विचार कर, निंदा करनी शुरू कर दी थी जवकि हम सव जानते थे कि मेघराज वीकानेर में वैठे किन परिस्थितियो में जूझते हुए राष्ट्रीय कार्य में सलंग्न हो रहे थे। उन्होंने वात वढ़ जाने के खतरे से वचने के लिए ज्यादा कुछ न कहकर वहाँ से चल निकलना ही ठीक समझा। गोयलजी ने मेघराज पर खादी मंदिर हड़पने की नीयत रखने का दुर्भाग्यपूर्ण आरोप लगाया जिसके उत्तर में मेघराज ने टूटे दिल से इतना ही लिखा कि वीकानेर में तेज गति से चल रहे जन आंदोलन के इस माहौल में खादी मंदिर का एक दिन के लिए भी वंद हो जाना वुरा प्रभाव पैदा करेगा इसलिए श्री गोयल किसी दूसरे व्यक्ति को तुरन्त व्यवस्थापक वना दें तो मेघराज तत्काल इस्तीफा देने को तत्पर है। श्री मेघराज इस्तीफा देते उससे पहले ही पुलिस के शिकंजे में फंस गये और ठोक-पीट कर उनकी जो दुर्गति की उसका शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। मूलचंद के साथ ही हम सव दूसरे साथी कार्यकर्ता भी खिन्न हो चले थे पर जिस कार्य मे हम सव मिलजुल कर संलग्न हो रहे थे वह तो किसी एक व्यक्ति विशेष का कार्य न होकर राष्ट्र का कार्य था। इसलिए गोयल के इस रवैये की अनदेखी करके सभी लोग राष्ट्र कार्य में लगे हुए गोयलजी के साथ चल रहे थे।

कलकत्ता में मूलचंद के क्रिया-कलाप

कलकत्ता पहुँच कर मूलचद वीमार पड़ गये और वुखार और खॉसी ने उन्हे वुरी तरह शिथिल कर दिया। थोड़ा ठीक होते ही वे प्रचार कार्य मे लग गये। सरावगीजी व शास्त्रीजी से मिलने के वाद वीकानेरियों की एक सभा वुलाई जिसमें कलकत्ता मे परिषद् की शाखा के चुनाव करके प्रचार कार्य को तेज करने की योजना थी। 11 अगस्त को कलकत्ता से श्री सीताराम अग्रवाल को गोहाटी पत्र भेजते हुए मूलचद ने उन्हे सूचित किया, 'शनिवार को परिषद् के कार्यार्थ एक सवकमीटी श्री चैतन्य प्रकाश रंगा के संयोजकत्व मे वना दी गई जिसमें निम्नलिखित सदस्य थे (1) श्री वसंतलालजी मुरारका (2) मूलचंद पारीक (3) श्री सूरजरतन चांडक व (4) एक और व्यक्ति थे। मूलचंद के पास बीकानेर के दमन चक्र संवंधी जो अनेक सनसनीखेज और हृदय-द्रावक समाचार थे उन्हें वह शीघ्रातिशीघ्र प्रकाशित करवाने को व्यग्र था पर उक्त सव-कमेटी के संयोजक चैतन्य प्रकाश रंगा ने वताया कि सरावगीजी का कहना है कि जव तक कमेटी निश्चित न करे कि अमुक समाचार देना है या नही देना है तव तक कोई समाचार प्रकाशनार्थ न भेजा जावे। यह पावंदी हरिभाऊजी के आशावादी वक्तव्य के कारण लगाई गई मालूम होती है जिसमे उन्होंने महाराजा से मुलाकात हो जाने के वाद प्रेस को वताया था कि महाराजा साहव के रवैये से वे प्रभावित हुए है और जल्दी ही कुछ ठीक होने वाला है। आज (11 अगस्त 1945 को) श्री वसंतलाल जी मुरारका वर्धा जा रहे हैं। वे हमारी सव-कमेटी के प्रेसीडेन्ट है। मालूम होता है कि एक हफ्ते तक यह काम रुका रहेगा।' इस पत्र के अंत में मूलचद ने सीतारामजी से भी मार्गदर्शन चाहा है और लिखा है, 'गोयलजी को अपना नेता मानते हुए भी कभी-कभी परिस्थिति की मांग के कारण कुछ कदम अविलम्व उठाने को मजवूर होना पड़ जाता है क्योंकि ऐसा किए विना जरा से विलम्ब से सारी योजना के गुड़-गोवर होने की संभावना रहती है। हो सकता है कि गोयलजी की दृष्टि में मै बुरा हूँ लेकिन मेरे साथ क्या दाऊजी, मेघराजजी, रावतमलजी इत्यादि सभी लोग सचमुच बुरे हैं जिन सव से सलाह-मशविरा करके ही मै कदम आगे बढ़ाता हूँ। चैतन्य प्रकाशजी गृहमंत्री से मिलने 15 अगस्त को बीकानेर जाने वाले थे, पर अभी तक तो नहीं गये, देखे अव कव जाना हो सकेगा। यहां परिषद् कायम होते ही बीकानेर लौट जाऊँगा।'

इन्दौर के नेता श्री हजारीलाल जडिया द्वारा बीकानेर के अत्याचारों की जाँच और वक्तव्य

हरिभाऊजी उपाध्याय ने महाराजा से महल में वातचीत करने के वाद महाराजा की नेकनीयत का जो प्रमाण पत्र दे डाला था और जल्दी ही कुछ ठीक होने की उम्मीद प्रकट की थी वह वेवुनियाद सावित हो रही थी और चारो तरफ से 'दा साहव' यानी हरिभाऊजी पर अंगुली उठने लगी थी। उनके वक्तव्य को पूरा एक महीना होने जा रहा था पर सरकारी दमन मे कोई विराम या अर्द्ध विराम भी दिखाई नही पड़ रहा था। ऐसे दमघोटू वातावरण में इन्दौर के जननेता श्री हजारीलाल जडिया का वीकानेर मे पदार्पण हुआ। वे न तो राजमहल गये और न 18 नं. की कोठी मे ठहरे और सीधे ही पीड़ित

मानवता की सुध लेने शहर मे निकल पड़े। उन्होंने जेल के सीखचो से वाहर बचे देशभक्त पीड़ितों के वयान कलमवद्ध किए और फिर प्रजासेवक में एक वक्तव्य प्रकाशित किया। जिन पीड़ितों के वयान कलमवद्ध किए उनमें से कुछ के नाम हैं—मघारामजी की विधवा वहन खेतू वाई, श्री मुल्तानचंद दर्जी-उम्र साठ साल, मेघराज पारीक, कु. चन्द्रकला गोयल, दाऊदयाल आचार्य, चिरंजीलाल सुनार, श्रीमती नानू वाई (मघाराम वैद्य की वहन), श्रीमती गुमानी वाई-माता श्री मघाराम वैद्य आदि। बीकानेर की रेलवे स्टेशन पर उतरते ही खादी कपड़े देखकर सी.आई.डी. वाले उनके पीछे हो लिए और तुरन्त गृहविभाग में एक गोपनीय फाइल वन गई। इस गोपनीय फाइल 1945/33 में गृहमंत्री को रिपोर्ट दी गई है उसके अनुसार उक्त हजारीलाल जड़िया लाहौर से 27-8-45 को गाड़ी से बीकानेर स्टेशन पर उतरे और गंगादास सेवग इन्हे मोहता धर्मशाला में ले गया जहाँ वे 29 तारीख तक टिके और इस अरसे में उन्होंने अनेक लोगों से मुलाकात की जिनमें कुछ के नाम हैं : श्री पन्नालाल राठी, तारानाथ रावल, जानकीप्रसाद वगरहट्टा, जीवनराम जाट, मुल्तानचंद दर्जी, भिक्षालाल दर्जी, लक्ष्मीदास स्वामी, किसन गोपाल गुट्टड़ व मूलचंद पारीक। गणगौर का मेला देखते हुए ईश्वर दयाल वकील आदि से मिले। वे रघुवरदयाल गोयल के घर गए और मघाराम के घर जाकर उनके भाई शेराराम से मिले। 29 तारीख को वे जोधपुर के लिए प्रस्थान कर गये। उस समय स्टेशन पर उन्हें विदा करने अनेक लोग पहुँचे जिनमें दाऊदयाल आचार्य, मूलचंद पारीक, मघाराम के भाई श्रीराम, शंकरलाल व्यास, जानकीप्रसाद वगरहट्टा, घेवरचंद तंबोली व गंगादास कौशिक आदि थे। स्टेशन पर कोई प्रदर्शन या नारेबाजी नही हुई। बीकानेर के बारे में उनका वक्तव्य 29-8-45 के प्रजासेवक मे 'बीकानेर की दर्दनाक हालत' इस शीर्षक से प्रकाशित हुआ जिसमें उन्होंने कहा, 'इस वीसवी सदी में बीकानेर जैसी वड़ी रियासत के शासन संबंधी जिन कारनामों का ज्ञान मुझे हुआ है वे वहुत ही आश्चर्य में डालने वाले और अत्यन्त बर्बर शासन के नमूने ही माने जाने चाहिएं। इस समय मै अपने इस छोटे से वक्तव्य में उन रोमांचकारी घटनाओं का संक्षिप्त सारांश भी वयान नही कर सकता जिन घटनाओं के भुक्तभोगी 60-60, 80-80 वर्ष के वृद्ध स्त्री-पुरुष है। उन्होंने आँसू वहाते हुए और भयभीत हृदय से अपने ऊपर किए गए पाशविक और अमानुषिक अत्याचारों के लम्बे वयान मुझे दिए हैं। इसी प्रकार नवजवान और प्रौढ़ों के साथ भी राक्षसी अत्याचार किए गये है। इन सबके लिखित वयान मेरे पास मौजूद है। इन वयानों को लिखते समय मेरा हृदय भी अनेको स्थल पर द्रवित हुए बिना नही रहा है। आश्चर्य है तो यह है कि इन पाशविक अत्याचारों में बीकानेर का न्याय विभाग भी हिस्सेदार है। बीकानेर शासन ने यह सब कुछ प्रजापरिषद् संस्था के विरुद्ध कमर कस कर ही किया है। दुनिया की आँखों मे धूल झोकने के लिए शासन ने बीकानेरी जनसेवको के जिन माफीनामों को वनाया है वे सब इन्ही अत्याचारो की बुनियाद पर वनाए गए हैं जिनका मूल्य नैतिक जगत में कुछ भी नही

हो सकता। श्री हरिभाऊजी उपाध्याय कुछ दिन पहले बीकानेर महाराजा के अतिथि रहते हुए महाराजा और अन्य राज्य अधिकारियों से मिले थे। इस अवसर पर इन्हे आम जनता मे से किसी से भी नहीं मिलने दिया गया। इसके बावजूद कि इन्होने बीकानेर नरेश की सद्भावनाओं के समर्थन में अपना जो वक्तव्य प्रकाशित किया है वह सब एक तरफ का ही पहलू है। यदि इस वक्तव्य के बाद शासन की दूसरी काली और क्रूर बाजू दुनिया के सामने आए तो श्री हरिभाऊजी का वक्तव्य शासन के अत्याचारों पर पर्दा डालने वाला ही साबित होगा। श्री हरिभाऊजी को जनता से दूर ही रखा गया इसका रहस्य यही था। मैं यथासंभव बीकानेर शासन की इस काली बाजू पर शीघ्र ही पुस्तिका के रूप में एक अपना लम्बा वक्तव्य प्रकाशित करने वाला हूँ।'

श्री गोयल के क्रिया-कलाप

जब बीकानेर मे जुल्मो-सितम ढहाए जा रहे थे तो अखबारों में समाचार पढ़कर गोयल के दिल मे हूक उठ रही थी कि काश मै भी इन बहादुर साथियों और अपने अनुचरों के बीच होता पर मेरा तो घर और जन्मभूमि दोनों ही छूट गये। गोयल ने जून का महीना दिल्ली में बिताया, जहाँ व्यासजी आदि नेताओं से संपर्क किया और अजमेर जाकर हरिभाऊजी से विचार विनिमय किया फिर दौसा और चौमूं जाकर देशपांडेजी से मिले और जयपुर जाकर शास्त्री से मुलाकात की और बीकानेर में नहीं तो बीकानेर के आसपास कहीं टिक कर राज्य के भीतर के साथियो से संपर्क बढ़ाने की नीयत से नागौर मे शिवदयाल दवे से मिले और वहीं धर्मशाला में जा जमे। स्त्री-बच्चे सभी बीकानेर में ही छोड़ आए थे और बड़ी दोनो बच्चियां वनस्थली मे शिक्षा पा रही थी। बीकानेर से घर वालो से जो समाचार मिल रहे थे उनसे परेशानी बढ़ रही थी क्योंकि गोयल के निर्वासन के बाद पुलिस वाले उनके बाल-बच्चो को अनेक प्रकार से तंग कर रहे थे। उनके मकान के पड़ौस में जो घर थे उनमें ऊपर चढ़कर कंकर फेकना और स्नान करते हुए स्त्री-बच्चों को झांकना और यदा-कदा फब्तियां कसना यह रोजमर्रा का काम हो गया था। दिनाक 8 जुलाई को मूलचंद ने नागौर जाकर राजनैतिक समाचार दिए और पुलिस की दास्तान सुनाई तो गोयल ने उसी दिन बीकानेर के आई.जी.पी को एक लम्बा पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि 'आपके सी.आई.डी. वाले सदा मेरे साथ रहते है और राज्य की जनता के धन को बरबाद कर रहे है। यहाँ नागौर मे भी आपके सी आई.डी. के ठाकुरदास इसी धर्मशाला में डेरा जमाए हुए हैं *जिसमें मै रह रहा हूँ और उधर स्त्री-बच्चो के साथ ओछी* हरकतें करते उन्हें शर्म नहीं आ रही है। बीकानेर आपके पुलिसराज को सदा याद रखेगा। यह सब सदा चलने वाला नहीं है क्योंकि देश करवट ले रहा है और अंग्रेजों का प्रतिनिधि वायसराय शिमला मे बैठ कर हमारे नेताओं से सुलह-समझौते की बाते करने को मजबूर हो रहा है। और आप बीकानेर के नागरिकों के साथ 'लाल-होली' खेल रहे हो। रियासतों का दावा है कि वे भारत की आजादी मे रोड़ा नहीं बनेगी लेकिन अपनी प्रजा का दम घोटकर, मार कर, उसकी लाश पर चैन की बशी बजावेंगे और किसी प्रकार भी सांस नही लेने देगे।'

गोयल ने लेखक को नागौर आने के लिए पत्र भेजा पर उसने मूलचंद के प्रवास पर होने से, चलते आंदोलन मे बीकानेर छोड़कर और कहीं जाना उचित नही समझा, जिस कारण गोयल दुखी और नाराज भी हुए। 20 जुलाई को गोयल ने नागौर छोड़ दिया क्योकि जिस मकसद के लिए वे वहां जाकर जमे थे वह इसलिए पूरा होता नजर नही आया कि पुलिस द्वारा नागौर की ऐसी नाकाबंदी कर दी गई थी कि बीकानेर का कोई भी नागरिक नागौर पहुँच कर गोयल से संपर्क न कर सके। 21 जुलाई को गोयल ने भरतपुर में राजनैतिक सम्मेलन में भाग लिया जहाँ बीकानेर के राजनैतिक दमन की निंदा का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। वहाँ से गोयल मुम्बई में गोकुल भाई भट्ट के साथ सरदार वल्लभभाई पटेल से मिले। सरदार पटेल ने उन्हें बताया कि शिमला मे कार्यकारिणी की बैठक के समय बीकानेर से भेजे हुए तार मिलने पर बीकानेर पर विचार किया गया। बाद में गांधीजी ने नेहरूजी से बीकानेर का मामला देखने को कहा है व नेहरूजी महाराजा से पत्र-व्यवहार कर रहे हैं इसलिए अभी तो वे कुछ नही कर सकते। मुम्बई में गोयलजी अंग्रेजी पत्र बोम्बे क्रोनीकल व गुजराती जन्मभूमि के संचालको से मिले। वहीं उनकी जानकारी जमनालालजी बजाज के पुत्र कमलनयन बजाज व रतनगढ़ के सोली-सीटर श्री माधवप्रसादजी से हुई और बीकानेर की समस्या पर विचार विनिमय हुआ।

इधर बीकानेर में 21 जुलाई को, पन्द्रह दिन की पुलिस हिरासत में भयकर मारपीट के बाद मघाराम, रामनारायण व किसन गोपाल गुट्ड के खिलाफ चालान पेश किया गया और इन तीनों को जेल भेज दिया गया। जेल मे इन के साथ फिर दुर्व्यवहार किया गया तो 22 जुलाई को जेल मे मघाराम वैद्य ने भूखहड़ताल शुरू कर दी।

अगस्त के शुरूआत में 6 से 8 अगस्त 1945 तक काश्मीर में मिर्जा अफजलबेग के निवास पर अ.भा. देशी राज्य लोक परिषद् की स्टेंडिंग-कमीटी की बैठक पं. नेहरू की अध्यक्षता में हुई जिसमें बीकानेर पर विचार किया गया। बीकानेर राज्य से निर्वासित गंगानगर प्रजापरिषद् के अध्यक्ष श्री राव माधोसिंह भी उस बैठक में शामिल हुए और बीकानेर की स्थिति पर जोर देकर विस्तार से प्रकाश डाला। उधर दामोदर सिंघल जोधपुर, जयपुर, अजमेर, पिलानी आदि स्थानों में घूम-घूम कर विद्यार्थी जगत मे बीकानेर के विद्यार्थियो पर लादी गई ज्यादतियों के प्रचार मे संलग्न थे। गोयल, सिंघल और राव तीनों ही बीकानेर से निर्वासित थे पर तीनों ही एक क्षण भी चैन से न बैठ कर निरंतर बाहर के जगत को बीकानेर के दमन से अवगत करा रहे थे।

झुंझुनूं में राजनैतिक सम्मेलन

ता. 19 अगस्त 45 को गोयलजी झुंझुनं [illegible] 15-20 अन्य लोग भी बीकानेर रियासत के पहुँच [illegible] था। राव माधोसिंह भी वहाँ जा प[illegible] के चौ. [illegible] भाई गनपत सिंह भी वहाँ आ मिले। [illegible] था [illegible] के खिलाफ

जो अब तक हर मौके पर कुचले जाते रहे थे वे पहली बार मोर्चे पर अपने जुल्मो का विरोध करने के लिए प्रजापरिषद् के सहयोग से डटकर खड़े हो गए थे। उन्हे पहली बार ऐसा अनुभव करने का मौका मिला था जब वे सोचने लगे थे कि कष्ट भले ही हमे कितने ही क्यो न सहनें पड़ें पर अब किसान दबने वाला नहीं है और न अब उसकी जबान को बंद ही किया जा सकेगा। यद्यपि बीकानेर के चौ. हनुमानसिंह सीखचों के बाहर थे, तो उन्ही किसानो के लिए प्रजापरिषद् के तमाम नेता और कार्यकर्ता सीखचों के अंदर पहुंच चुके थे और जो गिनती के कुछ कार्यकर्ता बाहर बचे थे वे सब भी किसान आंदोलनार्थ ही देश में कलकत्ता, मुम्बई, दिल्ली आदि स्थानो पर बीकानेर की वेदना की आवाज पहुँचाकर धन-जन और लोकमत को सगठित करने में जुट गए थे। झुंझुनूं मे हनुमानसिह ने बताया कि मुझ हनुमानसिंह को केवल जाट होने के नाते हनुमानिया कह और लिख कर हमारी हँसी उड़ाने वाले राजपक्षीय लोग पहली बार गभीर होते दिखाई दे रहे थे। स्वयं महाराजा भी विचलित एवं चिंतित प्रतीत होते थे और मुझे रिहा करते समय कहा कि तुम लोग लिखकर या वक्तव्य जारी करके कहो कि हमें तंग नही किया गया, न किसी को मारा या पीटा ही गया है, स्त्रियो की बेइज्जती भी नहीं की गई और प्रजापरिषद्वालो ने हमें उकसा कर राज से लड़ने के लिए झूठा प्रोपेगंडा किया है। ता. 20 अगस्त को गोयल ने पिलानी जाकर कांग्रेस के बड़े नेता श्री राजेन्द्र प्रसादजी से बातचीत की और बीकानेर के दमन की दास्ताँ सुनाई। राजेन्द्र बाबू इस समय पिलानी मे स्वास्थ्य लाभ के लिए आए हुए थे। चूंकि गंगादास ने इंदौर के नेता हजारीलालजी जडिया को बीकानेर आने पर सारे पीड़ितों से मिलाया था और उनके बयान कलमबंद कराए थे जिससे आई.जी.पी. ने चिढ़कर उनको बुलाकर जुबानी कहा कि वे बीकानेर से बाहर न जावें और न परिषद् के कार्यकर्ताओं के घर जावें अन्यथा उनको अनूपगढ़ वापस भेजने पर सरकार विचार कर रही है पर कौशिकजी ने तुरन्त ही जवाब दिया कि 'मैं तैयार हूँ'। जेल में मघारामजी भी डटे हुए थे और वे किसी भी हालत में झुकने को तैयार नहीं थे न महाराजा साहब से मिलने को तैयार थे। इसी अरसे में महाराजा के प्राईवेट सेक्रेटरी ने हरिभाऊजी को 2 सितम्बर को फुलेरा स्टेशन पर मिलने का समय दिया और 'दा' साहब ने देशपांडेजी को भी वहाँ बुला लिया और गोयलजी को भी सूचित कर दिया कि वे भी वहाँ उस दिन उपस्थित रहे तो ठीक होगा मगर 2 तारीख की बातचीत में कुछ भी तंत नहीं निकला।

अ. भा. देशी राज्य लोक परिषद् की स्टेंडिंग कमेटी की काश्मीर में जो बैठक हुई थी उसमें बीकानेर का मसला जोधपुर के नेता व प्रजासेवक के संपादक श्री अचलेश्वर प्रसाद शर्मा ने जोर देकर उठाया था पर वहां बीकानेर पर कोई प्रस्ताव इसलिए पास न किया जा सका कि नेहरूजी के नाम से बीकानेर के प्रधानमंत्री श्री के.एम. पणिकर ने एक पत्र भेजा था जिसमें (दमन के बल पर जबरदस्ती लिखाए गए) माफीनामो की नकल भेजी थी जिनको पढ़कर नेहरूजी निरुत्साहित हो गए और प्रस्ताव का मामला टल गया।

गोयल ने लेखक को नागौर आने के लिए पत्र भेजा पर उसने मूलचंद के प्रवास पर होने से, चलते आंदोलन में बीकानेर छोड़कर और कही जाना उचित नही समझा, जिस कारण गोयल दुखी और नाराज भी हुए। 20 जुलाई को गोयल ने नागौर छोड़ दिया क्योकि जिस मकसद के लिए वे वहां जाकर जमे थे वह इसलिए पूरा होता नजर नही आया कि पुलिस द्वारा नागौर की ऐसी नाकाबंदी कर दी गई थी कि बीकानेर का कोई भी नागरिक नागौर पहुँच कर गोयल से संपर्क न कर सके। 21 जुलाई को गोयल ने भरतपुर मे राजनैतिक सम्मेलन में भाग लिया जहाँ बीकानेर के राजनैतिक दमन की निंदा का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। वहाँ से गोयल मुम्बई में गोकुल भाई भट्ट के साथ सरदार वल्लभभाई पटेल से मिले। सरदार पटेल ने उन्हें बताया कि शिमला मे कार्यकारिणी की बैठक के समय बीकानेर से भेजे हुए तार मिलने पर बीकानेर पर विचार किया गया। बाद में गांधीजी ने नेहरूजी से बीकानेर का मामला देखने को कहा है व नेहरूजी महाराजा से पत्र-व्यवहार कर रहे हैं इसलिए अभी तो वे कुछ नही कर सकते। मुम्बई मे गोयलजी अंग्रेजी पत्र बोम्बे क्रोनीकल व गुजराती जन्मभूमि के सचालको से मिले। वही उनकी जानकारी जमनालालजी बजाज के पुत्र कमलनयन बजाज व रतनगढ़ के सोली-सीटर श्री माधवप्रसादजी से हुई और बीकानेर की समस्या पर विचार विनिमय हुआ।

इधर बीकानेर में 21 जुलाई को, पन्द्रह दिन की पुलिस हिरासत में भयंकर मारपीट के बाद मघाराम, रामनारायण व किसन गोपाल गुट्ड के खिलाफ चालान पेश किया गया और इन तीनों को जेल भेज दिया गया। जेल में इन के साथ फिर दुर्व्यवहार किया गया तो 22 जुलाई को जेल मे मघाराम वैद्य ने भूखहड़ताल शुरू कर दी।

अगस्त के शुरूआत मे 6 से 8 अगस्त 1945 तक काश्मीर में मिर्जा अफजलबेग के निवास पर अ.भा. देशी राज्य लोक परिषद् की स्टेंडिंग-कमीटी की बैठक पं. नेहरू की अध्यक्षता मे हुई जिसमें बीकानेर पर विचार किया गया। बीकानेर राज्य से निर्वासित गंगानगर प्रजापरिषद् के अध्यक्ष श्री राव माधोसिंह भी उस बैठक मे शामिल हुए और बीकानेर की स्थिति पर जोर देकर विस्तार से प्रकाश डाला। उधर दामोदर सिंघल जोधपुर, जयपुर, अजमेर, पिलानी आदि स्थानो में घूम-घूम कर विद्यार्थी जगत में बीकानेर के विद्यार्थियों पर लादी गई ज्यादतियों के प्रचार में संलग्न थे। गोयल, सिंघल और राव तीनों ही बीकानेर से निर्वासित थे पर तीनों ही एक क्षण भी चैन से न बैठ कर निरंतर बाहर के जगत को बीकानेर के दमन से अवगत करा रहे थे।

झुंझुनूं में राजनैतिक सम्मेलन

ता. 19 अगस्त 45 को गोयलजी झुंझुनूं पहुँचे, जहाँ 15-20 अन्य लोग भी बीकानेर रियासत के पहुँच चुके थे। वहाँ राजनैतिक सम्मेलन का आयोजन था। राव माधोसिंह भी वहाँ जा पहुँचे। दूधवाखारा के चौ. हनुमानसिंह और उनके भाई गनपत सिंह भी वहाँ आ मिले। किसानों में बड़ा उत्साह था क्योंकि बीकानेर रियासत के किसान

जो अब तक हर मौके पर कुचले जाते रहे थे वे पहली बार मोर्चे पर अपने जुल्मो का विरोध करने के लिए प्रजापरिषद् के सहयोग से डटकर खड़े हो गए थे। उन्हे पहली बार ऐसा अनुभव करने का मौका मिला था जब वे सोचने लगे थे कि कष्ट भले ही हमे कितने ही क्यो न सहनें पड़े पर अब किसान दबने वाला नहीं है और न अब उसकी जबान को बंद ही किया जा सकेगा। यद्यपि बीकानेर के चौ हनुमानसिंह सीखचों के बाहर थे, तो उन्ही किसानो के लिए प्रजापरिषद् के तमाम नेता और कार्यकर्ता सीखचों के अंदर पहुंच चुके थे और जो गिनती के कुछ कार्यकर्ता बाहर बचे थे वे सब भी किसान आंदोलनार्थ ही देश में कलकत्ता, मुम्बई, दिल्ली आदि स्थानों पर बीकानेर की वेदना की आवाज पहुँचाकर धन-जन और लोकमत को संगठित करने मे जुट गए थे। झुंझुनूं में हनुमानसिंह ने बताया कि मुझ हनुमानसिह को केवल जाट होने के नाते हनुमानिया कह और लिख कर हमारी हँसी उड़ाने वाले राजपक्षीय लोग पहली बार गंभीर होते दिखाई दे रहे थे। स्वयं महाराजा भी विचलित एवं चिंतित प्रतीत होते थे और मुझे रिहा करते समय कहा कि तुम लोग लिखकर या वक्तव्य जारी करके कहो कि हमें तंग नहीं किया गया, न *किसी को मारा या पीटा ही गया है, स्त्रियों की बेइज्जती भी नहीं की गई और प्रजापरिषद्वालों ने हमें उकसा कर राज से लड़ने के लिए झूठा प्रोपेगंडा किया है।* ता. 20 अगस्त को गोयल ने पिलानी जाकर कांग्रेस के बड़े नेता श्री राजेन्द्र प्रसादजी से बातचीत की और बीकानेर के दमन की दास्ताँ सुनाई। राजेन्द्र बाबू इस समय पिलानी में स्वास्थ्य लाभ के लिए आए हुए थे। चूंकि गंगादास ने इंदौर के नेता हजारीलालजी जडिया को बीकानेर आने पर सारे पीड़ितों से मिलाया था और उनके बयान कलमबंद कराए थे जिससे आई.जी.पी. ने चिढ़कर उनको बुलाकर जुबानी कहा कि वे बीकानेर से बाहर न जावें और न परिषद् के कार्यकर्ताओं के घर जावें अन्यथा उनको अनूपगढ़ वापस भेजने पर सरकार विचार कर रही है पर कौशिकजी ने तुरन्त ही जवाब दिया कि 'मैं तैयार हूँ'। जेल में मघारामजी भी डटे हुए थे और वे किसी भी हालत मे झुकने को तैयार नहीं थे न महाराजा साहब से मिलने को तैयार थे। इसी अरसे मे महाराजा के प्राईवेट सेक्रेटरी ने हरिभाऊजी को 2 सितम्बर को फुलेरा स्टेशन पर मिलने का समय दिया और 'दा' साहब ने देशपांडेजी को भी वहाँ बुला लिया और गोयलजी को भी सूचित कर दिया कि वे भी वहाँ उस दिन उपस्थित रहे तो ठीक होगा मगर 2 तारीख की बातचीत में कुछ भी तंत नहीं निकला।

अ. भा. देशी राज्य लोक परिषद् की स्टेंडिंग कमेटी की काश्मीर में जो बैठक हुई थी उसमें बीकानेर का मसला जोधपुर के नेता व प्रजासेवक के संपादक श्री अचलेश्वर प्रसाद शर्मा ने जोर देकर उठाया था पर वहा बीकानेर पर कोई प्रस्ताव इसलिए पास न किया जा सका कि नेहरूजी के नाम से बीकानेर के प्रधानमंत्री श्री के.एम. पणिकर ने एक पत्र भेजा था जिसमें (दमन के बल पर जबरदस्ती लिखाए गए) माफीनामों की नकल भेजी थी जिनको पढ़कर नेहरूजी निरुत्साहित हो गए और प्रस्ताव का मामला टल गया।

चौ. कुंभाराम का गोयल से संपर्क

बीकानेर रियासत में दमन-चक्र पूरे जोरों पर था और किसान आंदोलन अपनी चरम सीमा में चल रहा था जिसमें चौ. हनुमानसिंह 'हीरो' के रूप मे किसानो का नेता बनकर उभर चुका था। जाट समाज में चौ. कुंभाराम एक कुशाग्र बुद्धि का दूरदर्शी व्यक्ति था जो राज्य की पुलिससेवा में सब इन्सपेक्टर रहते हुए राजनीति पर नजर रखे हुए था। उसे जागीरी जुल्मों का अनुभव भी था पर उचित समय की प्रतीक्षा मे चुप बैठा हुआ था। सितम्बर में ब्रिटिश भारत मे चुनावों की घोषणा होते ही उसने रियासत की राजनीति में कूद पड़ने का मानस बना लिया। वह हर प्रकार से अपने आपको चौ. हनुमानसिंह से अधिक योग्य मानता था पर राजनीतिक बागडोर गोयल के हाथ में थी इसलिए गोयल से चुपचाप मेलजोल बढ़ाने का ठीक समय समझकर गोयल के अति निकट के साथी नोहर के मालचंद हिसारिया की मारफत गोयल से (सब इन्सपेक्टर रहते हुए ही) मिलने की योजना बनाई और इसके लिए लोहारू में मिलने का प्रस्ताव मालचंद के मार्फत गोयल को भेजा। मालचंद ने दि. 10 सितम्बर 1945 को गोयल को एक पत्र लिखा कि 'भाई सत्यनारायणजी, चौधरी तेगरामजी-संपादक 'दीपक', चौ. कुंभारामजी, पं. गौरीशंकरजी इत्यादि हम सब लोगों ने निश्चय किया है कि आप हमें ता. 17/9 को लोहारू में अवश्य मुलाकात दें। आप यदि वहाँ मिलने की स्वीकृति और सूचना दें तो बहुत ठीक वर्ना बिना आपकी सूचना के ही हम तो 17/9 को लोहारू अवश्य पहुँच जावेगे।' यही से श्री कुंभाराम के राजनीति में प्रवेश का श्रीगणेश भी होता है। गुप्त रूप से 17 सितम्बर को गोयलजी रात को 10 बजे लोहारू पहुँच गये और चौ. कुंभाराम, मालचंद हिसारिया, मास्टर गौरीशंकर शर्मा-नोहर, मास्टर रामलाल भादरा, रिक्तराम पटवारी (जसरासर, बीकानेर), चौ. हनुमानसिह-दूधवाखारा आए मगर वहाँ ठहरने को समुचित स्थान न होने के कारण झुंझुनूं पहुँचे। काफी विचार-विमर्श के बाद यह तय हुआ कि पहले 20-25 कार्यकर्ताओं का एक मास तक ट्रेनिग कैम्प चलाया जाय जिसमें कार्यकर्ताओं को खादी, औषधी वितरण के रचनात्मक कार्यक्रम के साथ-साथ राजनैतिक चर्चा भी बताई जावे और फिर इन कार्यकर्ताओं को गाँवो में फैलाकर किसानों से सम्पर्क स्थापित कर उनकी कठिनाइयों को जानकर क्षेत्र तैयार किया जाय। इस योजना मे झुंझुनूं के चौधरी सरदार हरलालसिंहजी भी बाद में शामिल हो गए थे। इसी समय श्रीनगर से श्री जयनारायण व्यास ने गोयलजी को पत्र द्वारा सूचित किया कि यद्यपि बीकानेर के प्रधानमत्री पणिकर द्वारा शिमला भेजे गए माफीनामो के कारण

आग उगलने वाले किसानों के मसीहा चौधरी कुम्भाराम आर्य

इस समय स्टेंडिंग कमेटी में बीकानेर में हो रहे दमन के वारे मे कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ पर बीकानेर का मसला विचाराधीन है और इस समय पं जवाहरलाल नेहरू का बीकानेर सरकार से पत्र व्यवहार चल रहा है।

दूधवाखारा आंदोलन में वाहर के नेताओं की दिलचस्पी

इसी अरसे में चौ. हनुमानसिंह किसानों मे जागृति पैदा करने हेतु दौरे मे लग गए और 7 सितम्वर को झुंझुनू पहुँच गये। वही अलवर प्रजामंडल के नेता मास्टर भोलानाथजी भी आ गए थे। हनुमानसिंह के आग्रह पर मास्टर भोलानाथ, श्री हरलाल सिह व विधाधरजी वकील दूधवाखारा की जाँच के लिए दूधवाखारा के लिए चल दिए। वाद मे चौ. हरलालसिहजी ने 18 सितम्वर को एक पत्र देकर गोयलजी को दूधवाखारा की उनके द्वारा 9 और 10 सितम्वर को की गई जाँच पड़ताल का ब्यौरा देते लिखा कि 'विधाधर वकील, और मास्टर भोलानाथ के साथ मैने दूधवाखारा पहुँच कर आम जनता के बयान लिये और जिन-जिन को जिस बात की शिकायत थी उनका मौका जाकर देखा। दूधवाखारा के अलावा दूसरे गाँववालों को भी बुलाया था और काफी तादाद में वे आए भी, जिनसे पूछताछ की। यहाँ के लोगों में जागीरदारो और राजवालों के प्रति काफी असंतोष है और यदि कोशिश की जाय तो प्रजापरिषद् का वहुत अच्छा संगठन हो सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ के जागीरदार और राजवाले जन-आंदोलन से डरते हैं। वहाँ हम दो रोज तक ठहरे और काफी घूमे-फिरे फिर भी जागीरदारों ने और पुलिसवालों ने, किसी ने भी सिर न उठाया।' सरदार हरलालसिंह के पत्र के दूसरे ही दिन मास्टर भोलानाथ का अलवर से लिखा हुआ पत्र गोयल को मिला जिसमें दूधवाखारा मे सरदार हरलालसिह के साथ जाकर जो कुछ किया उसका पूरा ब्यौरा देने के अलावा कुछ नई वातें लिखी। उन्होंने लिखा, 'वहाँ फिलहाल सारा झगड़ा बंदोबस्त का है। वहाँ इस समय बंदोवस्त की कार्यवाही के दौरान खेतो की पैमाइश की जाकर किसानों के कब्जे का रिकार्ड तैयार किया जा रहा है। इस अवसर पर जागीरदार सूरजमालसिह और उसके लोग किसानों को गाँवों से निकाल रहे हैं या उसे नया काश्तकार वता रहे हैं ताकि उन्हे खातेदारी के हक (यानी स्थाई काश्तकार रहने का अधिकार) न मिले। गाँवों में अँधकार है, किसानों को कोई कानूनी मदद नहीं मिलती है और वे लोग अनपढ़ हैं। लेकिन इस असंतोष से प्रजापरिषद् का क्षेत्र तैयार हो गया है और हो रहा है। इस अवसर पर मघाराम ने कमाल किया है। चाहे उन्होने घोर उत्पीड़न के कारण माफी मांग ली लेकिन उनके कुटुम्ब ने बड़ी हिम्मत की है। उनके लड़के, भाई और उनको खुद को पब्लिकली पीटा गया है मगर आंदोलन ठीक ढंग से चलाया है। दूधवाखारा के मसले पर बंदोवस्त के मामले मे आपसे कानूनी मदद लेनी है ताकि वदोवस्त के कानूनी और व्यावहारिक पहलुओं की पूरी जानकारी पाकर किसानों की अच्छी मदद की जा सके। इस समय यहाँ वड़ी धांधली चल रही है। इन धाधलियो का प्रकाशन करना है और किसानो का संगठन करना है।'

खानाबदोश गोयल आखिर अलवर में जा टिके

अलवर के मास्टर भोलानाथ और झुंझुनूं के सरदार हरलालसिंह द्वारा दूधवाखारा की मौके पर जाकर की गई जाँच रिपोर्ट पर गोयल ने अलवर जाकर विस्तृत रूप से विचार-विनिमय किया और फिर 21 सितम्बर को मुम्बई मे होने वाले अ.भा. कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में भाग लेने मास्टर भोलानाथजी के साथ मुम्बई पहुँच गये पर वहाँ पहुँचते ही इतने जोर से मलेरिया बुखार आया कि अधिवेशन में भाग लेना तो दूर रहा, अधिवेशन का पंडाल स्थल भी न देख सके। तेज बुखार के साथ आँखे भी खराब हो गई और मुम्बई का टूर बिल्कुल व्यर्थ गया। अक्टूबर में जयपुर पहुँचकर चौमूं सत्याग्रह ट्रेनिंग केम्प चलाने की योजना बनाई पर वहाँ की सरकार ने आदेश दिया कि ट्रेनिंग केम्प न लगाएं तो ही वहाँ रह सकते हैं इसलिए ट्रेनिंग कैम्प की योजना छोड़ देनी पड़ी। देश की आजादी के जंग में खानाबदोश होकर दर-दर भटकने वाले इस बीकानेरी नेता को अलवर के मास्टर भोलानाथ अपने साथ अलवर ले गए हालांकि भरतपुर प्रजामंडल के नेता श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ने भी उनसे बड़े प्रेम से भरतपुर चल कर वहाँ निवास करने का न्यौता दिया था।

बीकानेर नरेश की दुरंगी नीति पर व्यासजी की कड़ी फटकार

बीकानेर नरेश इस काल में बड़ी अजीब नीति अपनाए हुए थे। वे एक तरफ तो हरिभाऊजी आदि राष्ट्रीय नेताओं से सुलह समझौते की बातें चलाए हुए थे और फुलेरा में आकर मिलने का निमंत्रण दे चुके थे पर दूसरी तरफ अपनी दमन-नीति को ज्यों की त्यों बरकरार रखे चल रहे थे। इस से झुंझलाकर अ. भा देशी राज्य लोक परिषद् के मत्री श्री जयनारायण व्यास ने 21 दिसम्बर के दैनिक हिन्दुस्तान मे छपे अपने वक्तव्य में इस दुर्नीति की भर्त्सना की। 'बीकानेर की दुरंगी नीति' इस शीर्षक से छपे वक्तव्य मे व्यासजी ने लिखा, 'अब तक मैने बीकानेर के मामले में अपना मत जान बूझकर प्रकट नही किया था क्योंकि यह नाजुक समय है अधिकारियों और प्रजापक्ष के आदरणीय व्यक्तियों (हरिभाऊजी व देशपाँडेजी) में सुलह की बात चल रही है। परन्तु तब भी सरकार का दमन-चक्र यथावत चालू है। अभी-अभी यहाँ जोधपुर के हिन्दी साप्ताहिक 'प्रजासेवक' पर रोक लगा दी गई है महज उसके इस कसूर पर कि वह रियासत मे होने वाले अत्याचारों को प्रकाश में लाता रहा है। मघारामजी वैद्य और उनके लड़के के खिलाफ अब भी मारपीट और सख्ती काम मे लाई जा रही है। रियासत के कुछ जीहजूर व्यक्ति विभिन्न जगहो पर भेजे गये है और ये 'मघाराम वैद्य पुलिस का आदमी है' और इसी तरह की अन्य बातें फैलाकर पस्तहिम्मती पैदा करने की कोशिश कर रहे है। मेरे पास इस बात के लिखित सबूत हैं जिन में अपनी मर्जी से दिये वे बयान भी है जिनमे बताया गया है कि बहुत-से लोगों से जो माफियां लिखवाई गई है वे उन्हें रात-रात भर खड़े रखकर और ऐसी ही असहनीय सख्तियो के जोर पर लिखवाई गई है। ऐसे जुल्म सर्वथा स्वेच्छाचारी शासन में ही सभव है। वचनों मे उदारता दिखाने वाले बीकानेर के महाराजा सादूलसिहजी की उस घोषणा से कि 'वे जनता की सेवा करना चाहते है, उन

पर शासन नही' उनका कुछ भी मेल नही बैठता है। अब यह देखना है कि जो अत्याचार किये गये है वे यदि महाराजा साहब की सहमति अथवा जानकारी मे नही हुए है तो जिन लोगों ने ऐसा अत्याचार और सख्ती की है, उनके विरुद्ध महाराजा साहब क्या कदम उठाते है ? ऐसे समय मे जब कि स्वस्थ वातावरण पैदा करने के लिए बातचीत चल रही थी, प्रजासेवक पर प्रतिबध लगाना उस बातचीत की पीठ मे छुरा घोंकना है। मै समझता हूँ कि बीकानेर दरबार को यह बताने की आवश्यकता नही रहनी चाहिए कि अब वह समय आ गया है जब कि मध्यकालीन तरीकों को छोड़ कर साफ और उदार नीति का अवलम्बन करने में ही उनका और राज्य का अधिक हित है।'

चौ. ख्यालीराम वकील की गद्दारी

22 जुलाई 1942 को बीकानेर राज्य प्रजापरिषद् की स्थापना जिन तेरह नागरिको ने मिलकर की थी उनमें एक थे रायसिंहनगर के वकील चौधरी ख्यालीराम। उस दिन उनका उत्साह उफन रहा था और उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे परिषद् के काम को आगे बढ़ायेंगे, खासतौर से गंगानगर क्षेत्र में, पर जब एक सप्ताह बाद ही गोयल को निर्वासन आज्ञा मिली तो वे ऐसे गायब हुए जैसे खरगोश के सींग। अब तीन साल बाद जब गोयल का दुबारा निर्वासन हो चुका था और किसानों के दुख-दर्द की लड़ाई में दूधवाखारा का चौधरी हनुमानसिंह पीड़ित किसानों की लड़ाई लड़ते हुए 'हीरो' बन रहा था तो इन ख्यालीराम महोदय ने राजा से हाथ मिला करके नेता बनने की सोची और महाराजा को निवेदन करवाया कि रियासत मे इन हनुमानसिह जैसे उत्पाती तत्वों से मुकाबला करने हेतु वह जाटो का एक मुकाबले का संगठन खड़ा करना चाहता है जिसमें वह सरकार से पैसा—टका कुछ नही चाहता और केवल इतनी ही मदद चाहता है कि जिले के सरकारी अधिकारियों को निर्देश दिया जाय कि वे इस नए जाट-संगठन के क्रिया-कलापों (एक्टीविटीज) को आगे बढ़ाने में सहानुभूतिपूर्वक मदद करें ताकि प्रजापरिषद् की राज्य-विरोधी गतिविधियों को खत्म किया जा सके। इस पर महाराजा ने प्रसन्न होकर इस मामले में क्या करना चाहिए इस बारे में मंत्रिमंडल की राय मागी। गोपनीय फाइल 1945/26 मे कौसिल की बैठक के बाद प्राइम मिनिस्टर ने अपनी राय यह जाहिर की कि ऐसे लोगो का भरोसा करना उचित नहीं होगा क्योंकि इनके टिकाऊपने की कोई गारंटी नही है। अतः ख्यालीराम के प्रस्ताव के प्रति सहानुभूति होते हुए भी महाराजा साहब ने कागजात को दाखल दफ्तर करने के आदेश प्रदान कर दिए।

जन-आंदोलन दमन से कभी नहीं दबते—प्रधान मंत्री को सीताराम का पत्र

दूधवाखारा आंदोलन के किसान स्त्री-पुरुषों और प्रजापरिषद् के लोगों के उत्पीड़न को लेकर गौहाटी से सीताराम अग्रवाल ने रियासत के प्रधानमंत्री को एक पत्र दिया जो गोपनीय फाइल 1945/35 मे मौजूद है। उस लम्बे-चौड़े पत्र का सार यह था कि दूधवाखारा किसानआंदोलन के सिलसिले में बीकानेर सरकार की ओर से अन्धाधुन्ध गिरफ्तारियाँ व पुलिस व जेल में उनके हृदयद्रावक उत्पीड़न से सारा देश और खासतौर से देश के विभिन्न भागों में बस रहा मारवाड़ी समाज तो बहुत ही चिंतित है।

राज्य में पब्लिक सेफ्टी एक्ट नामक काले कानून के अन्तर्गत मनचाहे निर्वासन और नजरबंदी रोजमर्रा का अभिशाप बना हुआ है। ब्रिटिश भारत में 'भूल जाओ और क्षमा करो' की नीति पर जब विदेशी शासन भी अमल कर रहा है उसी समय बीकानेर मे घोर दमनचक्र के नीचे जनता पिसती जा रही है इसलिए इस अवसर पर महाराजा साहब के उन उद्‌गारो की याद दिलाना चाहता हूँ जिनमें उन्होंने अपनी सरकार की मशीनरी के छोटे-बड़े सभी कलपुर्जों के समक्ष कहा है कि 'जब मैं प्रजा को पीड़ित देखता हूँ तो मेरा हृदय द्रवित हो जाता है' पर आज हम देख रहे हैं कि बीकानेर मध्ययुग-कालीन मनमानी और अंधकार का शिकार हो रहा है। एक दूधवाखारा तो क्या, राज्यभर के किसानों मे असंतोष फैलता रहेगा जब तक कि जागीरदारों के जुल्मो से उन्हे सुरक्षा नही प्रदान की जायेगी। जन-असंतोष को पुलिस और फौज की सहायता से क्षणिक रूप से भले ही दबाया जा सकता हो पर उससे समस्या का हल थोड़े ही निकल पायेगा। सरकार को परिषद् से सहयोग प्राप्त करके जन-समस्याओं का हल निकालना चाहिए। जो शक्ति आज दमन मे खर्च की जा रही है उसी से भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, कालाबाजारी व जागीरी उत्पीड़न को मिटाया जाकर आम किसान और नागरिक की बहबूदी में लगाया जाय तो रियासत में खुशहाली लाई जा सकती है। प्रार्थना है और आशा है कि आपकी सरकार इस तरफ अविलम्ब ध्यान देकर व त्वरित कदम उठाकर पीड़ितों को राहत पहुँचायेगी।

चौ. कुंभाराम की सक्रियता में वृद्धि

इसी अरसे में कुंभाराम, गोयल से संपर्क बढ़ाने में अग्रसर हो रहा था। उसने गंगानगर से गोयल को पत्र लिखकर सूचित किया कि वहाँ गंगानगर के चक 4 जी. बी. तहसील अनूपगढ़ में 19 सितम्बर को अकाली-कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अन्तर्गत सभी निर्वासितों को वापिस बुलाने के संबंध मे प्रस्ताव स्वीकार कर सरकार को भेजा गया। कुंभाराम को यह बात अखर रही थी कि चौ. हनुमानसिह जैसा अनपढ़ आदमी प्रजापरिषद् की मदद से हीरो बनाया जा रहा है। वह स्वयं अब त्याग तपस्या के लिए तत्पर था और स्वय किसानों का मसीहा बनने को अग्रसर था।

जयपुर व जोधपुर में नेहरू से सम्पर्क

ब्रिटिश भारत में केन्द्रीय असेम्बली के दिसम्बर में होने वाले चुनावों के लिए देश व्यापी दौरे के दौरान पं. नेहरू राजपूताने मे से गुजरते समय जयपुर मे 20 अक्टूबर और जोधपुर मे 24 अक्टूबर को पहुँचे जहाँ बड़ी सभाओं मे उनके भाषण सुनने प्रदेश भर के देश-भक्त हजारों की सख्या में पहुँच रहे थे। जयपुर में 20 अक्टूबर को अ. भा. देशी राज्य लोक परिषद् के तत्वावधान मे शाम साढे चार बजे विभिन्न रियासतो के जन-प्रतिनिधियो की बैठक पं. नेहरू के सभापतित्व मे हुई। उसमे रघुवरदयाल व बीकानेर से निर्वासित राव माधोसिह ने भाग लिया। मघाराम के भाई शेराराम व बहने नानूड़ी और खेतूड़ी भी वहाँ पहुँच गई थी। उन्होंने गोयल व अन्य राजनैतिक

कार्यकर्ताओं से मिलकर मघाराम आदि के खिलाफ चलने वाले मुकदमों का ब्यौरा दिया और बताया कि राज्य सरकार मुकदमे मे वांछित सहयोग व सुविधा नहीं दे रही है और अदालत भी उन्हें अपना सबूत पेश करने में बाधा डाल रही है। बचाव पक्ष की तरफ से जयनारायण व्यास व हजारीलाल जडिया को बतौर गवाह तलब करने की दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया है जिसके फलस्वरूप मघाराम ने मुकदमे के नाटक में असहयोग करना घोषित कर दिया है। ता. 24 को नेहरू के जोधपुर के दौरे मे भी बीकानेर के कई लोगों ने भाग लिया। जोधपुर की रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी ने व निर्वासित छात्र नेता दामोदर सिंघल ने कुछ पेम्फलेटो का वितरण किया जिसमें पं. नेहरू से आग्रह किया गया कि बीकानेर के दमन की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। इन्हीं दिनों में बीकानेर के कार्यकर्ता काशीराम स्वामी को अनेक प्रमुख नेताओं से विचार-विमर्श करते देखा गया। उन्होंने सब को मघाराम के मुकदमों की जानकारी दी।

राजपूताना की ब्रिटिश-राजकीय एजेन्सी की पाक्षिक गोपनीय रिपोर्ट फाइल 1945/50 मे रिपोर्ट की गई कि गंगानगर के लोग आजाद हिंद फौज के मुकदमों में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। गंगनहर कॉलोनी से एक हजार एक रुपयों की रकम आजाद हिंद फौज की बचाव समिति को सीधे ही भेज दी गई है।

बीकानेर-रियासत ब्रिटिश-सरकार से भी अधिक क्रूर और मघाराम किसनगोपाल व रामनारायण को नौ-नौ माह की कैद

सितम्बर के अंत में ब्रिटिश भारत मे नए चुनावो की घोषणा करते ही अंग्रेज सरकार द्वारा हिसा से असवधित सारे राजनैतिक बंदियों को और नजरबदों को रिहा करने का निर्णय ले लिया गया था.और बीकानेर सरकार को भी अपने राज्य में इसी नीति पर चलने के लिए एक सरक्यूलर जोधपुर स्थित ब्रिटिश रेजिडेन्ट द्वारा भेज दिया गया। यह सरक्यूलर गोपनीय फाइल 1945/50 में संलग्न है जिसमे लिखा गया है कि बीकानेर सरकार ब्रिटिश सरकार की उक्त नीति के प्रकाश में रियासत के अपने क्षेत्र में उक्त नीति को क्रियान्वित करे। मघाराम वगैरा का मुकदमा भी किसी हिसात्मक कार्यवाही के कारण नहीं था पर बीकानेर सरकार चुपचाप इस सरक्यूलर को दबाकर बैठ गई और एक दिन यानी 17 नवम्बर 1945 को जिला मजिस्ट्रेट ने मघाराम, रामनारायण और किसनगोपाल गुटड़ को नौ-नौ माह की सख्त कैद की सजा सुना दी। सजा सुनाने वाले फैसले को पढ़कर नहीं सुनाया गया और न यह बताया गया कि सजा किस कानून की कौनसी धारा में दी गई है।

श्री किशनगोपाल गुट्ड़
दूधवाखारा काण्ड में आपने नौ मास की सजा वैद्य मघारामजी के साथ काटी थी।

अदालत के कमरे के वाहर परिषद् के अनेक कार्यकर्ता फैसले का इंतजार कर रहे थे पर जज ने जानवूझ कर 5 बजे तक फैसला नहीं सुनाया ताकि अदालतो का समय समाप्त होने पर लोग अपने-अपने घर चले जावें। जव परिषद् के लोग पाँच वजे के वाद भी जमे रहे तो कानून के विपरीत जाकर मुल्जिमों को अदालत के वाहर लाने से पहले अदालत के अन्दर ही हथकड़ियाँ लगाकर, पुलिस की लारी को ठीक अदालत की पेड़ियो के पास लाकर खड़ी कर दी ताकि अदालत में से घसीट कर लारी में तुरन्त वैठाकर भगा ले जाया जाय ताकि कोई नारेवाजी या प्रदर्शन न होने पावे। पर इधर हम लोगों में से गंगादास व मुझ लेखक ने आगे वढ़कर रास्ता रोक लिया और नेताओं को सूत की मालाएँ पहनाकर इंकलाव जिन्दावाद और महात्मा गांधी की जय के नारे लगाये और उधर हथकड़ी लगे हुए नेताओं ने अपने पैर रोक कर लारी की तरफ वढ़ने से इंकार कर दिया। सूती मालाएं पहनाकर वड़े उत्साह से नारेवाजी के वीच उन्हें विदा दी तो पुलिस वाले घवरा गए और हड़वड़ाए हुए धक्का-मुक्की के साथ उन्हें लारी में वैठा ले गये। जेल में एक-एक वंदी को अलग-अलग कोठरियों में वंद कर दिया, जेल के कपड़े पहनाकर, विरोध के वावजूद उन्हें खूँखार कैदियों की तरह पैर में लौहे का कड़ा पहना दिया। कैदियो के लिए सप्ताह में एक वार अपने रिश्तेदारों से मिलने की व्यवस्था पहले से चली आ रही थी मगर उससे भी उन्हें वंचित रखा गया और सश्रम कारावास के नाते चक्की पिसाने की कोशिश की गई। मघाराम ने इन सबका विरोध किया और न मानने पर 18 नवम्बर को ही भूखहड़ताल शुरू कर दी। ज्यों-ज्यों दिन वीतते गये मघारामजी का स्वास्थ्य गिरता गया।

हस्तलिखित पोस्टर-वाजी जिसे सरकार रोक न सकी

सरकार ने जव अपने अत्याचारों को वेलगाम कर दिया और डाकखाने पर एक प्रकार से, पोस्टमास्टर से मिलकर अनौपचारिक रूप से गैरकानूनी सेसर लगाकर परिषद् की डाक को ऊपर ही ऊपर उड़ाकर रियासत के वाहर से छपकर आने वाले पेम्फलेटों को नष्ट कर दिया जाने लगा तो परिषद् के कार्यकर्ताओं ने हस्तलिखित पोस्टर- वाजी शुरू कर दी। परिषद् के लोग हस्तलिखित पोस्टरों को दिन में अपने-अपने घरों मे लिखकर रात को वारह वजे वाद शहर में जगह-जगह चिपका देते। सुवह उठते ही नागरिको को प्रजापरिषद् का यह विचित्र प्रचार देखने को मिलता। पुलिस ने जव इस हस्तलिखित पोस्टरवाजी की सूचना दी तो गृहमंत्रालय ने 'हस्तलिखित पोस्टर' इस शीर्षक से एक गोपनीय फाइल 1945/45 का निर्माण किया। 14 सितम्वर 1945 को आई.जी.पी. ने गृहमंत्री को रिपोर्ट की कि दम्माणियो के चौक, हर्षो के चौक, मरूनायकजी के चौक, वैदो के चौक, साले की होली और वड़ा वाजार में ऐसे हस्तलिखित पोस्टर प्रचुर मात्रा में चिपकाए हुए मिले है जिनमें लिखा हुआ है 'राजनैतिक वंदियों को बिना शर्त रिहा करो, प्रजापरिषद् मरी नही है, प्रजापरिषद् जिन्दा है और वह सक्रिय-रहकर आंदोलन चलाती रहेगी।' इस रिपोर्ट के साथ दीवारो पर से उखाड़े और उतारे हुए पेम्फलेटों की प्रति भी प्रस्तुत की और लिखा गया कि जो सावुत उतारे जा

सकते थे उन्हें नमूने के तौर पर पेश किया जा रहा है और जो नही उतारे जा सके उन्हें फाड़ दिया और हटा दिया गया है। अगले दिन ही दूसरा पेम्फलेट जगह-जगह चिपका हुआ मिला जिसमें ठेठ बीकानेरी बोली में लिखा हुआ था, 'बीकानेर पुलिस रो घोर अन्याय है कि वो राजनीतिज्ञो ने बोहोत दोरा मारिया सो इयों कोमों सू प्रजापरिषद् दबने वाली कायनी। भगवान अन्याय रो नाश कर दे तथा शांति पैदा करे। प्रजापरिषद् जिन्दाबाद।' आई.जी.पी. ने लिखा कि इनको किसने लिखा है किसने चिपकाया है इसके बारे में जाँच जारी है। इस रिपोर्ट को गृहमंत्री ने प्रधानमंत्री को भेजते हुए अपनी राय यह दी कि आई. जी. पी. के जाँच के सुझाव का मतलब है इन छोटी-छोटी बातों पर बहुत अधिक ध्यान केन्द्रित करना। इससे इनको अत्यधिक महत्व मिलेगा और पब्लिक के दिमाग में इनको पढ़ने की उत्सुकता बढ़ जायेगी कि देखें जिसकी पुलिस इतनी जाँच कर रही है उसमें आखिर लिखा क्या गया है? बहरहाल सी.आई.डी. के पास रिपोर्ट करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था क्योंकि लम्बे अरसे से इसी प्रक्रिया से यह काम चलाया जा रहा था। अगर प्रधानमंत्री महोदय स्वीकृति प्रदान करें तो पुलिस को ऐसी हिदायत जारी कर दी जाय कि भीतों पर चिपकाए हुए ऐसे पोस्टरों पर कोई ध्यान अब देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन दिनों राज्य में आने वाले अखबारों द्वारा इनसे अधिक क्रूर आलोचनाएं राज्य सरकार के विरुद्ध छप रही हैं।

क्रूरहृदय महाराजा मघाराम आदि को भूखहड़ताल में मरने देने पर आमादा

इधर जेल में 18 नवम्बर को शुरू हुई भूख हड़ताल पर सरकार ने आंखें ही मूंद ली थी। नवम्बर 22 से रामनारायण और नवम्बर 23 से किशनगोपाल गुटड़ ने भी भूख हड़ताल शुरू कर दी। 1 दिसम्बर को भूख हड़ताल के तेरह दिन बीच चुके थे और रामनारायण और गुटड़ महाराज के क्रमश: 9 और 8 दिन बीत चुके थे। मघाराम की हालत गिरने लगी पर बार-बार प्रार्थना-पत्र देने पर भी घरवालो की मिलाई नहीं कराई जा रही थी। महाराजा साहब तक को इसकी रिपोर्ट की गई पर महाराजा तो स्वयं मघाराम पर खार खाये बैठे थे क्योंकि गिराई मे ले जाने के बाद जब पुलिस ने नृशंस रूप से पिटाई करके और 'मांचा चढ़ाई' की प्रक्रिया से दबाव डालकर जबरदस्ती माफीनामा लिखने को मजबूर किया था तभी मघाराम ने कराहते हुए यह घोषणा कर दी थी कि जोर-जबरदस्ती से तुम लोग जो लिखाना है लिखालो पर अगर मै जिंदा रहा तो दुनियां को बताऊँगा कि किस तरीके से माफीनामा लिखाया गया है। फिर भी महाराजा ने नीचे वालो की इस रिपोर्ट पर कि मघाराम की हालत गिर रही है अपनी कौंसिल की मीटिंग बुलाकर जो निर्णय लिया वह गोपनीय फाइल 1945/76 में दर्ज है। इसके आखरी पृष्ठ पर, 'दिसम्बर 1, को महाराजा द्वारा कौंसिल की मीटिंग में निर्णीत किए गए गुप्त बिंदु' इस शीर्षक के नीचे सब से पहला बिंदु मघाराम के बारे में अंकित किया गया है जिसमे लिखा गया है कि मघाराम के बारे मे यह निर्णय लिया गया है कि (1) जेल के नियमों के अन्तर्गत पहले उस पर समुचित दबाव डाला जाय कि वह भूख हड़ताल तोड़ दे (2) अगर मघाराम और उसके साथी फिर भी भूख हड़ताल चालू रखते है, तो अगर

संभव हो तो जबरदस्ती खिलाये या पिलाये जाने का प्रयास किया जावे और (3) इस पर भी वे भूखहड़ताल जारी रखते है तो उन्हे फिर भूख हड़ताल के अन्तिम नतीजे भोगने दिये जायें यानी मरने दिया जाय।

भूख हड़ताली मृत्युशैया पर

दिनांक 7 दिसम्बर के दैनिक विश्वामित्र में प्रमुखता से खबर छपी कि 29 नवम्बर से मघारामजी की हालत चिंताजनक हो रही है और 4 दिसम्बर को उनकी भूख हड़ताल का सतरहवां दिन था। मघाराम के व किशनगोपाल गुट्ड के परिवार वालो को भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। 11 दिसम्बर को मघाराम को दिन में अनेक बार बेहोशी आने लगी थी। अखबारों में मघाराम की बेहोशी के समाचारों से राजधानी मे ही नहीं अपितु रियासत भर में चिंता फैल रही थी। 4 दिसम्बर को आई.जी.पी. ने गृहमंत्री को अपनी एक रिपोर्ट भेजकर सूचना दी कि चूरू जिले के अनेक कस्बों में 2 दिसम्बर को 'बीकानेर सरकार की नीति मे अब भी कोई परिवर्तन नही' इस शीर्षक से बड़ी तादाद मे छपे हुए पेम्फलेट बँटे हैं और दीवारों पर चिपके हुए पाए गए है। इनको चेपने वालो की खोज सरगर्मी के साथ की जा रही है। इसकी जाँच हो ही रही थी कि आई.जी.पी. ने फिर रिपोर्ट की कि 10 तारीख को गंगादास सेवक और धनिया माली शहर मे प्रजासेवक प्रेस जोधपुर से छपा एक पेंफलेट लोगों को पढ़ा रहे थे जिसका शीर्षक था 'बीकानेर के जनसेवक बीकानेर की जेल में मृत्यु शैया पर' और जिसमें नीचे लिखा गया था 'प्रजापरिषद् जिन्दाबाद, भारत माता हो आजाद'। दिनांक 18 नवम्बर से चल रही भूख हड़ताल में बंदियों के मृत्युशैया पर होने का वर्णन करते हुए उस पेम्पलेट में पूछा गया है कि अगर उनका बलिदान हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा ? ये पेंफलेट अभी तक शहर में बंटे नहीं हैं पर इनको किसने आयात किया है इसकी खोज की जा रही है। नौहर में 19 दिसम्बर को तीन भिन्न-भिन्न प्रकार से हस्तलिखित पेम्फलेट चार-पांच स्थानो पर चस्पा किए हुए पाए गए जिनमें शीर्षक थे 'कौमी नारा अंग्रेजो भारत छोड़ो' 'इंकलाब जिंदाबाद' और तीसरा 'वन्दे मातरम'। 31 दिसम्बर को फिर रिपोर्ट मिली कि 28 दिसम्बर को राजगढ़ की तरफ से नोहर को जा रही रेलगाड़ी मे सेकेन्ड क्लास के डिब्बे पर 'जयहिंद-झंडा ऊँचा रहे हमारा' के पेम्फलेट चिपकाए हुए मिले जिन्हें पुलिसवालों ने फाड़ फेंके। इस 91 पेज की गोपनीय फाइल (गृहविभाग 1945/45) मे दर्जनों हस्तलिखित पेम्फलेट का विवरण दिया गया है जो रियासत भर में तमाम कस्बों में चिपकाए और बाँटे जा रहे थे। सरकार परेशान थी पर जन प्रवाह के सामने कुछ न कर सकी। 22 दिसम्बर को रात को गश्त करने वाले सी.आई.डी. के दस्ते ने रिपोर्ट की कि रात को बारह बजे के बाद गंगादास सेवक उसके लड़के द्वारका सेवग व भूलचंद पारीक को 'बीकानेर जनसेवक बीकानेर की जेल में मृत्युशैया पर' और उदयपुर में 31 दिसम्बर और 1 जनवरी 1946 को होने वाले अ.भा. देशी राज्य लोकपरिषद् के नवें अधिवेशन में भाग लेने का आह्वान करने वाले पोस्टर्स मोहता धर्मशाला बिल्डिंग पर, डूंगर कॉलेज के दोनो गेटों पर, नागरी भंडार पर, कोट गेट पर, सादूल हाई स्कूल के गेट पर, लेडी एलगिन गर्ल्स स्कूल के गेट पर, कोतवाली

के पास के मकानो पर, रांगड़ी चौक में, बी. सेठिया के मकानों पर, कंदोई बाजार में, वैदों के बाजार में, मोहता चौक में, मोहता औषधालय पर, रामपुरिया कॉलेज बिल्डिंग व बी. के. विद्यालय की इमारत पर चस्पा करते देखा गया। इस प्रकार राज्य भर में शुरू हुई हस्तलिखित पेम्फलेट और पोस्टरबाजी से सरकार बहुत परेशान हो रही थी।

महाराजा को प्रजापरिषद् के मर जाने की भ्रांति

सन् 1945 के अन्त के नवम्बर, दिसम्बर के दो महीने राष्ट्र की राजनीति में गहरी उथल-पुथल के सिद्ध हो रहे थे क्योंकि दिसम्बर में ब्रिटिश भारत में आम चुनाव होने जा रहे थे और पं. नेहरू के चुनाव प्रचार के तूफानी दौरे देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जनता में जोशो-उमंग पैदा कर रहे थे। पर हमारे बीकानेर नरेश समय की नब्ज पहचानने में बिल्कुल गाफिल नजर आ रहे थे। मघाराम और उनके साथियों को जेल के सीखचों के पीछे लम्बी भूख हड़ताल के बाद मरने देने को भी तैयार थे और उनका प्रशासन अपनी पुरानी अकड़ लिए हुए ही चल रहा था। महाराजा साहब ईमानदारी से यही सोचते रहे कि मघाराम व उसके साथियों के उत्पीड़न और बंधन तथा गोयल और राव माधोसिंह के निर्वासन के साथ ही प्रजापरिषद् मर चुकी है इसी भरोसे वह हरिभाऊजी आदि नेताओं से मीठी-मीठी बाते करके 'धीरे धीरे सब ठीक हो जायेगा' ऐसा झांसा देकर समय गुजार रहे थे।

लम्बी भूखहड़ताल को देखते हुए प्रजापरिषद् द्वारा नया अध्यक्ष मनोनीत करने की तैयारी पर महाराजा चौंक उठे

इसी समय 26 नवम्बर को, जब मघाराम की भूख हड़ताल को 9-10 दिन हो चुके थे, सी.आई.डी. ने रिपोर्ट की कि प्रजापरिषद् मरी नहीं है और राजनैतिक कार्यकर्ता मघाराम के जेल में होने से परिषद् के लिए नया अध्यक्ष नामजद करने की चर्चा और तैयारी कर रहे है और साथ ही पुलिस द्वारा जबरदस्ती बंद कर दिये गये राष्ट्रीय वाचनालय को भी पुनः खोलने की योजना बना रहे हैं।

प्रधानमंत्री पणिकर की खरी कानूनी राय

गोपनीय फाइल 1945/71 में उक्त सूचना के मिलते ही महाराजा की क्या प्रतिक्रिया हुई इसका अच्छा-खासा चित्र सामने आता है पर साथ ही प्राइम मिनिस्टर की स्पष्टवादिता भी देखने को मिलती है। देश के वातावरण में आने वाले बदलाव को ध्यान में रखकर प्राइम मिनिस्टर पणिकर, ठा. प्रतापसिंह के कुप्रभाव व दबाव से अपने आपको मुक्त कर महाराजा को सही कानूनी राय देने लगे थे। सी.आई.डी. और डी.आई.जी. सोहनसिंह जी उपरोक्त रिपोर्ट मिलते ही ठा. प्रतापसिह ने इस की प्रतिया प्रधानमंत्री और कौंसिल को भेज दी। तुरन्त ही यानी 28 नवम्बर को ही महाराजा ने आदेश दिया कि इस मसले को 'मोस्ट अरजेन्टली' यानी अत्यावश्यक और अति महत्वपूर्ण समझते हुए अविलम्ब कौंसिल में विचार करके तुरन्त निर्णय लिए जावे। महाराजा ने लिखा कि जैसा कि मैंने प्रधानमंत्री से बात करके कह दिया कि इस प्रश्न को कौंसिल के सामने

Department.

1945-46

Nos XCIX

Subject.

Re. Starting of a Praja Parishad or the Results of ... [illegible]

GOVERNMENT OF BIKANER.

Notes and Orders.

Secret.
Urgent.

No.3305/3282 SB D/26-11-45.

It is learnt that the local political workers are contemplating to nominate any one of them as President of their so called Praja Parishad. It is further learnt that they are also discussing on the question of opening Rashtriya Vachnalaya.

2. Submitted for information.

Sd. Sohan Singh.

No.1970/3191 C D/27-11-45

H.H.

3. Copies to P.M. and Council.

Submitted for perusal.

Sd. Pratap Singh.
26-11-45. Home & Development Minister.

R.R.12632 28.11.45. O.R. no. 298 Conf D/. 28/11/45

4. Seen.

5. The matter should be discussed most urgently in the council and proposals submitted without delay. This question should be raised seperately and not along with the general question about which I spoke to P.M. yesterday.

Issued by His Highness,

M. G. Mon[illegible]

Bikaner,
M/28-11-45.

Private Secretary.

P.M.
MOST URGENT.
Secret

6 For discussion tomorrow.

No 1321C/1263 D/29/11/45. — Kunwar[illegible] 28/11/45

7. So far as the nomination or election of a President is concerned, the members of the Praja Parishad cannot be stopped or prevented from doing so. So long as Praja Parishad is not declared as an illegal body there is no offence committed either in electing or in being President of the Praja Parishad.

No. 1

आने वाले अन्य मसलों के साथ नहीं अपितु अलग से प्राथमिकता के साथ विचारित किया जावे। प्राइम मिनिस्टर ने दूसरे ही दिन कौसिल की मीटिंग करके जो निर्णय लिया उसमे लिखा कि 'जहाँ तक प्रजापरिषद् के अध्यक्ष के चुनाव या नामजदगी का प्रश्न है प्रजापरिषद् को ऐसा करने से किसी कानून के अन्तर्गत नहीं रोका जा सकता क्योंकि आज तक उसे कभी भी 'प्रतिबंधित' घोषित नही किया हुआ है। अगर प्रजापरिषद् वाले अपना नया अध्यक्ष चुनते या नामजद करते है तो उनके खिलाफ कोई कानूनी या प्रशासनिक कदम नहीं उठाया जा सकता। जहाँ तक राष्ट्रीय वाचनालय को पुनः खोलने का प्रश्न है उसमें भी कोई कानूनी रुकावट नहीं डाली जा सकती है क्योंकि हम लोगों ने उसे किसी कानून के अन्तर्गत वंद न करके अनौपचारिक रूप से (यानी धक्के से) ही बंद किया है। ऐसा कोई कानून नहीं है कि किसी लायब्रेरी को किसी स्थान पर पुनः न खोला जा सके या मौजूदा स्थान पर ही पुनः न खोला जा सके। हम (कौसिल वाले) सिफारिश करते हैं कि इस स्टेज पर कोई कदम उठाना उचित नहीं होगा। जब कभी भी प्रजापरिषद्वालों के क्रियाकलाप विधि-विपरीत पाए जाएंगे तभी उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाय इस पर विचार किया जा सकता है। मन मसोस कर महाराजा ने कौसिल की राय से अपनी सहमति लिख दी पर फिर भी यह तो लिख ही दिया कि अगर राष्ट्रीय वाचनालय पुनः खोला जाता है तो उस पर बारीकी से नजर रखी जाय और मै जहां कहीं भी होऊं दैनिक रिपोर्ट भेजी जाए।

परिषद् की कलकत्ता शाखा के क्रियाकलाप

इस समय तक कलकत्ते में बसे बीकानेरियों ने भी बीकानेर के आंदोलनों में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी थी। मूलचंद के प्रयासों से 11 अगस्त को निर्मित उप समिति के संयोजक श्री चैतन्यप्रकाश रंगा ने गृहमंत्री को पत्र लिखकर बीकानेर से आ रहे दमनचक्र के समाचारों के बारे में सही जानकारी चाही पर गृहमंत्री ने यह कहकर जानकारी नहीं दी कि रंगाजी बीकानेर आवें तभी सही जानकारी मिल सकेगी। रंगाजी ने इस आमंत्रण पर रतनगढ़ पहुँच कर एक से अधिक तार भेज कर मिलने के लिए समय निश्चित करने की प्रार्थना की पर गृहमंत्री ने कोई उतर नहीं दिया। इस संबंध में निर्मित गोपनीय फाइल 1945/59 में उस प्रस्ताव की नकल मौजूद है जो कलकत्ते में शरतचन्द्र बोस की अध्यक्षता मे आमसभा मे स्वीकार करके भेजा गया था और जिसमें मघाराम आदि की 40 दिन से चल रही लम्बी भूख हड़ताल पर गंभीर चिता प्रकट करते हुए दमन-नीति की कड़ी निंदा की जा कर महाराजा से निजी दखल देकर बंदियो की मांगें स्वीकार करने की प्रार्थना की गई थी। पर सरकार ने न तो कोई कार्यवाही की और न कोई जवाब दी दिया।

व्यापारी वर्ग द्वारा इन्कमटैक्स-विरोधी आंदोलन

इस काल में व्यापारी वर्ग को भी असंतुष्ट होते देखा गया। युद्धकाल के जमाने में बहुत सारे बीकानेरियो के मन में बीकानेर की आर्थिक योजनाएं उपस्थित हुई थी और उस समय पूर्व में आसाम और बंगाल और पश्चिम मे करांची आदि से अनेक व्यापारी

अपनी पूँजी लेकर बीकानेर में आ पहुँचे थे। उस समय पलक-पाँवड़े बिछाकर राज्य ने उनका स्वागत किया था। भूतपूर्व महाराजा गंगासिंह के जीवित रहते सन् 1941 में बीकानेर सरकार ने इन्कमटैक्स लगाने की घोषणा की थी पर प्रजा के विरोध प्रदर्शन पर उस एक्ट को स्थगित कर दिया गया था। सन् 41 में बीकानेर सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि बिना प्रजा की सहमति के इन्कमटैक्स कानून लागू नहीं किया जायेगा। नए महाराजा साहब ने गद्दी पर बैठने के बाद जनता के हितार्थ उदारतापूर्वक घोषणाएं करके कई आशाएं पैदा की थी। उस समय व्यापारी वर्ग को भी आश्वस्त कर दिया था। सन् 1945 में अकस्मात बिना प्रजा को जताए फिर इन्कमटैक्स बिल प्रस्तुत कर दिया। सन् 1943 में हम राजनीतिज्ञों को भी 'यू वेट एण्ड सी' का झांसा देकर आश्वस्त करने के बाद फिर अचानक सारे आश्वासनों से 26 अगस्त 1944 को महाराजा स्वयं एकदम नट गए थे। वही हाल इन व्यापारियों के साथ होने को जा रहा था। इसलिए व्यापारी वर्ग में असंतोष उबल रहा था। गृह विभाग द्वारा निर्मित गोपनीय इन्कमटैक्स संबंधी फाइल 1945/73 में सी.आई.डी. ने रिपोर्ट की है कि सरदारशहर के व्यापारी इन्कमटैक्स के खिलाफ हो रहे हैं। 6 दिसम्बर 1945 को ऐसी ही सेठों की सभा चूरू में हुई जिसमें इस बिल का विरोध करने के लिए एक 'नागरिक सभा' का गठन किया गया। 27 दिसम्बर को सी.आई.डी. ने रिपोर्ट की कि माहेश्वरी मंडल बीकानेर मे विराट सभा के पेम्फलेट कलकत्ता से आए है जिनमे लिखा है कि 20 दिसम्बर को कलकत्ता में माहेश्वरी भवन मे इन्कमटैक्स बिल के विरुद्ध प्रोटेस्ट करने के लिए विचारसभा होगी। इधर राज्य के अन्दर 21 दिसम्बर को 350-400 सेठों व साहूकारों का एक शिष्टमंडल सरदारशहर के रेस्टहाउस मे प्रधानमंत्री से तीन घंटे के इन्तजार के बाद भी न मिल पाया तो महाराजा को तार दिया कि सरदारशहर के नागरिक प्राइम मिनिस्टर द्वारा तीन घंटे तक इंतजार कराने के बाद भी मिलने से इंकार कर दिये जाने से व्यापारीगण अपने आपको अपमानित महसूस करते है इसलिए तार द्वारा अपना विरोध रिकार्ड करा रहे हैं। ऐसा ही नौहर आदि सभी स्थानो में हुआ। आगे एक दिन बीकानेर शहर मे मुकम्मिल हड़ताल कराने का निश्चय किया गया। सरकार को महसूस हुआ कि पुलिसबल संख्या में थोड़ा है इसलिए सेना की, इनफेन्ट्री की एक पूरी कंपनी की एक ट्रुप यानी 27 सवार दूसरे बेच मे रखे जाने के आदेश दिये गये। यह विरोध बराबर तूल पकड़ने लगा और महाराजा के ऐलानों और आश्वासनों पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगता जा रहा था। इस बिल ने व्यापारी वर्ग को भयभीत, सशंकित एवं क्षुब्ध कर दिया था और महाराजा को भेजे गये एक प्रतिवेदन में उन्होंने यह अंकित कर ही दिया कि श्रीमान् के प्रजाहित वृत्तिनो वयमू पर विश्वास करके व्यापारियो ने दूसरी पड़ौसी रियासतों की तरह राजनैतिक अधिकारों व जिम्मेदार सरकार की अब तक विशेष चर्चा नहीं की थी किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि नो टैक्सेशन विदाउट रीप्रेजेन्टेशन (बिना प्रतिनिधित्व दिए टैक्स न लगाया जाय) के सिद्धान्त के

अनुसार बीकानेर की जनता को भी शासन-सूत्र में भाग लेने के लिए आवाज उठानी पड़ेगी।

'मुझे अंधेरे में रखा गया है'—महाराजा बीकानेर
राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला

राजधानी में सभी वर्ग के लोग असंतुष्ट चले आ रहे थे। अधिकारियों के भ्रष्टाचार और व्यापारियों की मुनाफाखोरी और कालाबाजारी में अधिकारियो और मिनिस्टरों तक का हाथ और हिस्सा रहता था। इसी काल में प्रजा-सेवक में एक समाचार छपा जिसमें महाराजा ने यह स्वीकार किया कि अनेक बातों मे 'मुझे अंधेरे में रखा गया है।' उपभोग की वस्तुओं की कृत्रिम कमी कर दी गई थी क्यों कि किन्हीं खास चहेतों को एकाधिकार दिया जाने वाला था। शहर के प्रतिष्ठित नागरिकों तथा म्यूनीसीपल कमिश्नरों के एक शिष्टमंडल को महाराजा ने मुलाकात दी थी और जब उनसे जनता की तकलीफों के बारे में पूछा तो इन महानुभावों ने डाइरेक्टर ऑफ सिविल सप्लाइज की अयोग्यता बतलाते हुए खांड और अनाज आदि आवश्यक घरेलू चीजो के व्यापार में अधिकारियों का हाथ होना प्रकट किया और कपड़े के एकाधिकार की बाबत, जो एक व्यक्ति विशेष को दे दिया गया था, महाराजा का ध्यान आकर्षित किया और बताया कि इस तरह से एक ही व्यक्ति को राज्य में कपड़ा लाने का ठेका दे देने से लगभग आठ लाख रुपये वार्षिक आमदनी उसे होगी जिसमें गुप्त रूप से अधिकारी भी शामिल हैं। महाराजा साहब ने फरमाया कि 'मुझे कन्ट्रोल की चीजों के बारे मे अँधेरे मे रखा गया है, अब सब बातें लिखित में मेरी कौंसिल को दे दी जायें, मैं जाँच करके जनता की शिकायते दूर कर दूँगा।'

दूधवाखारा के बारे में त्रिलोचन दत्त की जाँच रिपोर्ट और उस पर प्र. मं. पणिकर की अति कटु टिप्पणी

यह तो राजधानी का हाल था। उधर गाँवों में जागीरदारों के जुल्मो-ज्यादतियां बराबर चल रही थी। दूधवाखारा के पीड़ित किसानो की वेदना चौ हनुमानसिंह के नेतृत्व मे प्रजापरिषद् के सहयोग और भागीदारी मे 'किसान आंदोलन' का रूप ले चुकी थी। महाराजा ने चूरू के सेशनजज त्रिलोचन दत्त को जून के महीने मे जाँच करके गुप्त रिपोर्ट देने को मुकर्रर कर दिया था और जज साहब ने सितम्बर की 15 तारीख को अपनी रिपोर्ट दे दी। जाँच के दौरान पक्षपात की घटनाएँ भी स्पष्ट हो गई थी क्योंकि जज साहब ने जागीरदार को तो उनके जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर होने के लिहाज से वकील करने की सहूलियत प्रदान कर दी थी और किसानों को ऐसा नहीं करने दिया गया था। साठ-पैंसठ पेज की टाइप की हुई रिपोर्ट मे उन्होंने अनेक किसानो से डबल और तिबल लगान वसूली को प्रमाणित माना, वापिसी रकम के लिए किसानों को दावा करने का रास्ता सुझाया। किसानों को जबरन अपने-अपने खेतों से बेदखल [illegible] शिकायत पर एक मामले मे किसान का 200 साल पुराना कब्जा मानते [illegible]

व्यक्ति [illegible]

यह दिया कि उसने स्वेच्छा से कब्जा छोड़ दिया। किसानों ने लाग-बाग-बेगार के मामले मे दिनांक 15/3/1927 का एक अदालती निर्णय प्रस्तुत किया जिसमे यह करार दिया गया था कि किसानों से कोई लाग-बाग वसूलनीय नहीं है पर जज साहब ने लिख दिया कि यह फैसला पूरा ध्यान दिए बिना हड़बड़ी में लिखा हुआ है इस लिए मान्य नहीं हो सकता। गोपनीय फाइल-चीफ्स एण्ड नोवल्स 1947/43 में प्राइम मिनिस्टर पणिकर ने त्रिलोचन दत्त के खिलाफ पेज 154 पर कटु टिप्पणी करते हुए लिखा 'दत्ता मानते है कि लाधिया लम्बे अरसे से खेत पर काबिज था फिर भी इस अजीब नतीजे पर पहुँचते हैं कि उसने स्वेच्छा से छोड़ दिया जबकि वह खुद छोड़ने से इंकार करता है। दत्ता साहब के जनरल अप्रोच का यह नमूना है। रेवेन्यूकोर्ट के अधिकार के बारे मे भी उनका अप्रोच गलत है। लाग-बाग के बारे में एक अदालती निर्णय बरसों पहले किया हुआ है कि लाग-बाग नहीं ली जा सकती है फिर भी दत्ता साहब का यह कहना कि फैसला गफलत के साथ लिया हुआ है इसलिए उसे मान्यता नही दी जा सकती, कितना विचित्र है। क्या अपील द्वारा किसी अदालती निर्णय को गलत करार दिए बिना ही कोई उसे अमान्य कह सकता है?' प्रधानमंत्री की उपरोक्त कटु आलोचना रिकार्ड पर होते हुए भी महाराजा ने चाहा कि चौ. हनुमानसिंह दत्ता की इस रिपोर्ट के आधार पर छोटी-मोटी सहूलियतें स्वीकार कर आंदोलन खत्म कर दे। पर हनुमानसिंह ऐसी कच्ची मिट्टी का नहीं था जो महज चिकनी-चुपड़ी बातो में आ जाता। उसे यह भी लालच दिया गया कि वह अपने कुटुम्बियों के लिए हनुमानगढ़ में जमीन ले ले और दूधवाखारा छोड़ दे पर उसने कहा—दूसरे किसानों का क्या होगा? पता नहीं क्यों महाराजा सूरजमालसिंह को कतई नाराज करने की हिम्मत नहीं रखते थे इसलिए यह मामला मार्च 46 तक लटकता रहा और मार्च 1946 में फिर महाराजा ने दूधवाखारा के किसानों की धर-पकड़ शुरू कर दी थी तब तक यथा स्थिति बनी रही।

चीफस् एन्ड नोबल्स की फाइल संख्या 1947/43 में प्राइमिनीस्टर द्वारा कटु आलोचना

FILE NO.—— ——104 7

Office of Minister-in-Charge

CHIEFS AND NOBLES.

SUBJECT.

GPB 1931—6 44- 500 BIG.

The fallacy of the argument does not end there. | 58
The Thikana was declared Khalsa & any orders previously issued naturally ceased to have force. In 1943 it was represented to Th. Surajmal Singhji & he ordered that Chutbhaiyas should be given land i.e. by the Home Minister (C&N)
The Home Minister (Maharaj Sri Narayan Singhji) surely could not oust the jurisdiction of the Judicial Courts & authorise Revenue Authorities to exercise that jurisdiction. I regret to have to say that I differ entirely from the findings of Mr. Tribhuvan Datta on this matter. The whole argument is vitiated by fallacies, erroneous reasons & specious pleadings.

As for the Revenue Department continuing to take charge of the Thikana after the Thakur had been granted it on the plea of his refusal, I do not think any comment is necessary. Here also Mr. Datta is a little too emphatic to carry conviction. | 59

The most curious point of the Report is that dealing with Lago. The judicial decision in this case comes for strong adverse criticism by Mr. Datta. But the decision in any case stands. Technically he is correct in saying that the case was not admitted in a representative character, though the claim was to have it in a representative capacity & the decision certainly was. In any case I do not think till the decision is upset in appeal it can be set aside by the Thakur. | 60

On the factual findings regarding our charges &c the Report may be accepted. In Lathia's case the finding I think requires revision. | 61

I agree with Hm (C&N) in what he has stated regarding para 53 & 54. | 62

~~HOF~~ 156.

14

Continuation sheet

For the rest the revenue authorities may be asked to withdraw from their untenable position as early as possible

432 Conf 8/10/45

Camp Bombay R R 1056-Con 8-10-45 — Kuwanchhar 8/10/45
O R. no. 238 Conf H. 8-10-45

H H Confidential 63. His Highness would like to have a brief summary of the points involved as the report is rather too long.

P.S.

By order,

Bikaner
8-10-45

M. S. Khan
Private Secretary.

64. Secy Please have a brief summary prepared.
Kuwanchhar 9/10/45

582 Conf 3/12/45

No 1368C/1054 Dt 3.12.45

x slip B 65. Summary is submitted
Kuwanchhar 1/12/45

R R 423C Conf 17-4-46
O R. no. 114 Conf Dt 17-4-46

H H 66. This file is forwarded for circulation to the members of the Council as His Highness will discuss the question at a Council meeting.

67. His Highness would also like the Council to discuss among themselves, and be ready for discussion with His Highness, about the point for decision, namely, the disposal of the fields which had been taken away from the cultivators for distribution among the Chhutbhais according to Government orders and which pending this report had been restored to the original cultivators according to His Highness' orders last year. His Highness does not want any recommendations to be submitted but will discuss the matter with the Council.

By order,

P.S.
IMMEDIATE

Bikaner
3/17-4-46

M. S. Khan
Private Secretary.

No. 2 68. Circulate.
Kuwanchhar 17/4/46

अध्याय आठवाँ

जन-आंदोलन फैलाव की ओर

संन्यासी नेता स्वामी कर्मानन्दजी
बीकानेर राज्य प्रजा परिषद् के कार्यकारी प्रधान

जन-आंदोलन फैलाव की ओर

किसानों में चहुँमुखी जागृति

जिस काल में सेसन जज त्रिलोचनदत्त दूधवाखारा में किसानों की गवाहियाँ ले रहे थे और किसान लोग निडर होकर अपने दुख-दर्द को प्रकट करने का सुन्दर अवसर मानकर न्याय की आशा से उत्साहपूर्वक उक्त जाँच प्रक्रिया में सहयोग कर रहे थे, उस काल में चूरू और राजगढ़ तहसीलों के किसानों में से कई नए चेहरे सामने आए और उनमें से कई ऐसे थे जो किसानो को नेतृत्व देने की भी योग्यता रखते थे। ऐसे लोगों में एक थे चौ. कुंभाराम जो पुलिस सब-इन्स्पेक्टर के रूप में सरकारी नौकर होते हुए भी जाट जाति के पीड़ितों के लिए कुछ कर गुजरने की उमंग के साथ प्रजापरिषद् से जुड़ चुके थे और गोयल से व मालचन्द हिसारिया आदि से घुलमिल रहे थे पर उन्हें लगा कि बचे-खुचे समय में कुछ करने की नीति से वे आगे नहीं बढ़ सकेंगे इसलिए उन्होंने दो महीने की छुट्टी ले ली और पूरी तरह से आंदोलन में जुट गए।

संन्यासी नेता स्वामी कर्मानंद

कुंभाराम तो पुलिस के सब-इन्स्पेक्टर के पद पर होने से राजधानी के लोगों के लिए वे नए नहीं थे पर इस अरसे में हम राजधानी में रहने वालो को एक और नए नाम की जानकारी मिली जो चूरू-राजगढ़ के ग्रामीण इलाके में तो अपनी सामाजिक गतिविधियों के कारण लोकप्रिय हो ही रहा था पर अब उसका नाम राजधानी में हम लोगो के पास भी पहुँचने लगा था। वह नाम था, 'स्वामी कर्मानंद'। वे साधु होते हुए भी सांसारिक व सार्वजनिक कामों में सक्रिय हो रहे थे। स्वामी कर्मानंद का जन्म सन् 1900 में जिंद रियासत के पुलिस स्टेशन दादरी के ग्राम इमलोटा में एक जाट के घर में हुआ था। उसने आर्य समाज के गुरुकुल कुरुक्षेत्र में हिन्दी और संस्कृत की शिक्षा पाकर स्कूल से निकलने के बाद 6-7 साल तक पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा के उपदेशक के रूप मे कार्य किया और अपने आपको कट्टर आर्यसमाजी के रूप में प्रस्तुत किया। सन् 1928 मे भर जवानी में ही वह देशभक्ति की लहर में बहकर कांग्रेस से जुड़ गया और कांग्रेस के सत्याग्रह व असहयोग आंदोलनों मे कई बार जेल की यात्राएं करता रहा। पर कट्टर आर्यसमाजी होने से उसे कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टिकरण नीति रास नहीं आई और सन् 1933 में कांग्रेस से संबंध विच्छेद करके हिन्दुत्व की सेवा में लग गया और हिन्दू हित और उसमे भी जाट समाज के उत्थान में योगदान करने की नीयत से आर्य समाजी संन्यासी बनकर जाटो मे शिक्षा-प्रचार को अपना ध्येय बना लिया। ६८८ आर्य-सत्याग्रह में शामिल होकर वह हैदराबाद रियासत की जेल में

जः

सत्याग्रह मे बीकानेर शहर के पन्नाराम नामक चौधरी ने भी बीकानेर आर्य समाज की ओर से योगदान के रूप मे हैदराबाद पहुँच कर जेल काटी और फलस्वरूप महाराजा गंगासिंह के कोप का भाजन बना। फिर भी चौ. पन्नाराम प्रजापरिषद् से साधारण से रूप मे जुड़ा रहा। हैदराबाद सत्याग्रह के बाद स्वामी कर्मानंद ने उत्तर भारतीय बीकानेर से चिपती मुस्लिम रियासत लोहारू को अपना कार्य क्षेत्र बना लिया। लोहारू का मुस्लिम शासक नबाव-लोहारू हैदराबाद की तर्ज पर अपनी रियासत में आर्य समाज को प्रवेश देना नहीं चाहता था और आर्य समाजियों का दमन करता था। सन् 1941 में स्वामी कर्मानंद ने आर्य समाज के नाम पर आंदोलन चलाया जिसमें सफल होकर अन्त मे वहां आर्य समाज मंदिर की स्थापना करके ही दम लिया। वहां उन्होंने कई स्कूलें चलाई। फिर उन्होने बीकानेर राज्य की ओर मुँह किया और लोहारू से चिपते क्षेत्र में बीकानेर राज्य के ग्राम कालरी को कार्य क्षेत्र बनाया और वहां भी जाटों के लिए स्कूलें खोल दी। बीकानेर राज्य मे स्वामीजी संगरिया जाट स्कूल के संस्थापक केशवानंद से प्रभावित होकर जुड़े रहे और जाटों की आबादी के गाँवो में स्कूल खोलते और खुलवाते रहे।

राजनीति में सक्रियता

दूधवाखारा आंदोलन में स्वामीजी हनुमानसिंह व उनके भाई गनपतसिंह से जुड़ गये और सन् 1945 के आते-आते वे रघुवरदयाल गोयल, राव माधोसिंह, ख्यालीसिंह, मालचन्द हिसारिया आदि सभी परिषद् के प्रमुख लोगों से जुड़ गये।

स्वामीजी की पृष्ठभूमि

गोपनीय फाइल 1945/72 के अनुसार स्वामी कर्मानंद 29 नवम्बर, 1945 को दूधवाखारा से राजगढ़ पहुँच गए। वहां उन्होंने अपने मित्रों और अनुचरों को बताया कि दूधवाखारा के किसानो को राजधानी में अभूतपूर्व सहयोग व सहायता देने के कारण वैद्य मघाराम और उसके साथी आज बीकानेर की जेल में घोर दुख पा रहे है और मघाराम की भूख हड़ताल को आज 10-12 दिन हो चुके है। हमारे राजा को तो मघाराम भूख हड़ताल करते मरे या जीये, इसकी कतई कोई चिंता नहीं है पर चूँकि ये लोग हम किसानों के लिए ही जेल भोग रहे है तो उनके प्रति हमारा भी कोई कर्तव्य है या नहीं? बीकानेर के इन साथियों को नौ-नौ महीनो की सजा दी हुई है—पर वे नौ महीने तक जिंदा रह कर बाहर निकल आवेंगे इसकी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि भूख हड़ताल का नतीजा सीधा सामने साफ दिख रहा है। उन्होंने राजगढ़ के इलाके में यह भी प्रचार किया कि एक दूधवाखारा ही नहीं बल्कि सभी जागीरों में जुल्म हो रहे हैं और हमारी चीख-पुकार को कोई सुनने वाला ही नजर नहीं आ रहा है। राजा और ताजीमी सरदारगण किसानों पर जुल्म ढहा रहे है और उनका खून चूस रहे है। पट्टा सांखू के ग्राम चांदगोठी तथा हमीरवास के किसानों से अनेक प्रकार के अतिरिक्त कर वसूल किये जा रहे हैं और उनके खेतों की पैमाइश गलत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगर हम लोग सत्याग्रह करें और जेल भरें तो सत्याग्रहियों के कुटुम्बों के लिए पर्याप्त धन एकत्रित करने को रियासत से निर्वासित रघुवरदयाल व माधोसिह तत्पर हैं।

झुंझुनूं में जाट सम्मेलन

चांदगोठी के मौजीराम, रामस्वरूप, रणजीता, परसादा, रछपाल और गोपाल जाट तथा गोंदा का आदू, नारंगा और लालचन्द व दूधवाखारा का हनुमान जाट गांव के कुछ अन्य लोगों के साथ 3 दिसम्बर को झुंझुनूं में होने वाले जाट सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं। वहां गोयल, राव, थानेदारजी भी मिलेंगे। इसलिए अधिक से अधिक लोगों को झुंझुनूं पहुँचना चाहिए। 2 दिसम्बर को नौहर का मालचन्द हिसारिया भी झुंझुनूं के लिए रवाना हो गया। झुंझुनूं सम्मेलन में सात-आठ सौ लोगों ने भाग लिया। सभापति हीरालाल शास्त्री ने अपने राज्य की समस्याओं के बारे में प्रकाश डाला और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीकानेर के किसानों को भी नागरिक अधिकारों को नहीं बरतने दिया जा रहा है और उन पर जुल्म ढहाए जा रहे हैं और विरोध करने वालों में कुछ को निर्वासित कर दिया है और कुछ को जेल में भेज दिया है। बीकानेर के लोगों को चाहिए कि वे अपने अधिकारों की मॉग करें और उनकी पूर्ति न करने पर आंदोलन करें। उपरोक्त गोपनीय फाइल में आई.जी.पी. ने रिपोर्ट की है कि कुंभाराम सब-इन्स्पेक्टर पुलिस की कार्यवाहियां अत्यन्त अवांछनीय है और उसके विरुद्ध कड़ा कदम उठाना चाहिए। उसको सरकारी नौकरी में और विशेष रूप से पुलिस दल में तो कतई नहीं रखा जाना चाहिए। 13 दिसम्बर को कौंसिल में विचार-विमर्श के बाद कुंभाराम को डिसमिस किये जाने की सिफारिश महाराजा साहब को प्रस्तुत कर दी गई।

नेताओं की परेशानी

इस दमन के वातावरण से हरिभाऊ उपाध्याय व देशपांडे भी बड़ी परेशानी महसूस करने लगे। गत जुलाई मास में वे आपसी समझौता बैठाने की नीयत से बीकानेर आए थे और लालगढ़ में महाराजा साहब से लम्बी बात हुई थी। बीकानेर से लौटने पर उन्होंने एक वक्तव्य प्रकाशित किया था जिसमें कहा गया था कि वे लोग महाराजा के रवैये से प्रभावित हुए हैं तथा उन्हें आशा है कि पारस्परिक सद्भावना से भविष्य में लाभ होने की संभावना है। इस वक्तव्य से उस समय लोगों में कुछ गलतफहमी फैल गई थी। यहां तक कि हरिभाऊजी आदि इन नेताओं की नीयत पर भी सन्देह किया जाने लगा था, जैसा कि 'लोकयुद्ध' में प्रकाशित श्री हजारीलाल जडिया के पत्र से प्रकट होता है। परन्तु उसका खुलासा उन नेताओं ने यह कह कर किया कि महाराजा के आश्वासन का वे परिणाम देखना चाहते थे तथा अपनी तरफ से कोई ऐसी कार्यवाही नही करना चाहते थे जिससे कटुता बढ़े। इसके बाद सितम्बर में फिर से ये सज्जन फुलेरा स्टेशन पर महाराजा से मिले और उन्होंने अपनी पुरानी बात दोहराई कि 'धीरे-धीरे सब हो जायेगा।' दिसम्बर के अंत में दैनिक हिन्दुस्तान में इस संबंध में खबर देते हुए बताया गया कि इन नेताओं ने अब समझ लिया है कि महाराजा से जो आशाएं की जाती थी वे निर्मूल प्रमाणित हुई और राजपूताना कार्यकर्ता संघ को एक प्रस्ताव स्वीकार करके अपना स्पष्ट मत प्रकट करना पड़ा। इससे यही नतीजा निकलता है कि बीकानेर महाराजा अपनी प्रजा को किसी प्रकार की नागरिक स्वतन्त्रता नहीं देना चाहते हैं। वे तो इस

प्रगतिशील युग में अपनी पुरानी सत्ता कायम रखना चाहते है। दूधवाखारा किसान आंदोलन के कारण चौ. कुंभाराम पुलिस की नौकरी में रहते हुए ही सक्रिय हो गये थे और दो महीने की छुट्टी लेकर किसानों को संगठित करने और प्रजापरिषद् के नेताओं से सम्पर्क बढ़ाने में लग गये थे जिसके कारण बीकानेर राज्य की कौंसिल ने उन्हें नौकरी से बरखास्त करने की सिफारिश कर दी थी। उधर मघाराम की लम्बी भूख हड़ताल और महाराजा की उसे मरने देने की नीयत को भांप कर शहर के अनेक देशभक्तों को अधिक सक्रिय होने को मजबूर होना पड़ा। रणभेरी की आवाज कायरों को सदा भयभीत करती है पर रणबांकुरों को उत्साहित ही करती है।

गंगादत्त रंगा

इस काल में बीकानेर के एक देशभक्त गंगादत्त रंगा को, सरकारी नौकरी में रहते हुए भी देश के लिए सक्रिय होने को मजबूर होना पड़ा। छब्बीस साल की उम्र का यह नवयुवक बचपन में कलकत्ता में अपने मामा की देखरेख में शिक्षा पाते समय ही देशभक्ति के संस्कार ले चुका था। सन् 1937 में जब कलकत्ता में प्रजामंडल की शाखा लक्ष्मी देवी आचार्य की अध्यक्षता में खुली तो उसमें वह सक्रिय हो गया पर जन समर्थन के अभाव मे उस शाखा को बंद कर देना पड़ा। मामा की मृत्यु पर बीकानेर आकर आजीविका के लिए सांखू के ठाकर की जागीर में मास्टरी करते समय सामन्ती उत्पीड़न को आँखों से देखा तो नौकरी छोड़ दी। बीकानेर लौट कर कॉटेज इन्डस्ट्रीज विभाग में सेल्समेन की नौकरी मिल गई। मघाराम की लम्बी भूख हड़ताल से द्रवित होकर सरकारी नौकरी मे रहते ही फिर सक्रिय होकर परिषद् के कार्यकर्ता बन गए। 16 दिसम्बर को मघारामजी की भूख हड़ताल के 29 वें दिन परिषद् की तरफ से अनशन-दिवस मनाते हुए व्रत रखने और सभा करके उनकी दीर्घायु की प्रार्थना का आयोजन जब रखा गया तो उसमें खुले-आम सक्रिय होकर नेताओं को तार द्वारा भूख हड़तालियों की जीवन रक्षा के लिए प्रयत्न करने का अनुरोध किया गया। परिषद् के संस्थापक सदस्य भिक्षालाल शर्मा के सभापतित्व में इस अनशन-दिवस की सभा का 23 दिसम्बर के वीर अर्जुन में समाचार छपा तो सरकार का रवैया रंगा के प्रति कड़ा होने लगा पर अब नतीजों की परवाह न करके आगे बढ़ने का निश्चय रंगा कर चुके थे। बीकानेर के गृहमंत्री, जो उद्योगमंत्री भी थे, ने किसी तरह इसे परिषद् से अलग करने की चेष्टा में घर बुलाकर नौकरी में डबल तरक्की और उच्च पद देने का लालच दिया पर इन्होंने इन सबकी ओर से मुँह फेरकर जनवरी में उदयपुर में पं. नेहरू की अध्यक्षता में होने वाले अ.भा. देशी राज्य लोक परिषद् के अधिवेशन में भाग लिया जिसके फलस्वरूप नौकरी से निकाल दिये जाने की नौबत आई पर उससे पहले ही उन्होंने, स्वयं ने ही इस्तीफा दे दिया और मैदान में कूद पड़े।

मघाराम आदि की लम्बी भूख हड़ताल से सर्वत्र चिंता

भूख हड़ताल को एक महीना हो आया तो आम जनता में और भूख हड़तालियों के कुटुम्बी जनों में नेताओं के जीवन को किसी तरह भी बचाने की व्यग्रता हुई पर सरकार कानों में तेल डाले बैठी थी। भूख हड़ताली किशनगोपाल गुटड़ की पत्नी ने

महाराजा से प्रार्थना की कि इतने लम्बे अरसे से अनशन पर रहने वाले पति से एक बार मुलाकात की इजाजत तो प्रदान कर दी जाय। महाराजा ने मंत्रियों से परामर्श करके उसे मिलने की इजाजत इस नीयत से दे दी कि शायद वैधव्य से बचने के लिए वह अपने पति को अनशन तोड़ने को राजी कर ले। इस मुलाकात के बाद उक्त लक्ष्मीदेवी ने वीर अर्जुन के संवाददाता को अपने पति की हालत बताते हुए कहा कि वे इतने कमजोर हो गये हैं कि बिल्कुल खटिया से लग गये हैं और वजन बहुत ही कम हो गया है और अब भगवान ही मालिक है क्योंकि वह स्वयं अपनी आँखो से देखकर आई है कि भूख हड़तालियों को स्वयं को तो जीवन की कोई परवाह ही नहीं है।

जयपुर में बैठे गोयल ने एक वक्तव्य दैनिक वीर अर्जुन में प्रकाशित कर अपनी तीव्र वेदना प्रकट करते हुए कहा कि श्री मघाराम की अवस्था प्रतिदिन खराब होती जा रही है। छाती में दर्द, निमोनिया, बेहोशी के चिह्न प्रकट होने लगे हैं। ऐसी अवस्था में डाक्टरी सहायता दिये जाने के बजाय उन्हें अंधेरी, ठंडी, तंग कालकोठरी मे बंद किये जाने का आदेश दिया गया है। उनके पैरों में लौहे के कड़े पड़े हुए हैं। मुलाकात की सुविधाएं भी छीन ली है। बीकानेर के लोग राज्य के इस रवैये से अत्यन्त दुखी है। सरकार को चाहिए कि वह इस ओर ध्यान दे और इन तीन अमूल्य जीवनों को यथा समय बचा लेने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे।

20 दिसम्बर को हिन्दुस्तान टाइम्स में दो कालम के शीर्षक से बड़े-बड़े अक्षरों में जेल में भूख हड़ताली बंदियों की चिंताजनक हालत की खबर प्रकाशित हुई जिसमें पं. मघाराम के कालकोठरी में निमोनिया और बाकी दो के तिल्ली के बढ़ जाने और निरन्तर पेट-दर्द की शिकायत का बढ़ जाना बताया गया। उसी में सरकारी प्रवक्ता का बयान भी छपा जिसमें कहा गया कि ये लोग राजनैतिक कैदी नहीं हैं क्योंकि दूधवाखारा के एक किसान के जागीरदार से होने वाले व्यक्तिगत (प्राइवेट) तनाजे को तूल देकर राजधानी में खामखाँ अशांति पैदा करने का इन्हें दोषी पाया गया है। मघाराम को पूर्व में हैडकांस्टेबली की नौकरी से हटाया हुवा बै-हैसियत का व्यक्ति बयान करके उनके राजनैतिक बंदीपन को नकारते हुए उन्हें साधारण कैदी होना बयान किया गया और लिखा गया कि जेल में कोई गंभीर भूख हड़ताल नहीं है क्योंकि तथाकथित भूख हड़ताली स्वेच्छा से ग्लूकोज ले रहे हैं। इस सरकारी बयान के बाद यह स्पष्ट हो गया कि महाराजा और उसका प्रशासन इन तीनो भूख हड़तालियों की लम्बी भूख हड़ताल की परिणति उनकी मृत्यु में हो जाय तो कोई हर्ज नहीं है, ऐसा रुख अपनाए हुए हैं। इसलिए अपनी पूरी ताकत से गोयल देश के सभी नेताओं से इनकी जान बचाने में सरकार व महाराजा पर दबाव डलवाने की भरसक कोशिश में लग गये जिसके फलस्वरूप जगह-जगह से महाराजा के पास तार पहुँचने लगे। बीकानेर रियासत के बीदासर ठिकाने के एक नौजवान हीरालाल शर्मा, जो कानपुर में व्यापार करता था, ने इस मामले में कमाल कर दिखाया क्योंकि बीकानेर से इतने दूर रहते हुए भी उसने पंडित नेहरू, फीरोज गांधी, विजयलक्ष्मी पंडित, राष्ट्रपति मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि को युक्त-प्रांत के कांग्रेस के नेता बालकृष्ण शर्मा (नवीन) व प्रांतीय कांग्रेस के अध्यक्ष रफी अहमद

प्रगतिशील युग में अपनी पुरानी सत्ता कायम रखना चाहते हैं। दूधवाखारा किसान आदोलन के कारण चौ. कुंभाराम पुलिस की नौकरी में रहते हुए ही सक्रिय हो गये थे और दो महीने की छुट्टी लेकर किसानो को संगठित करने और प्रजापरिषद् के नेताओं से सम्पर्क बढ़ाने में लग गये थे जिसके कारण बीकानेर राज्य की कौसिल ने उन्हें नौकरी से बरखास्त करने की सिफारिश कर दी थी। उधर मघाराम की लम्बी भूख हड़ताल और महाराजा की उसे मरने देने की नीयत को भांप कर शहर के अनेक देशभक्तों को अधिक सक्रिय होने को मजबूर होना पड़ा। रणभेरी की आवाज कायरों को सदा भयभीत करती है पर रणुवांकुरो को उत्साहित ही करती है।

गंगादत्त रंगा

इस काल में बीकानेर के एक देशभक्त गंगादत्त रंगा को, सरकारी नौकरी में रहते हुए भी देश के लिए सक्रिय होने को मजबूर होना पड़ा। छब्बीस साल की उम्र का यह नवयुवक बचपन में कलकत्ता में अपने मामा की देखरेख में शिक्षा पाते समय ही देशभक्ति के संस्कार ले चुका था। सन् 1937 में जब कलकत्ता में प्रजामंडल की शाखा लक्ष्मी देवी आचार्य की अध्यक्षता में खुली तो उसमे वह सक्रिय हो गया पर जन समर्थन के अभाव में उस शाखा को बंद कर देना पड़ा। मामा की मृत्यु पर बीकानेर आकर आजीविका के लिए सांखू के ठाकर की जागीर में मास्टरी करते समय सामन्ती उत्पीड़न को आँखों से देखा तो नौकरी छोड़ दी। बीकानेर लौट कर कॉटेज इन्डस्ट्रीज विभाग मे सेल्समेन की नौकरी मिल गई। मघाराम की लम्बी भूख हड़ताल से द्रवित होकर सरकारी नौकरी में रहते ही फिर सक्रिय होकर परिषद् के कार्यकर्ता बन गए। 16 दिसम्बर को मघारामजी की भूख हड़ताल के 29 वें दिन परिषद् की तरफ से अनशन-दिवस मनाते हुए व्रत रखने और सभा करके उनकी दीर्घायु की प्रार्थना का आयोजन जब रखा गया तो उसमें खुले-आम सक्रिय होकर नेताओं को तार द्वारा भूख हड़तालियों की जीवन रक्षा के लिए प्रयत्न करने का अनुरोध किया गया। परिषद् के संस्थापक सदस्य भिक्षालाल शर्मा के सभापतित्व मे इस अनशन-दिवस की सभा का 23 दिसम्बर के वीर अर्जुन में समाचार छपा तो सरकार का रवैया रंगा के प्रति कड़ा होने लगा पर अब नतीजों की परवाह न करके आगे बढ़ने का निश्चय रंगा कर चुके थे। बीकानेर के गृहमंत्री, जो उद्योगमंत्री भी थे, ने किसी तरह इसे परिषद् से अलग करने की चेष्टा में घर बुलाकर नौकरी मे डबल तरक्की और उच्च पद देने का लालच दिया पर इन्होंने इन सबकी ओर से मुँह फेरकर जनवरी में उदयपुर में पं. नेहरू की अध्यक्षता में होने वाले अ.भा. देशी राज्य लोक परिषद् के अधिवेशन में भाग लिया जिसके फलस्वरूप नौकरी से निकाल दिये जाने की नौबत आई पर उससे पहले ही उन्होंने, स्वयं ने ही इस्तीफा दे दिया और मैदान में कूद पड़े।

मघाराम आदि की लम्बी भूख हड़ताल से सर्वत्र चिंता

भूख हड़ताल को एक महीना हो आया तो आम जनता मे और भूख हड़तालियो के कुटुम्बी जनों में नेताओं के जीवन को किसी तरह भी बचाने की व्यग्रता हुई पर सरकार कानो मे तेल डाले बैठी थी। भूख हड़ताली किशनगोपाल गुटड़ की पत्नी ने

महाराजा से प्रार्थना की कि इतने लम्बे अरसे से अनशन पर रहने वाले पति से एक बार मुलाकात की इजाजत तो प्रदान कर दी जाय। महाराजा ने मन्त्रियों से परामर्श करके उसे मिलने की इजाजत इस नीयत से दे दी कि शायद वैधव्य से बचने के लिए वह अपने पति को अनशन तोड़ने को राजी कर ले। इस मुलाकात के बाद उक्त लक्ष्मीदेवी ने वीर अर्जुन के संवाददाता को अपने पति की हालत बताते हुए कहा कि वे इतने कमजोर हो गये हैं कि बिल्कुल खटिया से लग गये है और वजन बहुत ही कम हो गया है और अब भगवान ही मालिक है क्योंकि वह स्वय अपनी आँखों से देखकर आई है कि भूख हड़तालियों को स्वयं को तो जीवन की कोई परवाह ही नहीं है।

जयपुर में बैठे गोयल ने एक वक्तव्य दैनिक वीर अर्जुन मे प्रकाशित कर अपनी तीव्र वेदना प्रकट करते हुए कहा कि श्री मघाराम की अवस्था प्रतिदिन खराब होती जा रही है। छाती में दर्द, निमोनिया, बेहोशी के चिह्न प्रकट होने लगे हैं। ऐसी अवस्था में डाक्टरी सहायता दिये जाने के बजाय उन्हे अंधेरी, ठंडी, तंग कालकोठरी मे बंद किये जाने का आदेश दिया गया है। उनके पैरो में लौहे के कड़े पड़े हुए हैं। मुलाकात की सुविधाएं भी छीन ली है। बीकानेर के लोग राज्य के इस रवैये से अत्यन्त दुखी हैं। सरकार को चाहिए कि वह इस ओर ध्यान दे और इन तीन अमूल्य जीवनों को यथा समय बचा लेने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे।

20 दिसम्बर को हिन्दुस्तान टाइम्स में दो कालम के शीर्षक से बड़े-बड़े अक्षरों में जेल में भूख हड़ताली बंदियों की चिंताजनक हालत की खबर प्रकाशित हुई जिसमें पं. मघाराम के कालकोठरी में निमोनिया और बाकी दो के तिल्ली के बढ़ जाने और निरन्तर पेट-दर्द की शिकायत का बढ़ जाना बताया गया। उसी में सरकारी प्रवक्ता का बयान भी छपा जिसमें कहा गया कि ये लोग राजनैतिक कैदी नहीं है क्योंकि दूधवाखारा के एक किसान के जागीरदार से होने वाले व्यक्तिगत (प्राइवेट) तनाजे को तूल देकर राजधानी में खामखाँ अशांति पैदा करने का इन्हें दोषी पाया गया है। मघाराम को पूर्व में हैडकांस्टेबली की नौकरी से हटाया हुवा बै-हैसियत का व्यक्ति बयान करके उनके राजनैतिक बंदीपन को नकारते हुए उन्हे साधारण कैदी होना बयान किया गया और लिखा गया कि जेल में कोई गंभीर भूख हड़ताल नहीं है क्योंकि तथाकथित भूख हड़ताली स्वेच्छा से ग्लूकोज ले रहे है। इस सरकारी बयान के बाद यह स्पष्ट हो गया कि महाराजा और उसका प्रशासन इन तीनों भूख हड़तालियों की लम्बी भूख हड़ताल की परिणति उनकी मृत्यु में हो जाय तो कोई हर्ज नही है, ऐसा रुख अपनाए हुए है। इसलिए अपनी पूरी ताकत से गोयल देश के सभी नेताओं से इनकी जान बचाने मे सरकार व महाराजा पर दबाव डलवाने की भरसक कोशिश में लग गये जिसके फलस्वरूप जगह-जगह से महाराजा के पास तार पहुँचने लगे। बीकानेर रियासत के बीदासर ठिकाने के एक नौजवान हीरालाल शर्मा, जो कानपुर में व्यापार करता था, ने इस मामले में कमाल कर दिखाया क्योंकि बीकानेर से इतने दूर रहते हुए भी उसने पंडित नेहरू, फीरोज गाधी, विजयलक्ष्मी पंडित, राष्ट्रपति मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि को युक्त-प्रांत के कांग्रेस के नेता बालकृष्ण शर्मा (नवीन) व प्रांतीय कांग्रेस के अध्यक्ष रफी अहमद

किदवई से इस मामले में हस्तक्षेप कराने के लिए संपर्क कराया व खुद भी उनसे मिलकर इन्हें वक्तव्य देने को प्रेरित किया। रफी अहमद किदवई ने तो युक्तप्रांतीय कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से महाराजा को भूख हड़तालियों का जीवन वचाने के लिए तार तक भेजा। वरार में आकोला से भारतीय कौसिल ऑफ स्टेट में चुने गये नेता श्री वृजलाल वियाणी को गोयल ने इस मामले में हस्तक्षेप करने की विनती की तो उन्होंने उत्तर में लिखा 'वीकानेर की अत्यन्त पिछड़ी हुई अवस्था का मुझे ज्ञान है, वहां के दमन की कठोरता को भी मैने सुना है। वीकानेर के विषय में भीतर और वाहर सतत् आंदोलन होना चाहिए यह मेरी राय है, पर मेरी यह दृढ़ मान्यता है कि जो मित्र जनहित के लिए अनन्त यातनाओं को भोगते हुए प्राण की वाजी लगा रहे है उनके त्याग से जनता में जीवन आवेगा।' इस पत्र के साथ ही उन्होंने प्रेस को जारी किए गए अपने वक्तव्य की प्रति भेजी जिसमें उन्होंने कहा :—

'जेल में होने वाले दुर्व्यवहार के खिलाफ भूख हड़ताल करते हुए इन राजनैतिक साथियों को एक महीने से ऊपर का समय बीत चुका है। अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए जीवन की बाजी लगा देना इनके लिए आवश्यक हो गया है। इसमें दो मत नही हो सकते कि सार्वजनिक जीवन के सिलसिले में बीकानेर एक अत्यन्त ही पिछड़ी हुई रियासत है बल्कि यों भी कह सकते है कि वहा सार्वजनिक जीवन नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। सार्वजनिक जीवन का निर्माण करना वहां एक बहुत बड़ा खतरा मोल लेने जैसा है लेकिन सार्वजनिक सेवा के लिए राजनैतिक उत्साह रखने वाले मित्र यह खतरा मोल लेकर ही राज्य में जीवन ज्योति को प्रज्वलित कर सकते हैं और कर रहे हैं। रियासत को समय की पुकार को सुनकर तदनुसार अपने प्रशासन को ढालने का प्रयल करना चाहिए। आज के इस समय में किसी भी राज्य के लिए राजनैतिक बंदियों के साथ अमानवीय व्यवहार करना न केवल अशोभनीय है बल्कि इसकी जो प्रतिक्रिया होगी उसे रियासत को ही भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं रियासत के प्रशासन से निवेदन करूँगा कि अपनी जेल में पड़े हुए राजनैतिक बंदियो के साथ वे उचित व सम्मानजनक व्यवहार करने के लिए तुरन्त ध्यान देवें।' जयपुर प्रजामंडल के नेता पं. हीरालाल शास्त्री ने महाराजा को तार देकर निवेदन किया कि मेरी मान्यता है कि श्रीमान् छोटे से छोटे बीकानेरी के जीवन को अवश्य ही अत्यन्त मूल्यवान मानते होंगे इसलिए राज्य के बंदीखाने में उन्हे भोजन के बिना मर जाने नहीं देगे। आखिरकार ये बीकानेरी नागरिक चाहते तो यही हैं कि अन्य पड़ौसी रियासतों के लोगों की तरह ही उनकी रियासत में भी वैध और शांतिमय उपायों से राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना हो। मैं यही आशा रख सकता हूँ कि भूख हड़तालियों के न्यायपूर्ण और कानूनी अधिकारों को मान्यता देकर इनकी और तमाम रियासती प्रजाओं की कृतज्ञता प्राप्त करें। गोयल के द्वारा भूख हड़तालियों की जान बचाने के लिए किए गये प्रयत्नों की सराहना करते हुए अलवर के नेता मास्टर भोलानाथ ने उन्हें अपने पत्र में एक कटु सत्य को अंकित करते लिखा कि बीकानेर में एक-दो देशभक्तों के शहीद हुए विना वीकानेर सरकार सीधी भी नहीं होगी

और हमारी तरफ से भूख हड़ताल का राज्य के भीतर और बाहर सब तरफ खूब प्रचार व प्रकाशन जारी रखा जाना चाहिए। हरिभाऊजी उपाध्याय ने अपने 21 दिसम्बर के पत्र में गोयल को सूचित किया कि उन्होने वम्बई से महाराजा को तार दिया था उसका उत्तर भी मिला है और आगे और क्या-क्या किया जा सकता है उसके बारे मे व्यासजी और शास्त्रीजी से पत्र-व्यवहार कर रहे है फिर भी उन्होने महाराजा को एक और तार देकर मांग की है कि उन्हें मघारामजी आदि से मिलने दिया जाये।'

इस आखिरी मांग से महाराजा चौंके कि अगर हरिभाऊजी से पिछले छ: महीनों से चले आ रहे वार्तालाप के बाद उन्हे 'ना' कहा जाये तो ठीक नहीं होगा और अगर 'हाँ' कहा जाये तो अब तक के उनके इस प्रचार की पोल खुल जायेगी कि जेल में कोई गंभीर भूख हड़ताल नहीं है और वंदीगण स्वेच्छा से ग्लूकोज पी रहे है। अतः केबिनेट की मीटिंग बुलाकर चुपचाप माँगें मान लेने का निर्णय ले लिया गया और 26 दिसम्बर को अखवारो में यह खबर प्रकाशित हुई कि भूख हड़तालियों की माँगें मानकर राजबंदियों को कालकोठरी से निकाल कर सब को एक साथ ही रख दिया गया, भोजन अपने हाथ से बनाने की सुविधा दे दी गई, कपड़े जेल के हटाकर घर के पहनने की छूट दे दी गई, पैरों मे से लौहे के कड़े काट दिए गए, साप्ताहिक मिलाई परिवार वालों से करने की व्यवस्था वहाल कर दी गई और गर्मी की मौसम मे बैरक के बाहर खाट पर खुली हवा में सोने की सुविधा मजूर कर ली गई।

महाराजा की खीज

मघाराम, रामनारायण, किशनगोपाल गुटड़ की चालीस दिन की जेल के भीतर जान की वाजी लगाकर की गई तपस्या ने देशभक्तों के स्वाभिमान को उभारा और निर्वासित गोयल द्वारा अथक दौड़धूप कर अपने साथियों की सहायता से देश के छोटे-बड़े सभी नेताओं द्वारा राजा पर जो सफल दवाव डलवाया गया उससे उनका नेतृत्व और अधिक निखरकर सामने आया पर दूसरी तरफ लालगढ़ में एक प्रकार से मातम सा छा गया। राजा को पहली बार राष्ट्र के आम जनमत के आगे झुकना पड़ा था, इसका उसे बड़ा मलाल था। अब उसके खीज की गाज दूधवाखारा पर पड़ने वाली थी। इधर की कसर उधर निकालने के संकल्प से दूधवाखारा के नेता हनुमानसिंह और उसके कुटुम्व को निर्दयता पूर्वक कुचल देने की योजना चालू हो गई। राजा ने खुद उसे कह दिया कि तुम दूधवाखारा छोड़ दो और बदले मे धापकर जितनी चाहो उतनी जमीन हनुमानगढ़ में ले लो फिर भी वह झगड़ा खत्म करने को तैयार नही हुआ और 'दूधवाखारा के दूसरे किसानो का फिर क्या होगा' यह कहकर महाराजा की निजी मान्यता के अनुसार अपने व्यक्तिगत झगड़े को 'किसान आंदोलन' का रूप देना नहीं छोड़ रहा है तो वह क्रूरता से कुचला जाने योग्य ही है। पुलिस मशीनरी ने अपना काम शुरू कर दिया।

दिसम्बर के अंत में गोयल को, आर्यविद्यालय गागड़वास (निजामत राजगढ़) से स्वामी कर्मानद का पत्र मिला, जिसमे सूचित किया गया था कि इलाके का दौरा कर के

मै कालरी पहुँचा तो वहा थानेदार महताबअली और सी.आई.डी. इन्स्पेक्टर ठाकुरदास मुझ से मिले और मुझसे आगे के प्रोग्राम के बारे में पूछताछ करते हुए बताया कि मेरी और महाराजा की मुलाकात जल्दी ही होने वाली है। मुझे उन पर विश्वास इसलिए नही है कि गाँववालों ने मुझे बताया कि ये लोग मेरी पोजीशन और शक्ति का पता लगाने आये थे तो गाँववालों ने कह दिया कि राजगढ़ के इलाके मे तो स्वामीजी की आवाज पर हम सब तैयार हैं। राजगढ़ के एस.पी. ने मुझे बुलाया था पर मै नहीं गया। आपसे सलाह-मशविरा करने आ रहा हूँ। यह जानकर गोयल चौकन्ना हो गये और संभावित दमन का मुकाबला करने के लिए चौमूं में सत्याग्रहियों का एक ट्रेनिंग शिविर लगाने की योजना में लग गये। ट्रेनिंग कैम्प की पूरी तैयारी कर ली गई पर पं. जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 31 दिसम्बर को व 1 व 2 जनवरी, 1946 को उदयपुर में अ.भा. देशी राज्य लोक परिषद् का सातवां अधिवेशन होने की घोषणा के कारण सब का ध्यान उधर चला गया और चौमूं सत्याग्रह कैम्प की योजना स्थगित हो गयी। उधर गंगानगर से कुंभाराम ने खबर दी कि बीकानेर से एक हवलदार बीकानेर चलने के लिए बुलाने आया था पर क्यों बुलाया गया है इस बारे में कुछ नहीं बता रहा है। दो महीने की छुट्टी लेकर मैं सार्वजनिक जीवन में लग गया हूँ, यह बात 5-7 दिन में खुल जाती दिखाई दे रही है। बुखार से पीड़ित है, हम दोनों पति-पत्नी, अगर बुखार ठीक हुआ तो बीकानेर जाऊँगा वर्ना नहीं। स्वामी कर्मानंद से सम्पर्क बनाए रखें।'

दिसम्बर के अंत में सरकार ने गंगादास कौशिक पर पैरोल के दौरान बीकानेर से बाहर न जाने आदि की जो पाबदियाँ लगा रखी थी वह सब हटाली और पैरोल को समाप्त कर स्वतन्त्र कर दिया।

लेखक को जयनारायण व्यास का बुलावा और व्यासजी की संजीवनी से पुनः मोर्चे पर

25 *दिसम्बर को मुझ दाऊदयाल को उदयपुर से श्री जयनारायण व्यास का* भेजा हुआ जरूरी तार मिला जिसमे पहली गाड़ी से उदयपुर पहुँचने का आग्रह था। मैं अभी तक अपने माफीनामे की काली छाया से कुठित चला आ रहा था और सोचता था कि व्यासजी से पहली बार जीवन मे मुलाकात होगी तो मै अपना मुँह कैसे बताऊंगा पर मूलचन्द ने जोर देकर कहा कि व्यासजी ने बुलाया है तो तुरन्त चले जाओ और पहले तो वे हमारे नेता है इसलिए कुछ कहेंगे नही क्योंकि सब कुछ कैसे हुआ उन्हें मालूम है और फिर भी वे कहें तो सुन लेना और वे जैसा कहें वैसा कर देना। 26 को मैं रवाना होकर उदयपुर पहुँच गया। वहां व्यासजी ने एकान्त मे मुझे बताया कि अ.भा. देशी राज्य लोकपरिषद् के कार्यालय का ऑफिस-इन्चार्ज जिस कार्यकर्ता को बनाया हुवा था उस कार्यकर्ता ने कम्युनिस्ट विचारों का होने से व्यासजी के साथ आस्तिन के सांप जैसा कुछ व्यवहार किया है इसलिए मुझे उन्होंने कार्यालय इन्चार्ज बनाकर पुनः सक्रिय होने का आदेश दिया। 3 जनवरी को अधिवेशन की समाप्ति पर जब मैंने वापिस बीकानेर जाने की छुट्टी मांगी तो कहा कि तुम माफीनामे की कुंठा को समाप्त कर दो और पुन. मोर्चे पर

खड़े हो जाओ। हम आजादी की लड़ाई मे किसी मोर्चे पर पीछे हट सकते है परतु इससे युद्ध की हार तो नहीं मानी जा सकती। इंसान की हार तभी होती है जव वह हार मान लेता है। उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि मुझे अव अपने आपको 'भगोड़ा सैनिक' की कुंठा छोड़कर राष्ट्रकार्य के अग्रिम मोर्चे पर खड़ा एक आजादी का सैनिक मानना चाहिए और एक वार फिर से उत्सर्ग की भावना से आगे की ओर कूच करना है। मुझे ऑफिस-इन्चार्ज वनाकर जोधपुर ऑफिस मे रख लिया और जून के महीने मे जब गोयल ने निर्वासन आज्ञा भंग करते समय व्यासजी से मुझे बीकानेर के मोर्चे के लिए वापिस भेजने का पत्र द्वारा आग्रह किया तो खिन्न मन से ही सही पर बीकानेर की खिदमत के लिए जोधपुर-ऑफिस से निवृत कर वीकानेर भेज दिया। उन कुछ महीनों के संसर्ग में मैंने व्यासजी की महानता के अनेक अनुभव प्राप्त किए। शास्त्री और व्यास दोनो ही महान थे पर दोनों की कार्यपद्धति में जमीन आसमान का फर्क था क्योंकि जहां शास्त्रीजी पिता का हृदय रखते हुए कार्यकर्ता से अनुशासन पूर्वक 'जाओ काम करो' कहते थे वहीं व्यासजी मातृ हृदय रखते हुए कार्यकर्ताओं को छाती से चिपाकर 'आओ काम करें' कहकर अपने साथ ही दूसरों को जुटाकर काम पूरा करवाते थे। बीकानेर भेजते समय मुझे पत्रकार के नाते कुछ सूत्र बताए और गुजराती दैनिक 'जन्मभूमि' का संवाददाता बनवा दिया।

उदयपुर में अ.भा. दे. राज्य लोकपरिषद् का अधिवेशन

उदयपुर के सातवे अ.भा. देशी राज्य लोक परिषद् का अधिवेशन, जो 31 दिसम्बर और 1 और 2 जनवरी, 1946 को हुआ था, उसमें रघुवरदयाल वकील, गंगादास कौशिक, दाऊदयाल, स्वामी कर्मानंद, दूधवाखारा का जाट नेता हनुमानसिंह, कुम्भाराम सब-इन्स्पेक्टर पुलिस, ख्यालीराम वकील, चिरंजीलाल सुनार, भादरा का रामलाल जाट, हमीरवास का नौरंगराम जाट, लालचन्द जाट और रामजीलाल जाट, नीमा गांव के उदमीराम व लक्ष्मणराम जाट, चांदगोठी के मौजीराम और जैसा, बीकानेर से मघाराम की वहन खेतू वाई, प. रावतमल पारीक, गंगादत्त रंगा, नापासर के वजरंगलाल आसोपा व सेठ वालकृष्ण मोहता व मुल्तानचद दर्जी ने भाग लिया। 30 दिसम्बर, 1945 को ही सम्मेलन के अध्यक्ष पं. नेहरू हवाईजहाज से काकरोली पहुँच कर शाम को 5 वजे उदयपुर पहुँच गए। वहां उनका मोटर कार मे जुलूस निकला। जुलूस के आगे-आगे वनस्थली विद्यापीठ की वालिकाएँ घोड़ों पर सवार होकर चल रही थी जिनमें रघुवरदयाल गोयल की पुत्री चन्द्रकला भी थी जो राष्ट्रीय गीत गा रही थी और राष्ट्रीय नारे लगा रही थी। बीकानेर के सभी डेलीगेट वहां मौजूद थे जिनमें राव माधोसिंह के हाथ मे एक प्लेकार्ड था जिस पर लिखा हुआ था 'बीकानेर मे पुलिस जुल्मो का नाश हो' और पीछे-पीछे चलने वाले डेलीगेटस नारे लगा रहे थे 'बीकानेर मे जुल्मी अधिकारियो का नाश हो' व 'बीकानेर में गैर-जिम्मेदार हुकुमत का नाश हो' आदि। 31 दिसम्बर के सम्मेलन में उपाध्यक्ष, कश्मीर के शेख अब्दुला ने खादी-प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत की 40 करोड़ की जनसख्या मे 10 करोड़ जनता देशी रियासतों की रिआया है। इन रियासतों के शासक अग्रेजो के चगुल मे फँसे हुए हैं,

स्वतन्त्र नही हैं और उनको केवल अपने प्रजाजनों पर जुल्म ढहाने की स्वतन्त्रता है और ब्रिटिश सत्ता ने उन्हें देश को गुलाम वनाए रखने में सहायक वनने के लिए पाल रखा है। जव तक ब्रिटिश सत्ता यहा मौजूद रहेगी इन राजा-महाराजाओं के जुल्म चलते ही रहेगे इसलिए रियासती जनता का भाग्य देश की आजादी के साथ बंधा हुआ है और इनके जुल्मो से वचने के लिए हमें त्याग और वलिदान करना होगा। उस प्रदर्शनी में नापासर के धनराज का एक स्टाल भी था जिसमें ऊनी कपड़े और लोइयें थी। स्वागताध्यक्ष के भाषण मे मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष श्री माणिक्यलाल वर्मा द्वारा वीकानेर के जुल्मों का जिकर किया गया। खुले अधिवेशन मे स्टेंडिग कमेटी के सदस्यों और जनरल कौंसिल के सदस्यों में वावू रघुवरदयाल गोयल भी मंच पर विराजमान थे। किसान सम्मेलन भी हुआ जिसमें रघुवरदयाल, हनुमानसिह जाट और स्वामी कर्मानंद मंच पर विराजमान थे। खुले अधिवेशन में जो प्रस्ताव स्वीकार किए गए उनमें मांग की गई कि विधान निर्मात्री परिषद् में रियासतों का प्रतिनिधित्व वहां की जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों द्वारा ही होना चाहिए न कि नरेशों द्वारा नामजद लोगों द्वारा। रियासतों में होने वाले दमन संबंधी प्रस्ताव में ट्रावनकोर के डेलीगेटों ने वहां राष्ट्रीय झंडा न फहराने देने का जिक्र करने का आग्रह किया तो पंडितजी ने कहा 'अगर हम विभिन्न रियासतों की शिकायतों को इस प्रस्ताव मे स्थान देते है तो फिर वीकानेर की शिकायतें सर्वाधिक होंगी। अतः हमें रियासत वीकानेर और रियासत कालात के संवंध में अलग से प्रस्ताव स्वीकार करने चाहिएं।'

खुले अधिवेशन में जनरल कौंसिल के अन्य सदस्यो के साथ रघुवरदयाल मंच पर विराजमान थे और डेलीगेटों में गंगादास सेवग, माधोसिंह अहीर, रावतमल पारीक, दाऊदयाल आचार्य, कुंभाराम सव-इन्स्पेक्टर पुलिस, हनुमान जाट, स्वामी कर्मानंद, रामलाल जाट, ख्यालीराम वकील, नौरंग जाट आदि बैठे हुए थे। बीकानेर रियासत के दूसरे लोग दर्शकों मे बैठे हुए थे।

रियासतों में होने वाले जुल्मों और नागरिक अधिकारों के अभाव पर आने वाले प्रस्ताव पर बोलते हुए रघुवरदयाल ने कहा 'मैं उस रियासत का निवासी हूँ जिस को 'बीकानेर' के नाम से पुकारा जाता है। आप लोगों को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि इस बीसवी सदी के 46 वें वर्ष मे भी वहां तरह-तरह के अत्याचार हो रहे हैं। पूरी रियासत में कोई अखबार प्रकाशित नही होता है और हालात तो ऐसे हैं कि कोई इश्तिहार छपाना हो तो सरकार से डरते हुए प्रेसवाले तब तक नही छापते जब तक कि आई.जी.पी. की लिखित इजाजत प्रस्तुत न कर दी जावे। इस पर शर्म-शर्म के नारे लगे। बीकानेर राज्य में 'नागरिक अधिकारो की स्वतन्त्रता है', वहां के प्रधानमंत्री पणिकर साहब ऐसी डुग-डुगी पीटते हैं पर राष्ट्रीय सप्ताह तक नही मनाने देते। कस्तूरबा फड के लिए भी सभा के लिए सशर्त इजाजत दी जाती है। मै इस मंच से चुनौती देता हूँ कि वहा कौनसी नागरिक स्वतन्त्रता पाई जाती है जिसे 'स्वतन्त्रता' कहा जा सकता है? इस प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए नेहरू ने जो भाषण दिया उसमे उन्होने बीकानेर के बारे

में कहा, 'आपने बीकानेर के बारे मे भी शिकायते सुनी है। पिछले 4-5 महीनों से, या यों कहें कि जब से मै जेल से छूटा हूँ, मेरे पास सबसे ज्यादा शिकायते बीकानेर की पहुँची है। जब काश्मीर मे स्टेंडिग कमेटी की मीटिंग हो रही थी, हमारे सामने बीकानेर के दमन-चक्र का प्रश्न लाया गया। उस समय हमने यह उचित समझा कि इस सबंध मे कोई कदम उठाने से पहले हमे इकतरफा निर्णय न लेकर वहां के प्रधानमत्री को पत्र लिखना चाहिए। मैने पत्र भेजा और उसका उत्तर भी आया पर उस पत्र-व्यवहार से मै इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि बीकानेर रियासत के अधिकारीगण गलत रास्ते पर चल रहे हैं और इस प्रकार गलती कर रहे है। (तालिये)। रियासत मे (ज्यादतियों को छिपाने के लिए) व्यर्थ प्रयास कर रहे है। बीकानेर मे नागरिक स्वतन्त्रता के प्राथमिक अधिकारो का ही अभाव है ऐसे मे वहा किसी बड़े परिवर्तन की बात तो सोच ही कैसे सकते है। वहां से उत्पीड़न और दमन की खबरे बराबर मिल रही है। राज्य के कारागार मे हालात 'बहुत बुरे हैं। राजनैतिक बंदियों की हालत तो खूब ही दयनीय है। इन दिनों मे बीकानेर रियासत ने ईर्ष्या न करने योग्य कुख्याति प्राप्त करने में प्राथमिकता प्राप्त करली मालूम देती है।'

इस अधिवेशन का एक लाभ यह भी हुवा कि राजपूताने में 'राजपूताना राजनैतिक कार्यकर्ता संघ' के नाम से रियासती प्रजा का जो ढीला-ढाला संगठन चल रहा था, उसका विसर्जन कर दिया गया और इस अधिवेशन मे चुने गये प्रतिनिधियों की प्रादेशिक संस्था बन गई जो अ भा. संगठन का एक अग हो गई। बीकानेर की तेरह लाख आबादी के लिए चुने गये 13 डेलीगेट प्रादेशिक कौसिंल में प्रतिनिधि मान लिए गये।

इस अधिवेशन में बीकानेर की तरफ से चौबीस लोगो की सूची बीकानेर की सी.आई.डी. ने सरकार को भेजी जो फाइल स. 1945/83 मे शामिल है। इतनी सारी चौकसी के बावजूद दो कार्यकर्ता उनकी नजर से बच निकले थे, जिनमे एक थे चिर-परिचित मूलचन्द पारीक और दूसरे थे अपरिचित कानपुर से आए ठिकाना बीदासर में पैदा हुए हीरालाल शर्मा। यह युवक कानपुर मे बैठा ही बीकानेर की राजनैतिक गतिविधियों पर पैनी नजर रखे हुए था और कोई मौका ऐसा नही चूकता था जिसमे उसकी तरफ से बीकानेर को कोई योगदान न मिल सके। सन् 42 के भारत छोड़ो आदोलन में उसने आगे बढ़कर भाग लिया और जब पकड़े जाने का अवसर आया तो पुलिस की आँखों में धूल झोक कर बीदासर मे जा पहुँचा। बीदासर का ठिकाना उस समय सरकार के कोप से जब्त किया हुआ था और उसका जागीरदार कम उम्र का होने से सरकारी देख-रेख में पढ़ रहा था। उसने इस तेज तर्रार-नौजवान को अपने यहां छुपा लिया क्योकि दोनों नवयुवको की बीकानेर सरकार से नाराजगी थी। पर हीरालाल तो वहां छिप कर भी चुप न बैठ सका और रात को हस्तलिखित परचे पेड़ो पर चिपका कर 'भारत छोड़ा', 'करो या मरो' आदि नारो से वहां के लोगो को अचम्भित करने लगा। आखिर उस नाबालिग जागीरदार मित्र ने उससे कहा कि यहां चुपचाप नही रह सकते तो फिर कानपुर लौट जाओ क्योकि मेरी जागीर तो पहले ही से जब्त है और तुम्हारे कारण

मेरी जिन्दगी खराब हो जाएगी और मेरी पढ़ाई-लिखाई खतरे में पड़ जायेगी। इस पर वह कानपुर लौट गया और क्रांतिकारियों के कार्यों मे संवाद-वाहक के रूप में फिर क्रियाशील हो गया। पर बीकानेर में उसकी दिलचस्पी बढ़ती ही गई। उसने निर्णय किया कि मातृभूमि के साथ ही मै अपनी जन्म-भूमि का भी कार्य करूंगा। सन् 45 में मघाराम की लम्बी भूख हड़ताल के समाचार पढ़कर उसके मन मे एक उमंग उठती थी कि मैं अपने बीकानेरी भाइयों के कैसे काम आऊँ। यू.पी. के 'प्रताप' आदि पत्रों में बीकानेर की खबरो के नीचे 'गंगादास कौशिक' का नाम पढ़कर एक दिन बीकानेर आ गया और कौशिक से मिलकर गोयल से मिलना चाहा जो तत्समय नागौर में थे। गंगादास ने गोयल का ठिकाना बताया पर कहा कि तुम्हे सी.आई.डी. वहां तक न पहुँचने देगी और बीच ही मे गिरफ्तार हो जाओगे। पर वह डरा नहीं और घड़सीसर की मोड़ पर चलती गाड़ी में सवार होकर वह नागौर पहुँच गया और तब से कानपुर मे रहकर बीकानेर के जुल्मों की खूब पब्लिसिटी करता रहा, यहां तक कि जब से कांग्रेसी नेता जेल से रिहा हुए थे और देश का दौरा कर रहे थे वह नेहरूजी से दिसम्बर तक 7-8 बार मिला और फीरोज़ गांधी, टंडन जी, विजयलक्ष्मी पंडित, रफी अहमद किदवई से जोरदार सिफारिश कराता रहा। नेहरूजी ने बीकानेर की शिकायतें निरंतर सुनने का जो हवाला उदयपुर के व लाहोर के भाषणों में दिया उसमें सब से ज्यादा योगदान इस हीरालाल का ही था। नया चेहरा होने से बीकानेर की सी.आई.डी. की नजर उसे न पकड़ सकी। बीकानेर कैम्प में भी इसने ख्यालीसिंह चौधरी को कैम्प छोड़कर और कहीं टिकने को मजबूर कर दिया था क्योंकि वह अपनी दो बीवियों को लेकर कैम्प मे टिकना चाहता था। औरों की तरह यह हीरालाल चुप नही रहा और आखिर उन्हें अन्यत्र जाना पड़ा।

3 जनवरी को अधिवेशन समाप्त होने के बाद जब गोयलजी 6 जनवरी, 1945 को जयपुर पहुँचे तो हीरालाल भी उनके साथ था पर वहां पहुँचते ही बीकानेर महाराजा के व्यक्तिगत दबाव से तत्काल जयपुर रियासत छोड़ने का आदेश मिला और गोयल को जयपुर से भी तत्काल निर्वासित होना पड़ा। वहां भी हीरालाल ने गोयल को कानपुर टिकने का न्यौता दिया पर अलवर के नेता मास्टर भोलानाथ ने आग्रहपूर्वक अलवर ले जाकर वहां से परिषद् का कार्य शुरू करा दिया।

महाराजा की कुटिल चालें और दूधवाखारा

इधर रघुवरदयाल को जयपुर रियासत से निर्वासित कराके महाराजा ने दूधवाखारा के हनुमानसिंह से निपटने का मार्ग अपनाया। जनवरी के मध्य में राजाओं के अपने संगठन नरेन्द्र-मंडल की बैठक में भाग लेने का प्रोग्राम बन चुका था और महाराजा ने दूधवाखारा में ऐलान करवाकर दूधवाखारा के किसानों का आह्वान किया कि वे अपने अभाव-अभियोगों को स्टेशन पर पहुँचकर सुनावें। स्टेशन पर किसानों की भीड़ लगी थी पर हनुमानसिंह को न देखकर उसे बुलवाया और ज्योंही वह सैलून के पास पहुँचा पुलिस वालो ने धक्का देकर सैलून मे डालकर दरवाजा बंद कर दिया। इससे बाहर की किसानो

की भीड़ उत्तेजित हो गई और महात्मा गांधी की जय और अत्याचारी शासन का नाश हो के नारे लगाने लगी। हनुमानसिह को सैलून में बंद करने के बाद गाड़ी रवाना हो गई। तीन- चार स्टेशनों के बाद उसे किसी स्टेशन पर उतार दिया गया। बाद मे हरिभाऊजी का एक पत्र 17 जनवरी को श्री गोयल को मिला जिसमे उन्होंने सूचना दी कि बीकानेर महाराजा का एक पत्र उन्हे मिला है जिसमे उन्होंने हनुमानसिह का माफीनामा भेजा है। यह माफीनामे की खबर जनता का जोश ठंडा करने के लिए प्रसारित की गई थी पर इस समय तक सब लोगों ने यह मानस बना लिया था कि ठोक-पीट कर बेबसी मे माफीनामा लिखाना महाराजा की आम नीति हो चुकी है इसलिए लोगों को भी ऐसे माफीनामो से निरुत्साहित न होकर सरकार के क्रूर पजे से छूटते ही फिर पूरे जोश के साथ सघर्ष में जुट जाना चाहिए।

उधर महाराजा साहब अपनी दोगली नीति के अनुसार हरिभाऊजी एवं देशपांडेजी को समझौते की बातों मे उलझाए रखना चाहते थे इसलिए उसी रात को उसी गाड़ी में सादुलपुर से रेवाड़ी तक ट्रेन में सेलून मे उनसे बातचीत की। देशपाडेजी ने अपने पत्र में बताया कि महाराजा ने कहा है कि प्रजा परिषद् के विधान व उसका नाम प्रजा परिषद् के बजाय और कुछ रख लेने के बारे मे फरवरी में होने वाले अगली मुलाकात में तै करके कोई समझौता बैठा लेंगे। उन्होंने इन दोनो महानुभावों को 7 से 12 फरवरी के बीच बीकानेर आकर मिलने का निमंत्रण दिया। पर करना उन्हें कुछ था नही सिर्फ टलाऊ नीति काम में आ रही थी इसलिए फरवरी में तार भेजकर इन्हें सूचित कर दिया कि किन्हीं अनिवार्य कारणों से ता. 7 से 12 फरवरी का समय खाली नहीं है। ट्रेन मे तो महाराजा ने यह सकेत दिया था कि 13 फरवरी को मेरे राजसिहासनारुढ़ होने की तीसरी वर्षगाठ है सो हमारा कोई समझौता तै हो जाये तो मैं उसी दिन घोषणा भी कर सकता हूँ। महाराजा किरड़े की तरह रंग बदलते जा रहे थे।

20 जनवरी को दूधवाखारा में पुलिस ने अचानक इन चौधरियो के घरो को घेर कर तलाशी ली और हनुमानसिह व उसके भाई नरसा को गिरफ्तार करके अज्ञात स्थान को ले गए।

बिल ऑफ पीपल्स राइट्स

नरेन्द्र मडल में राजाओं ने इस बिन्दु पर विचार किया कि ब्रिटिश सरकार का जो एक मंत्रीमिशन भारत में जनता को सत्ता का हस्तांतरण करने के तरीको पर विचार करने आ रहा है, उसके सामने हम कोई भी ऐसी घोषणा कर दें जिससे उन पर इस बात की छाप पड़े कि देशी रियासतो मे ऐसा सुधारवादी वातावरण बन रहा है जिसमें जनता के मूल अधिकारो की स्पष्ट घोषणा है और ब्रिटिश भारत मे जिस प्रकार जनता का प्रतिनिधित्व वहां के नेतागण कर रहे हैं उसी प्रकार देशी रियासतो में प्रजा का नेतृत्व राजाओं के द्वारा मान लिया जाना उचित है। चुनॉचे 18 जनवरी को नरेन्द्र मंडल के चांसलर भोपाल के नवाब ने नरेन्द्र मडल की ओर से एक घोषणा की, जिसमे कहा गया था कि सभी देशी राज्यों में विधान को स्थापित करने की राजाओं की तीव्र इच्छा है।

लोकप्रिय संस्थाए जिनमे निर्वाचित प्रतिनिधियो का बहुमत होगा, स्थापित की जावेगी जिससे राज्य के शासन में जनता का निकट तथा प्रभावकारी संबंध रहे। जो सुधारों की बहुसूत्री घोषणा की गई थी उसमे सर्वप्रथम घोषणा इस बात की थी कि गैर कानूनी तरीके से किसी व्यक्ति को उसकी स्वतन्त्रता से वंचित नही किया जायेगा और न उसकी संपत्ति या निवास को जब्त या उससे पृथक किया जायेगा। इसे अखबारों मे 'राजाओं की तरफ से प्रजा को प्रदान किया हुआ अधिकार पत्र' (बिल आफ पीपल्स राइटस) की सज्ञा दी गई।

राजाओं के इस घोषणा-पत्र पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए पं. नेहरू ने हिन्दुस्तान टाइम्स के संवाददाता को अपना एक वक्तव्य दिया जिसमे उन्होंने कहा कि इस घोषणा-पत्र की जांच तो इसके वास्तविक क्रियान्वयन पर ही होगी। हालांकि राजपूताना की रियासतों के लोगों ने इसका स्वागत किया किन्तु उनमें इसके प्रति कोई उत्साह नहीं पाया गया क्योंकि तत्समय सामने आ रही दमन की खबरों से पता चल रहा था कि राजा लोगों की इस कथनी में और करनी मे कोई किसी प्रकार का मेल कतई नजर नहीं आता दीखता है और प्रजा पीड़न ज्यों का त्यों चालू है।

कलकत्ता में परिषद् की हलचल

गत अगस्त मे मूलचन्द ने कलकत्ते में रहकर वहां प्रजा परिषद् की शाखा खुलवाने का प्रयास किया था किन्तु तत्समय तो वहां केवल एक उपसमिति का ही निर्माण करा पाए जिसने गृहमंत्री से पत्र-व्यवहार किया और उत्तर न पाकर नेताजी के भाई शरतचन्द्र बोस के सभापतित्व में विरोध प्रस्ताव पास किया। जनवरी में अलवर मे प्रजापरिषद् के हेड ऑफिस खुल जाने पर बीकानेर प्रेमियों और पीड़ितों को गोयल से संपर्क करने का निश्चित स्थान मिल गया जहां क्या शहर और क्या देहात के सभी लोग अपने दुख-दर्दो को बताने पहुँचने लगे और वही से भारत भर के सभी पत्रों मे प्रचार की सामग्री भेजी जाने लगी। कलकत्ता के बीकानेरियो की भी मांग आई कि एक बार गोयल कलकत्ता आए तो वहां के उत्सुक बीकानेरियों को सही जानकारी मिले और अब वहां शाखा खुलने का भी वातावरण बना हुआ है। अत. गोयल और कौशिक कलकत्ता जा पहुँचे। कलकत्ता के एक कर्मठ कार्यकर्ता चूरू के श्री सोहनकुमार की दैनिक लिखी जाने वाली डायरी से कलकत्ता प्रवास काल का हाल प्राप्त होता है। उक्त डायरी के अनुसार गोयल और कौशिक 21 फरवरी को कलकत्ता पहुँचे जहां उक्त सोहनकुमार बाठिया जी ने तथा अन्य लोगों ने बीकानेर राज्य की स्थिति के बारे में सही जानकारी प्राप्त की। वे वहां 3 बी-2 कलाकार स्ट्रीट मे ठहरे थे। 23 फरवरी को नं. 16 क्रास स्ट्रीट मे रात को रघुबरदयाल गोयल के सभापतित्व मे जनरल मीटिंग हुई जिसमें कलकत्ता में बीकानेर प्रजापरिषद् की शाखा का उद्घाटन हुआ। श्री शिवकुमार भुवालका इस कलकत्ता शाखा के सभापति चुने गये और मंत्री श्री सोहनकुमार बांठिया। तारीख 24/2 को गोयलजी ने राष्ट्रपति मौलाना आजाद से मिलकर बीकानेर के दमन का हाल बताया और उसी दिन शाम को हावड़ा से रवाना हो गये। उधर कलकत्ता मे दूसरे ही दिन किसी कारण से

घबराकर सभापति श्री शिवकुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और 7 मार्च को ओमप्रकाश अग्रवाल को सभापति चुन लिया गया जिन्होने अपनी कार्यकारिणी मे श्री सोहनकुमार बांठिया के साथ विश्वनाथ करणानी को भी संयुक्त मत्री बनाया। कलकत्ता की शाखा ने परिषद् के सहयोग के लिए कोष बनाने का निश्चय किया। बीकानेर राज्य मे हुई घटनाओं पर और खास तौर पर दूधवाखारा को मिलीटरी से घेरकर अधाधुध गिरफ्तारियो के द्वारा फैलाए जा रहे आतक पर विचार किया गया और अखबारो मे संवाद भेजना शुरू कर दिया गया। अब बांठिया से रहा न गया और वे 24 अप्रेल, 1946 को अलवर के लिए रवाना हो गए और 28/4 को अलवर पहुँचकर खादी भंडार के मकान मे होपसर्कस के पास गंगादास कौशिक के पास 5 मई तक ठहर कर रियासत के पूरे हालात की गहरी जानकारी हासिल करने के बाद 6 मई को चूरू पहुँचे और 10 तारीख को राजगढ़ के किसानों पर बेरहमी से लाठियां चलाये जाने की तफ़सील प्राप्त की। अलवर से गोयल ने उक्त बाठियाजी को चूरू जाकर वहा से चूरू के हालचाल और लोगो की मनस्थिति जानने के लिए भेजा था और अलवर में उनकी ओर से *मिलने वाली रिपोर्ट का इन्तजार किया जा रहा था।*

दूधवाखारा पर फिर घोर संकट के बादल

फरवरी खत्म होते ही, हनुमानसिह के किसानो से सम्पर्क आदि कार्य-कलापो से सरकार सशंकित हो यह सोचने लगी कि इसका प्रभाव दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है और इसके दौरे राजगढ़ के पूरे इलाके मे तेज हो रहे है और झुझुनू और उदयपुर अधिवेशनों मे शामिल होकर अ.भा. देशी राज्य लोकपरिषद् से, वहां डेलीगेट के रूप मे उपस्थित होकर, सीधा जुड़ गया है इसलिए इसको खुला छोड़ना राज्य के लिए खतरा मोल लेना है। अतः गोपनीय फाइल 1946/15 'हनुमान जाट के खिलाफ कार्यवाही' इस शीर्षक से प्रारम्भ कर दी। इस फाइल में फाइल के खोलते ही वह योजना मिलती है जिसके अनुसार तीन तरफ से एक साथ फौज की तीन टुकड़ियो को हनुमान के गाँव दूधवाखारा को घेरने की और उसकी कमान किस-किस के पास रहेगी इसकी तफ़सील दी गई है और नक्शा भी शामिल किया गया है। हनुमानसिह के कौन-कौन से सभावित सहायक हो सकते है उनमे बीकानेर के प्रजापरिषद् के सारे कार्यकर्ताओं के नामों के अलावा नोहर के मालचन्द हिसारिया, भादरा के हरिसिह वकील, गंगानगर के ज्ञानीराम वकील, रतनगढ़ के मास्टर रूपराम व झांसल के कुज बिहारीलाल पर सख्त नजर रखने की हिदायत जारी कर दी गई। इसके साथ ही मार्च 9 को गुप्त आदेश देकर राजगढ़ के नाजिम को सूचना दी गई कि सरकार ने हनुमान, गनपत व नरसाराम व उसके 3 अन्य सहयोगियों अर्थात् सरदारा, पेमा और बेगा को नजरबद कर देने का निर्णय ले लिया है और उनकी सहायता के लिए और लोग दूधवाखारा न पहुँचे इस दृष्टि से नाजिम को यह भी अधिकार दे दिये हैं कि वह अपने इलाके मे से गुजरने वाली किसी भी ट्रेन को रोकने तथा दूधवाखारा स्टेशन पर से गुजरने वाली किसी भी ट्रेन को दूधवाखारा पर न रुकने के आदेश दे सकते है। पुलिस और फौज की यह सयुक्त कार्यवाही 20 मार्च को रात

लोकप्रिय सस्थाएं जिनमे निर्वाचित प्रतिनिधियो का वहुमत होगा, स्थापित की जावेगी जिससे राज्य के शासन मे जनता का निकट तथा प्रभावकारी संवंध रहे। जो सुधारों की वहुसूत्री घोषणा की गई थी उसमे सर्वप्रथम घोषणा इस वात की थी कि गैर कानूनी तरीके से किसी व्यक्ति को उसकी स्वतन्त्रता से वंचित नहीं किया जायेगा और न उसकी संपत्ति या निवास को जव्त या उससे पृथक किया जायेगा। इसे अखवारो में 'राजाओं की तरफ से प्रजा को प्रदान किया हुआ अधिकार पत्र' (विल आफ पीपल्स राइटस) की संज्ञा दी गई।

राजाओं के इस घोषणा-पत्र पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए पं. नेहरू ने हिन्दुस्तान टाइम्स के संवाददाता को अपना एक वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इस घोषणा-पत्र की जाच तो इसके वास्तविक क्रियान्वयन पर ही होगी। हालांकि राजपूताना की रियासतों के लोगों ने इसका स्वागत किया किन्तु उनमें इसके प्रति कोई उत्साह नहीं पाया गया क्योंकि तत्समय सामने आ रही दमन की खवरों से पता चल रहा था कि राजा लोगों की इस कथनी में और करनी में कोई किसी प्रकार का मेल कतई नजर नही आता दीखता है और प्रजा पीड़न ज्यो का त्यों चालू है।

कलकत्ता में परिषद् की हलचल

गत अगस्त में मूलचन्द ने कलकत्ते में रहकर वहां प्रजा परिषद् की शाखा खुलवाने का प्रयास किया था किन्तु तत्समय तो वहां केवल एक उपसमिति का ही निर्माण करा पाए जिसने गृहमंत्री से पत्र-व्यवहार किया और उत्तर न पाकर नेताजी के भाई शरतचन्द्र वोस के सभापतित्व में विरोध प्रस्ताव पास किया। जनवरी में अलवर मे प्रजापरिषद् के हेड ऑफिस खुल जाने पर बीकानेर प्रेमियों और पीड़ितों को गोयल से संपर्क करने का निश्चित स्थान मिल गया जहां क्या शहर और क्या देहात के सभी लोग अपने दुख-दर्दो को वताने पहुँचने लगे और वहीं से भारत भर के सभी पत्रो मे प्रचार की सामग्री भेजी जाने लगी। कलकत्ता के बीकानेरियों की भी मांग आई कि एक वार गोयल कलकत्ता आए तो वहां के उत्सुक वीकानेरियों को सही जानकारी मिले और अव वहा शाखा खुलने का भी वातावरण वना हुआ है। अत· गोयल और कौशिक कलकत्ता जा पहुँचे। कलकत्ता के एक कर्मठ कार्यकर्ता चूरू के श्री सोहनकुमार की दैनिक लिखी जाने वाली डायरी से कलकत्ता प्रवास काल का हाल प्राप्त होता है। उक्त डायरी के अनुसार गोयल और कौशिक **21** फरवरी को कलकत्ता पहुँचे जहां उक्त सोहनकुमार वाठिया जी ने तथा अन्य लोगों ने बीकानेर राज्य की स्थिति के वारे में सही जानकारी प्राप्त की। वे वहां 3 वी-2 कलाकार स्ट्रीट मे ठहरे थे। **23** फरवरी को नं. **16** क्रास स्ट्रीट में रात को रघुवरदयाल गोयल के सभापतित्व में जनरल मीटिंग हुई जिसमें कलकत्ता मे वीकानेर प्रजापरिषद् की शाखा का उद्‌घाटन हुआ। श्री शिवकुमार भुवालका इस कलकत्ता शाखा के सभापति चुने गये और मंत्री श्री सोहनकुमार वांठिया। तारीख **24/2** को गोयलजी ने राष्ट्रपति मौलाना आजाद से मिलकर वीकानेर के दमन का हाल वताया और उसी दिन शाम को हावड़ा से रवाना हो गये। उधर कलकत्ता मे दूसरे ही दिन किसी कारण से

घबराकर सभापति श्री शिवकुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और 7 मार्च को ओमप्रकाश अग्रवाल को सभापति चुन लिया गया जिन्होने अपनी कार्यकारिणी मे श्री सोहनकुमार बांठिया के साथ विश्वनाथ करणानी को भी सयुक्त मत्री बनाया। कलकत्ता की शाखा ने परिषद् के सहयोग के लिए कोष बनाने का निश्चय किया। बीकानेर राज्य मे हुई घटनाओं पर और खास तौर पर दूधवाखारा को मिलीटरी से घेरकर अधाधुध गिरफ्तारियों के द्वारा फैलाए जा रहे आतक पर विचार किया गया और अखबारो मे संवाद भेजना शुरू कर दिया गया। अब बांठिया से रहा न गया और वे 24 अप्रेल, 1946 को अलवर के लिए रवाना हो गए और 28/4 को अलवर पहुँचकर खादी भडार के मकान में होपसर्कस के पास गगादास कौशिक के पास 5 मई तक ठहर कर रियासत के पूरे हालात की गहरी जानकारी हासिल करने के बाद 6 मई को चूरू पहुँचे और 10 तारीख को राजगढ़ के किसानों पर बेरहमी से लाठियां चलाये जाने की तफसील प्राप्त की। अलवर से गोयल ने उक्त बाठियाजी को चूरू जाकर वहा से चूरू के हालचाल और लोगो की मनस्थिति जानने के लिए भेजा था और अलवर में उनकी ओर से मिलने वाली रिपोर्ट का इन्तजार किया जा रहा था।

दूधवाखारा पर फिर घोर संकट के बादल

फरवरी खत्म होते ही, हनुमानसिंह के किसानों से सम्पर्क आदि कार्य-कलापो से सरकार सशंकित हो यह सोचने लगी कि इसका प्रभाव दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है और इसके दौरे राजगढ़ के पूरे इलाके में तेज हो रहे है और झुंझुनूं और उदयपुर अधिवेशनो मे शामिल होकर अ.भा. देशी राज्य लोकपरिषद् से, वहां डेलीगेट के रूप में उपस्थित होकर, सीधा जुड़ गया है इसलिए इसको खुला छोड़ना राज्य के लिए खतरा मोल लेना है। अतः गोपनीय फाइल 1946/15 'हनुमान जाट के खिलाफ कार्यवाही' इस शीर्षक से प्रारम्भ कर दी। इस फाइल में फाइल के खोलते ही वह योजना मिलती है जिसके अनुसार तीन तरफ से एक साथ फौज की तीन टुकड़ियो को हनुमान के गाँव दूधवाखारा को घेरने की और उसकी कमान किस-किस के पास रहेगी इसकी तफसील दी गई है और नक्शा भी शामिल किया गया है। हनुमानसिह के कौन-कौन से संभावित सहायक हो सकते है उनमें बीकानेर के प्रजापरिषद् के सारे कार्यकर्ताओं के नामो के अलावा नोहर के मालचन्द हिसारिया, भादरा के हरिसिह वकील, गगानगर के ज्ञानीराम वकील, रतनगढ़ के मास्टर रूपराम व झांसल के कुंज विहारीलाल पर सख्त नजर रखने की हिदायत जारी कर दी गई। इसके साथ ही मार्च 9 को गुप्त आदेश देकर राजगढ़ के नाजिम को सूचना दी गई कि सरकार ने हनुमान, गनपत व नरसाराम व उसके 3 अन्य सहयोगियो अर्थात् सरदारा, पेमा और वेगा को नजरबद कर देने का निर्णय ले लिया है और उनकी सहायता के लिए और लोग दूधवाखारा न पहुँचे इस दृष्टि से नाजिम को यह भी अधिकार दे दिये है कि वह अपने इलाके में से गुजरने वाली किसी भी ट्रेन को रोकने तथा दूधवाखारा स्टेशन पर से गुजरने वाली किसी भी ट्रेन को दूधवाखारा पर न रुकने के आदेश दे सकते हैं। पुलिस और फौज की यह संयुक्त कार्यवाही 20 मार्च को रात

को शुरू हो गई और 21 तारीख को आई.जी.पी. को तार से सूचना दे दी गई कि सुबह 6 बजे का धावा सफल रहा। हरदेवा और नरपत को गिरफ्तार कर लिया गया, सरदारा को नजरबद कर लिया गया, गुमानसिह, पेमा और बेगा गाँव में नहीं मिले। हरदेवा और नरपत को गुलाम मोहम्मद एव जलालखान पुलिस इन्स्पेक्टरों की देखरेख में एक लारी में बैठाकर अनूपगढ़ की तरफ रवाना कर दिया गया है और बाकी सब ठीक-ठाक है।

पुलिस और फौज को हिदायत कर दी गई थी कि बंदूक का प्रयोग सीमित रूप में ही किया जाय और नाजिम को आदेश दिया गया था कि ज्यों ही पुलिस और फौज गांव में पहुँचकर सबंधितों के मकानो पर धावा बोल दे, त्यों ही तुरन्त वहां धारा 144 लागू कर दी जाय।

फौज और पुलिस के इस धावे के दूसरे ही दिन 22 मार्च को एक लम्बी-चौड़ी विज्ञप्ति निकालकर जनता को व प्रेस को बताया गया कि गत वर्ष 1945 की अगस्त में हनुमान को माफी बख्शी गई थी मगर वह अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। किसानो को लगान व हबूब देने के विरुद्ध खुल्लम-खुल्ला भड़का रहा था और उसने इलाके में गाँव वालों को कानून से स्थापित हकूमत के खिलाफ तैयार करने की विद्रोहपूर्ण कार्यवाही शुरू कर दी। हनुमान की तमाम शिकायतों की जाँच कभी की पूरी हो चुकी है और अंतिम आदेश देने से पहले उसको सुनवाई का मौका देने बुलाया गया तो वह नहीं आया। 10 जनवरी को देहली जाते समय स्वयं नरेश ने उसे एक फरवरी को बीकानेर आने का आदेश दिया था पर वह जानबूझकर उसकी अवहेलना करता रहा और गांव के कृषि संबंधी आंदोलन मे सूई जितनी समस्या को मूसल बनाने में लगा हुवा रहा इसलिए मजबूर होकर उसके खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अधीन कार्यवाही करनी पड़ी। महाराजा के दरवाजे अदना से अदना नागरिक के लिए खुले रहते हैं ऐसी सूरत मे सरकार को विश्वास है कि प्रजा शरारती प्रोपेगण्डा की ओर ध्यान न देकर हनुमान व उसके साथियों के खिलाफ उठाये गये कदम से गलत फहमी में न आवे और राज्य में वर्तमान शांतिपूर्ण वातावरण को भंग नही होने देवें।

अलवर से परिषद् का सदस्यता अभियान

मार्च, 1946 के शुरू मे हिन्दी की एक पुस्तिका कलकत्ते से गंगादास कौशिक द्वारा बीकानेर में डाक द्वारा रावतमल पारीक, रघुवरदयाल जी की पत्नी मनोरमा, गेवरचन्द तंबोली, ईश्वरदयाल वकील व गंगादास के पुत्र को भेजी गई, जिसमें जनता को यह बताया गया था कि प्रजापरिषद् जनता के हितो के लिए ही क्यों संघर्षरत है और क्यों जनता को कुछ कष्ट सहकर भी परिषद् का सहयोग करना चाहिए। पुलिस चौकन्ना हो गई और शहर में कहां-कहां यह पुस्तिका बंटी है उसकी खोज में लग गई। इसके कुछ समय बाद पुलिस ने फिर रिपोर्ट की कि रावतमल पारीक के पास प्रजा परिषद् बनाने संबंधी फार्म आये हैं और जहां तक पुलिस को पता लगा है कि मेड़ता के लक्ष्मीनारायण ब्राह्मण को जो अभी बीकानेर में डागा के मोहल्ले में रहता है परिषद् का

सदस्य बना लिया गया है। और इसके साथ ही डागों के मोहल्ले का रणछोड़ डागा, नये शहर का आशिया जाट व भय्या के कुए का पुनिया स्वामी सदस्य बन चुके है और इस काम में गंगादास जोर-शोर से लगा हुआ है जिसमे चिरजीलाल सोनार, गगादत्त रगा, सोहनलाल मोदी, सत्यनारायण ब्राह्मण व मूलचन्द पारीक सक्रिय रूप से सहायता कर रहे हैं और इस प्रकार बने हुए मेम्बरो के फार्म मास्टर भोलानाथ के नाम से डाक से अलवर भेजे जा रहे है।

व्यापारी वर्ग भी गोयल के समर्थन में आगे आया

इसी समय मंत्री, बीकानेर नागरिक सभा कलकत्ता द्वारा भेजा गया एक पेंफलेट बीकानेर मे वितरित हुआ जिसमे बड़े-बड़े अक्षरों मे 'बीकानेर प्रजा की उत्तरदायी शासन की मांग' शीर्षक से यह माग की गई थी कि प्रवासी बीकानेरियो की कमाई पर इन्कमटैक्स लगाना किसी भी तरह से उचित नही है। 3 मार्च, 1946 को कलकत्ता में बीकानेर निवासियों की यह रिपोर्ट कि यह विराट सभा मांग करती है कि प्रजा को बिना किसी प्रकार के राजनैतिक अधिकार प्रदान किये वर्तमान अनुत्तरदायी सरकार के द्वारा इस प्रकार के जटिल और व्यापक टैक्स को लगाना यह सभा अनुचित समझती है और इससे त्रस्त और सशंकित है तथा इस बिल को घोर विरोध की दृष्टि से देखती हुई श्री बीकानेर महाराजा साहब से प्रार्थना करती है कि जब तक राज्य मे आपकी छत्र-छाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना न हो जावे, किसी भी प्रकार का नया टैक्स वर्तमान सरकार द्वारा न लगाने दे तथा इस इन्कमटैक्स बिल को रद्द कर प्रजा हितैषी होने का परिचय देवें। अन्त मे यह मांग की गई कि बीकानेर प्रजा परिषद् के प्रधान श्री रघुवरदयाल गोयल पर से राज्य में प्रवेश न करने की पाबंदी हटाकर नरेन्द्र मंडल में दिये गये अपने भाषण को महाराजा साहब क्रियात्मक रूप देकर प्रजा के धन्यवाद के पात्र बनें।

कुम्भाराम की बरखास्तगी

ता 21-3-46 को चौ. कुम्भाराम ने श्री गोयल को दूधवाखारा की गिरफ्तारियो की सूचना देते हुवे यह आशंका प्रकट की कि गिरफ्तार लोगों को अभी तक बीकानेर नही पहुँचाया गया है और पता नही चला है कि उन्हें किस अज्ञात स्थान को ले जाया गया है। गोयल को गंगादास के पत्र से मालूम हुआ कि चौ. कुम्भाराम को थानेदारी से मुअत्तिल कर दिया गया है। वे बीकानेर आ गये हैं और उन्होंने कहा है कि मै अब स्वतन्त्र हो गया हूँ और मैने एक-दो साथी और तैयार कर लिये हैं। कौशिकजी ने यह भी सूचित किया कि अपने राष्ट्रीय आंदोलन में बाधा डालने की दृष्टि से होली के दिन किसी ने रतनगढ़ मे 'तणी' तोड़ दी जिससे हिन्दुओं में उत्तेजना फैल गई और हिन्दुओं ने गेवर नही निकाली। बाद में पता चला कि कुछ पुलिसवालो ने ही यह शरारत की थी इसलिए बाजारवालो ने संगठन करके हड़ताल का ऐलान कर दिया। नाजिम दनेसिह ने बाजार मे आकर बाजार खोलने के लिए व्यापारियों को समझाया और आश्वासन दिया कि आप लोग चाहो तो मैं पुलिसवालों से माफी मंगवा दूं। इस पर दूसरे दिन हड़ताल तोड़ दी गई।

महाराजा द्वारा राजतंत्र की प्रशंसा

जब एक तरफ दमन की कार्यवाहियां चल रही थी तो दूसरी तरफ महाराजा राजधानी मे पौत्र-जन्म की खुशी में भाषण देते हुए यह कह गये कि शासन की लोकतांत्रिक प्रणालियां तो अभी तक कसौटी पर कसी जानी बाकी हैं पर राजतंत्र प्रणाली सदियो से श्रेष्ठ साबित हो चुकी है और मैं यह अभिमान पूर्ण कृतज्ञता के साथ प्रकट कर सकता हूँ कि लगभग पाँच शताब्दियों से, जबसे मेरे खानदान का बीकानेर पर राज्य रहा है, यह उपरोक्त सिद्धांत और भी दृढ़ हुआ है और मेरी प्रजा के दिलों में बैठ गया है। इसी भाषण में नरेन्द्र मडल की अपनी नागरिक अधिकारों की घोषणा का जिक्र करते हुवे महाराजा ने कहा कि उसमें उल्लेख की हुई शर्तें मेरे राज्य में पहले से ही कायम हैं और पूरी हो चुकी है लेकिन दूसरी ही सांस मे धमकी देते हुवे कहा कि नागरिक अधिकारों के नाम पर अगर कोई शांतिभंग करने या सरकार के काम में बाधा डालने की कोशिश करेगा तो मेरी सरकार उसे विफल करने के लिए मजबूती से कदम उठाने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगी। अंत में ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्य लोक परिषद् के नेताओं से महाराजा ने अपील की कि वे राजा तथा उसकी समस्याओं को सुलझाने में सहयोग दें और पुरानी बातों को भूल जावें।

चूरू में भी दमन में तेजी

चूरू में श्री श्यामसुन्दर बगरिया द्वारा दिये हुए एक पत्र से पता चला कि तत्समय चूरू में दमन-कार्य बहुत जोरो से हो रहा था। लुहारू स्टेशन से लेकर रतनगढ़ तक मिलीटरी तैनात कर दी गई थी जिसका उद्देश्य प्रजा को आतंकित करना था। उन्होंने पत्र में आगे बताया कि जो मिलीटरी आई हुई है उसके फौजी प्रायः शराब में मस्त रहते है और जनता को हर प्रकार से तंग करने मे अग्रसर है। हनुमानसिह वगैरा का पता नहीं चला है कि उन्हें कहाँ रखा गया है। चूरू में 26 तारीख को करीब 200 व्यक्तियों का एक जुलूस निकला किन्तु असंगठित सा लग रहा था। यहां चूरू मे पुलिस वाले मनमानी करने पर उतरे हुए है। सिनेमाहाल में बिना टिकट लिये घुस जाते हैं, मना करने पर बिना वारंट गिरफ्तारी की धमकी देते हैं।

दमन के विरोध में अहिंसात्मक आंदोलन की तैयारी

दूधवाखारा के दमन से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए राज्य प्रजा परिषद् की कार्यकारिणी की मीटिंग रियासत से बाहर कही रखने का विचार हुआ क्योंकि रियासत मे अध्यक्ष रघुवरदयालजी प्रवेश नही कर सकते थे। इसके लिए ऐलनाबाद का स्थान नियत किया गया। यह ऐलनाबाद शहर नौहर से सिरसा पहुँच कर, जो रियासत के बाहर पंजाब मे पड़ता है, मोटर से कुछ मील पर है जो बीकानेर की सीमा से चिपता हुआ है। 27 मार्च को वर्किंग कमेटी की मीटिग में निर्णय लिया गया कि चूँकि सरकार की यह दमनपूर्ण कार्यवाही बीकानेर राज्य के किसानो के अधिकारों को सदा के लिए कुचल कर उन्हें आतंकित करने के लिए की गई है, इसलिए इसका डटकर विरोध करने

के लिए जवाब अहिंसात्मक असहयोग आदोलन के द्वारा दिया जाय, ऐसा निश्चय हुआ। इस सघर्ष को चलाने के लिए परिषद् ने एक छोटी सचालक कमेटी, तीन सदस्यो की मुकर्रर कर दी जिनके नाम (1) श्री रामचन्द्र वकील, गंगानगर (2) चौ. कुम्भाराम (3) मालचन्द हिसारिया (नौहर) थे। पर यदि सघर्ष के पश्चात् सुलह का मौका आये तो उसके लिए एक सुलह-समझौता समिति बना दी गई जिसमे श्री गोयल, चौ कुम्भाराम, रामचन्द्र जैन, चौ. ख्यालीसिह व चौ हनुमानसिह को रखा गया और इनमे से किसी अकेले व्यक्ति को समझौता करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। इस कार्यकारिणी की मीटिंग मे स्वामी कर्मानंदजी और परिषद् के महामत्री गंगादास कौशिक भी शामिल थे।

अवसरवादी चौ. ख्यालीसिंह

चौ. ख्यालीसिंह वकील थे, प्रजापरिषद् के संस्थापक सदस्य थे, पर कई बार पासा पलटने के आदी थे। सन् 45 मे महाराजा से मिलकर परिषद् के मुकावले मे एक जाट-सभा का भी निर्माण किया था पर वह चल नही पाई इसलिए अ भा. देशी राज्य लोक परिषद् के उदयपुर अधिवेशन मे फिर आ मिले थे और गोपनीय फाइल 1945/14 में पृष्ठ 57 मे मार्च के महीने मे सी.आई.डी ने गृहमंत्रालय को रिपोर्ट दी कि ख्यालीसिह फिर परिषद् मे शामिल होकर गंगानगर डिवीजन प्रजा परिषद् का अध्यक्ष बन गया है और उसने गंगानगर जिले मे परिषद् की शाखाओं को बढ़ाने का अभियान चालू कर दिया है, मगर फिलहाल वो किसी आंदोलन के चलाने के पक्ष में नही है। पर ज्योंही उसे मालूम हुआ कि ऐलनाबाद में राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग हो रही है त्योंही वह उसमे शामिल हो गया और कार्यकारिणी द्वारा सघर्ष-समिति के ऐलान के बाद जब समझौता समिति का निर्माण हुआ तो उसमें अपने आपको एक सदस्य नाम दर्ज कराने मे सफल हो गया।

दूधवाखारा फिर सुर्खियों में

20/3 की पुलिस फौज की घेराबंदी के बारे मे नाटकीय तलाशी व गिरफ्तारी *की बाबत हिन्दुस्तान दैनिक मे 27 मार्च, 1946 को बड़ी सुरखी के साथ खबर छपी* जिसमे गिरफ्तारी के बाद के हालात पर प्रकाश डालते हुए पत्र मे लिखा गया कि गिरफ्तारी के बाद अब तक सशस्त्र पुलिस और फौज ने दूधवाखारा गांव के चारो ओर घेरा डाल रखा है और न तो किसी को गॉव के बाहर जाने दिया जा रहा है और न बाहर वाले किसी व्यक्ति को किसी भी तरफ से गाँव में प्रवेश करने दिया जा रहा है। कानपुर के दैनिक प्रताप के सवाददाता को जो वहां के हालात जानने को, कानपुर परिषद् के अध्यक्ष श्री हीरालाल शर्मा की प्रेरणा से दूधवाखारा पहुँचा था, बैरग लौटा दिया गया। इसी अखबार में बीकानेर रियासत की लूणकरणसर तहसील से खबर भेजते हुए लिखा है कि वहा पिछले छ॰ महीनो से कपड़े का बड़ा संकट है। स्त्रियो को अपनी लज्जा निवारणार्थ तन ढकने को कपड़ा नही मिल रहा है।

जब रियासत मे दूधवाखारा की खबरें फैलने लगी तो किसानों मे बेचैनी और बढ़ गई, खास तौर से यह खबर सुनकर कि हनुमानसिंह गिरफ्तारी के दिन से ही भूखहड़ताल पर चले आ रहे है।

दमन के बढ़ते कदम

अब प्रशासन को यह लगा कि यह आग ज्यादा न फैल जाये इसलिए उन्होंने ऐहतिहायातन 30 मार्च को कालरी में स्थापित स्कूल व स्वामी कर्मानंद के आश्रम को भी घेर लिया और स्वामीजी को गिरफ्तार करके किसी अज्ञात स्थान को ले गये। बाद मे मालूम हुआ कि उन्हें तारानगर में किले में नजरबंद कर रखा है। तारानगर में लोग पहुँचने लगे तो उन्हे वहां तारानगर से हटा दिया। और कई स्थानों में घुमाते रहे।

महाराजा साहब ने केबिनेट मिसन से मुलाकात करने दिल्ली जाते हुवे रास्ते में राजगढ़ के स्टेशन पर कुछ देर ठहरने का प्रोग्राम बनाया था। वहां राजगढ़ स्टेशन पर किसानों की अपार भीड़ जमा हो गई। दुर्भाग्य से उसी दिन सरकारी काम के लिए नौरंगराम नाम का एक पटवारी राजगढ़ में अपनी ड्यूटी पर आया हुआ था पर जाति से जाट होने के कारण संदेह किया गया कि उसी ने जाटों को भड़काकर वहां इकट्ठा होने की प्रेरणा दी है और बस इसी कारण से उसे तत्काल नौकरी से बरखास्त कर दिया गया।

दमन से अब आतंक के बजाय रोष की लहर

चौ. हनुमानसिंह और चौधरी नरसाराम के बाद स्वामी कर्मानंद की गिरफ्तारी तो केवल मात्र आतंक पैदा करने के लिए ही की गई थी पर अब की बार किसान आतंकित नहीं हुवे, अपितु उनमें रोष की भावना जागृत हो गई। यह रोष उदयपुर अधिवेशन में पंडित नेहरू के उस संदेश का फल था जिसमें उन्होंने देशी राज्यों की जनता को हिम्मत और हौसले के साथ त्याग और बलिदानपूर्वक अपने अधिकारो के लिए और जुल्मों के खिलाफ उठ खड़े होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया था। नेहरूजी के इस आह्वान में एक बात स्पष्ट रूप से बताई गई थी कि जो स्वयं खड़ा न होवे उसकी कोई सहायता कैसे कर सकता है?

जब किसान-वर्ग अंगड़ाई लेकर खड़ा हो गया

31 मार्च को जब नौरंग पटवारी के साथ ज्यादती की गई और उसकी पब्लिसिटी हुई कि अब जाटो के साथ केवल जाट होने के कारण अन्याय हो रहा है और जाट होना मात्र भी कोई गुनाह है, ऐसा महसूस किया गया। इसके फलस्वरूप रियासत भर में चूरू जिले का सारा किसानवर्ग अंगड़ाई लेकर खड़ा हो गया।

गांव-गांव मे भय को त्याग कर किसानों ने विरोध सभाए करनी शुरू कर दी। 7 अप्रेल, 1946 को गाँव ललाणा, तहसील नौहर मे किसानों की सभा हुई और दमन का विरोध किया गया। एक बड़े पेड़ पर राष्ट्रीय झंडा लहराया गया जो तीन दिन तक लहराता रहा और चौथे दिन 11 अप्रेल को भादरा के पुलिस इन्स्पेक्टर ने स्वयं जाकर

पेड़ पर चढ़कर उस झडे को उतार लिया। 9 अप्रेल को गॉव चादगोठी में जुलूस निकाला गया। 12 अप्रेल को गाव हमीरवास मे राष्ट्रीय झडे हाथ मे लिए हुए एक जुलूस निकाला गया जिसमें 600 नर-नारी शामिल हुवे। उस गाव मे पुलिस थाना भी था और थानेदार ने डराने-धमकाने और जुलूस रोकने के लिए दो सिपाहियों को राइफल देकर भेजा किन्तु निडर किसानों का वह जुलूस नही रुका। तारानगर के नागरिको ने सरकारी दमन और तारानगर किले मे नजरबद स्वामी कर्मानंदजी की गिरफ्तारी के विरोध में तिरंगे झंडे लेकर जुलूस निकाला। इधर प्रशासन की आज्ञा से दूधवाखारा को एक पुलिस पार्टी चली जिसके द्वारा राजपुरे गांव में पहुँच कर जुलूस को रोकने की कोशिश की गई पर जुलूस निकल कर रहा। जुलूस के वाद सभा हुई और सभा के समापन के वाद फिर थानेदार ने वहां आकर किसानों को डराया-धमकाया और कहा कि आज जो हुआ सो हुआ पर आइन्दा ऐसा न करने का वचन दो तो गांव के चौधरियों ने ऐसा कोई वचन देने से इंकार कर दिया।

ये नृशंस अत्याचार

थोड़ी देर बाद गांव के मुखिया चौधरी गोवरधनराम को पकड़ कर उसे रस्सी से हाथ बॉध कर दूधवाखारा तक ऊँटो के साथ गर्मी मे दौड़ाया गया। दूधवाखारा वाले कुंड तक उक्त चौधरी गर्मी से और सांस फूलने के कारण वेहोश होकर गिर पड़ा तो पुलिस वाले उन्हें वही वेहोश छोड़ कर चलते वने।

गांव कालरी में चौधरी लालचन्द, खेमचंद, चुनीलाल, लेखराम, प्रमुखराम इत्यादि लोगों ने विरोध जुलूस निकाला। इन सब को गुलाममोहम्मद सब इन्स्पेक्टर पुलिस की गश्त पार्टी ने गिरफ्तार कर लिया पर शाम को झंडे छीन कर छोड़ दिया। गांव नोसल में भी झंडों के साथ जुलूस निकाला गया। राजगढ़ के एस.पी. वहादुरसिंह ने, जो जागीरदार सूरजमलसिंह का निकट का रिश्तेदार था, 19 अप्रेल को 20-25 पुलिस जवानों तथा तहसीलदार को साथ लेकर ग्राम हमीरवास के मुखिया चौधरी जीवाराम, शोचन्दराम और जगराम नम्बरदारों को बलपूर्वक पकड़ कर लोरी में डालकर ले गये। यह सब कांड हमीरवास थाने के हैड कांस्टेवल वालूसिंह का रचा हुआ था जो एस.पी. वहादुरसिंह का भाई था और राजपुरे का जागीरदार था।

25 अप्रेल को स्वामी कर्मानन्दजी की गिरफ्तारी व सरकारी दमन के विरोध मे तहसील नौहर के लोग गांव ललाणा में पहुँचे जहां चौधरी कुम्भाराम के सभापतित्व मे एक विराट सभा हुई जिसमें आस-पास के चालीस-पैंतालीस गाँवो के किसान ढोल वजाकर आते हुवे शामिल हुवे, जिनमें महिलाएं काफी संख्या में शामिल थीं। इस सभा में चौ. हंसराज नाम के नये नेता का उदय हुआ। यह हंसराज पटवारी थे, अच्छे वक्ता थे और कुम्भाराम की तरह नौकरी को लात मारकर प्रजापरिषद् में शामिल हो चुके थे।

इन वक्ताओं ने लोगो को उठ खड़े होने के लिए आह्वान किया और कहा कि हमे यह वता देना चाहिए कि वीकानेर राज्य प्रजापरिषद् किसानों और नागरिकों की

अर्थात् रियासत की समस्त जनता की, एक मात्र प्रतिनिधि संस्था है। सभा में एक प्रस्ताव द्वारा माग की गई कि सरकार ने हमारे नेता स्वामी कर्मानंद को बिना किसी कारण बताये अनिश्चितकाल के लिए नजरबंद कर दिया है, जिन्हे फौरन रिहा किया जाये और जिन-जिन के विरुद्ध राज्य से निर्वासन की आज्ञाएं जारी की गई हैं उन सब को रद्द कर के निर्वासितों को राज्य में आने व रहने का अधिकार बहाल किया जावे तथा प्रजापरिषद् को खुल्लम-खुल्ला काम करने दिया जाकर उसके कार्य में बाधाएं डालना बंद किया जावे।

जागीरी जुल्मों में बढ़ोत्तरी

राज्य भर मे अत्याचारों का विरोध करने के लिए किसान कमर बाधकर खड़ा हो चुका था किन्तु फिर भी जागीरदारो के जुल्मो मे कोई कमी नही आई। चारों तरफ से जागीरी जुल्मों की नई-नई खबरें आने लगी। चूरू जिले में चूरू, राजगढ़, तारानगर तो प्रभावित थे ही किन्तु अब गंगानगर जिले के गैर नहरीइलाके नोहर और भादरा से भी *नये-नये जागीरी अत्याचारो की खबरें तेजी से आने लगी। तहसील नोहर में थिराना की* जागीर से खबर मिली कि 30 साल की उम्र की पन्ना दरोगा की विधवा को, जिसके दो छोटे-छोटे बच्चे, 1 व 4 साल की उम्र के थे, ठाकर ने स्वयं अपने हाथो से इतना पीटा कि वह बचाने के लिए चिल्ला उठी। एक अबला का रुदन सुनकर काफी लोग इकट्ठे हो गये पर ठाकुर साहब के भय से किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी। अंत मे नौकरों द्वारा उस अबला को ऊँट पर बैठा कर अज्ञात स्थान को भेज दिया गया। पिटाई का कारण ठाकर साहब की 'इच्छा' पूर्ति के लिए उस अबला की गढ़ में जाने की इनकारी था।

जागीरी जुल्मों की पीठ पर राठौड़ी वरदहस्त

जागीरी जुल्मों के पीठ पर राठौड़ी शासन का वरदहस्त पूरी तरह काम कर रहा था। अप्रेल के अंत में कैबिनेट की मीटिंग मे तय किये अनुसार रेवेन्यू मिनिस्टर प्रेमसिह मय दोनों रेवेन्यू कमिश्नरों के व ठाकर प्रतापसिंह गृहमंत्री, राजगढ़ के एस.पी. ठाकर भादरसिह व अनेक इन्स्पेक्टरो और सब इन्स्पेक्टरों के साथ करीब चार सौ की फौज के और पुलिस के जवानो को मय राइफलों और मशीनगनों के राज्य भर का दौरा करने का आदेश हुआ। यह काफिला 26-4-46 को बीकानेर से रवाना होकर रतनगढ़ जंक्शन तक हर एक स्टेशन पर गाढ़वाला से दो चार जवान तैनात करते हुए ठेठ सुजानगढ़ तक पहुँचा और वहां पर फौज व पुलिस की एक टुकड़ी छोड़ कर आंदोलन को दबाने का सख्त हुकम जारी कर दिया और यहां तक कह दिया कि जहा कहीं पांच दस जाट इकट्ठे मिलें फौरन उनको लाठी से तितर-बितर कर दिया जावे। इसी तरह से छोटे स्टेशनों पर कम और बड़े स्टेशनो पर ज्यादा व्यक्तियो की फौज पुलिस की टुकड़ी—जैसे रतनगढ़, करणपुर, चूरू, राजगढ़, भादरा, नोहर, श्रीगंगानगर, पदमपुर और रायसिहनगर इत्यादि मे तैनात कर दी गई ताकि किसानो की जागृति को बेरहमी के साथ कुचल दिया जावे। ठीक इसी तरह से फौज-पुलिस की टुकड़ियां मौजा हमीरखास तहसील राजगढ़ मे भेजी गई। वहा पर थानेदार महताब अली ने चौधरी लालचन्द, चौ. नौरंगसिह और आर्य समाज

उपदेशक पंडित पतरामजी को थाने मे बुला लिया। चौ. लालचन्द को इतने जोर से मारा गया कि उसके कपड़े खून से लथपथ हो गये और वे बेहोश हो गये। आधी रात बाद जब उन्हे होश आया तो उनको ऊँट पर चढ़ाकर रातोरात राजगढ़ लाया गया। ऊँट पर चढ़ने से फिर बेहोश हो गये। ठाकर साहब बहादुरसिहजी एस.पी ने राजगढ़ मे चौ. लालचन्द को अफीम का नशा कराकर रेवेन्यू मिनिस्टर प्रेमसिह के सामने पेश किया। मिनिस्टर साहब द्वारा उनके शरीर पर लाठियों के 16 निशान देखे गए और सिर की चोट का खून तो तब तक भी बहना बंद नहीं हुआ था। ऐसे दृश्य के बाद भी मिनिस्टर साहब ने केवल इतना ही कहा कि 'थानेदार ने गलती की है, आगे ऐसा नहीं करेगा।' चौधरी लालचन्द को साथियो ने उठाकर सरकारी कोठी से अस्पताल के सामने डाल दिया। अब देखना यह था कि अस्पताल में उसका इलाज किया जाता है या नही। इन सबकी पिटाई का कारण उनके द्वारा आर्य समाज का प्रचार किया जाना बताया गया।

उधर चौ. हनुमानसिंह व नरसाराम को अज्ञात स्थान पर लेजाकर उनकी थाप कर पिटाई की जाती रही ताकि वे माफीनामा लिख दे। स्वामी कर्मानंद को तारानगर से बीकानेर और बीकानेर से गजनेर व कोलायत के बीच के जंगल में एक मकान मे बंद कर दिया गया जहां उन्होंने 24/4/46 से भूख हड़ताल कर दी। कालरी के मास्टर दीपचन्द की स्वामीजी से मिलने देने की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। आर्य समाजी उपदेशक पंडित पतरामजी को पुलिस की निगरानी मे राज से बाहर ले जाकर हिसार मे छोड़ दिया गया। आर्य-समाजी तबके मे बड़ी बैचेनी पाई जाने लगी। हमीरवास के आस-पास के गाँवो के लोगों को पुलिस तरह-तरह से तंग करती रही। अफ़सरान गांवों में दौरा कर के लोगो को खूब धमकाते रहे।

आग उगलने वाले किसानों के मसीहा कुम्भारामजी की गिरफ्तारी

अप्रेल के महीने में इतना आतंक जमाने के बावजूद सरकार किसानों के उत्साह को ठंडा नहीं कर सकी। चौ. कुम्भाराम के तूफानी दौरों से घबरा कर सरकार ने एक मई 1946 को चौ. कुम्भाराम को संगरिया मंडी में गिरफ्तार करके बीकानेर की केन्द्रीय जेल में डाल दिया। चौधरी जी अ.भा. देशी राज्य लोक परिषद् की कार्यकारिणी के सदस्य थे।

स्वामी कर्मानंद को तो 30 मार्च को बिना कारण बताये गिरफ्तार किया गया था, तारानगर से उन्हें राजधानी मे लाया गया जहां प्रधानमंत्री पणिकर ने उनसे कई बार बातचीत की और उन्हें अनेक प्रकार से भय और प्रलोभन बताकर केवल प्रजापरिषद् से अपना संबंध तोड़ लेने का आग्रह किया पर स्वामीजी ने मुँह तोड़ उत्तर देते हुए कहा कि प्रजापरिषद् बीकानेरी जनता की एक मात्र प्रतिनिधि संस्था है, जो मेरी अपनी संस्था है और जिसे मैं किसी भी भय या प्रलोभन से छोड़ नहीं सकता। वार्ता भंग हो गई तो स्वामीजी पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार शुरू हो गये। जब जनता को स्वामीजी के अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल का पता चला तो राज्य भर में और गाँव-गाँव में विरोध के प्रदर्शन मे जुलूस और सभाएं फिर एक बार तेजी से शुरू हो गई। सरकारी दमन से जन उत्तेजना और अधिक तेज हो गई। अनेक नये-नये किसान नवयुवक दोनो

में प्रचार करने निकल पड़े। इनमे चौ. अमीचन्द और नवरंग के नाम उल्लेखनीय है। अमीचन्द ने तो अपनी हैडकास्टेवली की नौकरी को लात मारकर जनसेवा का क्षेत्र पकड़ लिया था। इनके गाव-गाव मे जाकर प्रचार करने से ग्रामीणों में जोश का संचार हुआ।

अलवर में तंग हाथ गोयल की दिनचर्या

अप्रैल का सारा महिना दमन की खबरों में बीता। गाँवों की सारी खबरें अलवर पहुँच रही थी। मई के महिने में गर्मी की छुट्टियां हो जाने पर गोयल की पुत्री चन्द्रकला सीधे अलवर पहुँच गई। चन्द्रकला ने अपने संस्मरणों मे लिखा है कि अलवर में गोयल के पास केवल एक बड़ा कमरा था। वहीं आफिस था और वहीं निवास था। बाहर एक छोटी सी छत थी जहां रसोई-पानी की व्यवस्था की जाती थी। अलवर में रात्रि गर्म होती थी और बिजली अक्सर गुल रहती थी। चारों तरफ पर्वतीय इलाका जो था, आँवे की तरह जलता था। उस समय वहां बाबूजी, कौशिकजी, दामोदर सिंघल भाई साहब व उनके मित्र चम्पालाल रांका डेरा जमाये हुए थे। कौशिकजी आदि नीचे से सारा पानी ऊपर लाते थे। सुबह आठ बजे से देर रात तक बराबर काम होता रहता था। काफी लोग मत्रणा के लिए नोहर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, राजगढ़ आदि से आते रहते थे और मीटिगें चलती रहती थी, पर हम लोगों का तो सारा समय रोटी, पानी, चाय आदि में ही बीत जाता था। नौहर से मालचन्दजी हिसारिया, गंगानगर से रामचन्द्र जैन वकील व चौधरी रामचन्द्र व और भी कई सारे लोग आते-जाते रहते थे। उस समय बाबूजी का हाथ बहुत तंग था। दोनों समय केवल रोटी पर ही गुजारना पड़ता था। हम लोग बीच-बीच मे बीमार पड़ते रहते थे। एक बार मुझे भी बुखार आ गया तब मेरे लिए मजबूरन दूध आया। अम्मा ने दूध फीका ही पीने को कहा। मैने मनाकर दिया। बाबूजी तक बात गई। उन्होने झुंझला कर कहा 'अब तूँ भीख भी मंगवायेगी क्या मुझ से'। मैने चुपचाप उठकर दूध गटक लिया और खूब रोई और आइन्दा मीठा नहीं खाने का सोच लिया। तभी से मैंने संयम सीखा। सब से बुरा समय अलवर में बीता।

गाँवों के तूफान से राजधानी भी प्रभावित

गाँवों से उठी उत्साह और विरोध की इस लहर ने अब बीकानेर नगर को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया। चौ. कुम्भाराम की गिरफ्तारी व स्वामी कर्मानद की लम्बी भूख हड़ताल के विरोध में बीकानेर शहर में एक बहुत बड़ा जुलूस 9 मई, 1946 को निकाला गया। उत्साही भीड़ जब राष्ट्रीय नारे लगाती हुई, हाथों में तिरंगा लिए हुवे कोटगेट पर पहुँची तो हथियारों से लैस पुलिस ने उसे घेर लिया। बिना किसी पूर्व सूचना के पुलिस ने प्रमुख कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके तिरगे झंडे छीन लिये। लाठियों की मार से कईयों को चोटे आई जिन में अध्यक्ष मघाराम वैद्य की बहिन बुरी तरह से घायल हुई।

राजगढ़ का वह नृशंस लाठी-कांड

इसके ठीक दूसरे दिन 10 मई को राजगढ़ निजामत के बाजारों मे एक भव्य जुलूस निकाला गया। दमन के विरोध में यह ग्रामीणो की तरफ से सहज अभिव्यक्ति

थी। जुलूस बिल्कुल शांत था और हाथ मे तिरंगे झडे लिए ग्रामीण राष्ट्रीय नारे लगा रहे थे। जुलूस के बाजार मे पहुॅचने पर दूधवाखारा के जागीरदार ठाकुर सूरजामलसिह के निकट के रिश्तेदार ठाकुर बहादुरसिह बेनीरोत ने अपने साथ नवनियुक्त एस.पी गुलाम मोहम्मद शाह व अन्य कई सब इंस्पेक्टरो को लिए बाजार मे पहुॅच कर बिना किसी पूर्व सूचना के जुलूसियों की भीड़ पर दनादन लाठियां बरसानी शुरू कर दी। करीब 25 किसानों को सख्त चोटें आईं और बाजार में खून बह निकला। कइयो की हड्डियां-पसलियां टूट गई और एक की आँख पर चोट आई। इन मे से तीन की हालत तो बहुत ही खतरनाक नजर आई। इसके बावजूद जुलूस में से कोई नही भागा और लोगो के हौसले बुलंद थे।

छोटे विद्यार्थी-बच्चों का कमाल

विशेष दृश्य तो उन छोटे विद्यार्थियों का देखने लायक था जिन्होंने लाठियों की वर्षा की कोई परवाह नही करते हुए जमीन पर गिर जाने पर भी राष्ट्रीय नारे लगाना नही छोड़ा और अपने हाथों में राष्ट्रीय तिरंगे झंडो को हाथ से नही छीनने दिया। ये बच्चे दयानन्द विद्यालय कालरी के विद्यार्थी थे जिस गाव के नेता व निवासी स्वामी कर्मानंद थे। लाठी की मार के बाद 15-20 लोगों की गिरफ्तारियां की गई जिनमें दो प्रमुख लोग थे, जिनके नाम चौ. छेलूराम व मौजीराम थे। गिरफ्तार व्यक्तियो को थाने में लाकर अलग-अलग कोटड़ियों में बंद कर दिया गया और वहा भी कइयों की बेरहमी से पिटाई की गई।

....और फिर हमीरवास

पुलिस-जुल्म दिन-प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। 15 मई को गाँव हमीरवास में एस पी. ठाकुर बहादुरसिंह के नेतृत्व में पुलिस ने फिर एक बार जिस बर्बरता का नग्न नृत्य किया वह अवर्णनीय है। अनेक किसान बुरी तरह घायल हुवे और दो की हालत अति गंभीर हो गई। यही वह खोफनाक जुल्म था जिसके कारण देश मे जोरदार विरोध हुआ और पंडित नेहरू द्वारा स्वतन्त्र जाँच करवाई गई और आगे चलकर बीकानेर सरकार को इस एस.पी. बहादुरसिंह को मुअत्तिल करने का आदेश देने को मजबूर होना पड़ा।

फेफाना में उत्तरदायी शासन की मांग

ऐसे में चौ. कुम्भाराम का गांव फेफाना कैसे पीछे रहता? गांव में एक भव्य जुलूस निकला जिसमें लोगों ने और खास तौर से महिलाओं ने झडे हाथों में लेकर राष्ट्रीय नारे लगाये। अबकी बार फेफाना में जो भाषण हुवे उनमे पहली बार ग्रामीण जगत द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग की गई। इससे मालूम पड़ता है कि इस समय तक गाँवों में राजनैतिक चेतना बराबर बढ़ती चली जा रही थी।

इससे पहले ग्रामीण लोग महात्मा गांधी की जय के नारों के अलावा जागीरी जुल्मों की समाप्ती की मांग किया करते थे। किन्तु फेफाना की इस मीटिंग मे पहली बार उत्तरदायी शासन की मांग की गई।

गाँवों में किसानों का आवागमन भी वंद

बीकानेर सरकार ने किसानों के दमन के लिए घुड़सवार पुलिसवालों की कई टुकड़ियां इस इलाके मे विशेष रूप से तैनात कर दी थी जो रात-दिन गश्त लगाती रहती थी और कही कोई किसान अकेला या झुंड में मिल जाता तो उसे डराती धमकाती और ठोक-पीटकर इस चेतावनी के साथ छोड़ देती कि आइन्दा वे लोग इधर-उधर डोलना वंद कर दें। मकसद यही था कि आतंक के द्वारा किसानों का आवागमन ही वंद कर दिया जाय ताकि फिर इन ग्रामीण इलाकों मे किसी के लिए इकट्ठा होने की गुजाइंश व सभावना ही न रहे।

10 मई के वाद इस सारे इलाके में किसानों की पिटाई चलती रही। फिर भी किसानो का हौसला इतना वुलंद रहा कि हमीरवास, चाँदगोठी, नावाँ आदि गाँवों में कई वार विरोध जुलूस वार-वार निकाले जाते रहे। दूसरी तरफ थानेदारों ने विभिन्न गाँवो में रोज आठ-आठ, दस-दस किसानों को थाने में वंद करके उनकी पिटाई के वाद दूसरे दिन छोड़ देने का क्रम वना लिया।

पीड़ितों का तीर्थ अलवर

लाठीचार्ज और थानों मे दो-दो, तीन-तीन दिन तक किसानों को रोड़कर जो वेरहमी से पिटाई की जाती थी उससे घायल लोग पुलिस के चंगुल से छूटकर जव सरकार की ग्रामीण या कस्वाई सरकारी डिस्पेन्सरी में राहत पाने के लिए दौड़कर जाते थे तो वहा उनका इलाज करने से मना कर दिया जाता था, यहां तक कि राजगढ़ या चूरू मुख्यालयों पर भी इलाज पाना तो दूर रहा उनकी चोटों का व पीड़ा का, निदान तक करने से डाक्टर लोग घवराते थे और जव कोई समझदार मरीज उनको अपने पेशे के नैतिक कर्त्तव्यों की ओर ध्यान दिलाता था तो कभी-कभी शर्मिंदा होकर धीरे से कह भी देते थे कि भई तुम लोग तो कोई मिशन लेकर भिड़ पड़े हो, पर हमें तो अपना पेट पालना है, सो सरकारी आज्ञाओं का पालन करना ही पड़ेगा, आप लोग रियासत से वाहर जाकर ही अपना इलाज करा सकते हो, हमारी मजवूरी को समझ लो। ऐसी अवस्था में इलाके भर के पीड़ितों के लिए अलवर का प्रजापरिषद् का केन्द्रीय कार्यालय ही एकमात्र आशा का केन्द्र वचा रहा और वहां पहुँचने पर उनको न केवल सहानुभूति ही मिलती थी अपितु सेवा, दवा और इलाज सभी की व्यवस्था पाकर राहत भी मिलती थी। इन पीड़ितो के लिए अलवर एक तीर्थ-स्थान सा वन गया था।

झुंड के झुंड लुटे-पिटे रोगी विना किसी खर्च के एक्सरे वगैरा की सुविधा के साथ पूरा इलाज वहां करा पाते थे और गोयल एक्सरे की फोटुओं के साथ उनकी सारी जानकारी सीधे पडित नेहरू को भेज देते थे और उसी समय हिन्दी और अंग्रेजी अखवारों को अधिकृत खवरें भी मिल पाती थी। चुनॉचे अलवर से जो पूरी जानकारी मिली उस के आधार पर 16 मई को प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखवार हिन्दुस्तान टाइम्स में वड़ी-वड़ी सुर्खियों के साथ सारे जुल्मो का अच्छा खासा भंडाफोड़ प्रकाशित हुआ। इसके ठीक चार

दिन वाद ही 20 मई के हिन्दुस्तान टाइम्स मे 'वीकानेर मे अवाधित व अनियत्रित पुलिस जुल्म' के शीर्षक से अलवर के नेता मा. भोलानाथ की भेजी हुई खवर प्रकाशित हुई जिसमें और सारे हाल के साथ यह भी बताया गया कि फौज और पुलिस के लोग इन पीड़ितो की गैरमौजूदगी मे इनके घरो मे घुसकर धरो मे से दूध-दही और पकेपकाये खाद्य पदार्थ जबरन छीन ले जाते है और उनकी स्त्रिया मना करती है या विरोध करती है तो उन्हें फोस गालियां देकर चले जाते हैं जिससे स्त्री-वच्चो को कई वार खाली पेट रात निकालनी पड़ती है। इन खवरो के छपते ही सरकारी प्रतिवाद निकाला गया। इसमे इन सारी खवरों का पूर्णतया खंडन करते हुवे कहा गया कि रियासत मे कही भी लाठी नही चली और बीकानेर, राजगढ़ और हमीरवास की खवरें एकदम से बेबुनियाद है। इस प्रतिवाद के साथ ही सरकार की ओर से एक गुप्त सरक्यूलर अपने मातहतों को भेजकर हिदायत कर दी गई कि राज्य में कहीं भी महात्मा गाधी की जय वोलने वालो को या तिरंगा झंडा रखने वालो को गिरफ्तार करके या विना गिरफ्तार किये ही रोके रखकर ऐसा सवक सिखाया जाय कि वे पुनः उस रास्ते पर न चलें।

नेहरूजी के सामने एक तरफ तो गोयल के तार और एक्सरे की फोटूएं थी और दूसरी तरफ सरकार का प्रतिवाद था जिनमें इन खवरों को विल्कुल ही बेबुनियाद बताया गया था। इस असमंजस की स्थिति मे पडित नेहरू ने हिन्दुस्तान टाइम्स के विशेष सवाददाता एस. सुभान को स्वयं रियासत मे जाकर पूरी जानकारी हासिल करके रिपोर्ट करने को भिजवाया। 6 जून को उक्त विशिष्ट संवाददाता चुपचाप रियासत में आये। इस काम मे उनकी सहायता के और सहयोग के लिए अलवर के नेता मा. भोलानाथ भी उनके साथ हो लिए। वे सीधे राजगढ़ पहुँचे और उस मौके पर भी पहुँचे जहां बाजार में शीतला मंदिर के पास भीषण लाठी चार्ज हुआ था। वहां लोग इतने आतंकित थे कि सारे चश्मदीद हालात वर्णित कर देने के वाद भी वायानों पर दस्तखत करने को तैयार नहीं थे। विना दस्तखतों के वयान लेकर जब उक्त श्री सुभान राजगढ़ के नाजम बाबू मनोहरलाल के घर पहुँचे तो वह बयानो की वात जानकर सकपका गये और कहा 'मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि मैने कभी भी लाठी चार्ज का आदेश नहीं दिया। मौके पर सहायक पुलिस सुपरिटेन्डेंट गुलाम मोहम्मद थे उनसे आप बात कर लो।' सुभान साहव गुलाम मोहम्मद के पास उनके घर पहुँचे और नाजम साहव के हवाले से सारी बात पूछी तो गुलाम मोहम्मद ने यह स्वीकार किया कि वास्तव में नाजम साहब ने कभी कोई लाठी चार्ज का आर्डर नहीं दिया, यह सही है पर मेरा भी क्या कसूर है, मैंने तो अपने ऊपर के अफसर सुपरिंटेन्डेन्ट साहव वहादुरसिंह बेनीरोत के आदेश की पालना की है। इस बातचीत के वाद बीकानेर जाने से पहले वाजार मे जाकर लोगों से वह निश्चित स्थान बताने को कहा जहां खून वहा वताया जाता था। वाजारवालो ने वह स्थान बता दिया जहां उस समय भी मंदिर की दीवार के पास कोने मे पड़े पत्थर पर खून के छीटे जमे हुए थे। बीकानेर जाकर सुभान ने गृहमंत्री से मुलाकात की और दिल्ली लौट कर अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी।

मातम और खुशी

इसी बीच तारीख 5, 6, 7 व 8 जून, 1946 को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद् का अधिवेशन दिल्ली मे हुआ। उसमें बीकानेर के तमाम नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। बीकानेर का प्रश्न जब पंडितजी के सामने आया तो नेहरूजी ने झुंझला कर कहा कि बीकानेर वाले केवल कागजी घोड़े दौड़ाते हैं और रियासत में काम कुछ भी नहीं करते। उन्होंने कहा कि किसी खबर को बढ़ा-चढ़ा कर कहना भी सही नहीं होता है। बापू के नाम पर चलकर आप लोग संघर्ष करने की बात कहते हैं और असत्य का सहारा लेते है। ऐसे मे आपका आंदोलन नहीं चलने वाला है और हम आपकी सहायता क्या करे? बीकानेर सरकार की विज्ञप्ति मेरे सामने है इसमे खबरों का बढ़ा-चढ़ाकर कहना न बताकर बिल्कुल बेबुनियाद ही बताया गया है। कोई भी सरकार एकदम झूठ बोल रही है, ऐसा नही माना जा सकता।

नेहरूजी की यह झिड़की सुनकर सारे बीकानेरियों में मातम छा गया और हम लोगों की बोलती बंद हो गई। हम लोग किंकर्त्तव्यविमूढ़ हो गये। सौभाग्य से इसी समय नेहरूजी के पास एक तार आया। झुझलाए हुवे नेहरू ने उसे तुरन्त खोला और पढ़ने के बाद हंसने लगे और हंसते हुवे हमें तार सुनाया जिसमें बीकानेर के प्रधानमंत्री ने नेहरू जी को सूचित किया था कि राजगढ़ और हमीरवास के मामलो में कसूरवार सुपरिटेन्डेंट पुलिस बहादुरसिंह को तुरन्त प्रभाव से मुअत्तिल कर दिया गया है। अब नेहरूजी प्रसन्न मुद्रा में थे और नेहरूजी ने कहा 'आप लोग झूठे नहीं हैं, बीकानेर सरकार झूठी थी।' अब तो सब उत्साहित थे। नेहरूजी ने उत्साहित होकर वहीं पर गोयलजी को आदेश दिया कि अब वे इसी महीने में बीकानेर की निर्वासन आज्ञा तोड़कर संघर्ष शुरू कर दे। विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय ले लिया गया कि जून की 25 तारीख को गोयलजी निर्वासन आज्ञा तोड़ कर रियासत मे प्रवेश करेंगे और यहीं से हमारा नागरिक अधिकारो और महाराजा की छत्रछाया में उत्तरदायी शासन प्राप्त करने का अहिंसात्मक आंदोलन फिर एक बार प्रारम्भ हो जायेगा।

प्रधानमंत्री पणिकर के तार की अन्दरूनी कहानी

पणिकर के तार की अन्दरूनी कहानी पर गृह मंत्रालय की 'गोपनीय फाइल' 1946/48 बाबत बहादुरसिह एस.पी.' से जानने को मिला है कि 10 मई की घटना की रिपोर्ट महाराजा को 17 मई को मिली और उन्होंने बहादुरसिह से जवाब तलब किया तो बहादुरसिंह ने जवाब मे बताया कि वहा कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ, लोग तिरंगे झंडे के साथ जा रहे थे इसलिए झंडे छीनते समय कुछ लोगों के हाथो पर और आँखे के नीचे केवल कुछ खरोचे आई है। महाराज ने पूरी रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया तो मालूम हुआ कि वहां लाठी चार्ज हुआ था और खून निकला था।

इस फाइल में महाराजा ने बड़ा अफसोस जाहिर किया है कि बहादुरसिंह ने झूठी रिपोर्ट दी जिसके आधार पर मेरी सरकार ने भरोसा करके लाठी चार्ज से पूर्णरूप से इंकार

कर दिया अब सही बात मालूम हुई है पर इससे सरकार की छवि को गहरी चोट पहुँची है। अतः सुपरिटेन्डेट बहादुरसिंह को मुअत्तिल करने से कम कोई सजा नही दी जा सकती। इसी फाइल में महाराजा ने लिखा है कि मुझ तक सही खबरे नही पहुँचती है और मेरी प्रजा के साथ बेइन्साफी की कुछ खबरों में बताया गया है कि राजपुरा के एक चौधरी कसूजिया नाम के जाट को पुलिस हिरासत में बिना कारण तीन दिन रखा गया और हमीरवास थाने मे पुलिस वाले कुल्ले थूक कर चिढ़ाते है और औरते विरोध करती है तो उनके आदमियो को बुलाकर दो-दो दिन थाने पर रख लिया जाता है। इसी तरह महाराजा ने लिखा कि इस साल गणगौर पर मालिया के जागीरदार मेगसिह ने गवर उठाने के लिए एक जाटनी को अपशब्द का प्रयोग करके बुलाया जिससे जाट लोगो मे रोष फैला। महाराजा ने इसमे लिखा है कि ऐसी बातो से मेरी सरकार की बदनामी होती है जो अन्ततोगत्वा मेरी ही बदनामी है। महाराजा ने उसमे यह भी लिखा है कि ऐसी घटनाएं नही होनी चाहिएं जिसमे मेरे पर यह आरोप आवे कि मै राजपूतों का पक्ष लेता हूँ।

बीकानेरियों का शिष्टमंडल बापू की सेवा में

12 जून, 1946 की बैठक में जब नेहरूजी ने गोयल को निर्वासन आज्ञा तोड़ने को हरी झंडी बता दी तो उसके बाद 16 जून को बीकानेरियों का एक शिष्ट मंडल, जिसमें गोयलजी, गंगादासजी, मेघराजजी, मूलचन्द पारीक आदि थे, ने बापू से मुलाकात करके उन्हे बीकानेर के हालचाल बताये तो बापू ने यही सलाह दी कि हम लोग पडित नेहरू के मार्गदर्शन में काम करते रहें। बीकानेर के तमाम कार्यकर्ता बड़े उत्साह के मूड में थे।

राजधानी में बिना पूर्व अनुमति के पहली आम सभा

बीकानेर पहुँच कर 21 जून को बीकानेर में पहली सार्वजनिक सभा बिना राज्य की पूर्व स्वीकृति के मेघराज पारीक की अध्यक्षता मे सम्पन्न हुई जिसमें मूलचन्द पारीक, रावतमल पारीक व गंगादत्त रंगा के भाषण खाद्य पदार्थो में भारी तंगी के बारे में हुवे। इस सभा में लेखक ने पहली बार एक घंटा बोलने का रिकार्ड कायम किया जिसमे बीकानेर सेफ्टी एक्ट एव गुप्त सरक्यूलर की कटु आलोचना की और नरेन्द्र मंडल के थोथे ढिंढोरे की पोल खोली।

गोयल द्वारा पुनः निर्वासन आज्ञा तोड़ना

इसके बाद सारे कार्यकर्ता ऐलनाबाद सम्मेलन की तैयारी मे लग गये जहां से गोयलजी को विदाई देनी थी। 24 जून को वहां बीकानेर के हजारों किसानों की भीड़ लग गई। इस किसान सम्मेलन में किसानो ने गोयल के प्रति अपूर्व स्नेह और विश्वास प्रकट किया। गोयल के साथ मा. भोलानाथ भी वहा आ गये थे। गोयल बीकानेर शहर में रहने वाले थे लेकिन ऐलनाबाद में प्रतीत हुआ कि अब उनकी जड़े बीकानेर भर के किसान वर्ग मे भी गहरी पहुंच चुकी थी। दूसरे दिन यानी 25 जून को गोयल ने निर्वासन आज्ञा भंग करके बीकानेर रियासत मे प्रवेश किया। गाड़ी के भूकरका स्टेशन

गोयल द्वारा पुनः निर्वासन आज्ञा तोड़ना—ऐलनाबाद में श्री गोयल व चौधरी गनपतसिंह को शानदार विदाई। (दोनों बीच में माला पहने हुए)

पर पहुँचते ही गोयल को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ किसान रेल की पटरी पर सो गये कि हम गाड़ी को नहीं जाने देंगे पर कर्मानंदजी ने उन्हे समझाकर उठवा दिया। वही पर गोयलजी का भाषण हुआ और गोयल ने कर्मनंद को कार्यवाहक सभापति घोषित कर दिया। दूसरे दिन 26 जून को राज्यभर के कस्वो और गाँवो मे इस गिरफ्तारी के खिलाफ जुलूस निकले और विरोध सभाए की गई। गोयलजी के साथ चौ. हनुमानसिंहजी के भाई श्री गनपतसिह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गोयल और गनपतसिह को आगे जाकर रेल से उतार मोटर के रास्ते जेल में पहुँचा दिया गया।

गोयल की गिरफ्तारी पर राजधानी में विराट विरोध सभा

26 तारीख की विरोध सभाओं में राजधानी बीकानेर के रतनबिहारी पार्क मे जो विरोध सभा हुई वह बड़ी ही भव्य थी। इसमे हजारो स्त्री-पुरुष भाग लेने आये थे। इस सभा का सभापतित्व मूलतः पाली (मारवाड़) निवासी आगरा के दैनिक पत्र 'सैनिक' के संपादक श्री जीवारामजी पालीवाल ने किया। सभा में मास्टर भोलानाथजी, मुझ लेखक आदि के भाषण हुवे। इसके बाद कानपुर शाखा के अध्यक्ष हीरालाल शर्मा का बड़ा ओजस्वी भाषण हुआ जिसमे उन्होने यूरोप में जालिम राजाओं के राजतंत्र की सफाई किस प्रकार हुई इसका इतिहास बताते हुवे यह कहा कि हमारे राजा साहब को भी उससे सवक लेना चाहिए और जनता के शासक के साथ ही जनता के सेवक के रूप में भी अपना उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए वरना सदियो का अनुभव यह बताता है कि इतिहास अपने आपको समय-समय पर दोहराने से नही चूकता।

हीरालाल शर्मा की गिरफ्तारी

इन शब्दों के कहते ही राजपक्ष के गुण्डों ने, जिनको योजना पूर्वक ही सभा भंग करने के लिए भेजा गया था, सभा को भग करने के लिए उत्पात मचाना शुरू कर दिया। गैस की हंडियाँ तोड़ दी, विजली के कनेक्शन काट दिये और 'पकड़ो इस साले को', 'हम महाराजा को गद्दी से कान पकड़ कर उतार देने की वात सुनने को तैयार नहीं हैं' ऐसी वाते चिल्लाते हुए धक्का मुक्की शुरू कर दी और खास तौर से महिलाओं की ओर लपक पड़े जहां गोयलजी की पत्नी व लड़की चन्द्रकला आदि बैठी हुई थी। हम कार्यकर्ताओं ने महिलाओं के चारो ओर घेरा डालकर महिलाओं को किसी तरह रतनविहारी पार्क से वाहर सुरक्षित निकाल लिया ताकि वे सड़क पर

हीरालाल शर्मा
महाराजा साहब को फ्रास की राज्य क्रान्ति की याद दिलाने वाले जिन्हे तीन साल की सजा हुई

जलती हुई बत्तियो के प्रकाश मे अपने अपने घरों को पहुँच जाएं। सारी अव्यवस्था सुनियोजित रूप से अमल मे लाई गई थी। इस मीटिंग के बाद गोयलजी के घर पर भी हमला हुआ। प्रजापरिषद् के दफ्तर पर भी हमला हुआ। इसके तुरन्त बाद रियासत द्वारा प्रजासेवक संघ इत्यादि नामो से कई प्रजा विरोधी संस्थाओं का निर्माण कराया गया। उधर रात को ही हीरालाल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया।

निर्वासन आज्ञा तोड़ने से पहले ही उत्तरदायी शासन की घोषणा

गोयल ने 25 जून को अपने प्रवेश की सूचना राज्य सरकार को पत्र द्वारा काफी दिन पूर्व भेज दी थी। इस सूचना के मिलते ही महाराजा ने केबिनेट मीटिंग बुलाकर आने वाले आंदोलन को प्रभावहीन करने की योजना बनानी शुरू की और केबिनेट इस नतीजे पर पहुँची की आने वाले आदोलन की हवा निकालने के लिए उत्तरदायी शासन की निकट भविष्य में ही स्थापना कर देने का ऐलान कर दिया जावे। अत. 21 जून को ही उक्त घोषणा कर दी गई ताकि संसार पर यह प्रभाव पड़े कि महाराजा साहब स्वय ही उत्तरदायी शासन देने की घोषणा कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में प्रजापरिषद्वाले व्यर्थ ही उत्पात मचा रहे हैं।

स्वामी केशवानंदजी के अवांछनीय प्रयत्न

दूसरी तरफ अन्दर ही अन्दर महाराजा के आदमियो ने जाट समुदाय के अत्यन्त हितैषी माने जाने वाले संगरिया विद्यापीठ के संचालक स्वामी केशवानंद को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वे जेल में बैठे हुए कुम्भाराम आदि नेताओं से मिलकर कहें कि जाट समुदाय का हित अगर वे चाहते है तो उन्हें माफी मांग कर अपने आपको मुक्त कराकर स्वामीजी के साथ ही जाति-सेवा के लिए कंधे से कंधा भिड़ाकर जुट जाना चाहिए। यह सारा भेद मालचन्द हिसारिया ने अध्यापक गौरीशंकर आचार्य से जाना था। *उन्होंने दिनांक 24/5/46 के पत्र से सूचित करते हुए लिखा कि गौरीशंकरजी* ने तो और बहुत सी बातें बतायी है पर सार बात इतनी ही पायी गई कि गौरीशंकर ने स्वामीजी की इस आत्मघाती योजना का समर्थन करने से साफ इंकार कर दिया और उधर जेल में कुम्भाराम आदि नेताओं ने भी स्वामीजी को बड़ी विनम्रतापूर्वक सूचित कर दिया कि सदियो से दबे हुवे जाट कौम मे जो अभूतपूर्व चेतना आई है उसकी पीठ मे हम छुरा भोकने को कतई तैयार नही हैं। हमें अपने भाग्य भरोसे छोड़ दीजिए और आप अपने शिक्षा-प्रचार के कार्य में लगे रहें।

रायसिंहनगर में राजनैतिक सम्मेलन—बीरबलसिंह तिरंगे की रक्षा में पुलिस की गोली से शहीद

जून 1946 में रायसिंहनगर मे प्रथम राजनैतिक सम्मेलन के आयोजन की घोषणा की गई। यह वह समय था जब ब्रिटिश भारत में काग्रेस की अन्तरिम सरकार बनने के आसार नजर आने लगे थे। ऐसे समय मे महाराजा ने अपनी रियासत को प्रगतिशील दर्शाने के लिए 21 जून को एक विज्ञप्ति द्वारा यह घोषणा की कि वे रियासत

में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने जा रहे है जिसकी तफसील वे निकट भविष्य मे प्रकाशित करेगे। इसके द्वारा वे दूधवाखारा, राजगढ़, हमीरवास आदि मे बरती गई नृशसता पर परदा डालना चाहते थे और साथ ही 25 जून को रघुवरदयाल गोयल द्वारा दूसरी बार निर्वासन आज्ञा को भग करके रियासत मे प्रवेश करने की घोषणा से रियासत की जनता मे जो उत्साह उफन रहा था उस गुब्वारे की हवा निकाल देना चाहते थे।

शहीद श्री वीरवलसिंह
रायसिंहनगर गोलीकाण्ड के शिकार होने वाले बीकानेर के पहले शहीद

इस राजनैतिक सम्मेलन के सयोजक थे एक महत्वाकांक्षी नवयुवक श्री रामचन्द्र जैन वकील और सभापति होने वाले थे वकील सत्यनारायण सराफ। वैसे तो सत्यनारायणजी चूरू-षड्‌यंत्र केस के नायकों मे से थे पर सन् 1944 के अगस्त माह मे वे सरकार के आगे समर्पण करके तत्समय गगानगर मे ऐलान कर चुके थे कि उन्हे अब राजनीति में दिलचस्पी नहीं रही है इसलिए लोग उन्हे राजनीति मे परेशान न करें और न राजनीति मे घसीटे। फिर भी अब अचानक उक्त राजनैतिक सम्मेलन के सभापतित्व को स्वीकार कर राजनीति में आगे आते नजर आ रहे थे। उधर वह सरकार जो साधारण सभा तक नहीं होने देती थी और किसानों के आवागमन तक को घुड़सवारो के आतंक द्वारा अवरुद्ध कर रही थी अब राजनैतिक सम्मेलन करने देने की मनोवृत्ति मे कैसे आ गई? आयोजकों और सरकार के बीच कोई मिलीभगत तो नहीं थी ? यह प्रश्न उभर कर सामने आ रहा था। अतः यह सम्मेलन शुरू होने से पहले ही शकाओं से परे नही रहा। कुछ शंकाएं इसलिए भी खड़ी हो गई कि प्रजापरिषद् के करीब-करीब सारे ही नेता—जैसे सर्व श्री रघुवरदयाल गोयल, कुम्भाराम आर्य, चौ. हनुमानसिंह, वैद्य मघाराम और उनके तमाम साथीगण जेल के सीखचों के पीछे धकेल दिये गये थे और ऐसे शून्य में राजनैतिक मैदान करीब-करीब खाली देखकर ये लोग सरकारी शह से ही तो कही समानांतर 'प्रजापरिषद्' का कोई नया संस्करण खड़ा करने को खड़े नही कर दिये गये हो ? बाद में पता चला कि सत्यनारायण सराफ सम्मेलन की रूपरेखा

श्री रामचन्द्र जैन वकील
रायसिहनगर राजनैतिक सम्मेलन के सूत्रधार

बनाने से पहले ही गृहमंत्री ठा प्रतापसिंह से, कुछ अंदरूनी आश्वासनो के तहत, हरी झंडी प्राप्त कर चुके थे। इन आश्वासनों में महाराजा की 21 जून की घोषणा का स्वागत और प्रशंसा करना भी शामिल था।

इस सम्मेलन के बारे में लेखक को एक पुराने स्वतन्त्रता सेनानी, पीलीबंगा के निवासी, श्रीरामकिसन आर्य द्वारा भेजे गये अखबारो की तत्समय की कतरनों तथा आँखों देखे तथ्यात्मक विवरणो से बहुत प्रकाश मिला है जिसकी सहायता से सम्मेलन का विवरण साभार नीचे दिया जा रहा है।

30 जून और 1 जुलाई को होने वाले राजनैतिक सम्मेलन में गंगानगर डिवीजन की आम जनता में बड़ा उत्साह था क्योंकि इससे पहले सरकार ने कभी कोई राजनैतिक सम्मेलन होने ही नहीं दिया था। फिर भी सम्मेलन शुरू होने से एक दिन पहले यानी 29 जून की अर्द्धरात्रि को सम्मेलन के आयोजकों को एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश दिया गया कि सम्मेलन में कोई झंडा नहीं फहराया जायेगा और न 'नौकरशाही मुर्दाबाद' का नारा बुलंद किया जायेगा। सम्मेलन के आयोजकों और सरकार के बीच अंदरूनी तौर पर भले ही कुछ भी शर्ते रही होंगी, पर ऐन समय पर दिया गया यह आदेश सम्मेलन के उत्साही कार्यकर्ताओं और आम जनता को बहुत अपमानजनक लगा। पंडाल में रोष का वातावरण बन गया। इस आज्ञा के विरुद्ध महाराजा साहब को उसी समय तार दिया गया और जवाब का इंतजार किया जाने लगा। दूसरे दिन सुबह 30 जून को झंडे की व जुलूस की कार्यवाही स्थगित रखी गई। सम्मेलन की पहली बैठक 30 जून को सुबह हुई जिसमें सयोजक-स्वागताध्यक्ष व सभापति के भाषण हुए। दूसरी बैठक शाम को 5 बजे हुई जिसमें बिना किसी (गोयल, माधोसिंह आदि के) नाम का उल्लेख किये राजबंदियों की रिहाई व निर्वासितों की तत्संबंधी आज्ञाओं को रद्द करने की मांग की गई। रात को साढ़े आठ बजे कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई जिसमें उनका जोश और रोष सामने आया। चूंकि महाराजा को दिये गये तार का अब तक भी कोई जवाब नहीं आया था इसलिए उत्तेजित कार्यकर्ताओं ने यह निर्णय लिवाकर ही दम लिया कि जुलूस और झंडे की कार्यवाही यथावत रहेगी और इसकी सूचना अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को भेज दी गई। सम्मेलन के आयोजको की चुप रहने की मजबूरी भी स्वाभाविक थी वर्ना सारा वातावरण उनके विरुद्ध हो जाता।

दूसरे दिन 1 जुलाई 1946 को सुबह साढ़े सात बजे जनता पाडाल में जोशो-खरोश के साथ एकत्रित हो गई थी। उसी समय होम मिनिस्टर (जो संभवतः वही कहीं अप्रकट रूप से मौजूद थे) का आदेश मिला कि जुलूस निकालने पर कोई आपत्ति नही है पर तिरंगा झंडा ले चलने व फहराने पर आपत्ति है। इसके बाद भी पांडाल में उपस्थितो का सबका निर्णय यही रहा कि झंडा फहराया जायेगा और जुलूस निकाला जायेगा।

इस निर्णय की सूचना मिलने पर स्थानीय अफसरों ने नेताओं को बुलाकर बातचीत की और यह निर्णय लिया कि होम मिनिस्टर की सूचना में यह ध्वनि निकलती है कि झडा लेकर चलने में आपत्ति है, पांडाल पर फहराने पर नही। स्थानीय अफसरों की यह

हिम्मत नही हो सकती थी कि वे गृहमंत्री के आदेश से कोई ध्वनि अपनी मर्जी से निकाल लेवे, सभवतः वहीं कही ठहरे हुए होम मिनिस्टर ने ही यह छूट मजबूरन दी होगी। इस पर पंडाल मे झडा फहराने की रस्म अदा की गई। यह उन कार्यकर्ताओं की पहली विजय थी क्योंकि इससे पहले रियासती अफसरों ने कभी भी और कही भी राष्ट्रीय झडे को फहराने को सहन नहीं किया था। इस विजय का श्रेय उन उत्साही कार्यकर्ताओं को जाता है जिन्होने साहसपूर्वक झंडा फहराने का निर्णय कर स्थानीय अफसरों को सूचित किया था। इसके बाद जुलूस शांति और संयम से निकाला गया। जब वह जुलूस पंडाल के पास वापिस आकर समाप्त होने को था तो पडाल के निकट किसी ने राष्ट्रीय झडे को ऊंचा कर दिया। पुलिस के आपत्ति करने पर झंडे को उसी समय पंडाल के अंदर भेज दिया गया।

शहीद वीरबलराम झंडे पर कुर्बान हो गया

नौजवानो की यह विजय नौकरशाही को सहन नही हुई और वे खार खाए बैठे थे जिसे निकालने का मौका ही देख रहे थे। वह मौका उन्हें निम्नलिखित घटना से मिल गया:—

चौ. हनुमानसिह (दूधवाखारा) के भाई बेगाराम भी इस सम्मेलन मे अपना निज का तिरंगा झंडा लेकर आए थे और अपने उस झंडे को वापिस साथ ले जाते हुए स्टेशन पर टिकट खरीद रहे थे और अपने उस झंडे को टिकट की खिड़की के पास खड़ा कर रखा था जो पुलिस को सहन नहीं हुआ और वह उसे पकड़कर रेस्ट हाऊस ले गई। यह खबर जब पंडाल में पहुँची तो वहां से एक हजूम स्टेशन की ओर रवाना हो गया। उस भीड़ मे एक युवक वीरबलराम अपने हाथों में राष्ट्रीय तिरंगा झंडा थामे हुए था। पुलिस उसके हाथ से तिरंगा झंडा छीनने को लपक पड़ी। वह युवक झंडे को झुकने नही देने को कृतसकल्प था। उसने झंडे को छीनने नहीं दिया और न झुकने दिया। इस पर पुलिस वाले खीज उठे। उन्होने भीड़ पर लाठी प्रहार जोरों से शुरू कर दिया जिससे कई लोग घायल हो गये और कई भूमि पर गिर पड़े। उन गिरे हुए लोगों को पुलिस वाले घसीट कर रेस्ट हाऊस की ओर जबरदस्ती ले जाने लगे तो किसी ने उनकी तरफ एक पत्थर फेंक दिया। इतने में रेस्ट हाऊस की तरफ से कुछ फौजी आ पहुँचे जिन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। एक गोली झंडा लिए हुए वीरबलराम को लगी और उसने दम तोड़ दिया। उस गोलीबारी में चार लोग और सख्त घायल हो गये थे पर मरे नहीं। चारो ओर भगदड़ मच गई। और हाहाकार सुनाई देने लगा।

आजादी का पौधा बीरबलराम के खून से सीचा जाकर और अधिक मजबूत हो गया। खून तो बीकानेर की पुलिस ने चूरू और राजगढ़ के क्षेत्र में लाठियां बरसाकर कम नही बहाया था पर अब की बार गंगानगर इलाके में गोली से धराशयी करने की बारी आई थी जिसमें बीरबलराम ने पीछे हटना मुनासिब नहीं समझा और वह राष्ट्र के झंडे पर बलिदान हो गया।

तारीख 2 जुलाई को शहीद की लाश के साथ हजारो की भीड़ उमड़ पड़ी और तिरगे में लपेटी हुई उसकी लाश का अग्नि सस्कार संपन्न हुआ। दैनिक हिन्दुस्तान में 10

जुलाई की घटना का विस्तृत हाल मय फोटुओं के छपा। खबरों के शीर्षक थे : राष्ट्रीय झंडे की रक्षा में एक हरिजन युवक का बलिदान : गोलीबारी से जनता में भारी रोष : निष्पक्ष जाँच की मांग। बीरबलराम की शहादत झंडे पर हुई इसलिए रियासत भर मे किसानों एवं नागरिकों पर तिरंगे झंडे का रंग ऐसा चढ़ा कि वे तिरंगे के बिना कोई जुलूस या कार्यक्रम करना ही नहीं चाहते थे। 1 जुलाई को ही गंगानगर जिले में धारा 144 लगा दी गई थी तो प्रजापरिषद् ने यह निर्णय लिया कि गंगानगर क्षेत्र छोड़ कर सारी रियासत में तिरंगे झंडे के साथ दो उत्सव मनाये जावें : एक 6 जुलाई को, जिस दिन गत वर्ष दूधवाखारा किसान आंदोलन पर दमन-चक्र शुरू हुआ था, और दूसरा 22 जुलाई को जिस दिन प्रजापरिषद् की चतुर्थ वर्षगांठ पड़ती थी। राज्य भर में 6 जुलाई को किसान-दिवस मनाये जाने से पहले ही सरकार ने राज्य मे दफा 144 लागू कर दी।

राजधानी में किसान दिवस

बीकानेर शहर में 6 जुलाई को किसान-दिवस परिषद् के कार्यकारी अध्यक्ष स्वामी कर्मानंद की अध्यक्षता में मनाया गया। स्टेशन पर स्वामीजी का अभूतपूर्व स्वागत हुआ और स्टेशन से बाहर निकलते ही भीड़ बेहद बढ़ गई और जुलूस शहर की ओर चल पड़ा। शहरियों और ग्रामीणों की वह अपार भीड़ बहुत जोश में थी और धारा 144 की धज्जियां उड़ाती हुई वह आगे को चल पड़ी। मैं दाऊदयाल भी उसमें मौजूद था। मैने उससे पहले कभी भी राजधानी बीकानेर में ऐसा जुलूस नहीं देखा था। जुलूस में अनेक तिरंगे झंडे नजर आने लगे। शहर का चक्कर लगाते हुए जुलूस मोहतों के चौक में पहुंचा तो वहां पैर रखने को भी तिल भर जगह नही थी। महाराजा साहब में तिरंगे झंडे के प्रति जो तीव्र घृणा थी उसी ने बीरबलराम की जान ले ली थी। मोहतों के चौक में पुलिसवालों में इसलिए भगदड़ मच गई कि अगर उन्होंने तिरंगा नही छीना तो उनकी नौकरी चली जावेगी। अतः झंडे की छीना-झपटी शुरू हो गई।

जब फायरिंग होते होते टल गई

इस अवसर पर चंपालाल राका ने बड़ी हिम्मत के साथ ऐलान कर दिया कि तिरंगे झंडे का अपमान नही होने देना है, इसलिए अनेक छोटे-छोटे झंडों की जगह एक बड़ा झंडा लेकर और तांगे पर खड़ा होकर वह राष्ट्रीय नारे लगाता हुआ जुलूस को आगे ले जाने लगा। कार्यकर्ताओं से उसने आह्वान किया कि किसी भी पुलिस वाले को तांगे के नजदीक न आने दिया जावे। पुलिस वाले वहीं हाथ मलते रह गये। तब पुलिसवालों ने आगे दौड़कर कोटगेट पर झंडा छीनने की योजना बनाई। जुलूस कोटगेट पहुंचने पर मदनलाल कश्यप नामक डी.एस.पी. ने जुलूस को रुकते न देखकर उत्तेजित होकर रिवाल्वर निकाल लिया। खून-खच्चर निश्चित नजर आने लगा। हम लोग सोचने लगे कि रायसिंह नगर का बलिदान फिर यहा दौहराया जावेगा पर मूलचन्द पारीक ने सूझबूझ व हिम्मत से काम लेते हुए तुरन्त मदनलाल को अपनी बांहों मे जकड़ लिया ताकि फायरिंग न कर सके। इस प्रकार फायरिंग होते-होते टल गई और इसी अरसे में तांगा कोटगेट से

पार होकर रतनविहारी पार्क तक पहुंच गया। मूलचन्द पारीक व गंगादत रंगा गिरफ्तार करके कोतवाली में ले जाये गये और रात को छोड़ दिये गये।

सरकार ने राजधानी में स्वयं दंगा करवा दिया

इतना वड़ा जुलूस झंडे के साथ निकल जाना सरकार के लिए झेंप का कारण वना। इस झेंप को मिटाने के लिए जव सरकार को और कुछ नही सूझा तो दूसरे ही दिन 7 जुलाई 1946 को राजधानी में पड्यंत्रपूर्वक हिन्दू-मुस्लिम दंगा करवा दिया। पुलिस और फौज गश्त में लग गई। शहर मे फौजवालो ने वाजार में गोली चला दी जिसमें तीन-चार प्राणियों की जानें चली गयी और अनेक घायल हुए। विरोध स्वरूप 7 तारीख से 12 तारीख तक पूरा एक हफ्ते भर राजधानी का शहर बीकानेर मुकम्मिल रूप से बंद रहा। हड़ताल तुड़वाने की सारी कोशिशें वेकार गईं। आखिर महाराजा साहब ने स्वय आकर अपने व्यक्तिगत प्रभाव से हड़ताल तुड़वाई। इस दंगे के दौरान पुलिस ने गुंडों को छूट दे रखी थी। पुलिस के अफसरों की जीप में गुंडे साथ बैठे नजर आते थे। वड़े अफसरों से जब जनता ने रक्षा की गुहार की तो सव तरफ से जवाव यही मिला, 'जावो प्रजा परिषद् वालों के पास, जावो 'जयहिंद' वालो के पास, वे ही रक्षा करेंगे।' इसका नतीजा यह हुआ कि पूरा एक हफ्ता भर मुकम्मिल हड़ताल जारी रही और जनता को यह पक्का विश्वास हो गया कि यह दंगा राज के षड्यंत्र का ही एक अग था।

कानून और व्यवस्था कायम रखने के लिये जिम्मेदार मानी जाने वाली सरकार अपने स्वार्थ के लिए स्वयं ही दंगा करवाए इससे अधिक घृणित और क्या हो सकता है? पर हुआ ठीक यही।

प्रजा परिषद् के अलवर स्थित केन्द्रीय कार्यालय ने अपनी तरफ से इस वात की पूरी कोशिश की कि राज्य के भीतर लोगों में दंगे का बुरा प्रभाव न पड़े और लोग साम्प्रदायिकता की भावना से दूर रहें। अलवर-कार्यालय ने जगह-जगह चिट्ठियां और तार भेजे और इसके वाद स्वामी कर्मानंद को भी बीकानेर भेजा ताकि वे वहा पहुंचकर स्थिति को संभालें।

परिषद्-कार्यकारिणी में तीन नये चेहरे

बीकानेर में गोयल ने 25 जून को बीकानेर सरकार के निर्वासन आदेश को तोड़कर प्रवेश किया था उससे पहले परिषद् की केन्द्रीय कार्यकारिणी मे ऐलनावाद में ही तीन व्यक्तियो को और नामजद कर दिया था जिसमे एक दाऊदयाल आचार्य, दूसरा हंसराज आर्य और तीसरा सत्यनारायण था।

जेल में फिर गोयल की भूख हड़ताल

सन् 1942 में जव गोयल ने प्रथम निर्वासन आज्ञा भंग की थी तो जेल मे अपने आपको राजनैतिक बंदी मनवाने के लिए उन्हें लम्बी भूख हड़ताल करनी पड़ी थी पर सरकार इतनी वेहया निकली कि दुवारा निर्वासन आज्ञा तोड़ने पर उसे फिर साधारण

कैदी ही मानकर वैसा व्यवहार किया गया। उन्हें पुनः लम्बी हड़ताल करनी पड़ी और मघाराम वगैरा को भी, जिन्हे पहले राजनैतिक बंदी मान लिया गया था उन्हें फिर साधारण कैदी की तरह दुर्व्यवहार सहना पड़ा और भूख हड़ताल करनी पड़ी।

आई.जी.पी. की गोपनीय फाइल में यह अंकित किया गया है कि 14 व 15 जुलाई को बीकानेर में स्वामी कर्मानंदजी की अध्यक्षता में गुप्त मीटिंग हुई उसमें गंगादास, मूलचन्द, रावतमल पारीक, चम्पालाल रांका, सोहनलाल मोदी, चिरंजीलाल स्वर्णकार, भिक्षालाल बोहरा, मुल्तान चन्द दर्जी, श्रीराम शर्मा, मु. नानूड़ी व खेतुड़ी, गंगादत्त रंगा, ख्यालीसिंह वकील, मोहनलाल खत्री व लक्ष्मीनारायण पारीक शामिल हुए। इस समय मै दाऊदयाल अलवर कार्यालय में कार्यालय इंचार्ज था इस कारण यहां बीकानेर में मीटिंग में उपस्थित न हो सका। गंगादास व मूलचन्द को बीकानेर में रहकर कार्य करने का जिम्मा दिया गया था और योजनानुसार स्वामी कर्मानंद व दाऊदयाल को अलवर में रहकर ही काम करना था। इस मीटिंग मे दंगे पर चर्चा हुई व हीरालाल के केस पर विचार किया गया। इस दमनकाल में भी प्रजापरिषद् से जुड़ने वाले कई नये चेहरे सामने आये जिनमें एक उल्लेखनीय नाम वासुदेव प्रसाद विजयवर्गीय का और दूसरा नाम ऊदाराम हठीला का है। विजयवर्गीय उस समय रेल्वे में सरकारी नौकर थे और जब उस पर प्रजापरिषद् को सहयोग न करने के लिए दबाव डाला गया तो उन्होंने सरकारी नौकरी को लात मार दी और स्वतन्त्र रूप से प्रजापरिषद् के साथ काम करना पसंद किया और ऊदाराम हठिला ने अपने कई साथियों सहित हवालात में कई बार रहने की हिम्मत बताई।

फूट डालने के नये हथकंडे

जब दंगे का शस्त्र भी बेकार गया तो महाराजा साहब ने राज्य की सेवाओं मे लगे हुए कुछ मुट्ठी भर जाट अफसरों को प्रजापरिषद् में फूट डालने के लिए हथियार बनाने की कोशिश की। एक प्रभावशाली जाट अफसर को अलवर के केन्द्रीय कार्यालय में भेजकर स्वामी कर्मानंद को संदेश भिजवाया कि अब वह समय आ गया है कि स्वामीजी को और अन्य जाटो को उस बनिये का (रघुवरदयाल का) साथ छोड़ देना चाहिए जो स्वयं एक शहरी है और ग्रामीणों को शहरियों के हित के लिए औजार बना रहा है। सरकार ग्रामीण समस्याओं के लिए स्वामीजी से अलग से बातचीत करने को तैयार है, ऐसे मे स्वामीजी को अपने इलाके के ग्रामीण हितो के लिए परिषद् को छोड़कर सरकार से सीधी बात करनी चाहिए। सरकार अब जाटों में से ही किसी को मिनिस्टर बनाने जा रही है जो आज तक किसी को नही बनाया था। यह सब बाते सुनकर स्वामीजी एक बार तो क्रोधित हो गये किन्तु फिर उन्होंने अपने आपको संतुलित करके आगन्तुक संदेशवाहक से इतना ही कहा कि जिस सरकार की तरफ से तुम बातचीत का न्यौता लेकर आये हो उसकी गंभीरता व विश्वसनीयता का क्या प्रमाण है? सरकार ने हमे पहले भी कई बार धोखा दिया है पर अब एक बार और धोखा खाना नहीं चाहते। जाओ, और अपने आकाओं को सूचित कर दो कि कर्मानंद कहता है कि जो भी बात

करनी हो लिखित रूप से करे जवानी जमा खर्च द्वारा धोखा देने की पेतरे वाजी अब तुरन्त बंद करे। बेचारे संदेशवाहक मुँह लटका कर चले गये। मैने (दाऊदयाल ने) यह वार्तालाप स्वयं वहां उपस्थित रहकर सुना।

उसी दिन बीकानेर से जो डाक मिली उसमें समाचार मिले कि जेल में रघुवरदयाल की भूख हड़ताल को 10 दिन हो गये है और उनका स्वास्थ्य दिन पर दिन गिर रहा है। इस पत्र को पढ़कर स्वामीजी ने मुझ दाऊदयाल को बुलाकर निम्न मजमून का तार मुझ से तैयार कराकर तुरन्त डाकखाने में तार लगाने स्वयं चले गये। तार के मजमून का हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है :—

सेवा में, प्रधानमंत्रीजी, बीकानेर राज्य। हमारे अध्यक्ष श्री रघुवरदयाल बीकानेर-जेल में भूख हड़ताल पर हैं इससे हम सब को बड़ी ही चिंता हो रही है। अतः मैं श्रीमान् से निवेदन करता हूँ कि उनकी मांगों को समय रहते स्वीकार कर लिया जावे ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। एतद्द्वारा मैं बीकानेर की जनता की तरफ से जनता के गहरे स्नेह को अंकित करते हुए आपसे यह बता देना चाहता हूँ कि श्री गोयल के लिए हम किसी भी प्रकार का बलिदान देने में पीछे नहीं रहेंगे।' इस तार के पांच दिन बाद अर्थात् दिनांक 13/7/46 को श्री गोयल की सारी मांगें लिखित रूप में स्वीकार कर ली गई और उनके तथा मघारामजी आदि के साथ राजनैतिक कैदियो जैसा व्यवहार शुरू हो गया। उसी दिन श्री गोयल ने भूख हड़ताल समाप्त कर दी।

अलवर के केन्द्रीय कार्यालय से अनेक जगह तार भेजे गए। अलवर के नेता मा. भोलानाथ भी रायसिंहनगर गोलीकांड के हालात की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए रायसिंहनगर चले गये। स्वामीजी बीकानेर पहले ही रवाना हो गये थे। कार्यालय में मै अकेला ही रह गया था।

अलवर कार्यालय से झंडा नीति पर पुनर्विचार की मांग और समझौता

रायसिंहनगर गोलीकांड के बाद राष्ट्रीय तिरंगे झंडे का महत्व और अधिक बढ़ गया था क्योंकि जहां तक एक तरफ महाराजा साहब के लिए तिरंगा झंडा उनकी भावनाओं को भड़काने वाला अर्थात् 'रेड रैग फोर ए बुल' की भांति था वही भारत के आम नागरिक की तरह बीकानेर रियासत भर का आम आदमी और खास तौर पर किसान-मजदूर वर्ग राष्ट्रीय तिरंगे को अपने अस्तित्व और मूलभूत अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रीय गौरव का अनिवार्य अंग मानने लगा था। इस संघर्ष की मनस्थिति में आये दिन बीकानेर के नागरिको को पाशविक व्यवहार की स्थिति में लात-घूंसो, थप्पड़-मुक्को, डंडा, लाठी और गोली का सामना करना पड़ रहा था। जनता की भावनाओं में ज्वार आ रहा था और ऐसे वेगपूर्ण ज्वार को रोकना बीकानेर के नेताओं के वश के बाहर की बात प्रमाणित हो रही थी। हम लोगो की एक बड़ी कठिनाई यह थी कि देहली मे पं नेहरू की अध्यक्षता में हुई अ.भा. दे. रा लोकपरिषद् की बैठक मे नीति यह तय कर दी गई थी कि सरकार को सीधी उत्तेजना दे, ऐसा कोई कार्य हमें नही करना है अर्थात् जब महाराजा राष्ट्रीय तिरंगे से इतना

भड़कते है तो हमें झंडा-प्रदर्शन की जिद नहीं करनी चाहिए। अब ऑफिसियल नीति व जनभावना में बिल्कुल सामंजस्य नहीं बैठ रहा था। हम सब किंकर्तव्यविमूढ़ हो रहे थे। श्री गोयल व कुम्भाराम जेल मे थे और वहीं पर हनुमानसिह भी व मघाराम भी थे। स्वामी कर्मानंद व गंगादासजी व मूलचन्दजी राज्य भर मे और राज्य के बाहर दौरे पर गये हुए थे और अलवर केन्द्रीय कार्यालय में मैं दाऊदयाल अकेला ही रह गया था। राज्य भर में सब तरफ से झडे के बारे मे मार्गदर्शन हेतु पत्र तार आ रहे थे। अलवर में मै अकेला था और पूछने वालों को क्या उत्तर दूँ, क्या मार्गदर्शन करूं इस प्रश्न को लेकर मै भी बहुत बेचैन हो रहा था। आखिर मैंने इस झंडा नीति से संबंधित प्रश्न के हल के लिए श्री हीरालाल शास्त्री को एक पत्र लिखा जिसमें मैने निवेदन किया कि जनता में, खासकर किसानो में झंडा के नाम पर बलिदान हो जाने की भावना बड़ा जोर पकड़ चुकी है। इधर राजगढ़, कालरी और फेफाने इलाके के किसान कहते हैं कि जिस मीटिंग में झंडा न हो वह तो हमारी मीटिंग ही नहीं और जिस जुलूस में हमारा तिरंगा ना हो वह हमारा जुलूस ही नहीं है। इस समय झंडा ही प्रेरणा का केन्द्र बना हुआ है। हम अपने लोगों को अ.भा.दे. रा. लोक-परिषद् की नीति के अनुसार चलने को कहते है तो उन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। ज्यादा उत्साही व्यक्ति तो हमारी ऑफिसियल नीति की अवहेलना करके भी झंडे का प्रदर्शन कर ही देते हैं। तारीख 22 जुलाई को सारे बीकानेर मे प्रजापरिषद् संस्थापना दिवस मनाने का कार्यक्रम है। राजगढ़ वाले किसान-बंधु तो साफ कहते हैं कि हम तो झंडा जरूर लहरायेंगे परिणाम चाहे जो भी हो। आप हमे सही मार्गदर्शन तुरन्त दे।

दौरा करते कराते स्वामी कर्मानदजी अलवर कार्यालय में लौटे तो मेरा शास्त्रीजी के नाम पत्र पढ़कर बहुत खुश हुए। कुछ ही समय बाद शास्त्रीजी की तरफ से एक पत्र मिला। उस पत्र में शास्त्रीजी की तरफ से यही संकेत मिला कि यह नीति-परिवर्तन का काम इतना हल्का नही मानना चाहिए। भारत स्वतन्त्रता प्राप्ति की ओर अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। जून में ही इंग्लैड से केबिनेट-मिशन बातचीत के लिए भारत आ चुका है और सबसे मिलने-जुलने के बाद उसने स्वतन्त्रता-प्रदान की योजना बना ली है जिसमें आम सहमति हो चुकी है और निकट भविष्य में ही अन्तरिम मंत्रिमंडल की बागडोर अपने लोगों के हाथ में आ जाने की पूरी संभावना है। उस समय महाराजा साहब का क्या रुख व रवैया रहता है यह देखने की बात है। वैसे भी रायसिंहनगर गोलीकांड की जांच को हम आ ही रहे है। बीकानेर पहुँचकर हम लोग आवश्यकता होगी तो आपके महाराजा साहब से भी मुलाकात करके झंडे के मामले को सुलझाने का प्रयल करेंगे और तब तक आप लोग ऐसा कुछ न होने दें जिसके कारण सुलझन के बजाय कुछ उलझन बढ़ जावे। स्वामी कर्मानंदजी शास्त्रीजी के इस उत्तर से बिल्कुल संतुष्ट नही थे क्योकि स्वामीजी का कहना था कि राजगढ़ के अति उत्साही एव दमन से पीड़ित किसानो से तो हम बीकानेरियो को ही सामना करना था।

इस सिलसिले में महाराजा साहब ने भी एक बढ़िया काम किया और अपने एक भाषण में वल्लभभाई पटेल से चलने वाली बातचीत के हवाले से झडे के बारे में बीकानेर

राज्य की जनता से संयम से काम लेने की अपील की। महाराजा की इस अपील के कारण झंडे के मामले में उग्रता से सोचने वाले लोगो पर भी ठंडे छीटे पड़ने जैसा असर हुआ।

झंडे के बारे में सुलह-समझौता

अगस्त 1946 के दूसरे सप्ताह मे राजपूताना रीजनल कौसिल के दो नेताओं श्री हीरालालजी शास्त्री व श्री गोकुल भाई भट्ट ने झंडे के बारे मे महाराजा साहब से मुलाकात की। लालगढ़ महल में महाराजा से हुई उस लम्बी बातचीत के फलस्वरूप दोनों पक्षों में एक समझौता तय पाया गया जिसका सार पॉच बिन्दुओं मे इस प्रकार था —(1) जहां कही भी प्रजापरिषद् के भवन हों वहां परिषद् के भवनों पर व उनके परिसरों में तिरंगा झंडा लहराया जा सकेगा। (2) परिषद् के कार्यालयों पर झडा स्थायी रूप से लहराया जा सकेगा (3) सार्वजनिक सभाओं में तिरंगा लहराया जा सकेगा (4) पर पब्लिक में लोगो द्वारा समारोहपूर्वक (सेरेमोनियसली) यानी औपचारिक रूप से झंडा नहीं चढ़ाया जावेगा। (5) और जुलूसो में झंडा साथ रखकर नहीं फहराया जावेगा।

राजगढ़ में प्रजापरिषद् स्थापना दिवस समारोह

इसी अरसे में अलवर कार्यालय को अपने कार्यवाहक प्रधान स्वामी कर्मानंद का एक लम्बा तार मिला जिसका आशय यह था कि 'प्रजापरिषद् स्थापना दिवस मनाने की घोषणा होने के बाद राजगढ़ व सुजानगढ़ तहसीलों में धारा 144 लगा दी गई है पर राजगढ़ के किसानों एवं कार्यकर्ताओं ने तो धारा 144 तोड़ कर भी स्थापना-दिवस मनाने का निश्चय कर लिया है। पं. नेहरू और जयनारायण व्यास को यहां की स्थिति से सूचित कर दिया गया है। उस दिन राजगढ़ में आप में से किसी की उपस्थिति सहायक व लाभप्रद हो सकती है।'

इस तार को पाकर मैने और गंगादासजी ने विचार किया कि स्वामीजी अलवर से रवाना हुए थे तब भी झंडे के मसले पर संतुष्ट नहीं थे और अब तो धारा 144 के कारण स्थिति और अधिक उलझनपूर्ण हो गई है। रायसिहनगर के बाद खून-खच्चर में अबकी बार राजगढ़ की बारी आ सकती है। स्वामीजी तो खुद ही तेज मिजाज के हैं इसलिए गंगादास और मुझ दाऊदयाल मे से कोई उस दिन राजगढ़ में उपस्थित रहकर स्थिति पर और स्वयं स्वामीजी पर भी व्यवहार-कुशलता से काबू करे तो यह सामने दिख रही दुर्घटना टल सकती है। हम दोनों में से मैदानी काम सदा कौशिकजी ही करते रहे थे। और मुझ दाऊदयाल को सदैव ऑफिस-कार्य करने में ही संतोष मिलता था पर अबकी बार कौशिकजी का आग्रह था कि मै दाऊदयाल ही राजगढ़ चला जाऊं क्योंकि धारा 144 जैसे कानूनी उलझन के मसले को ज्यादा अच्छी तरह सभाल सकूंगा। मैंने राजगढ़ जाना स्वीकार कर लिया। 22 जुलाई से पहले ही मै मौके पर पहुच गया। किसानो को कस्बे में धारा 144 लगे होने का पता था पर वे उत्साह के साथ किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने को भी तैयार थे। सैकड़ो किसान आस-पास के

गाँवो से हाथ में तिरंगे झडे लिए 21 जुलाई को ही वहां पहुँच गये थे किन्तु अपने नेताओं से, पहले से मिली सूचनाओं के अनुसार कस्बे के क्षेत्र मे प्रवेश न करके कस्बे के बाहर ही चारों ओर पड़ाव डालकर आगे की सूचना का इन्तजार कर रहे थे।

उधर दूसरी तरफ बीकानेर सरकार ने प्रजापरिषद् का स्थापना-उत्सव कहीं भी न मनाने देने की दृष्टि से तारीख 19 जुलाई से ही तमाम शहरों और कस्बों में धारा 144 लगाकर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने व सार्वजनिक सभा करने पर पाबंदी लगा दी थी। इस अवसर पर खासतौर पर राजगढ़ कस्बे में तो बीकानेर से रेवेन्यू कमीश्नर और उनके साथ तत्समय नवनियुक्त आई.जी.पी. श्री चुन्नीलाल कपूर एक दिन पहले से ही आ डटे थे। कस्बे में एक दिन पहले से ही सैनिको व पुलिसियों का आतंककारी प्रदर्शन शुरू कर दिया गया था। दोनों तरफ से एकदम स्थिति तनावपूर्ण थी, *जिसे देखते हुए अगले दिन सिरफूटवल व खून-खराबे की पूरी आशंका थी।*

दिनांक 21 जुलाई की रात को मैंने स्वामीजी से कहा कि कल के दिन इस कस्बे में खून-खराबा होना अवश्यम्भावी लग रहा है। क्या स्वामीजी इन झंडाधारी किसानों को अगले दिन परिषद् का स्थापना दिवस कस्बे के बाहर ही मना लेने के लिए राजी नही कर सकते? यह बात स्वामीजी के गले बिल्कुल नही उतरी और वे बोले, 'दाऊदयालजी या बात तो कोई सूरत में होण की नही। इब सैकड़ां-हजारां लोग आ चुक्या है, या बात वांनै कुण कैवै? कर्मानंद तो हरगिज नहीं कहवैला। सरकार तो दूर रही तेरी व मेरी किसी गत बणेला या बात पैलाई सोच लेणी चाईजै।'

स्वामीजी की इस बात में बड़ी सच्चाई मालूम देती थी क्योंकि स्वामीजी अपने किसानों के जोश को बखुबी पहचान रहे थे। मेरे मन ने कहा कि इस उत्सव का सभा-पतित्व करने देहली जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हकीम खलीलुल रहमानजी कल आ ही रहे हैं जो ब्रिटिश भारत के अनुभवी व मंजे हुए नेता हैं इसलिए उनके आने पर ही हमें आगे का रास्ता तय करना चाहिए। पता नहीं क्यो मन को विश्वास हो रहा था कि कोई रास्ता निकल ही आयेगा।

सुबह हकीम सा. का स्टेशन पर स्वागत करके परिषद् के कार्यालय में उन्हे ला ठहराया गया और उन्हें नाजुक परिस्थिति से अवगत करा दिया गया। कुछ क्षण सोचने के बाद उन्होंने हमें सलाह दी कि जलसा (सभा) हमें किसी खुले मैदान में न करके किसी बड़ी चारदिवारी से घिरे स्थान में कर लेना चाहिए और किसानों को शाम को 3 बजे बाद 4-4 की टोली मे आकर मुकर्रर बाड़े में दाखिल हो जाना चाहिए जिससे धारा 144 की नाफरमानी भी नही होगी और हमारा जलसा भी मना लिया जावेगा। इतने पर भी अगर तुम्हारे हुकुमरान गिरफ्तारियां आदि कुछ करेंगे तो उसमें गिरफ्तारी देने वाला पहला शख्स में खुद होऊँगा।

उनकी यह सलाह हमें ठीक लगी और स्वामीजी ने भी सभा किसी खुले मैदान में करने की जिद छोड़ दी। इस काम के लिए कस्बे में एक बहुत बड़े अहाते को घेरी हुई

सरकार उनके साथ राजनैतिक वंदियों जैसा व्यवहार करने को तैयार नहीं थी। अलवर कार्यालय में उनकी भूख हड़ताल की सूचनाएं वरावर मिल रही थी और 22 जुलाई को तो उन्होंने पानी भी छोड़ दिया था। स्वामीजी बहुत चिंतित हो उठे। अलवर में मैने और स्वामीजी ने अलग-अलग तार देकर महाराजा साहव से उसकी जान वचाने की मांग की। इसी समय जेल में श्री हीरालाल शर्मा विचाराधीन कैदी होते हुए भी ऐसे भीषण दमन के शिकार हो रहे थे कि जिसका वर्णन करने मे मेरी लेखनी कॉप उठती है।

राजवंदियों की अचानक रिहाई

अलवर कार्यालय में झडे संवंधी पत्राचार के दौरान शास्त्रीजी से मिली चिट्ठी में हमे तो देश में होने वाले भावी परिवर्तन की सूचना का संकेत मिल चुका था पर महाराजा साहव की दमन-नीति में तो कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा था। इतने में हमें अलवर कार्यालय में तार द्वारा सूचना मिली कि महाराजा साहव ने चौ. हनुमानसिंह सहित सभी राजनैतिक बंदियो को छोड़ दिया है। हमे ऐसा लगा मानो निकट भविष्य में देश में यानी ब्रिटिश भारत में होने वाले भारी परिवर्तन का संकेत महाराजा साहव को भी मिल चुका होगा। अतः 21 जून को अपनी उत्तरदायी शासन देने की घोषणा, जिसका विधिवत प्रकाशन 31 अगस्त को होने वाला था, के निमित्त उचित वातावरण वनाने के वहाने समस्त राजनैतिक वंदियो की रिहाई के आदेश जारी कर दिये गये। वास्तव में देखा जावे तो 21 जून की घोषणा के फलस्वरूप अच्छा वातावरण बनाने के लिए ही राजनैतिक बंदियों को छोड़ना था तो यह शुभ काम घोषणा के तत्काल बाद कर दिया जाना चाहिए था और अगर समय पर छोड़ दिया जाता तो न तो रायसिहनगर वाला कांड होता, न साम्प्रदायिक दंगा करवाने की जरूरत पड़ती और न ही राजगढ़ के जुल्म होते, पर दमन-चक्र में कोई कमी लाने की बजाय अप्रत्याशित तेजी लाई गई थी। इसलिए 27 जुलाई की मध्यरात्रि को की जाने वाली यह राजबदियो की रिहाई उत्तरदायी शासन की घोषणा के फलस्वरूप उचित वातावरण बनाने के लिए की गई है ऐसा बहाना किसी के गले नहीं उतर रहा था और राजनैतिक हल्को में उसे देश के राजनीतिक क्षितिज मे जो प्रकाश की किरणे फूटने जा रही थी उससे आशंकित व सशंकित होकर उठाया गया कदम माना गया। फिर भी आम तौर से महाराजा साहव के इस कदम का सर्वत्र स्वागत किया गया हालांकि इस घोषणा की भद्रता को और लावण्य को श्री हीरालाल शर्मा को रिहा न करके मटियामेट कर दिया गया था। सर्व श्री रघुवरदयाल, कुंभाराम, हनुमानसिह, मघाराम, गनपतसिह, किशनगोपाल गुटड़ और रामनारायण, इन सात राजबंदियो की रिहाई कर दी थी तो आठवें हीरालाल को न छोड़कर महाराजा साहव ने अपने हृदय के अंदर की किसी कुटिलता को ही प्रकट किया जो दुर्भाग्यपूर्ण था। इस रिहाई के कुछ ही समय बाद पुन. शुरू किये जाने वाले दमन ने भी यह सावित कर दिया कि महाराजा साहब के हृदय मे कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नही हुआ था अपितु ब्रिटिश भारत में अपेक्षित राजनैतिक परिवर्तन की पेशवदी मे उठाया गया यह एक नाटकीय कदम था।

कठपुतली 'लोकप्रिय' मिनिस्टर और कठपुतली जनसंस्थाएं

परिषद् के नेताओं और खासतौर पर किसान नेताओं चौ हनुमानसिह, कुभाराम आदि के रिहाई के फलस्वरूप किसानो में उत्साह का ज्वार आवेगाही ऐसी कल्पना महाराजा व उसकी सरकार ने कर ली थी। वैसे तो गाँव मे बसने वाला हर जाति का आदमी खेती-पेशा तो होता ही है पर सर्वथा खेती पर ही निर्भर रहने वाले ग्रामीणो मे जाट व राजपूत, इन दो जातियों के नाम लिये जा सकते थे। ठाकुरों व सामन्तो को छोड़कर राजपूत जाति के किसानो की हालत जाट जाति के किसानो से कोई ज्यादा बेहतर रही हो ऐसी बात तो नही थी मगर सामाजिक स्तर (सोशियल स्टेटस) की दृष्टि से राजपूत किसानों की हालत अन्यो से काफी श्रेष्ठ रहती आई थी क्योकि उनके रिश्तेदार, भाई-बन्धु सगे-प्रसंगी, जिन्हें गिनायत कहा जाता है शासन व प्रशासन मे हर स्तर पर और हर महकमे में और कुछ तो महाराजा के मन्त्रिमंडल तक मे काफी मात्रा मे पाये जाते थे। मंत्रिमंडल तो राजपूतो का जमघट ही था जिसमें अगूठा छाप यानी 'निरक्षर भट्टाचार्य' होना भी कोई अयोग्यता नही थी पर जाटों के लिए स्थिति ठीक इसके विपरीत थी। बीकानेरी मुहावरे में वर्णन करे तो इन जाटों का तो कोई भी 'धणी-धोरी' ही नही था। इसलिए राजशाही व सामन्तशाही की सीधी मार इन पर ही पड़ती थी और इनका साथी सहायक भी उस समय तक कोई भी नजर नही आया, जब तक कि प्रजापरिषद् ने उनके दुख-दर्द और अभाव-अभियोग को अपना दुख-दर्द समझकर त्याग और वलिदान के वल पर राजाशाही व सामन्तशाही से सीधी टक्कर नही ले ली। सन् 1942 मे टिमटिमाता हुआ प्रजापरिषद् रूपी नन्हा-सा प्रकाश-दीप भी अनेक तूफानों व झझावतों से जूझता व संघर्ष करता हुआ सन् 1945-46 में अलवर रियासत में स्थित होकर अंधकार भरे समुद्र के बीच खड़ा हुआ एक लाइट-हाऊस वन चुका था जिससे प्रकाश व सही दिशा निर्देश पाकर दूधवाखारा, राजगढ़, कालरी, फेफाणा, नोहर व भादरा के किसान सामन्तशाही और राजशाही के जुल्मो से घिरी अपनी नाव को किनारे तक पहुँचाने में समर्थ हो गये थे और उन्होंने अपने विरोध को 'मास मूवमेंट' यानी जन-आंदोलन में बदल दिया था। यह किसानों के इस आंदोलन की यानी मास-मूवमेंट की ही ताकत थी जिससे आशकित व सशंकित होकर महाराजा साहब को अपनी, अपने रियासत की और अपने राजघराने की व राजसत्ता की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी शासन की घोषणा करनी पड़ी। अब महाराजा और उनकी सरकार ने किसी ऐसे जाट नेता को खोजना शुरू किया जो महाराजा साहव से हाथ मिलाकर, अपने आपको जाटों का प्रतिनिधि कहकर, जाटों मे प्रवेश करके, इस सारे किसान आदोलन की पीठ मे छुरा घोपने में सफल हो सके। कहते है 'जिन खोजा तिन पाइया।' और उन्हें भी चौ. ख्यालीसिंह के रूप में ऐसा व्यक्ति मिल ही गया। ऐसे नेता को किसी भी कीमत में खरीद कर 'मन्त्रिमंडल मे जाट भी है' यह वताना था। इसके लिए सरकार को कोई वहुत अधिक कीमत भी नहीं चुकानी पड़ी—केवल मात्र 'लोकप्रिय मिनिस्टर' के नाम से

ख्यालीसिह को ग्राम 'सुधार मत्री' मनोनीत कर देना पड़ा। लोगों ने चौधरी साहब को गद्दार व कठपुतली मिनिस्टर के नाम से पुकारा। साथ ही सरकार ने व्यापारी व बनियां वर्ग को खुश करने के लिए सन्तोष चन्द बरड़िया नाम के एक व्यापारी व पूंजीपति वर्ग के व्यक्ति को ऐसा ही कठपुतली 'स्वायत्त शासन मंत्री' बना दिया। ये नियुक्तियां 27 जुलाई की नेताओं की रिहाई के बाद फटा-फट एक सफ्ताह में कर दी गई।

ये कठपुतली जनसंस्थाएं

भारत में नये युग का सूत्रपात हो रहा था। ऐसे समय में बीकानेर नरेश भी यह सोचने लगे कि अंग्रेजी सत्ता अगर वास्तव में भारत छोड़कर चली गई तो उस समय हम देशी नरेशों का क्या होगा? ऐसे में बीकानेर नरेश ने प्रजापरिषद् के मुकाबले में उससे मिलते-जुलते नामों से राजकीय पैसे और जरखरीद पिट्ठुओं और भाड़े के टट्टुओं के माध्यम से राज्य के धन को पानी की तरह बहाकर 'बीकानेर राज्य प्रजा सेवक संघ' जैसे परिषद् से मिलते-जुलते नामों से कई संस्थाओं की बाढ सी ला दी थी जिनमें कुछ सेवा-निवृत्त भ्रष्टाचार के अपराध या आरोप में बरखास्त किये गये जजों, डाक्टरो, वकीलो और मिनिस्टरों के दलालों का सहयोग लिया जा रहा था। राष्ट्रीय तिरंगे के मुकाबले में महाराजा ने केसरिया—कसूमल इन दो रंगों का एक नये झंडे का निर्माण किया। उसे 'जनता का झंडा' बखान कर उसके नीचे संगठित हो अपने राज्य को सुदृढ़ बनाने का आह्वान किया, मगर यह नया झंडा जनता ने अपनाया नहीं।

9 अगस्त को बलिदान-दिवस मनाया

इधर प्रजापरिषद् ने 9 अगस्त को बलिदान-दिवस मनाना तय किया और सारे राज्य भर में जनता को सन् 1942 के 9 अगस्त की याद दिलाते हुए आजादी के लिए करने या मरने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। 9 अगस्त को गंगानगर जिले मे राजनैतिक सम्मेलन किया गया। जिले की माग पर गोयल ने इस राजनैतिक सम्मेलन मे जाकर भाग लिया और मुझ दाऊदयाल को भी साथ ले गये। दो दिन के इस सम्मेलन मे अपार भीड़ रही और अपूर्व उत्साह रहा। रियासत से बाहर से आमत्रित लोगो में पटियाला के सरदार हरचरणसिह एवं चोटाला के श्री देवीलाल के नाम उल्लेखनीय हैं। अधिकतर राजनैतिक बंदियो की रिहाई हो जाने के कारण सम्मेलन में उत्साह की बाढ़ आ गई। सन् 1942 के शहीदों और सन् 1945 के शहीद बीरबल को भावभीनी श्रद्धांजली दी गई। जेल से रिहा राजनैतिक बंदियों का शानदार स्वागत किया गया पर वीर युवक हीरालाल शर्मा की अनुपस्थिति अखर गई। सम्मेलन के मंच-मंत्री श्री अमरसिह ने आगन्तुकों का स्वागत करते हुए जो व्यंग्य भरा भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा कि 21 जून को महाराजा की घोषणा के बाद हमारे पास नागरिक स्वतन्त्रता की पार्सल कई रूपों में भेजी गई है मसलन रायसिंहनगर में गोली चलाकर, राजगढ़ मे फौज भेजकर, गगानगर के मौहल्लों में फौजी परेड कराकर, सारी रियासत भर मे 144 धारा लगाकर, जनसेवकों के मुँह पर ताले लगाकर हमें सरकार द्वारा क्या ही सुन्दर नागरिक

अधिकारों का पार्सल भेजा गया है। इतना ही नही अधिकारियो द्वारा गगानगर मे व्यापारियो को लूटे जाने की धमकी देकर एवं साम्प्रदायिक दंगे करवाने का भय दिखाकर इस नये अधिकारों के पार्सल की कीमत मे खूब इजाफा कर दिया गया है। श्री गोयल का बड़ा ही ओजस्वी भाषण हुआ। इन्हीं दिनो प्रजापरिषद् से त्यागपत्र देकर मत्री पद ग्रहण करने वाले चौ. ख्यालीसिंह की निन्दा की गई और 'बीकानेर पब्लिक सेफ्टी एक्ट', 'प्रेस रूल्स' आदि दमनकारी कानूनों को रद्द करने की माग की गई और विधान-निर्मात्री परिषद् में राज्य का प्रतिनिधित्व राजा के मनोनीत प्रतिनिधि की बजाय किसी जननेता द्वारा प्रतिनिधित्व कराने की मांग की गई। गोयल द्वारा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने की खतरनाक् नीति का विरोध किया गया और जनता को सचेत किया गया कि उत्तरदायी शासन की बातचीत के भुलावे में कही हमारी सघर्ष की बारूद गीली न हो जावे। बीकानेर को नया झंडा प्रदान करने के समारोह के अवसर पर महाराजा साहब द्वारा यह कहा गया था कि कुछ लोगो द्वारा तिरंगे झडे को लोगों पर लादा जा रहा है। श्री गोयल ने उसके प्रतिवाद में चुनौती भरी आवाज मे कहा कि जिस जगह लोग लाठियां और गोलियां खाकर भी राष्ट्रीय तिरगे झंडे की शान को कायम रखने के लिए तुले हुए हो वहां झंडे को लादने का इल्जाम स्वयं ही हास्यास्पद हो जाता है।

गंगानगर मे राजनैतिक सम्मेलन जिस समय उत्साहपूर्वक संयोजित हो रहा था उसी समय 9 अगस्त को चूरू मे बिना झंडा लिये निकाले गये जुलूस पर भी लाठिया बरसाई जा रही थी और अनेक कस्बो और बीकानेर शहर में धारा 144 लगी हुई थी। चूरू मे लाठी चार्ज की अधिकृत जांच के लिए बीकानेर प्रजापरिषद् के केन्द्रीय कार्यालय से, जो अब अलवर से बीकानेर आ चुका था, स्वामी कर्मानंदजी एवं चौ. कुम्भाराम को मौके पर चूरू भेजा गया। इधर कठपुतली मंत्री ख्यालीसिह का जगह-जगह विरोध हुवा। जब वे दौरे पर उत्तरी इलाके में गये तो उनका काले झडो से स्वागत किया गया और रायसिंहनगर और गंगानगर में तो उक्त मिनिस्टर महोदय अपने भारी विरोध को देखकर रेल के डिब्बे से नीचे ही नहीं उतरे और बाद में नोहर-भादरा और राजगढ़ का दौरा रद्द करके वापस बीकानेर लौट आये।

शास्त्री व भट्ट बीकानेर में

एक तरफ महाराजा साहब उत्तरदायी शासन की घोषणा कर रहे थे और दूसरी तरफ नित्य प्रति लाठी-गोली और धारा 144 की खबरें आ रही थी। अत. बीकानेर में नागरिक अधिकारों की सही स्थिति की जांच के लिए अ.भा. दे राज्य लोक परिषद् की राजपूताना प्रान्तीय परिषद् के अध्यक्ष श्री गोकुल भाई भट्ट एवं मंत्री श्री हीरालाल शास्त्री बीकानेर मे जाच के लिए भेजे गये।

13 अगस्त को यह कमेटी बीकानेर पहुँची। परिषद् के अध्यक्ष श्री गोयलजी उनके साथ देहली से बीकानेर पहुचे। स्टेशन पर से इनका जुलूस कोटगेट, रांगड़ी, मोहता चौक, तेलीवाड़ा होता हुवा चौतीना कुवा पर श्री गोयल के मकान पर पहुचा। कमेटी को

वीकानेर में नागरिक अधिकारों की स्थिति का ताजा प्रमाण वीकानेर में उतरते ही उस समय देखने को मिला जब जुलूस के दौरान ही विना लाइसेंस के जुलूस निकालने की मुमानियत की सूचना का एक नोटिस आई जी.पी. की तरफ से श्री गोयल पर तामील कराया गया पर उस नोटिस से जुलूस को नहीं रोका जा सका। जुलूस नियत स्थान पर पहुँचकर ही विसर्जित हुआ। उसी दिन ये नेतागण रायसिंहनगर चले गये। रायसिंहनगर के गोलीकांड की जाच करने के वाद ये नेतागण वीकानेर लौट आये।

वीकानेर मे सात दिन के दौरे पर आये हुवे इन नेतागणो की दो मीटिंगें हुई। वीकानेर मे ईदगाहवारी के वाहर सायं 8.15 से रात्री 11.00 वजे तक एक विशाल मीटिंग हुई एवं 19 अगस्त को कोर्ट व फोर्ट के वीच भी विशाल भीड़ को इन नेताओं ने सवोधित किया। उनमे हीरालाल शास्त्री ने विस्तार के साथ वताया कि इस समय अंग्रेज भारत छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे हैं और भारत मे एक मजवूत राष्ट्रीय केन्द्रीय सरकार वनने को जा रही है और उसी केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत ही भारतीय रियासतो को रहना है। उन्होंने यह भी वताया कि इस समय तक तो राजा लोग अंग्रेजों के वल पर अपना अस्तित्व वनाए हुए थे पर अव उनके सवके लिए ही समझने की वात है कि उनका अस्तित्व आयन्दा प्रजा के वल पर ही निर्भर रहेगा और वे राजागण ही राजा के रूप में वाकी रह सकेंगे जो अपने आपको प्रजा का प्रथम सेवक समझकर असली सत्ता अपनी प्रजा को सुपूर्द कर देगे। नेताओं ने महाराजा साहव को वधाई दी कि उन्होंने उत्तरदायी शासन की घोषणा की है किन्तु साथ ही सावधान किया कि पूर्ण नागरिक अधिकारों के अभाव मे उत्तरदायी शासन की सारी वातें वेमेल हो जाती हैं। इसलिए 'पब्लिक सेफ्टी एक्ट' और कठोर प्रेस नियम और जुलूसों पर पावंदी के नियम आदि अतिशीघ्र हटा लेने की वृत्ति को राजा लोग गभीरता के साथ महसूस करे तो सामयिक होगा। मीटिग को श्री गोकुलभाई भट्ट एवं रघुवरदयाल गोयल ने भी सम्वोधित किया। 18 अगस्त को इन्हीं नेताओं ने गंगानगर मे भी मीटिंग कर जनसमुदाय को संबोधित किया। इन नेताओं ने महाराजा द्वारा अपने जन्म दिन 31 अगस्त, 1946 को उत्तरदायी शासन की स्थापना की घोषणा के वादे के लिए महाराजा साहव को धन्यवाद दिया। 19 अगस्त, 1946 को पं. हीरालाल शास्त्री व गोकुल भाई भट्ट की महाराजा से मुलाकात हुई जिसमे मुख्य रूप से झंडे से संवधित विवादास्पद प्रश्न पर समझौता हुआ, रायसिंहनगर कांड के विषय में फौज द्वारा गोली मारने से पूर्व चेतावनी (वारनिंग) न देने की शिकायत महाराजा साहव से की गई। वीरवलराम के आश्रितों को मुआवजा देने एवं हीरालाल शर्मा को रिहा करने के विषय पर महाराजा साहव और शास्त्रीजी व भट्टजी में वार्तालाप हुआ। महाराजा साहव व पं. हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट के मध्य वार्तालाप का हवाला गोपनीय फाइल सं. 1946/72 से मिलता है। ये नेतागण रिपोर्ट तैयार कर 20-8-46 को वीकानेर से वापस रवाना हो गये।

मधुर घोषणाएं व कठोर दमन

मधुर घोषणाएं और कठोर दमन, यह वीकानेरवासियो का भाग्य था। घोषणाएं वड़ी मधुर होती थी किन्तु दमन भी वहुत कठोर होता था। महाराजा सा. की कथनी व

करनी मे हमेशा पाये जाने वाले जमीन-आसमान के अन्तर की तरफ से अगर आँखें मूद ली जावें तो महाराजा साहव के उत्तरदायी शासन की घोपणा वहुत महत्वपूर्ण अर्थ रखती थी कारण कि उस वक्त तक भारत के किसी अन्य राजा ने अपने राज्य मे उत्तरदायी शासन प्रदान करने की घोपणा नही की थी। इस मामले मे वीकानेर नरेश अग्रणी थे। इसलिए स्वाभाविक रूप से सव तरफ से उन पर प्रशंसा के फूलो की वर्षा हो रही थी। क्या ब्रिटिश भारतीय नेतागण और क्या भारतीय रियासतों के नेतागण, सभी महाराजा साहव की भूरी-भूरी प्रशंसा कर रहे थे मगर हम वीकानेरवासियो की समझ में नहीं आ रहा था कि उत्तरदायी शासन की घोपणा के साथ ही साथ गोली, लाठी, जुवान वदी और दमन तथा जगह-जगह धारा 144, यह सव एक साथ कैसे चलाया जा सकता था? इसका मेल कैसे वैठाया जावे ? दमन और उत्पीड़न तो हम प्रजाजनो के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग वन गया था, जवकि उत्तरदायी शासन था, मात्र एक सुहावना सपना।

31 अगस्त को संवैधानिक सुधारों की घोपणा

वाहर से आने वाले नेतागण तो महाराजा साहव की प्रशसा कर वापिस चले जाते पर हम इस रियासत के नागरिक कहां जा सकते थे? हमे तो यही रहकर दमन का शिकार वनना पड़ रहा था और डंडे खाते हुए भी रोने से मना किया जा रहा था क्योंकि हमें उत्तरदायी शासन की घोपणा का स्वागत करना था। नियत दिन 31 अगस्त आ गया, घोपणा प्रकाशित हो गई। घोपणा में मौटे तौर पर वताया गया कि एक विधान-समिति विधान का ढांचा तैयार कर प्रस्तुत करेगी और दूसरी मताधिकार-समिति मताधिकार की शर्तो और निर्वाचन-क्षेत्रों का निर्णय करेगी और ये कमेटियां अपना-अपना कार्य एक मार्च, 1947 तक सम्पन्न कर डालेंगी और नवंबर, 1947 से पहले-पहले अन्तरिम सरकार वना दी जावेगी और नया सविधान तैयार हो जाने पर चुनाव से बनी असेम्वली में वहुमत के आधार पर शासन चलेगा।

ढपोळशंखी घोपणाएं और दमन का दौर

मगर न तो मार्च तक रिपोर्ट तैयार हुई और न नवम्वर तक अन्तरिम सरकार ही वन पाई। परिपद्वाले इन वैधानिक सुधारों की घोपणाओं में सहयोग करने का निश्चय कर ही रहे थे कि सरकार का दमन-चक्र फिर एक वार शुरू हो गया। राज्य भर में जगह-जगह नागरिकों व कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां शुरू हो गई। नोहर में श्री मालचन्द हिसारिया, भादरा में चौ. रामलाल और गंगानगर में श्री रामचन्द्र वकील, जो रायसिंहनगर राजनैतिक सम्मेलन के संयोजक थे और जिसमें वीरवलसिंह पुलिस की गोली से शहीद हो गये थे, इन सवको पकड़ पकड़ कर जेल के सीखचों के पीछे धकेल दिया गया।

वीकानेर प्रजापरिषद् के तमाम कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन सर्दियो मे बुलाया गया और उनमें तमाम सदस्यों एवं कार्यकर्ताओं को यह परामर्श दिया गया कि जहा कहीं भी स्थानीय नेतागण जेल मे डाल दिये गये है वहां के वचे हुए कार्यकर्ता विल्कुल

उत्तेजित हुए विना परिषद् का कार्य चालू रखे और विशेषरूप से खादी और ग्रामोद्योग जैसे रचनात्मक कार्यो में अपनी शक्ति को लगा दे।

जागीरी जुल्मों की बाढ़ व जाट राजनीति का ध्रुवीकरण

2 अक्टूबर, 46 को सगरिया मे गांधी जयन्ती पर जुलूसों पर रोक लगा दी गई। चौ कुम्भाराम, वकील रामचन्द्र जैन, चौ. हरदत्तसिंह, हंसराज आर्य, सरदार गुरु दयालसिह आदि को गिरफ्तार कर लिया गया। 29 अक्टूबर को इन समस्याओं के विचारार्थ प्रजापरिषद् कार्यालय मे बैठक रखी गई इसमें उपस्थित लोगों में ये नाम उल्लेखनीय थे—रघुवरदयाल गोयल, गंगादास कौशिक, मूलचन्द पारीक, वैद्य मघाराम, भीक्षालाल, स्वामी सच्चिदानंद, बछराज सुराणा, अमीचन्द, हरिश्चन्द्र, हरिसिंह, जीवणदत, हरदत्त सिह, रामकिशन (पीलीबंगा), बृजलाल वकील, जयचन्दलाल वकील, डा. लालसिह, अध्यापक गौरी शंकर आचार्य, चौ. दीपचन्द, चौ. मनफूल, कन्हैयालाल, हंसराज, गौरीशंकर नोहर वाले, स्वामी कर्मानंद, ज्ञानीराम, महावीर हिसारियां, जोगी मायानाथ, चन्दगीराम, परमेश्वरी लाल (चूरू), अखाराम (डूँगरगढ़), रामप्रताप मूंधड़ा (डूंगरगढ़), गोपीचन्द (भादरा), मोहरसिंह (चांद गोठी), रामेश्वरसिंह (नाभास्टेट) आदि। इस मीटिंग में परिषद् के अध्यक्षीय चुनाव पर विचार हुवा तो ऐसा लगा मानो जाट राजनीति का ध्रुवीकरण हो चुका है। अधिकतर जाट नेता गोयल के खिलाफ उठ खड़े हुए। इसमें गोयलजी को अध्यक्ष-पद से हटाने की चर्चा रही। इसी सभा में लक्ष्मीनारायण हर्ष व सत्यप्रकाश गुप्ता भी मौजूद थे। यहीं से परिषद् का दो गुटों मे बंट जाना स्पष्ट हो गया।

कांगड़-काण्ड की लोमहर्षक गाथा

बीकानेर के राजकीय अभिलेखागार में गृहमंत्रालय की एक गोपनीय फाइल न. 1946/40 है जिसका शीर्षक है 'कांगड़ की जागीर के विरुद्ध आरोपों की जांच।' करीब 90 पृष्ठों की इस वृहद फाइल में बीकानेर रियासत के इस भीषण काण्ड का सारा मसाला मौजूद है। इसी शीर्षक से छपी एक 22 पेजी पुस्तक मे इस घृणित और लोमहर्षक काण्ड की सारी कहानी तफसील से दी गई है जिसके आधार पर संक्षिप्त में इसका किस्सा यों शुरू होता है :—

रियासत की रतनगढ़ तहसील में 'कडीड' गोत्र के जाटों का बसाया हुआ एक गाँव है जिसे आज 'कांगड़' नाम से पुकारा जाता है। सन् 1946 में कुल 135 घरो की इस बस्ती में 90 घर जाटो के थे। गांव के जागीरदार ठाकुर गोपसिहजी 'पोलो' के कुशल खिलाड़ी होने से महाराजा गंगासिह के चित्त चढ़ गये और लम्बे समय तक उन के ए.डी.सी. रहे और उनके बड़े पुत्र जसवंतसिंह उस समय महाराजा सादूलसिह के ए.डी.सी. थे। महाराजा गंगासिहजी द्वारा बख्शी हुई यह कागड़ गाँव की जागीर गोपसिंह के पास वरसो से चली आ रही थी।

कांगड़-काण्ड
[निरंकुश शासन की एक झलक]
सामन्त शाही और गैर जिम्मेदार
सरकार के शासन में
जनता को मिलने वाले
सुखद प्रसाद
लूट मार, घरों की तलाशियाँ, बहू बेटियों की बेइज्जती
और लोगों के साथ किये गये पाशविक अत्याचारों
का
नग्न चित्र
प्रकाशक—सच्चिदानन्द
प्रचार मन्त्री
बीकानेर प्रजा परिषद,
बीकानेर।

ठाकुर गोपसिंहजी के अत्याचारों की लपटों में !

कर्त्तव्य के सन्मुख भय और विपत्ति का सहर्ष स्वागत करने वाले प्रजा-परिषद के कार्यकर्त्ता —

नाम—

१—आगे बैठे हुये बाई ओर श्री चौ० हंसराजजी आर्य प्र० तहसील कमेटी भादरा।

२—आगे बैठे हुये दाई ओर श्री मास्टर पदमचन्दजी प्र० तहसील कमेटी राजगढ़।

३—बीच में बैठे बाई ओर श्री स्वामी सच्चिदानन्दजी महाराज।

४—बीच में बैठे दाई ओर श्री प्रोफेसर बाबू केदारनाथजी एम० ए०, गंगा नगर।

५—बाई ओर पीछे खड़े हुये श्री चौ० मौजीराम प्रधान ग्राम शाखा चान्दगोठी।

६—बीच में पीछे खड़े हुए श्री पं० गंगादत्तजी रंगा प्रधान नगर कमेटी शहर बीकानेर।

७—दाई ओर पीछे खड़े हुए श्री चौ० रूपरामजी कार्यकर्ता रतनगढ़ तहसील।

Home Department.

Nos.

Pages,

GPD 1190-2-46 ... HDM
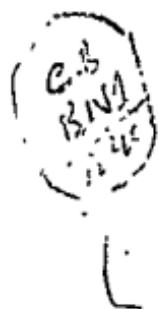
इसकी काश्त भूमि का दो आना प्रति बीघा लगान था और दो पैसे प्रति बीघा बंजड़ भूमि का लगता था उस समय जब यह खालसा यानी सरकारी गाँव था। जागीर मे लिये जाने के बाद पहले ही वर्ष सौ बीघे काश्त और सौ बीघे बंजड़ का लगान 15 रुपये से बढ़ाकर 34 रुपये कर दिया गया। कर की इस बढ़ोत्तरी के साथ ही प्रत्येक घर पर एक हल की 'लाग' लगा दी जो 10/- रुपये के आस-पास बैठती थी। इस प्रकार केवल एक ही वर्ष में किसान पर बोझ तिगुना कर दिया गया। इतने से संतोष नही हुवा तो साढ़े तीन रुपये 'धूआं', एक रुपया 'मुसाहिब', सवा रुपया 'मलवा', एक हल, 'तीन ल्हासिये, एक बोरा पन्द्रह रुपये का 'कार्ड' इस तरह कुल उन्तीस रुपयों की साधारण लागें लगाकर कुल बोझ 85 रुपये का कर दिया गया। इस प्रकार 'लाग और कर' की कोई सीमा नही रही। इस प्रकार के आर्थिक शोषण के साथ-साथ बेगार के रूप में गांववालो को और अधिक सताया जाने लगा। बेगारों के कारण किसानों को अपनी खेती छोड़कर बेगार देने को मजबूर किया जाने लगा। जिस साल यह कांगड़-कांड घटित हुआ उस वर्ष क्रहत (अकाल) ने भी अपना क्रोध इन गरीब देहातियो पर निकाला। उनके खेतो में कुछ भी अनाज नहीं हुआ। जागीरदार के मुसाहिब साहब के सम्मुख वस्तुस्थिति रखकर गाँव वालों ने इस वर्ष लाग-बाग माफ कर देने की प्रार्थना की किन्तु मुसाहिब साहब टस से मस नहीं हुए। उन्होंने स्पष्ट शब्दो में कह दिया कि लाग-बाग पहले वसूल होगी और फिर लगान की रकम। उन्होंने बीकानेर जाकर गोपसिंहजी को गांव वालों की बात बताई तो वे क्रोध से झुलसने लगे और झट कांगड़ जाने को तैयार होकर लालगढ़ पैलेस की 57 एस कार, 20 पुलिस के सिपाही और 200 अन्य राजपूतों को साथ लेकर गॉव में आ धमके। किसानों को गढ़ में बुलाया तो उन्होंने निवेदन किया कि लगान तो वे किसी तरह भर देंगे पर लाग-बाग माफ फरमादें। उत्तर मिला कि यदि लाग-बाग के साथ रकम एक साथ न दी गई तो उनकी खाल उतरवाली जायेगी। मार से बचने को 'हाँ' तो भर ली पर देने को उनके पास था क्या? ठाकुर साहब ने ऐलान कर दिया कि 'रकम भरो या पिटो' यह किस्सा 27 अक्टूबर, 1946 का है। दूसरे दिन डरते हुए गाँव वालों ने एक दिन की मोहलत मांगी और उसी रात को महाराजा की शरण में जाने को 35 लोग बीकानेर के लिए रवाना हो गए।

29 अक्टूबर को जब ठाकुर साहब को इसका पता लगा तो उन्होंने अपने साथ लाये और बुलाये गये राजपूतों और कायमखानियों को आज्ञा देकर गाँववालों पर धावा बुलवा दिया। वे लोग एक-एक घर में जबरन घुसकर लूट-खोस मचाने लगे और जो कुछ पैसा-टका, कपड़े-लत्ते मिले, जबरदस्ती गढ़ में उठा ले गये और घरों में रोते चिल्लाते स्त्री-पुरुषो को गढ़ में लाकर बुरी तरह उनकी पिटाई की। गाँव में कोई सुनने वाला नहीं था। सर्वत्र हाहाकार मच गया। मुकनाराम के पास 200/- और नंदराम के पास 105/- रुपये थे जो छीन लिए और वापिस नहीं किए। इस पुस्तिका के पृष्ठ 9 पर लिखा है 'इस प्रकार गाँव के लोगों से लगान, लाग-बाग और मार-पीटकर तथा

बेइज्जत करके जुर्माने वसूल कर लिये गये—लूट-खसोट के साथ ही गढ़ के लोगो की ओर से स्त्रियों के साथ बलात्कार करने तक के प्रयत्नों की घटना भी घटी जिसका विरोध करने वाले चौधरी सुरजारामजी जेसंगसर ने अपना सिर तक फुड़वा लिया।'

इस प्रकार अत्याचार पूर्वक गांव के लोगो से लगान और जुर्माने की वसूली करके गर्व के साथ ठाकुर साहब लालगढ़ लौट गये। पुलिसवालों ने गाँववालो की रिपोर्ट नही लिखी और अस्पताल वालों ने इलाज करने से इन्कार कर दिया।

इधर शहर में आने वालों की किसी ने सुनवाई नही की। दूसरे दिन महाराजा साहब को तार देकर मिलने देने का अवसर देने की प्रार्थना की गई पर कोई उत्तर नही मिला। सुबह महाराजा शिववाड़ी क्षेत्र में घूमने जाया करते थे इसलिए वहा पहुँचकर पाँव पकड़ लिए और शरण मांगी तो महाराजा ने लालगढ़ आने को कहा। लालगढ़ गये तो किसी ने मिलने नहीं दिया और गृहमत्री डा. प्रतापसिंह से निवेदन किया तो उन्होंने यह उत्तर दिया—

'तुम लोग प्रजापरिषद् में होगे, तब तुम्हारे साथ ऐसा वर्ताव हुआ होगा, वर्ना क्यों होता?'

गृहमंत्री के मुंह से प्रजापरिषद् का नाम सुनकर उन्हें परिषद् से फरियाद करने की सूझी।

जाँच दल का भी क्रूर उत्पीड़न

जागीर के कामदार, जागीरदार, पुलिस, गृहमंत्रालय, स्वयं बीकाणानाथ आदि किसी ने भी जब पीड़ितों के आँसू पोछने की इन्सानियत नहीं दिखाई तो सब तरफ से निराश किसानों ने गृहमंत्री के मुँह से 'प्रजापरिषद्' का नाम जान और सुनकर उधर कदम बढ़ा दिये और बीकानेर की रेल्वे स्टेशन के सामने स्थित बीकानेर राज्य प्रजा परिषद् के केन्द्रीय कार्यालय की शरण ली। सौभाग्य से उस दिन बीकानेर में राज्य भर के सक्रिय परिषद्-कार्यकर्ता सम्मेलन मे आए हुए थे इसलिए सभा ने उनकी करुण कथा सुनकर सहायता का आश्वासन दिया। गोयल ने उसकी सारी व्यथा-कथा सुनने के बाद कार्यकर्ताओं को इस करुण कहानी के तथ्यो को सत्यापित करने के लिए मौके पर जाने के लिए ललकारा तो अनेक लोगों ने गॉव में जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अपने अपने नाम लिखवाए। निम्नलिखित सात व्यक्तियों की जांच कमेटी नियुक्त कर दी गई :— सर्व श्री (1) स्वामी सच्चिदानद-उपाध्यक्ष, प्रजापरिषद् (2) हंसराज आर्य-प्रधान, तहसील कमेटी, भादरा (3) पं. गगादत रंगा, मंत्री, नगर परिषद् बीकानेर (4) मास्टर दीपचन्द, प्रधान, तहसील कमेटी, राजगढ़ (5) चौ. मौजीराम, प्रधान, ग्राम शाखासभा, चांदगोठी (6) प्रोफेसर केदारनाथ शर्मा एम.ए. एवं (7) चौधरी रूपाराम, कार्यकर्ता, तहसील राजगढ़।

जांच कमेटी के ये सातो सदस्य ता. 31 अक्टूबर, 1946 को ही कांगड़ के लिए बीकानेर से चल पड़े। अगले दिन 1 नवम्बर को बारह बजे बाद ये ग्राम कांगड़

पहुँच गये। वहा पहुंचकर इन्होंने वहां की दशा बड़ी विचित्र और भयंकर पाई। रास्ते मे लोगो ने इन्हें कागड़ न जाने का आग्रह किया था और समझाया था कि वहा ठाकर गोपसिंह खूंखार बना बैठा है और आपकी वहां खैरियत नहीं है पर ये लोग कर्तव्य से प्रेरित हुए गाँव चले ही गये।

गॉव में सर्वत्र मातम छाया हुआ था। सब ओर भय और आतंक का साम्राज्य दिखाई दे रहा था। जागीरदार के गढ़ के लोगों के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष, नाम को भी गांव में नही था। गांव के लोग खूंखार ठाकर के जुल्मों से भयभीत होकर गांव ही छोड़ चुके थे। किसी-किसी घर मे स्त्रियां थी जो इतनी भयभीत थी कि इन लोगों से बात करने मे घबराती थी। गॉव में कोई बात बताने वाला न पाकर निराशा के साथ ये सातो लौट पड़े। जब ये लोग वापिस चले आ रहे थे तो पीछे से ठाकर साहब के लठैतों ने आकर इन सातो को घेर लिया। ये लोग बन्दूक, तलवार तथा लाठियों से सुसज्जित थे। इन्हे गढ़ में ले जाकर ठाकर के सामने पेश कर दिया गया। सबकी तलाशी ली गई जिसमे पाए गए रुपये 231 नगद, बटुए, पैसिलें, कागज, छोटे पेंसिली-चाकू और एक घड़ी ठाकुर ने जबरन छीन लिये और सातों को एक कोठे में बंद कर दिया गया और फिर बारी-बारी से एक-एक को निकाल कर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया गया। पिटाई का ढग बड़ा विचित्र था : ठाकुर के दो-दो आदमी इनके हाथों और पैरों पर बैठ जाते और एक आदमी सिर पकड़ लेता। इसके बाद दो-तीन आदमी बारी-बारी से मारते। नंगा करके जूतों से चूतड़ों को पीटते, मुंह पर थप्पड़ मारने के साथ-साथ लात, मुक्के तथा बूंटों की ठोकरों से पिटाई जारी रहती। पहली बार, शाम से पहले ही पीट-पीट कर बेहोश तथा अध-मरे कर छोड़ दिया गया। रात्रि को फिर पिटाई जारी हो गई। इस बार पीटनेवालों ने शराब के नशे में धुत्त होकर दिल खोलकर पिटाई की। इधर पिटाई जारी थी उसी समय उधर ठाकुर साहब गोपसिहजी शराब में मस्त होकर गढ़ मे ढोलणियो से गाना करवा रहे थे। वह समय और दृश्य हृदय बिदारक थे। ठाकुर साहब अपने असली रूप मे थे। दूसरे दिन फिर वही सारी प्रक्रिया दुहराई गई। मार-पिटाई के साथ *अमानुषिक वेदनाएं भी कार्यकर्ताओं को पहुँचाई गई। चौ. रूपाराम तथा हंसराज* आर्य के गुप्तांगो में तीखे किये हुए डंडे चढाये गये। हंसराज आर्य, चौ. मौजीराम व रूपाराम के जनेऊ तोड़ डाले गये और पं. गंगादत रंगा की मारपीट के बाद चोटी उखाड़ ली गई। अपना रोब और आतंक गाँव वालों पर गालिब करने के लिए चौ. रूपारामजी को गढ़ से बाहर कुए के पास, जहां स्त्रियां पानी भर रही थी अपने आदमियों द्वारा नंगा करके पिटवाया। गाधी-नेहरू और बीकानेर के परिषद् के नेताओं को खूब दिल खोलकर गालियां दी जाती रही। इस प्रकार अधमरा करके इन्हे गढ़ से निकाल दिया गया। ये सभी जैसे-तैसे 3 नवम्बर को बीकानेर पहुंचे। पुलिस ने इस बारे में रिपोर्ट लिखने से साफ इंकार कर दिया और अस्पताल वालो ने इलाज करने से या चोटो का सर्टिफिकेट देने से साफ मना कर दिया। ता. 3/11/46 को बीकानेर से तार द्वारा महाराजा

साहब को सूचना भेज दी गई। मगर होना क्या था? वही ढाक के तीन पात। ऐसे जागीरी जुल्म रियासत भर में प्राय: होते रहते थे पर पीड़ितो को आतकपूर्वक दवा दिया जाता रहता था और उनके पास चुप रहने के सिवाय कोई विकल्प नही था। यह मामला तो प्रजापरिषद् तक पहुँच गया इसलिए प्रकाश मे आ गया और अखवारो मे इन जुल्मो का प्रकाशन हो गया तो राज्य भर मे और ब्रिटिश भारत में भी इसकी आवाज गूज गई। अखवारो में उठी इसी गूँज को अंग्रेजी अखवारो मे पढ़कर राज्य के प्रधानमत्री सरदार के.एम. पणिकर प्रशासन को लिखते रहे कि उन्हे जाच-रिपोर्ट कर असलियत से सूचित कराया जावे क्योंकि विधान-निर्मात्री परिषद् में बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के नाते उन्हें लज्जित होना पड़ रहा था—और बीकानेर के महाराजा के नाजिम और एस पी. से जाँच का नाटक करवा कर यह रिपोर्ट हासिल कर ली कि कागड में कोई जुल्मो-ज्यादती नही हुई, लगान-वसूली जागीर के ओलियो यानी रिकार्ड ने अनुसार सही पाई गई और मारपीट के वारे में स्वयं शिकायतकर्ताओं के अतिरिक्त कोई स्वतन्त्र गवाह सामने नही आया इसलिए मिसल दाखल दफ्तर कर दी गई।

इस प्रकार सन् 1945 व 1946 के दो वर्ष किसानो में चहुंमुखी जागृति तथा अन्याय अत्याचार से लोहा लेकर मुकावले मे डट जाने की लड़ाकू मनोवृत्ति का प्रमाण देकर अतीत के गर्भ में विलीन हो गये।

परिषद् में जातिवाद का भूत

इसी समय में धीरे-धीरे अन्दर ही अन्दर जाटवाद की भावना जोर पकड़ रही थी। हनुमानसिंह, स्वामी कर्मानंदजी, चौ कुंभाराम आदि इन सवकी लोलुप नजरे अव (3 दिसम्वर 1946 को) केन्द्र में पं. नेहरू की अध्यक्षता मे अंतरिम राष्ट्रीय सरकार वन जाने के बाद राज्य में भी प्रकट होने वाली संभावित सत्ता-सुन्दरी की ओर टकटकी लगाये ताक रही थी और गोयल, गंगादास, गंगादत्त रंगा, मघाराम, खेतुवाई, नानुवाई और रामनारायण (वधुडा) आदि की कुर्वानियों को एकदम भुलाकर व इन सवको धत्ता वताकर सत्ता मे आने का प्रयत्न शुरू हो गया था। एक वाक्य मे कहा जाये तो जिस तरह से दूध मे से मक्खी को निकालकर फेक दिया जाता है उसी तरह से जीवन को तिलतिलकर राष्ट्र के लिए होम देने वाले इन नेताओं की तरफ से आंखे मूंदकर जाटवाद ने अपना पजा फैलाना शुरू कर दिया। परिषद् में नये चुनाव कराए गए। प्रजापरिषद् पर जाट छा गये। नाम मात्र को एक गोयल का नाम केन्द्रीय कार्यकारिणी में सदस्य के रूप में रखकर बाकी सव को भुला दिया गया। कर्मानंद अध्यक्ष वन गये और स्वामी सच्चिदानद उपाध्यक्ष बन गये और प्रो केदारनाथ व मास्टर गौरीशंकर आचार्य जैसे उनकी ही हाँ में हॉ मिलाने वालों को जगह-जगह पदाधिकारी वना दिया गया।

जागीरी जुल्मों को महाराजा की शह

जागीरी जुल्म तो वढ़ ही रहे थे इसलिए अव 'जागीरी जुल्म समाप्त हो' की वजाय 'जागीरी प्रथा समाप्त हो' का नारा शुरू हो गया था। ऐसे मे जागीरदार लोग और

अधिक उत्तेजित हो गये और दमनचक्र तेज हो गया। सरकार सदा जागीरदारों की पीठ पर रहती आई थी। जिस तरह राजाओं की पीठ पर अंग्रेजों का वरदहस्त था उसी तरह इन जागीरदारो व सामन्तो की पीठ पर महाराजा साहब का वरदहस्त सदा प्रस्तुत रहा। महाराजा सादूलसिहजी ने तो भारत की स्वतन्त्रता के वर्ष यानी 1947 में अपने राज्य मे उत्तरदायी शासन की उद्घोषणाओं का शंख फूंकने के बाद भी खुले-आम दो ऐसे आदेश जारी किये जो उत्तरदायी शासन के नाटक पर सटीक रूप से प्रकाश डालते हैं। उनमे से एक महाराजा साहब का जनवरी 1947 का आदेश कहता है—महाराजा साहब की सरकार यह हुकुम देती है कि जागीरों के गाँवों में जागीरदारों को गांव के कुएं से, जिसमें से पानी किसान के श्रम और खर्च से खींचकर निकाला जाता है, पानी मुफ्त लेने का हक जागीरदारों का पुराना व निश्चित हक है, उनका यह हक किसानों की तरफ से बिना किसी रोक-टोक के जारी रहेगा' और ऐसा ही दूसरा आदेश जो मार्च में जारी हुआ उसमें यह अंकित है कि 'श्री जी साहब बहादुर की सरकार यह आज्ञा देती है कि कई जागीरदारों के गाँव आसामियान (यानि किसानगण) अपने खेतों में जागीरदारों को दरख्त (पेड़) काटने से रोकते हैं, मना करते हैं यह ठीक नहीं है। अतः निर्देशित किया जाता है कि जागीरदार लोग अपनी-अपनी जागीरों के अन्दर अपने निजी काम के लिए किसानों के खेतों से जितने आवश्यक हों उतने पेड़ काट सकते हैं।'

राजगढ़ और हमीरावास आदि के पुलिस-जुर्म संबंधी छपी खबरों की फोटोकापी

[illegible] — The Hindustan Times Weekly, New Delhi.
Page — 8.
Date — 20th May, 1946.

POLICE "ZOOLUM" IN BIKANER UNCHECKED

(From A Correspondent)

ALWAR, May 17.—Further light on police 'zoolum' in Bikaner State is thrown by a telegram sent to Pandit Jawaharlal Nehru, President of the All-India States People's Conference, by Mr Raghuvar Dayal Goel, President of the Bikaner Rajya Praja Parishad. (An earlier report of police repression in Bikaner city appeared in these columns on May 16.)

The telegram says: Peasants of the villages of Hamirwas, Chandgothi and Nawan (Tehsil Rajgarh) recently took out peaceful processions to mark their protest against the Government's repressive policy. To prevent the repetition of such an incident, the Superintendent of Police, Rajgarh, deputed a police force of 50 men headed by an Inspector to Thana Hamirwas. These policemen call kisans in the thana in groups of ten or more and beat them with dandas causing them serious injuries.

Removal To Jungles

The kisans are generally kept in the thana for a day or two without any food and beaten and subsequently removed to far-off jungles where water is scarcely available. Upto now about 50 kisans have been meted out the above treatment. They were beaten so mercilessly that some of them lost consciousness.

When hospital authorities at Rajgarh were approached for treatment they refused even to examine the injured.

Cruel Robbery

To make conditions worse while the injured lie helpless, policemen break into their houses and remove gur, seed, fodder and charpoys from there. When the women-folk object they are abused, ill treated and threatened with the same fate as of the men-folk.

The Maharaja is at present at Mount Abu enjoying its salubrious climate.

OFFICIAL DENIAL

The Director of Publicity, Bikaner, in a statement says:

"In the Hindustan Times dated May 16 a message was published from Alwar making certain allegations about the [illegible] of [illegible] in Bikaner. Among the statements contained in that [illegible] are (1) that Praja Mandal[illegible] workers were subjected to lathi charge by the State Police; (2) that men, women and children were [illegible] beaten [illegible]; (3) that a large number of persons [illegible] injuries [illegible] fractures of bones and ribs and [illegible] many fell unconscious [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Karmanand [illegible] [illegible]

No Hunger-strike

"Karmanand, a Jat [illegible], who has taken a leading part in inciting peasants and spreading disaffection among the people, was arrested early in April. As a protest, Karmanand resorted to hunger-strike but soon gave it up and has been taking normal food for the last three weeks and is now in good health. On May 9 a few Jats, only about 12 in number, who had been sent to Bikaner under the false pretext that Karmanand was still on hunger-strike, collected in Bikaner and were instigated to make anti-State demonstration by taking out processions and shouting slogans. The procession was quietly dispersed without a lathi-charge and when facts were explained to the Jats that Karmanand was not on hunger-strike and why action was taken against him, they returned to their village.

Another procession was similarly attempted the next day at Rajgarh which was also quietly dispersed without a lathi-charge. It will thus be clear that no lathi-charges were made by the police and that no one much less women and children, was arrested, beaten or locked up. Everyone was allowed to go after being duly warned. It is equally false to say that any injuries were caused to the processionists. The statement that large numbers were injured and that many fell unconscious and bones and ribs were fractured is entirely untrue. Proper inquiries reveal that two persons received minor scratches which occurred in the course of the dispersal of the [illegible]."

No. 785/762 [illegible]
Submitted to [illegible] [illegible] [illegible]

Chunni [illegible]

अध्याय नौवाँ

राष्ट्रीय रंगमंच पर महाराजा की ऐतिहासिक भूमिका

स्वर्गीय महाराजा के जन्मतिथि,
ता. २ सितम्बर १९५४ को
इस मूर्ति की अनावरण करते समय, राष्ट्र-
पति डा राजेन्द्र परसाद ने अपने भाषण में कहा-

"आप बीकानेर के रहने वाले, उन्होंने
(स्वर्गीय महाराजा ने) जो कुछ, बीकानेर राज्य
के लिये, बीकानेर की प्रजा के लिये किया, इस-
से खूब वाकिफ हैं और कुंवर जसवन्त सिंह जी
ने उसका थोड़ा बहुत जिक्र भी कर दिया है।
इसलिये मैं केवल इतना ही कहूंगा कि यह महा-
-राजा साहब का हमेशा प्रयत्न रहा कि अपनी
प्रजा को किस तरह से सुखी बनावें, किस प्र-
कार से इस राज को उन्नत करें।" जो लोग उस
समय (विलिनी करण के पहले) का इतिहास
जानते हैं और जितने लोग उस वक्त जो कुछ हो
रहा था उसकी जानकारी रखते हैं उनको यह
बात अच्छी तरह मालूम है कि महाराजा शार्दूल
सिंह जी ने भारत देश की कितनी बड़ी सेवा की।
"उन्होंने समझौता करके दूसरे नरेशों को रास्ता
दिखलाकर केवल बीकानेर को ही नहीं बल्कि
और राज्यों को भी भारत के साथ मिलने का
प्रोत्साहन दिया और मदद की। इसलिये भारत-
वर्ष उनका बड़ा ऋणी है और रहेगा। जब उस
समय का इतिहास लिखा जायगा तो उस में
यह बात स्पष्ट कही जायगी कि एक तरफ
भारत के बटवारे की विपत्ति आ रही थी और दूस-
री ओर भारतवर्ष के पाश पाश होने के लिये
दरवाजा खोला जा रहा था पर उन्होंने जवांमर्दी
के साथ, देश प्रेम के साथ, दूरदर्शिता के साथ
अपने को खड़ा करके उस दरवाजे का मुँह
बन्द किया।"

भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्रप्रसाद ने दिनांक 2 सितम्बर 1954 को
महाराजा साहब की प्रस्तर-प्रतिमा का अनावरण किया
प्रस्तर-प्रतिमा के नीचे अंकित राष्ट्रपति के उद्‌गार
'भारतवर्ष उनका बड़ा ऋणी है और रहेगा'

राठौड़ वंश के बीकानेर के अंतिम नरेश महाराजा सादूलसिंहजी बहादुर
जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के नाजुक और अंतिम क्षणों मे अन्य नरेशों को सही नेतृत्व प्रदान कर इतिहास मे गौरवशाली स्थान प्राप्त कर लिया

स्वर्गीय महाराजा के जन्मतिथि,
ता. 2 सितम्बर 1954 को
इस मूर्ति को अनावरण करते समय, राष्ट्र-
पति डा. राजेन्द्र प्रसाद ने अपने भाषण में कहा-

"आप बीकानेर के रहने वाले उन्होंने (स्वर्गीय महाराजा ने) जो कुछ बीकानेर राज्य के लिये, बीकानेर की प्रजा के लिये किया उस-से खूब वाकिफ हैं और कुंवर जसवन्त सिंह जी ने उसका थोड़ा बहुत जिक्र भी कर दिया है। इसलिये मैं केवल इतना ही कहूंगा कि यह महा- - राजा साहब का हमेशा प्रयत्न रहा कि अपनी प्रजा को किस तरह से सुखी बनावें, किस प्र-कार से इस राज को उन्नत करें।" जो लोग उस समय (विलिनी करण के पहले) का इतिहास जानते हैं और जितने लोग उस वक्त जो कुछ हो रहा था उसकी जानकारी रखते हैं उनको यह बात अच्छी तरह मालूम है कि महाराजा शार्दूल सिंह जी ने भारत देश की कितनी बड़ी सेवा की उन्होंने समझौता करके दूसरे नरेशों को रास्ता दिखलाकर केवल बीकानेर को ही नहीं बल्कि और राज्यों को भी भारत के साथ मिलने का प्रोत्साहन दिया और मदद की। इसलिये भारत-वर्ष उनका बड़ा ऋणी हैं और रहेगा। जब उस समय का इतिहास लिखा जायगा तो उस में यह बात स्पष्ट कही जायगी कि एक तरफ भारत के बटवारे की विपत्ति आ रही थी और दूस-री और भारतवर्ष के पाश पाश होने के लिये दरवाजा खोला जा रहा था पर उन्होंने जमामर्दी के साथ, देश प्रेम के साथ, दूरदर्शिता के साथ अपने को खड़ा करके उस दरवाजे का मुँह बन्द किया।"

भार[illegible] ाष्ट्रपति डा. राजेन्द्रप्रसाद ने दिनांक 2 सितम्बर 1954 को महाराजा साहब की प्रस्तर-प्रतिमा का अनावरण किया

प्रस्तर-प्रतिमा के नीचे अंकित राष्ट्रपति के उद्‌गार

'भारतवर्ष उनका बड़ा ऋणी है और रहेगा'

राठौड़ वंश के बीकानेर के अंतिम नरेश महाराजा सादूलसिंहजी बहादुर
जिन्होने स्वतत्रता प्राप्ति के नाजुक और अंतिम क्षणो मे अन्य नरेशों को सही नेतृत्व
प्रदान कर इतिहास मे गौरवशाली स्थान प्राप्त कर लिया

राष्ट्रीय रंगमंच पर महाराजा की ऐतिहासिक भूमिका

महाराजा साहव के राज्य में तो यह हाल था पर बाहर यानी भारतवर्ष की राष्ट्रीय राजनीति के प्रांगण मे महाराजा साहब वह ऐतिहासिक रोल अदा करने जा रहे थे, जिसने भारतीय स्वतन्त्रता के इतिहास में बीकाणानाथ का नाम अमर कर दिया।

भारतवर्ष की राजनीति में अब वह समय आ गया था जब ब्रिटिश सत्ता ने भारतीयों को अपना संविधान बनाने का पूर्ण अधिकार दे दिया और 9 अक्टूबर, 1946 को ही विधान-निर्मात्री परिषद् ने अपना काम शुरू भी कर दिया। अंग्रेजों ने यह चाल खेली कि एक तरफ तो देश के नेताओं को अपना संविधान बनाने की पूर्ण स्वतन्त्रता देना घोषित कर दिया पर साथ ही भारत की आजादी के कट्टर दुश्मनों अर्थात् (1) मुस्लिम लीग और (2) नरेन्द्र मंडल इन दोनों को भी यह स्वतन्त्रता दे दी कि वे इस विधान-निर्माण करने वाली परिषद् मे चाहे जैसा स्टेण्ड लें अर्थात् चाहें तो शामिल हो और न चाहें तो अलग रहे। मुस्लिम लीग ने शुरू मे संविधान निर्मात्री परिषद् में शामिल होने का वादा किया पर बाद में अचानक अपना पैर हटा लिया और कह दिया कि हम अपने पाकिस्तान का संविधान अलग बनाएंगे और भारतीय विधान-निर्मात्री परिषद् मे शामिल नहीं होगे। दूसरी तरफ नरेन्द्र-मंडल के चांसलर भोपाल के नवाब सा. ने 19 जनवरी 1947 को एक प्रस्ताव द्वारा यह घोषित कर दिया कि राजा लोग भी संगठित रूप से विधान-निर्मात्री परिषद् में उस समय तक शामिल नही होंगे जब तक कि (राजाओं के शामिल हुए बिना ही) भारतीय विधान-निर्मात्री परिषद् संविधान का पूरा ढाचा बनाकर प्रस्तुत न कर दे, और उसमें यह स्पष्ट न हो जाए कि रियासतों के राजाओं की प्रभुसत्ता को आँच नही आयेगी, तत्पश्चात् ही राजा लोग उचित समझेंगे तो अपने आपको संविधान-निर्मात्री परिषद् में शामिल करेगे। इस प्रकार उन्होंने सारी बागडोर अपने हाथ में रख ली। उन्होंने वह नीति अपनाई जिसे 'बाड़ पर बैठने' की नीति कहते हैं।

पं. नेहरू की झुंझलाहट

विधान-निर्मात्री परिषद् में शामिल न होने वाले नरेशों और जो कुछ थोड़े से राजा लोग राष्ट्रहित की भावना से विधान-निर्मात्री परिषद् में शामिल होने का रुझान रखते थे उन को भी शामिल होने से रोकने का प्रयत्न करने वालों के खिलाफ नेहरू को झुंझलाकर यह कहना पड़ा कि 'अब जो राजा लोग विधान-निर्मात्री परिषद् में शामिल न होकर देश को विघटन की ओर धकेलने की नीयत से विधान-निर्मात्री परिषद् में शामिल

नहीं होंगे तो उनका यह काम देशद्रोहितापूर्ण कार्य माना जायेगा।' पंडितजी की यह खुल्ली झल्लाहट बहुत कड़वी थी। लेकिन एकदम सच्ची थी। मुस्लिम लीग के नेता लियाकत अली खॉ ने पंडित नेहरू की इस सत्य किन्तु कड़वी झल्लाहट का विरोध करते हुए राजाओं का आह्वान किया कि वे नेहरू की धमकियो में न आवें।

इस अवसर पर बीकानेर नरेश महाराजा सादूलसिंह ने अद्भुत हिम्मत का परिचय दिया और देश के चंद प्रगतिशील राजाओं के साथ शामिल होकर एक बड़ा ही बहादुरी का कदम उठाया। नरेन्द्र-मंडल की घोषणाओं के बावजूद राजाओं का एक छोटा सा ग्रुप इस बम्बई वाले प्रस्ताव से बिल्कुल सहमत नहीं था। बड़ौदा महाराजा के दीवान वी.एल. मित्रा ने अपने नरेश की इच्छानुसार 8 फरवरी 47 को ही घोषित कर दिया कि बड़ौदा राज्य परिषद् मे सीधा भाग लेगा और वह नरेन्द्र-मंडल के बम्बई के रिजोलूशन से बंधा हुआ नहीं है। इससे भी पूर्व 30 जुलाई 1946 को ही महाराजा-कोचीन ने घोषणा कर दी कि वे विधान निर्मात्री परिषद् में भाग ले रहे है और अपने राज्य के केवल लोकप्रिय चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से बातचीत करेगे। नरेन्द्र-मंडल के चासलर भोपाल के नवाब ने कह दिया कि हम तो 19 जनवरी वाले प्रस्ताव के अनुसार ही कार्य करेंगे। राजाओं के दोनो ग्रुप अपने-अपने पक्ष पर डटे रहे। जब बातचीत ठप्प होने को आई तो पटियाला के महाराजा ने फिर बातचीत शुरू करने की कोशिश की। कांग्रेस की तरफ से नेहरू ने फुसलाने वाली नीति से काम लेना शुरू किया। पर 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा कर दी कि किसी भी सूरत में जून 1948 से पहले-पहले ब्रिटेन भारतीय हाथों में सत्ता सौंप देगा पर राजाओं पर जो ब्रिटेन की प्रभुसत्ता है वह ब्रिटिश भारत की सत्ता को नहीं सौंपी जावेगी वरन् वह अपने आप समाप्त हो जावेगी। इसका असर बातचीत वाली कमेटी पर अच्छा पड़ा। नये वायसराय माउण्टबेटन 22 मार्च, 1947 को भारत आ गये। नरेन्द्र-मंडल की मीटिंग अप्रेल में रखी गई थी। चांसलर भोपाल के नवाब ने मेमोरेण्डम बनाया जो बीकानेर के महाराजा सादूलसिंह को मंजूर नही था और उन्होंने अपना विरोध घोषित कर दिया। उन्होंने नरेन्द्र-मंडल के चांसलर भोपाल नवाब की 'वेट एण्ड सी' की नीति अखत्यार करने पर प्रश्नचिह्न लगा दिया। बड़ी योग्यतापूर्वक महाराजा ने अपना दृष्टि-बिन्दु राजाओं के सामने रखा कि केबिनेट-मिशन प्लान को कांग्रेस ने मूल रूप से स्वीकार कर लिया और मुस्लिम लीग ने भी उसमे अपनी स्वीकृति दे दी थी पर बाद मे मुस्लिम लीग मुकर गई। अब राजाओं का भी उससे मुकर जाना यह छवि देगा कि राजा लोग ब्रिटिश भारत की किन्ही पार्टियो के हाथों मे खेल रहे है। रियासतों के अपने हित में भी यही ठीक होगा कि जून 1948 में सत्ता के परिवर्तन के समय भारत में एक मजबूत केन्द्रीय सरकार की स्थापना हो। इसलिए राजाओं का हित भी इसी में है कि मजबूत केन्द्र के निर्माण में जी-जान से सहयोग करें। महाराजा बीकानेर के इस स्टेण्ड को महाराजा पटियाला का पूरा सहयोग मिला और उन्होंने बाड़ पर बैठे रहने की राजाओं की नीति की भर्त्सना की। महाराजा बीकानेर ने इसी नुक्ते पर निर्णय किया कि नरेन्द्र-मंडल की अगली मीटिग में शामिल होने से कोई फायदा नहीं है। महाराजा बीकानेर के सारे प्रयत्न नरेन्द्र-मंडल के चासलर को प्रभावित करने मे विफल हो चुके थे इसलिए स्पष्ट

रूप से नरेन्द्र-मंडल के बहुमत की नीति के विपरीत घोषणा की कि वे (महाराजा बीकानेर) विधान-निर्मात्री परिषद् में भाग लेने जा रहे है। बीकानेर महाराजा ने 1 अप्रेल 1947 की नरेन्द्र-मंडल की घोषणा का वहिष्कार कर दिया और केवल अपनी घोषणा को प्रगट करने के लिए ही नरेन्द्र-मंडल की स्टेण्डिंग कमेटी की मीटिंग में आये और अपने वयान देकर के वाक-वाउट कर गये। इसके वाद दूसरे नरेश धीरे धीरे इसी मत का समर्थन करने लगे और एक-एक करके विधान निर्मात्री परिषद् में शामिल होने लगे। महाराजा साहब के इस स्टेण्ड से उनकी चारो ओर भूरि-भूरि प्रशंसा हुई और हम लोग भी उनके इस कृत्य से गदगद हो गये क्योंकि इससे वीकानेर का गौरव वढ़ा था और यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्ति मे सचमुच बीकानेर का बड़ा योगदान था।

महाराजा के बारे में राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू के प्रशंसनीय उद्‌गार

आगे आने वाले वर्षो में महाराजा साहब की जन्म तिथि 2 सितम्वर 1954 को उनकी स्टेच्यू (प्रस्तर-मूर्ति) का बीकानेर के जूनागढ़ के पास अनावरण करते हुए भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद ने जो उद्‌गार प्रगट किए वे इस प्रकार उस मूर्ति के नीचे खुदे हुए हैं —

'स्वतत्रता प्राप्ति के उस नाजुक काल में महाराजा सादूलसिह ने भारत देश की वहुत वड़ी सेवा की। उन्होंने तत्समय भारत यूनियन में शामिल होने का समझौता करके व दूसरे नरेशों को मार्ग दिखाकर केवल बीकानेर को ही नहीं अपितु अन्य देशी राज्यों को भी भारत के साथ मिलवाने को प्रोत्साहन दिया और मदद की इसके लिए भारतवर्ष उनका बड़ा ऋणी है और रहेगा। जव उस समय का इतिहास लिखा जायेगा तो उसमें यह वात स्पष्ट कही जायेगी कि जव एक तरफ भारत के बटवारे की विपत्ति आ रही थी और दूसरी ओर (देशी रियासतों द्वारा केन्द्र से अलग रहकर) भारतवर्ष के टुकड़े किये जाने के लिए दरवाजा खोला जा रहा था, उन्होंने जवांमर्दी के साथ, देशप्रेम के साथ और दूरदर्शिता के साथ अपने को खड़ा करके उस दरवाजे का मुँह वंद कर किया।'

अध्याय दसवाँ

प्रजा परिषद् में गहरी फूट

प्रजा परिषद् में गहरी फूट

राष्ट्रीय मंच पर जो गौरवशाली भूमिका महाराजा ने अदा की उससे हम लोगों को बड़ी खुशी हुई थी। महाराजा के रियासत में वापस लौटते ही वह उसी प्रकार गायब हो गई जैसे मोर के नाचने को देखकर होने वाली खुशी उसके पैरो की तरफ देखते ही खत्म हो जाती है। सारे देश में महाराजा पर प्रशंसा के फूल प्रचुर मात्रा में बरसाये जा रहे थे जबकि महाराजा व उनके प्रशासन की ओर से आजादी चाहने वाले किसानों और नागरिकों पर ईंट व पत्थरों की वर्षा हो रही थी। ऐसे में हम लोगों को रियासत में अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सत्याग्रह चलाने की तैयारी करनी पड़ी और आठ सौ सत्याग्रहियों की सूची तैयार हो गई। सत्याग्रहियों में मूलचंद पारीक, रणछोड़दास व्यास, जगन्नाथ व्यास, किशनगोपाल गुटड़, मेघराज पारीक आदि के नाम शामिल थे। दूसरी तरफ प्रशासन साम्प्रदायिक द्वेष की आग भड़काने को फिर तैयार था।

जाट ग्रुप प्रजापरिषद् पर अपना पूर्ण अधिकार जमा चुका था और किसानों के लिए मर मिटने वाले गोयल और वैद्य मघाराम और उनके साथियों के 'पंख' एक-एक करके काटे जाने लगे। गोयल के द्वारा निर्मित केन्द्रीय कार्यालय में सत्यप्रकाश गुप्ता कार्यालय मंत्री थे। कर्मानंद के अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहले सत्यप्रकाश गुप्ता को कार्यालय मंत्री के पद से तुरन्त हटा दिया गया ताकि बीकानेर राज्य प्रजापरिषद् के केन्द्रीय कार्यालय से गोयल या मघाराम को कोई भी अंदरूनी बात मालूम न होने पावे। 1 फरवरी सन् 1947 को गंगादास कौशिक के पर काट दिये गये और जाटों के 'यस-मैन' प्रो. केदार केन्द्रीय महामंत्री बना दिए गये। अप्रेल 1947 मे अध्यक्ष कर्मानंदजी द्वारा अचानक केन्द्रीय कार्यकारिणी भंग कर दी गई। नई कार्यकारिणी में रामचन्द्र जैन-उपाध्यक्ष, प्रो. केदार-महामंत्री, गौरीशंकर-कोषाध्यक्ष बने और गोयल को कार्यकारिणी की सदस्यता से भी हटा दिया गया। प्रान्तीय नेताओं में खलबली मच गई और गोकुल भाई भट्ट और गोकुललाल आसावा ये दो नेता समझौता कराने बीकानेर आये। उन्होंने कर्मानंद को इस बात के लिए राजी किया कि वे पुनः गोयल को कार्यकारिणी मे सम्मिलित कर लें पर अब गोयल ने यह कहकर कार्यकारिणी में आने से इंकार कर दिया कि सत्ता के भूखे भेड़ियो के बीच मे मैं (गोयल), जिसने अपने खून से प्रजापरिषद् का निर्माण किया है उनकी दया पर कार्यकारिणी में हरगिज नही रहना चाहता। गोकुलभाई भट्ट ने व्यक्तिगत रूप से जब गोयल पर दबाव डाला तो गोयल ने धीरे से गोकुल भाई से कहा कि 'मेरे समय मे मै और मेरे कार्यकर्ता सिर्फ राष्ट्र को कुछ देने के लिए ही प्रजा परिषद् के अंग बने थे और आप गाँठ बाँध लीजिये कि यह थानेदारी छोड़कर आने वाले

प्रजा परिषद् में गहरी फूट

राष्ट्रीय मंच पर जो गौरवशाली भूमिका महाराजा ने अदा की उससे हम लोगों को बड़ी खुशी हुई थी। महाराजा के रियासत में वापस लौटते ही वह उसी प्रकार गायब हो गई जैसे मोर के नाचने को देखकर होने वाली खुशी उसके पैरों की तरफ देखते ही खत्म हो जाती है। सारे देश मे महाराजा पर प्रशसा के फूल प्रचुर मात्रा में बरसाये जा रहे थे जबकि महाराजा व उनके प्रशासन की ओर से आजादी चाहने वाले किसानों और नागरिकों पर ईंट व पत्थरो की वर्षा हो रही थी। ऐसे में हम लोगों को रियासत में अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सत्याग्रह चलाने की तैयारी करनी पड़ी और आठ सौ सत्याग्रहियों की सूची तैयार हो गई। सत्याग्रहियों में मूलचंद पारीक, रणछोड़दास व्यास, जगन्नाथ व्यास, किशनगोपाल गुटड़, मेघराज पारीक आदि के नाम शामिल थे। दूसरी तरफ प्रशासन साम्प्रदायिक द्वेष की आग भड़काने को फिर तैयार था।

जाट ग्रुप प्रजापरिषद् पर अपना पूर्ण अधिकार जमा चुका था और किसानों के लिए मर मिटने वाले गोयल और वैद्य मघाराम और उनके साथियों के 'पंख' एक-एक करके काटे जाने लगे। गोयल के द्वारा निर्मित केन्द्रीय कार्यालय में सत्यप्रकाश गुप्ता कार्यालय मंत्री थे। कर्मानंद के अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहले सत्यप्रकाश गुप्ता को कार्यालय मंत्री के पद से तुरन्त हटा दिया गया ताकि बीकानेर राज्य प्रजापरिषद् के केन्द्रीय कार्यालय से गोयल या मघाराम को कोई भी अंदरूनी बात मालूम न होने पावे। 1 फरवरी सन् 1947 को गंगादास कौशिक के पर काट दिये गये और जाटों के 'यस-मैन' प्रो. केदार केन्द्रीय महामंत्री बना दिए गये। अप्रेल 1947 में अध्यक्ष कर्मानंदजी द्वारा अचानक केन्द्रीय कार्यकारिणी भग कर दी गई। नई कार्यकारिणी मे रामचन्द्र जैन-उपाध्यक्ष, प्रो. केदार-महामंत्री, गौरीशंकर-कोषाध्यक्ष बने और गोयल को कार्यकारिणी की सदस्यता से भी हटा दिया गया। प्रान्तीय नेताओं में खलबली मच गई और गोकुल भाई भट्ट और गोकुललाल आसावा ये दो नेता समझौता कराने बीकानेर आये। उन्होंने कर्मानंद को इस बात के लिए राजी किया कि वे पुनः गोयल को कार्यकारिणी मे सम्मिलित कर लें पर अब गोयल ने यह कहकर कार्यकारिणी में आने से इंकार कर दिया कि सत्ता के भूखे भेड़ियो के बीच में मैं (गोयल), जिसने अपने खून से प्रजापरिषद् का निर्माण किया है उनकी दया पर कार्यकारिणी में हरगिज नहीं रहना चाहता। गोकुलभाई भट्ट ने व्यक्तिगत रूप से जब गोयल पर दबाव डाला तो गोयल ने धीरे से गोकुल भाई से कहा कि 'मेरे समय में मैं और मेरे कार्यकर्ता सिर्फ राष्ट्र को कुछ देने के लिए ही प्रजा परिषद् के अंग बने थे और आप गाँठ बाँध लीजिये कि यह थानेदारी छोड़कर आने वाले

चौ. कुभारामजी और मुन्सफी छोड़कर आने वाले चौ. रामचन्द्रजी और चौ. हरदत्तसिह व अन्य चौधरीगण और उनका समर्थन करने वाले केदारजी और गौरीशंकरजी आदि एक दिन राष्ट्र को धोखा देकर राजा से मिलकर क्या कुछ न कर वैठेंगे यह मुझे सामने ही नजर आ रहा है। आप ऐसी गन्दगी में मुझे क्यों घसीट रहे हो। मेरा जो कुछ काम था मैं कर चुका अव आप लोग जानो और ये नये नेता जानें।'

वीकानेर में प्रान्तीय कार्यकारिणी की वैठक

इसके वाद प्रांतीय कार्यकारिणी की एक वैठक भी वीकानेर में हुई जिसमे सारे प्रांतीय नेता आये थे। इस अवसर पर सरकार ने नगर में धारा 144 लगा दी पर राजस्थान के सारे ही नेताओं को जेल में डालने की स्थिति में वीकानेर सरकार नहीं थी। इसलिए सुनारों की पंचायत की वगेची में प्राइवेट मीटिंग करने की छूट दे दी गई जिसमें हजारों लोग अपने आप को प्रजापरिषद् के सदस्य वताकर शामिल हुए और मोटा-मोटी संघर्ष टाल दिया गया। एक ऐसा समय भी आया जव किसानों के हित के नाम पर कर्मानंद ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी और कर्मानंद के प्राण जाने की स्थिति आ चुकी थी तव जुलाई 1947 मे व्यासजी जयनारायणजी ने वीकानेर आकर आडीटेढ़ी सूई के टांके लगाकर जैसे-तैसे आश्वासन देकर भूख हड़ताल खत्म करवाई।

जव आजादी का सूर्य उदय हुआ

7 अगस्त 1947 को महाराजा सादूलसिंह ने इन्स्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसन यानी विलय-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये यानी तीन विषयों पर अर्थात् रक्षा, संचार और विदेशी मामलो पर अपनी सारी सत्ता केन्द्र को सौप दी और उनको छोड़कर वाकी सारे विषयों में अपने राज्य को खुदमुखत्यार यानी स्वतंत्र मान लिया। इसी कशमकश के बीच वह 15 अगस्त 1947 का ऐतिहासिक दिन यानी स्वतंत्रता दिवस आ पहुँचा जिसकी अगवानी के लिए हजारों लाखों भारतीयों ने सव प्रकार की कुर्वानी दी थी, तिल तिलकर मरना मंजूर किया था, जैलो-नजरवंदियों में अण्डमान निकोवार के काले पानी में और वीकानेर के अनूपगढ़ और लूणकरणसर जैसे खारे पानी मे, सड़ गलकर मरना कवूल किया था, फांसियों के फंदों पर झूल जाना स्वीकार किया था और जालिम अंग्रेजों और अंग्रेजी साम्राज्य के स्तम्भों राजाओं, नवाबों व उनके सामन्तों के खूनी पंजों में हँस-हँस कर अपनी जीवन की ज्योति न्योछावर कर दी और आततायियो व अंग्रेजों के एजेन्टों के सामने सीना तानकर दनदनाती हुई गोलियों-लाठियों और खूनी खजरों की प्यास बुझाने के लिए अपने शरीर के खून के एक-एक कतरे को न्यौछावर कर दिया था ताकि एक दिन देश आजाद हो जाए और आने वाली पीढिया संसार के अन्य स्वतंत्र राष्ट्रों के मध्य बरावरी के नाते से गौरव के साथ सर को ऊँचा करके प्रगति के मार्ग पर आगे वढ़ सकें।

वीकानेर मे भी तिरंगा फहराया गया

भारतवर्ष हर्षातिरेक से झूम उठा। वीकानेर भी इस खुशी मे किसी से पीछे नहीं रहा। ईदगाहवारी के वाहर के मैदान मे हजारो नागरिकों ने तिरंगा झडा फहराकर

स्वतन्त्र राष्ट्र की वंदना की। ऐसे पुनीत अवसर पर भी हमारे महाराजा साहब और उनकी सरकार अपने असली स्वरूप को छुपा न सकी। उनका प्रगतिशीलता और देशभक्ति का मुखौटा चेहरे पर से फिर एक बार उतर गया और असली स्वरूप प्रगट हुआ। रात को करीब 11 बजे स्वतन्त्रता दिवस मनाने के लिए बुलाई गई इस विराट सभा मे मुझ दाऊदयाल की आंखो के सामने बीकानेर के नाजिम द्वारा श्री रघुवरदयाल गोयल पर एक नोटिस की तामील कराकर बीकानेर के झंडे को साथ लगाये विना केवल तिरंगा झंडा फहराने से मना किया गया। पर इस आदेश की वही गति हुई जो होनी चाहिए थी अर्थात् इस आदेश की अवहेलना करके लोगों ने राष्ट्रीय तिरंगे को शान के साथ लहराकर उसकी वंदना की।

महाराजा और प्रशासन में गहरा विचार-मंथन

सन् 1947 में बीकानेर महाराजा और प्रशासन में भी बहुत कुछ विचार-मंथन चल रहा था। गृहविभाग की गोपनीय फाइल 1948/7 मे इस विचार-मंथन पर काफी प्रकाश पड़ता है। नरेन्द्र-मंडल में महाराजा ने जो ऐतिहासिक कदम उठाकर अभूतपूर्व कीर्ति हासिल की थी उसका उपयोग महाराजा साहब प्रजापरिषद् को कुचल देने में करना चाहते थे और कुछ हद तक यह हुवा भी क्योंकि देश में जिस समय महाराजा की कीर्ति की तूती बज रही थी ठीक उसी समय राज्य के भीतर गिरफ्तारियां चल रही थी। प्रजाजनों पर प्यूनिटिव यानी दण्डनीय पुलिस-टैक्स लगाया जाकर; क्रूरतापूर्वक वसूल किया जा रहा था। धारा 144 के अन्तर्गत गला-घोटू नीति वरती जा रही थी मगर महाराजा की उस कीर्ति-लहर मे हमारी वह चीख-पुकार डूब गई, कोई हमें सुनने वाला ही नही था। ऐसे में उपरोक्त गोपनीय फाइल नं. 7 में महाराजा ने उच्च अधिकारियो के बीच बैठकर जो विचार-मंथन किया था उससे पत्ता चलता है कि महाराजा सोचने लगे कि जब उत्तरदायी शासन की घोषणा की जा चुकी है तो कुछ न कुछ अधिकार छोड़ने ही पड़ेगे। ऐसे में किस नेता के सिर पर अपना वरदहस्त रखा जावे, किसको अपनाया जावे और किसको दुत्कारा जावे व किसको ललचाया जावे या किसको रिश्वत के रूप में क्या दिया जावे या किसको कुचल दिया जावे। सी.आई.डी. ने जो रिपोर्ट दी थी उसके अनुसार प्रजापरिषद् में भी कई गुट थे। उनका जो विश्लेषण दिया गया था उससे महाराजा संतुष्ट नहीं थे। बेचारे आई.जी.पी ने खुलासा करते हुए लिखा है कि बहुत कोशिश करने पर भी सही रिपोर्टिंग मिलने में कई कठिनाइयां आती हैं। कुछ तो हमारे सी.आई.डी भी उचित प्रशिक्षण प्राप्त नही हैं और कुछ नेतागण कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इसलिए उन्होंने और अधिक सुधार करने की गुंजाइश प्रकट की। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ लाग-बाग-बेगार सरकार ने खत्म की हैं उसके कारण प्रजापरिषद् के आन्दोलन की हवा निकली है। सवैधानिक सुधारों की घोषणा से प्रजापरिषद् में सत्ता प्राप्ति की दृष्टि से कुछ गुट बन चुके हैं, कुछ फूट पड़ चुकी है और कुछ नेताओं में आरोप-प्रत्यारोप भी चल रहे हैं। प्रजापरिषद् का सर्वाधिक प्रभाव बीकानेर, राजगढ़,

के नाम गिनाये जा सकते है। एक अन्य गोपनीय फाइल मे यह बताया गया है कि हरदत्तसिह इतना घटिया व्यक्ति है कि जिसमे कोई चरित्र होना माना ही नही जा सकता और वह किसी भी घटिया से घटिया क्रियाकलाप मे उलझ सकता है और अगर उसको कोई अच्छा सा पद दिया जावे तो अपने पक्ष मे भी लिया जा सकता है पर उसकी विवेकहीनता को देखते हुए उस पर भरोसा करना भी खतरनाक हो सकता है। गुरुदयालसिंह धार्मिक और राजनैतिक ग्रुपो में जमीदार पार्टी से संबंधित है और केनाल एरिया में प्रभावशाली व्यक्ति वन रहा है जिसको अगर अपने प्रभाव में लिया जावे तो जाटों और गैरजाटों में संतुलन बनाए रखने में काम आ सकता है। जहां एक तरफ जाट लोग हरदत्तसिंह, कुंभाराम, कर्मानंद के नेतृत्व मे सत्ता हथियाने को आतुर है वहीं दूसरा रघुवरदयाल का ग्रुप है जो इन्हें रीजनल कौसिल की आँखों से गिराने को तत्पर हो रहा है। ऐसे में सरदार गुरुदयालसिह सन्तुलन बनाये हुए है। सत्यनारायण सराफ, रामचन्द्र जैन और गौरीशंकर आचार्य इस बात के लिए आतुर हैं कि इनमे से कोई ग्रुप सत्ता में न आने पावे। जब तक ये लोग आपस में लड़ते रहें तब तक प्रशासन को कोई खतरा नहीं है। हमारी मानी हुई राय यही है कि हमे अपने एजेन्टों पर भरोसा रख कर इस प्रयास मे लगे रहना चाहिए कि ये तीनों ग्रुप आपस में लड़ते रहे। अभी इन दिनो मे कुंभाराम के क्रियाकलापो में हंसराज आर्य और दूसरे कुछ लोग जनता को अहिंसा के मार्ग से हटाकर हिंसा की ओर प्रेरित कर रहे है और ये खून-खराबा भी करा सकते है। इन्होंने यदि आग लगा दी तो उसको बुझाना मुश्किल होगा। इनका दोहरा व्यक्तित्व है, जनता के सामने एक रूप है लेकिन व्यक्तिगत रूप मे दूसरा रूप दिखाई देता है।

सुझाव

इस रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया कि चौ. कुमाराम की उपस्थिति रघुवरदयाल के क्रियाकलापों को चैक करने के लिए परमावश्यक है ताकि प्रजा परिषद् के आम कार्यकर्ताओं मे खटपट और विग्रह बना रह सके। इससे रघुवरदयाल को कमजोर बनाया जा सकता है किन्तु अगर कुंभाराम, जयनारायण व्यास के पाले में जा मिलता है तो गोयल जैसे परदेशी के मुकावले में अधिक खतरनाक सिद्ध हो सकता है। रघुवरदयाल और केदारनाथ शिक्षित व्यक्ति होने से खून-खराबे की राजनीति से बचना ही पसंद करेगे किन्तु कुंभाराम का तूफान चलता रहा तो ग्रामीण इलाको को सभालना बड़ा सरदर्द सिद्ध हो सकता है। उसका (कुम्भाराम का) ध्येय पट्टेदारो की सम्पूर्ण समाप्ति लगता है जिसका प्रमाण सॉखू, बया और दूधवाखारा के आंदोलन है। रघुवरदयाल के क्रिया-कलापो को हम अवाछित महत्व दे रहे हैं, ऐसा लगता है। इसमे कोई शक नहीं है कि गोयल एक सिद्धांतवादी व्यक्ति है इसलिए परिषद् के प्रारम्भिक काल में केवल 47 सदस्य ही प्रजा परिषद् के बना पाया। पर कुंभाराम की पोजीशन ठीक इसके विपरीत है। उसमें आत्मसतुष्टि की वृत्ति नहीं है। उसका दृष्टिकोण पूर्ण व्यावहारिकता लिए हुए है, खुशमिजाजी का स्वभाव धारण करता है, झूठे घमंड की धारणा से अछूता है और

अध्याय ग्यारहवाँ

महाराजा साहब चरमोत्कर्ष से परम अपकर्ष की ओर

भावलपुर-वीकानेर की संयुक्त सीमा का मानचित्र

महाराजा साहब चरमोत्कर्ष से परम अपकर्ष की ओर

सन् 1947 के प्रारम्भ मे 15 अगस्त के दिन तक बीकानेर नरेश महाराजा सादूलसिहजी राष्ट्र के स्वातंत्र्य संघर्ष मे अपना ऐतिहासिक सहयोग समर्पित करके कीर्ति की जिस चरमोत्कर्ष की स्थिति तक पहुँच चुके थे उसके तीन महीनों के भीतर ही वे उससे च्युत होकर तेजी के साथ अपकर्ष के पथ की ओर अग्रसर होते नजर आने लगे।

कहावत मशहूर है कि 'जैसा मिले संग वैसा चढ़े रंग'। रियासत के प्रधानमंत्री के.एम. पणिकर के साहचर्य और सलाह से प्रभावित होकर महाराजा साहव ने जो एक उत्कृष्ट देशभक्त की छवि हासिल कर ली थी, वह गृहमत्री ठाकुर प्रतापसिह और अनवरी-अख्तरी (रियासत मलेरकोटला से ठाकुर साहव द्वारा महाराजा साहव के लिए मुहैया की गई दो सुन्दर युवतियां) के कुप्रभाव से तेजी के साथ धूमिल होती दृष्टिगोचर होने लगी।

वह खवर जिसने सरदार पटेल और पूरे राष्ट्र को चौंका दिया

15 अगस्त को भारत के स्वतन्त्र हो जाने की खुशियों के साथ ही हमें भारत माता के अंग-भंग का गहरा सदमा भी सहना पड़ा। पाकिस्तान के निर्माण के फलस्वरूप होने वाले भयंकर खून-खरावे के वाद लाखों-लाखों शरणार्थियों को जिस नारकीय स्थिति में से गुजरना पड़ा इसका वर्णन किया ही नही जा सकता। फिर भी राष्ट्र ने उसे किसी प्रकार सह लिया कि एक वार जो होना था सो हो गया पर हमेशा की राड़ मिट गई। पर ऐसा हुवा नहीं। वीकानेर की तरफ से राष्ट्र की पीठ मे चुपचाप छुरा भोंके जाने जैसे प्रयत्नो के समाचार पाकर सरदार पटेल, जो स्टेट्स मिनिस्ट्री के इन्चार्ज होने के साथ ही राष्ट्र के गृहमंत्री भी थे, जिनके कंधों पर राष्ट्र की सुरक्षा का भार था, सन्न रह गये। यह वह खवर थी जिसका शीर्षक था 'भावलपुर (पाकिस्तान) और वीकानेर रियासत के वीच व्यापारिक समझौता सम्पन्न'। इसमें वताया गया था कि भावलपुर के प्रधानमंत्री नवाव मुश्ताक अहमद गुरमानी और महाराजा वीकानेर के वीच महाराजा साहव के राजमहल में हुई गुप्त मंत्रणा के वाद एक व्यापारिक समझौता सम्पन्न हो चुका है जिसके अनुसार दोनों रियासतों के वीच आपसी रजामंदी से व्यापार यथावत चलता रहेगा। इस खवर में, आगे यह भी वताया गया था कि वीकानेर प्रजा परिषद् का एक शिष्टमंडल सरदार पटेल को इस वारे में ज्ञापन देने दिल्ली जाने को है। यह खवर वीकानेर से 16 नवम्वर को अर्द्धरात्रि के वाद हिन्दुस्तान टाइम्स अंग्रेजी दैनिक को उसके निजी संवाददाता मुझ दाऊदपाल द्वारा तार से भेजी गई थी। सारा भारतीय राजनैतिक जगत इस खवर को

Bahawalpur-Bikaner Trade Pact Reported

(From Our Correspondent)

BIKANER, Nov. 16.— A trade agreement is reported to have been reached between Bahawalpur, Pakistan and Bikaner at a meeting recently in the Bikaner Ruler's palace here. The Chief Minister of Bahawalpur, Nawab Mushtaq Ahmad Gurmani, also attended the conference.

It is further reported that the States Ministry representative, Major Short, who was present here to discuss with the Bahawalpur Chief Minister matters regarding Bahawalpur-Bikaner border questions and evacuation of marooned refugees in Bahawalpur did not participate in these trade talks.

A Praja Parishad deputation is expected to proceed to Delhi to acquaint the India Government of the reported trade agreement.

अंग्रेजी दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्स दिनांक 17 नवम्बर 1947 की कतरन
वह खबर जिसने सरदार पटेल और पूरे राष्ट्र को चौंका दिया

पढ़कर चौक उठा था क्योकि यह खवर आने वाले निकट भविष्य मे वीकानेर रियासत के पाकिस्तान मे मिलने का पूर्व सकेत दे रही थी।

यह रहस्यमयी खवर मिली कैसे?

लेखक को यह सनसनीखेज खवर राष्ट्र के सौभाग्य से ही मिल पाई थी। यह षड्यंत्रपूर्ण पेक्ट तीन दिन की लालगढ़ महल में हुई गुप्त मंत्रणा का निचोड़ था। उन दिनों वीकानेर रियासत मे मै ही एक मात्र ऐसा पत्रकार था जो किसी अग्रेजी पत्र का सवाददाता था। राज्य के जनसम्पर्क अधिकारी श्री बृजराज कुमार भटनागर के साथ मेरे संबंध वहुत मधुर थे। पत्रकार और मित्र के नाते मै उनके घर प्राय आता-जाता रहता था। 16 नवम्बर को मै उनके घर मिलने पहुँचा तो उनकी पत्नी से मालूम हुआ कि भटनागर साहव गत रात्रि से ही गमगीन और गुमशुम है। सुवह उठने के बाद चाय-नाश्ता भी नही लिया है और कमरा वद करके चुपचाप लेटे हुए है। मुझ से उनकी श्रीमतीजी ने चाहा कि मै उनसे मिलकर कम से कम चाय-पानी तो करवाऊँ।। वड़ी मुश्किल से उन्होंने दरवाजा खोलकर मुलाकात की। हमने साथ वैठकर चाय पी तो वातो ही वातों में पता चला कि किसी राष्ट्रीय दुर्घटना की आशका से वे बड़े विचलित थे। मैने उनके दिल को कुरेदने की कोशिश की तो वे बोले, 'जानकर क्या करोगे, जो कुछ हुवा है वह न मै किसी को बता सकता हूँ और न तुम उस खवर का उपयोग ही कर सकते हो क्योकि ऐसा करना हम दोनों के लिए अति खतरनाक सिद्ध हो सकता है।' एक जिम्मेदार मित्र के मुँह से ऐसी वेदना सुनकर मेरे अंदर वैठा पत्रकार मचल उठा कि किसी राष्ट्रीय दुर्घटना की आशंका को लेकर अगर भटनागर पीड़ित हो रहे है तो मेरा कर्तव्य है कि मै उनकी वेदना का हिस्सेदार वनकर उनको खतरे से वचाते हुए राष्ट्रहितार्थ मै स्वय, जो कुछ मुझ से हो सकता हो उसे कर गुजरूं। उनका नाम किसी भी सूरत में प्रगट नही होने देने की वावत जव मैने उन्हें भगवान राम की सौगध खाकर आश्वस्त किया तो उन्होने जो कुछ मुझे वताया उससे निम्न किस्सा सामने आया :

'पाकिस्तान की भावलपुर रियासत, जिसकी सीमाएं वीकानेर राज्य से चिपती ही थी, मे वड़ी संख्या मे हिन्दू शरणार्थी कुछ अरसे से फँसे पड़े थे। सरदार पटेल उन फँसे हुए शरणार्थियों को वहां से निजात दिलवाकर भारत मे लिवा लाने को तत्पर व उत्सुक थे और साथ ही भावलपुर-वीकानेर की सीमारेखा सवंधी किसी लंवित तनाजे को भी हल करना वाकी था। भारत के रियासती मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप मे वातचीत के लिए सरदार पटेल ने भारत सरकार के एक फौजी अफसर मेजर शॉर्ट को वीकानेर भेजा और भावलपुर के प्रधानमत्री नवाव मुश्ताक अहमद गुरमानी को भी वीकानेर आकर वातचीत करने के लिए रजामंद कर लिया गया था और वीकानेर के प्रतिनिधि वीकानेर मे थे ही। यह एक दिन की बातचीत महाराजा के वल्लभगार्डन मे होकर शरणार्थियों और सीमारेखा का प्रश्न—ले और दे की भावना से तय—हो गया। उसी दिन शाम की गाड़ी से मेजर शार्ट दिल्ली लौट गए और जहां तक रिकार्ड का सवाल है गुरमानी साहव को भी उसी दिन भावलपुर लौट जाना अंकित कर दिया गया पर वास्तव

में उन्हें महाराजा साहव ने अपने लालगढ़ महल में ही किसी गुप्त मंत्रणा के लिए मेहमान के रूप मे निवास दिया।

तीन दिन तक लालगढ़ राजमहल का सारा स्टाफ मुसलमानों का ही रहा और हिन्दुओं में अपवाद स्वरूप कैवल वीकानेर रियासत के जनसम्पर्क अधिकारी उक्त बृजराज कुमार भटनागर ही राजमहल में प्रवेश पा सके थे क्योंकि वे महाराजा के विश्वासपात्र होने के साथ ही उर्दूदां भी थे। तीन दिनो के विचार-विमर्श के वाद महाराजा साहव को पाकिस्तान की ओर आकर्षित होता पाया गया पर सीधे ही तत्काल कुछ कैसे किया जाय यह तय नहीं हो पाया तब परीक्षण के तौर पर छ: महीनों के लिए व्यापार-संधि को ड्राफ्ट किया जाकर और दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित कर कागजात एक दूसरे को सौप दिये गये। भटनागर साहव इस सब के चश्मदीद गवाह थे और उनकी देश की सुरक्षा के प्रति रह रहकर उठने वाली पीड़ा की जड़ में यही कांटा समाया हुआ था जिसे वे चुप रहकर सहने को मजवूर हो रहे थे। पाकिस्तान के पाँव वीकानेर के रास्ते से भारत की ओर धीरे-धीरे पसरने के इस चित्र की कल्पना से उनका हृदय कांप उठा था। राष्ट्र को इसकी सूचना (स्वयं सुरक्षित रहकर) वे कैसे पहुँचायें यह दर्द उन्हें तड़फा रहा था। दर्द भरे इस फोड़े का मुख किंचित रूप से खोलकर उन्होंने कुछ राहत महसूस की। सारे विन्दु नोट करके जव मैने रवानगी चाही तो उन्होंने फिर एक वार मुझे याद दिलाते हुए कहा, 'देखो तुमने रामजी की शपथ से मुझे आश्वस्त किया है, कहीं चूक मत जाना।' मैंने जव शपथ को दुहरा दिया तो वे संतुष्ट और निश्चित हुए नजर आये।

पत्रकार (लेखक) पुनः वलिदान की वेदी की ओर

घर आकर मैने प्रेस टेलीग्राम ड्राफ्ट किया, स्वयं के टाइपराइटर पर उसे टाइप किया और घर से निकला ही था कि पीछे से माताजी ने पुकारा। यह पीछे से पुकारा जाना मुझे वहुत ही बुरा लगा क्योंकि समाज में यह विश्वास या अंधविश्वास प्रचलित है कि इस तरह पीछे से पुकारा जाना अपशकुन है और कार्यसिद्धि में वाधक है। झुंझलाया, खीजा पर माँ को क्या कहता? लौट पड़ा और पूछा तो माँ ने घर-गृहस्थी और तंगी का वेसुरा राग छेड़ दिया। चुपचाप सुनकर मैने माँ से कहा कि इस समय तो मैं वहुत ही जरूरी काम से जा रहा हूँ वापिस लौटकर रात को वात करेंगे। रास्ते भर में ऊलजुलूल आशंकाएं दिमाग में मंडराने लगी—पीछे से आवाज, घर की खस्ता हालत, भटनागर साहव से की गई रामजी की शपथ, राष्ट्र पर मंडराता हुआ खतरा, पत्रकार का कर्तव्य इन सभी वातो ने मुझ पर एक साथ आक्रमण कर दिया। हाऊझूझू हो गया। कोटगेट आकर 'गुण प्रकाशक सज्जनालय' नामक वाचनालय मे वैठ गया। सोचने लगा कि कहीं मै दु:साहस पूर्वक गलत कदम तो नही उठाने जा रहा हूँ। अनूपगढ़ का चित्र सामने आया। क्या अनूपगढ़ दुहराया जाने को है? यह सोचते-सोचते उस सर्दी की मौसम मे भी पसीना आ गया। फिर हिम्मत की तो तारघर से पहले आने वाले रतनविहारी पार्क मे ठिठक कर रह गया। प्रकाश की जगह हृदय में अधकार ने डेरा डाल दिया। 'विना विचारे जो करे, तो पीछे पछताय। काम विगाड़े आपनो जग में होय हँसाय,' यह

मुहावरा कानो में गूँजने लगा। बाग मे बैठा विचारो मे खो गया। ठंड बढ़ रही थी। एक मन कहता था कि राष्ट्र का हित इसी मे है कि तुरन्त मैसेज भेज दे, जो होगा देखा जायेगा तो दूसरा मन कहता था कि बेवकूफी मतकर घर की हालत की तरफ से आँख मत मूँद, अभी तो तार ड्राफ्ट ही किया है, भेजा तो नही है, रुक जा। एकदम किंकर्तव्यविमूढ़ हो गया। रतनबिहारी पार्क के पास की गढ़ की घड़ी ने दस के टकारे बजाए तो पता चला ठंड की मौसम मे आधी रात होने को है। विचार आया कि जो कुछ करना है वह कर और यह अधरझूल की स्थिति खत्म कर। तारघर नजदीक पड़ता था और अपना घर दूर था। एक मन तारघर की ओर बढ़ने को कहता था और दूसरा घर लौट जाने को। इतने में विचार आया कि तारघर भी छोड़ और अपना घर भी छोड़, तारघर जितना ही दूर अपने नेता श्री रघुवरदयाल जी का घर है—वही चल और वे जैसा कहें वैसे कर ले। वे राष्ट्र के भी हितैषी है और तेरे भी। उनकी आज्ञा और सलाह मानने में तेरा कल्याण है। पैर उधर चल पड़े। रात को 10 बजे बाद गोयलजी का दरवाजा खटखटाया। मुझे मालूम था कि गोयलजी बारहो मास खुले आकाश के नीचे सोते है फिर चाहे कितनी ही गरमी हो या कितनी ही ठंड हो। उन्होंने घर की चौकी पर से आवाज लगाकर पूछा इतनी रात कौन आए हो, क्या काम है? मैने कहा बाबूजी मै दाऊ हूँ और बहुत जरूरी काम है। मेरा नाम और जरूरी काम की बात सुनकर उन्होंने तुरन्त ही दरवाजा खोल दिया। कमरे का दरवाजा खोला और काम करने की टेबल के पास की कुर्सियो पर हम बैठ गये तो गोयलजी ने पूछा ऐसा क्या काम है जो कल सवेरे नही हो सकता था और अभी आधी रात को ही आना पड़ा? मैने मुँह से कुछ बोलने के बजाय टाइप किया हुवा प्रेस ट्रेलीग्राम उनके हाथ मे पकड़ा दिया जिसे पढ़ कर वे गंभीर हो गये।

गोयलजी बोले—क्या यह सच है?

मैंने कहा—बिल्कुल सच, सवा सोलह आना सच!

फिर उन्होंने पूछा—माध्यम (सोर्स) क्या है?

जवाब दिया—शपथबद्ध हूँ, माध्यम नहीं बता सकता।

गोयलजी—मामला तो बहुत गंभीर है, पूरे राष्ट्र के लिए पर मेरे से क्या चाहते हो? मैं बोला—मानसिक रूप से मैं बाड़ पर बैठा हुआ हूँ। किंकर्तव्यविमूढ़ हूँ—सत्परामर्श का एक धक्का चाहता हूँ कि मैं यह तार भेज दूँ या घर लौट जाऊँ।

गोयलजी—विलय-पत्र के अनुसार तो महाराजा ने तीन ही विषय भारत सरकार को सौपे है जिनमे रियासत का गृहविभाग नही है और महाराजा व उनकी सरकार तुम्हारे खिलाफ कोई भी कदम उठा सकती है जिसमें सरदार पटेल भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगे। अब तुम निर्णय कर लो तुम्हे क्या करना है।

मैने कहा—किंकर्तव्यविमूढ़ हूँ तभी तो आया हूँ—मुझे तो हाँ या ना में परामर्श और आदेश की आवश्यकता है।

गोयलजी—मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्या तुम मेरे कधे पर रखकर वंदूक छोड़ना चाहते हो? कल को तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी माँ कहेगी मेरे बेटे को मरवा दिया। आप जा सकते हो, अव आधी रात होने को है।

पिटे हुए निराश व्यक्ति की तरह मैं घर से निकल गया क्योंकि गोयलजी आगे वात ही करना नही चाहते थे और कह चुके थे कि 'आप जा सकते हो।'

रतनविहारी पार्क के पास आते ही फिर मुझे तारघर नजर आया और पैर उधर चल पड़े पर हृदय की धड़कन वढ़ गई तो वापस घर की ओर चल पड़ा। रास्ते मे मुझे श्री शंभुदयाल सक्सेना की याद आई और मैने आधी रात के करीव उनका दरवाजा खट-खटाया। वे दरवाजा खोल कर घर से वाहर निकल आए। इतनी रात गये आया देख चकित हुए और इतनी रात गये ठंड में आने का कारण पूछा तो मैने कहा घर में चलिये वही वताऊंगा यहा वाहर नहीं। घर में जाकर मैने वह प्रेस-टेलीग्राम उनके हाथ में रख दिया तो उसे पढ़कर वे भी गंभीर हो गये और तुरन्त पूछा कि मैं उनसे क्या चाहता हूँ? मैने वही किकर्तव्यमूढ़ता वाली बात कही और उनका मार्गदर्शन चाहा। उन्होने एक मिनट रुक कर एक ही वाक्य में सारगर्भित उत्तर दे दिया और वह वाक्य था 'आदमी मरता तो एक ही बार है।' मुझे उस वुजुर्ग देशभक्त से यह सकारात्मक उत्तर पाकर वेहद खुशी हुई और तत्काल ही आधी रात बाद तारघर पहुँचकर अर्जेन्ट तार लगा ही दिया।

दूसरे दिन सुवह यह खवर हिन्दुस्तान टाइम्स के प्रात कालीन संस्करण मे बॉक्स-न्यूज के रूप मे मुख पृष्ठ पर 'बीकानेर भावलपुर व्यापारिक सधि' की खबर प्रकाशित हो गई। बाद मे मालूम हुआ कि सरदार पटेल को यह खवर वड़ी अटपटी और चौकाने वाली लगी, क्योकि वे यह कल्पना ही नही कर सकते थे कि नरेन्द्र-मंडल के चांसलर से भिन्न मत रखकर जिस नरेश ने भारतीय यूनियन मे विलय के पत्र पर हस्ताक्षर करने मे दूसरे नरेशो का नेतृत्व किया हो वही नरेश तीन ही महीनों के अरसे मे ऐसे गुप्त किन्तु राष्ट्र विरोधी मार्ग पर कैसे अग्रसर हो सकता है? अपने ही स्तर पर जाँच करने पर जव उन्हें राष्ट्र पर आने वाले इस खतरे का इत्मीनान हो गया तो उन्होंने तुरंत एक मिलीटरी लाएजन ऑफिसर यानी सैन्य सम्पर्क अधिकारी को भावलपुर-बीकानेर की सीमा रेखा पर नियुक्त कर दिया और बीकानेर महाराजा को उक्त अधिकारी के साथ पूरा सहयोग करने के आग्रह का पत्र भेज दिया क्योंकि यह डिफेंस से जुड़ा हुवा भारतीय यूनियन के अधिकार क्षेत्र का मसला था। इसी दिन के वाद बीकानेर नरेश सरदार पटेल की नजरों में, जो उनका उच्च स्थान था उससे च्युत हो गये और सरदार तभी से उस अवसर का इन्तजार करने लगे जव जोधपुर और बीकानेर की सीमावर्ती राठौड़ वशीय रियासतों को स्वतन्त्र इकाई न रहने देकर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उनका किसी वड़ी इकाई में विलीनीकरण किया जा सके।

यह खवर हिन्दुस्तान टाइम्स अंग्रेजी दैनिक के 18 नवम्बर 1947 के वुधवार के डाक एडीशन के पृष्ठ 6 कालम पर 5 पर देखी जा सकती है जो बीकानेर स्थित

बीकानेर राज्य के होम सेक्रेटरी का नोटिस और उसका जवाब

Copys
No.976/1651C

Bikaner
27th November, 1947

Dear Sir,

In "The Lokvani" of the 20th November 1947, a report has appeared from its correspondent in Bikaner, which is quoted below :

बीकानेर व भावलपुर रियासत में गुप्त समझौता
प्रजा परिषद का शिष्ट मण्डल शीघ्र ही परिस्थिति अवगत कराने दिल्ली जायेगा
– निज संवाददाता द्वारा –

बीकानेर : डाक से भावलपुर रियासत के प्रधान मंत्री श्री मुश्ताक अहमद गुरमानी हवाई जहाज से 7 नवम्बर को बीकानेर आये और 10 नवम्बर तक यहाँ ठहरे, इस अर्से से महाराजा बीकानेर ने, बीकानेर से 6 मील दूर वल्लभ गार्डन महाराजा के निजी महल में उन्हे एक पार्टी दी जिसमें केवल यूरोपियन अफसर ही शामिल थे, मालूम हुआ है कि उस पार्टी में उन्हें बीकानेर रियासत के कर्मचारियों में अल्पसंख्यकों की संख्या से अवगत कराया गया ।

विश्वस्त सूत्र से यह भी समाचार मिला है कि भारतीय यूनियन में शामिल हो जाने पर भी गुप्त रूप से, पाकिस्तान में सम्मिलित रियासत भावलपुर के साथ यहाँ व्यापार आदि के समझौते किए गए है, इन दिनों यहां रियासत द्वारा जागीरदारों व प्रतिक्रियावादि तत्वों को खास तौर से संगठित करने व अकारण राज्य में गत कई महिनो से धारा 144 लगाकर व दंगाग्रस्त इलाका घोषित करके यहां की सार्वजनिक प्रवृतियों को रोका जा रहा है – बीकानेर की पड़ौसी तथा पाकिस्तान की सीमावर्ती रियासतो जोधपुर व जैसलमेर की प्रतिक्रियावादी नीतियां से यहां जनता में चिंता हो रही है । इन सबके बारे में राष्ट्रीय नेताओं से सलाह करने व उन्हे सारी परिस्थिति से अवगत कराने के लिए शीघ्र ही बीकानेर राज्य प्रजापरिषद का एक शिष्टमंडल के दिल्ली जाने की आशा की जाती है ।

2. As you are the local correspondent of "The Lokvani" in Bikaner, will you kindly state whether the above report was sent by you.

3. With reference to the paragraph at the end of the report, namely.

इन सबके बारे में राष्ट्रीय नेताओं से सलाह करने व उन्हे सारी परिस्थिति से अवगत कराने के लिए शीघ्र ही बीकानेर राज्य प्रजापरिषद का एक शिष्टमंडल के दिल्ली जाने की आशा की जाती है ।

Will you kindly state :-

1) whether you sent this part of the report:-
   a) At your own instance, or
   b) at the instance or suggestion of the Bikaner Praja Parishad, or
   c) On the basis of the information given by or gathered from the Bikaner Praja Parishad.

2) Who form the members of the deputation which has no doubt been sent to Delhi by the Praja Parishand by now.

4) I am to request you kindly send a reply within 24 hours of the receipt of this letter.

Yours truly,
Sd/- Surendra Singh
Secretary,
Home Department

Mr.Moolchand Pareekh, BIKANER

गोयलजी—मैं कुछ नही बोलूंगा। क्या तुम मेरे कंधे पर रखकर वंदूक छोड़ना चाहते हो? कल को तुम्हे कुछ हो गया तो तुम्हारी माँ कहेगी मेरे वेटे को मरवा दिया। आप जा सकते हो, अब आधी रात होने को है।

पिटे हुए निराश व्यक्ति की तरह मै घर से निकल गया क्योंकि गोयलजी आगे बात ही करना नहीं चाहते थे और कह चुके थे कि 'आप जा सकते हो।'

रतनविहारी पार्क के पास आते ही फिर मुझे तारघर नजर आया और पैर उधर चल पड़े पर हृदय की धड़कन बढ़ गई तो वापस घर की ओर चल पड़ा। रास्ते मे मुझे श्री शंभुदयाल सक्सेना की याद आई और मैंने आधी रात के करीव उनका दरवाजा खट-खटाया। वे दरवाजा खोल कर घर से बाहर निकल आए। इतनी रात गये आया देख चकित हुए और इतनी रात गये ठंड में आने का कारण पूछा तो मैंने कहा घर मे चलिये वही वताऊगा यहा बाहर नही। घर में जाकर मैंने वह प्रेस-टेलीग्राम उनके हाथ मे रख दिया तो उसे पढ़कर वे भी गभीर हो गये और तुरन्त पूछा कि मै उनसे क्या चाहता हूँ? मैंने वही किकर्तव्यमूढ़ता वाली बात कही और उनका मार्गदर्शन चाहा। उन्होंने एक मिनट रुक कर एक ही वाक्य मे सारगर्भित उत्तर दे दिया और वह वाक्य था 'आदमी मरता तो एक ही बार है।' मुझे उस बुजुर्ग देशभक्त से यह सकारात्मक उत्तर पाकर वेहद खुशी हुई और तत्काल ही आधी रात बाद तारघर पहुँचकर अर्जेन्ट तार लगा ही दिया।

दूसरे दिन सुवह यह खबर हिन्दुस्तान टाइम्स के प्रात कालीन सस्करण में बॉक्स-न्यूज के रूप मे मुख पृष्ठ पर 'बीकानेर भावलपुर व्यापारिक संधि' की खबर प्रकाशित हो गई। बाद में मालूम हुआ कि सरदार पटेल को यह खबर बड़ी अटपटी और चौकाने वाली लगी, क्योंकि वे यह कल्पना ही नही कर सकते थे कि नरेन्द्र-मडल के चासलर से भिन्न मत रखकर जिस नरेश ने भारतीय यूनियन मे विलय के पत्र पर हस्ताक्षर करने में दूसरे नरेशो का नेतृत्व किया हो वही नरेश तीन ही महीनो के अरसे में ऐसे गुप्त किन्तु राष्ट्र विरोधी मार्ग पर कैसे अग्रसर हो सकता है? अपने ही स्तर पर जाँच करने पर जब उन्हे राष्ट्र पर आने वाले इस खतरे का इत्मीनान हो गया तो उन्होंने तुरंत एक मिलीटरी लाइजन ऑफिसर यानी सैन्य सम्पर्क अधिकारी को भावलपुर-बीकानेर की सीमा रेखा पर नियुक्त कर दिया और वीकानेर महाराजा को उक्त अधिकारी के साथ पूरा सहयोग करने के आग्रह का पत्र भेज दिया क्योकि यह डिफेंस से जुड़ा हुवा भारतीय यूनियन के अधिकार क्षेत्र का मसला था। इसी दिन के वाद वीकानेर नरेश सरदार पटेल की नजरो मे, जो उनका उच्च स्थान था उससे च्युत हो गये और सरदार तभी से उस अवसर का इन्तजार करने लगे जब जोधपुर और वीकानेर की सीमावर्ती राठौड़ वंशीय रियासतों को स्वतन्त्र इकाई न रहने देकर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उनका किसी बड़ी इकाई मे विलीनीकरण किया जा सके।

यह खबर हिन्दुस्तान टाइम्स अग्रेजी दैनिक के 18 नवम्बर 1947 के बुधवार के डाक एडीशन के पृष्ठ 6 कालम पर 5 पर देखी जा सकती है जो बीकानेर स्थित

बीकानेर राज्य के होम सेक्रेटरी का नोटिस और उसका जवाब

Copys
No.976/1651C

Bikaner
27th November, 1947

Dear Sir,

In "The Lokvani" of the 20th November 1947, a report has appeared from its correspondent in Bikaner, which is quoted below :

बीकानेर व भावलपुर रियासत में गुप्त समझौता
प्रजा परिषद का शिष्ट मण्डल शीघ्र ही परिस्थिति अवगत कराने दिल्ली जायेगा
– निज संवाददाता द्वारा –

बीकानेर : डाक से भावलपुर रियासत के प्रधान मंत्री श्री मुश्ताक अहमद गुरमानी हवाई जहाज से 7 नवम्बर को बीकानेर आये और 10 नवम्बर तक यहाँ ठहरे, इस अर्से में महाराजा बीकानेर ने, बीकानेर से 6 मील दूर वल्लभ गार्डन महाराजा के निजी महल में उन्हें एक पार्टी दी जिसमें केवल युरोपियन अफसर ही शामिल थे, मालूम हुआ है कि उस पार्टी में उन्हें बीकानेर रियासत के कर्मचारियों में अल्पसंख्यकों की संख्या से अवगत कराया गया ।

विश्वस्त सूत्र से यह भी समाचार मिला है कि भारतीय यूनियन में शामिल हो जाने पर भी गुप्त रूप से, पाकिस्तान में सम्मिलित रियासत भावलपुर के साथ यहाँ व्यापार आदि के समझौते किए गए है, इन दिनों यहां रियासत द्वारा जागीरदारों व प्रतिक्रियावादि तत्वों को खास तौर से संगठित करने व अकारण राज्य में गत कई महिनो से धारा 144 लगाकर व दंगाग्रस्त इलाका घोषित करके यहां की सार्वजनिक प्रवृतियों को रोका जा रहा है – बीकानेर की पड़ौसी तथा पाकिस्तान की सीमावर्ती रियासतो जोधपुर व जैसलमेर की प्रतिक्रियावादी नीतियां से यहां जनता में चिंता हो रही है । इन सबके बारे में राष्ट्रीय नेताओं से सलाह करने व उन्हे सारी परिस्थिति से अवगत कराने के लिए शीघ्र ही बीकानेर राज्य प्रजापरिषद का एक शिष्टमंडल के दिल्ली जाने की आशा की जाती है ।

2. As you are the local correspondent of "The Lokvani" in Bikaner, will you kindly state whether the above report was sent by you.

3. With reference to the paragraph at the end of the report, namely,

इन सबके बारे में राष्ट्रीय नेताओं से सलाह करने व उन्हे सारी परिस्थिति से अवगत कराने के लिए शीघ्र ही बीकानेर राज्य प्रजापरिषद का एक शिष्टमंडल के दिल्ली जाने की आशा की जाती है ।

Will you kindly state :-

1) Whether you sent this part of the report:-
   a) At your own instance, or
   b) at the instance or suggestion of the Bikaner Praja Parishad, or
   c) On the basis of the information given by or gathered from the Bikaner Praja Parishad.

2) Who form the members of the deputation which has no doubt been sent to Delhi by the Praja Parishand by now.

4) I am to request you kindly send a reply within 24 hours of the receipt of this letter.

Yours truly,
Sd/- Surendra Singh
Secretary,
Home Department

Mr. Moolchand Pareekh, BIKANER

बीकानेर ता० 1 दिसम्बर 1947

प्रिय महोदय,

आपका पत्र नंबर 986:1651 सी तारीख 29 नवम्बर सन् 1947 का तारीख 29 नवम्बर को प्राप्त हुआ।

मैं इस बात की तसदीक करता हूं कि मैं लोकवाणी दैनिक का बीकानेर स्थित संवाददाता हूं।

आपके अन्य प्रश्नों के उत्तर में मुझे यह कहना है कि उपरोक्त उत्तर के अलावा और किसी उत्तर की आपको आवश्यकता हो तो आप कृपा करके पत्र के प्रधान संपादक से सीधा पत्र व्यवहार करने का कष्ट करें, क्योंकि जैसा कि आपको विदित ही होगा, पत्रकारी की परम्पराओं के अनुसार संवाददाता अपने संपादक के प्रति जिम्मेवार होता है और किसी, बाहरी व्यक्ति को पत्र में छपे संवाद के विषय में कोई सूचना नहीं दे सकता।

मैं आपके ओहदे की कद्र करता हूं, किन्तु अपने पेशे की परम्पराओं का ध्यान रखना भी मेरे लिए अत्यन्त आवश्यक है इसलिए मैं आशा करता हूं कि मेरी स्थिति और कठिनाई को समझते हुए मुझसे किसी भेद अथवा बात के जानने का प्रयत्न न करके सीधा पत्र के प्रधान संपादक से संबंध स्थापित करेंगे।

अभी अभी आपका एक और पत्र नम्बर 1002:1688 सी तारीख 1 दिसम्बर सन् 1947 ई० प्राप्त हुआ है। मैं तो आपकी इस 24 घंटेवाली शर्त को समझ ही नहीं पाया हूं और न यही समझ सका हूं कि आप एक पत्रकार को इस प्रकार 24 घंटे में उत्तर देने के लिए मजबूर करने को लिखकर अपना धमकीपूर्ण और मुझको जलील करने की भावना झलकाता हुआ रवैया क्यों बरत रहे है। और इस [illegible] दलील से तो सचमुच बड़ा ताज्जुब होता है कि अमुक समय में उत्तर न दिएजाने पर आप अमुक बात मान लेंगे। बड़ा विचित्र तर्क है यह, वैसे आप की मर्जी है जो चाहे मानलें और इस प्रकार मनमाने तौर पर विचित्र रूप से [illegible] आपके द्वारा कुछ भी मानलिए जाने की मुझ पर कोई पाबन्दी नहीं है।

आपका
मूलचन्द पारीक

सेवामें,
श्री सैक्रेटरी महोदय,
होम डिपार्टमेन्ट,
गवर्नमेंन्ट ओफ बीकानेर, बीकानेर

प्रतिलिपि वास्ते जानकारी के सेवामें प्रधान सम्पादक महोदय, लोकवाणी, जयपुर
प्रतिलिपि वास्ते जानकारी के सेवामें प्रधान सम्पादक वीर अर्जुन, दिल्ली
प्रतिलिपि सेवामें श्री सैक्रेटरी, महोदय, स्टेट्स मिनिस्ट्री, गवनमेंन्ट आफ इन्डिया, नई दिल्ली

वास्ते जानकारी इस बात की कि बीकानेर रियासत में लेखन स्वातंत्र्य कितना है और स्वतंत्र प्रेस सर्विस का गला घोटने के लिए संवाददाताओं के प्रति कैसा रूख लिया जाता है।

मूलचन्द पारीक

राजस्थान राज्य के पुरातत्व विभाग मे माइक्रो फिल्म मे अंकित है। यही खबर मैंने भाई मूलचन्द को बता दी थी जो उसके द्वारा भेजी जाकर जयपुर से प्रकाशित दैनिक लोकवाणी में प्रकाशित हो गई।

पत्रकारों पर गृहमंत्रालय का कोप

इस खबर के प्रकाशित होते ही लालगढ़ सचिवालय मे हड़कम्प मच गया। दो दिन तक बड़ी अफरा-तफरी रही। तीसरे दिन हम दोनो को गृहमत्रालय द्वारा नोटिस दिया गया कि हम 24 घंटे के भीतर इस खबर का स्रोत बतावे। हम दोनो ने अपने समान उत्तर में इस तथ्य की तो पुष्टि कर दी कि खबर हमारे द्वारा ही भेजी हुई है पर इसका स्रोत बताने से यह लिखते हुए इन्कार कर दिया कि स्रोत की गोपनीयता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और इस बारे में संपादक ही कुछ कर सकते है।

लेखक का धर्मसंकट और दैवी सहायता

सरकार ने हिन्दुस्तान टाइम्स के संपादक को इस खबर का कड़ा प्रतिवाद भेजकर खबर के स्रोत की जानकारी चाही तो सपादक की ओर से मुझ से स्रोत सूचित करने को लिखा गया। अब मेरे लिए बड़ा धर्मसंकट हो गया क्योकि मै श्रीराम की सौगंध से बंधा हुआ था। फिर एक बार किंकर्तव्यविमूढ़ता की स्थिति आ बनी। कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि क्या करूं और क्या उत्तर दूँ। इसी समय अचानक मुझे ऐसी अप्रत्याशित दैवी सहायता मिली कि जिसने मुझे धर्मसकट में से साफ उबार लिया। हुवा यह कि उक्त समझौते के सम्पन्न होने के तुरन्त बाद ही रायसिंहनगर के नाजिम के नाम नहरी तार सिस्टम से यह सूचना भेज दी गई थी कि सीमा के पार भावलपुर रियासत से हमारा यानी राज्य का व्यापार यथावत चलता रहना है उसमें कोई बाधा न आने दी जावे। खादी मंदिर के भूतपूर्व मैनेजर और परिषद् के जागरूक कार्यकर्ता श्री मेघराज पारीक किसी काम से रायसिंहनगर के नाजिम से मिलने गये थे। रेवेन्यू विभाग के भूतपूर्व पेशकार होने के कारण उक्त नाजिम से उनकी पुरानी जान-पहचान थी। पास-पास ही कुर्सी पर बैठकर दोनों में गुफ्तगू के दौरान मेघराज की नजर टेबल पर पड़े उक्त तार पर पड़ी और जब नाजिम साहब लघु शंका करने गये तो उक्त मेघराज चुपचाप उक्त तार को उठा लाया और बीकानेर आकर मुझे वह तार सौंप दिया। मुझे वह असली तार क्या मिल गया, राम ही मिल गया। मैंने उसी असली तार को रजिस्टर्ड डाक द्वारा अपने संपादक को भेज दिया। *ऐसा लगता है कि वह एक ऐसा प्रमाण था* जिसके मिलने के बाद संपादक ने बीकानेर की सरकार को जो कुछ भी उत्तर दिया होगा उससे सरकार की बोलती बद हो गई और हमारी जान बच गई। सरकार ने भी इस बारे में हमे फिर कभी नहीं छेड़ा।

मै श्री शंभुदयालजी सक्सेना का बड़ा ऋणी हूँ जिनके एक वाक्य ने मुझे वह तार भेज देने की हिम्मत और हौसला प्रदान किया था। सक्सेनाजी राजपूताने के मूर्धन्य साहित्यकार और पत्रकार थे। वे स्वयं देशभक्ति की बलिवेदी पर राज्य की ओर से

पीड़ित होने से नहीं बच सके थे। सन् 1937 में मुक्ताप्रसादजी और अन्य कार्यकर्ताओं के राज्य से निर्वासन के संबध मे प. नेहरू ने जो वक्तव्य दिया था उसके साथ राज्य की नीति और तत्कालीन स्थिति के बारे मे एक शिकायती नोट प्रकाशित किया गया था जिसमे सक्सेनाजी के बारे लिखा है, 'सन् 1936 की गर्मियों में शंभुदयाल सक्सेना, जो कि सांखू ठिकाने के सरक्षक शिक्षक थे, को सिर्फ इसलिए नौकरी से हटा दिया गया कि उन्होंने कमला नेहरू की स्मृति मे दो मिनट का मौन रखने का सुझाव दिया था।' मौन का सुझाव मात्र देने पर नौकरी से हाथ धोना पड़ा था सक्सेनाजी को।

शंभुदयाल जी सक्सेना के लेख में समझौता-कांड का उल्लेख

'भापायी पत्रकारिता और जन सचार' नामक पुस्तक में सक्सेनाजी का एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसका शीर्षक है 'जब बीकानेर मे अखबार का नाम लेना भी गुनाह था।' इस लेख में पृष्ठ 159 पर 'भावलपुर-बीकानेर व्यापारिक समझौता' के बारे में 'जागरूक संवाददाता की कर्तव्यपरायणता' उपशीर्षक के अन्तर्गत लालगढ़ पैलेस मे किस प्रकार यह गोपनीय समझौता सम्पन्न हुआ इसका विस्तृत विवरण अंकित करने के बाद वे लिखते हैं :

शंभुदयाल सक्सेना

'तीन दिन की निरंतर बातचीत के बाद एक गुप्त व्यापारिक संधि दोनो राज्यो के बीच की गई जिसे बाद मे राजनैतिक सधि का रूप लेना था और इस प्रकार बीकानेर राज्य का भविष्य भारतीय जनतत्र से अलग हो गया होता। परन्तु एक नवोदित पत्रकार को किसी प्रकार इस काड की भनक पड़ गयी, जो उस समय 'हिन्दुस्तान टाइम्स' का स्थानीय सवाददाता था। उसने राज्य-कोप के महान खतरे की जोखिम उठाकर आधी रात के समय जब सारा बीकानेर सोया हुवा था एक अर्जेन्ट टेलीग्राम, लगभग साढ़े चार सौ शब्दों का भेजकर इस तथ्य का भंडाफोड़ कर दिया। दूसरे दिन प्रातःकालीन अंक में इस दुरभिसधि का समाचार सारे देश मे पढ़ा गया। सरदार पटेल ने तुरन्त कार्यवाही की और एक अंग्रेज लायजन अफसर को बीकानेर-भावलपुर सीमान्त पर निरन्तर चौकसी रखने के अधिकार देकर भेज दिया और महाराजा बीकानेर को कहा कि वे उसके काम मे पूरी मदद करे।

उक्त नवोदित पत्रकार श्री दाऊदयाल आचार्य थे जिनकी कर्तव्यपरायणता और देशभक्ति युगो-युगो तक बीकानेर की पत्रकारिता के इतिहास मे स्वर्णाक्षरो मे लिखी रहेगी। जो काम बड़ी सैनिक कार्यवाहियो से सभव नही होता वह पत्रकार की लेखनी

कर दिखाती है बशर्ते कि पत्रकार अपने दायित्व के प्रति सजग हो। अन्यथा अपने पेशे के लिए कलर्क सिद्ध होने वाले पत्रकारों की भी कमी नहीं है बल्कि वे संख्या में अधिक ही मिलते हैं।'

भरतपुर में महाराजा को काले झंडे

महाराजा सादूलसिंह की श्री उतरती जा रही थी। सन् 1947 में वायसराय के साथ बीकानेर नरेश भी भरतपुर में वायसराय द्वारा खेले जाने वाली जलमुर्गियों के शिकार में शामिल होने पहुँचे थे—वहां जाटव व कोली भाइयों को जबरन बेगार में लगाये जाने का विरोध हुवा और जनता क्षुब्ध हो उठी। अतः काले झंडे मंगवाकर उसी समय आने वाले बीकानेर नरेश को दिखला ही दिये गये और साथ ही 'सादूलसिंह गो बैक' का नारा भी गूँज उठा। भरतपुर के पत्र 'नवयुवग संदेश' के अंक 13 में इसका विस्तृत हाल बीकानेर के गृह विभाग की गोपनीय फाइल सन् 1944/35 में पैरा नं. 10 में दर्ज है कि तारानगर के सीताराम अग्रवाल ने आसाम से तार भेजकर नवयुग संदेश को इस प्रकाशन के लिए बधाई दी जिसके लिए बीकानेर के आई.जी.पी ने उसके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाने का प्रस्ताव किया। प्रस्ताव महाराजा तक पहुँचा पर आसाम में बैठे इस देशभक्त के खिलाफ ऐसा कदम उठाने की हिम्मत सरकार में नहीं थी इसलिए 30-4-48 को आखिर में कागजात को दाखल दफ्तर का आदेश देकर ही बीकानेर सरकार को संतोष कर लेना पड़ा।

ठा. प्रतापसिंह ने सप्लाई विभाग हथिया लिया

चना निकासी में करोड़ों का भ्रष्टाचार

सन् 1947 के अंत मे महाराजा के परम्परागत मंत्रिमंडल में एक नई प्रवृत्ति देखने को मिली। गृहमंत्री ठा. प्रतापसिह को लगा कि बीकानेर रियासत में चने और सरसों की फसलें इतनी विशाल मात्रा मे पैदा होती है कि अतिरिक्त (सरप्लस) चने और सरसो को भारत के अन्य भागो को निर्यात किया जा सकता है और इसके लिए वे सप्लाई विभाग के तत्कालीन सप्लाई मंत्री जसवंतसिह से सप्लाई विभाग किसी प्रकार छीनकर खुद प्राप्त कर लें तो पीढ़ियों तक 'पौबारह पच्चीस' हो जाएं। गृहमंत्री ने जनता के कतिपय लोगो को उकसाकर एक ऐसा प्रदर्शन करवाया जिसमें पुलिस के दिखावटी लाठीचार्ज से कुछ व्यक्तियों के सरो पर पट्टियां बंधी हुई थीं और महाराजा साहब का एक फोटो कार में रखा हुवा था जिस के साथ जनता का एक बड़ा हजूम चल रहा था जिसका नारा था 'जय हजारा दल, रुकने का कोई काम नहीं है, आगे बढ़ता चल'। यह हजूम लालगढ़ पहुँचा और महाराजा को सप्लाई संबंधी शिकायतें सुनाई। महाराजा ने उस भीड़ को आश्वस्त किया और तुरन्त ही सप्लाई विभाग अपने प्रिय और विश्वसनीय गृहमन्त्री ठा. प्रतापसिह को सोप दिया।

जब ठाकुर प्रतापसिंह गृह के साथ सप्लाई मंत्री बन बैठे तो उन्होने व्यापारी वर्ग के कुछ भ्रष्ट एव लालची व्यापारियों से सांठ-गाँठ करके बीकानेर से बाहर चने की

निकासी के लिए दिये जाने वाले परमिटो मे भयंकर यानी लाखो-करोड़ों की रिश्वत-खोरी शुरू कर दी। वात यह थी कि कई व्यापारियों ने अपने अपने गोदामों मे चने स्टाक कर रखे थे और मद्रास आदि प्रदेशो के लिए जव निकासी खुली तो सभी व्यापारियों को उनके स्टाक के अनुसार आनुपातिक रूप से चने की निकासी के परमिट न देकर कुछ वड़े और रिश्वत देने मे समर्थ चुनिन्दा व्यापारियो को ही ये परमिट दिये जाने लगे। इससे सारी रियासत भर के धान के व्यापारियों में हाहाकार मच गया और घोर असंतोष का वातावरण वन गया।

इस रिश्वतखोरी का भंडाफोड़ करने के चुनौती भरे कार्य का वीड़ा भी खादी मंदिर के भूतपूर्व व्यवस्थापक श्री मेघराज पारीक ने ही उठाया। उन्होंने सारे तथ्य और आंकड़े एकत्रित करके एक अर्जी एन्टीकरप्सन कमेटी के प्रधान को 27-1-48 को भेज दी और उसकी एक प्रतिलिपि महाराजा साहव वीकानेर के प्राईवेट सेक्रेटरी को भी भेज दी। इस वुकलेट का शीर्षक था। 'ठाकुर प्रतापसिंह की रिश्वतखोरी की जाँच हो'। इसमें भ्रष्टाचार में उलझी हुई समस्त फर्मो के नाम, परमिटों के नंवर आदि सब कुछ इतने स्पष्ट और विस्तृत रूप से दिये हुवे थे कि इसको पढ़ने के वाद तथ्यों की सच्चाई में कोई शक नहीं रह सकता था। इसमे एक वाक्य इतना चुभता हुआ अंकित किया हुवा था जिससे शक की सूई स्वयं महाराजा साहव की ओर घूमती प्रतीत हो रही थी। वह वाक्य था 'हर-एक व्यक्ति आज यह महसूस करता है कि सप्लाई मिनिस्टर ठाकुर प्रतापसिंहजी के पीछे कोई वहुत मजवूत पीठ-वल काम कर रहा है जिसके वलवूते पर ही ठाकुर साहब जैसा चाहें वैसा धड़ल्ले से कर रहे है।' इसकी एक प्रति रजिस्ट्री से सरदार पटेल को भी भेज दी गई थी। इसी समय हनुमानगढ़ मे चौवीस-पच्चीस जनवरी 1948 को सम्पन्न हुवे प्रथम राजनैतिक सम्मेलन में यह प्रस्ताव स्वीकार करके सारे संबधितों को भेजा गया, 'यह राजनैतिक सम्मेलन महसूस करता है कि वीकानेर रियासत में 15 अगस्त 1947 से आये इस स्वतन्त्रता के युग मे भी अन्याय, पक्षपात व रिश्वत-खोरी दिन दूनी रात चौगुनी हो रही है, और सिविल सप्लाइज के मंत्री महोदय सरसों, चने व चने की दाल की निकासी के मामले में खुल्लम-खुल्ला रिश्वत ले रहे हैं। इससे जनता में असंतोष वढ़ रहा है। अतः यह सम्मेलन श्री महाराजा साहव से प्रार्थना करता है कि उपरोक्त मंत्री महोदय को मंत्री पद से मुक्त फरमाया जावे।' परिणाम स्वरूप भारत सरकार के *निर्देश पर इस भ्रष्टाचार के आरोप की जॉच के लिए एक ट्रिव्यूनल वैठा दिया गया* जिसके सदस्य थे पंजाव हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति श्री मेहरचन्द महाजन तथा वीकानेर हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश राजवहादुर विश्वेसरनाथ जो कि मूलत· हैदरावाद राज्य के निवर्तमान न्यायाधीश होकर वीकानेर में मुख्य न्यायाधीश के पद पर आये थे। इस ट्रिव्यूनल के समक्ष शिकायतकर्ताओं की ओर से यहां के सुप्रसिद्ध एडवोकेट वावू रघुवरदयाल गोयल ने पैरवी की। इस पैरवी में सप्लाई मंत्री महोदय ठाकुर प्रतापसिहजी तथा उनके इस मामले मे प्रमुख दलाल यानी चीफ एजेन्ट मिस्टर तेजमाल भैया से की

गई जिरह के दौरान उनके पसीना छूट आया और एक बार तो ऐसी स्थिति भी आई कि उन्हें जिरह के दौरान बीच ही में ट्रिब्यूनल से शौच जाने के लिए कुछ समय के लिए जिरह रुकवाने के लिए आवेदनपत्र देना पड़ा। काफी लम्बे समय तक पक्ष-विपक्ष की ओर से प्रमाणों और गवाहो के बयानो के बाद बहस सुनकर ट्रिब्यूनल ने अपनी जॉच के नतीजे की रिपोर्ट यथास्थान प्रेषित की जिसमे यह माना गया बताया जाता है कि तत्कालीन सिविल सप्लाईज विभाग के मुख्य प्रभारी और अधिकारियो ने चनो की निकासी के परमिट देने मे भयंकर घोटाला तथा गोलमाल की है। परन्तु यह तभी सभव हुवा जबकि इसके पीछे किसी सर्वोपरि शक्ति (अर्थात् संकेत मे स्वयं महाराजा साहब) का हाथ हो। ट्रिब्यूनल की अंतिम रिपोर्ट के बारे में भारत सरकार चुप्पी साध कर बैठ गई। उक्त रिपोर्ट ने कभी सूर्य का प्रकाश नही देखा। हम लोगों ने यानी प्रजापरिषद्वालों ने सरदार पटेल से अंदरूनी तौर पर इस चुप्पी की शिकायत की तो सकेत मिला कि इकट्ठी की हुई स्टीम बहुत बड़ा काम कर सकती है इसलिए स्टीम की ऊर्जा को छोटे-छोटे कामों मे खर्च नही होने देना चाहिए। हम लोगों को धैर्यपूर्वक उपयुक्त समय के आने तक इन्तजार करना ही चाहिए।

हीरालाल शर्मा की रिहाई

महाराजा की राष्ट्रहित विरोधी कार्यवाहियो से भारत सरकार को सारी सूचनाएं हमारी तरफ से तथा स्वयं सरदार के अपने गुप्तचर स्रोत से मिलती रहने पर भी उन्हे रोकने के लिए केन्द्र की तरफ से बजाहिरा कुछ न होने की जो हम लोगों की परेशानी थी उसे सरदार द्वारा ऊर्जा को छुटपुट तौर पर न खर्च होने देने की बात का जो संकेत दिया गया उससे हम लोगो को संतोष हुवा कि उचित समय पर उचित कदम अवश्य उठेगा और इस विश्वास में धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगे। सन् 47 समाप्त हुआ और नए वर्ष 1948 का पदार्पण हुवा। 27 जुलाई 1946 को अन्य राजनैतिक बंदियो के साथ हीरालाल शर्मा को उस समय नहीं छोड़ा गया था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी जब उसे नही छोड़ा गया तो सरदार के कान में इस ज्यादती की बात पहुँचाई गई। बीकानेर प्रशासन से इसके बारे में जानकारी चाहे जाने पर उन्हे बताया गया कि हीरालाल राजनैतिक बंदी न होकर आतंककारी कार्यो में लिप्त होने से उसे अन्य राजनैतिक बदियो के साथ कैसे छोड़ा जाता? सरदार ने उसके आतंककारी कार्य की तफसील मागी। अब महाराजा क्या उत्तर देते? उत्तर न देकर महाराजा ने सन् 1948 की जनवरी लगते ही उसे रिहा कर दिया। रिहाई के बाद कानपुर पहुँचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। इधर बीकानेर सेन्ट्रल जेल से राजबंदी सर्वश्री गिरीशचन्द्र मिश्र, बनवारी लाल बेदी व बालमुकुंद मुद्गल को छोड़ देने के समाचार 10 जनवरी 1948 के दैनिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित हुए। अखबार 'जागरण' के 14 जनवरी के अंक मे छपा कि अपने स्वागत व अभिनदन के लिए आभार प्रगट करते हुए हीरालाल ने बताया कि भारत आजाद हो गया किन्तु बीकानेर के नागरिको को तो आज भी गुलामी जैसे वातावरण में जीने और गुजारा करने को मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने घोषणा की कि बीकानेर राज्य मे अब हम

उत्तरदायी शासन हासिल करके रहेगे या फिर स्वय मर मिट जायेगे। तत्पश्चात उन्होंने कानपुर छोड़ दिया और वीकानेर मे ही अलख जगाई।

स्वतन्त्र भारत की केन्द्रीय सत्ता और महाराजा वीकानेर

वीकानेर के राठौड़ी राजघराणे ने सन् 1570 से 1947 तक मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य की अधीनता के दौरान एक विशेष सत्ता-सुख भोगा था जिसमें सम्राटों की चाहे कितनी ही गुलामी क्यों न करनी पड़ी हो, पर अपनी रियासत मे अपनी प्रजा के साथ चाहे जैसा व्यवहार करने को वे स्वतन्त्र थे। उन्हें यह उम्मीद रही कि मुगलों और अंग्रेजों के काल की तरह स्वतन्त्र भारत की केन्द्रीय सत्ता भी उन्हें अपनी रियासत में अपनी प्रजा के साथ चाहे जैसा व्यवहार करने की छूट जारी रखेगी। पर स्वतन्त्र भारत में यह संभव नहीं था। लोकतंत्र के लिए जूझ कर स्वतन्त्रता प्राप्त करने वाली केन्द्रीय सत्ता राष्ट्र के अंगभूत क्षेत्रों के अधिपतियों को मनमानी करने और निरंकुशता जारी रखने की छूट कैसे दे सकती थी? सन् 1948 का वर्ष इसी संघर्ष से प्रारम्भ हुआ।

हमारे महाराजा साहव ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के उस नाजुक काल में भारतीय यूनियन में शामिल होने में दूसरे नरेशों को नेतृत्व प्रदान करके जो विपुल यश और राष्ट्र की 'कृतज्ञता' अर्जित की थी उसको वे इस रूप में भुनाने को तत्पर थे कि उनके राज्य की इकाई यथावत वनी रहे और उसके माध्यम से उनकी स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता में कोई बाधा न पड़ने पावे। पर राष्ट्र के लोकतान्त्रिक ढांचे में यह संभव नहीं हो सकता था। अब महाराजा साहव ने परिषद् में फूट डालकर परिषद् के उन नेताओं को खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी जो किसी भी कीमत पर खरीदे जा सकते थे। यह कैसे हुवा इसे अगले अध्याय मे पढ़िये।

एक घृणित उपाख्यान का काला अध्याय

एक घृणित उपाख्यान का काला अध्याय

महाराजा से राष्ट्र-विरोधी गुप्त समझौता!

सन् 1947-48 के उस सक्रांति काल मे सरदार वल्लभभाई पटेल स्टेट्स मिनिस्ट्री के साथ ही गृहमंत्रालय को भी संभाले हुए थे। इस नाते राष्ट्र के विघटनकारी तत्वों से वहुत सावधान रहते थे और ऐसे तत्वो के प्रति वहुत कठोर व्यवहार करने को भी मजवूर और कृत संकल्प थे। इसमें कोई शक नही कि विधान-निर्मात्री परिषद् के निर्माण के बाद सरदार पटेल ने भारत सरकार की इस उदारनीति का वारम्वार ऐलान किया था कि पर्याप्त वड़े देशी-राज्यों की उन इकाइयो को भविष्य में वरकरार रखा जायेगा जो जनसख्या और आमदनी की दृष्टि से स्वय अपने पैरो पर खड़े होने लायक थी। ऐसे वड़े राज्यों में हैदरावाद, काश्मीर, ट्रावनकोर, मैसूर, वड़ौदा, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर आदि अनेक राज्य आते थे। हैदरावाद और जूनागढ़ राज्यों ने देश के प्रति जैसा विद्रोही रुख अपनाया था उसके कारण सरदार पटेल को वड़े राज्यों को अलग इकाई और परंपरागत राज्यसत्ता के अन्तर्गत रहने देने की घोषणा को ताक पर रखकर किस प्रकार पुलिस एक्सन लेने को मजवूर होना पड़ा था वह हम सव को विदित ही है। काश्मीर में पाकिस्तानी हमले के कारण भारत को अपनी फौजे भेजनी पड़ी थी। ट्रावनकोर महाराजा द्वारा अपने राज्य को स्वतन्त्र राज्य घोषित करने की हठधर्मी के कारण उसे विलीन करना पड़ा। इसी प्रकार उत्तर और पश्चिमी भारत में पाकिस्तान से सटती सीमा वाली जोधपुर और वीकानेर रियासतों के नरेशों की राष्ट्र-विपरीत हलचले भी संदिग्ध हो चली थी। जोधपुर नरेश द्वारा 15 अगस्त से पहले ही मोहम्मद अली जिन्ना से सीधे वार्तालाप करने का किस्सा और बीकानेर नरेश द्वारा 15 अगस्त के वाद गुप्त रूप से भावलपुर-वीकानेर व्यापार-संधि कर लेने के किस्से अखवारों में उजागर होकर पूरे राष्ट्र के लिए खुला भेद यानी ओपन सीक्रेट वन चुके थे। ऐसे मे सम्पूर्ण राष्ट्र की सुरक्षार्थ इन इकाइयों को स्वतन्त्र राजघरानों के रूप मे कायम न रहने देने मे ही राष्ट्र की सुरक्षा निहित थी। सरदार साहव, संवधित पक्षों की राष्ट्रहित-विरोधी हरकतों के प्रकाश में अपनी मूलनीति में परिवर्तन करने को मजवूर कर दिये गये थे और इस परिवर्तित नीति पर अमल करने के लिए वे उपयुक्त समय का इंतजार कर रहे थे।

राष्ट्रीय और प्रान्तीय प्रजा-संगठनों को परिवर्तित नीति की गुप्त सूचना

अखिल भारतीय देशी राज्य लोकपरिषद् तथा राजपूताना प्रांतीय लोकपरिषद् और इनके माध्यम से इस क्षेत्र के तमाम राज्यो के जन-सगठनों को राष्ट्र की इस परिवर्तित नीति का पर्याप्त ज्ञान करा दिया गया था। इसके वावजूद बीकानेर प्रजापरिषद्

के कुंभाराम आदि नेताओं ने जो राष्ट्रहित-विपरीत योजना बनाई और लुके-छिपे रूप से महाराजा से गुप्त समझौता सम्पन्न कर लेने के बाद जो कुछ किया वह राष्ट्र के स्वतन्त्रता सग्राम मे बीकानेर के योगदान के इतिहास में एक काला पृष्ठ ही कहा जायेगा। यह समझौता क्या था, किसने किया था और कैसे सम्पन्न हुआ था और किस-किस के माध्यम से बातचीत आगे बढ़ी थी और फिर इसकी अंतिम परिणिति क्या हुई यह सब एक दिलचस्प कहानी है।

बीकानेर नरेश द्वारा घोषित राज्य का नया संविधान

बीकानेर का नया सविधान अधिनियम सन् 1947 दिसम्बर मे घोषित हुआ। इसमें व्यवस्थापिका के कुल 88 स्थानो मे से 46 स्थान जागीरदारो वगैरा के लिए सुरक्षित कर दिये गये थे। रिजर्व सीटो की संख्या और व्यवस्था को अपरिवर्तनीय घोषित किया गया था। प्रिवीपर्स, बीकानेरी फौज, जागीरो और जागीरदार, हाईकोर्ट के जजों, महाराजा के आपातकालीन अधिकारो आदि के बारे में व्यवस्थापिका के दो सदनों मे से किसी मे भी न तो कोई बिल ही पेश किया जा सकता था और न कोई प्रस्ताव लाया जा सकता था और न ही कोई प्रश्न ही पूछा जा सकता था। फिर भी कुंभाराम आदि जाटवर्ग के धड़े द्वारा प्रजापरिषद् के नाम से चुनाव लड़ना और चुनावों से पहले ऐडहाक रूप मे बनने वाली अंतरिम सरकार में शामिल होना स्वीकार कर लिया गया था।

गुप्त समझौते का जागरूक तबकों द्वारा प्रबल विरोध

इन सवैधानिक सुधारो पर जाट गुट द्वारा दी गई स्वीकृति पर टिप्पणी करते हुए तत्समय के एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता श्री माधवप्रसाद शर्मा द्वारा कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये गये थे जिनमे से कुछ इस प्रकार थे :

'तत्समय के प्रजापरिषद् के प्रधान, चौधरी हरदतसिंह ने शुरू में ही अपने तूफानी दौरों मे साफ ऐलान कर दिया था कि राज्य में विधानसभा के दो सदनो को बनाये जाने का व जागीरदारो के विशेषाधिकार सुरक्षित रखे जाने संबधी सविधान के समस्त प्रावधानों का और मतदान में प्रत्येक स्त्री-पुरुष को मताधिकार न देने यानी बालिग मताधिकार न देने का हम डट कर विरोध करते है और करते रहेगे। इन सब घोषणाओं का क्या हुआ? इन तमाम अवांछित बातो के मौजूद रहते ही परिषद् के नेताओं ने अचानक पलटा खाकर अतरिम सरकार में पद कैसे स्वीकार कर लिए हैं? अस्थाई सरकार मे पदारूढ़ होने के लिए सारे सिद्धान्तो और पूर्व घोषणाओं की बलि कैसे दे रहे है? परिषद् के नेताओं ने क्या कभी घड़ी भर के लिए यह भी सोचा या नहीं कि विधानसभा के किसी भी सदन में अन्य बातों के अलावा जागीरों और जागीरदारो के सबंध मे जब उन्हें बिल लाने, प्रस्ताव प्रस्तुत करने और प्रश्न तक पूछने का अधिकार नहीं दिया गया है, तो आखिर वे विधान सभा मे जाकर करेगे क्या? अस्थाई कुर्सी के लिए स्थाई सिद्धान्तों की हत्या करने पर तुल जाना किस तरह न्यायपूर्ण और शोभनीय होगा? जरा एक क्षण के लिए विचार कर के महाराजा के साथ सहयोग करें तो ठीक

होगा। जिन जागीरो और जागीरदारों के लिए आप लोगो ने हजारो किसानो से 'जागीर प्रथा समाप्त हो' और 'जागीरो का नाश हो,' ऐसे गगन-भेदी नारे लगवाये थे उनको जवाब देने के लिए आपके पास क्या बचा है?'

गुप्त समझौते का रहस्य आखिर छुपा न रह सका

गंगानगर जिले के बिरकाली गॉव के श्रीचन्द्रसिह बीका ने बिचौलिया बनकर यह पट्‌ड़ी बैठाई थी। गृहमंत्री ठाकुर प्रतापसिंह ने उक्त चन्द्रसिह की मार्फत इन जाट नेताओं को निम्न संदेश भिजवाया था—

'अब इतिहास में वह समय आ चुका है जब चौधरी कुंभाराम व चौधरी हरदत्तसिह आदि किसान नेताओं को उस बनियें (अर्थात् रघुवरदयाल गोयल) का साथ छोड़कर महाराजा साहब के साथ सीधी बातचीत करके वह रास्ता ढूँढ़ निकालना चाहिए जिसमें सॉप भी मर जाय और लाठी भी न टूटे (अर्थात् सत्ता की बागडोर भी आप लोगों के हाथों में आ जाय, जिससे आप लोग ग्रामीण जनता अर्थात् किसान वर्ग का भला कर सकें और गोयल की तरह बरबाद भी न होना पड़े)। शासन से हमेशा असहयोग कर के चलने की नीति से गोयल ने क्या पा लिया? उसी नीति पर चलते रहकर आप लोग भी क्या पा लोगे? राजनीति यही कहती है कि उचित अवसर पर उचित कदम तुरन्त उठाने वाले ही जीवन मे सफल हो पाते है और गोयल की तरह अड़ियल रुख अपनाने वाले बरबाद ही होते है इसलिए एक बार महाराजा साहब से सीधी बातचीत करके अपने जातिगत व व्यक्तिगत भविष्य को सुधार लो और अपनी महान सस्था प्रजापरिषद् का और अपनी इस प्यारी रियासत बीकानेर का भविष्य सदा के लिए सँवार लो। राजनीति के इस महान सिद्धांत को मत भूलो कि राजनीति में कभी स्थाई मित्र और स्थाई शत्रु नही होते। कल के शत्रु आज के मित्र और आज के मित्र कल के शत्रु हो सकते हैं।'

लालगढ़ महल में, तत्समय के बीकानेर राज्य प्रजापरिषद् के अध्यक्ष चौधरी हरदत्तसिह व परिषद् के तत्समय के सेक्रेटरी श्री केदारनाथ वगैरा की, महाराजा साहब से गुप्त मुलाकात हुई जिस मे चुपचाप यह तय हो गया कि चार और पाँच जनवरी 1948 को प्रजापरिषद् की कार्यकारिणी की जो मीटिंग होने वाली है उसमें एक प्रस्ताव पास करके महाराजा साहब को बधाई का प्रस्ताव भेजेगे और आइन्दा महाराजा के सहयोग से एक कुटम्ब की तरह काम करेंगे और सवैधानिक सुधारों की घोषणाओं के लिए महाराजा के प्रति कृतज्ञता प्रगट करेंगे और प्रजापरिषद् के मंच से महाराजा के खिलाफ कभी कुछ अनुचित नहीं कहेगे और न पैम्फलेट बाजी करेगे, बीकानेर के झंडे को स्वीकार करेगे और अगर प्रजापरिषद् के किसी सदस्य को मिनीस्टर बना दिया जाय तो वह अपनी मोटर के ऊपर बीकानेर का झंडा फहरायेगा और सबसे महत्वपूर्ण शर्त, परिषद् के इन नेताओं ने यह स्वीकार कर ली कि प्रजापरिषद् वाले बीकानेर रियासत को भारत यूनियन में अपनी स्वतन्त्र इकाई के रूप मे अस्तित्व बनाये रखने में जी-जान से लगे रहेंगे और प्रजापरिषद् वाले 'जै बीकाणा' और 'महाराजा सादूलसिंह की जै' के नारे लगावेंगे और

रियासत में विद्यार्थियों मे कोई आन्दोलन नहीं भड़कावेंगे और राज्य में शहीद-दिवस या राजनैतिक बंदी-दिवस नहीं मनायेंगे और स्वतन्त्रता दिवस जैसी पुरानी घटनाओं को याद दिलाने वाले दिवस नहीं मनायेगे। इन के अलावा और कई छोटी-मोटी शर्ते भी थी। महाराजा के प्राईवेट सेक्रेटरी ने परिषद् के अध्यक्ष चौ. हरदत को एक गोपनीय पत्र भेजकर उपरोक्त सारी बातों का हवाला दिया। सौभाग्य से हम परिषद्वालों को इस गुप्त पत्र की कार्बन कॉपी, टाइप की हुई हाथ लग गई जिसको 'गद्दारी का भंडा फोड़' इस शीर्षक से पेम्फलेट छपवाकर बंटवा दिया गया। (असली अंग्रेजी के पेम्फलेट की फोटो कापी देखें अध्याय के अंत में)।

इस राष्ट्र-विरोधी समझौते की पालना में 18 मार्च को महाराजा ने अंतरिम, मिला-जुला 10 सदस्यों का मंत्रिमडल घोषित कर दिया जिसमें प्रधानमंत्री कंवर जसवंतसिह को बनाया गया और प्रजापरिषद् के आधे मंत्रियों के कोटे में पाँच मंत्री नियुक्त होने थे जिन में से एक की घोषणा बाद में होना बताया जाकर प्रजापरिषद् से लिये गये चार मंत्रियों के नाम इस प्रकार बताये गये :—

1. चौ. हरदत्तसिंह को उप प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री बनाया गया।
2. चौ. कुंभाराम को रेवेन्यू मिनिस्टर बनाया गया।
3. पंडित गौरीशंकर आचार्य को शिक्षा मंत्री बनाया गया।
4. गगानगर डिवीजन से सरदार मस्तानसिह को स्वायत शासन मंत्री बनाया गया।

गैर-प्रजापरिषदीय कोटे मे प्रधानमंत्री के अलावा सेठ खुशालचन्द डागा को वित्त, पंडित सूरजकरण आचार्य को कानून, मोहम्मद अहमद बग्स सिधी को विकास और ठाकुर कुवेरसिंह को देवस्थान और कोर्ट आफ वार्ड्स् मंत्री बनाया गया।

अंतरिम मंत्री मंडल का घोर विरोध

अतरिम, मिलाजुला मंत्रिमंडल प्रजापरिषद् को पूर्ण विश्वास मे लेकर नहीं बनाया गया था और उत्तरदायी शासन का पूर्ण रूप भी इस मंत्रिमडल द्वारा पूरा नहीं होता था। बीकानेर रियासत का स्वतन्त्र अस्तित्व बनाए रखने की शर्त मानकर प्रजापरिषद् के एक धड़े यानी कुंभाराम आर्य आदि ने जो सत्ता प्राप्त की थी वह राजस्थान के एकीकरण की बुनियादी मांग के विरुद्ध पड़ती थी। भारत की रियासतो के प्रजापक्ष के सगठनों के नीति निर्धारण और संगठन और सहयोग या संघर्ष के सूत्र अखिल भारतीय देशी राज्य लोकपरिषद् के हाथ में सन् 27 से ही चले आ रहे थे। इस अखिल भारतीय संस्था से ही प्रादेशिक संगठन और रियासतों के जन-संगठन मार्गदर्शन और निर्देशन प्राप्त करते थे। इस संस्था के सुचारु संचालन के लिए दो पक्ष थे—एक सगठन-पक्ष और दूसरा चुनाव-पक्ष। चुनाव-पक्ष के लिए पार्लियामेन्टरी बोर्ड बना हुआ था। बीकानेर प्रजापरिषद् के अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल होने और महाराजा से समझौता करने मे न तो प्रादेशिक संगठन से और न ही अखिल भारतीय संगठन से मार्ग- दर्शन लिया गया और एक धड़े विशेष ने रहस्यमय रूप से गुपचुप महाराजा से हाथ मिलाकर कुर्सी का टुकड़ा प्राप्त किया था जिसे

अ.भा. रियासती संगठन और प्रादेशिक सगठन के समर्थन का आशीर्वाद भी नही मिला था। बीकानेर रियासत का स्वतन्त्र अस्तित्व रखने की शर्त मानकर कुछ कार्यकर्ताओं ने जो सत्ता प्राप्त की थी वह राजस्थान के एकीकरण की बुनियादी माग के विरुद्ध पड़ती थी। इसी मूलभूत विन्दु को लेकर अतरिम मंत्रिमडल का भयकर विरोध शुरू हो गया। इस सवंध में अखवारों मे बयान छपे और पेम्फलेट्स निकले जिनमे से कुछ के शीर्षक इस प्रकार थे :—'राजपूताना प्रान्त की डेढ़ करोड़ जनता के हितों का खून', 'स्वयं वीकानेर की जनता को धोखा' और 'प्रजापरिषद् के नेताओं का श्री महाराजा से षड्यत्रपूर्ण एव प्रतिक्रियावादी समझौता' आदि।

उस समय जब कि एक ओर भारत माँ की सुरक्षा व उन्नति को ध्यान में रखते हुए चारों ओर देशभक्त-राज्य और उनकी प्रजा स्वेच्छा से देश की भलाई के लिए अपने निजी स्वार्थो को गौण मानकर और देश के लिए अहितकर अपनी-अपनी छोटी बड़ी रियासतों को अलग-अलग इकाई वनाये रखने की ओछी भावनाओं को तिलाजलियां देकर धड़ाधड़ वड़े प्रान्तों के निर्माण में संलग्न होकर अपनी देशभक्ति का परिचय दे रही थी उसी समय राष्ट्रहित व रीजनल कौसिल के प्रस्ताव के विरुद्ध वीकानेर राज्य को अलग इकाई वनाये रखने की शर्त को स्वीकार करके वंगलो, कारों और सत्ता के एक छोटे से टुकड़े पर राष्ट्रहित व जनहित का वलिदान देकर व राजा के हथियार वनकर मिले-जुले मंत्रिमडल में प्रवेश करके उसके ऊपर चिपके रहना राष्ट्र, प्रदेश व जनता के साथ गद्दारी मानी गई और इसके लिए 'जनता के साथ जवरदस्त विश्वासघात' की संज्ञा का प्रयोग किया गया। मंत्रिमंडल मे प्रवेश करने से कुछ ही दिन पहले तीन मार्च को अपनी देहली की वैठक में अखिल भारतीय देशी राज्य लोकपरिषद् की राजपूताना की जनरल कौंसिल की कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव पास करके राजपूताने की सभी रियासतो का एक प्रान्त वनाने की मांग की थी। बीकानेर की प्रजापरिषद् के सत्ता लोलुप धड़े ने इस प्रस्ताव की स्याही सूखने के पहले ही इसका खून कर दिया। 17 अप्रेल 1948 की वैठक में रीजनल कौंसिल में एक प्रस्ताव मे कहा गया था कि 'वीकानेर राज्य प्रजापरिषद् की कार्यसमिति द्वारा नियुक्त की गई समिति ने वैधानिक मामलों में वीकानेर राज्य से जो समझौता किया है वह न तो प्रांतीय कार्यसमिति की सलाह लेकर किया है और न पार्लियामेन्टरी कमेटी को पूछ कर किया है। बीकानेर के वैधानिक प्रश्न के सिलसिले में प्रांतीय कार्यसमिति की ओर से आवश्यक कार्य करने व सलाह देने की जिम्मेदारी पंडित हीरालाल शास्त्री को सौंपी गई थी पर वार्तालाप-समिति ने उन से भी राय नही ली। इस प्रकार का समझौता करना वीकानेर राज्य प्रजापरिषद् की कार्यसमिति के अधिकार से वाहर की बात है और प्रांतीय कार्यसमिति ऐसे ढग को नापसंद करते हुए उसकी निंदा करती है। इस प्रस्ताव में यह भी जोड़ा गया कि उक्त समझौते की पहली कलम मे वीकानेर के एक स्वतन्त्र इकाई वने रहने के वारे में प्रजापरिषद् की ओर से जो शर्त मंजूर की गई है वह खासतौर पर आपत्तिजनक है। यह शर्त अ.भा. देशी राज्य लोकपरिषद् की तथा उसकी प्रांतीय सभा की नीति और प्रस्तावों के खिलाफ है। अतः वीकानेर राज्य प्रजापरिषद् को चाहिए कि वह तुरन्त इसका खंडन करने की कार्यवाही करे।

समझौते के विरोध मे प्रवल जनमत खड़ा करने के लिए बीकानेर राज्य प्रजापरिषद् के भूतपूर्व अध्यक्ष और परिषद् के जन्मदाता और जनक रघुवरदयाल गोयल, जिन्होने परिषद् के लिए सन् 1942 से अथक परिश्रम और संघर्ष किया था तथा निर्वासन व भयंकर यातनाए भुगती थी तथा उनके सहकर्मी गंगादास कौशिक व दाऊदयाल आचार्य व अन्य कई प्रवुद्ध नागरिक-मुख्यतः सर्वश्री चेतनदास मूंधड़ा एडवोकेट, केवलचन्द वहड़ एडवोकेट, लखपतराय गांधी एडवोकेट, डाक्टर छगन मोहता, हरिशंकर वगरहट्टा एडवोकेट व जानकीप्रसाद बगरहट्टा पत्रकार इत्यादि ने जगह-जगह सभाओं व प्रदर्शनों द्वारा जबरदस्त इकाई-विरोधी आन्दोलन खड़ा कर दिया। दूसरी तरफ अंतरिम मत्रीपरिषद् के प्रजापरिषदीय सदस्यों तथा कई अन्य संस्थाओं जैसे बीकानेर सेवासघ आदि ने भी जगह-जगह अपने पक्ष के समर्थन में, विशेषतः इकाई के पक्ष मे सभाएँ आयोजित की किन्तु इकाई-विरोधी तूफानी सभाओं के समक्ष इनका इकाई-समर्थन टिक नही सका। बीकानेर को किसी नवीन एकीकृत इकाई में मिलाने से बचाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा था उस में राजा-समर्थक सभी शक्तिया एक जुट हो गई थी और उसके अनुसार शहर में सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम दो-दो पैसे के छपे हुए पोस्टकार्ड वीकानेर राज्य के अलग अस्तित्व वने रहने के बारे मे वितरित किये जा रहे थे किन्तु जनमत इसके इतना विरुद्ध था कि जनता इकाई रहने के शब्दों को काट कर इकाई के विलीनीकरण के पक्ष में शब्द लिख कर डाल रही थी। सन् 1948 की 23 जुलाई को सगठन का नाम प्रजापरिषद् से बदल कर काग्रेस कर दिया गया। सरदार पटेल को राष्ट्र के प्रति अपना दायित्व पूरा करने से रोकने के लिए राजा से अपवित्र गठबंधन करके देश की अखंडता को दांव पर रखकर महाराजा साहव के स्वर मे स्वर मिलाकर अखंड भारत की जगह अखंड बीकानेर का राष्ट्रहित-विरोधी नारा वुलद किया गया था। यह सव कितना सही और कितना गलत था इसका निर्णय तो आगे आने वाली पीढ़ियाँ ही करेंगी पर ऐसे विश्वासघात की नीव पर खड़ी की गई मिनिस्ट्री पूरे छः महीने भी जीवित नहीं रह सकी और राजपूताना प्रादेशिक कौंसिल के अप्रेल के प्रस्ताव की पालना में, वालिग मताधिकार के अभाव में चुनाव के वहिष्कार की घोषणा की गई जिसके फलस्वरूप यह अंतरिम मिनिस्ट्री भंग हो गई और ये सत्ता-लोभी मिनिस्टरगण फिर एक वार 7 सितम्वर, 1948 को कुर्सी, कार, वंगले, खाली कर सड़क पर आने को मजवूर कर दिये गये।

अन्तरिम मंत्रिमंडल की कुछ महत्त्वपूर्ण अच्छी-बुरी घटनाएं

मिले-जुले अस्थाई मंत्रिमडल के छः महीने के कार्यकाल में कई छोटी-मोटी अच्छी-बुरी घटनाएं हुई जो इस प्रकार हैं :

वीकानेर रियासत में एक रेवेन्यू कमीश्नर थे श्री विहारीलाल जिनको महाराजा और महारानी का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। अंतरिम मंत्रिमंडल वनने के वाद महाराजा साहव स्वास्थ्य संवंधी कारणो से यूरोप चले गये थे। महाराजा साहव की गैरमौजूदगी मे पीछे से उक्त रेवेन्यू कमीश्नर साहव की रेवेन्यू मिनिस्टर श्री कुमाराम से विल्कुल नहीं

पट रही थी। रेवेन्यू कमीश्नर साहब को तो महाराजा और महारानी साहिबा का जोम था और दूसरी तरफ अपने आपको लोकप्रिय मिनिस्टर मानने के कारण चौ. कुंभाराम को जन-नेता होने का जोम था। दोनो की टकराहट मे चौ. कुम्भाराम ने विहारीलाल को हटा देने का आदेश जारी कर दिया। महाराजा ने यूरोपियन प्रवास के समय में अपनी गैर मौजूदगी मे अपनी जगह काम करने का जिम्मा महारानी साहिबा और महाराजकुमार साहब श्री करणीसिंह को सौप दिया था। महारानी और महाराजकुमार ने कौंसिल में मालमंत्री चौ. कुंभाराम के इस आदेश का कड़ा विरोध किया पर कुंभाराम ने उनके विरोध की कोई परवाह नही की। पेरिस में महाराजा साहब को विहारीलाल के पदच्युत किये जाने की खबर मिली तो उन्होंने 20-7-48 को कुंभाराम के नाम एक कड़ा पत्र लिखा जिसमें लिखा गया था कि 'विहारीलाल को हटाने का अधिकार सिर्फ मुझे है, मन्त्रिमंडल को नहीं। मैने उसकी मार्च 1949 तक के लिए सेवा की मियाद बढ़ा दी थी। आप लोगों ने जो अनाधिकार चेष्टा की है उसके संबंध में सात दिन के अन्दर अपना स्पष्टीकरण भेजो या अपनी गलती स्वीकार करो।' चौ. कुंभाराम उक्त रेवेन्यू कमीश्नर विहारीलाल को किसी कीमत पर रखना नही चाहते थे। अतः इस बारे में जब मंत्रिमंडल की बैठक हुई तो उसमें महाराजकुमार करणीसिह, प्राईममिनिस्टर जसवंतसिंह और महारानी साहिवा उसे रखने के पक्ष मे थे और चौ. हरदत्तसिह व चौ. कुंभाराम और सरदार मस्तान सिंह उसे हटाने के पक्ष में थे अतः यही बीच का रास्ता निकालना पड़ा कि उक्त विहारीलाल को फिलहाल 3 महीने की छुट्टी दे दी जाय और फिर महाराजा साहब के लौटने पर जैसा भी मुनासिब हो किया जाये। विहारीलाल जैसे रेवेन्यू कमीश्नर को महाराजा और महारानी की मर्जी के विरुद्ध हटा देना कुंभाराम के बूते की ही बात थी।

इसके अलावा महाराजा की इच्छानुसार दफ्तर साहब मिनिस्टर इचार्ज चीफ्स एंड नोवल्स के नोटिफिकेशन ता. 26-1-47 के कारण जागीरदार लोग बलपूर्वक ग्रामीणों से पानी लेने का साहस करते आ रहे थे इसलिए कुंभाराम ने मालमत्री की हैसियत से एक आदेश जारी किया जिसमे जागीरदारों के ऐसे कामों को अन्यायपूर्ण बताते हुए कानून को हाथ में लेना बताया और यह आज्ञा जारी कर दी कि तहसीलदार साहबान अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों के अन्दर जागीरदारों को सूचित कर दें कि किसानो की मेहनत से पानी खिंचवा कर जागीरदारो द्वारा जबरदस्ती पानी लेना न्यायसंगत नहीं होगा। इसलिए वे लोग भविष्य में ऐसा करने का साहस न करे। इस प्रकार माल मत्री कुभाराम की कलम की एक नोक से ही किसानों के कुए, तालाब और जोहड़, जिन पर ठिकानेदारों ने अपना हक जमा रखा था, मुक्त हो गये।

जाटों में आपसी खेंचातान—स्वामी कर्मानंद पर गोली चली!

कुंभाराम आदि का धड़ा महाराजा से गुप्त समझौता करके सत्ता में आया था इसलिए प्रजापरिषद् के किसान धड़े मे भी कुछ लोग मंत्रिमंडल के विरुद्ध थे।

मंत्रिमंडल को उखाड़ने मे जाटों का एक अन्य वर्ग भी सक्रिय था जिसमें मुख्य थे—आर्य-समाजी प्रचारक मोहरसिंह, चौ. हनुमानसिंह और चौ. हरिसिंह।

स्वामी कर्मानंद की हत्यार्थ गोलीकांड

इन्हीं दिनो एक सनसनीखेज खवर वीकानेर पहुँची कि जाटों में आपसी मनोमालिन्य इस हद तक पहुँच चुका है कि वीकानेर राज्य प्रजापरिषद् के भूतपूर्व अध्यक्ष स्वामी कर्मानंद पर गोली चला दी गई तथा गाँव हड़पालू में स्वामी कर्मानंद के तीन गोली लगी है और हालत चिंताजनक है इसलिए उन्हें वीकानेर अस्पताल में लाया जा रहा है। इसी सिलसिले में माल मंत्री कुंभाराम और गृहमंत्री हरदत्तसिह मे एक स्थान विशेष पर मिलकर आपस में एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का सिलसिला शुरू हो गया और दोनों मिनिस्टर दौड़कर वीकानेर अस्पताल पहुँचे जहाँ आपरेशन-रूम में स्वामीजी लेटे हुए थे। इन दोनो मिनिस्टरों को देखते ही स्वामीजी रो पड़े और बोले कि दीपचन्द ने यह क्या कर डाला। दोनों मिनिस्टरों ने स्वामीजी को धीरज वंधाया। गृहमंत्री चौ. हरदत्तसिंह ने स्वामीजी से कहा कि अव भलाई तो इसी में है कि आप किसी का नाम न लें, नहीं तो वीकानेर में कांग्रेस खत्म ही समझिये। स्वामीजी ने भी जाटों के हित में चुप रहना मान लिया और वादा कर लिया कि वे किसी का नाम नहीं लेंगे। यह वादा कराकर गृहमंत्री महोदय तुरन्त वहा से चल दिये इतने ही मे पुलिस के अधिकारी आई.जी.पी. आदि वहां आ धमके। स्वामीजी से किसी का नाम न लेने का वादा तो प्राप्त हो ही चुका था इसलिए पुलिस अधिकारियो के आते ही मालमत्री चौ. कुभाराम भी अस्पताल से चलते वने। इस तरह मनो-मालिन्य के वातावरण में ईर्ष्याद्वेष और गोली-बारी जैसी घटनाओं मे आकठ डूबी हुई मंत्रि-परिषद् अपने गिने-चुने दिन बिता रही थी कि इतने में अखिल भारतीय देशी राज्य लोकपरिषद् के आदेश और निर्देशानुसार सुजानगढ़ में प्रतिनिधि सभा हुई जिसमे कानपुर वाले हीरालाल शर्मा के एक वोट के वर्चस्व से हारकर छः महीने की मिनिस्टरी भोगने के वाद सितम्बर मे ये लोग मंत्रिमंडलीय बंगलों को छोड़कर पुन. वीकानेर की सड़कों पर आने को मजवूर कर दिये गये।

'स्वामीजी' का सनसनीखेज वक्तव्य

स्वामीजी ने अस्पताल में गृहमंत्री चौ. हरदत्तसिंह व मालमंत्री चौ. कुंभाराम के तीव्र आग्रह पर इस गोली-कांड के बारे में चुप्पी साधने का वचन दे दिया था। उस समय स्वामीजी की चुप्पी साध लेने से किसी को भी यह पता नही चला कि चौधरी-नेताओं में आपस में गोली कांड होने की नौवत आखिर क्यों आई। दिनांक 3-9-48 के दैनिक विश्वामित्र ने 'सनसनीखेज वक्तव्य' इस शीर्षक से जो खवर छापी वह वास्तव में सनसनीखेज ही थी। खवर में लिखा गया था कि वीकानेर राज्य प्रजापरिषद् के भूतपूर्व सभापति स्वामी कर्मानंद ने, जिन पर अभी कुछ दिनों पहले गोली चला दी गई थी कल एक वक्तव्य प्रकाशित किया है। उस वक्तव्य मे स्वामीजी ने कहा है कि 'प्रजापरिषद् का प्रधान वनने पर जनता ने मेरे गले में जो माला डाली उसके तीन हजार रुपये

बीकानेर

सनसनी खेज वक्तव्य

बीकानेर राज्य-प्रजा परिषद के भूतपूर्व सभा पति स्वामी कर्मानन्द ने, जिन पर अभी कुछ दिनों पहले गोली चला दी गई थी, कल एक वक्तव्य प्रकाशित किया है। उसमें स्वामी जी ने कहा है कि प्रजा परिषद का प्रधान बनने पर जनता ने मेरे गले में जो माला-डाली उनके तीन हजार रुपये एक चौधरी मिनिस्टर नेमुझसे ले लिये और दो हजार दीपचंद ने। एक रोज दीप चन्द ने मेरा पुतला बनवा कर जूते लग वाये और जलवा दिया। रात को मुझ पर लाइट डाली गई और झाड़ी में से मुझ पर तीन फायर हुए। एक गोली मुझे लगी। मैंने दीप चन्द को भागते देखा।

गोयल जी को भी जहर देने की कोशिश की गई थी। इनकी साजिश कुंवर मोहर सिंह व चोधरी हनुमान सिंह को भी साफ करने की थी।,, यह वक्तव्य बीकानेर स्टेशन के प्लेट फार्म पर, जहां गोकुल भाई और हीरालाल जी शास्त्री का स्वागत करनेके लिए हजारों आदमी एकत्र हुए थे, बांटा गया था।

चौ कुंभाराम जी ने मुझ से ले लिये और दो हजार दीपचन्द ने ले लिये और बारह सौ रुपयों की टाइप मशीने थी जो दीपचन्द ने केन्द्रीय कार्यालय को दे दी और रकम खयानत कर गया। हिसाब मांगने पर उसने नहीं दिया तो मैने भेद खोल दिया। इस पर मुझे मारने की साजिश की गई। मैने कालरी में डेलीगेट सभा के सामने अपने प्राणों की रक्षा की प्रार्थना की तो हनुमानसिंह ने कहा कि आप मेरे पास चले चलो। कुछ समय बाद मैने वापिस आकर अपनी कुटिया कालरी के जंगल में बनाली और वहां रहने लगा। इससे चौ. कुंभाराम और दीपचन्द और भी जल गये और मुझे भगाने का षड्यत्र रचने लगे। मैने इन लोगों को 27-7-48 को नोटिस दिया कि मेरे पाँच हजार रुपये वापिस करो वरना मैं एक तारीख से कुंभाराम की कोठी पर आमरण अनशन करूंगा और गोकुलभाई भट्ट से सारे हालात कहूंगा। कुछ ही दिनों बाद मुझ पर रात को 2 बजे पहले लाइट डाली गई और फिर 3 फायर हुए जिसमे एक गोली मुझे लगी। दीपचन्द को मैंने भागते देखा।' इसी सिलसिले में स्वामीजी ने एक और सनसनी खेज रहस्य प्रकट किया। स्वामीजी के शब्दों में 'गंगानगर प्रतिनिधि सभा में चौ. कुंभाराम व हरदत्तसिंह ने गोयलजी को जहर देने की कोशिश की थी और इस काम के लिए दीपचन्द को नियुक्त किया गया था किन्तु अचानक किसी बाधा के आ जाने से वे इस मे सफल न हो सके। मै जानता हूँ कि ये लोग अपने अपराधो को छुपाने के लिए कोई भी बुरा काम कर सकते है। जनता से मेरा निवेदन है कि वह इनसे सावधान रहे।'
(विश्वामित्र की कटिंग व स्वामीजी के वक्तव्य की फोटो कापी देखे अध्याय के अंत में)

Treason Brought to Light

The following letter written by Col. Menon to Ch. Hardutt Sigh is being published to give a glance of the underhand dealings and secret negotiations, which gave birth to the 'Unholy Agreement.' Let all see the mean and clandestive ways, through which the Parishad opportunists occupied ministerial chairs. Sufficiently evident it is in itself to prove that not to promote general welfare but to have an easy walk into the parlour of Power, this Agreement have been reached at.

Should we even now allow these evil forces to govern our fate and bring disaster to the cause, we all stand united for ?

LALLGARH,
Bikaner, Rajputana.
4th January 1948.

Dear Sir,

I am forwarding herewith the attached points as agreed to yesterday when His Highness the Maharaja was graciously pleased to grant an audience to you and Mr. Kedarnath Sharma, Secretary of the Bikaner Rajya Praja Parishad. These points are considered to be important in bringing about the cordial and harmonious atmosphere that is desired both by His Highness the Maharaja and the Bikaner Rajya Praja Parishad as submitted by you yesterday, and it is hoped that it will be found possible to include the suggested points in the resolution which will be released to the public.

In conclusion, I am to state that His Highness the Maharaja wishes to express his appreciation of the sentiments given expression to, by you at the audience.

Yours truly,
S/d.
Private Secretary to
H.H. the Maharaja of Bikaner.

Ch. Hardutt Singh,
President,
Bikaner Rajya Praja Parishad,
Bikaner.

4-1-48.

Points suggested to be included in a resolution that may be passed by the Bikaner Rajya Praja Parishad at the meeting of their Working Committee on the 4th and 5th January 1948.

---

1. That they have had a very satisfactory audience with His Highness the Maharaja and wish to express their gratitude for the sympathetic hearing that he so graciously gave to their President, Chowdhari Hardutt Singh, and Mr. Kedarnath Sharma, Secretary.

2. That they fully support His Highness' reference that he and his Government and all his people including the Bikaner Rajya Praja Parishad should work in a closest harmony as if they were one family.

3. That they fully support what His Highness said at the audience that the best of relations should exist between the Ruler and his Government on the one hand and the Indian Dominion on the other, and that the Bikaner Rajya Praja Parishad will strive to maintain such cordial relations.

4. That the Bikaner Rajya Praja Parishad wishes to give the fullest assurances to His Highness that they are true and loyal Bikaner is like any one else of His Highness' subjects owing full loyalty and allegiance to the Ruler and the State

5. To congratulate His Highness the Maharaja.—

(1) on the leading part played by His Highness in the political arena of India ; and his being instrumental in giving the lead to the States to come into the Constituent Assembly and later to accede to the Dominion of India through the Instrument of Accession ;

that they are fully appreciative of the great services rendered by His Highness and they feel proud of these achievements

(2) that they offer their sincere congratulations to His Highness on the conferment of the exalted honour of G. C. S. I. on the New Year's Day in recognition of his valuable services ;

(3) On the prompt and effective measures adopted by His Highness by taking the situation in his own hands, whereby peace and tranquality and law and order have been maintained in the State and communal strife prevented ;

(4) On the various announcements made in regard to constitutional reforms, which His Highness did spontaneously and out of his own conviction, but with the present constitution the Parishad is not fully satisfied.

6. The Bikaner Rajya Praja Parishad will always work in close co-operation with His Highness the Maharaja and His Government towards creating and maintaining a harmonious atmosphere in the State.

7. No personal aspersions against the Ruler will be permitted from the Praja Parishad platforms or through leaflets etc., issued by them. If any one

at meeting organised by the Praja Perishad makes any such aspersions on His Highness' personality he will be immediately stopped and the Praja Parishad will take needful disciplinary action

8. **The Praja Parishad will work for the Integrity of the State and believe *in the State maintaining its separate entity as a unit of the* Dominion in its own right.**

9. The Praja Parishad will foster good relations between the Ruler and his people and do nothing to cause a breach between them.

10. The Praja Parishad accepts and recognises the Bikaner Flag and considers that the Flag of the State and the Indian National Flag should be above controversy, and they will do nothing to bring the two flags into conflict with one another.

11. If any member of the Praja Parishad is appointed a Minister of the State such Minister will fly the Bikaner Flag on his car.

4-1-48.

Terms agreed to by the President and Secretary on behalf of the Bikaner Rajya Praja Parishad, to be decided by the Regional Council which is to meet in Jodhpur on the 6th and 7th January 1948.

1. The Indian National Flag will not be flown in the State to the exclusion of the Flag of the State,

and when flown the Flag of the State will also be flown and equal respect shown to both.

2. When processions are taken out or at public meetings held under the *auspices of the Bikaner Rajya Praja Parishad*, the Indian National Flag will not be flown in the State to the exclusion of the Flag of the State.

NOTE :—There is no objection to the Bikaner Rajya Praja Parishad displaying *on their office building the tricolour representing* their party affiliations..

Terms of Agreement as Private Understanding

4-1-48.

1. The Bikaner Rajya Praja Parishad will not indulge in any false propaganda in the Press or otherwise against the Ruler and State, calculated to cause conflict between them and the Dominion.

2. The Praja Parishad will freely use the slogans of—

"Jai Bikan", *i.e.* Jai to the State, and "Jai" to the Ruler Such as—

"Maharaja Sadul Singhji ki Jai"

"Bikan-nath ki Jai",

as are widely used by the people of the State.

NOTE :—There is no objection to slogans like "Jai Hind" and "Jais" to Indian leaders being used by the Praja Parishad, but should not be done to the exclusion of "Jai" to their State and Ruler.

3. The Praja Parishad will not attempt to tamper with the Armed Forces of the State or try to create iddisipline in their ranks.

4. The Praja Parishad will not incite or instigate or otherwise stir up trouble among students who will be allowed to pursue their normal studie withont hinderance.

5. "Martyrs' Day" or "Political Prisoners' Day" etc. will not be observed to commemorate Past events.

4-1-48.

Record of talks between Co ; M.U. Menon, Private Secretary to H. H. the Maharaja of Bikaner and Ch. Hardutt Singh.

———

1. Ch Hanumau Singh and Ch. Kumbha Ram assure H. H. that they will do or say nothing which would be derogatory to the person and dignity of His Highness.

2. They have in the past also not done any similar act intentionally and there may have been misunderstanding or incorrect versions etc.

3. So far as general policy of the Praja Parishad is concerned they are bound by it as long as they are members and their general activities will be guided accordingly and they will not do anything outside it.

Written in the presence of Ch. Hardutt Singh.

Sd./—M.U. MENON,
4-1-48.

स्वामी कर्मानन्द जी का वक्तव्य

बीकानेर कांग्रेस कमेटी (प्रजापरिषद) का प्रधान बनने के बाद जनता ने मेरे स्वागत में मेरे गलेमें मालाएँ डाली उनके तीन हजार रूपये चौ० कुम्भारामजी ने मुझसे लेलिये और दो हजार दीपचन्दजी ने बाकी मैंनें लुहारू मंदिर में लगादिये मेरी १२००) की दो टाइप मशीनें थी जो दीपचन्द ने केन्द्र को देदी और रकम खयानत करगया दीपचन्द पर खयानत का शक होनेपर उससे हिसाब मागा गया उसने नहीं दिया मैंने भेद खोलदिया इसपर मुझे मारनेकी साजिश की गई व मेरे स्कूल तोड़दिये मैंने कालरीमें डेलीगेट सभाके सामने अपनी प्राण रक्षा की प्रार्थना की जिसपर हनुमानसिंहजीने कहा कि आप मेरे पास चलेचलो। मैं रियासत छोड़कर चलागया परन्तु मुझे किसान कांग्रेस ले आये तब मैंने अपनी कुटिया कालरी के जङ्गल में बनाली और रहने लगा इससे चौ० कुम्भारामजी वा दीपचन्दजी और भी जलगए और मुझे भगाने का षड्यंत्र रचनेलगे एक रोज दीपचन्द ने मेरा पुतला बनवाकर जूते लगवाये और जलवादिया मैंने इन लोगों को ता० २७-७-४८ को नोटिस दिया कि मेरे ५ हजार रू० वापिस करो वरना मैं ता० १ से कुम्भारामजी की कोठीपर आमरण अनशन आरम्भ करूंगा और गोकुल भाई भट्ट से हालात कहूंगा इसपर दीपचन्दजी ने नौरङ्गराम कार्यकर्त्ता को बीकानेर भेजा और वोह चौ० कुम्भारामजी की राय लेकर ता० ३०-७-४८ के शामको कालरी पहुँचा उसी शामको मास्टर रामकिशन मेरी कुटियापर आया और पूछा कि आप आजरात को यहीं रहेंगे क्या। तब, मैंने कहा कि लोहारू जाकर आजरात को वापस लौटूंगा। मुकरर रातके २ बजे पहिले लाइट डालीगई और झाड़ियों मेंसे तीन फायर हुये १गोली मुझेलगी मैंने दीपचन्द को भागते देखा मेरेसाथ एक लड़का था वह डरगया शोर करने पर मास्टर व लड़के कुटिया मेंसे निकले और मुझे सम्भाला गङ्गानगर प्रतिनिधी सभामें चौ० कुम्भारामजीने वा हरदत्तसिंहने गोयलजी को जहर देनेकी कोशिश कीथी और इस कामके लिए दीपचन्द को नियत कियागया था मगर वह असफल रहे। मैं जानता हूँ यह लोग अपने अपराधों को छुपाने के लिए हर बुराकाम कर सकते हैं मित्र घात और भलाई को भूलजाना इन के लिए मामूली बात हैं इसलिए जनता से मेरा निवेदन है कि वह इनसे सावधान रहे इनकी साजिश कुंवर मोहरसिंह वा हनुमानसिंह को भी साफ करने की थी परन्तु यहभेद खुलगया और वोह आज जिन्दा बचगए।

सदा आपका

कर्मानन्द

अध्याय तेरहवाँ

एकीकरण की प्रक्रिया में बाधा के लिए अपनाए गये विविध प्रयास

एकीकरण की प्रक्रिया में बाधा के लिये अपनाए गये विविध प्रयास

राजपूताना की तमाम रियासतों के आपस के विलीनीकरण से नए एकीकृत राज्य की प्रक्रिया को रोकने में बीकानेर नरेश ने नई-नई अड़ंगेबाजियां शुरू कर दीं। सरदार पटेल के कुशल नेतृत्व में सन् 1948 के पूर्वार्द्ध मे राजपूताना की देशी रियासतो के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। वर्ष की तिमाही में अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण हुआ जिसको 'मत्स्य राज्य' के नाम से पुकारा गया। इसी अरसे मे कोटा नरेश के नेतृत्व अर्थात् 'राज प्रमुखत्व' में बांसवाड़ा आदि नौ राज्यों का प्रथम राजस्थान यूनियन का निर्माण भी हो गया और इसके बाद एक महीने के भीतर उदयपुर भी इसमें शामिल हो गया। महाराजा बीकानेर ने उदयपुर महाराणा को राजस्थान यूनियन में शामिल होने से रोकने के लिए एडी से चोटी तक का जोर लगा लिया था। उदयपुर के महाराणा साहब को बीकानेर नरेश ने व्यक्तिगत पत्र लिखकर दबाव डालने का जोरदार प्रयत्न किया और फिर अपने तत्कालीन मिलेजुले मंत्रिमंडल के प्रधान कुंवर जसवंतसिंह को भेजकर सफलता प्राप्त करने की कोशिश भी की थी। यह नहीं भुलाया जाना चाहिए कि उदयपुर के महाराणा साहब सिसोदिया वंश के उन महाराणा प्रताप की संतान थे जिस महाराणा ने कभी मुगलो के आगे सिर नही झुकाया था जबकि श्री के.एम. पणिकर द्वारा 'महाराजा गंगासिह के जीवन चरित्र' नामक ओक्सफोर्ड-प्रकाशन (सन् 1937) के प्रथम अध्याय, 'ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि' के शीर्षक के अन्तर्गत बताया गया है कि दसवीं शताब्दी में प्रतापी राजा जयचंद राठौड़ के पतन के बाद चौदहवी शताब्दी मे इसी राठौड़ वंश की एक शाखा ने मारवाड़ मे अपनी राजशाही की स्थापना की और उसी राजघराने के राव बीकाजी ने सन् 1465 में बीकानेर राज्य कायम किया। महाराजा गंगासिंह इसी राजघराने के इक्कीसवें नरेश रहे हैं। डा. आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव द्वारा लिखित भारत के इतिहास में पृष्ठ 445 पर लिखे अनुसार :

'नवम्बर 1570 में अकबर ने नागौर की यात्रा की जहॉ जोधपुर और बीकानेर के शासको की ओर से उसकी अधीनता स्वीकार कर ली गई।' ऐसे में बीकानेर राजघराने का प्रभाव सिसोदिया वंशीय महाराणा पर नही पड़ सका और उदयपुर महाराणा साहब ने राष्ट्र-हितार्थ राजस्थान यूनियन मे शामिल होने का निर्णय ले ही डाला। इससे बीकानेर नरेश के मनोबल मे काफी गिरावट आई।

उदयपुर के महाराणा द्वारा राजस्थान यूनियन में शामिल होने से वीकानेर नरेश के मनोवल मे जो भारी गिरावट आई थी उसका नतीजा यह हुआ कि उन्होंने भविष्य में तत्समय की राष्ट्रीयधारा के साथ समरस होने के बजाय रवीन्द्रनाथ टाकुर के 'एकला चलो रे एकला चलो' के नारे को अपनाने का मानस बना लिया। महाराजा साहब निराशोन्मत्त हो चले थे। उन्होंने वीकानेर रियासत को अलग इकाई बनाए रखने के लिए राज्य की सत्ता और साधनों को झोंकना प्रारंभ कर दिया। खजाने की थैलियो के मुँह खोल दिये गये। पैसा पानी की तरह वह चला। सरफरोशी की तमन्ना रखकर राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने सर्वस्व को भारतमाता के चरणो में समर्पित करने को तत्पर देशभक्तो को छोड़कर लक्ष्मी माता के चरणदासों की क्या कमी थी। राष्ट्र-भक्तो के मुकावले में 'रियासत-भक्त' मैदान में आ डटे और देखते-देखते 'विलीनीकरण विरोधी मोर्चा' खड़ा हो गया। आराम-कुर्सी पर बैठ कर राजनीति करने वाले अनेक डाक्टरों, प्रोफेसरों, वकीलो, भूतपूर्व न्यायाधीशो व अवकाश प्राप्त उच्च-अधिकारियों ने मोर्चे को संभाल लिया। इस मोर्चे द्वारा कई अजीवो-गरीव कदम उठाये गये। उनकी मान्यता थी कि युद्ध और प्यार में उचित और अनुचित नहीं देखा जाता।

चुनाँचे ये कदम उठाये गये—(1) राजपूत सभा के नाम से जागीरदारों का एक सगठन खड़ा किया। (2) मुसलमानों को अपने राजा के प्रति वफादारी प्रदर्शित करने का आह्वान किया गया और इस काम में सफल होने के लिए किए गए प्रयत्नों में मुस्लिम लीग के मुखपत्र डॉन के संपादक को आमंत्रित करके मुस्लिम इलाकों और मस्जिदो मे रियासती मुस्लमानों में लीगी प्रचार किया गया। उक्त संपादक महोदय को लीग की विचारधारा का रियासत में प्रचार और प्रसार करने का सुंदर अवसर मिला जिसका लाभ उठाकर उन्होंने मुस्लमानों को इस वात के लिए प्रेरित और उत्साहित किया कि वे अपने हितों की सुरक्षा के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और पृथक मताधिकार की मांग को बल देकर बुलंद करें। (3) बाकी बचे तबकों के लिए राजकीय डूंगर कॉलेज के प्रोफेसर श्री विद्याधर शास्त्री के नेतृत्व और निगरानी मे 'प्रजासेवक संघ' नामक सस्था का निर्माण करवाया गया और उसके प्रभावी सिद्ध न हो सकने पर (4) वीकानेर लोकसेवक संघ को खड़ा किया जिसके सर्वेसर्वा रियासत के एक भूतपूर्व न्यायाधीश वद्रीप्रसाद व्यास थे। व्यासजी तत्समय वकालत करते थे और प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे।

इनमें से राजपूत सभा का मोर्चा कोई वहुत सफल नही रहा क्योंकि इसमें वर्चस्व जागीरदारो का ही था जिनसे लोग (खासतौर पर ग्रामीण इलाकों की जनता) पीढ़ियों से शोषित और आतंकित चले आ रहे थे। मुस्लिम मोर्चा भी महाराजा साहब के पक्ष मे अधिक लाभकारी सिद्ध नहीं हुआ क्योकि डॉन के सपादक महोदय ने इस मौके का लाभ लीगी विचारधारा में मुसलमानो को ढालने में अधिक लिया और पृथक निर्वाचन-क्षेत्र व पृथक मताधिकार की मांग करवाई जो महाराजा के हितो के खिलाफ पड़ती थी और यह इसलिये भी संभव नही था क्योंकि उत्तरदायी शासन के लिये चुनाव अति निकट भविष्य में ही कराये जाने की योजना थी। तीसरा, प्रजा सेवक सघ का मोर्चा इसलिए असफल हो गया था कि इसके संचालक प्रोफेसर महोदय विद्यार्थियो में ही लोकप्रिय रहे थे जिनको

मताधिकार ही प्राप्त नहीं था और आम जनता से प्रोफेसर साहब का विशेष प्रभावशाली संपर्क ही कभी नहीं रहा था और शिक्षा क्षेत्र में दत्त-चित्त रहकर लोकप्रियता प्राप्त करना एक बात थी और चुनाव की दृष्टि से आम मतदाता को प्रभावित करना बिल्कुल दूसरी बात थी। चौथा मोर्चा था, बीकानेर लोक सेवा संघ का जिसके सर्वेसर्वा थे उक्त व्यासजी-श्री बद्रीप्रसाद जो जज के नाते और प्रतिभाशाली वकील के नाते आम जनता से खूब संपर्क में आते रहे थे। बीकानेर रियासत के राठौड़ नरेशों, अर्थात् स्व. गंगासिहजी व तत्कालीन नरेश सादूलसिंहजी के शासनकाल में घोर आतंक और दमन का माहौल बनाए रखने के बावजूद स्वामी गोपालदास, वकील मुक्ताप्रसाद, वैद्य मघाराम और वकील रघुवरदयाल गोयल जैसे पुरोधाओं ने देशभक्ति की लहर पैदा करके उसे आजादी की मुख्य राष्ट्रीय धारा [illegible]

च नराधिपम्' अर्थात् मनुष्यों में राजा मेरा ही स्वरूप है इस पर श्रद्धा रखकर राजा को साक्षात भगवान का स्वरूप मानकर पूजती आ रही थी। जनता की इस धार्मिक भावना को भुनाकर महाराजा को इस नाजुक घड़ी में अच्छी सहायता पहुँचायी जा सकती है, इस बिंदु को वकील व्यासजी की पैनी नजर ने पकड़ लिया था और वे किसी अच्छे अवसर के लिए ताक लगाए बैठे थे कि इतने में सन् 1948 की गांधी जयंती ने यह अवसर प्रदान कर दिया।

जब वकील व्यास ने धार्मिक बवंडर पैदा कर दिया

बात यह हुई कि 15 अगस्त को देश के आजाद हो जाने के बाद यहाँ का जनसंगठन 'प्रजापरिषद्' के नाम से ही चल रहा था पर अब कांग्रेस से भिन्न नाम रखना उचित न समझकर 1 अगस्त 1948 को नाम परिवर्तन दिवस मनाते हुए इसका नाम 'बीकानेर काँग्रेस' स्वीकार कर लिया गया। इसका मनोवैज्ञानिक असर यह हुआ कि कार्यकर्ताओं में एक नया जोश दिखाई देने लगा। सारे भारतवर्ष की तरह ही बीकानेर में 'गाँधी जयंती सप्ताह' मनाने का आयोजन रखा गया। 26 सितम्बर को 'हरिजन दिवस' मनाया गया जिसमें तमाम काँग्रेसियों ने हरिजन बस्तियों में जाकर उनके मौहल्लों में सफाई की ताकि आजादी के बाद ऊँचनीच की भावना मिट कर समाज में समरसता का प्रादुर्भाव और विकास होवे। श्री रघुवरदयाल जैसे शीर्ष कांग्रेसी नेताओं से लेकर छोटे-बड़े कांग्रेसियों ने उत्साहपूर्वक यहाँ सफाई की और कार्यक्रम बड़ा सफल हुआ जिसमें एक हजार से ऊपर की संख्या में सवर्णों ने हरिजन बस्तियों को साफ किया। विलीनीकरण विरोधी मोर्चे के नामी वकील व्यास की पैनी नजर में समाज में विग्रह व फूट डालकर बवंडर पैदा करने का यह बड़ा ही सुन्दर मौका था जिसमें 'फूट डालो और राज करो' की महाराजा साहब की नीति को अमली जामा पहनाया जा सकता था।

हरिजन उत्थान के कामों में दिलचस्पी रखने वाले एक पुष्करणा युवक छोटूलाल व्यास ने इस अभियान मे बड़े उत्साहपूर्वक भाग लिया। उक्त छोटूलाल ने अपनी दैनिक डायरी मे इस अभियान के संस्मरण अंकित करते हुए लिखा है :
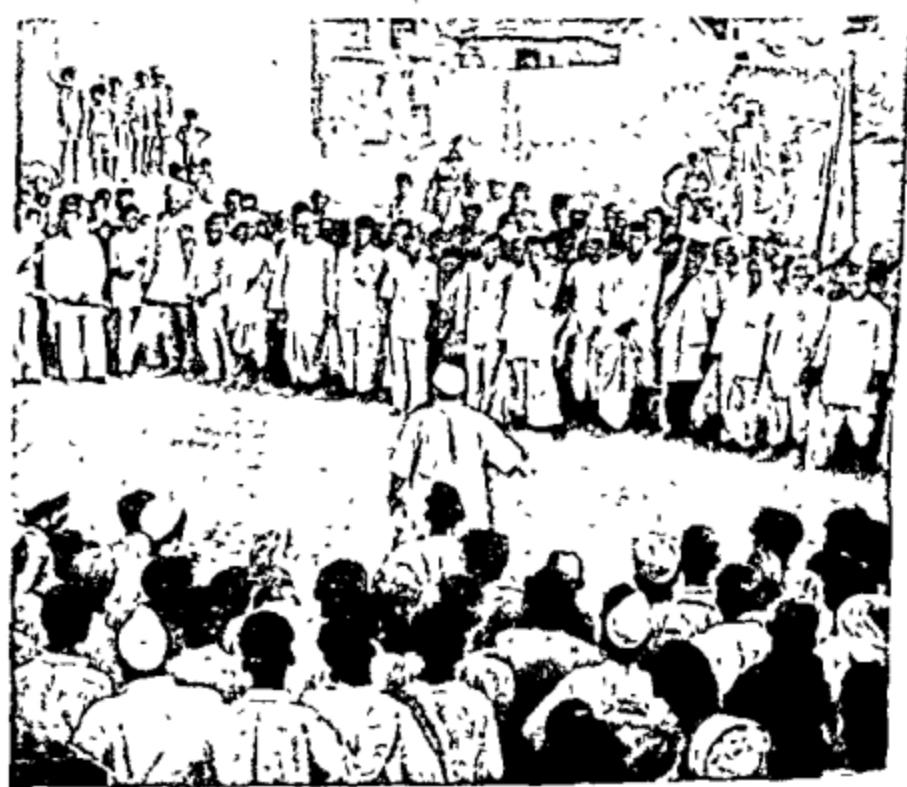
रघुवरदयाल गोयल के नेतृत्व में हरिजन मौहल्ले में
सवर्ण लोगों का सफाई अभियान

'26 सितम्बर के उस कांग्रेसी अभियान मे करीद एक हजार से अधिक लोगो ने भाग लिया। इसमे जहाँ अन्य सवर्ण लोगों ने वड़ी सख्या मे भाग लिया वही पुष्करणा जाति के 18 व्यक्ति भी इसमे शामिल हुए थे। पुराने विचारों के इस समाज में यह संख्या अति उत्साहवर्धक थी। इन 18 पुष्करणा ब्राह्मणों मे मेरे अलावा दुर्गादत्त किराडू, गंगादत रंगा, लक्ष्मीनारायण हर्ष और डाक्टर छगन मोहता के नाम उल्लेखनीय है।

डॉ. छगन मोहता
आधुनिक युग के तमाम राजनैतिक वादों के प्रखर प्रवक्ता एवं समाज सुधार के अग्रणी नेता

मंदिर प्रवेश में रुकावट और छोटूलाल आदि का आमरण अनशन

विलीनीकरण-विरोधी मोर्चे के नायक वकील व्यास द्वारा निर्मित हरिजन विरोधी मोर्चे की रूपरेखा को ज्योंही उच्च सत्ता द्वारा हरी झंडी दिखाई गई त्यो ही पहली तोप इस रूप में दागी गई कि उक्त छोटूलाल को दूसरे ही दिन सरकारी लक्ष्मीनाथ मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया गया और पूछने पर कारण यह वताया गया कि जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी चूँकि उसने हरिजनों के मौहल्ले में झाड़ू लगाया है इसलिए अब उसे भँगी ही माना जायेगा और एक अछूत के मंदिर में प्रवेश से पवित्र मंदिर अपवित्र हो जायेगा इसलिए उसे प्रवेश नही करने दिया जायेगा और ऐसा करने का उनका (कट्टरपंथियों का) कर्तव्य और अधिकार दोनो ही हैं। छोटूलाल ने कट्टरपंथियो से विनय की कि जब हिन्दू धर्म-शास्त्रों के अनुसार वर्ण जन्म से ही माना जाता है कर्म से नहीं तो मुझे भगवान के दर्शनों से वंचित करना किसी तरह न्यायपूर्ण नहीं होगा और खासतौर से तब जबकि वरसों से मेरा नियम है कि मैं मंदिर में भगवान के दर्शन किए बिना कभी भोजन नहीं करता इसलिए कृपया मुझे दर्शन करने दीजिए वर्ना भूख से मेरे प्राण नहीं वच पायेंगे। जवाव मिला 'कल मरता हो तो भले ही आज मर जा पर तुझे हरगिज मंदिर मे प्रवेश नही करने दिया जायेगा।' अपने नियम की रक्षा के लिए छोटूलाल के पास कोई चारा ही नहीं था अतः वह तत्काल ही मदिर के आगे आमरण अनशन लेकर बैठ गया। जब कांग्रेसी हल्को में इनके अनशन की खबर पहुँची तो तीन अन्य कांग्रेसी सवर्ण उसका साथ देने को उसके पास ही आमरण अनशन पर बैठ गये। ये तीन सवर्ण काग्रेसी साथी थे सर्व श्री चिरंजीलाल स्वर्णकार, श्री किशगोपाल गुटड़ और सोहनलाल मोदी।

सरकारी षड्यंत्र का पर्दाफाश ऐसे हुआ

कट्टरपथियों की इस कार्यवाही के पीछे कौनसी सत्ता काम कर रही थी इसका पता उस समय लगा जव इन चारो भूख हड़ताली सत्याग्रहियों के रिश्तेदारों और
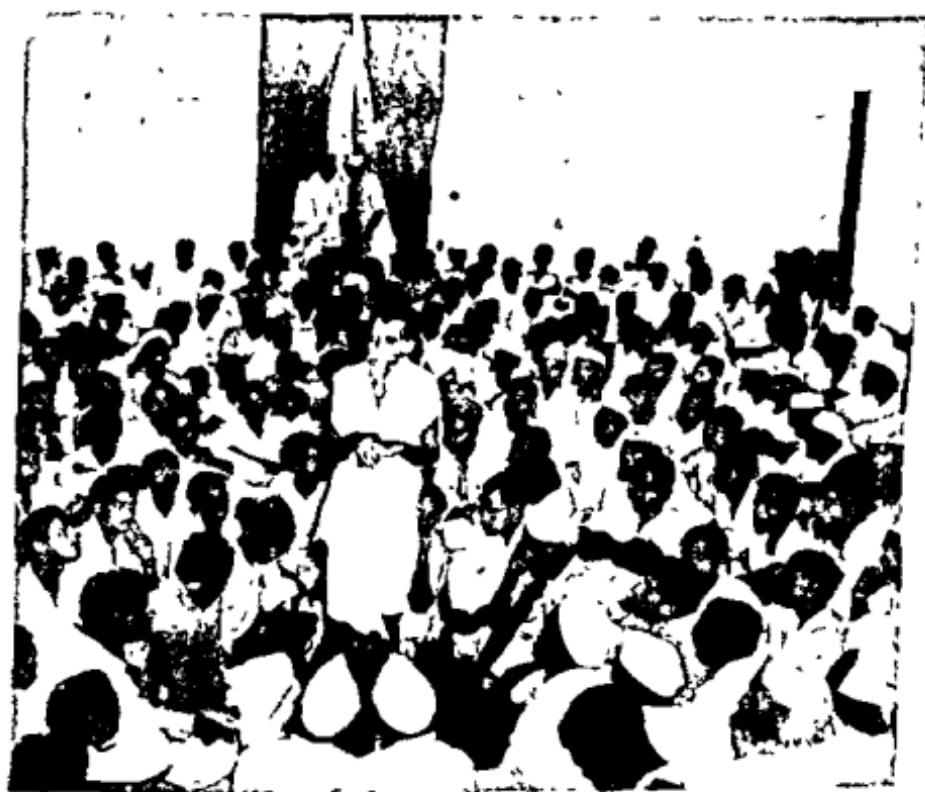
हरिजन विरोधी आन्दोलन को सुलझाने 'विनोवा' वीकानेर में

हितैषियो ने बीकानेर नरेश और प्रशासन से न्याय की गुहार की और उसके जवाब में सरकारी विज्ञप्ति इन शब्दों मे प्रकाशित की गई :

> 'अनशनकारी मंदिर प्रवेश पर जोर न दे अन्यथा कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए और सर्वसाधारण की अनुमति के विरुद्ध जबरदस्ती मंदिर-प्रवेश को रोकने के लिए सरकार को, अनिच्छापूर्वक कड़े से कड़ा कदम उठाने पर बाध्य होना पड़ेगा।'

इस विज्ञप्ति के द्वारा सरकार द्वारा इस बात पर जोर दिया जा रहा था कि अनशन के कारण कानून और व्यवस्था बिगड़ने की प्रबल संभावना है। कानून और व्यवस्था अगर बिगड़ी तो सरकार को कड़ा कदम अनशनकारियों के खिलाफ उठाना पड़ सकता है। मंदिर में प्रवेश कराने के लिए अनशन करने वालों के मुकाबले में विलीनीकरण विरोधी मोर्चे की तरफ से अनशनकारियों को प्रवेश करने से रोकने की मांग को लेकर 14 लोगों को काउन्टर भूख हड़ताली के रूप में वही बैठा दिया गया पर दो दिन में उनके होश उड़ने लगे तो उनकी जान बचाने के लिए महाराजा साहब को आई जी.पी. के माध्यम से निम्न संदेश प्रेषित करना पड़ा .

> 'सरकार को निश्चय हो गया है कि हठपूर्वक मंदिर मे प्रवेश करना चाहने वालों को हरगिज मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जावेगा अतः महाराजा साहब का इन 14 काउन्टर अनशनकारियों को संदेश है कि इनका लक्ष्य पूरा हो गया है इसलिए वे भूख हड़ताल जारी न रखें।'

इस संदेश के आते ही इन 14 लोगों ने तुरन्त अनशन तोड़ दिया। इस प्रकार 'जान बची और लाखों पाये' वाली कहावत चरितार्थ हुई।

विनोबा भावे की वेदना

कांग्रेसी अनशनकारियों की भूखहड़ताल को एक-एक करके पाँच दिन बीत गये। देश भर के अखबारों में भूख हड़ताल की खबरे बराबर छप रही थी। उन दिनों विनोबा भावे सुदूर दक्षिण भारत के मद्रास प्रांत के मदुराई नगर में विराज रहे थे। बीकानेर की इन खबरो को पढ़कर विनोबा बड़े व्यथित हुए थे क्योंकि दक्षिण भारत में तो हरिजनों के प्रवेश के लिए प्रसिद्ध-प्रसिद्ध मदिरों के द्वार खोल दिये गये थे और यहाँ बीकानेर में हरिजन के मंदिर प्रवेश का तो प्रश्न ही नही था, हरिजन मोहल्लो में सफाई करने को जाने वाले सवर्णो को भी मंदिर प्रवेश से वंचित किया जा रहा था। अंग्रेजी दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्स के मदुराई के संवाददाता को इस बारे मे इन्टरव्यू यानी साक्षात्कार देते हुए विनोबा ने कहा. 'हरिजन दिवस मनाने वालों को मंदिर में जाने से बीकानेर रियासत में रोक दिया गया है. यह संवाद अत्यंत शोकपूर्ण है तथा हिन्दू समाज के लिए कलंक का टीका है।'

एक बार फिर राजसत्ता से प्रेरित दंगे

पिछले काल मे प्रजापरिषद् को कमजोर करने के लिए हिन्दू-मुस्लिम [illegible] राजसत्ता द्वारा प्रेरित पाया गया था उसी तरह सन् 1948 में फिर [illegible] को कमजोर करने के लिए हरिजन-विरोधी हिंसा भड़कायी गई।

एकीकरण की प्रक्रिया में बाधा के लिये [illegible]

महाराजा साहब को वकील व्यास द्वारा संचालित 'बीकानेर लोक सेवक संघ' की ओर से बताया गया कि सरकार ने एक विज्ञप्ति द्वारा सर्वसाधारण को चेतावनी दी थी कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार को अनिच्छापूर्वक कड़े से कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। कांग्रेसी अनशनकारियों की भूख हड़ताल इसी प्रकार शांतिपूर्वक चलती रही तो गांधीवादी हथकंडे अपनाने वाले तथा कथित सत्याग्रहियों का हौसला बुलन्द होता रहेगा। इसलिए सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कानून और व्यवस्था को कायम रखने के लिए कड़े से कड़ा कदम उठाने के नाम पर भूख हड़ताल में दखल देने का मौका लाया जा सके। इस सुझाव के बाद स्वयं सरकार की ओर से अशांति फैलाने की ओर कदम बढ़ाया जाना शुरू कर दिया गया और गुंडा तत्त्वों को इशारा कर दिया गया। फिर क्या देर लगती। गुंडा तत्त्वों ने चुन चुनकर कांग्रेसियों के विरुद्ध हिंसात्मक हमले शुरू कर दिये। कट्टर कांग्रेसी मेघराज पारीक और उनके भाई रावतमल पारीक को बुरी तरह पीट दिया गया जिससे उनके शरीरों पर भारी चोटें आई। मेडिकल सर्टिफिकेट हासिल करके पुलिस में गये तो सरकारी योजनानुसार पुलिस ने रिपोर्ट ही नहीं लिखी तब उन्होंने कांग्रेस कार्यालय पहुँच कर अपनी चोटें बताई और पुलिस नही सही कांग्रेस कार्यालय में अपने बयान लिखा दिये। बीकानेर नगर कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मीनारायण हर्ष के घर गुंडों का एक हजूम फोश गालियां देते हुए पहुंचा। उनकी पत्नी ने घर के किवाड़ बंद कर लिए तो हाथ में खुला छुरा लिए एक गुंडे ने उसे ललकारते हुए कहा कि उसने अपने पति को घर में क्यों छुपा रखा है उसे तुरन्त बाहर निकाल। कोई जवाब न मिलने पर यह धमकी देते हुए चले गये 'याद रखना कि जो लोग धर्म का नाश करते है और हमारे परम पवित्र मंदिरों को भ्रष्ट करना चाहते हैं हम उन्हें खत्म करके ही दम लेंगे।' पुलिस ने इस बारे मे भी रिपोर्ट नहीं लिखी और हर्षजी ने कांग्रेस कार्यालय में अपने बयान दर्ज करा दिए। गोयल को गुमनाम पत्र भेजकर लिखा गया—

'तू हरिजन हितैषी अपने आपको मानता है तो झाडू लगाने से क्या होगा अपनी बेटियों को इन्हे ब्याह दे। मंदिर में जबदस्ती घुसने की कोशिश न करना। हम तेरे घर जबरदस्ती घुसेगे।'

शहर के प्रायः हर मौहल्ले से कांग्रेसजनों पर हिंसात्मक हमलों की सूचनाएं कांग्रेस कार्यालय में आने लगी। पुलिस द्वारा सुरक्षा तो दूर की बात थी एफ.आइ.आर. तक लिखने से मना कर दिया गया। सरकारी दमन तो हम लोग सदा से सहते ही आ रहे थे पर अब तो धर्म के नाम पर, जनता के नाम पर गुडों को सक्रिय करने से मार दुहरी हो गई—ऊपर से सरकार का दमन और नीचे से गुंडो का प्रहार। कांग्रेसजनो पर भयंकर आफत आ पड़ी थी। पुलिस सुरक्षा देने को बिल्कुल तैयार नहीं थी तो हमारे लिए यह प्रश्न खड़ा हो गया था कि इस स्वतन्त्र भारत में हम अपनी सुरक्षा के लिए किसकी ओर नजर दौड़ावें। अनशन के छठे या सातवे दिन हमे जानने को मिला कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माननीय सी. राजगोपालाचारी की तरफ से महाराजा के

नाम अर्जेन्ट तार द्वारा कोई सदेश प्राप्त हुआ है। हमे कुछ आशा वंधी। पर पूरे चौबीस घटे बाद भी हमे कोई राहत मिलती नजर नहीं आई तो 4 अक्टूबर को नगर कांग्रेस के महामंत्री श्री गंगादत्त रगा ने भारत के गवर्नर जनरल के नाम एक तार भेजा जिसमे लिखा था—

'गत रात्रि से बीकानेर नगर में कांग्रेसजनों पर हमले पर हमले शुरू हो गये है और उनके शरीरों पर चोटें आई है और कई कांग्रेसी नेताओं को उनके टुकड़े-टुकड़े कर दिये जाने और उनके घरों में जबरदस्ती घुस जाने की धमकियां दी गई है।'

'कुछ कांग्रेस जन अभी भी सरकारी मंदिर के आगे 27 सितम्बर से भूख हड़ताल पर बैठे हुए है। स्थानीय जनता बीकानेर पुलिस के संरक्षण में अपने आपको असुरक्षित महसूस करती हुई अपनी उचित सुरक्षा के लिए केन्द्रीय रिजर्व फोर्स को बीकानेर में तैनात करने की प्रार्थना करती है। हमें मालूम हुआ है आप महामहिम की तरफ से हमारे महाराजा साहब को उचित सलाह का कोई सदेश भेजा गया है पर हमारे महाराजा साहव उस पर अमल करने में जानवूझ कर विलम्ब कर रहे हैं।'

'तुरन्त हस्तक्षेप की विनती है।'

गगादत रंगा

महामंत्री बीकानेर नगर कांग्रेस

पता लगाने पर मालूम हुआ कि जिस प्रकार अखवारों से महाराजा साहव की हरिजन-विरोधी खबरें पढ़कर विनोवा भावे विचलित हो उठे थे उसी तरह भारत सरकार का सारा मन्त्रिमंडल भी चौका था और भारत सरकार के गुप्तचर विभाग द्वारा गृहमंत्रालय को जो खवरें पहुँच रही थी उसके फलस्वरूप स्थिति और अधिक न विगड़ने पावे इस नीयत से सरदार पटेल ने खुद कोई दखल न देकर राष्ट्र के सर्वोच्च पदाधिकारी भारत के प्रथम गर्वनर जनरल को कुछ करने को कहा वताया और इस प्रकार गवर्नर जनरल ने अपनी पहल से जरूरी तार द्वारा महाराजा बीकानेर को निम्न संदेश प्रेषित किया जिसका हवाला उपरोक्त गंगादत्त रंगा के तार में दिया गया है '—

'दक्षिण भारत के वड़े-वड़े और रूढ़िवादी सनातनी मंदिरों के दरवाजे अछूतों और पददलितों के लिए खोल दिए गए हैं तो बीकानेर के मंदिर भी अव और अधिक समय तक उनके लिए वंद नहीं रहने चाहिएं। मैं चाहता हूँ कि उपवास से होने वाली दवाव की प्रक्रिया भी वंद हो जावे और आरोप-प्रत्यारोप की प्रक्रिया—ये सव वंद कर दी जावे और आज के युग और उसकी आकांक्षाओं के अनुरूप निर्देश जारी करने का काम विश्वासपूर्वक महाराजा साहव के हाथ में सौंप दिया जाना चाहिए।'

गवर्नर जनरल ने जिस विश्वास के साथ महाराजा साहव से 'आज के युग और उसकी आकांक्षाओं के अनुरूप निर्देश जारी करने' की अपेक्षा के साथ अपना संदेश प्रेषित किया था उस विश्वास को महाराजा साहव द्वारा इन शब्दो में निभाया गया —

'श्री लक्ष्मीनाथजी के मंदिर में उन चार व्यक्तियों के प्रवेश के विषय में, जिन्होंने 26 सितम्बर 1948 को हरिजन-दिवस पर भंगियों के हाथ का पानी पी लिया था, हाल ही में जो विरोध चल रहा है उसका संबध एक ऐसे सवाल से है जिसका असर जनता के एक बहुत बड़े अंश की धार्मिक भावनाओं पर पड़ता है इसलिए महाराजा साहब बहादुर का निम्नलिखित निर्णय सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है कि कोई भी जन शांति भंग नही कर सकेगा और कानून और व्यवस्था कायम रखी जावेगी और जिन लोगों ने भंगियों के हाथ का पानी पिया था उन्हें जनता की इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती से मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जावेगा।'

महाराजा के इस निर्णय को गजट में प्रकाशित किया गया और बड़ी संख्या मे जनता में प्रसारित किया गया। स्वतन्त्र भारत राष्ट्र के सर्वोच्च पदाधिकारी का तिरस्कारपूर्वक किया गया घोर अपमान यह संदेश देता था कि महाराजा सादूलसिंह ने केवल रक्षा, संचार और विदेशी मामलों में रियासत के अधिकार केन्द्र को स्वेच्छा से समर्पित किये हैं और इन तीन विषयों को छोड़ कर बाकी तमाम मामलों मे दखल करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। महाराजा सादूलसिंह की इस स्वेच्छाचारिता ने राज्य के विलीनीकरण विरोध की प्रक्रिया को ठोस गति प्रदान की।

महाराजा की इस विज्ञप्ति ने विलीनीकरण-विरोधी मोर्चा को अतिरिक्त बल दिया। अब इस मोर्चे के नायक और समर्थकों ने अति उत्साह में *यह कहना शुरू कर दिया कि कांग्रेसियों को दाल-रोटी के भाव अब मालूम पड़ेंगे। धोली टोपी वाले रियासत से बाहर के नेहरू आदि नेताओं से शह पाकर बहुत उछल-कूद करते रहे है—अन्नदाता* द्वारा गवर्नर जनरल के संदेश का कैसा करारा जवाब दिया गया है।

विलीनीकरण-विरोधी मोर्चा के नायक वकील व्यास ने उन पुष्करणा जाति के लोगों को उचित सवक सिखाने की ठान ली जिन्होंने हरिजन-दिवस में भाग लिया था और समाज के पंचों की मरुनायकजी के मंदिर में सभा बुलाकर जोशीला भाषण देकर छोटूलाल सहित अनेक पुष्करणा जाति के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जाति से बहिष्कृत करने की घोषणा कर दी। बहिष्कृत लोगों के नाम थे—सर्व श्री छोटूलाल व्यास, नगर कांग्रेस के उपाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण हर्ष, नगर कांग्रेस के महामंत्री गंगादत्त रंगा, गोयलजी के विश्वास पात्र शकर महाराज व्यास, कांग्रेस के उत्साही कार्यकर्ता श्यामजी आचार्य। जाति बहिष्कार की घोषणा सामाजिक मृत्यु-दंड की घोषणा मानी जाती है क्योंकि बहिष्कृत व्यक्ति का समाज से रोटी-बेटी का संबध तोड़ दिया जाता है और वह अलग-थलग पड़ जाने से समाज के पंचों के आगे समर्पण करने को मजबूर होता है और समाज के पंचों की इच्छानुसार दंड भरकर उनकी इच्छानुसार प्रायश्चित करता है तभी समाज उसे वापिस स्वीकार करता है। वकील व्यासजी इन्हें न्यात बाहर घोषित करने को इतने उतावले और कृत संकल्प थे कि नियमानुसार न्यात के सारे पंचों के इकट्ठे न होने पर भी निर्णय सुना दिया गया। मगर ये बहिष्कृत लोग भी इतने दृढ़ सकल्पित थे कि किसी प्रकार का प्रायश्चित करना स्वीकार नही किया। संयोगवश या योजनानुसार वकील

बद्रीप्रसाद व्यास को महाराजा साहब द्वारा हाईकोर्ट का जज बना दिया गया। बरसों पहले जिला-जज के पद से निवृत्त हुए वकील व्यासजी को अचानक उच्च न्यायालय का जज बना दिया जाना उनके और समाज के लिए सुखद आश्चर्य का विषय था पर इन बहिष्कृत लोगों ने पेम्फलेट द्वारा सारे पंचों के एकत्रित हुए बिना, सामाजिक विधि के विपरीत किए गये फैसले को अवैध बताया और इसे राजनीति का खेल बताकर इनाम मे ऊँचे पद पर पहुँचने की ओर समाज का ध्यान खेचा तो समाज के समझ मे सारी बात आ गई और बिना किसी प्रायश्चित के राजनैतिक पैतराबाजी के शिकार इन सभी को छाती से लगा लिया गया। रोटी-बेटी का व्यवहार पूर्व की तरह अपने आप शुरू हो गया।

जब विनोबा भावे को बीकानेर आना ही पड़ा

दक्षिणी भारत मे बैठे विनोबा भावे बीकानेर में हुए इस अत्याचार के विरोध में सत्याग्रहियों की लम्बी भूख हड़ताल के समाचार से इतने व्यथित हुए कि उन्होंने अपने अन्य सारे कार्यक्रमो को रद्द करके बीकानेर आकर सत्याग्रहियों के प्राण-रक्षार्थ कर्त्तव्य निभाने को प्राथमिकता दी। बीकानेर पहुँचने के बाद उन्होंने लक्ष्मीनाथ मंदिर पहुँच कर भूख हड़तालियो की भूख हड़ताल अपने हाथ से रस पिला कर समाप्त कराई और उन्हें बताया कि गांधीजी के सिद्धान्तों के अनुसार हमें दबाव देकर मंदिर प्रवेश प्राप्त करने के बजाय यह निर्णय कर लेना चाहिए कि हम वहां प्रवेश ही नहीं करेंगे जहां हरि के प्यारे हरिजनो को प्रवेश नहीं मिलता है। इसके साथ ही हरिजन-विरोधी हिंसा का आंदोलन समापन को प्राप्त हो गया।

अध्याय चौदहवाँ

....और जब घड़ा लबालब भर गया

अध्याय चौदहवाँ

....और जब घड़ा लबालब भर गया

बीकानेर रियासत को अलग इकाई बनाए रखने के महाराजा सादूलसिंह के तमाम प्रयत्न नाकामयाब होते जा रहे थे। ऐसे समय में जयपुर और जोधपुर नरेशों की अपने-अपने राज्यों को नए 'राजस्थान' राज्य में विलीन करने की स्वीकृति की घोषणा के बाद बीकानेर नरेश एकदम अलग-थलग पड़ गये थे।

महाराजा सादूलसिंह के उत्तराधिकारी महाराजा करणीसिंह ने, बीकानेर राज्य के स्थापना वर्ष 1465 से उसके विलीनीकरण के वर्ष 1949 तक के लगभग पाँच सौ वर्षों में बीकानेर के राजघराने के भारतीय केन्द्रीय सत्ता से रहे संबंधों पर एक ग्रंथ प्रकाशित किया है जिस पर उन्हें डाक्टरेट की उपाधि से विभूषित किया गया। इस ग्रंथ के एक अध्याय में उन्होंने स्वतन्त्रता प्राप्ति की तारीख 15 अगस्त 1947 के बाद स्वतन्त्र भारत की केन्द्रीय सत्ता से बीकानेर राजघराने के संबंधों का विवेचन करते हुए सरदार पटेल पर 'विश्वासघातपूर्ण' व्यवहार करने का आरोप लगाया है। इस ग्रथ के पृष्ठ 340 पर उन्होंने लिखा है कि भारत संघ में शामिल होने का देशी राज्यो के नरेशों से आह्वान करते समय सरदार ने देशी नरेशों को आश्वासन दिया था कि क्षेत्रफल और आमदनी की दृष्टि से अपने पैरों पर खड़ी रहने लायक देशी रियासतो को 'वाएबल यूनिट' यानी जीवनक्षम इकाई मानकर ज्यों का त्यो कायम रखा और रहने दिया जायेगा। डाक्टर करनीसिंह ने अपने ग्रंथ में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बड़ी देशी रियासतों में छः नाम गिनाए हैं जो क्रमशः इस प्रकार हैं—(1) जम्मू व कश्मीर, (2) हैदराबाद, (3) जोधपुर, (4) मैसूर, (5) ग्वालियर (6) बीकानेर (2337 वर्ग मील) जो आय की दृष्टि से भी अपने पैरों पर खड़ी रहने योग्य है। डा. करणीसिंह का कहना है कि लोगो के दिमाग में यह शंका छिपी हुई है कि स्वतन्त्र भारत के निर्माताओं के दिमाग में नरेशों से भारतीय संघ में शामिल होने के कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की पहली मंजिल के समय एक स्थिति रही और जब हस्ताक्षर सम्पन्न हो गए तब उनकी रियासतों को विलीन करने की दूसरी मंजिल पर दूसरी। क्या स्वतन्त्र भारत के महान निर्माताओं ने नरेशों के साथ किये जाने वाले इस व्यवहार में पूरी ईमानदारी बरती है? ट्रावनकोर रियासत में साम्यवाद का हौआ उठाकर जोरदार प्रदर्शन करवाये जिसमें उसका दीवान मरवा दिया गया और महाराजा को भारत संघ में शामिल होने के कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर देने पड़े। दूसरा उदाहरण देते हुए डा करणीसिह कहते है कि वायसराय से दबाव डलवाकर जोधपुर नरेश से हस्ताक्षर हासिल किये गये। पर साथ ही डा. करणीसिंह यह भी स्वीकार करते हैं कि भारत सरकार की नीति के इस अचानक बदलाव

में हैदराबाद, जूनागढ़ और जोधपुर नरेशों के कारनामो का प्रभाव पड़ा हो। यहां डा. करणीसिंह की लेखनी से सत्य फूट ही पड़ा। डा. करणीसिह कुछ भी कहें पर भारत की प्रबुद्ध जनता से यह छुपा हुआ नहीं है कि स्टेट्स मिनिस्ट्री के प्रभारी सरदार पटेल के हृदय मे राष्ट्र का गृहमंत्री भी वैठा हुआ था जो उसे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कड़े से कड़ा कदम उठाने को निरन्तर मजवूर कर रहा था।

स्वतन्त्रता, 15 अगस्त, 1947 को प्राप्त हो चुकी थी पर उसको कायम रखने का कार्य उसकी प्राप्ति से कहीं अधिक कठिन और अधिक पेचीदा था। राजनीति में शत्रु और मित्र स्थायी नहीं होते। कल के शत्रु आज के मित्र हो सकते है और कल के मित्र अपने स्वार्थ की दृष्टि से आज के आस्तीन के छिपे सॉप सिद्ध हो सकते है। स्वतन्त्रता के शैशव काल मे उसकी सुरक्षा का दायित्व वहुत ही नाजुक था पर सरदार की पैनी नजर से आस्तीन का सांप वच निकले, इसकी गुंजायश कहॉ थी? नवजात स्वतन्त्रता की इस स्टेज पर 'वचनों की रक्षा' के नाम पर सरदार को अपने कर्त्तव्य से च्युत किया जाना संभव नहीं था। किन्हीं दो पक्षों के आपसी समझौते में जब एक पक्ष के विपरीत व्यवहार पर दूसरा पक्ष भी अपना व्यवहार बदलने को विवश हो जाय तो उसे वचन-भंग अथवा विश्वासघात की संज्ञा नहीं दी जा सकती। वड़ी से वड़ी रियासतों को जीवनक्षम इकाई यानी वाएवल यूनिट के रूप में वनाये रखने का वचन तो हैदराबाद, जूनागढ़, ट्रावनकोर आदि सब को समान रूप से दिया हुआ था पर सबके मामलों में सरदार और राष्ट्र को क्या कुछ नहीं करना पड़ा था यह सबको पता ही है। *कहीं पुलिस एक्सन लेना पड़ा तो कहीं फौजी कार्यवाही करने को मजबूर होना पड़ा था, तो कही जनता को स्वयं को आगे* आना पड़ा था। कायदे-आजम जिन्ना से हाथ मिलाकर पाकिस्तान में मिलने को तत्पर भारत-पाक सीमावर्ती जोधपुर नरेश की हरकतों की अनदेखी सरदार के लिए संभव नही थी तो वैसे ही दूसरी सीमावर्ती रियासत बीकानेर के नरेश द्वारा भावलपुर से की जाने वाली वहुचर्चित संधि की भी सरदार की नजर कैसे उपेक्षा कर सकती थी। चने की निकासी में होने वाले भयंकर भ्रष्टाचार पर मिलने वाली जॉच-रिपोर्ट और स्वतंत्र भारत में हरिजन विरोधी दंगों के दौरान राष्ट्र के प्रथम गवर्नर जनरल सी. राजगोपालाचारी के तार द्वारा दिये गये विनम्र मार्गदर्शन के उत्तर मे महाराजा द्वारा दिए गए चांटा-मार जवाव भी अपनी जगह प्रभाव डाले विना नहीं रह सके थे और इन सवका एक ही इलाज था—*वीकानेर रियासत का विलीनीकरण।*

ऑख सब को देखती है पर खुद को नहीं देख पाती

यह एक भौतिक सत्य है कि जो ऑख सारे संसार को देखती है वह खुद अपने आपको नही देख पाती। डा. करणीसिंह को हैदराबाद, जूनागढ़ और जोधपुर नजर आते है पर वहीं उनकी ऑख वीकानेर के कार्य-कलापों को देखने में असमर्थ है। इसमें कोई शक नही कि जहा एक तरफ उनके पिता श्री सादूलसिंह ने सन् 1947 के संक्रांति-काल मे नरेन्द्र-मंडल के विपरीत जाकर भारतीय सघ में प्रवेश करने में अग्रणी होकर राष्ट्र की जो सेवा की है उसे इतिहास कभी नही भुला सकता और इसी कारण भारतीय स्वतन्त्रता

संग्राम में बीकानेर के योगदान के प्रसग में हरएक बीकानेरी अपने आपको गौरवान्वित समझने का हक रखता है, वहीं 500 वर्ष के राठौड़ी शासन में, उसने भारत की स्वतन्त्रता के पूर्व और उसके बाद भी, शासन की जिस निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता के गहरे घाव झेले है उनकी पीड़ा को भी कभी नहीं भुला सकेगा। डा. करणीसिह ने अपने उपरोक्त ग्रंथ के पृष्ठ 340 पर अपने पिता महाराजा सादूलसिहजी द्वारा (महाराजा साहब के प्राईवेट सेक्रेटरी की फाइल सं. 412 जी.एन 25 में) विलीनीकरण के संदर्भ मे अकित वेदना को उद्धृत किया है जिसका भावार्थ है कि बीकानेर की रियासत को अपने पैरो पर खड़े रहने और अपने बलबूते पर अस्तित्व में रहने लायक 'जीवनक्षम' यानी वाएबल यूनिट की श्रेणी में अब तक माना जाता रहा है तो अब अचानक उसे विलीनीकरण की प्रक्रिया द्वारा विलीन करने का प्रस्ताव कैसे लाया जा रहा है? अचानक यह नीति में परिवर्तन कैसे हो गया? यह दवाव की राजनीति क्यों बरती जा रही है? इस लेखक की विनम्र राय में कोई भी इतिहासकार सरदार पटेल को या राष्ट्रीय नेताओं को इसके लिए दोषी नहीं मान सकेगा। असल मे पाँच सौ वर्षो के निरंकुश शासन की स्वेच्छाचारिता का घड़ा अब लबालब भर चुका था और बीकानेर की वह कहावत चरितार्थ हो रही थी जिसमें कहा गया है कि—

'आप कमाया कोमणा कीनै दीजे दोष'।

स्वर्णिम सूर्योदय

रियासत-काल की काली रात्रि में बीकानेर के नागरिको को 15 अगस्त 1947 को पूरे राष्ट्र मे उगे स्वातंत्र्य सूर्य के दर्शन तो नहीं करने दिये गये पर अब चिड़ियों की चहचहाहट व भोर के तारे से विश्वास हो रहा था कि अब स्वातंत्र्य सूर्य बीकानेर के नागरिकों को भी शीघ्र ही दर्शन देगा।

बीकानेर रियासत के नागरिक जब पूरे देश के स्वातंत्र्य के उपलक्ष्य में होने वाले समारोह, स्वातंत्र्य वीरो और सेनानियों के जन-समूह द्वारा अभिनंदन संबंधी खबरें पढ़ते थे तो बेताबी से आकुल हो जाते थे और विलीनीकरण में हो रही एक-एक दिन की देरी उन्हें असह्य हो रही थी। भारत वर्ष के जन-गण को मिली स्वतन्त्रता बीकानेर का नागरिक भोग नहीं पा रहा था और उसकी स्थिति कुछ ऐसी थी कि थाली परोसी हुई है पर खा नहीं सकते। उस स्थिति में धैर्य धारण करना बड़ा कठिन होता है।

राजतंत्र की स्याह कालिमा रूपी गुलामी की अंधरात्रि से लड़ते हुए स्वामी गोपालदास, बाबू मुक्ताप्रसाद, सराफ सत्यनारायण, सेठ खूबराम एवं उनके साथियों को रियासत के नागरिकों ने देखा था। इन लोगों ने अपने सिरो पर कफन बांध कर आजादी की आग को सुलगाया था। आग को सुलगाने के लिए असीम कष्ट सहने वाले इन लोगों के लिए जनता में आदर भाव था।

तदनन्तर बाबू मुक्ताप्रसाद के नेतृत्व में वैद्य मघाराम व उसके साथीगण लक्ष्मीदास स्वामी, भिक्षालाल बोहरा, सुरेन्द्र शर्मा आदि की दूसरी पीढ़ी आई। इस पीढ़ी

के नेतृत्व मे जनता ने स्वतन्त्रता की आग को सुलगाने के बाद धधकते हुए देखा था जो घोर गुलामी की भयावह रात्रि को ब्रह्ममुहूर्त के निकट लाई थी। इनके त्याग, तपस्या व अन्याय के विरुद्ध लड़ने की तत्परता के प्रति जनसमूह श्रद्धान्वत था। फिर लोगों ने देखा कि उस धधकती आग में कुछ जूझारू लोगों ने अपने वैयक्तिक जीवन की सुख सुविधाओं की बलि दी और परिणामस्वरूप धधकती हुई आग अब भीषण स्वातंत्र्य ज्वाला बनकर भभक उठी थी। उस पीढ़ी के प्रमुख रणबांकुरे बाबू रघुवरदयाल गोयल, गंगादास कौशिक, दाऊदयाल आचार्य, अमर शहीद बीरबलराम, राव माधोसिह, मालचन्द हिसारिया, चौ. हनुमानसिह, चौ. कुंभाराम, स्वामी कर्मानंद, हीरालाल शर्मा, मूलचन्द पारीक, गंगादत्त रंगा, विद्यार्थी नेता दामोदर सिंघल, मेघराज पारीक, किशन गोपाल गुटड़, चिरंजीलाल सुनार व रामनारायण शर्मा आदि थे। सुलगी, धधकी और फिर भभक उठी थी वह आग।

इस भभकी आग ने उत्सुक और आकुल जनता को स्वतन्त्रता की चहचहाहट और भोर का आभास तो करवा दिया पर विलीनीकरण के सूर्योदय को अभी राजतंत्र के बादल ने ढक रखा था।

स्वातंत्र्य सूर्य के ताप के सामने राजतंत्रीय हठधर्मिता ज्यादा नहीं टिक सकी। बादल ने अपनी सीमा का भान किया, सूर्य के प्रकाश व ताप की तीक्ष्णता का आभास किया। बादल को यह अनुभव हुआ कि जब ऊपर देखता है तो अग्निपिंड-सा धधकता सूर्य सरदार पटेल के रूप में दिखता है। नीचे देखने पर रियासत की जनता यह इंतजार करती दिखती है कि कब हठधर्मिता रूपी बादल हटता है और कब जनमानस स्वातंत्र्य सूर्य के दर्शन कर पाता है। आखिर बादल ने अपनी विवशता, कमजोरी को समझा और विलीनीकरण के लिए अपने हस्ताक्षर कर उसने अपने को सूर्य के ताप व जन-ज्वार से बचा लिया। दिनांक 7 अप्रेल सन् 1949 को बीकानेर ने स्वातंत्र्य के स्वर्णिम सूर्य के दर्शन किये जब बीकानेर रियासत भारत के नए राज्य 'राजस्थान' का एक अभिन्न अंग बन गई।

ロロ

सहायक सामग्री

I डॉ गोपीनाथ शर्मा—राजस्थान का इतिहास।

II डॉ. गौरीशकर हीराचद ओझा—बीकानेर का इतिहास, जिल्द 1 व 2

III डॉ. आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव—भारत का इतिहास।

IV K.M. Panikkar—A Biography of His Highness The Maharaja of Bikaner (An Oxford Publication of 1937)

V गोविन्द अग्रवाल—पत्रों के प्रकाश में - जन-सेवक स्वामी गोपालदास जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व।

VI हनुमानप्रसाद गोयल आदि कृत—सचित्र राजनैतिक भारत।

VII सत्यदेव विद्यालंकार—बीकानेर का राजनैतिक विकास और पं. मघाराम वैद्य

VIII सत्यदेव विद्यालंकार-संपादित—'धुन के धनी श्री जयनारायण व्यास'

IX डॉ. गिरिजाशंकर शर्मा—मारवाड़ी-व्यापारी

X V. P. Menon—'Integration of Indian States' (An Orient Longman Publication)

XI गोविन्द अग्रवाल—चूरू मण्डल का शोधपूर्ण इतिहास।

XII विपिनचन्द्र आदि—'भारत का स्वतंत्रता संघर्ष' (हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय प्रकाशन)

XIII Dr. Karni Singh M.P.—Relation of the House of Bikaner with the Central Powers 1465-1949।

XIV डॉ. पट्टाभि सीतारामैया—कांग्रेस का इतिहास, जिल्द III

XV संपादक सुबोधकुमार अग्रवाल 'माटी री महक'—लोक संस्कृति शोध संस्थान, 'नगर श्री' चूरू।

XVI 'टाइम्स आफ राजस्थान' का वर्ष 1983 का बीकानेर स्वाधीनता संग्राम का रजत जयन्ती अंक, संपादक श्री अभयप्रकाश भटनागर, बीकानेर।

XVII 'भाषाई-पत्रकारिता और जन-संचार' 1947 ई. में श्री शंभुदयाल सक्सेना का लेख 'जब (बीकानेर में) अखबार का नाम लेना भी गुनाह था।'

XVIII राजस्थान राज्य अभिलेखागार से संकलित सामग्री—

(क) Bikaner State Administration Reports from 1918 to 1947।

(ख) बीकानेर राज्य प्रजा परिषद् के महामंत्री श्री गंगादास कौशिक द्वारा अभिलेखागार को समर्पित स्वतंत्रता आन्दोलन से संबंधित सामग्री (छ. वस्तों मे)।

(ग) 'बीकानेर की जागीरदारी लागें'—डॉ. गिरिजाशंकर शर्मा का शोधपत्र (जनवरी 1965)

(घ) कटिंग फाइल 1932/131 Sedtious Case against certain persons in Bikaner State।

(ङ) Cuttings from Lokmanya File 1933/62।

(च) बीकानेर राज्य के गृह विभाग की गोपनीय फाइलें—

(1) 1937/2 Political Diary—Externment of Mukta and others

(2) 1937/20 Discharging of Gangadass Gajjani etc. and externment of Surendra Sharma.

(3) 1939/60 Establishment of Bikaner Praja Mandal (Branch) at Calcutta.

(4) 1940/60 Rashtriya Diary 1941 and Sohanlal Kochar of Swadeshi Bhandar Bikaner

(5) 1942/16 Establishment of training Camp at Vanasthali (Jaipur State)

(6) 1942/45 Churu High School Students strike against mass arrests on 9th August.

(7) 1942/75 Sardarshahar High School Students not participating in Celebration of H. H.'s Birthday.

(8) 1943/3 Bhikshalal Bohara (of Bikaner Praja Mandal).

(9) 1943/29 Satya Prakash Gupta from B. Hindu University.

(10) 1944/1 Seth Badridas Daga's Speech on retirement from presidentship of Bikaner M. Board.

(11) 1944/23 H. H.'s observations at Cabinet meeting held at Abu in May 1944.

(12) 1944/24 Prime Miniter Panikkar's Speech on 6-10-44 before Seths and Sahukars.

(13) 1944/32 Shiv Dayal Dave of Nagaur Lok Parishad

(14) 1944/35 Sitaram Agrawal of Taranagar.

(15) 1944/42 Weekly Confidential Diaries of Distt. S.P.S.

(16) 1945/10 Nagaur Political Conference held in April 1945.

(17) 1945/14 Ganganagar Praja Prishad file.

(18) 1945/18 Cuttings from Praja Sewak.

(19) 1945/19 Cuttings from Vishvamitra.

(20) 1945/20 Cuttings from Hindustan Times.

(21) 1945/21 Cuttings from Vir Arjun.

(22) 1945/28 Cuttings from Hindi Hidustan.

(23) 1945/24 Kishangopal Guttad (of Praja Parishad)

(24) 1945/25 Appointment of Distt Magistrate to try case against Magharam & others

(25) 1945/33 Hiralal Jadia of Indore.

(26) 1945/45 Hindi Manuscript Posters found pasted at various places.

(27) 1945/50 Policy of British Govt. Political Workers.

(28) 1945/53 Petition of Shankerlal Vyas (P.P. worker).

(29) 1945/61 Complaint against Police by Mst Gumani and Kheturi Mother and Sister of Magharam.

(30) 1945/70 Kashiram Swami's Activities.

(31) 1945/71 Starting of Praja Parishad and Rashtriya Vachanalaya.

(32) 1945/72 Jat Conference at Jhunjhunu.

(33) 1945/73 Propaganda against Income Tax Bill.

(34) 1945/74 Ghewarchand Tamboli (of Praja Parishad).

(35) 1945/83 Precis of proceedings of 7th session of A.I.S.P. Conference held at Udaipur.

(36) 1945/101 History Sheet of some political persons i.e. Raghuwar Dayal Goel, Gangadas Kaushik and others.

(37) 1948/7 Estimate of the Membership of the Praja Parishad in Bikaner.

(38) 1946/12 Activities of Students of Bikaner State.

(39) 1946/35 Communal riots in Bikaner City.

(40) 1946/38 Action taken against Hiralal Diama U/s. 121(D) B.P.C.

(41) 1946/40 Enquiries into atrocities in Jagir Kanga.

(42) 1946/48 Retirement of Benirot Bahadur Singh S.P. Rajgarh.

(43) 1946/72 Hiralal Shastri and Gokul Bhai Bhatt Visit to Bikaner on 13/8/46.

(44) 1946/81 Home Miniter's Contact with M. Subhan Special Representative of Hindustan Times.

(45) 1947/39 Miscellaneous Papers File.

(छ) बीकानेर राज्य के गृह विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागो की फाइलें—

(1) 1934/A 260 Foreign & Political Deptt. File Reg. : Surajmal Singh Jagirdar.

(2) 1940/A 587/93 Foreign & Political Deptt. File—Reg. : 1/2 Dudhwakhara Jagir's share's Resumption

(3) 1947/43 Chiefs and Nobles Deptt. File—Reenquiry into Dudhwakhara Jagirdar's abrocities.

(ज) बीकानेर राजपत्र-एक्स्ट्रा ओरडीनरी—वृहस्पतिवार ता. 23 अक्टूबर 1941 ई. महाराजा साहब बहादुर (श्री गंगासिंहजी) का युद्ध क्षेत्र पर पधारने के अवसर पर प्रजा के लिए फरमान (जिसे प्रजा के अधिकारों का घोषणा पत्र वर्णित किया गया)।